FACT
प्रगति के पथप्रदर्शक
PIONEERS IN PROGRESS

वार्षिक रिपोर्ट
81st ANNUAL REPORT 2024-25

दि फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED
(A Government of India Enterprise)

निदेशक मंडल

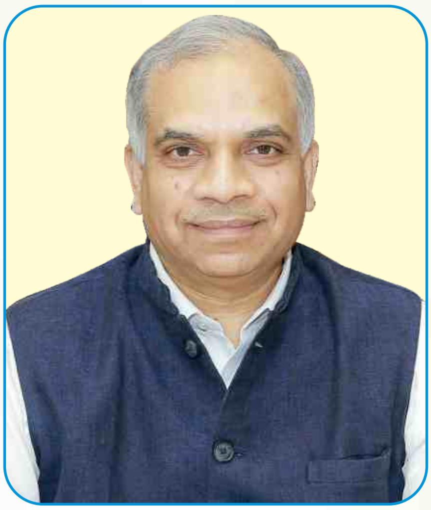

श्री एस सी मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अनुपम मिश्रा
निदेशक (विपणन)

श्री एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त)

डॉ जयचंद्रन के
निदेशक (तकनीकी)

श्री मनोज सेती
निदेशक

श्री संतोष कुमार
निदेशक

श्री एम चंद्रन
निदेशक

डॉ अरुणा कामिनेनी
निदेशक

श्री बिल्लेश्वर सिन्हा
निदेशक

FACT
प्रगति के पथप्रदर्शक

निगम सूचना

निदेशक मंडल

श्री एस सी मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अनुपम मिश्रा
निदेशक (विपणन)

श्री एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त)

डॉ जयचंद्रन के
निदेशक (तकनीकी)

श्री मनोज सेठी
सरकार नामिती निदेशक

श्री संतोष कुमार
सरकार नामिती निदेशक

श्री एम चंद्रन
स्वतंत्र निदेशक

डॉ अरुणा कामिनेनी
स्वतंत्र निदेशक

श्री बिल्लेश्वर सिन्हा
स्वतंत्र निदेशक

डॉ अंजला मुर्मू
स्वतंत्र निदेशक (27.05.2025 तक)

डॉ टीना सोनी
सरकार नामिती निदेशक (12.05.2025 तक)

सुश्री अपर्णा एस शर्मा
सरकार नामिती निदेशक (19.02.2025 तक)

श्री केडा तनाजी अहेर
स्वतंत्र निदेशक (29.10.2024 तक)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ सूर्या तंकप्पन, आई पी एस

कार्यपालक निदेशक

श्री मणिकुट्टन आर
उत्पादन समन्वयन

मुख्य महाप्रबंधक

श्री जयराज के बी
प्रशासन

श्री दिलीप आर
उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स

श्री सजो के एफ
फेडो & फिऊ

कंपनी सचिव

सुश्री सूसन अब्रहाम

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स जी वेणुगोपाल कामत & कं
सनदी लेखापाल, कोची

सचिवीय लेखा परीक्षक
सीज़रपिंटोजॉन & एसोसिएट्स
कंपनी सचिव, कोची

लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स बी बी एस & एसोसिएट्स
लागत लेखापाल, कोची

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स शंकर गिरि & प्रभाकर
सनदी लेखापाल, चेन्नई

मेसर्स आरबी काबरा & कं
सनदी लेखापाल, हैदराबाद

रजिस्ट्रार & शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स पूर्वा शेयररजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9 शिवशक्ति इंड एस्टेट, जे आर बोरिच्चा मार्ग
लोवर परेल (ईस्ट)
मुंबई, महाराष्ट्र 400 011
फोन: 23012518/ 23016761
ईमेल - support@purvashare.com

पंजीकृत कार्यालय
एलूर, उद्योगमंडल - 683 501 कोची, केरल, भारत
फोन: 0484 - 2546486
फैक्स: 0484 - 2546637
वेबसाइट : www.fact.co.in
ईमेल: investors@factltd.com

आई एस आई एन :
INE188A01015
सी आई एन :
L24129KL1943GOI000371
स्टाक एक्सचेंज :
नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया / बैंक ऑफ बडौदा / बैंक ऑफ इंडिया / कैनरा बैंक
आइ सी आइ सी आइ बैंक / फेडरल बैंक / एक्सिस बैंक

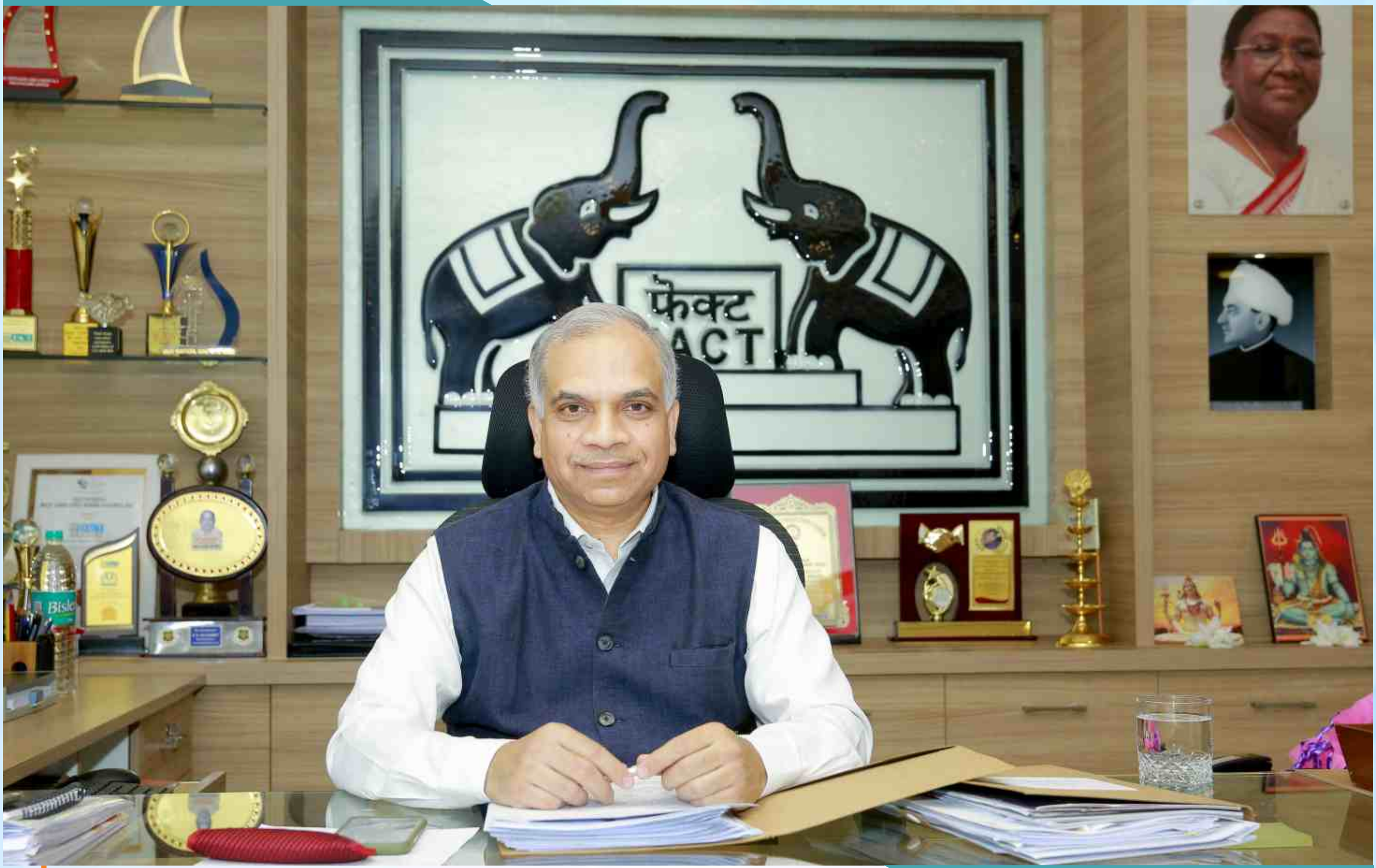

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारियो,

यह मेरी प्रसन्नता की बात है कि मैं आपके समक्ष **दि फ़र्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) की 81वीं वार्षिक रिपोर्ट** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह रिपोर्ट कंपनी के वार्षिक निष्पादन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें हमारी उपलब्धियों के साथ-साथ एक बदलते हुए वैश्विक और घरेलू परिदृश्य में सामने आई चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है।

सर्वप्रथम, मैं आप सभी, हमारे सम्मानित शेयरधारकों, का आपके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपका विश्वास ही हमारी प्रगति की आधारशिला है और हमें नई ऊँचाइयों को छूने तथा उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

निष्पादन अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2024-25 उर्वरक उद्योग के लिए समग्र रूप से चुनौतियों से भरा रहा। वैश्विक कच्चे माल की कीमतों में तेज़ उतार-चढ़ाव देखा गया, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम जैसे कि उर्वरकों और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा किसानों को अधिक लागत से बचाने हेतु सहायिकी प्रदान करना उद्योग को स्थिर बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। सुखद बात यह है कि कच्चे माल और गैस की कीमतें अब धीरे-धीरे स्थिर हो रही हैं और सामान्य स्तर के करीब पहुंच रही हैं।

इन बाहरी दबावों के बावजूद, एफ ए सी टी ने मजबूती और अनुकूलन क्षमता का परिचय दिया। वर्ष के दौरान कंपनी ने **₹ 4,050.91 करोड़ का पण्यावर्त** और **₹ 41.23 करोड़ का निवल लाभ** दर्ज किया। बोर्ड ने इस वर्ष के लिए **₹ 0.39 प्रति साम्या शेयर** का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है।

उत्पादन के क्षेत्र में, एफ ए सी टी ने अपनी गति बनाए रखी और कुल 8.95 लाख मी ट उर्वरक उत्पादन हासिल किया, जिसमें निम्न सम्मिलित हैं:

- 6,44,768 मी ट फेक्टमफॉस
- 2,50,578 मी ट अमोनियम सल्फेट, जो कि अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन है, और इसने वर्ष 2020-21 के पिछले सर्वश्रेष्ठ 2,45,676 मी ट के रिकॉर्ड को पार कर लिया है।

कंपनी का विपणन निष्पादन भी उतना ही उल्लेखनीय रहा, जहाँ सभी उत्पादों की कुल बिक्री 11.63 लाख मी ट रही। उल्लेखनीय विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **अमोनियम सल्फेट की बिक्री** 20% बढ़कर 2,66,683 मी ट हो गई।
- **एम ओ पी की बिक्री** में 247% की तेज़ी वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 22,884 मी ट की तुलना में 82,949 मी ट तक पहुँच गई।
- पी एम-प्रणाम कार्यक्रम के सहयोग से जैविक उर्वरकों ने 20,734 मी ट का सर्वकालीन उच्च स्तर हासिल किया।

ये परिणाम अमोनियम सल्फेट और जैविक उर्वरकों की बिक्री में एफ ए सी टी के अब तक के सर्वोच्च आंकड़े दर्शाते हैं और कृषि क्षेत्र में कंपनी की लगातार प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को प्रमाणित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एफ ए सी टी ने किसानों पर केंद्रित कई पहलों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पी एम एस के एस के), नमो ड्रोन दीदी (एन डी डी) योजना, पी एम-प्रणाम और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत हैं। ये प्रयास हमारे किसानों के कल्याण और सतत कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

विस्तार और बाज़ार विकास

अपने राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति के अनुरूप, एफ ए सी टी के विपणन संभाग ने वर्ष के दौरान अपने नेटवर्क को सशक्त किया। मध्य प्रदेश को एफ ए सी टी के प्रचालन क्षेत्र में शामिल किया गया, जहां 25,000 मी ट फेक्टमफॉस की आपूर्ति की गई।

एफ ए सी टी ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा और काकीनाडा, तेलंगाना के निजामाबाद, तथा ओडिशा के भुवनेश्वर में नए विपणन क्षेत्र स्थापित किए, जबकि महाराष्ट्र के सोलापुर में एक नया राज्य कार्यालय उद्घाटित किया गया।

आगामी वर्ष 2025-26 में एफ ए सी टी, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे संभावित बाज़ारों में प्रवेश की तैयारी कर रहा है। कंपनी दक्षिण भारत में एन पी के 20:20:0:13 उर्वरक श्रेणी में 30% से अधिक की मज़बूत बाज़ार हिस्सेदारी बनाए हुए है, जो डीलरों और किसानों के निरंतर विश्वास से और अधिक सुदृढ़ हुई है।

उद्योग परिदृश्य और आर्थिक दृष्टिकोण

उर्वरक क्षेत्र भारत की कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जो लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस संदर्भ में, उर्वरक - गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई सुविधाएँ, मशीनीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ - फसल की पैदावार बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदानों में से एक हैं।

भारतीय उर्वरक बाजार, जिसका मूल्य 2023 में 41.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, के 2032 तक 70.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो 6.1% की स्वस्थ सी ए जी आर को दर्शाता है। यह वृद्धि बढ़ती खाद्य मांग, सहायिकी के माध्यम से सरकारी समर्थन, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में वृद्धि और संतुलित एवं कुशल उर्वरक उपयोग के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने से प्रेरित हो रही है। वर्तमान में, उर्वरक भारत के कृषि आदानों का एक महत्वपूर्ण भाग हैं, और इस क्षेत्र के मजबूत आर्थिक संबंध हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के बाजार पूंजीकरण का लगभग एक-चौथाई का योगदान करते हैं।

आज भारत विश्व के उच्च तीन उर्वरक उत्पादकों में से एक है। यह भारत के मज़बूत घरेलू आधार को दर्शाता है, जिसने इसे देश की कृषि ज़रूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने में सक्षम बनाया है। साथ ही, भारत में उर्वरक की माँग लगातार बढ़ रही है। अनुमानों के अनुसार, वार्षिक खपत 60 मी ट से अधिक है, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक उपभोक्ताओं में से एक बन गया है।

इस मज़बूती के बावजूद, उर्वरक क्षेत्र चुनौतियों से रहित नहीं है। कुछ प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:

- **सहायिकी का बोझ और राजकोषीय दबाव:** किसानों के लिए उर्वरकों को किफ़ायती बनाने के लिए सहायिकी महत्वपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ये सरकार की राजकोषीय स्थिति पर काफ़ी दबाव डालती हैं।
- **आयात पर निर्भरता:** भारत फ़ॉस्फ़ोरिक एसिड, रॉक फ़ॉस्फ़ेट, अमोनिया और पोटाश जैसे कुछ प्रमुख कच्चे माल के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए, वैश्विक वस्तु कीमतों में उतार-चढ़ाव, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक व्यवधान घरेलू उत्पादन और लागत संरचनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- **मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक:** हालाँकि उर्वरक उत्पादकता के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग या असंतुलित उपयोग मृदा उर्वरता और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक और जैव-उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर बढ़ रहा है।
- **लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियाँ:** किसानों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों के लिए बंदरगाहों, रेलवे और गोदामों सहित कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की आवश्यकता होती है। आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी बाधा सटीक कृषि मौसम के दौरान उपलब्धता को बाधित कर सकती है।

सकारात्मक पक्ष यह है कि इस क्षेत्र का भविष्य मज़बूत बना हुआ है। भारत सरकार ने कई किसान-केंद्रित पहल शुरू की हैं, जैसे कि पी एम के एस के (प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र), पी एम प्रणाम (धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम) और नमो ड्रोन दीदी योजना, जिनका उद्देश्य पहुँच में सुधार, संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देना और सटीक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, हरित उर्वरकों, सतत ऊर्जा उपयोग और कार्बन-मुक्ति से संबंधित नीतिगत पहलों से क्षेत्रीय परिवर्तन के अगले चरण को आकार मिलने की संभावना है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, कच्चे माल की सुरक्षा, स्रोतों में विविधता लाने, और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कंपनियाँ जो सुरक्षित और लागत-प्रभावी कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम होंगी, साथ ही उत्पादों में विविधता लाएँगी और सतत प्रथाओं को अपनाएँगी, वे इस बदलते परिवेश में सफलता प्राप्त करने की सबसे बेहतर स्थिति में होंगी।

एफ ए सी टी ने इन आवश्यकताओं को पहचाना है और दीर्घकालिक कच्चे माल की साझेदारियाँ स्थापित करने, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण मध्यवर्ती रसायनों की क्षमता बढ़ाने, और अपने बाजार विस्तार पर सक्रिय रूप से कार्य किया है। ये प्रयास न केवल बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करेंगे, बल्कि कंपनी को भारत की उर्वरक सुरक्षा और कृषि विकास में एक मजबूत योगदानकर्ता के रूप में स्थापित भी करेंगे।

बाजार पूंजीकरण

एफ ए सी टी का निष्पादन पूंजी बाजारों में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। कंपनी ने ₹65,000 करोड़ से अधिक का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया है और इसके शेयरों का निष्पादन लगातार इस क्षेत्र से बेहतर रहा है। यह प्रगति निवेशकों के बढ़ते विश्वास और एफ ए सी टी के मजबूत होते बुनियादी सिद्धांतों का प्रतिबिंब है।

भविष्य का दृष्टिकोण

एफ ए सी टी को 2025-26 और उसके बाद भी अपने मजबूत निष्पादन को बनाए रखने का विश्वास है। वर्तमान में चल रही प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- **कच्चे माल की सुरक्षा**
- डी ए पी और टी एस पी की आपूर्ति के लिए ओ सी पी न्यूट्रीक्रॉप्स, मोरक्को के साथ समझौता ज्ञापन
- रॉक फॉस्फेट के लिए एस एन पी टी, टोगो के साथ दीर्घकालीन समझौता (3 वर्ष)
- निर्बाध आपूर्ति के लिए रणनीतिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ
- **क्षमता विस्तार**
- 1650 टी पी डी एन पी के संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे वार्षिक उर्वरक क्षमता 5 लाख मी ट से अधिक बढ़ जाएगी
- फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में वृद्धि
- सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भंडारण सुविधाओं का विस्तार
- 10,000 मी ट अमोनिया भंडारण टैंक और संबंधित सुविधाओं का निर्माण

ये पहल एफ ए सी टी को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, हमारी पेशकशों में विविधता लाने और दीर्घकालीन सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

निगम अभिशासन

एफ ए सी टी पारदर्शिता, जवाबदेही और मूल्य सृजन पर ज़ोर देते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करती है।

निगम अभिशासन पर एक अलग खंड, साथ ही एक सहकर्मी-समीक्षित अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र, इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। डी पी ई दिशानिर्देशों के तहत एफ ए सी टी को लगातार 'उत्कृष्ट' रेटिंग मिली है, जो नैतिक और जिम्मेदार प्रथाओं के प्रति हमारे पालन को रेखांकित करता है।

निगम सामाजिक दायित्व

एफ ए सी टी का दृढ़ विश्वास है कि व्यावसायिक विकास सामुदायिक प्रगति के साथ-साथ होना चाहिए। 2024-25 के दौरान, कंपनी ने प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सी एस आर गतिविधियों के लिए ₹125.12 लाख आवंटित किए, जैसे:

- ग्रामीण विकास
- स्वास्थ्य और स्वच्छता
- शिक्षा और कौशल विकास
- महिला सशक्तिकरण
- सतत कृषि

एफ ए सी टी ने पी एम-एम के डी के परियोजनाओं का सक्रिय रूप से समर्थन किया और पी एम-प्रणाम के अंतर्गत किसान शिक्षा पहलों को जारी रखा, जिससे समावेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला।

चुनौतियाँ और अवसर

वर्ष के दौरान, उर्वरक क्षेत्र को कच्चे माल की अस्थिरता, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और फॉस्फोरिक एसिड की सीमित आपूर्ति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन उपादानों ने उत्पादन और मार्जिन को प्रभावित किया।

इसके बावजूद, एफ ए सी टी ने ₹41.23 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जिससे कंपनी की मजबूती और लचीलापन फिर से पुष्टि की। बढ़ती उर्वरक मांग, सहायक सरकारी नीतियाँ, और एफ ए सी टी की आगामी क्षमता विस्तार योजनाओं के साथ, विकास और बाजार नेतृत्व के लिए अनेक महत्वपूर्ण अवसर सामने हैं।

स्वीकृतियाँ

निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपके विश्वास और प्रोत्साहन के लिए, हमारे शेयरधारकों के प्रति, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारत सरकार - विशेष रूप से उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय - और केरल सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों, अधिकारी मंचों और ट्रेड यूनियनों के सहयोग, और हमारे आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, लेखा परीक्षकों और डीलरों के अटूट समर्थन के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। एफ ए सी टी की प्रगति में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आपके निरंतर सहयोग से, मुझे विश्वास है कि एफ ए सी टी अपनी मज़बूत नींव पर आगे बढ़ेगा, नई ऊँचाइयाँ हासिल करेगा और किसानों, हितधारकों और समग्र राष्ट्र की समृद्धि में सार्थक योगदान देगा।

स्थानः मुंबई
दिनांकः 29.08.2025

(एस सी मुडगेरीकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विषय-सूची

क्रम सं.	विषय	सूचीपृष्ठ सं.
1	सूचना	09
2	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	27
3	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	47
4	निगम अभिशासन पर रिपोर्ट	55
5	सी एफ ओ /सी इ ओ का प्रमाणीकरण	71
6	प्रबंधक मंडल (विचार विमर्श परिचर्चा) और एवं विश्लेषण रिपोर्ट	73
7	व्यापार उत्तरदायित्व एवं स्थाई रिपोर्ट	81
8	स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	129
9	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध	136
10	स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के सी & ए जी की टिप्पणियाँ	146
11	31 मार्च, 2025 को स्टैंडेलोन तुलन-पत्र	147
12	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडोलोन विवरण	149
13	31 मार्च, 2025 को स्टैंडेलोन नकदी प्रवाह विवरण	150
14	स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों के भाग होनेवाली टिप्पणियाँ	154
15	10 वर्षों के वित्तीय परिणाम	227
16	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	229
17	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध	237
18	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के सी & ए जी की टिप्पणियाँ	239
19	31 मार्च 2025 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र	240
20	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण	242
21	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण नकदी प्रवाह	243
22	समेकित वित्तीय विवरणों के भाग होनेवाली टिप्पणियाँ	247

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एलूर, उद्योगमंडल - 683 501, कोच्ची, केरल

सी आई एन सं. : **L24129KL1943GOI000371**

दूरभाष : 0484-2546486

दूरभाषः www.fact.co.in ई-मेल आई डी : investors@factltd.com

शेयरधारियों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) की 81वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (आई एस टी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों ('ओ ए वी एम') के माध्यम से निम्नलिखित कामकाज करने के लिए आयोजित की जाएगीः

मामूली कामकाज

1. (क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडलोन वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट; और (ख) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की प्राप्ति, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रूप में पारित करना।

(क) **यह संकल्प लिया गया कि** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडेलोन वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर एतद्द्वारा विचार किया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा और उन्हें अपनाया जाएगा।

(ख) **यह भी संकल्प लिया गया कि** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर एतद्द्वारा विचार किया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा और उन्हें अपनाया जाएगा।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति साम्या शेयर के 0.39 रूपये का अंतिम लाभांश घोषित करना।

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की साम्या शेयर पूंजी पर ₹0.39 (उनतीस पैसे) प्रति शेयर का अंतिम लाभांश, जो कुल मिलाकर ₹25,23,58,070 (पच्चीस करोड़ तेईस लाख अठावन हजार सत्तर रूपये मात्र) होगा, बोर्ड द्वारा अनुशंसित रूप से घोषित किया जाता है।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

4. श्री मनोज सेठी, निदेशक (डीआईएनः 00301439) को नियुक्त करने के लिए, जो इस वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाता है।

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) (ई) के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री मनोज सेठी, निदेशक (डीआईएनः 00301439), संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली को कंपनी के निदेशक के रूप में एतद्‌द्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है।

विशेष कामकाज

5. **श्री बिल्लेश्वर सिन्हा (डीआईएनः 09393543) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।**

   कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के अंतर्गत श्री बिल्लेश्वर सिन्हा (डीआईएनः 09393543) को इस वार्षिक आम बैठक में कंपनी का स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

   सदस्यगण निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं और यदि उचित समझें तो इसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित कर सकते हैं।

   यह संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 160 और किसी अन्य लागू प्रावधानों तथा अधिनियम की अनुसूची IV और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के साथ पठित नियमों के अनुसार, श्री बिल्लेश्वर सिन्हा (डीआईएनः 09393543) जो VIII - भैरबपुर पी.ओ., अमरकानन जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल - 722133 में रहते हैं, जिन्होंने यह घोषणा प्रस्तुत की है कि वे अधिनियम की धारा 149(6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या 95/01/2025-एचआर-पीएसयू (ई-38792) दिनांक 16 मई 2025 के अनुसार 5 मई 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

6. **डॉ. अरूणा कामिनेनी (डीआईएनः 09591742) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।**

   कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के अंतर्गत इस वार्षिक आम बैठक में डॉ. अरूणा कामिनेनी (डीआईएनः 09591742) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

   सदस्यगण निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं और यदि उचित समझें तो इसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित कर सकते हैं।

   यह संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 160 और किसी अन्य लागू प्रावधानों तथा अधिनियम की अनुसूची IV और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के साथ पठित नियमों के अनुसार, डॉ. अरूणा कामिनेनी (डीआईएनः 09591742) जो वेंकट कामिनेनी अस्पताल, मत्स्य विभाग के पास, होस्पेट रोड, बेल्लारी, कर्नाटक - 583104 में रहती हैं, जिन्होंने यह घोषणा प्रस्तुत की है कि वे अधिनियम की धारा 149(6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या 95/01/2025-एचआर-पीएसयू (ई-38759) दिनांक 16 मई 2025 के अनुसार 5 मई 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

7. **श्री संतोष कुमार (डीआईएनः 11228100) को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करना।**

   कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के अंतर्गत श्री संतोष कुमार (डीआईएनः 11228100) को इस वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

   सदस्यगण निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं और यदि उचित समझें तो इसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित कर सकते हैं।

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, श्री संतोष कुमार (डीआईएनः 11228100), मुख्य लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

8. **मेसर्स एस वी जे एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (आई सी एस आई यूनिक कोडः P2008KE017900) की कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और 179(3) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में, मेसर्स एस वी जे एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (आई सी एस आई विशिष्ट कोडः P2008KE017900), को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पाँच वर्षों की अवधि के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित शुल्क और लागू करों पर नियुक्त किया जाता है।

9. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अंतर्गत कंपनी की उधार सीमा में वृद्धि और उधार के संबंध में कंपनी की चल एवं अचल संपत्तियों पर प्रभार का सृजन।**

कंपनी की उधार सीमा में वृद्धि पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतुः

संकल्प लिया गया कि, दिनांक 16.03.2016 को पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा पारित साधारण प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करते हुए, और उसके पश्चात लिए गए उधारों को भी प्रतिप्रभावी रूप से सम्मिलित करते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) तथा कंपनी के अनुच्छेद 47 सहित अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी के निदेशक मंडल को समय-समय पर कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और / अथवा किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक और उपयुक्त समझे जाने पर धनराशि उधार लेने हेतु सदस्यों की स्वीकृति इस प्रकार प्रदान की जाती है कि कंपनी द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि (कंपनी के बैंकरों से साधारण व्यवसाय के क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों को छोड़कर), कंपनी की नवीनतम वार्षिक लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी और मुक्त भंडार के कुल योग से अधिकतम 5,000 करोड़ रुपए (पाँच हजार करोड़ रुपये मात्र) अधिक न हो।

संकल्प लिया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई समिति या व्यक्ति, एतद्द्वारा ऐसे दस्तावेजों/विलेखों/लेखों/कागज़ातों/समझौतों को अंतिम रूप देने, निपटाने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत होंगे और हैं, जिनकी आवश्यकता हो सकती है और वे सभी कार्य, विलेखों, मामले और चीजें करेंगे जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित या वांछनीय समझें, जिसमें बंधक, दृष्टिबंधक या किसी अन्य माध्यम से प्रभार का सृजन और पूर्वोक्त या अन्य प्रतिभूतियों के सृजन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करना शामिल है, जिसे कंपनी के सर्वोत्तम हित में माना जाता है।

10. **31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।**

एक सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करना।

संकल्प किया गया कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (किसी भी वैधानिक संशोधन (ओं) या उस समय लागू होने के लिए उसके पुनः अधिनियमन सहित), मेसर्स को देय पारिश्रमिक। 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त बीबीएस और एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्याः 00273), की राशि 1,05,000/- रुपए (उर्वरकों के लिए 85000 रुपए और कैप्रोलैक्टम के लिए 20000 रुपए) प्लस उपरोक्त लेखापरीक्षा के संबंध में किए गए जेब खर्च (अधिकतम 10,000/- रुपए के अधीन) को एतद्‌वारा अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/-

सूसन अब्रहाम

कंपनी सचिव

स सं. एफ सी एस 6067

स्थान : उद्योगमंडल

दिनांक : 02.09.2025

पंजीकृत कार्यालयः

एलूर, उद्योगमंडल - 683 501

कोच्ची, केरल

फोनः 0484-2546486

वेबसाइट : www.fact.co.in

ई-मेल आई डी : investors@factltd.com

टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ समय-समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों को पढ़ा, जिनमें सबसे नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी -2 / पी / सीआईआर / 2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 है, जिसे सेबी द्वारा जारी किया गया है (इसके बाद सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के आयोजन की अनुमति दी है, बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के। कंपनी अधिनियम, 2013, एमसीए परिपत्रों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्ध विनियम') और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 81वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का स्थल माना जाएगा।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन अपेक्षित संबद्ध स्पष्टीकरण प्रस्ताव अलग से दिया गया है और निदेशकों के संबंध में संगत विवरण, जिनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति प्रस्तावित हैं आदि जैसे सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और सामान्य बैठकों में (एस एस2) सिचवीय मानक, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी है, इस सूचना में संलग्न है।

   ई वोटिंग एण्ड बैठक

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, ए जी एम के उपस्थित एक परोक्षी को नियुक्त करने के लिए भी हकदार है जो उपस्थित होने और वोट करने को हकदार सदस्य को उनकी ओर से एक रपोक्षी को नियुक्त करने के लिए भी हकदार है जो उपस्थित होकर उनकी ओर से मतदान भी कर सकता है और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि यह ए जी एम वी सी / ओ ए वी एम द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार आयोजित है परीक्षियों को नियुक्त करने की सुविधा समस्यों को उपलब्ध नहीं। तथापि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति महोदय अथवा किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संकाय निगम के प्रतिनिधि ए जी एम में वीसी / ओ ए वी एम द्वारा उपस्थित होने और ई-वोटिंग द्वारा मतदान भी कर सकते हैं।
4. एमसीए/सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 81वीं एजीएम की सूचना उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत हैं और कंपनी द्वारा एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें वेब-लिंक प्रदान किया जाएगा, जिसमें सटीक पथ शामिल होगा जहां एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को जिन्होंने कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। सदस्य कृपया ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी की वेबसाइट https://fact.co.in/, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के साथ एक समझौता किया है। एजीएम की तिथि पर सदस्य द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
6. बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक के निर्धारित समय से तीस (30) मिनट पहले उपलब्ध होगी और बैठक की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रहेगी।
7. वी सी / ओ ए वी एम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

लाभांश

8. कंपनी के निदेशक मंडल ने दि 13 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 0.39 प्रति साम्या शेयर के आखिरी लाभांश की सिफारिश की थी। कंपनी ने दि 19 सितंबर 2025 को मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आखिरी लाभांश प्राप्त करने की हकदारी नियत करने की रिकार्ड तारीख नियत किया है, अगर ए जी एम उसका अनुमोदन होने पर। ए जी एम में सदस्यों द्वारा आखिरी लाभांश का अनुमोदन होने पर, स्रोत पर कर की कटौती के अध्यधीन दि. 25 अक्तूबर 2025 तक दिया जाएगा।

9. लाभांश उन सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा दिया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक लेखा व्यौरे उपलब्ध किए हैं। ऐसे सदस्य जो जो प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण करते हैं वे अपने अद्यतन बैंक ब्यौरे आइ एस आर - 1 फार्म विधिवत् हस्ताक्षर करके एक हार्ड प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें उल्लिखित संगत दस्तावेज भी रखें और 19 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रार और ट्रान्सफर एजेंट (आर टी ए) को सौंप दें। उक्त फार्म https/fact.co.n/home/Dynamicpages?Menuld=2950 पर उपलब्ध है।

10 दि जून 10, 2024 को रजिस्ट्रार और ट्रान्सफर एजेंटों के जारी सेबी मास्टर परिपत्र नं. सेबी /एच ओ/ एम आई एस आर डी/ पी ओ डी-1/पी/सी आई आर/2024/81 को यथा संशोधित परिपत्र नं. सेमी/एच ओ/एम आइ आर एस डी/ पी ओ डी 1/पी / सी आइ आर/ 2024/37 और दिनांक मई 7, 2024 को, सेबी ने अधिदेश दिया है कि अप्रैल 1, 2024 से प्रभावी प्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करनेवाले सुरक्षा धारकों को लाभांश की अदायगी इलेक्ट्रोनिक रूप से है। प्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करने वाले ऐसे पात्रताप्राप्त सदस्यों को अदायगी उनकी ओर से पान, संपर्क ब्यौरे (डाक पता, पिन और मोबाइल नंबर के साथ), बैंक लेखा ब्यौरे, नमूना हस्ताक्षर, आदि प्रप्त होने के बाद की जाय, जो उनके अनुरूप भौतिक फोलियो कंपनी के पास अथवा आर टी ए को 19 सितंबर 2025 तक प्राप्त होना चाहिए।

11 सदस्यों से निवेदन है कि परिवर्तन अगर है तो सूचित करें नाम, डाक पता, अधिदेश, ई-मेल पता, टेलीफोन नंबर, स्थाई लेखा नंबर (पान), नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक ब्यौरे जैसे बैंक का नाम, और शाखा का विवरण, बैंक लेख नंबर, एम आई सी आर संकेत, आई एफ एस सी आदि।

क. डी-मैट रूप में धारित शेयरों के लिएः उनके डी पी

ख. भौतिक प्रकार धारित शोयरों के लिएः निर्धारित प्रपत्र आई एस आर-1 में पूर्वा शेयररजिस्ट्री इंडिया प्राइवट लिमिटेड, कंपनी के आर टी ए को। उक्त फार्म https/fact.co.in/home/Dynamicpages?Menuld=2950 में उपलब्ध हैं।

12. सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य है। इसलिए, कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर ('टीडीएस') काटना आवश्यक होगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे लागू टीडीएस दर निर्धारित करने के लिए संबंधित दस्तावेज शुक्रवार 19 सितंबर, 2025 को या उससे पहले जमा करें। कृपया ध्यान दें कि टीडीएस के संबंध में कोई भी दस्तावेज शुक्रवार 19 सितंबर, 2025 के बाद सदस्यों से स्वीकार नहीं किया जाएगा। निवासी या अनिवासी सदस्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू टीडीएस प्रावधान कंपनी की वेबसाइट https://fact.co.in/ पर उपलब्ध हैं।

13. सूचना में संदर्भित संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर निरीक्षण के लिए खुला है (अर्थात् इतवारों और सार्वजनिक छुट्टियों को छोडकर। बैठक की तारीख तक कार्यसमय के दौरान। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से निवेदन है कि investors@factld.com पर कंपनी को लिखें।

14. ऐसे सदस्यों ने जिन्होंने अपना ई-मेल आइ डी अब तक पंजीकृत नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि कंपनी के पत्राचार इलेक्ट्रोनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने-अपने ईमेल आईडी पर पंजीकृत करें।

15. सेबी सूचीबद्ध विनियमन के विनियम 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियाँ अप्रैल 1, 2019 से प्रभावी केवल डीमैट रूप में ही अंतरण किया जा सकता है। आगे प्रतिभूतियों के परेषण अथवा स्थानांतरण केवल डीमैट रूप में ही प्रभावित होगा। इसे ध्यान में रखते हुए और प्रत्यक्ष शेयरों के साथ जुडे जोखिमों को दूर करने के लिए और कार्य विभाग प्रबंधन को सरल बनाने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अपनी धारिता को डीमैट रूप में परिवर्तित करने की बात पर विचार करने का अनुरोध है। इस संबंध में सहायता के लिए सदस्य कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों (आर टी ए) के साथ, पूर्वा शेयरजिस्ट्री

इंडिया प्राइवट लिमिटेड के साथ सदस्य संपर्क कर सकते हैं। आर टी ए का पता निम्न प्रकार है:

पूर्वा शेयरजिस्ट्री इंडिया प्राइवट लिमिटेड,

9 शिवशक्ति इंड. एस्टेट, जे आर बोरिचा मार्ग,

लोवर परेल (ईस्ट),

मुंबई 400 011

support@purvashare.com

16. कंपनी अधिनियम, 2013 का धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अब तक नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियमावली, 2024 के नियम 19 के अधीन निर्धारित फार्म नं. एस एच 13 द्वारा पंजीकरण करें। अगर कोई सदस्य अपना पहला नामांकन रद्द करके एक नया नामांकन पंजीकृत करना चाहते हैं तो वह कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियमावली 2014 के नियम 19 के अंतर्गत निर्धारित फार्म नं. एस एच 14 इसके लिए प्रस्तुत करें। अनुरोध पर, जरूरी फार्म कंपनी के आर टी ए, पूर्वा शेयर्रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त ब्यौरे अपनी डी पी को प्रस्तुत करें अगर शेयरों का धारण डीमेट रूप में हो और पूर्वा शेयर्रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अगर शेयरों का धारण प्रत्यक्ष रूप में हो।

    संगत प्रपत्र कंपनी के वेबसाइट https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=2950 पर उपलब्ध है।

17. संयुक्त धारकों के मामले में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में जिस धारक का नाम पहले धारक के तौर पर आता है ए जी एम में वे वोट करने के लिए हकदार होगा।

पुस्तक बंद

18. मतदान करने की अवधि दिनांक **23 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 9.00 बजे** शुरू होती है और दिनांक **25 सितंबर, 2025 को अपराह्न 5.00** बजे को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारी, जो प्राप्यार्थ रूप से अथवा डी-मेटीरियलाइज़ड रूप से दिनांक **19 सितंबर, 2025** की रिकॉर्ड तिथि (कटौती तिथि) के अनुसार शेयर धारण करते हैं, वे इलेक्ट्रोनिक ढंग मे अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग मोड्युल को सी डी एस एल द्वारा उसके बाद वोटिंग के लिए अशक्त किया जाएगा।ई-वोटिंग का अधिकार कटौती तिथि के अनुसार माना जाएगा। कटौती तिथि कोई व्यक्ति, जो सदस्य नहीं है उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस सूचना केवल सूचना के प्रयोजन के लिए ही है।

19. कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स डी वी एण्ड असोसिएट्स, कंपनी सचिव, डोर नं. 52/2066, दूसरी मंजिल, तरयत्तू, वलिया परंबिल रोड (लेइन 14), जनता रोड, वैट्टिला, एरणाकुलम 682 019 को कंपनी के सुदूर ई-वोटिंग को स्वच्छ और पारदर्शी प्रकार से संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है और नियुक्त होने में उत्सुकता उन्होंने प्रकट की है और उक्त प्रयोजन के लिए वे उपस्थित होंगे।

20. संस्थागत/निगम सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों/ एच यू एफ, एन आर आई आदि) से अपेक्षा की जाती है कि बोर्ड की एक स्कैन की गई प्रति (पी डी एफ/ जे पी जी प्रपत्र) अथवा शासक निकाय का विकल्प/ प्राधिकार आदि को प्राधिकृत करके प्रतिनिधि को ए जी एम में उपस्थित होने के लिए उनकी ओर से वी सी/ ओ ए वी एम द्वारा करें और सूदूर ई-वोटिंग के जरिए मतदान करें/ उक्त संकल्प/ प्राधिकार पत्र ई-मेल द्वारा संवीक्षक को उनके पंजीकृत ई-मेल csvivekkumartg@gmail.com पते पर भेजें।

21. बैठक दिन के पहले मतदान करनेवाले सदस्यों सुदूर ई-वोटिंग के जरिए करते हैं तो बैठक में मतदान करने के लिए हकदार नहीं होंगे।

22. संवीक्षक अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे देगा जो ई-वोटिंग की संवीक्षा की समाप्ति के बाद (ए जी एम में किए मतदान और सुदूर ई-वोटिंग द्वारा किए मतदान) ए जी एम की समाप्ति से 48 घंटों से अधिक देर से न हो। घोषित परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंज, सी डी एल एल और आर टी ए को संसूचित करें और कंपनी के वेबसाइट https:/fact/co.in में प्रदर्शित करें।

23. 19 सितंबर 2025 की कटौती तिथि के रूप में सूचना भेजने के बाद कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर अर्जित करता हे और सदस्य बन जाता है वे लोग इन आइ डी और पासवर्ड www.evotingindia.com में निवेदन भेजकर पा सकते हैं।

सदस्यों केलिए इलेक्ट्रोनिक ढंग से मतदान करनेवाले और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के अनुदेश निम्नानुसार है :

कदम 1: डीमैट तरीके में शेयर रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपोज़िटरी सी डी एस एल/ एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

(i) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जानेवाली ई-वोटिंग सुविधा पर दिनांक 09 दिसंबर, 2020 की एस ई बी आइ परिपत्र सं. **एस ई बी आइ/एच ओ/सी एफ डी/ सी एम डी/सी आइ आर / पी/ 2020/ 242** की शर्तों में, डीमैट नियम में प्रतिभूतियों रखनेवाले वैयक्तिक सदस्यों को निक्षेपकर्ताओं और निक्षेपधारी भागीदारों के साथ अनुरक्षित उनके डीमैट लेखाओं के द्वारा वोट करने की अनुमति दी जाती है। ई-वोटिंग सुविधा सुगम बनाने के लिए सदस्यों को यह साह दी जाती है कि वे अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपनी डीमैट लेखाओं में अद्यतन करें।

डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

सदस्यों का प्रकार	**लोगिन तरीका**
सी डी एस एल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	1) सीडीएसएल की सरल/सरलतम सुविधा को विकल्प दिए उपयोक्ता अपने वर्तमान उपयोक्ता आई डी और पासवर्ड द्वारा लोगिन कर सकता है। आगे किसी अधिप्रमाणन के बिना ई-वोटिंग पृष्ठ पर पहुँचने का विकल्प दिया जाएगा। सरल/सरलतम सुविधा का लोगिन उपयोक्ताओं से अनुरोध है कि सी डी एस एल वेबसाइट www.cdslindia.com में देखें और लोगिन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माइइसी चुन लें। 2) सफलतापूर्वक लोगिन के बाद, सरल/सरलतम उपयोक्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकता है, योग्य कंपनियों के लिए जहाँ ई-वोटिंग प्रगति पर है, जिसकी सूचना कंपनी प्रदान किए अनुसार होगी। ई-वोटिंग विकल्प पर दबाने से, उपयोक्ता ई-वोटिंग पृष्ठ जो ई-वोटिंगि सेवा दाता देता है, आप अपना मतदान सुदूर ई-वोटिंग अवधि अथवा विर्चुअल बैठक में सम्मिलित होकर बैठक के दौरान मतदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) अगर उपभोक्ता सरल/सरलतम के लिए विकल्प नहीं दिया है तो विकल्प पंजीकृत करने की सुविधा सी डी एस वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लोगिन में क्लिक कर माईसी टैब न्यू सिस्टम में जाकर पंजीकरण विकल्प दबाएँ। 4) वैकल्पिक रूप से उपयोक्ता डीमेट लेखा नं. और पैन नंबर प्रदान कर किसी उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से www.cdslindia.com मुख्य पृष्ठ पर सीधे प्रवेश कर सकता है। सिस्चम उपयोक्ता के ओ टी पी भेजकर पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर डीमैट में रिकार्ड किए रूप में अभिप्रमाणित करेगा। सफल अभिप्रमाणन के बाद, उपयोक्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकता है जहाँ ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवादाताओं की प्रणाली में प्रवेश कर सकता है।
एन एस डी एल निक्षेपकर्ता के साथ डी-मैट अवस्था में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारी	1) अगर उपयोक्ता एन एस डी एल आई डी इ ए एस सुविधा के लिए पहले ही पंजीकृत है तो एन एस डी एल के ई-सेवा वेबसाइट का संदर्शन करें। निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउंसर खोलें - https://eservices.nsdl.com जो व्यक्तिगत कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन पर कर सकता है। एक बार ई-सेवा के होम पेज खुल जाता है लोगिन के नीचे फायदाप्रद स्वामी आइकन क्लिक करें, जो आई डी ई ए एस अनुभाग के अधीन उपलब्ध है। एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। उपभोक्ता अपना उपभोक्ता आई डी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफलतापूर्ण अधिप्रमाणन के बाद, उपभोक्ता ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकते हैं। ई-वोटिंग में प्रवेश पर क्लिक करें, जो ई-वोटिंग के अधीन है और उपभोक्ता ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी का नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा दाता का नाम क्लिक करें और उपभोक्ता अपना वोट डालने के लिए सुदूर ई-वोटिंग अवधि अथवा अप्रत्यक्ष बैठक और वोटिंग, बैठक के दौरान ई-वोटिंग सेवादाता के वेबसाइट को पुनः ले जाएगा।

सदस्यों का प्रकार	लोगिन तरीका
	2) अगर उपभोक्ता आई डी ई ए एस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकृत करने का विकल्प उपलब्ध है। पंजी ओणलाइन आई डी ई ए एस पोर्टल चुन लें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirect Reg.jsp पर उपलब्ध है। 3) एन एस डी एल का ई-वोटिंग वेबसाइट का संदर्शन करें। निम्नलिखित https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेबसाइट खोलें, जो व्यक्तिगत कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन पर कर सकता है। एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का अपना पृष्ठ खुल जाता है तो सदस्य/सदस्य अनुभाग के अधीन उपलब्ध लोगिन आइकन क्लिक करें। एक नया स्क्रीन आ जाएगा। उपयोक्ता अपने उपभोक्त आइ डी (अर्थात् एन एस डी एल के साथ आपका 16 अंकवाला डी-मैट लेखा संख्या धारित) पासवर्ड। ओ टी पी और स्क्रीन पर दर्शाए सत्यापन संकेत दर्ज करें। सफलतापूर्ण अधिप्रमाणन के बाद, उपभोक्ता को एन एस डी एल निक्षेपकर्ता साइट पर पुनः भेजेगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकेंगे। कंपनी नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा दाता का नाम क्लिक करें तो अपना वोट डालने के लिए सुदूर ई-वोटिंग अवधि अथवा आभासी बैठक में सम्मिलित होना और बैठक के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवादाता वेबसाइट पर ले जाएगा। 4) ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए उपयोगकर्ता https://eservices.nsdl.com/secureweb/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकता है। प्रयोक्ता को 8-अंकों की डीपी आईडी,8-अंकों की ग्राहक आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जिसमें उपयोगकर्ता ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकता है। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और उपयोगकर्ता को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।
निक्षेपकर्ता भागीदारों (डी पी) द्वारा लोगिन (डीमैट अवस्था में प्रतिभूतियाँ धारित) वैयक्तिक सदस्य	उपभोक्ता भी ई-वोटिंग सुविधा के लिए एन एस डी एल/ सी डी एस एस एल के साथ पंजीकृत आपके निक्षेपकर्ता भागीदार द्वारा डीमैट लेखा के लोगिन अधिकार पत्र का उपयोग करके लोगिन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लोगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। एक बार आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें तब उपभोक्ता को एन एस डी एल/ सी डी एस एल निक्षेपकर्ता साइट के पास ले जाएगा, वह भी सफलतापूर्ण अधिप्रमाणन के बाद। तब उपभोक्ता ई-वोटिंग लक्षण देख सकते हैं। उपभोक्ता कंपनी नाम या ई-वोटिंग सेवादाता का नाम क्लिक करें तो आपको ई-वोटिंग सेवा दाता के वेबसाइट पर ले जाएगा ताकि सुदूर ई-वोटिंगक अवधि के दौरान या आभासी बैठक में शामिल होने के बैठक के दौरान वोट करने की सुविधा मिलेगी।

महत्वपूर्ण नोटः जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्गेट यूजर आईडी और फॉर्गेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपकर्ता अर्थात् सी डी एस एल और एन एस डी एल के माध्यम से लोगिन संबंधी किसी भी तकनीकी समस्याओं के लिए डी मैट अवस्था में प्रतिभूतियाँ धारित वैयक्तिक शेयरधारियों के लिए हेल्पडेस्क।

लोगिन प्रकार	हेल्पडेस्क के विवरण
सी डी एस एल के साथ डी मैट प्रकार से प्रतिभूतियाँ धारित व्यक्तिगत शेयरधारी	लोगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्याओं का सामना करनेवाले सदस्य सी डी एस एल हेल्पडेस्क के साथ एक आवेदन भेज कर helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या 1800 21 09911 संपर्क करें।
एन एस डी एल के साथ डी मैट प्रकार से प्रतिभूतियाँ धारित व्यक्तिगत शेयरधारी	लोगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्याओं का सामना करनेवाले सदस्य एन एस डी एल हेल्पडेस्क के साथ एक आवेदन भेजकर evoting@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नं. 022-4886 7000 और 022-24997000 संपर्क करें।

कदम 2 : इन सदस्यों के मामले में जिनके शेयर प्रत्यक्ष अवस्था में है और व्यक्तिगत-इतर शेयरधारी डीमैट अवस्था में है सी डी एस एल ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा प्रवेश।

(ii) **प्रत्यक्ष शेयरधारियों और व्यक्तिगत-इतर शेयरधारी डीमैट अवस्था में है** जिन के लिए ई-वोटिंग और अप्रत्यक्ष बैठक में शामिल होने का लोगिन तरीका;

1) शेयरधारियों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लॉग ऑण करना चाहिए।
2) "शेयरधारक / सदस्य" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3) अपना यूसर आई डी दर्ज करें।
   क . सी डी एस एल के लिए: 16 अंकों का हितभागी आइ डी,
   ख. एन एस डी एल के लिए: 8 स्वरूप डी पी, जिसके बाद 8 अंक वाला ग्राहक आइ डी,
   ग. प्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करनेवाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नं. दर्ज करना चाहिए।
4) फिर यथा प्रदर्शित प्रतिबिंब सत्यापन दर्ज करें और लोगिन क्लिक करें।
5) अगर आप शेयर माँग रूप में धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉग किया था और किसी भी कंपनी का पूर्व वोटिंग किया है तो आपके वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करें।
6) अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीचे दिए गए कदमों का अनुसरण करें।

	प्रत्यक्ष शेयरधारियों और वैयक्तिक शेयरधारियों के अलावा शेयरधारी जो डी-मैट में शेयर धारण करते हैं।
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंक वाला आल्फा-न्यूमरिक पैन दर्ज करें (जो डीमैट शेयरधारियों और प्रत्यक्ष शेयरधारियों दोनों पर लागू है) ● शेयरधारियों से जिन्होंने कंपनी/ शेयरधारी भागीदार के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कंपनी / आर टी ए द्वारा भेजी गई क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी / आर टी ए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे अथवा जन्मतिथि (डी ओ बी)	लॉगिन करने के लिए डीमैट खाते अथवा कंपनी रिकार्डों में यथा रिकार्ड किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे अथवा जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। ● अगर दोनों विवरण निक्षेपागार अथवा कंपनी के साथ रिकार्ड नहीं किया है तो कृपया सदस्य आई डी / फोलियो नंबर लाभांश बैंक विवरण के क्षेत्र में यथा उल्लिखित दर्ज करें।

(iii) इन विवरणों को दर्ज करने के बाद "सबमिट" टैब क्लिक करें।

(iv) प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारी तब सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जाएँगे। तथापि डी मैट-फार्म में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारी अब पासवार्ड सृजन मेनु पर पहुँच जाएँगे जहाँ उनसे अनुरोध है कि नए पासवर्ड अनिवार्य रूप में दर्ज करें। कृपया नोट करें कि संकल्पों के लिए किसी भी दूसरी कंपनी के लिए मतदान करने में भी डी मैट धारकों को इसी पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए जिन पर वोट करने के लिए हकदार हैं, बशर्ते कि कंपनी सी डी एस एल मंच द्वारा ई-वोटिंग का विकल्प देती है। यह सशक्त सिफारिश की जाती है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपका पासवर्ड शेयर न करें और पासवर्ड को सर्वथा गोपनीय रखने के लिए ज्यादा जानकारी रखें।

(v) प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारियों को, विवरण इस सूचना में समाविष्ट संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

(vi) **<दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड >** केलिए ई वी एस एन पर क्लिक करें, जो उपभोक्ता को वोट करने के लिए चुनता है।

(vii) वोटिंग पृष्ठ पर, आप संकल्प विवरण देखेंगे और उसके सामने विकल्प जी हाँ/जी नहीं पर वोट करें। इच्छा के अनुसार जी हाँ अथवा जी नहीं का चयन करें। विकल्प जी हाँ का मतलब है कि संकल्प के पक्ष में हैं और विकल्प जी नहीं का मतलब है कि आप संकल्प के पक्ष में नहीं।

(viii) "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें अगर आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहेंगे तो।

(ix) संकल्प को चुनने के बाद आपने वोट करने का फैसला किया तो सबमिट पर क्लिक करें। एक पुष्टि बक्स प्रदर्शित की जाएगी। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो, ओ के पर क्लिक करें, अगर आप वोट बदलना चाहते हैं तो, कैंसल पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट का संशोधन करें।

(x) एक बार उपभोक्ता संकल्प पर आपके वोट की पुष्टि करें, उपभोक्ता को अपने वोट को सुधारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके उपभोक्ता द्वारा किए गए वोट की एक प्रति की वोटिंग पृष्ठ से पा सकते हैं।

(xii) अगर एक डीमैट खाता धारी पासवर्ड लॉगिन करना भूल गया तो यूसर आइ डी दर्ज करें और प्रतिबिंब सत्यापन कोड देखें और फोर्गोट पासवर्ड पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा यथासमर्थित विवरण दर्ज करें।

(xiii) अगर कोई अपलोड किया है तो बी आर /पी ओ ए अपलोड करने का भी प्रावधान है, जो सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध किया जाएगा।

व्यक्ति-इतर शोयरधारियों और अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं - सुदूर ई-वोटिंग

- व्यक्ति-इतर शोयरधारियों (अर्थात् व्यक्तियों, एच यू एफ, एन आर आइ आदि के अलावा अन्य) और अभिरक्षकों से अनुरोध किया जाता है कि www.evotingindia.com में लॉगिन करें और निगम मोड्युल के रूप में पंजीकृत करें।
- टिकट और हस्ताक्षर सहित अस्तित्व के पंजीकरण प्रपत्र की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdsindia.com को ई-मेल करना चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एक अनुपालन यूसर को एडमिन लॉगिन और पासवार्ड का सृजन करना चाहिए। अनुपालन यूसर जिसके लिए वह वोट देना चाहते हैं।
- लॉगिन में संबद्ध लेखाओं की सूची स्वतः मैप किया होगा और किसी गलत मैपिंग के मामले में उनका लिंक काट सकता है।
- यह आज्ञापक है कि बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पी ओ ए) की एक स्कैन की गई प्रति, जिन्हें अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, अगर है, प्रणाली में पी डी एफ प्रपत्र में अपलोड करें ताकि पर्यवेक्षक उसका सत्यापन कर सके।
- क्रम रूप से गैर व्यक्ति शेयरधारियों से संगत बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर जिन्हें वोट करने का प्राधिकार प्राप्त है संवीक्षक को या कंपनी को भेजने का अनुरोध है, ई-मेल जैसे csvivekkumartg@gmail.com या investors@factltd.com अगर वे व्यक्तिगत टैब से वोट किया और सी डी एस एल ई-वोटिंग प्रणाली में उसे अपलोड नहीं किया है कि संवीक्षक उसका सत्यापन कर सके।

बैठक के दौरान वी सी/ ओ ए वी एम एण्ड ई-वोटिंग के द्वारा वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारियों के लिए निदेश निम्न प्रकार है:

1. वार्षिक आम बैठक के दिन बैठक और ई-वोटिंग में भाग लेने के लिए क्रियाविधि सूदूर ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लेखित जैसी ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वी सी / ओ ए वी एम लिंक वहाँ उपलब्ध होगा, वह सफलतापूर्वक लोगिन के बाद ऊपर उल्लिखित ई-वोटिंग के निदेशों जैसा होगा।.
3. सुदूर ई-वोटिंग द्वारा वोट किए शेयरधारी बैठक में भाग लेने के लिए योग्य है। तथापि, उन्हें वार्षिक आम बैठक में वोट करने की पात्रता नहीं है।
4. बहत्तर अनुभव के लिए शेयरधारियों से लैपटोप/ पैड से बैठक में शामिल होने में प्रोत्साहित किया जाता है।
5. आगे शेयर धारियों को बैठक के दौरान बाधाएँ रोकने केलि ए कैमरा और इंटरनेट अच्छी गति के साथ इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल उपकरणों अथवा टैबलेट या लैपटोप द्वारा मोबाइल होटस्पोट से जोडनेवाले भागीदारों को उनके तत्संबंधी नेटवर्क में घटवढ के कारण शाब्दिक/ मौखिक नुकसान का अनुभव हो सकता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि स्थिर बाई-फाई या लान बंधक का उपयोग करें ताकि उपर्युक्त किसी भी प्रकार के गडबडियों को कम कर सके।
7. बैठक में अपना विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारी एक वक्ता के रूप में अपन आवेदन को कम से कम बैठक 21 सितंबर, 2025 के पहले अपने नाम, डीमैट लेखा नंबर, ई-मेल आइ डी, मोबाइल नंबर का उल्लेख सहित खुद investors@factltd.com पर पंजीकृत करें ।
8. खातों से संबंधित किसी भी जानकारी या वार्षिक आम बैठक में विचार किए जाने वाले किसी भी मामले के लिए इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे 21 सितंबर 2025 तक या उससे पहले कंपनी को अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर investors@factltd.com पर लिखें। कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
9. वक्ता के रूप में पंजीकृत केवल उन शेयरधारियों को ही बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।
10. वे शेयरधारी, जो वीसी/ ओ ए वी एम सुविधा द्वारा बैठक में उपस्थित हैं और सुदूर ई वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और न उन्हें ऐसा करने से नहीं मना है, वे ए जी एम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा वोट करने के लिए हकदार है।
11. अगर शेयरधारी द्वारा ए जी एम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग द्वारा किया गया है कोई वोट और शेयरधारी वीसी/ओ ए वी एम सुविधा द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया है, तब ऐसे शेयरधारियों द्वारा किए गए वोट का विधिमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा बैठक में भाग लेनेवाले शेयर धारियों को ही उपलब्ध है।

उन सदस्यों को जिन्होंने अपना ई-मेल/मोबइल नं कंपनी / निक्षेपकर्ता के साथ पंजीकृत नहीं है उनके लिए प्रक्रिया

1. **प्रत्यक्ष शेयरधारियों के लिएः** कृपया आवश्यक ब्यौरे जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारी का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कान की गई प्रति (सामने और पीछे को), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) कंपनी को ई-मेल द्वारा/ आर टी ए ई-मेल आई डी अर्थात् investors@factltd.com / support@purvashare.com प्रदान करें।
2. **डीमैट शेयरधारियों के लिए** - कृपया अपने संबद्ध निक्षेपकर्ता भागीदार (डीपी) के साथ ई-मेल आइ डी और मोबाइल नंबर अद्यतन करें।
3. **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारियों के लिए** - कृपया अपना ई-मेल और मोबाइल नंबर अपने डिपोसिटरी भागीदार (डी पी) के साथ अद्यतन करें जो अधि देशात्मक है जब डिपोसिटरी द्वारा ई-वोटिंग और विर्चुअल बैठकों में शामिल होते हैं।

   यदि आपको कोई प्रश्न अथवा समस्या ए जी एम में उपस्थित होने और सी डी एस एल ई-वोटिंग प्रणाली ई-वोटिंग के संबंध में है तो आप एक ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com को भेजें अथवा टोल मुफ्त नं. 1800 2109911 से संपर्क करें। वोटिंग इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा करने के संबंध में सभी शिकायतें निम्न पते पर भेजें।

   श्री राकेश डालवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सी डी एस एल)

   केंद्रीय डिपोसिटरी सेवाएँ(इंडिया) लिमिटेड,

   ए स्कंध, 25 वीं मंजिल, मारत्तोन फ्यूचरक्स,

   मफतलाल मिल प्रांगण, एन एम जोशी मार्ग,

   लोवर पारेल (पश्चिम), मुंबई 4000 013 को संबोधित करें

   अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com द्वारा ई-मेल भेजें या 1800 21 09911 टोल फ्री नं. बुलाएँ।

बैठक में विशेष कारोबार के संव्यवहार के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक टिप्पणी

मद सं.5

भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने दिनांक 16 मई, 2025 के आदेश संख्या 95/01/2025-एच आर-पी एस यू (ई-38792) के माध्यम से श्री बिल्लेश्वर सिन्हा (डी आई एनः 09393543), जो VIII - भैरबपुर पी ओ, अमरकानन जिला, बांकुरा, पश्चिम बंगाल - 722133 में रहते हैं, को एफ ए सी टी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री बिल्लेश्वर सिन्हा को एफ ए सी टी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कंपनी की 81वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे।

निदेशक मंडल की राय में, श्री बिल्लेश्वर सिन्हा कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।

श्री बिल्लेश्वर सिन्हा, जिनसे यह प्रस्ताव संबंधित है, को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनका कोई भी रिश्तेदार इस प्रस्ताव से संबंधित या इसमें रुचि नहीं रखता है।

श्री बिल्लेश्वर सिन्हा का विवरण सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एस एस-2) के प्रावधानों के अनुसार सूचना के अनुलग्नक में दिया गया है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु सूचना के मद संख्या 5 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद सं.6

भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने दिनांक 16 मई, 2025 के आदेश संख्या 95/01/2025-एच आर-पी एस यू (ई-38759) के माध्यम से डॉ. अरुणा कामिनेनी (डी आई एनः 09591742) वेंकट कामिनेनी अस्पताल, मत्स्य पालन विभाग के पास, होस्पेट रोड बेल्लारी, कर्नाटक - 583104 में रहते हैं, को एफ ए सी टी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। डॉ. अरुणा कामिनेनी को एफ ए सी टी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कंपनी की 81वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे।

निदेशक मंडल की राय में, डॉ. अरुणा कामिनेनी कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।

डॉ. अरुणा कामिनेनी, जिनसे यह प्रस्ताव संबंधित है, को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनका कोई भी रिश्तेदार इस प्रस्ताव से संबंधित या इसमें रूचि नहीं रखता है।

डॉ. अरुणा कामिनेनी का विवरण सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एस एस-2) के प्रावधानों के अनुसार सूचना के अनुलग्नक में दिया गया है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु सूचना के मद संख्या 6 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद सं.7

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 80 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों को नामित करने का अधिकार होगा। भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, आदेश संख्या 95/1/2019-एचआर पीएसयू (भाग -2) (ई -31042) दिनांक 17-07-2025 द्वारा, श्री संतोष कुमार (डीआईएनः 11228100), मुख्य लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली को एफ ए सी टी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री संतोष कुमार को 06.08.2025 को एफ ए सी टी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे कंपनी की 81 वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर रहेंगे।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अंतर्गत श्री संतोष कुमार को निदेशक पद के लिए उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव करते हुए एक सूचना प्राप्त हुई है। वे आवृत्ति आधार पर सेवानिवृत्त होंगे। श्री संतोष कुमार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है।

श्री संतोष कुमार, जिनसे यह प्रस्ताव संबंधित है, को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनका कोई भी रिश्तेदार इस प्रस्ताव से संबंधित या इसमें रूचि नहीं रखता है।

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एस एस-2) के प्रावधानों के अनुसार श्री संतोष कुमार का विवरण सूचना के अनुलग्नक में दिया गया है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु सूचना के मद संख्या 7 में दिए गए साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद सं.8

वित्तीय वर्ष 2025-26 से सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 24ए के प्रावधानों के अनुसार, किसी कंपनी को वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन से सहकर्मी समीक्षित सचिवीय लेखा परीक्षक (यदि व्यक्तिगत है तो लगातार पांच वर्षों के एक कार्यकाल से अधिक नहीं और यदि फर्म है तो लगातार पांच वर्षों के दो कार्यकाल से अधिक नहीं) की नियुक्ति करना आवश्यक है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल ने 13 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (फर्म पंजीकरण संख्या P2008KE017900) को 81वीं एजीएम के समापन से 86वीं एजीएम के समापन तक शुरूहोने वाले पांच (5) लगातार वर्षों की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जो सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की एक फर्म है, जिसे वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था, जिसका नेतृत्व 5 साझेदार करते हैं; और कुल 55 से अधिक सदस्यों का कार्यबल है। फर्म मुख्य रूप से सचिवीय और कानूनी, स्टार्ट-अप अनन्य सेवाओं, लेखा और कराधान, एनजीओ अनुपालन, शासन और प्रबंधन, एडीआर, शिक्षा और प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में लगी हुई है। यह फर्म आईसीएसआई के साथ पंजीकृत है और इसके पास आईसीएसआई के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट संख्या 6215/2024 है।

मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स ने भी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 24ए के तहत अपनी पात्रता और स्वतंत्रता की पुष्टि की है और अनुमोदन पर नियुक्ति स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी संकल्प से या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 8 में दिए गए सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद सं.9

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल, आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करके शेयरधारकों की अनुमति के बिना, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी, निःशुल्क आरक्षित निधियाँ और प्रतिभूति प्रीमियम के कुल योग से अधिक धनराशि उधार नहीं ले सकता है।

कंपनी के शेयरधारकों ने 16 मार्च 2016 को डाक मतपत्र के माध्यम से निदेशक मंडल को उधार, ऋण, ओवरड्राफ्ट, नकद ऋण आदि द्वारा 3500 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए प्राधिकृत किया। 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार का बकाया ऋण और उस पर अर्जित ब्याज 3500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए और कंपनी की विस्तार योजनाओं तथा भविष्य में अन्य वित्तीय आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए, उधार सीमा बढ़ाना आवश्यक है ताकि बोर्ड को धन की व्यवस्था करने में पर्याप्त लचीलापन मिल सके।

इसलिए उधार सीमा को वर्तमान 3500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य कार्मिक प्रबंधक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु नोटिस के मद संख्या 9 के रूप में निर्धारित विशेष संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद सं.10

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लागत लेखों की लेखापरीक्षा करने हेतु मेसर्स बीबीएस एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कोचीन को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इनका पारिश्रमिक 1,05,000/- रुपये (उर्वरकों की लागत लेखापरीक्षा के लिए 85,000/- रुपये और केप्रोलैक्टम की लागत लेखापरीक्षा के लिए 20,000/- रुपये) और जेब से होने वाले खर्च (अधिकतम 10,000/- रुपये) होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक का बाद में सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुमोदन हेतु एक साधारण संकल्प के माध्यम से सदस्यों की सहमति ली जाती है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से संबंधित या इसमें रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल, नोटिस के मद संख्या 10 के रूप में निर्धारित साधारण संकल्प को सदस्यों के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

दिनांक 02.09.2025 की सूचना का अनुबंध

आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के ब्यौरे:

नाम	**श्री मनोज सेठी**	**श्री बिल्लेश्वर सिन्हा**	**डॉ. अरुणा कामिनेनी**	**श्री संतोष कुमार**
डी आई एन	00301439	09393543	09591742	11228100
निदेशक की श्रेणी	सरकार नामिति निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	सरकार नामिति निदेशक
आयु	57 वर्ष	45 वर्ष	59 वर्ष	56 वर्ष
योग्यता	भारतीय सिविल लेखाकरण सेवा	बी ए, एल एल बी	एम बी बी एस, एम एस (जनरल सर्जरी), एफ ए एम एस, एफ आई ए जी इ एस, एफ ए सी आर एस आई	भारतीय सिविल लेखाकरण सेवा
अनुभव / संक्षिप्त सारवृत्त	वेबसाइट https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=4 देखें	वेबसाइट https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=4 देखें	वेबसाइट https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=4 देखें	वेबसाइट https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=4 देखें
नियुक्ति की शर्तें & व्यवस्थाएँ	दि. 06.12.2023 की भारत सरकार के आदेश सं.95/1/2019-एचआर-पीएसयू के अनुसार श्री मनोज सेठी को सरकारी नामिति निदेशक के पद पर नियुक्त किया।	दि. 16.05.2025 की भारत सरकार के आदेश सं.95/1/2025-एचआर-पीएसयू (इ-38792) के अनुसार श्री बिल्लेश्वर सिन्हा को गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया।	दि. 16.05.2025 की भारत सरकार के आदेश सं.95/1/2025-एचआर-पीएसयू (इ-38759)के अनुसार डॉ अरुणा कामिनेनी को सरकारी नामिति निदेशक के पद पर नियुक्त किया।	दि. 17.07.2025 की भारत सरकार के आदेश सं.95/1/2019-एचआर-पीएसयू (भाग-2) के अनुसार श्री संतोष कुमार को सरकारी नामिति निदेशक के पद पर नियुक्त किया।
भूमिका के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं तथा प्रस्तावित व्यक्ति किस प्रकार इन आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता का विवरण देखें।	कृपया निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता का विवरण देखें।	कृपया निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता का विवरण देखें।	कृपया निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता का विवरण देखें।
पारिश्रमिक	कुछ नहीं	बोर्ड और बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए उपस्थिति शुल्क।	बोर्ड और बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए उपस्थिति शुल्क।	कुछ नहीं

बोर्ड पर पहली नियुक्ति की तारीख	14.12.2023	05.05.2025	05.05.2025	06-08-2025
दिनांक 31 मार्च 2025 के अनुसार कंपनी में शेयरधारिता	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
संबंध / अन्य निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अन्य निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं।	अन्य निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं।	अन्य निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं।	अन्य निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं।
2024-25 वर्ष के दौरान उपस्थित बोर्ड के बैठकों की संख्या	वर्ष - 2024-25 के दौरान आयोजित 5 बैठकों में 3.	लागू नहीं।	लागू नहीं	लागू नहीं
दि. 31 मार्च 2025 के अनुसार अन्य बोर्डों में निदेशक पद	**सार्वजनिक समितियाँ :** हिंदुस्तान ऑर्गैनिक केमिकल्स लिमिटेड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31 मार्च 2025 के अनुसार अन्य बोर्डों की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
गत 3 वर्षों में सूचीबद्ध सत्ताओं से निदेशक ने त्यागपत्र दिया है।	कुछ नहीं	आई टी आई लिमिटेड	कुछ नहीं	कुछ नहीं

श्री अनुपम मिश्रा,
निदेशक (विपणन)
एफ ए सी टी, उद्योगमंडल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए

श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (विपणन) स्वतंत्रता दिवस परेड का निरीक्षण करते हुए।

श्री रजत कुमार मिश्रा,
सचिव उर्वरक, एफ ए सी टी परिसर में पौधारोपण करते हुए।

श्री रजत कुमार मिश्रा, सचिव उर्वरक, एफ ए सी टी संयंत्रों का दौरा करते हुए।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशकगण, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के व्यवसाय और निष्पादन पर 81वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हैं।

आपके निदेशकों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अनेक चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद, कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने परिचालन को यथोचित रूप से स्थिर बनाए रखने में सक्षम रही। वर्ष के दौरान प्रमुख चुनौतियों में से एक फॉस्फोरिक एसिड की सीमित उपलब्धता और उच्च लागत थी, जिसने इसकी आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया और परिणामस्वरूप, फेक्टमफोस के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। विभिन्न प्रतिकूल आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद, कंपनी निवल लाभ अर्जित करने में सक्षम रही।

बाज़ार पूँजीकरण के आधार पर, आपकी कंपनी 200 सूचीबद्ध उच्च कंपनियों में एक है।

निष्पादन विशिष्टियाँ ;

- 41.23 करोड रुपए का निवल लाभ।
- 4050.91करोड़ रुपए प्रचालन से राजस्व।
- 8.95 लाख मी ट कुल उर्वरक उत्पादन।
- 11,63,090 मी ट उर्वरकों की बिक्री।
- कोचीन डिवीजन में 10,000 मी ट का नया अमोनिया संग्रह टंकी चालू किया गया।
- कंपनी ने रॉक फॉस्फेट (टोगो) की खरीद के लिए सोसाइटी नोवेल डेस फॉस्फेट्स डू टोगो (एसएनपीटी) के साथ 3 वर्षों के लिए एक दीर्घकालीन समझौता किया।
- 2,50,578 मी ट अमोनियम सल्फेट का वार्षिक उत्पादन अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड उत्पादन है।
- एफ ए सी टी और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पहलों की खोज के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- उर्वरकों की वास्तविक समय आवाजाही को रिकॉर्ड करने के लिए एस ए पी ई आर पी सिस्टम के साथ आई एफ एम एस (एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली) को एकीकृत करने वाली भारत की पहली उर्वरक कंपनी।
- उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स में ओपन एक्सेस पावर परचेज का कार्यान्वयन।
- फेक्ट उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स ने केरल के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा महोत्सव में बड़े पैमाने पर ऊर्जा उपभोक्ताओं की श्रेणी में केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- फेक्ट कोचीन डिवीजन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस - सुरक्षा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा समिति की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बडे पैमाने रासायनिक कारखानों की श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के लिए 'श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
- राजभाषा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए नराकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), कोच्चि से सर्वश्रेष्ठ हिंदी कार्यान्वयन और राजभाषा पत्रिका पुरस्कार और राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया।

वित्तीय परिणाम (स्टैंडेलोन)

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत है :

विवरण	2024-25	2023-24
निवल बिक्री	**4050.91**	5051.21
अन्य आय	**216.45**	203.12
कुल राजस्व	**4267.36**	5254.33
कुल व्यय	**4238.23**	4966.89
असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ	**29.13**	287.44
असाधारण मदें	**24.61**	-245.59
ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ	**53.74**	41.85
ब्याज	**245.54**	246.93
मूल्यह्रास	**36.62**	26.57
आस्थगित कर	**12.51**	-86.42
वर्ष के लिए लाभ	**41.23**	128.27
अन्य बृहत् आय	**34.40**	20.55
कुल बृहत् आय	**75.63**	148.82

जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

लाभांश वितरण नीति

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति तैयार कर उसे अपना लिया है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://fact.co.in/home/ Dynamic pages?MenuId=914 लिंक पर उपलब्ध है।

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 26-05-2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में 10/- रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक साम्या शेयर पर 0.20/- रुपए (बीस पैसे) के लाभांश की सिफारिश की थी। बोर्ड ने 13.08.2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में अनुशंसित लाभांश को संशोधित कर 10/- रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक साम्या शेयर पर 0.39 रुपए कर दिया।

साम्या शेयरों पर लाभांश दि. 26 सितंबर, 2025 को आयोजित होनेवाली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारियों के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

साम्या शेयरों की संख्या के आधार पर, इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, लाभांश, अगर अनूमोदित हुआ तो ₹25.24 करोड का नकदी प्रवाह होगा।

राजस्वों को अंतरण

निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि लाभ और हानि लेखे में से लाभ की पूरी रकम रोक रखें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसी रकम का अंतरण राजस्व को नहीं हुआ है।

31.03.2025 को प्रतिधारित आय शेष 56,870.20 लाख रुपये है, जबकि 31.03.2024 को यह 58,354.43 लाख रुपये था।

प्रचालन और निष्पादन

उत्पादन

उत्पादन	2024-25 (मी ट में)	2023-24 (मी ट में)
फाक्टमफोस	6,44,768	8,27,717
जिंक लेपित एन पी 20:20:0:13	1,555	-
कुल एन पी 20:20:0:13	6,44,768	8,27,717
अमोनियम सल्फेट	2,50,578	2,42,577
केप्रोलेक्टम	-	34,662

उत्पादन

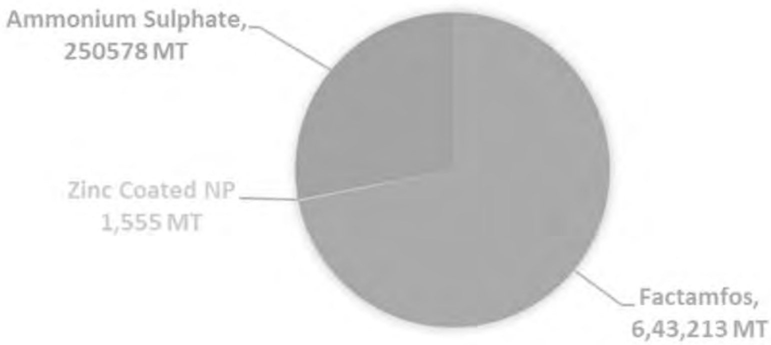

विपणन

बिक्री	**2024-25**(मी ट लाखों में)	2023-24 (मी ट लाखों में)
फेक्टमफोस	717931	821012
अमोनियम सल्फेट	266683	222353
केप्रोलेक्टम	996	34841

कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पादन और विपणन में अपनी गति बनाए रखने में सक्षम रही।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के प्रचालन निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से, फॉस्फोरिक एसिड की अनुपलब्धता और उसकी कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण फैक्टैमफोस का उत्पादन सीमित रहा।

कंपनी दक्षिणी राज्यों में अपने पारंपरिक गढ़ से आगे अपने प्रमुख उत्पादों की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। कंपनी जिंकेटेड फेक्टमफोस, डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) पेश करके अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है, जिससे बाजार में फेक्ट की दृश्यता बढ़ेगी।

पीएम-प्रणाम, ऑर्गेनिक सिटी कम्पोस्ट, गुड़ से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (पीआरओएम), किण्वित जैविक खाद (एफओएम) आदि उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे नए बाजारों में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के अलावा, एफ ए सी टी छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रमुख राज्यों में भी सक्रिय रूप से विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

कंपनी हर वर्ष भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर करती रही है, जिसके तहत निष्पादन मानदंड और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी को वर्ष 2023-24 के लिए एम ओ यू के लिए 'अच्छा' रेटिंग मिली है। 2024-25 के लिए एम ओ यू के निष्पादन का मूल्यांकन अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

2025-26 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रबंधक मंडल विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

आलोच्य वर्ष के लिए प्रचालनात्मक पहलुओं को सम्मिलित करनेवाले प्रबंधक मंडल विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट, जो सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत यथानुबद्ध है, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग रूप में अलग अनुभाग में प्रस्तुत है।

समग्रता / पूँजी परियोजनाओं के लिए रोड-मैप

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019-20 में आवश्यक पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 608 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य बदलती संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन संयंत्रों की विश्वसनीयता बढ़ाना और अतिरिक्त कच्चे माल के भंडारण टैंकों और संयंत्रों की स्थापना करना है। कच्चे माल और उत्पाद प्रबंधन सुविधाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण नवीनीकरण और आधुनिकीकरण योजनाएँ भी पूंजीगत व्यय का हिस्सा हैं। एफ ए सी टी की पूंजीगत व्यय परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जब नई एन पी परियोजना चालू हो जाएगी, तो उसे अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं/मध्यवर्ती सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति वर्तमान में आयात के माध्यम से करने की योजना है। इस समस्या के समाधान के लिए, एफ ए सी टी सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया संयंत्रों जैसे प्रमुख मध्यवर्ती संयंत्रों के क्षमता विस्तार और ऊर्जा दक्षता में सुधार पर केंद्रित नई परियोजनाओं की खोज कर रहा है। योजनाओं में विलिंगडन द्वीप पर सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया के भंडारण के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना भी शामिल है। ये पहल वर्तमान में अवधारणा चरण में हैं, और एफ ए सी टी आंतरिक संसाधनों के माध्यम से इनका वित्तपोषण करने का इरादा रखता है। इन प्रस्तावों की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की योजना बनाई जा रही है।

एफ ए सी टी ने नीचे दिए गए प्रमुख कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं सहित आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालीन समझौते किए हैं।

- एस एन पी टी टोगो के साथ 3 वर्षों के लिए रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति ।
- बी पी सी एल और एम आर पी एल के साथ अपनी सल्फर आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- अमोनिया संयंत्र के निर्बाध प्रचालन हेतु 5 वर्षों के लिए आर एल एन जी की आपूर्ति के लिए आई ओ सी एल के साथ समझौता।

नए एन पी संयंत्र के चालू होने से कंपनी की उर्वरक उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 5 लाख मी ट से अधिक बढ़ जाएगी। कंपनी की योजना विभिन्न एन पी के उत्पादों के व्यापार के माध्यम से उत्पाद मिश्रण में सुधार करने की भी है, ताकि लाभ और हानि में सुधार हो सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरी हो चुकी प्रमुख परियोजनाओं और प्रगति पर चल रही परियोजनाओं का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है;

➢ **कोचीन डिविजन में 10,000 मी ट अमोनिया भंडारण टैंक:** एल एस टी के परियोजना पूरी हो गई है और अगस्त 2024 में टैंक चालू हो जाएगा।

➢ **विल्लिंगडन द्वीप के क्यू10 बर्थ पर दो फॉस्फोरिक एसिड भंडारण टैंकों का निर्माण:** रबर लाइनिंग और संबंधित गतिविधियों से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। हाइड्रो परीक्षण पूरा हो चुका है।

➢ **कोचीन डिवीजन, अंबलामेडु में नया 1650 मी ट दैनिक क्षमतावाले एन पी के संयंत्र:** कोचीन डिवीजन में एल एस टी के मोड में परियोजना प्रगति पर है। मुख्य संयंत्र भवन का निर्माण और अन्य सिविल कार्य प्रगति पर हैं। कई प्रमुख उपकरण साइट पर पहुँच चुके हैं। मध्यवर्ती भंडारण टैंकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कंपनी के सभी संभागों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए।

प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों व अधिकारी संघों के बीच विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चाएँ हुईं। औद्योगिक संबंधों से संबंधित मुद्दों के कारण उत्पादकता में कोई कमी नहीं आई।

निगम अभिशासन

हमारी कंपनी ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करते हुए निगम अभिशासन के मानदंडों का अनुपालन करती है, जो सुपरिभाषित नीतियों और नैतिक प्रथाओं द्वारा समर्थित है और दीर्घकालिक मूल्य सृजन और शेयरधारक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कंपनी निगम अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और सेबी द्वारा निर्धारित निगम अभिशासन आवश्यकताओं और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगम अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम अभिशासन पर रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है, इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V (इ) के अनुसार, निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र अनुबंध-3 के रूप में संलग्न है।

व्यापार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 34(2)(ढ) के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मई 2021 में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बी आर एस आर) के विशिष्ट प्रारूप में रिपोर्ट की जाने वाली स्थिरता संबंधी नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की शुरुआत की। बी आर एस आर 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों' के सिद्धांतों के विरुद्ध कंपनी के प्रदर्शन को दर्शाता है।

इससे सदस्यों को कंपनी की पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी पहलों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तदनुसार, आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एफ ए सी टी की बी आर एस आर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

इसके अलावा सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई, 2023 ने बी आर एस आर के प्रारूप को अद्यतन किया है ताकि बी आर एस आर कोर को शामिल किया जा सके, जो बी आर एस आर का एक उपसमूह है जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व के नौ सिद्धांतों के अंतर्गत विशिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) को दर्शाता है और एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदाता द्वारा अनिवार्य रूप से उचित आश्वासन के अधीन है। इन आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड से बी आर एस आर कोर संकेतकों पर स्टैंडेलोन आधार पर उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण, जो कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसार और वार्षिक रिपोर्ट के भाग होनेवाले संगत लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण कंपनी के स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों के साथ साम्या तरीके के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए एफ आर बी एल के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है, क्योंकि वर्ष 2024-25 के लिए एफ आर बी एल का संवैधानिक लेखा-परीक्षण पूरा नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता

सी पी एस ई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश निगरानी समिति (सी एम सी डी सी) ने 3 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 25 करोड़ रुपए का लाभांश अदा करे। इस निर्देश के आधार पर, बोर्ड ने अपने पूर्व अनुशंसित लाभांश 0.20 रुपए प्रति साम्या शेयर को संशोधित कर 0.39 रुपए प्रति शेयर कर दिया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

सह कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम

फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) एफ ए सी टी की एक संयुक्त उद्यम (सं उ) कंपनी है। एफ आर बी एल के संबंध में 11.1.2024 से सी आई आर पी शुरू कर दिया है। केरला एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड(के ई आइ एल) एफ ए सी टी की सह कंपनी होना समाप्त हुआ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, ए ओ सी - I प्रपत्र में सह कंपनी/ संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण की प्रमुख मदों को सम्मिलित करके विवरण वार्षिक रिपोर्ट के भाग रुप में दिया गया है।

संयुक्त उद्यम के वित्तीय स्थिति और निष्पादन पर रिपोर्ट

2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान, एफ आर बी एल के वित्तीय परिणाम में 163.76 लाख रुपए की हानि दर्शाता है। समेकित हानि के कारण एफ आर बी एल के समग्र निवल मूल्य क्रम से नष्ट हो गए हैं। कंपनी ने एफ आर बी एल में संपूर्ण निवेश के लिए प्रावधान का सृजन किया है।

आई एस ओ प्रमाणीकरण

उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स और कोचीन संभाग के सभी उर्वरक संयंत्र आई एस ओ 14001:2015 और 9001:2015 प्रमाणित है। फेक्ट कोचीन संभाग आई एस ओ 45001-2018 प्रमाणित है। फेक्ट उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स एक आई एस ओ 50001-2018 के रूप में प्रमाणित है।

प्रदुषण नियंत्रण कार्यकलाप

एफ ए सी टी कारखानों के और आसपास के रहनेवालों के लिए साफ वायु और जीने का वातावरण सुनिश्चित करने में परम अग्रता देता है।

वर्ष-भर संयंत्र के साथ बहिस्त्राव उपचार संयंत्र और विसर्जन नियंत्रण सुविधाएँ प्रचालन में थे। उपचार किए बहिस्त्राव और गैस विसर्जन केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) एण्ड केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के एस पी सी बी) से प्राप्त निदेशों को अनुसार अविरत ओनलाइन अनुश्रवण और वेब अपलोडिंग प्रगति पर है। मार्गद4शनों के अनुसार सभी विश्लेषकों की स्थापना हुई है और पैरामीटरों को के एस पी सी बी और सी पी सी बी वेबसाइटों पर अपलोड किए जाते हैं।

कंपनी ने संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सभी अपशिष्ट निर्वहन मानकों को सफलतापूर्वक बनाए रखा। उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, एफ ए सी टी ने केरल एनवायरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (के इ आई एल) के साथ एक समझौते के अंतर्गत, संचित खतरनाक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया। इसमें प्रयुक्त वी2ओ5 उत्प्रेरक, इ टी स्लड्ज, सल्फर मक और ई-कचरा शामिल थे, जिन्हें पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अंतिम निपटान के लिए के इ आई एल को सौंप दिया गया।

ठोस अपशिष्ट माल प्रबंधन के लिए योजना का कार्यान्वित हो रही है जिसके अनुसार धातु अपशिष्ट माल और बायो मिट्टी में मिलने वाले माल और न मिलने वाले माल के लिए अलग-अलग बिन प्रदान किए जाते हैं। अपशिष्ट मालों को एकसाथ इकट्ठा करने के बाद खास सुविधा के लिए अलग किया जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) और केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के एस पी सी बी) अपेक्षा से प्राप्त निदेशों के अनुसार, निम्नलिखित के संबंध में उत्सर्जन और बहिस्राव आँकडे के एस पी सी बी और सी पी सी बी के वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहे हैं।

- सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट स्टैक से एस ओ2 उत्सर्जन।
- सम्मिश्र उर्वरक संयंत्र स्टैक से अमोनिया, फ्लूराइड और कण पदार्थ उत्सर्जन।
- फोस्फोरिक एसिड संयंत्र स्टैक फ्लूराइड और कण पदार्थ उत्सर्जन।.
- पी एच फ्लूराइड, अमोनियाकल नाइट्रोजन और बहिस्राव निर्गम का बहाव।

आग एवं सुरक्षा उपाय एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित आग एवं सुरक्षा विभाग ने वर्ष के दौरान सुचारू रूप से कार्य किया। 2024-25 में, फेक्ट उद्योगमंडल संभाग ने 3.2 मिलियन दुर्घटना-मुक्त मानव-घंटे दर्ज किए, जिसमें पिछली रिपोर्ट योग्य दुर्घटना के बाद से कुल 19.7 मिलियन दुर्घटना-मुक्त मानव-घंटे शामिल हैं।

वर्ष के दौरान सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कुल 7,863 मानव-घंटे समर्पित किए गए। सुरक्षा समिति ने प्रभावी ढंग से कार्य किया और पूरे संयंत्र में सुरक्षित कार्य स्थितियों को बनाए रखने में योगदान दिया।

स्थलीय आपातकालीन योजना के भाग के रूप में, आपातकालीन तैयारियों का मूल्यांकन स्थलीय और स्थानीय मॉक ड्रिल के माध्यम से किया गया, जिसमें जहरीली गैस रिसाव और आग लगने जैसी परिस्थितियों का अनुकरण किया गया।

राजभाषा

एफ ए सी टी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। राजभाषा अधिनियम/नियमों तथा भारत सरकार द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में जारी आदेशों और इस संबंध में तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एफ ए सी टी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए, हिंदी विभाग कंपनी के विभिन्न प्रभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नियमित रूप से कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ आयोजित करता है। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष भी कॉर्पोरेट स्तर पर हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी विभाग अपने कर्मचारियों के लिए त्रैमासिक आधार पर हिंदी कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नियमों और अन्य प्रावधानों की जानकारी दी जा सके। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष के दौरान 14 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 247 अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए, कंपनी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष, नकद पुरस्कार के अंतर्गत, 54 कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कोच्चि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के अंतर्गत संयुक्त हिंदी पखवाड़ा समारोह के अवसर पर आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए एफ ए सी टी को प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस अवसर पर, एफ ए सी टी को सर्वश्रेष्ठ हिंदी कार्यान्वयन और राजभाषा गृह-पत्रिका के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष उन्हें राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए राजभाषा शील्ड और राजभाषा पत्रिका राष्ट्रवाणी के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम एस ई) आदेश 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति

कंपनी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी खरीद संबंधी निदेशों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उधमों को परम अग्रता दे रही है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने एम एस ई से 209 करोड रुपए के मूल्य के माल और सेवाओं की है (फीड स्टॉक के उर्वरक को छोडकर कुल खरीद 60.37 प्रतिशत)। इसमें से 2.1करोड रुपए (कुल खरीद का 0.61 प्रतिशत) अजा / अ ज जा उद्यम कर्ताओं द्वारा और 15.82 करोड रुपए महिला उद्यमकर्ताओं (कुल खरीद का 4.57 प्रतिशत) से हैं। एफ ए सी टी द्वारा खरीदे अधिकांश खाद्य स्टॉक और उर्वरक निवेश एम एस ई के साथ उपलब्ध नहीं है।

एफ ए सी टी ने एम एस एम ई विकास और सुसाध्यता कार्यालय, ट्रिचूर द्वारा आयोजित एक वेंडर विकास कार्यक्रम में भाग लिया है।

एफ ए सी टी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, रिसीवबिल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आर एक्स आइ एल) के साथ एक संयुक्त उद्यम एस आइ डी बी आइ और एन एस ई द्वारा पंजीकृत किया है, ताकि एम एस एम ई को बिलों पर बट्टे की सुविधा प्रदान कर सके।

लोक उद्यम विभाग, एम ओ यू संभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22 जुलाई 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एम-03/0003/2020-डी पी ई (एम ओ यू) के अनुरूप, कंपनी इनवॉयसमार्ट और एम1एक्सचेंज के टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गई है।

निदेशक और मुख्य कार्मिक प्रबंधक

नियुक्तियाँ

भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर, एफ ए सी टी के निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान चार निदेशकों की नियुक्ति की गई।

1. डॉ. टीना सोनी (डी आई एन: 07720240) को सरकार नामिति निदेशक के रूप में आदेश संख्या 95/1/2019-एच आर पी एस यू (pt.2) (e-31042) दिनांक 18 फरवरी, 2025 के तहत नियुक्त किया गया।
2. डॉ. अरुणा कामिनेनी (डी आई एन: 09591742) को गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में आदेश संख्या 95/01/2025-एच आर पी एस यू (e-38759) दिनांक 16 मई, 2025 के तहत नियुक्त किया गया।
3. श्री. बिल्लेश्वर सिन्हा (डीआईएन: 09393543) को आदेश संख्या 95/01/2025-एचआर-पीएसयू (ई-38792) दिनांक 16 मई, 2025 के तहत गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
4. श्री संतोष कुमार (डीआईएन: 11228100) को आदेश संख्या 95/1/2019-एचआर पी एस यू (भाग-2) (ई-31042) दिनांक 17 जुलाई, 2025 के तहत सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

पुनर्नियुक्ति

चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक श्री मनोज सेठी (डीआईएनः 00301439) आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति चाहते हैं।

श्री मनोज सेठी की पुनर्नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रस्ताव आगामी वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना का हिस्सा है। उक्त सूचना में श्री मनोज सेठी के अनुभव, गुणों और कौशल का विवरण दिया गया है जो उन्हें बोर्ड की सदस्यता के लिए योग्य बनाते हैं।

सेवानिवृत्तियाँ एवं त्यागपत्र

श्री केडा तानाजी अहेर (डीआईएनः 07126654), स्वतंत्र निदेशक ने 29 अक्टूबर, 2024 से कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

भारत सरकार के आदेश के अनुसार, सुश्री अपर्णा शर्मा (डीआईएनः 07798544) 19 फ़रवरी, 2025 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक नहीं रहेंगी।

नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, डॉ. अंजुला मुर्मू (डीआईएनः 09565841) ने 27 मई, 2025 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और तदनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक और निदेशक मंडल की सदस्य नहीं रहीं।

डॉ. टीना सोनी (डीआईएनः 07720240), एफएसीटी के बोर्ड में सरकार नामिति निदेशक, 12 मई, 2025 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी की निदेशक नहीं रहेंगी।

बोर्ड, कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उपरोक्त निदेशकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता है।

स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (10) के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति नहीं की गई।

निदेशकों की अयोग्यता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत किसी भी निदेशक को कोई अयोग्यता नहीं मिली है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम की धारा 203 की शर्तों मे आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्न लिखित है।

क्रम सं.	नाम	डी आई एन	पदनाम
1)	श्री एस सी मुडगेरीकर,	03498837	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2)	श्री अनुपम मिश्रा,	07637439	निदेशक (विपणन)
3)	श्री एस शक्तिमणि,	07482308	मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं निदेशक (वित्त)
4)	डॉ के जयचंद्रन,	10062573	निदेशक तकनीकी
5)	श्रीमती सूसन अब्रहाम,	लागू नहीं	कंपनी सचिव

बोर्ड का वार्षिक मूल्यांकन

एफ ए सी टी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, बोर्ड में सभी नियुक्तियाँ भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा की जाती हैं। निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 5 जून, 2015 को भारत सरकार के निगम कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (ड.) और (ढ) के अनुसार जो नियुक्ति पारिश्रमिक और अपने निष्पादन पर बोर्ड का वार्षिक मूल्यांकन एफ ए सी टी पर लागू नहीं है।

सेबी (एल ओ डी आर) विनियमों के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने 04.02.2025 को आयोजित अपनी बैठक में, बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंडों को अनुमोदित किया। तत्पश्चात, बोर्ड ने 14.02.2025 को आयोजित अपनी बैठक में, अनुमोदित मानदंडों के आधार पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की।

स्वतंत्र निदेशकों ने 25.03.2025 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी (एल ओ डी आर) विनियमों के विनियम 25(4) के अनुसार गैर-स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन, बोर्ड के समग्र कार्य, अध्यक्ष के निष्पादन और प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना प्रवाह की प्रभावशीलता की समीक्षा की।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है।

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता और कंपनी द्वारा अपनाई गई व्यावसायिक आचार संहिता का अनुपालन करते हैं।

बोर्ड की राय में, सभी स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित योग्यताएँ, अनुभव, विशेषज्ञता है और वे निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय के साथ और बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक उच्च निष्ठा रखते हैं।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की पाँच (5) बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना का विवरण, साथ ही समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और समिति की बैठकों और उनमें भाग लेने वाले निदेशकों का विवरण, निगम अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम समय अंतराल के भीतर था। सभी बैठकों में अपेक्षित कोरम मौजूद था।

सचिवीय मानक

आपके निदेशकगण प्रस्ताव करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक 1 (निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित) और सचिवीय मानक 2 (सामान्य बैठकों से संबंधित) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

लेखा परीक्षक

(1) सांविधिक लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स जी वेणुगोपाल कामत एण्ड कंपनी को सनदी लेखापाल, कोची को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पुनर्नियुक्त किया था।

मेसर्स शंकर गिरी एण्ड प्रभाकर, सनदी लेखापाल, चेन्नई को 2024-25 वर्ष के लिए तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रीय /प्रादेशिक कार्यालयों के लिए शाखा लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था।

मेसर्स आरबी काबरा एंड कंपनी, सनदी लेखपाल, हैदराबाद को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक स्थित प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों पर कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

(2) लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 को कंपनी (लागत रिपोर्ट और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 को साथ पढकर यथा निर्धारित लागत लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा हुआ है। मेसर्स बी बी एस एण्ड असोसिएट्स, लागत लेखा परीक्षक, कोच्ची को 2024-25 वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को दिनांक 01 अक्तूबर, 2024 को कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय को फाइल की गई थी।

(3) सचिवीय लेखा परीक्षक और सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मेसर्स सीसर पिन्टा जोन एण्ड असोसिएट्स, कंपनी सचिव, कोची को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **अनुबंध 4** के रूप में संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, जहाँ किसी सूचीबद्ध इकाई में नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसके अलावा, 28.03.2025 से 31.03.2025 तक, लेखा परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के अनिवार्य दो-तिहाई बहुमत के साथ नहीं किया गया था, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशकों का आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं है, हितधारक संबंध समिति में तथा जोखिम प्रबंधन समिति में न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं थी।

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के प्रावधान के अनुसार, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी। कंपनी में 28.03.2025 से कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ई) के अनुसार, निदेशक के पद की कोई भी रिक्ति सूचीबद्ध संस्था द्वारा यथाशीघ्र भरी जाएगी और किसी भी स्थिति में ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर भरी जाएगी। आगे बशर्ते कि यदि सूचीबद्ध संस्था किसी निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के कारण इस विनियम के उप-विनियम (1), विनियम 18 के उप-विनियम (1), विनियम 19 के उप-विनियम (1) या (2), विनियम 20 के उप-विनियम (2) या (2ए) या विनियम 21 के उप-विनियम (2) या (3) के अंतर्गत आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तो परिणामी रिक्ति को सूचीबद्ध संस्था द्वारा ऐसे पद के रिक्त होने की तिथि से पहले भरा जाएगा। स्वतंत्र निदेशकों के पद की रिक्तियां ऐसी रिक्ति के 3 महीने के भीतर नहीं भरी जाती हैं। सुश्री अंजुला मुर्मू (स्वतंत्र निदेशक) के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त होने वाली किसी भी अन्य रिक्ति को, सूचीबद्ध इकाई द्वारा, ऐसे पद के रिक्त होने की तिथि के बाद नहीं भरा जाता है।

सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 31(5) के अनुसार, उप-विनियम (4) के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात कार्यदिवसों के भीतर प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ लक्ष्य कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और लक्ष्य कंपनी की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रवर्तकों से विनियम 31(4) के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 7 कार्यदिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं की गई है।

सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है;

कंपनी भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है।कंपनी ने 01.04.2025 को उपरोक्त सभी समितियों के अध्यक्ष के रूप में नामित एकमात्र उपलब्ध स्वतंत्र निदेशक को शामिल करके समितियों का पुनर्गठन किया। इस बीच की अवधि में कोई बैठक नहीं हुई। भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर, 05.05.2025 को बोर्ड में दो नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई और नवनियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके समितियों का पुनर्गठन किया गया। कंपनी के बोर्ड में अब तीन स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है।

कंपनी को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से विनियम 31(4) के अंतर्गत 09.04.2024 को घोषणा प्राप्त हुई और उसने इसे उसी दिन दाखिल कर दिया।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों/बैठकों का विवरण संलग्न निगम अभिशासन रिपोर्ट में विस्तार से दिया गया है। ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसमें बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न किया हो।

निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर नीति।

एफ ए सी टी, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार, एफ ए सी टी के निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति ने कंपनी अधिनियम की धारा 178(3) और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग घ के अनुसार निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर एक नीति तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=3018 पर उपलब्ध है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ)

वर्ष के दौरान, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) को कोई राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, एफ ए सी टी ने वर्ष के दौरान कोई अंतरण नहीं किया है, और आई ई पी एफ में अंतरण हेतु कोई राशि निलंबित नहीं है।

करार अथवा संबंद्ध दलों के साथ व्यवस्था

आलोच्य वर्ष के दौरान संबद्ध दलों के साथ लेनदेन में अधिक संबंध नहीं रखता और यह व्यापार के सामान्य स्थिति में है। संबद्ध दलों के साथ आलोच्य वर्ष के दौरान लेनदेन का प्रकटव ए ओ सी-**2** फार्म में **अनुबंध-2** के रूप में संलंग्न है।

निगम सामाजिक दायित्व

एफ ए सी टी ने विभिन्न सामाजिक दायित्व उपायों को प्राथमिकता देना जारी रखा है। कंपनी (निगम सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की एक बोर्ड स्तरीय समिति गठित है। कंपनी की सी एस आर नीति कंपनी की वेबसाइट https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=2963 पर उपलब्ध है।

कंपनी ने सी एस आर परियोजनाओं पर 125.12 लाख रुपए खर्च किए और इस वर्ष के सी एस आर दायित्व को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों में हुए अतिरिक्त व्यय से 543.35 लाख रुपए की राशि समायोजित की गई है।

कंपनी (निगम सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार सी एस आर पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-5** के रूप में संलग्न है।

कृषि समुदाय के लिए एफ ए सी टी का पहल

कंपनी ने विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, जो कृषि समुदायों और अन्य भागीदारों के साथ उसके मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। प्रमुख पहलों में निम्न शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र - पीएमकेएसके - प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अगस्त 2022 के दौरान शुरू किए गए उर्वरक विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य मौजूदा गांव, ब्लॉक/उप जिला/तालुक और जिला स्तरीय उर्वरक खुदरा दुकानों को मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानों में बदलना है जो कृषि से संबंधित सभी आदानों और सेवाओं के लिए 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में कार्य करेगा। 2024-25 तक विभिन्न राज्यों में कुल 3602 पीएमकेएसके वास्तव में पूरे हो चुके हैं।
- नमो ड्रोन दीदी (एनडीडी) हब - उर्वरक विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सुविधाओं के साथ वर्ष 2024-25 में 50 फेक्ट एन डी डी हब विकसित किए गए।
- मातृ पृथ्वी के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम प्रणाम) - भारत सरकार के पीएम प्रणाम पहल के तहत, एफ ए सी टी मार्केटिंग डिवीजन द्वारा विभिन्न स्थानों पर कई किसान संगोष्ठियों (किसान सभाओं) का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का ध्यान स्थायी कृषि पद्धतियों, मृदा स्वास्थ्य बहाली और पर्यावरणीय पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर था, जिसका लक्ष्य खेती के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। इन समारोहों के माध्यम से एफ ए सी टी के पीएम प्रणाम ऑफरिंग जैसे फेक्ट ऑर्गेनिक, फेक्ट ऑर्गेनिक प्लस, फेक्ट एओएम, फेक्ट पी डी एम और फेक्ट पी आर ओ एम का निष्पादन किया गया और किसानों को इन उत्पादों के लाभों के बारे में शिक्षित किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), कृषि विज्ञान केंद्रों (के वी के), अनुसंधान स्टेशनों और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने कार्यक्रमों में भाग लिया और कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों और पहलों पर अंतर्दृष्टि साझा की।

- सामुदायिक रेडियो सेवाः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से कुल 44 एपिसोड प्रसारित किए गए। इन एपिसोड में एफ ए सी टी के अधिकारियों ने किसानों की सहायता के उद्देश्य से विभिन्न सूचनात्मक विषयों पर चर्चा की। ये प्रसारण उन्नत कृषि पद्धतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करने और कृषक समुदाय के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करते हैं।

जोखिम प्रबंधन

संभावित जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने और उचित शमन उपायों को लागू करने के लिए एफ ए सी टी के पास एक सुस्पष्ट जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी ने पर्याप्त जोखिम प्रबंधन अवसंरचना भी स्थापित की है जो सभी संभावित जोखिमों का प्रभावी ढंग से समाधान और प्रबंधन करने में सक्षम है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी की वेबसाइट https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=2979 पर उपलब्ध है।

सतर्कता तंत्र & विसिल ब्लोअर नीति

एफ ए सी टी के पास एक सतर्कता तंत्र है जो निदेशकों और कर्मचारियों को सुरक्षित और गोपनीय तरीके से अपनी समस्याएँ उठाने की अनुमति देता है। उपयुक्त मामलों में, वे अपनी समस्याएँ सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को बता सकते हैं। सतर्कता तंत्र और व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट www.fact.co.in पर उपलब्ध है, और इसे सीधे इस लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://fact.co.in/home/Dynamic pages?MenuId=45.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी निम्नलिखित की पुष्टि करती है:

कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। कंपनी यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाती है और जागरूकता बढ़ाने, दुर्व्यवहार को रोकने और सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

i.	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या:	1
ii.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या:	1
iii.	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या:	0

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम

एफ ए सी टी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी योग्य महिला कर्मचारियों को अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य लाभ दिए जाते हैं, जिसमें प्रदत्त मातृत्व छुट्टी, नर्सिंग ब्रेक और मातृत्व अवकाश के दौरान बर्खास्तगी से सुरक्षा शामिल है।

कंपनी एक सुरक्षित, सहायक और समावेशी कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन नीतियों को लागू करना जारी रखती है जो विशेष रूप से प्रसूति और प्रसूति के बाद की अवधि के दौरान महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करती हैं।

आचार संहिता

एफ ए सी टी के पास एक आचार संहिता है, जो कंपनी फेक्ट व्यापार आचार संहिता और नीतिशास्त्र के नाम से जाना जाता है और यह कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और सभी वरिष्ठ कार्यपालकों पर लागू है। संहिता को कंपनी के वेब साइट www.fact.co.in में डाला गया है और http://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=45 लिंक का उपयोग किया जा सकता है।

संहिता कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा अनुपालन प्रत्याशित व्यापार की मानक कार्यविधि की अभिव्यक्ति है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य भी शामिल है।

कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ कार्यपालकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आचरण संहिता का अनुपालन अभिपुष्ट किया है।

अंतरंगी व्यापार का निषेध

आज तक एफ ए सी टी शेयरों पर अंतरंगी व्यापार के कोई घटनाएँ रिपोर्ट नहीं की गई। कंपनी के वेबसाइट पर अंतरंगी व्यापार निषेध की आचार संहिता उपलब्ध है और https//fact.co.in/home/Dynamicpages?Menuld=849 में प्रवेश कर सकता है।

दिए गए ऋण, किए गए निवेश, दी गई गैरंटी और प्रदान की गई प्रतिभूतियाँ।

2024-25 वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में कंपनी द्वारा किए गए निवेशों के ब्यौरे दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के कार्यक्षेत्र में एफ ए सी टी ने कोई निवेश अथवा ऋण/गैरंटी नहीं दी है।

आंतरिक नियंत्रण और उनकी पर्याप्तता

लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणीलियों की समीक्षा की जाती है। कंपनी सरकारी स्वमित्ववाली कंपनी होने के कारण, सी एण्ड ए जी द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन है। संविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि की भी समीक्षा की है।

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ इसके व्यवसाय, आकार और इसके संचालन की जटिलता की प्रकृति के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं। कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का विवरण इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में प्राप्त है।

कर्मचारियों के ब्यौरे और तत्संबंधी प्रकटन

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, कंपनी के कोई भी कर्मचारी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) को कंपनी (प्रबंधक कार्मिकों की नियुक्ति) नियमावली 2014 के साथ पढने पर, निर्धारित पारिश्रमिकसे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

सतर्कता

सतर्कता किसी भी संगठन के प्रबंधकीय कार्य का एक अभिन्न अंग है और सतर्कता विभाग संगठन के भीतर पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एफ ए सी टी सतर्कता विभाग का प्राथमिक उद्देश्य भ्रष्टाचार, कदाचार, धोखाधड़ी और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है, जिससे आम जनता का विश्वास बना रहे और सुशासन को बढ़ावा मिले।

सतर्कता विभाग का कार्यक्षेत्र मुख्यतः विभिन्न स्रोतों से मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी वी ओ) को प्राप्त शिकायतों का निपटान करना और सतर्कता संबंधी सत्यापन योग्य शिकायतों की जाँच करना है। निवारक सतर्कता उपायों के अंतर्गत, सतर्कता विभाग नियमित आधार पर औचक निरीक्षण, निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने की गतिविधियाँ भी करता है। खरीद/संविदा फाइलों की जाँच, कर्मचारियों के संपत्ति विवरण की समीक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों के रोटेशन की निगरानी, और मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी वी सी) तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वयन भी सतर्कता विभाग के कार्यक्षेत्र का हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक के सप्ताह को वास्तव में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसका विषय था 'राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति' ।

प्रणालीगत सुधारों के हिस्से के रूप में, एक कर्मचारी शिकायत पोर्टल और विपणन ऐप लॉन्च किया गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता

इस संबंध में भारत सरकार मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कंपनी में एक सत्यनिष्ठा समझौता को अंतिम रूप दिया गया है और कार्यान्वित भी है। .

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

एफ ए सी टी सूचना अधिकार अधनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है और सार्वजनिक सूचना अधिकारी, अपील प्राधिकारी, केन्द्रक अधिकारी आदि से संबंधित ब्यौरे कंपनी के वेबसाइट www.fact.co.in में प्रकाशित हैं और http://fact.co.in/home/Dynamicpages?Menuld=45 लिंक का उपयोग किया जा सकता है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अंतर्गत यथाउपबंधित कंपनी की वार्षिक विवरणी का उद्धरण कंपनी के वेबसाइट http://fact.co.in/home/Dynamicpages?Menuld=45 में प्रकाशित हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

इस रिपोर्ट में एक अलग विवरण में कंपनी (लेखा) नियम 2014 के अंतर्गत यथापेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम संबंधी सूचना का प्रकटन **अनुबंध 1** में संलग्न है।

निदेशकों का दायित्व प्रस्ताव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के अनुसरण में आपके निदेशक एतद्द्वारा प्रस्ताव करते हैं कि:

(ए) मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण सामग्री प्रस्थान के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।

(बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

(सी) निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उचित एवं काफी ध्यान दिया है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों का संरक्षण कर सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का निवारण और पहचान कर सके।

(डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखों के चालू समुत्थान आधार पर तैयार किया है।

(इ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निदेश दिया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित है और

(एफ) निदेशकों ने लागू नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली का सूत्रपात किया है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से प्रचालन में थी।

सामान्य

आपके निदेशक मंडल प्रस्ताव करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अथवा रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि आलोच्य वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुई हैं

1. अधिनियम के अध्याय ञ के अंतर्गत आनेवाले जमा संबंधी ब्यौरे।
2. साम्या शेयर जारी करना विभिन्न अधिकारों के साथ जैसे लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा।
3. शेयर जारी करना किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को स्वेट साम्या शेयर समेत।
4. कंपनी के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि प्रावधान कर निजी शेयरों की खरीद के लिए कर्मचारियों अथवा न्यासियों द्वारा कर्मचारियों के हित के लिए है।
5. कंपनी के प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक कंपनी निदेशक कोई अन्य पारिश्रमिक अथाव कमीशन अपनी सह कंपनी से प्राप्त नहीं करते।
6. न्यायलयों, अधिकरणों अथवा विनियामकों द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा अन्य आदेश पारित नहीं थे जिसका प्रभाव चालू समुत्थान स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर पडे।
7. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को लेखा परीक्षकों द्वारा कोई कपट रिपोर्ट नहीं किया गया है।
8. दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत आलोच्य वर्ष के कंपनी के विरुद्ध कोई आवेदन किया गया है अथवा कार्यविधि निलंबित है।
9. कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों का केवल एक बार का निपटान नहीं किया है।

पावती

आपके निदेशकगण माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, माननीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, केरल सरकार, सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ-साथ भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग और अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए वचनबद्ध प्रयासों को तहे दिल से सराहना करते हैं और आगे भी उनकी समर्पित सेवाओं की कामना करते हैं, ताकि कंपनी को अधिक महत्वपूर्ण ऊँचाइयों पर पहुँचा सके।

निदेशक मंडल शेयर धारियों, डीलरों, पूर्तिकारों, बैंकरों और कंपनी के ग्राहकों, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को भी अपना आभार देते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसी की ओर से

(एस सी मुडगेरीकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आइ एन-03498837

स्थान : मुंबई
दिनांक: 29.08.2025

अनुबंध 1

निदेशकमंडल की रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के अधीन अपेक्षित विवरण

क. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव अथवा उठाए गए कदम

1. **पी801ए की ओवरहालिंग:** ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनुशंसित अमोनिया संयंत्र में मुख्य शीतलन जल पंप 801ए की ओवरहालिंग की गई और ऊर्जा बचत के लिए इसे पॉलिमर से लेपित किया गया।
2. **साधारण सीलिंग पंखों को बी एल डी सी पंखों से प्रतिस्थापित करना:** 300 साधारण पंखों को बी एल डी सी पंखों से प्रतिस्थापित किया गया। बी एल डी सी पंखे पारंपरिक सीलिंग पंखों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं और कम ऊर्जा की खपत करते हैं।
3. **साधारण प्रकाश फिटिंग को एल ई डी लैंप से प्रतिस्थापित करना:** 250 साधारण प्रकाश फिटिंग को बी इ इ स्टार रेटेड 40 वा एल इ डी लैंप से प्रतिस्थापित किया गया।
4. **वर्ष के दौरान एच पी एस वी /एच पी एम वी / एम एच प्रकार की स्ट्रीट लाइट/फ्लड लाइट फिटिंग और फ्लोरोसेंट ट्यूब को ऊर्जा कुशल एल इ डी लैंप से प्रतिस्थापित किया गया।**

ख. प्रौद्योगिकी अमेलन

i. किए गए प्रयास

1. एफ ए सी टी कोचीन संभाग के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में मौजूदा मध्यवर्ती अवशोषण टॉवर को नई लाइनिंग तकनीक, पेकोरा मैस्टिक युक्त एक नए टॉवर से प्रतिस्थापित किया गया।
2. एफ ए सी टी कोचीन संभाग में एक नया ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल वायु-शीतित स्क्रू प्रकार का इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर स्थापित और चालू किया गया, जो अधिक टिकाऊ है और कम जगह घेरता है।
3. एफ ए सी टी ने मौजूदा टिल्टिंग पैन फ़िल्टर को एक नए उन्नत क्षैतिज बेल्ट फ़िल्टर से बदलने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
4. उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स में अमोनियम सल्फेट संयंत्र के बैगिंग अनुभाग में डबल स्टिचिंग मशीन की स्थापना। एनपी संयंत्रों में भी डबल स्टिचिंग मशीनें स्थापित करने की योजना है।

ii. प्राप्त हितलाभ

1. सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में मौजूदा इंटरमीडिएट एब्ज़ॉर्प्शन टॉवर के प्रतिस्थापन से टॉवर लाइनिंग का अम्ल प्रतिरोध बढ़ा और एसिड टॉवर का स्थायित्व एवं सेवा जीवन बढ़ा।
2. एक नए ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल एयर-कूल्ड स्क्रू-टाइप इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर की स्थापना से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तुलना में लगभग 50 किलोवाट घंटा प्रति घंटा ऊर्जा और 40 घन मीटर प्रति घंटा पानी की बचत हुई है।
3. मौजूदा टिल्टिंग पैन फ़िल्टर को एक नए उन्नत हॉरिज़ॉन्टल बेल्ट फ़िल्टर से बदलने से एफ ए सी टी कोचीन डिवीजन के फॉस्फोरिक एसिड प्लांट में दक्षता में सुधार होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके कार्यान्वयन पर फॉस्फोरिक एसिड उत्पादन स्तर वर्तमान 200 मी ट प्रतिदिन से बढ़कर 350 मी ट प्रतिदिन होने की उम्मीद है।
4. डबल स्टिचिंग मशीनों की स्थापना से अमोनियम सल्फेट के विपणन के दौरान पैकेजिंग/बैगिंग संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।

iii. आयातित प्रौधोगिकी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी प्रौधोगिकी का आयात नहीं हुआ है।

iv. अनुसंधान और विकास (आर & डी) के प्रमुख कार्यकलाप

क. **कीटनाशी जैसे जैव उर्वरक के सूत्रीकरण पर साध्यता अध्ययन:** अनुसंधान एवं विकास विभाग, अस्थि चूर्ण, मुर्गी चूर्ण और सोया चूर्ण जैसे स्वदेशी रूप से उपलब्ध जैविक पदार्थों से कीटनाशक उर्वरक तैयार करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है। कीटनाशक के रूप में कॉपर ऑक्सी क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के उपयोग का प्रस्ताव है।

ख. **मैग्नीशियम युक्त कैल्शियम नाइट्रेट:** मैग्नीशियम युक्त कैल्शियम नाइट्रेट को एफसीओ (तृतीय संशोधन आदेश 2021) में शामिल किया गया है। यह एक उर्वरक निलंबन है जो जल में अत्यधिक घुलनशील है और आसानी से मिट्टी में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी उच्च जल घुलनशीलता और सिंचाई तकनीक इसे फर्टिगेशन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। मैग्नीशियम युक्त जल घुलनशील कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक के उत्पादन की तकनीकी व्यवहार्यता का परीक्षण किया जा रहा है। प्रयोगशाला परीक्षणों और बाद में बड़े पैमाने पर किए गए परीक्षणों ने कैल्शियम नाइट्रेट के व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित किया है।

ग. **गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ:** यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार विनिर्माण इकाइयों और विपणन क्षेत्रों, दोनों में तैयार रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की कुशलतापूर्वक निगरानी के लिए गठित किया गया है। तैयार उर्वरकों के नमूने विनिर्माण इकाइयों और क्षेत्रीय गोदामों, कृषि सेवा केंद्रों, विपणन क्षेत्र में वितरकों और डीलरों से एकत्र किए जाते हैं, अनुसंधान एवं विकास केंद्र में उनका विश्लेषण किया जाता है और निदेशक (तकनीकी) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कंपनी में प्रचलित त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में और उत्पाद के ग्राहकों तक पहुँचने तक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, प्रेषण के बाद की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए विशेष सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर व्यय 57.41 लाख रूपये था।

सी. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

विदेशी मुद्रा आय और व्यय के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं।

विदेशी मुद्रा के आय और व्यय

₹ करोडों में

क्रम. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	अर्जित विदेशी मुद्रा	0.00	0.00
2	विदेशी मुद्रा का व्यय		
	(i) आयात का सी आई एफ मूल्य		
	(क) कच्चे माल	845.66	1382.64
	(ख) व्यापारित उत्पाद	438.42	338.99
	(ग) हिस्से पुर्जे एवं अन्य सामग्रियाँ	4.16	2.46
	(घ) पूँजीगत माल	0.00	0.23
		1288.25	1724.32
	(ii) विदेशी मुद्रा में खर्च (नकद आधार पर) (क) परामर्शी सेवा	0.05	0.85
	(ख) अन्य	0.44	0.41
		0.49	1.26
	कुल (i + ii)	1288.74	1725.59

(एस सी मुडगेरीकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आइ एन-03498837

स्थान : मुंबई
दिनांक: 29.08.2025

अनुबंध - 2

प्रपत्र सं. ए ओ सी - 2

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 का नियम 8 (2) और अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन-देन भी सम्मिलित हैं।

1. आर्म लग्त पर न आधारित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

क्रम.सं.	विवरण	ब्यौरे
क)	संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध की प्रकृति	कुछ नहीं
ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति	कुछ नहीं
ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि	लागू नहीं
घ)	संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन की प्रमुख शर्तें, मूल्य-सहित, अगर है तो	लागू नहीं
ड.)	ऐसी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन में दर्ज होने का औचित्य	लागू नहीं
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	लागू नहीं
छ)	अग्रिम के रूप में दी गई रकम, अगर है तो	लागू नहीं
ज)	धारा 188 के पहले परन्तुक के अंतर्गत यथापेक्षित आम बैठक में विशेष संकल्प पास करने की तिथि	लागू नहीं

2. आर्म्स लेंग्त आधार पर संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन के ब्यारे

क्रम.सं.	विवरण	ब्यौरे
क)	संबंधित पार्टी का नाम	**एफ ए सी टी-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड**
ख)	संबंध की प्रकृति	संयुक्त उद्यम
ग)	पेट्रोल/ डीज़ल और भोजन की आपूर्ति	पेट्रोल/ डीज़ल और भोजन की आपूर्ति
घ)	संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
ड.)	संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेनदेन की प्रमुख शर्तें	आर्म्स लेग्त आधार पर लेनदेन
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	03.08.2017 और 17.11.2017
छ)	अग्रिम के रूप में दी गई रकम, अगर है तो	कुछ नहीं
ज)	वर्ष के दौरान उपचित रकम	₹ 46,256/-

(एस सी मुडगेरीकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन-03498837

स्थान : मुंबई
दिनांक: 29.08.2025

अनुबंध - 3

सीसरपिंटोजोण एण्ड असोसिएट्स

पंजी कार्यालय एफ4, प्रथम तल, एलस्पेस, लोजिक स्कोयर, वी आई पी रोड, जे एल एन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास, कलूर, एरणाकुलम, केरला 682 017
फोनः + 91 9497274805, + 91 9846949009, ई-मेल : caesarpintojohn@gmail.com, www.cpjcompanysecretaries.com

निगम अभिशासन पर प्रमाण-पत्र

सदस्य

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड (सी आई एनः L24129KL1943GOI000371) द्वारा तैयार की गई जिसका पंजिकृत कार्यालय एलूर पीओ, उद्योगमंडल, आलुवा, एरणाकुलम, केरल 683 501 (इसमें इसके पश्चात् दि कंपनी के रूप में संदर्भित) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भीरतीय प्रतिभूतियाँ और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 ("सेबी सूचीबद्ध विनियम") विनियम 17 से 27 तक और खंड (बी) से (आइ) और (टी) तक विनियम 46(2), अनुसूची V और अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की हमने परीक्षा की है।

निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधक मंडल का उत्तरदायित्व है। हमारी परीक्षा कंपनी द्वारा क्रियाविधि और कार्यान्वयन तक सीमित है जो ऊपर यथा नियत निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का आश्वासन देने के लिए है। यह न बोर्ड लेखा परीक्षा और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, निम्न को छोडकर किया है:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, जहाँ किसी सूचीबद्ध इकाई में नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसके अलावा, 28.03.2025 से 31.03.2025 तक, लेखा परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के अनिवार्य दो-तिहाई बहुमत के साथ नहीं किया गया था, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशकों का आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं है, हितधारक संबंध समिति में आवश्यक न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं था
- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के प्रावधान के अनुसार, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी। कंपनी में 28.03.2025 से कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।
- सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ई) के अनुसार, निदेशक के पद की कोई भी रिक्ति सूचीबद्ध संस्था द्वारा यथाशीघ्र भरी जाएगी और किसी भी स्थिति में ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर नहीं भरी जाएगी। आगे बशर्ते कि यदि सूचीबद्ध संस्था किसी निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के कारण इस विनियमन के उप-विनियम (1), विनियम 18 के उप-विनियम (1), विनियम 19 के उप-विनियम (1) या (2), विनियम 20 के उप-विनियम (2) या (2ए) या विनियम 21 के उप-विनियम (2) या (3) के अंतर्गत आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तो परिणामी रिक्ति को सूचीबद्ध संस्था द्वारा ऐसे पद के रिक्त होने की तिथि से पहले भरा जाएगा। स्वतंत्र निदेशकों के पद की रिक्तियां ऐसी रिक्ति के 3 महीने के भीतर नहीं भरी जाती हैं। सुश्री अंजुला मुर्मू (स्वतंत्र निदेशक) के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त होने वाली किसी भी अन्य रिक्ति को, सूचीबद्ध इकाई द्वारा, ऐसे पद के रिक्त होने की तिथि के बाद नहीं भरा जाता है।

- सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 31(5) के अनुसार, उप-विनियम (4) के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात कार्यदिवसों के भीतर प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ लक्ष्य कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और लक्ष्य कंपनी की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

  31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रमोटरों से विनियम 31(4) के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 7 कार्यदिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं की जाती है।

हम आगे यह बताते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन अथवा न कंपनी के प्रकार्यों का आयोजन प्रबंधकमंडल द्वारा कितनी क्षमता और प्रभाविता के साथ किया गया है।

यू डी आइ एन : F013379G000993996

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र स.: 2148/2022

संस्था पंजीकरण सं. L2016KE001600

कृते सीज़रपिंटोजॉन & एसोसिएट्स(एलएलपी)

कंपनी सचिव

ह/-

ट्रेसी तुलस्ने सीज़र

भागीदार

स सं. 13379

सी पी सं. 15855

कोच्ची

13.08.2025

अनुबंध 4

सीसरपिंटोजोण एण्ड असोसिएट्स एल एल पी

पंजी कार्यालय एफ4, प्रथम तल, एलस्पेस, लोजिक स्कोयर, वी आई पी रोड, जे एल एन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास, कलूर, एरणाकुलम, केरला 682 017
फोनः + 91 9497274805, + 91 9846949009, ई-मेल : caesarpintojohn@gmail.com, www.cpjcompanysecretaries.com

प्रपत्र सं. एम आर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपार्ट

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

सेवा में

सदस्य
दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
एलूर पी ओ, उद्योगमंडल
आलुवा, एरणाकुलम
केरल - 683501

हम एस वी जे एस असोसियेट्स, कंपनी सचिव ने **दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड (सी आई एनः L24129KL1943GOI000371**) (जिसे इसके पश्चात् कंपनी पुकारी जाती है) लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की और अच्छे निगम रिवाज़ों का कंपनी द्वारा अनुसरण किया जाता है आदि की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा ऐसे तरीके से की गई ताकि निगमित आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हो सके और उन मदों पर हमारी राय प्रकट कर सके।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट मामलों और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है। इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीनः

हमने बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्मों और फाइल में किए विवरणों और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों का दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षा की है जो इन प्रावधानों के अनुसार हैं :

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") और उसके अंतर्गत बनाई नियमावली;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एस सी आर ए") और उसके अंतर्गत गठित नियमावली;

(iii) निक्षेपधारी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत गठित विनियमन और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन, जहाँ तक लागू हो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण लागू होगी।

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 ("एस ई बी आई अधिनियम") के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमन और निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतः -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार पर निषेध) विनियमन, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी समस्या और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के रजिस्टार) विनियमन 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ विचार करने के संबंध में है;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपोसिटरीज़ एण्ड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 2018;

(ड.) भाारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015;

(vi) जैसी सूचना हमें दी है, निम्नलिखित अन्य विधि कंपनी पर विशेष रूप से लागू है

1. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985;
2. खतरनाक रासायनिक का उत्पादन, संग्रह और आयात नियमावली, 1989;
3. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, चढ़ाई-उतराई, और ट्रान्सबाउंडरी संचलन) नियमावली, 2008;
4. बैटरीज़ (प्रबंधन और चढाई-उतराई) नियमावली, 2001;
5. उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 और उसके अंतर्गत गठित विनियम और उप विधि;
6. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम,1974 और उसके अंतर्गत गठित विनियम और उप विधि;
7. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत गठित विनियम और उप विधि;
8. वातावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत गठित विनियम और उप विधि;
9. कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत गठित विनियम और उप विधि;
10. बॉयलर अधिनियम 1923 और उसके अंतर्गत गठित विनियम और उप विधि;
11. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के निगम अभिशासन पर मार्गदर्शन, 2010;

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी परीक्षा की है:

(i) दि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरीज ऑफ इंडिया द्वारा बोर्ड (एस एस 1) और आम बैठक (एस एस 2) संबंधी सचिवीय मानक जारी किए गए हैं ;

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा दर्ज सूचीबद्ध करार;

आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित निष्कर्षों के अध्यधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमावली, विनियमन, मार्गदर्शन, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में हमने कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/रिकार्डों पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान भरोसा किया है और उस हद तक रिपोर्टिंग सीमित है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, जहां एक सूचीबद्ध इकाई में नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बने होंगे। वित्तीय वर्ष 01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान बोर्ड की संरचना इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसके अलावा, 28.03.2025 से 31.03.2025 तक, लेखा परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के अनिवार्य दो-तिहाई बहुमत के साथ नहीं किया गया था, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशकों का आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं है, हितधारक संबंध समिति में आवश्यक न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं था

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के प्रावधान के अनुसार, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी। कंपनी में 28.03.2025 से कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ई) के अनुसार, निदेशक के पद की कोई भी रिक्ति सूचीबद्ध संस्था द्वारा यथाशीघ्र भरी जाएगी और किसी भी स्थिति में ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर भरी जाएगी। आगे बशर्ते कि यदि सूचीबद्ध संस्था किसी निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के कारण इस विनियम के उप-विनियम (1), विनियम 18 के उप-विनियम (1), विनियम 19 के उप-विनियम (1) या (2), विनियम 20 के उप-विनियम (2) या (2ए) या विनियम 21 के उप-विनियम (2) या (3) के अंतर्गत आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तो परिणामी रिक्ति को सूचीबद्ध संस्था द्वारा ऐसे पद के रिक्त होने की तिथि से पहले भरा जाएगा। स्वतंत्र निदेशकों के पद की रिक्तियां ऐसी रिक्ति के 3 महीने के भीतर नहीं भरी जाती हैं। सुश्री अंजुला मुर्मू (स्वतंत्र निदेशक) के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त होने वाली किसी भी अन्य रिक्ति को, सूचीबद्ध इकाई द्वारा, ऐसे पद के रिक्त होने की तिथि के बाद नहीं भरा जाता है।

सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 31(5) के अनुसार, उप-विनियम (4) के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात कार्यदिवसों के भीतर प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ लक्ष्य कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और लक्ष्य कंपनी की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रवर्तकों से विनियम 31(4) के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 7 कार्यदिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं की गई है।

उपर्युक्त के अधीन, समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों की सूचना कार्यसूची और कार्यसूची पर विशद टिप्पणी कम से कम सात दिनों के पहले भेजे जाते हैं और एक सूचना और स्पष्टीकरण माँगी और प्राप्त की जाती है ताकि बैठक में सार्थक भागीदारी हो सके।

बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मत थे और उन्हें कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और हमारे विश्वास व्यक्त किया गया है, कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में लागू विधि, नियम, विनियम और मार्गदर्शनों के अनुश्रवण कर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रम विद्यमान है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित कोई घटनाएँ नहीं घटी हैं:

(i) सार्वजनिक / अधिकार / शेयरों का अधिमान्य इश्यू/डिबंजर/स्वेट साम्या

(ii) प्रतिभूतियों का मोचन / पुनःक्रय

(iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय।

(iv) विलयन / समामेलन / पुनर्निर्माण आदि.

(v) विदेशी तकनीकी सहयोग

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए जिसे **अनुबंध -क** के रूप में इसमें संलग्न है और वह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

यू डी आइ एन : F013379G000994040

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र स.: 2148/2022

कृते सीज़रपिंटोजॉन & एसोसिएट्स(एलएलपी)

कंपनी सचिव

ह/-

ट्रेसी तुलस्ने सीज़र

भागीदार

स सं. 13379

सी पी सं. 15855

कोच्ची

13.08.2025

सेवा में

अनुबंध क

सदस्य
दि फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
एलूर, पी. ओ. उद्योगमंडल,
आलुवा, एरणाकुलम
केरल-683 501

हमारी समसंख्या तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधक मंडल का उत्तरदायित्व है। सचिवीय लेखा परीक्षकों के रूप में हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन रिकार्डों पर अपना मत प्रकट करें।
2. लेखा परीक्षा के दौरान हमने सचिवीय रिकार्डों की विषय सूची की शुद्धता के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रियाओं और प्रणालियों का अनुपालन किया है वह हमारी रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
3. कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखाबहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है।
4. जहाँ आवश्यक हो, हमें विधि, नियमावली, विनियम और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधक मंडल का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।
5. निगम और लागू अन्य विधि, नियमावली, विनियमन, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधक मंडल का उत्तरदायित्व है। हमारी परीक्षा हमारी कार्यविधियों का सत्यापन और परीक्षण के आधार पर अनुपालन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा के अनुपालन और निकासी पर मत बनाते समय हमने 31 मार्च 2024 के बाद और रिपोर्ट जारी करने के पहले तक कंपनी द्वारा किए गए अनुपालनों को भी ध्यान में रखा है।
7. हमने कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों पर स्वतंत्र वैध/वृत्तिक मत के आधार पर विधि के अनुसरण में विचार किया है, जहाँ कहीं बहु-व्याख्यानों का विषय-क्षेत्र हो।
8. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यू डी आइ एनः F013379G000994040
(सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र स.: 2148/2022)
संस्था पंजीकरण सं. L2016KE001600
कृते सीज़रपिंटोजॉन & एसोसिएट्स(एलएलपी)
कंपनी सचिव

ह/-
ट्रेसी तुलस्ने सीज़र
भागीदार
स सं. 13379
सी पी सं. 15855
कोच्ची
13.08.2025

एफ ए सी टी की एक निगम सामाजिक दायित्व (सी एस आर) पहल, सामुदायिक फिटनेस केंद्र का उद्घाटन 15.10.2024 को ग्लोबल सैनिक स्कूल, बीदर, कर्नाटक में आयोजित एक समारोह में किया गया।

तेनी में
स्क्वाड कार्यक्रम
(विपणन)

श्री एस शक्तिमणि, निदेशक (वित्त) निगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सरकारी एच एस एस एलूर को स्कूल की आवश्यक वस्तुएँ वितरित करते हुए।

एफ ए सी टी के सी एस आर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

अनुबंध - 5

1. कंपनी की सी एस आर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

एफ ए सी टी का सी एस आर विज़न, कंपनी के संचालन क्षेत्र के आसपास के समुदायों के जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार और टिकाऊ पहलों का समर्थन करना है। एफ ए सी टी, समाज के कमज़ोर वर्गों का समर्थन करने और फ़ैक्टरी क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर ज़ोर देता है। एफ ए सी टी, सामाजिक पूँजी निर्माण कार्यों में मदद करने के लिए समाज के कमज़ोर, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सी एस आर पहलों को लागू करेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन निदेशकों वाली बोर्ड उप-समिति, कंपनी के सी एस आर प्रयासों की देखरेख करती है।

2. सी एस आर समिति का गठन

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशन की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सी एस आर बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग ली सी एस आर बैठकों की संख्या
1.	डॉ के जयचंद्रन	सदस्य/ निदेशक(तकनीकी)	3	3
2.	श्री अनुपम मिश्रा	सदस्य/निदेशक (विपणन)	3	3
3.	डॉ अंजुला मुर्मु (27.03.2025 तक)	अध्यक्षा/ स्वतंत्र निदेशक	3	3

* श्री एम चंद्रन, स्वतंत्र निदेशक को 01.04.2025 से सी एस आर समिति में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया।

3. ऐसे वेब लिंकों को प्रदान करें जहाँ सी एस आर समिति का संयोजन, सी एस आर नीति और सी एस आर परियोजनाएँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित और कंपनी के वेब साइट पर प्रदर्शित है।

   सी एस आर समिति का संयोजन http:/fact.co.in/home/Dinamicpages?Menuld=48

   सी एस आर नीति http:/fact.co.in/images/upload/CSR-POLICY-of-FACT 749.pdf

   सी एस आर समिति परियोजनाएँ http:/fact.co.in/home/Dinamicpages?Menuld=2951

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सी एस आर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब-लिंक के साथ प्रदान करें, यदि लागू हो - **लागू नहीं।**

5. ए) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ - 33423.63 लाख रुपए

   बी) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ को दो प्रतिशत - 668.47 लाख रुपए

   सी) गत वित्तीय वर्ष के सी एस आर परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष - कुछ नहीं

   डी) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित अपेक्षित रकम, अगर है - 543.35 लाख रुपए

   ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सी एस आर बाध्यता (ई) - (बी) + सी)-(डी) - 125.12 लाख रुपए

6. ए) सी एस आर परियोजनाओं पर खर्च की गई रकम (चालू परियोजनाएँ और चालू इतर परियोजनाएँ दोनों) - 125.12 लाख रुपए

   बी) प्रशासनिक शीर्षों पर खर्च की गई रकम - कुछ नहीं

   सी) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई रकम, अगर लागू है - कुछ नहीं

   डी) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल रकम (ए) + (बी) + सी) - 125.12 लाख रुपए

इ. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सी एस आर रकम

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की कुल रकम	अव्ययित रकम				
	अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार दूसरे परंतुक के अनुसार		अधिनियम की धारा 135(5) के सी एस आर अव्ययित रकम में अंतरित कुल रकम अनुसूची VII के विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित रकम		
	रकम	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	रकम	अंतरण की तिथि
125.12 लाख रुपए	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं

एफ. अधिशेष रकम समायोजित, अगर है

क्रम सं.	विवरण	रकम लाख रू
ए	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	668.47
बी	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल रकम	125.12
सी	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अधिक रकम (बी)-(ए)	789.24
डी	गत वित्तीय वर्षों की सी एस आर परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों अथवा कार्यक्रमों से समायोजित अधिशेष	कुछ नहीं
ई)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध रकम समायोजित [(सी) - (डी)]	789.24

* वर्ष के लिए सी एस आर दायित्व को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों में खर्च की गई अतिरिक्त राशि के विरूद्ध 543.35 लाख रुपए की कटौती की गई है।

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित निगम सामाजिक दायित्व का विवरण

क्रम संख्या	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सी एस आर खाते में अंतरित रकम	धारा 135(6) के अधीन मे खर्च की सी एस आर खाते में बाकी रकम	आलोच्य वर्ष में खर्च की गई रकम	दूसरा परंतुक उपधारा 135(5) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट निधि को अंतरित रकम		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च करने के लिए पडी बाकी	कमी, अगर है
					रकम	अंतरण तिथि		
1	2021-22	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	2022-23	385.87	385.87	385.87	कुछ नहीं		297.09	कुछ नहीं
3	2023-24	0	297.09	69.35	कुछ नहीं		227.74	कुछ नहीं

8. वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगम सामाजिक दायित्व द्वारा क्या कोई गत पूँजी परिसंपत्तियों सृजित अथवा खरीदी गई है **जी नहीं**

अगर जी हाँ तो सृजित/अर्जित पूँजी परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें - **लागू नहीं।**

इस प्रकार सृजित अथवा अर्जित पूँजी परिसंपत्तियों का विवरण दें - **लागू नहीं।**

9. कारण विनिर्दिष्ट करें, अगर कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार औसत लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में पराजित हुई - **लागू नहीं।**

(एस सी मुडगेरीकर)
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
डी आइ एन 03498837

(एम चंद्रन)
(अध्यक्ष सी एस आर समिति)
डी आई एन 07817614

स्थान - मुंबई
तारीख - 29.08.2025

निगम अभिशासन पर रिपोर्ट

I अभिशासन संहिता पर दर्शन

आपकी कंपनी का ध्यान हमेशा शेयरधारकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, कर्मचारियों, नियामक निकायों और समग्र समुदाय जैसे सभी हितधारकों के साथ पारदर्शी, निष्पक्ष और नैतिक व्यवहार करके अच्छे आचरण और अभिशासन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहता है। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि दीर्घकालीन कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने और हितधारक मूल्य को बढ़ाने के लिए अच्छा निगम अभिशासन आवश्यक है।

एफ ए सी टी की शासन संरचना में मुख्यतः शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल और बोर्ड की समितियाँ और प्रचालन स्तर पर प्रबंधन संरचना शामिल है। यह संरचना अभिशासन में एक मिश्रण लाती है क्योंकि बोर्ड समग्र कॉर्पोरेट उद्देश्यों को निर्धारित करता है और इन कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन को रणनीतिक मार्गदर्शन और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।

II निदेशक मंडल

(ए) संरचना और श्रेणी

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि		निदेशक पद की प्रकृति /श्रेणी	अन्य बोर्ड में निदेशक पद की संख्या
		से	तक		
1	श्री एस सी मुडगेरीकर (डीआईएन 03498837)	23.02.2024	अब भी जारी है	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यपालक) निदेशक	3
2	श्री अनुपम मिश्रा (डीआईएन 07637439)	14.07.2020	अब भी जारी है	निदेशक (विपणन) पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यपालक) निदेशक	कुछ नहीं
3	श्री एस शक्तिमणि (डीआईएन 07482308)	08.03.2021	अब भी जारी है	निदेशक (वित्त) पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यपालक) निदेशक	कुछ नहीं
4	श्री के जयचंद्रन (डीआईएन 10062573)	03.03.2023	अब भी जारी है	निदेशक (तकनीकी) पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यपालक) निदेशक	1
5	श्री मनोज सेती (डीआईएन 00301439)	14.12.2023	अब भी जारी है	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)	1
6	श्री एम चंद्रन (डीआईएन 07817614)	23.06.2023	अब भी जारी है	स्वतंत्र निदेशक	1
7	डॉ अरुणा कामिनेनी (डीआईएन 09591742)	05.05.2025	अब भी जारी है	स्वतंत्र निदेशक	0
8	श्री बिल्लेश्वर सिंहा (डीआईएन 09393543)	05.05.2025	अब भी जारी है	स्वतंत्र निदेशक	0
9	श्री संतोष कुमार (डीआईएन 112281001)	17.07.2025	अब भी जारी है	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)	0
10	श्री केदा तनाजी अहेर (डीआईएन 07126654)	23.06.2023	29.10.2024	स्वतंत्र निदेशक	0
11	डॉ टीना सोनी (डीआईएन 07720240)	18.02.2025	12.05.2025	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)	0
12	डॉ अंजुला मुर्मु (डीआईएन 09565841)	18.04.2022	27.03.2025	स्वतंत्र निदेशक	1
13	सुश्री अपर्णा एस शर्मा (डीआईएन 07798544)	30.09.2024	18.02.2025	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)	1

(बी) बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

क्रम सं.	निदेशक का नाम	2024-25 में बोर्ड की बैठकें					वार्षिक आम बैठक 2024
		16.05.2024	13.08.2024	08.11.2024	14.02.2025	25.03.2025	27.09.2024
1.	श्री एस सी मुडगेरीकर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	श्री अनुपम मिश्रा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	श्री एस शक्तिमणि	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	डॉ के जयचंद्रन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	श्री मनोज सेठी	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6.	श्री एम चंद्रन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
7.	डॉ अरुणा कामिनेनी*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	श्री बिल्लेश्वर सिंहा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	श्री संतोष कुमार^	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	श्री केदा तनाजी अहेर	हाँ	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ
11.	डॉ टीना सोनी©	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
12.	डॉ अंजुला मुर्मु	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
13.	सुश्री अपर्णा एस शर्मा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	नहीं

बाई-हाँ, एन-नहीं, एनए-लागू नहीं।
* डॉ. अरुणा कामिनेनी को 05.05.2025 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
# श्री बिलेश्वर सिन्हा को 05.05.2025 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
© डॉ. टीना सोनी को 18.02.2025 को अंशकालिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
^ श्री संतोष कुमार को 17.07.2025 को अंशकालिक कार्यकारी निदेशक के रूप मेंनियुक्त किया गया है।

सी) निदेशकता और दूसरी कंपनी में पदों से संबंधित प्रकटन

क्रम सं.	निदेशक का नाम	दूसरी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकता की संख्या		दूसरी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में बोर्ड समिति पदों की संख्या		दूसरी सूचीबद्ध सत्ता के नाम जहाँ आप निदेशक है	सूचीबद्ध सत्ता में निदेशकता की श्रेणी
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य		
1.	श्री एस सी मुडगेरीकर	1	-	-	1	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यपालक) निदेशक
2.	श्री अनुपम मिश्रा	-	-	-	-	-	-
3.	श्री एस शक्तिमणि	-	-	-	-	-	-
4.	डॉ के जयचंद्रन	-	1	-	1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	निदेशक (तकनीकी) निदेशक पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यपालक) निदेशक
5.	श्री मनोज सेती	-	1	-	-	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	अंशकालिक कार्यकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक
6.	श्री एम चंद्रन	-	-	-	-	-	-
7.	डॉ अरुणा कामिनेनी	-	-	-	-	-	-
8.	श्री बिल्लेश्वर सिंहा	-	-	-	-	-	-
9.	श्री संतोष कुमार	-	-	-	-	-	-

नोट - केवल अध्यक्षता अथवा लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समितियों में सदस्यता पर ही विचार किया गया है।

डी) बोर्ड की बैठकों की संख्या और दिनांक जब बैठकों का आयोजन हुआः

आलोच्य वर्ष के दौरान पांच (5) बोर्ड बैठकों का आयोजन हुआ। बैठकों का आयोजन नीचे दिए प्रकार है:

क्रम सं.	बोर्ड बैठक संख्या	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्य की संख्या	उपस्थित निदेशकगण
1.	526	16.05.2024	9	9
2.	527	13.08.2024	9	7
3.	528	08.11.2024	8	8
4.	529	14.02.2025	8	7
5.	530	25.03.2025	8	7

इ) निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरणः कुछ नहीं

(एफ) गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों और परिवर्तनीय लिखतों की संख्याः कुछ नहीं

(जी) स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए परिचितीकरण कार्यक्रम

एफ ए सी टी स्वतंत्र निदेशकों को परिचितीकरण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जानेवाले परिचितीकरण कार्यक्रम का विवरण वेब लिंक http:/fact.co.in/home/Dinamicpages?Menuld=1922 में प्रवेश पर समझ सकता है।

एच) बोर्ड द्वारा पहचाने गए बुनियादी कुशलता/ अनुभव/ निपुणताओं की सूची

एफ ए सी टी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) की अर्थ व्याप्ति में एक सरकारी कंपनी है। बोर्ड के सभी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नामांकित/ नियुक्त किया जाता है।

बोर्ड के सभी सदस्य बुनियादी कुशलताएँ/ विशेषज्ञता रखते हैं और व्यापार के क्षेत्र में अपेक्षित दक्षता रखते हैं।

कंपनी ने निम्नलिखित बुनियादी कुशलताओं/ व्यावहारिक अनुभव/ विशेष ज्ञान / दक्षता कंपनी के व्यापारों के संदर्भ में और प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्य संचालन के लिए पहचानी है। वे कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधानों के अनुरूप है।

1. विपणन, अभियांत्रिकी और अनुसंधान
2. कानून, लेखाकरण, अर्थशास्त्र और निगम अभिशासन
3 कानून, खेती और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
4 पर्यावरण और हरित प्रौद्योगिकी
5 सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम
6 व्यापार प्रबंधन
7 जोखिम प्रबंधन
8 मानव संसाधन और सामान्य प्रशासन
9 कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो बोर्ड की राय में कंपनी के लिए उपयोगी होगा।

कंपनी ने निम्नलिखित कुशलताओं को कारोबार और उद्योग के संबंध में बोर्ड में उपलब्ध है।

निदेशक का नाम	विशेषीकृत कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अनुसूची ए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के दक्षता प्रशासन और प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, लागत निर्धारण, अनुसंधान और विकास और व्यापार प्रबंधन में विशेषज्ञता।
निदेशक (तकनीकी)	उर्वरक और रसायन, अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन और कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था।
निदेशक (वित्त)	उर्वरक और रसायन, वित्त, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, अर्थ व्यवस्था, लागत निर्धारण, जोखिम प्रबंधन और सामान्य प्रशासन।
निदेशक (विपणन)	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विपणन, बिक्री एवं वितरण, लोजिस्टिक्स प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन एवं रणनीति, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, संविदाकारी, परक्रामण, व्यापार और वित्तपोषण
सरकार नामिती निदेशक	सामान्य प्रशासन, वित्त, उर्वरक और रसायन, अर्थ व्यवस्था, कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम
स्वतंत्र निदेशक	विधि /सामान्य प्रशासन /वित्त /मानव संसाधन /कृषि /ग्रामीण अर्थ व्यवस्था /अनुसंधान और विकास /उर्वरक और रसायन और कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था /वित्त /जोखिम प्रबंधन /लागत निर्धारण /व्यापार प्रबंधन और अर्थ व्यवस्था।

बोर्ड ने निम्नलिखित निदेशकों में नीचे दिए कौशल /अनुभव /दक्षताओं की पहचान की है

क्रम सं	निदेशक	कौशल /योग्यता /अनुभव
1	**श्री एस सी मुडगेरीकर**	अनुसूची ए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के दक्ष प्रशासन और प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, लागत निर्धारण, अनुसंधान और विकास और व्यापार प्रबंधन में विशेषज्ञता।
2	**श्री अनुपम मिश्रा**	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विपणन, बिक्री एवं वितरण, लोजिस्टिक्स प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन एव् रणनीति, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, संविदाकारी, परक्रामण, व्यापार और वित्तपोषण
3	**श्री एस शक्तिमणि**	वित्त, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, अर्थ व्यवस्था, लागत निर्धारण और जोखिम प्रबंधन
4	**डॉ जयचंद्रन के**	उर्वरक और रसायन, अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन & कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
5	**श्री मनोज सेती**	सामान्य प्रशासन, वित्त, उर्वरक और रसायन, लागत निर्धारण, कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था & सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम।
6	**श्री संतोष कुमार**	सामान्य प्रशासन, वित्त, उर्वरक और रसायन, लागत निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम।
7	**श्री एम. चंद्रन**	शैक्षिक/ सामान्य प्रशासन / मानव संसाधन।
8	**डॉ अरुणा कामिनेनी**	शैक्षिक/सामान्य प्रशासन/ मानव संसाधन/अनुसंधान और विकास
9	**श्री बिल्लेश्वर सिंहा**	विधिक/ सामान्य प्रशासन / मानव संसाधन।

(आई) स्वतंत्र निदेशकों से पुष्टि

स्वतंत्र निदेशकों ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों तथा सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट https://fact.co.in/ पर उपलब्ध हैं।

(जे.) स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्र

वर्ष के दौरान, 29 अक्टूबर 2024 से; श्री केडा तानाजी अहेर (डीआईएन: 07126654) महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे। उन्होंने पुष्टि की है कि ऊपर बताए गए कारण के अलावा उनके त्यागपत्र का कोई अन्य ठोस कारण नहीं है।

3. बोर्ड समितियाँ

एफ ए सी टी के बोर्ड ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की है।

(i) **लेखा परीक्षा समिति**

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (एल ओ डी आर) विनियम 2015 के विनियम लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगम अभिशासन पर मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया है। निदेशकों के परिवर्तन के कारण कई बार लेखा परीक्षा समिति को पुनर्गठित किया गया है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्तीय अधिकारी आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित होते हैं। तिमाही परिणामों/वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार-विमर्श तथा लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र पर चर्चा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के समय लागत लेखापरीक्षकों को भी आमंत्रित किया जाता है।

संरचना, बैठकें और उपस्थिति

क्रम सं.	लेखा परीक्षा समिति की संरचना	श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति बैठकों की तारीख और सदस्यों की हाजिरी			
			16.05.2024	13.08.2024	08.11.2024	14.02.2025
1	डॉ अंजुला मुर्मु	अध्यक्ष (27.03.2025 तक)	हाँ	हाँ	हा	हाँ
2	डॉ अरुणा कामिनेनी।	सदम्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	डॉ के जयचंद्रन	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	सुश्री अपर्णा एस शर्मा	सदस्य (18.02.2025 तक)	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
5	श्री केदा तनाजी अहेर	सदस्य (29.10.2024 तक)	हाँ	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	श्री एम चंद्रन	अध्यक्ष (01.04.2025 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ

वाई-हाँ, एन-नहीं, एन ए - लागू नहीं।

*डॉ. अरुणा कामिनेनी को 09.05.2025 को लेखा परीक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

#डॉ. जयचंद्रन के. को 04.03.2025 को लेखा परीक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

(ii) **नामांकन और पारिश्रमिक समिति**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) की शर्तों में एफ ए सी टी (सी आई एन : L24129KL1943GOI000371) एक सरकारी कंपनी है। भारत सरकार द्वारा एफ ए सी टी के निदेशक मंडल का नामांकन /नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक नियत करती है। कंपनी अंशकालिक सरकारी निदेशकों का (भारत सरकार नामिती) कोई पारिश्रमिक नहीं दे रही है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठक और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने केलिए 20000/- रुपए उपस्थिति शुल्क दी जाती है।

बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के पारिश्रमिक के संबंध में सरकारी मार्गदर्शनों के अनुसार निदेशक मंडल एवं भारत सरकार के अनुमोदन से नियत किया।

कर्मचारियों/ कामगारों के पारिश्रमिक / मज़दूरी संघों की सहमति के आधार पर बोर्ड/ भारत सरकार के अनुमोदन से अंतिम निर्णय लिया जाता है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका एस ई बी आइ (एल ओ डी आर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डी पी ई मार्गदर्शी सिद्धांतों (निगम अभशासन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए) के अनुसार है।

प्रकार्यात्मक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिए गए हैं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति को कई बार निदेशकों के परिवर्तन के कारण पुनर्गठित किए गए हैं।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचाराधीन विषय कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार है।

संरचना, बैठकें और उपस्थिति

क्रम सं.	नामांकन और पारिश्रमिक की संरचना	श्रेणी	नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक की तारीख और सदस्यों की उपस्थिति	
			06.11.2023	06.11.2023
1	डॉ अंजुला मुर्मु,	अध्यक्षा (27.03.2025 तक)	हा	हाँ
2	श्री एस सी मुडगेरीकर	सदस्य	हाँ	हाँ
3	श्री बिल्लेश्वर सिंहा*	अध्यक्षा	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्री एम चंद्रन	सदस्य (01.04.2025 से)	हाँ	हाँ

वाइ - हाँ, एन - नहीं, एन ए - लागू नहीं।

*श्री बिल्लेश्वर सिन्हा को 09.05.2025 को एन आर सी का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए मूल्यांकन मापदंड

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, एफ.ए.सी.टी. के बोर्ड के सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन केंद्र सरकार के विभाग या मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है। बोर्ड ने 14.02.2025 को आयोजित अपनी 529वीं बैठक में मूल्यांकन मानदंडों को मंजूरी दी, जिसके आधार पर संपूर्ण निदेशक मंडल ने सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन किया।

स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन मानदंडों में बोर्ड/समिति की बैठकों में भागीदारी, संबंध प्रबंधन और आचार संहिता शामिल हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV - स्वतंत्र निदेशक संहिता और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25 (3) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

(iii) **शेयरधारियों / निदेशकों की शिकायत समिति / हितधारकों की संपर्क समिति**

हितधारकों की संपर्क समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 और सेबी (एल ओ डी आर) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित करते हुए शेयरधारियों / निदेशकों की शिकायत समिति / हितधारक संपर्क समिति शेयरधारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए गठित की है।

संरचना, बैठकें और उपस्थिति

क्रम सं.	हितधारक संपर्क समिति का गठन	उच्च	हितधारक संपर्क बैठकों की तारीख और सदस्यों की उपस्थिति
			25.03.2025
1	डॉ अंजुला मुर्मु	अध्यक्ष (27.03.2025 तक)	हाँ
2	श्री अनुपम मिश्रा	सदस्य	हाँ
3	श्री एस शक्तिमणि	सदस्य	हाँ
4	श्री एम चंद्रन	अध्यक्ष (01.04.2025 से)	लागू नहीं

वाई - हाँ, एन - नहीं, एन ए - लागू नहीं।

निवेशकों / शेयरधारियों की शिकायतों का शेयर अंतरण एजेंट अथवा कंपनी द्वारा तत्काल सीधे ध्यान दिया जाता है और दिनांक 31.03.2025 को शेयरधारियों की कोई असली शिकायत ध्यान दिए बिना नहीं रही।

अनुपालन अधिकारी

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पता निम्न प्रकार है:

सूसन एब्रहाम,
कंपनी सचिव
दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
उद्योगमंडल, कोच्ची 683 501, केरला
ई-मेलः investors@factltd.com, फोनः 0484-2567620

वर्ष के दौरान प्राप्त और प्रतितोष की शिकायतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एफ ए सी टी को केवल सात (7) शेयरधारक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से तीन (3) सेबी-स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त हुईं, और सभी का शीध्रता से समाधान किया गया।

अनुपस्थित शिकायतें: वर्ष के दौरान कोई भी शिकायत अनुत्तरित नहीं रही।

लंबित शिकायतें: कोई भी शिकायत निवारण हेतु निलंबित नहीं है।

(iv) **जोखिम प्रबंधन समिति**

विपणन पूँजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध उच्च 500 कंपनियों में एफ ए सी टी एक है। एफ ए सी टी ने एस ई बी आइ(एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अनुसार एक जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका एस ई बी आइ(एल ओ डी आर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार है।

संरचना, बैठकें और उपस्थिति

क्रम सं.	नामांकन और पारिश्रमिक की संरचना	श्रेणी	नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक की तारीख और सदस्यों की उपस्थिति	
			11.10.2024	25.03.2025
1	डॉ अंजुला मुर्मु,	अध्यक्षा (27.03.2025 तक)	हा	हाँ
2	श्री अनुपम मिश्रा	सदस्य	हाँ	हाँ
3	श्री एस शक्तिमणि	सदस्य	हा	हाँ
4	डॉ के जयचंद्रन	सदस्य	हा	हाँ
5	श्री एम चंद्रन	अध्यक्ष (01.04.2025 से)	लागू नहीं	लागू नहीं

वाई - हाँ, एन ए - लागू नहीं।

(v) **निगम सामाजिक दायित्वों पर समिति**

कंपनी के निदेशक मंडल ने निगम सामाजिक दायित्वों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुसार एक समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य है :

संरचना, बैठकें और उपस्थिति

क्रम सं.	निगम सामाजिक दायित्व समिति की संरचना	श्रेणी	निगम सामाजिक दायित्व समिति की बैठकों की तिथि और सदस्यों की उपस्थिति		
			15.05.2024	13.08.2024	25.03.2025
1	डॉ अंजुला मुर्मु	अध्यक्ष (27.03.2025 तक)	हाँ	हाँ	हाँ
2	श्री अनुपम मिश्रा	सदस्य	हाँ	हाँ	हाँ
3	डॉ के जयचंद्रन	सदस्य	हाँ	हाँ	हाँ
4	श्री एम चंद्रन	अध्यक्ष (01.04.2025 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वाई - हाँ, एन ए - लागू नहीं।

4. वरिष्ठ प्रबंधक मंडल

वरिष्ठ प्रबंधक मंडल और उनमें परिवर्तन संबंधी विवरण निम्न प्रकार है

सूचीबद्ध विनियमें, के विनियम 16 (1) (डी) के अनुसार परिवर्तनों समेत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधकों का विवरण।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	कैफियत
1	श्री मणिकुट्टन आर	कार्यपालक निदेशक (उत्पादन समन्वयन)	कुछ नहीं
2	श्री जयराज के बी	मुख्य महाप्रबंधक (फेडो एण्ड फिऊ)	कुछ नहीं
3	श्री दिलीप आर	मुख्य महाप्रबंधक (कोचीन संभाग)	कुछ नहीं
4	श्री सजो के एफ	मुख्य महाप्रबंधक (उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स)	कुछ नहीं
5	श्री अशोक कुमार के ए	महाप्रबंधक (परियोजनाएँ एण्ड निर्माण)फेडो	कुछ नहीं
6.	श्री आशिश ए नायर	महाप्रबंधक(इंजिनीयरिंग) फेडो	कुछ नहीं
7.	श्री जयंतन बी	महाप्रबंधक (सामग्री)	कुछ नहीं
8	श्री बिजु के बी	महाप्रबंधक (प्रचालन) कोचीन संभाग	कुछ नहीं
9.	डॉ बाबु जोस	महाप्रबंधक (प्रचालन) उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स	कुछ नहीं
10	श्री प्रदीपकुमार सी	महाप्रबंधक(वित्त)	कुछ नहीं
11	श्री शिशुपालन के	महाप्रबंधक (प्रशामन)	कुछ नहीं
12	श्रीमती मरिया वर्गीस	महाप्रबंधक(मानव संसाधन)	कुछ नहीं
13	श्री रजी के एस	महाप्रबंधक (कैपेक्स परिजोयनाएँ)	कुछ नहीं
14	श्री जयप्रकाशन यू टी	महाप्रबंधक (तकनीकी) उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स	कुछ नहीं
15	श्री जोय एम ए	महाप्रबंधक(अनुरक्षण) उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स	कुछ नहीं
16	श्री सजित कुमार के	महाप्रबंधक (लोजिस्टिक्स) पोर्ट एवं कोचीन संभाग	कुछ नहीं
17	श्री जीतेंद्र कुमार	महाप्रबंधक (विपणन)उर्वरक	कुछ नहीं
18	श्री सेवियर अलेक्सांडर राजन	महाप्रबंधक(सूचना प्रौद्योगिकी)	कुछ नहीं
19	सुश्री सूसन अब्रहाम	कंपनी सचिव	कुछ नहीं
20	श्री मोहनचंद्रन	मुख्य महाप्रबंधक (कोचीन संभाग)	इस्तीफे कारण 24.01.2025 से सेवानिवृत्त

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

कार्यकारी (कार्यपालक) निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनके पारिश्रमिक और अन्य शर्तें एवं निबंधन सरकार द्वारा नियत किए अनुसार नियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित है। 2024-25 वर्ष के दौरान निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक निम्न प्रकार है:

क्रम सं	निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ता (रुपयों में)	अन्य हितलाभ एवं अनुषंगियाँ (रुपयों में)	निष्पादन से जुडे वित्तीय प्रोत्साहन (रुपयों में)	कुल पारिश्रमिक (रुपयों में)
1.	श्री अनुपम मिश्रा निदेशक (विपणन)	47,89,768.82	-	-	47,89,768.82
2.	श्री एस शक्तिमणि निदेशक (वित्त)	52,62,993.97	-	-	52,62,993.97
3.	डॉ जयचंद्रन के निदेशक (तकनीकी)	49,50,086.42	-	-	49,50,086.42

वर्ष 2024-25 में निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प योजना जारी नहीं था।

अंशकालिक सरकार नामिति निदेशकों को न कोई पारिश्रमिक या उपस्थित होने के लिए कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता। कोई भी सरकार नामिती निदेशक वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के साथ धन संबंध या लेनदेन का काम नहीं किया है।

स्वतंत्र निदेशकों को 20,000 रुपए प्रति बैठक उपस्थिति शुल्क दिया जाता है, जौ बोर्ड की बैठक और बोर्ड की उप-समितियों में उपस्थित होने के लिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिए गए उपस्थिति शुल्क निम्न प्रकार है:

क्रम सं	निदेशक का नाम	उपस्थिति शुल्क (रुपयों में)
1	डॉ अंजुला मुर्मु	3,60,000.00
2	श्री केदा तनाजी अहेर	40,000.00
3	श्री एम चंद्रन	1,00,000.00
	प्रदत्त कुल उपस्थिति शुल्क	**6,00,000.00**

6. आम बैठकें

तारीख, समय और स्थान और पारित गत तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	विशेष संकल्प के ब्यौरे
2021-2022	28.09.2022	11.00 AM	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी)/ अन्य ऑडियो विज़ुअल (ओ ए वी एम) के माध्यम से	कुछ नहीं
2022-2023	29.09.2023	11.00 AM	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी)/ अन्य ऑडियो विज़ुअल (ओ ए वी एम)	1. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर श्री एम चंद्रन की नियुक्ति के माध्यम से 2. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर श्री केदा तनाजी अहर की नियुक्ति
2023-2024	27.09.2024	11.00 AM	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी)/ अन्य ऑडियो विज़ुअल (ओ ए वी एम) के माध्यम से	कुछ नहीं

7. डाक मतपत्र

ए) डाक मतपत्र द्वारा गत वर्ष कोई विशेष संकल्प पारित नहीं।

बी) आज तक कंपनी डाक मतपत्र द्वारा कोई संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

8. संचार का माध्यम

कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम की घोषणा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर की जाती है। कंपनी की तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम जन्मभूमि और बिसिनेस स्टैंडेर्ड समेत समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। । वित्तीय परिणाम को कंपनी के वेबसाइट www.fact.co.in_ में भी दर्ज किया जाता है।

कंपनी का वेबसाइट www.fact.co.in_निवेशकों के लिए अलग अनुभाग प्रदान करता है जहाँ संगत शेयरधारियों की जानकारी उपलब्ध है। वित्तीय परिणाम स्टाक एक्सचेंज को भेजा जाता है, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है।

वर्ष के दैरान संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को कोई प्रस्तुति नहीं हुई थी।

9. सामान्य शेयरधारी सूचना

ए) वार्षिक आम बैठक सेबंधी सूचना

81 वीं वार्षिक आम बैठक	
दिवस	शुक्रवार
तारीख	26.09.2025
समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	वीडियो कोन्फ्रेसिंग (वीसी)/ अन्य ओडियो-विशुअल माध्यम (ओ ए वी एम)

बी) वित्तीय वर्ष : 01 अप्रैल से 31 मार्च तक

बही बंद करने की तारीख	20.09.2025 - 26.09.2025
लाभांश भुगतान तारीख	25.10.2025 (अगर वार्षिक आम बैठक में घोषित है)

सूचीकरण
कंपनी के शेयर नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई में सूचीकृत है। लागू सूचीकरण शुल्क चुकायी गयी है।

स्टॉक कोड	
स्टॉक एक्सचेंज का नाम	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, पाँचवीं मंज़िल, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
स्टॉक कोड	एफ ए सी टी

सी) बाजार भाव

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी का शेयर दाम 1187.00 रू प्रति शेयर तक छुआ। कंपनी का शेयर दाम 1 अप्रैल 2024 को 627.95 रुपए पर खुला और 28 मार्च 2025 को 639.60 तक बंद हुआ, यह नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में हुआ।

महीना	उच्च(ठ)	निम्न (ठ)
अप्रैल 2024	746.00	627.55
मई 2024	747.80	632.05
जून 2024	1187.00	579.80
जुलाई 2024	1078.75	1024.90
अगस्त 2024	1064.15	916.60
सितंबर 2024	1035.00	940.00
अक्तूबर 2024	997.05	785.00
नवंबर 2024	1027.00	800.25
दिसंबर 2024	1084.00	917.15
जनवरी 2025	1021.00	832.00
फरवरी 2025	985.00	683.10
मार्च 2025	694.95	586.00

एन एस ई-निफ्टी की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य का निष्पादन

वर्ष 2024-25 के दौरान एन एस ई-निफ्टी के मुकाबले में कंपनी के शेयर का मासिक अंतिम दाम का सापेक्ष निष्पादन नीचे दिए जाते हैं।

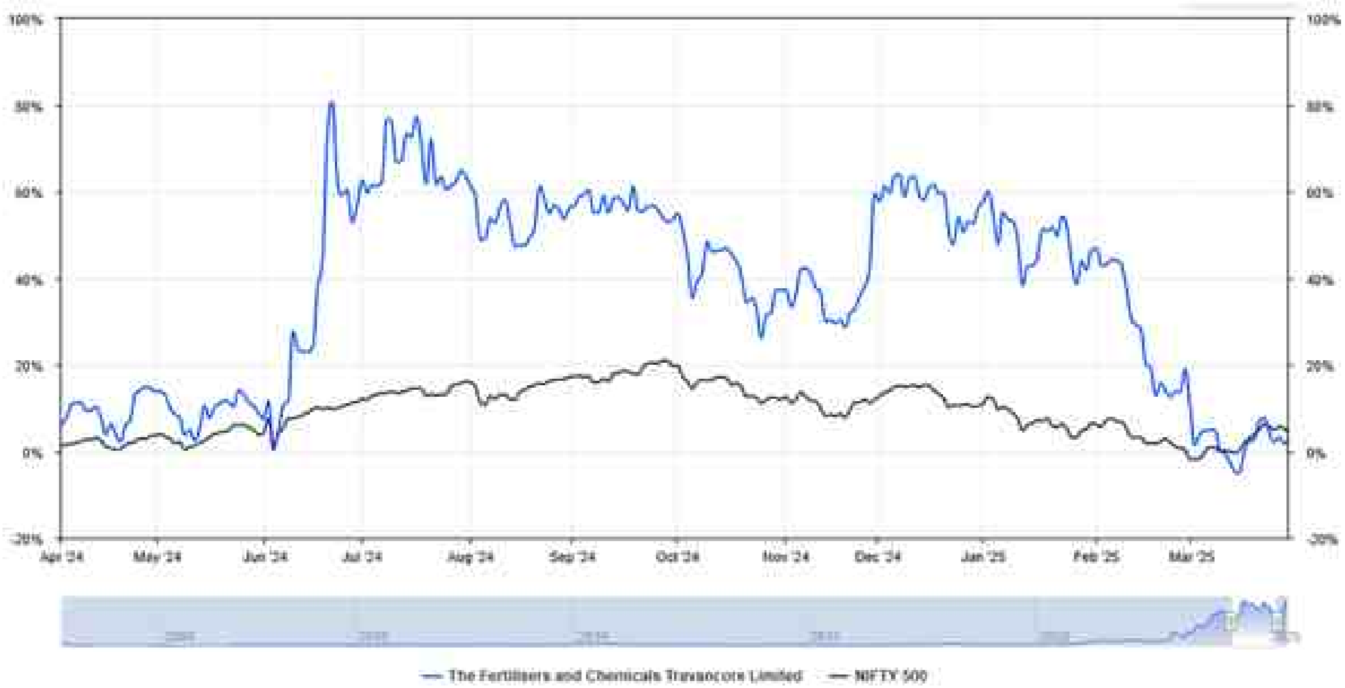

डी) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर टी ए)

पूर्वा रजिस्ट्री (इंडिया) प्राइवट लि
एकक नं.9 , शिव शक्ति इंडस्ट्रियल एस्टेट
जे आर बोरिचा मार्ग, मुंबई 400 011
संपर्क नं. 022 23018261/ 022 49614132
ई-मेल support@purvashare.com

शेयर अंतरण प्रणाली

कंपनी के शेयर जबरदस्त डीमैट सूची में होने के कारण, उसका अंतरण निक्षेपागार प्रणाली द्वारा हो सकता है।

इ) दिनांक 31.03.2025 के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

₹ 10/- के अंकित मूल्य के शेयर धारण	शेयरधारी		₹ रकम
	संख्या	कुल का %	
1-100	77461	89.43	17261660
101-200	4679	5.4	7434460
201 -500	2964	3.42	10116700
501-1000	953	1.1	7462790
1001 - 5000	492	0.58	9926500
5001 - 10000	29	0.03	2147350
10001 - 100000	30	0.03	8384700
100001 से ऊपर	8	0.01	6407985580
कुल	**86616**	**100.00**	**6470719740**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज में एफ ए सी टी शेयर सक्रिय व्यापार में था। 31 मार्च, 2025 के अनुसार विपणन पूँजीकरण के आधार पर एफ ए सी टी 200 सूचीबद्ध उच्च कंपनियों में एक है।

एफ) शेयरों का पुनः कार्यान्वयन और नकदी निधि

दि. 31.3.2025 के अनुसार प्रत्यक्ष और डीमैट खंड में शेयरधारियों की संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है

शेयरधारिता का प्रकार	शेयरधारिता (फोलियो)		शेयरधारिता (%)	
	संख्या	%	संख्या	%
एन एस डी एल में धारिता	19297	22.28	640995416	99.06%
सी डी एस एल में धारिता	62263	71.88	3129383	0.48%
प्रत्यक्ष धारिता	5056	5.84	2947175	0.46%
कुल	**86616**	**100.00**	**647071974**	**100.00**

जी) संयंत्र स्थान

क्रम सं.	क्रियाकलाप	स्थान
1	उर्वरक	उद्योगमंडल & अंबलमेंडु, कोच्ची
2	पेट्रोकेमिकल-केप्रोलाक्टम	उद्योगमंडल, कोच्ची
3	अभियांत्रिकी कार्य	पल्लुरुत्ती, कोच्ची

एच) शेयरधारियों द्वारा पत्राचार के लिए पता

कंपनी सचिव
दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
एलूर, उद्योगमंडल 63 501, कोच्ची, केरल
ई-मेल - investors@factltd.com, Ph:0484-2567620

आई) उधार दर

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड ने कंपनी की बैंक सुविधाओं पर निम्नानुसार रेटिंग दी है:

उपकरण	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
दीर्घकालीन बैंक ऋण	एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड	एक्यूइट ए	स्थिर
अल्पकालीन बैंक ऋण	एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड	एक्यूइट ए	-

जे) बकाया जी डी आर/ ए डी आर/अधिपत्र अथवा किसी परिवर्तनीय सामग्री की परिवर्तन तिथि और साम्या में उसका प्रभाव

कंपनी ने जी डी आर/ एडी आर / अधिपत्र अथवा परिवर्तनाधीन सामग्री जारी नहीं की है और इसलिए साम्या पर इसका प्रभाव नहीं पडेगा।

10. अन्य प्रकटन

ए) 2024-25 वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी तात्विक महत्व संबंधी पार्टी लेनदेन में नहीं प्रविष्ट है जिसका कंपनी केबेरोकटोक हित में संभाव्य संघर्ष हो सकता है।

कंपनी के संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रवंश वेब लिंक https://fact/co.in/home/Dynamicpages?Menuld=46 से कर सकता है।

बी) कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज/ एस ई बी आइ / अन्य सांविधिक प्राधिकारियों की सूचीबद्ध करार और मार्गदर्शनों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। नीचे दिए गए (सी) यथा प्रस्तावित इसका अपवाद है।

सी) वर्ष 2024-25 के दौरान, दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 21,59,400 रुपए की शास्ति आरोपित की है, जो एस ई बी आइ (एल ओ डी आर) विनियम 2015 के 17(1), 18(1) और 19(1) के अननुपालन के लिए है और यह बोर्ड की संरचना और वोर्ड की उप-समितियों के गठन से संबंधित है। चूँकि निदेशक मंडल के निदेशकों को भारत सरकार नामांकित करते हैं और बोर्ड का गठन कंपनी के नियंत्रण के परे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि इस शास्ति को अधिव्यक्त करें।

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसी अननुपालन के लिए 27,95,420 रुपए और 23,47,020 रुपए का जुर्माना आरोपित किए हैं।

एक बार भारत सरकार एफ ए सी टी के स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति अधिसूचित करती है तब कंपनी बोर्ड के गठन संबंधी एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम 2015 का अनुपालन कर सकेगी।

डी) कंपनी ने एस ई बी आइ (एल ओ डी आर) विनियम 2015 की शर्तों के अनुसार एक सतर्कता तंत्र को गठित किया है। यब नीति कंपनी के वेब साइट https://fact/co.in/home/Dynamicpages?Menuld=45 पर उपलब्ध है। किसी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति में प्रवेश को मना किया है।

इ) कंपनी को कोई समनुषंगी नहीं है। इसलिए उसे तात्विक समनुषंगी का निर्णय लेने की नीति नहीं है।

एफ) कंपनी को कोई वाणिज्य दाम जोखिम नहीं है और वह कमोडिटी हेजिंग गतिविधियाँ में शामिल नहीं है।

जी) कंपनी ने अधिमानी आबंटन अथवा पात्रता वाली संस्था व्यवसाय के जरिए कोई निधि नहीं इकट्ठा की है।

एच) बोर्ड की उप समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार किया है।

आइ) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क और व्ययों के ब्यौरे वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों के अनुसार नीचे दिए गए हैं। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एफ ए सी टी के संयुक्त उद्यम/ सह कंपनी को कोई सेवा प्रदान नहीं की है।

क्रम सं.	ब्यौरे	रकम (लाखों में)
1	सांविधिक लेखा परीक्षा	13.40
2	अन्य सेवाओं के लिए	8.64
3	व्यय के लिए	3.12
	कुल	**25.16**

(जे) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक पीडा (निवारण, संरक्षण और प्रतितोष अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक पीडा (निवारण, संरक्षण और प्रतितोष) अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार एक नीति को रूपांकित किया है। एक आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) की स्थापना की गई है कि लैंगिक पीडा संबंधी शिकायतों का प्रतितोष कर सके।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई लैंगिक पीडा शिकायतों का संक्षेप नीचे दिए गए हैं।

वत्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	:	1
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	:	1
वित्तीय वर्ष के अंत तक निलंबित शिकायतों की संख्या	:	0

के) फर्मों को / कंपनियों को उधार के रूप में अग्रिम नहीं है जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं।

एल) कंपनी के लिए कोई तात्विक सहायिकी नहीं है।

एम) सेवारत कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र

मेसर्स सीसर पिन्टोजोन एण्ड असोसिएट्स, कंपनी सचिव, कोच्ची से इस बाद की पुष्टि में प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है कि कंपनी के बोर्ड को निदेशकों में से किसी को सेबी, निगम कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियम 34(3) के अंतर्गत यथा नियत कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त करने या उस पद पर जारी रहने से विवर्जित या अयोग्य नहीं बताया गया है, जिसकी प्रति रिपोर्ट के अनुबंध बी में संलग्न है।

11. उपर्युक्त उप खंड (2) से (10) तक निगम अभिशासन रिपोर्ट की किसी भी अपेक्षा का अनुपालन नहीं है।

12. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची II के भाग ई के अंतर्गत प्रदान की गई किसी भी विवेकाधीन आवश्यकता को नहीं अपनाया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

13. विनियम 46 के उप-विनियम के खंड (बी) से (आई) तक और विनियम 17 से 27 तक विनिर्दिष्ट निगम अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन संबंधी प्रकटन

निगम नियमावली कानून और विनियमों समेत सभी लागू कानूनों का अनुपालन करने की स्थिति का विस्तृत विवरण अर्धवार्षिक आधार पर बोर्ड के समक्ष उनकी जानकारी एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है। कंपनी ने सिबी सूचीबद्ध विनियम के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) तक और विनियम 17 से 27 तक में यथाविनिर्दिष्ट निगम अभिशासन के संकेत की अधिदेशी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2013 के विनियम 34(3) और अनुसूची वी (ई) के अनुसरण में सेवारत कंपनी सचिव से इस संबंध में एक प्रमाणपत्र अनुबंध क में संलग्न है।

14) वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

दिनांक फरवरी 8, 2019 की सेबी परिपत्र सं. सी आई आर / सी एफ डी /सी एम डी 1/27/2019 के अनुसरण में कंपनी को मेसर्स सीसर पिन्टोजोण एण्ड असोसियेट्स, कंपनी सचिव, कोची से एक वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट इस बात की पुष्टि में प्राप्त हुई है कि सेबी विनियम / परिपत्र / उसके अधीन जारी मार्गदर्शी सिद्धांत आदि कंपनी पर लागू है। उनकी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि कंपनी सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 17(1), 18(1),19(1), 20 (2ए), 21(2) और 33(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।

कंपनी वर्तमान में सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(1), 19(1), 20(2ए) और 21(2) का अनुपालन कर रही है और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने पर विनियम 17(1) का अनुपालन करेगी।

15. डी पी ई द्वारा जारी किए गए निगम अभिशासन अपेक्षाओं और मार्गदर्शनों का अनुपालनः

कंपनी डी पी ई द्वारा जारी निगम अभिशासन पर निगम अभिशासन अपेक्षाओं और मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुपालन के लिए परम अग्रता दे रही है। कंपनी ने एफ ए सी टी पर लागू डी पी इ द्वारा जारी निगम अभिशासन पर मार्गदर्शी सिद्धातों का और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 से 27 तक और विनियम 46 में यथाविनिर्दिष्ट निगम अभिशासन का पूरा अनुपालन किया जाता है।

(एस सी मुडगेरीकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

स्थान : मुंबई
दिनांक 29.08.2025

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **श्री एस. सी. मुडगेरिकर** सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन करते हुए।

निदेशक (विपणन) **श्री अनुपम मिश्रा** विश्व ध्यान दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए।

स्वच्छता - विशेष अभियान 4.0

निदेशक (विपणन) **श्री अनुपम मिश्रा** समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए) के अध्यक्ष श्री डी. वी. स्वामी का स्वागत करते हुए।

सी एफ ओ / सी इ ओ का प्रमाणीकरण

हम प्रमाणित करते हैं कि:

(क) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और नकदी प्राप्ति विवरण की समीक्षा की है:

I. इन विवरणों में कोई ठोस असत्य विवरण या कोई ठोस चूक अथवा कोई विवरण जो गुमराह करने वाली सूचना इसमें निहित नहीं है;

ii. इन विवरणों में कंपनी कार्य के सच्चे एवं स्पष्ट दृष्टि दोनों साथ प्रस्तुत है जो मौजूदा लेखाकरण मानक, लागू विधि एवं विनियमों के अनुपालन में है:

(ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लेन-देन में प्रविष्टि नहीं की गई है, जो कपट, अवध अथवा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन है।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करने दायित्व को स्वीकार करते हैं और यह कि वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध सत्ता के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता का हमने मूल्यांकन किया है और उन्हें लेखा परीक्षकों को और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता का हमने मूल्यांकन किया है और उन्हें लेखा परीक्षकों को और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के रूपांकन और कमियों के बारे में बताया है, अगर कोई है, जिसके बारे में हम ज्ञात हैं और इन कमियों को सुधारने के लिए हमने कदम उठाए हैं अथवा उठाना प्रस्तावित है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है:

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;

ii. वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसे वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में बताया गया है।

iii. महत्वपूर्ण धोखाधडी के मामले जिनके बारे में हमें पता चाला है और उनमें रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रयम प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी की भागीदारी, अगर कोई हो।

(एस. शक्तिमणि)	**(एस सी मुडगेरीकर)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
डी आइ एन: 07482308	**डी आइ एन: 03498837**

व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र के अनुपालन की घोषणा

एफ ए सी टी के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों ने कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों पर लागू आचरण संहिता एवं नीतिशास्त्र के प्रावधानों का अनुपालन किया है।.

एफ ए सी टी से संबंधित सूचना कंपनी के वेब साइट www.fact.co.in में दी गई हैं।

स्थान: मुंबई	**(एस सी मुडगेरीकर)**
दिनांक : 29.08.2025	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
	डी आइ एन: 03498837

सीसरपिंटोजोण एण्ड असोसिएट्स

पंजी कार्यालय एफ4, प्रथम तल, एलस्पेस, लोजिक स्कोयर, वी आई पी रोड, जे एल एन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास, कलूर, एरणाकुलम, केरला 682 017
फोनः + 91 9497274805, + 91 9846949009, ई-मेल : caesarpintojohn@gmail.com, www.cpjcompanysecretaries.com

निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाण-पत्र

अनुबंध 1

(एस ई बी आई के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में)
(सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015)

सेवा में
सदस्यों को
दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
एलूर, पी ओ उद्योगमंडल, आलुवा, एरणाकुलम,
केरल - 683501

हमने संगत रजिस्टरों, अभिलेखों, फर्मों, विवरणियों और प्रकटनों का, जो दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के निदेशकों से (सी आइ एन L24129KL1943GOI000371 वाला) और जिनका पंजीकृत कार्यालय एलूर, पी ओ उद्योगमंडल, आलुवा, एरणाकुलम, केरल - 683 501 में है (इसके बाद 'दि कंपनी' के रूप में संदर्भित है) हमारे समक्ष कंपनी द्वारा प्रस्तुत इनकी परीक्षा की है, जो प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसूची ज पैरा सी उप खंड 10(त) को विनियम 34(3) को पढने के अनुसार अपेक्षित है। .

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए अनुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डी आई एन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	श्री श्रीनिवास चन्द्रशेखर मुडगेरीकर	03498837	23-02-2024
2	श्री मुनिरथिनम चंद्रन	07817614	23-06-2023
3	श्री मनोज सेठी	00301439	14-12-2023
4	श्री कृष्णनन्नी जयचंद्रन	10062573	03-03-2023
5	श्री अनुपम मिश्रा	07637439	14-07-2020
6	श्री शक्तिमणि शेषमणि	07482308	08-03-2021
7	सुश्री टीना सोनीट्ट	07720240	18-02-2025
8	श्री केडा ताना जी अहेर #	07126654	23-06-2023
9	सुश्री अपर्णा सचिन शर्मा @	07798544	30-09-2020
10	सुश्री अंजुला मुर्मू	09565841	18-04-2022

^ 12-05-2025 को समाप्त #29-10-2024 को समाप्त
@18-02-2025 को समाप्त *28-03-2025 को समाप्त

बोर्ड के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

यू डी आइ एनः F013379G000993921
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र स.: 2148/2022
संस्था पंजीकरण सं. L2016KE001600
कृते ते सीज़रपिंटोजॉन & एसोसिएट्स (एलएलपी)
कंपनी सचिव
ह/-
ट्रेसी तुलस्ने सीज़र
भागीदार
स सं. 13379
सी पी सं. 15855
कोच्ची
13.08.2025

प्रबंधक मंडल परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और विकास

उउर्वरक उद्योग कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते, भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े उर्वरक बाजारों में से एक है। यह क्षेत्र सरकारी नीतियों और सहायिकी ढाँचों से गहराई से प्रभावित होता है, जो इसके संचालन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में सबसे तेज़ी से बढ़ते प्रमुख उद्योगों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, भारतीय उर्वरक क्षेत्र तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और सीमित कृषि योग्य भूमि की बाधाओं के कारण बढ़ती खाद्य माँग से प्रेरित है।

उर्वरक उद्योग भारत की हरित क्रांति की सफलता और उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता की उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में उर्वरक की खपत लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने का अनुमान है। उम्मीद है कि उर्वरक औसत कृषि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। हालाँकि, भारत में उर्वरक उपयोग की तीव्रता और प्रति इकाई कृषि क्षेत्र की उपज, दोनों ही कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, देश में उर्वरक उपयोग का पैटर्न असंतुलित बना हुआ है।

कृषि भूमि की घटती उर्वरता और खाद्यान्नों की बढ़ती माँग ने भारत में उर्वरक उद्योग के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय लागू कर रही है। वर्तमान में, पोटाश की पूरी आवश्यकता आयात से पूरी होती है, और देश अन्य उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल और हाइड्रोकार्बन पर बहुत अधिक निर्भर है।

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और उर्वरक आदानों की उपलब्धता में भारी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, देश घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाकर और अधिक प्रभावी एवं नवीन उत्पाद पेश करके आयात पर निर्भरता कम करने के उपायों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

पिछले एक साल में, कच्चे माल की कीमतों और उपलब्धता में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसका मुख्य कारण भू-राजनीतिक तनाव था। इसके जवाब में, भारत सरकार ने उर्वरकों और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय पर कदम उठाए। उत्साहजनक रूप से, कच्चे माल और गैस की कीमतें धीरे-धीरे स्थिर हो रही हैं।

उर्वरक भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आदान बने हुए हैं, जो बढ़ती आबादी की खाद्यान्न माँगों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। हालाँकि, उर्वरक संयंत्रों का पूर्ण क्षमता पर संचालन बनाए रखना और आदानों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना उद्योग के लिए प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल भारतीय उर्वरक क्षेत्र की परिचालन गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है।

कंपनी के बारे में

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) की स्थापना 1943 में हुई थी। 1947 में एफ ए सी टी ने कोच्ची के पास उद्योगमंडल में 10,000 मी ट प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ अमोनियम सल्फेट का उत्पादन प्रारंभ किया। वर्ष 1960 में, एफ ए सी टी केरल राज्य के सार्वजनिक उपक्रम बन गया और 15 अगस्त, 1962 को भारत सरकार इसका मुख्य शेयरधारी बन गया।

विनम्र शुरुआत से, एफ ए सी टी एक बहु-संभागीय/ बहुप्रकार्यात्मक संगठन बन गया, जिसकी बुनियादी रुचि उर्वरकों और पेट्रोकेमिकलों का उत्पादन और विपणन, अभियांत्रिकी परामर्शी सेवा और अभिकल्प एवं विरचना और औद्योगिक उपस्करों के निर्माण में थी।

एफ ए सी टी संयंत्रों की संस्थापित क्षमता निम्न प्रकार है

एफ ए सी टी संयंत्रों की संस्थापित क्षमता निम्न प्रकार है

उत्पाद	संस्थापित क्षमता
क. फेक्टमफोस (एन पी 20:20:0:13)	633,500 मी ट प्रति वर्ष
ख. अमोनियम सल्फेट	225,000 मी ट प्रति वर्ष
ग. केप्रोलेक्टम	50,000 मी ट प्रति वर्ष

एफ ए सी टी का मिशन उर्वरकों और पेट्रोकेमिकलों और अन्य कारोबारों में जैसे अभियांत्रिकी और तकनीकी सेवाओं में एक सार्थक खिलाड़ी बनना था।.

एफ ए सी टी के लक्ष्य ये हैं:

क. समुचित और संगत विकास प्राप्त करने के अलावा उर्वरकों और केप्रोलेक्टम तथा अन्य उत्पादों का उत्पादन और विपणन सक्षम और किफायती तौर पर करना।

ख . निवेश पर समुचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों और स्रोतों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करना।

ग . व्यापार के क्षेत्र में प्रतियोगी बनने के लिए लागत कटौती और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देना।

घ. उपभोक्ता अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार नवीन उत्पादों और सेवाओं का नवीन और विकास क्षेत्रों को लाना।

ड. नए व्यापार क्षेत्रों में निवेश करना जहाँ दीर्घावधि आधार पर लगातार लाभ प्राप्त कर सके।

च. किसान समुदाय को तकनीकी प्रशिक्षण, मृदा परीक्षण और अन्य उत्पादकता सुधार सेवा पर प्रशिक्षण का आयोजन करके खेती-सुधार करना।

एस डब्ल्यू ओ टी

ताकत

- सम्मिश्र उर्वरक खंड में प्रमुख उत्पाद, फेक्टमफोस एन पी **20:20:0:13** सर्वाधिक अधिमान्य सम्मिश्र उर्वरक जो सल्फर सम्मिलित है और दक्षिण भारत के बाजारों की स्थिति है।
- एफ ए सी टी को दक्षिण भारत में विस्तृत विपणन नेटवर्क है। एफ ए सी टी के उत्पादों का वितरण 5500 डीलरों से युक्त डीलर नेटवर्क द्वारा होता है।
- प्रचालनात्मकता और संयंत्रों की उच्च क्षमता का उपयोग। एफ ए सी टी संयंत्र संस्थापित क्षमता के 120 प्रतिशत से 130 प्रतिशत तक प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं।
- कंपनी के पास भूमि संसाधन अतिरिक्त राजस्व अर्जित करेने के लिए है।
- पेट्रोनेट एल एन जी ने पुनः गैसीकरण/ प्राकृतिक गैस के संग्रह की सुविधा की स्थापना कोच्ची में की है। एफ ए सी टी के संयंत्र पुनःगैसीकृत प्राकृतिक गैस के दूर विक्षेपण के लिए गेइल के पाइपलाइनों से जोडे गए हैं।

कमजोरी

- कंपनी में प्रचालनाधीन उर्वरक संयंत्र अब काफी पुराने हो गए हैं।
- कंपनी की उत्पादन सुविधाएँ प्रमुख उपोभोक्ता क्षेत्रों से दूर स्थित है।
- कंपनी आयातों पर बहुत निर्भर है।

अवसर

- उर्वरक खंडः फेक्टमफोस एनपी 20:20:0:13 दक्षिण भारतीय बाजार में सल्फर युक्त सबसे पसंदीदा जटिल उर्वरक है।
- एफ ए सी टी का दक्षिण भारत में व्यापक बाजार नेटवर्क है। एफ ए सी टी के उत्पादों का विपणन लगभग 5500 डीलरों के डीलर नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है।
- पर्याप्त बुनियादी ढाँचा सुविधाएँः एफ ए सी टी के पास कच्चे माल के आयात के लिए समर्पित बर्थ और सड़क एवं जलमार्गों के माध्यम से बजरों में उर्वरक इनपुट की आवाजाही की सुविधा जैसी बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ हैं।
- विस्तार और विविधीकरण की संभावनाएँः एफ ए सी टी के पास अन्य राज्यों में अपनी गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएँ हैं।
- कंपनी अन्य ग्रेड के उर्वरकों के निर्माण के लिए विविधीकरण कर सकती है।
- कंपनी विभिन्न रसायनों के विनिर्माण और व्यापार में भी प्रवेश कर सकती है।

धमकियाँ

- कच्चे मालों के दामों में चंचलताः कंपनी को कच्चे मालों के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सभी प्रमुख उर्वरक निवेशों को आयातित किया जाता है और उनके दाम अत्यधिक चंचल है।
- भारत सरकार के उधार पर उच्च ब्याजः लिए गए उधार पर भारत सरकार द्वारा 13.5 प्रतिशत ब्याज प्रभारित है। इस संबंध में देयता प्रति वर्ष करीब 240 करोड रुपए है। यह कंपनी की लाभप्रदत्ता को प्रभावित करेगा।
- विनिमय दर चंचलताः कंपनी उर्वरक निवेशों के लिए आयात पर निर्भर है। विनिमय दर चंचलता कंपनी की लाभप्रदत्ता के लिए एक गंभीर घमकी है।
- उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चे माल की पूर्ति आंशिक रूप से निजी उत्पादन और आयात से होती है। कच्चे माल की उपलब्धता, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है, हाल के वर्षों में उत्पादन को इष्टतम स्तर पर बनाए रखने का एक प्रमुख कारक है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, बाहरी स्रोतों से फॉस्फोरिक एसिड की उपलब्धता में कमी ने एफ ए सी टी लिमिटेड के फॉस्फेटिक उर्वरक उत्पादन को प्रभावित किया है।
- उत्पाद की मांग की मौसमी प्रकृतिः उर्वरक उपयोग मौसम के अनुसार है और क्षेत्र में वर्षा पर निर्भर करती है।

2024-25 के दौरान परिचालन निष्पादन - खंडवार / उत्पादवार

क. उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्सः

उर्वरक इकाईः उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स ने 141428 मी ट फैक्टामफोस (एनपी 20:20:0:13) का उत्पादन किया, जो स्थापित क्षमता का 95% और मंत्रालय के लक्ष्य का 64% है। अमोनियम सल्फेट का उत्पादन 250578 मी ट रहा, जो स्थापित क्षमता का 111% और मंत्रालय के लक्ष्य का 96% है। यह पिछले वर्ष क्रमशः 221267 मी ट और 242577 मी ट उत्पादन है।

2024-25 के दौरान पोषक तत्वों के अनुसार उत्पादन 97560 मी ट के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के मुकाबले 79905 मी ट पोषक नाइट्रोजन का और 44000 मी ट के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के मुकाबले 28286 मीट P_2O_5 का रहा।

पेट्रोकेमिकल इकाईः संयंत्र बंद होने के कारण केप्रालेक्टम और संबद्ध उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थे। वर्ष के दौरान 996.5 मीट बिक्री के लिए उपलब्ध था।

ख. कोचीन संभागः

कोचीन संभाग ने पोषक नाइट्रोजन और पोषक P_2O_5 प्रत्येक का 100668 मीट उत्पादन किया, जो स्थापित क्षमता का 103.78% और आंतरिक लक्ष्य का 78.65% है। पिछले वर्ष पोषक नाइट्रोजन और P_2O_5 का उत्पादन 121290 मीट था।

इस संभाग ने वर्ष 2023-24 में 226060 मी ट सल्फ्यूरिक एसिड और 58535 मीट फॉस्फोरिक एसिड की तुलना में 252640 मी ट सल्फ्यूरिक एसिड और 43066 मी ट फॉस्फोरिक एसिड का भी उत्पादन किया।

सी. विपणन संभागः

सभी उत्पादों की कुल बिक्री 11.63 लाख मी ट दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष यह 11.76 लाख मी ट थी।

अमोनियम सल्फेट की बिक्री 2,66,683 मी ट रही, जो पिछले वर्ष के 2,22,349 मी ट से 20% अधिक है। इसी प्रकार, एमओपी की बिक्री पिछले वर्ष के 22,884 मी ट से बढ़कर 82,949 मीट्रिक टन हो गई, जो 247% की वृद्धि को दर्शाता है।

परिणामस्वरूप, विपणन संभाग ने अमोनियम सल्फेट और जैविक उर्वरकों, दोनों में अपनी अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की। संभाग ने जैविक उर्वरकों की भी सर्वकालिक उच्च बिक्री दर्ज की, जो 20,734 मी ट तक पहुँच गई, जिसमें फेक्ट-एफ ओ एम, फेक्ट-पी डी एम, और फेक्ट-पी आर ओ एम जैसे पी एम- पी आर ए एन ए एस उत्पाद शामिल हैं।

विपणन संभाग ने अपने वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ और विस्तारित करना जारी रखा है। 2024-25 के दौरान, मध्य प्रदेश को परिचालन क्षेत्र में जोड़ा गया, जिससे राज्य को कुल 25,000 मी ट एनपीके 20:20:00:13 (फेक्टमफोस) की आपूर्ति हुई।

एफ ए सी टी दक्षिण भारत में एन पी के 20:20:0:13 की बिक्री में 30% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी बनाए हुए है, जिसे केरल,

तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डीलर समुदाय द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है।

विपणन संभाग वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 11.75 लाख मी ट स्वदेशी उत्पादों, 3 लाख मी ट आयातित उत्पादों और 43,000 मी ट व्यापारिक उत्पादों के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आशान्वित है।

डी. फेक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ऑर्गनाइज़ेशन (फेडो)

एफ ए सी टी की आंतरिक परियोजनाओं के अलावा, फेडो ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों की खोज और अपने बाहरी ग्राहकों के प्रमुख कार्यों के निष्पादन पर केंद्रित है। डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निरीक्षण के साथ-साथ परियोजनाओं और निर्माण के क्षेत्र में निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फेडो ने तेल एवं गैस, उर्वरक, रसायन, खनिज एवं धातु आदि क्षेत्रों में एच पी सी एल, के एम एम एल, एच यू आर एल, आर आई एल, एन जी आई एल, बी एच ई एल, ओ आई एल आदि जैसे कई भारतीय ग्राहकों से ई-टेंडर/पूछताछ में सक्रिय रूप से भाग लिया।

फेडो को वर्ष के दौरान 510.38 लाख रूपये मूल्य के नए बाहरी ऑर्डर प्राप्त हुए और पिछले वर्ष के 18.65 करोड़ रूपये की तुलना में 20.07 करोड़ रूपये का कारोबार हुआ।

फेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स (एफ ई डब्ल्यू):

फिऊ को पिछले वर्ष के 67.31 लाख रूपये के मुकाबले 151.6 लाख रूपये के बाहरी आदेश मिले। इस वर्ष आदेश का कुल मूल्य 1053.6 लाख रूपये है, जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 की तुलना में 127.4% की वृद्धि दर्शाता है।

फिऊ के पास कई आस-पास के उद्योगों से संभावित परियोजनाएँ हैं। अपने बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाते हुए, फिऊ इन उद्योगों के लिए शॉप निर्माण कार्य और परियोजना-आधारित अनुबंध लेता है।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

वर्ष 2025-26 के दौरान भी उत्कृष्ट उत्पादन और विपणन निष्पादन जारी रखने की प्रतीक्षा रखती है। इस वर्ष कंपनी उर्वरक व्यापार कार्यकलापों को बढाने की योजना कर रही है।कंपनी इस वर्ष उर्वरक व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने की भी योजना बना रही है, जिसके लिए डी ए पी और टी एस पी की आपूर्ति के लिए ओ सी पी न्यूट्रीक्रॉप्स, मोरक्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत सरकार के उधार का एक भाग साम्या में परिवर्तित करने, भारत सरकार के उधार पर ब्याज को बट्टे खाते में डालने और शेष भारत सरकार के ऋण के पुनर्गठन हेतु वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज भारत सरकार को अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन है। कंपनी को इसके शीघ्र कार्यान्वयन की उम्मीद है।

कंपनी ने 'मिनी रत्न' का दर्जा प्रदान करने के लिए उर्वरक विभाग को अपना अनुरोध प्रस्तुत किया है और प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

कंपनी की पूंजीगत व्यय परियोजनाएँ योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। 1650 टन प्रतिदिन क्षमता वाले एन पी संयंत्र की स्थापना और पूंजीगत व्यय के कार्यान्वयन से कंपनी का उर्वरक उत्पादन 10 लाख मी ट से बढ़कर 15 लाख मी ट हो सकता है और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के उर्वरक उत्पादों के बेहतर व्यापारिक परिमाण के कारण, कंपनी के कारोबार और लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मध्यवर्ती पदार्थों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया के लिए तटीय टैंकों की भंडारण क्षमता बढ़ाने और बेहतर सी ओ2 उपयोग के लिए एक नए यूरिया संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

जोखिम और सरोकार

उर्वरक व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं आदि से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों से ग्रस्त है, जिसका वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और मार्जिन पर असर पड़ सकता है। साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दे जैसे सूचना का उल्लंघन, अनधिकृत पहुँच, संवेदनशील या गोपनीय जानकारी का नुकसान आदि भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और उनकी अपर्याप्तता

एफ ए सी टी के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो उसके संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप है। कंपनी सचिव की अध्यक्षता में एफ ए सी टी का आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग, कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता और पर्याप्तता की निगरानी और मूल्यांकन करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ-साथ उन पर सुधारात्मक कार्रवाई बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा की सिफारिश के आधार पर, कार्यात्मक प्रमुख अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं, जिससे आंतरिक नियंत्रण मजबूत होता है।

कंपनी का निष्पादन

वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने 4050.91 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और 41.23 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, बोर्ड ने 10/- रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक साम्या शेयर पर 0.39/- (उनतीस पैसे) का लाभांश देने की सिफारिश की है।

विवरण	**2024-25**
निवल बिक्री	**4050.91**
अन्य आय	**216.45**
कुल राजस्व	**4267.36**
कुल व्यय	**4238.23**
अपवादी मदों और कर पूर्व लाभ	**29.13**
अपवादी मदें	**24.61**
कर पूर्व कमाई	**53.74**
ब्याज	**245.54**
मूल्यह्रास	**36.62**
आस्थगित कर	**12.51**
वर्ष के लिए लाभ	**41.23**
अन्य ब्रहत् आय	**34.40**
कुल ब्रहत् आय	**75.63**

प्रचालन निष्पादन

उत्पादन के क्षेत्र पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फेक्टमफोस का उत्पादन 6.44 लाख मी ट और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन 2.5 लाख मी ट था

औद्योगिक संबंध / मानव संसाधन में महत्वपूर्ण विकास

1. औधोगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कंपनी के सभी संभागों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए। प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों व अधिकारी संघों के बीच विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चाएँ होती रहीं। औद्योगिक संबंधों से संबंधित किसी भी मुद्दे के कारण उत्पादकता में कोई कमी नहीं आई।

2. मानव संसाधन

कंपनी मानव संसाधन को एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मानती है और उत्पादन और वर्ष के दौरान उच्च स्तर के उत्पादन और बिक्री की उपलब्धि में इन क्षेत्रों के अनेक रिकार्डों का भी संयोजन है। वर्ष के दौरान 32 कर्मचारियों ने कंपनी की स्थाई नियमावली में भर्ती की। दि. 31.03.2025 के अनुसार स्थाई नामावली में 1518 कर्मचारी थे।

कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने, कार्य-निष्पादन में सुधार लाने और संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कर्मचारियों को एफ ए सी टी प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। नए कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद उन्हें संभागों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया गया। वेब आधारित शिक्षण प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिसे आंतरिक रूप से विकसित और कार्यान्वित किया गया है, जिसके माध्यम से इंट्रानेट उपयोगकर्ता, कार्यालय में रहते हुए, विभिन्न विषयों पर शिक्षण मॉड्यूल तक पहुँच सकते हैं।

कंपनी के पास कर्मचारियों की शिकायतों और चिंताओं के निवारण और एक सकारात्मक कार्य वातावरण के निर्माण के लिए एक सुव्यवस्थित और प्रभावी कर्मचारी शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। यह शिकायतों के निपटान के लिए एक सुगम तंत्र प्रदान करती है, जिससे सभी कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित होता है और कर्मचारियों का सिस्टम में विश्वास बढ़ता है, जिससे कार्य में संतुष्टि बढ़ती है और परिणामस्वरूप संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार होता है। कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के अलावा, कर्मचारियों में अपनेपन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के लिए पारिश्रमिक और लाभ तथा कर्मचारी सहभागिता गतिविधियों को भी उचित महत्व दिया जाता है।

3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों का विकास

कर्मचारियों को नियमित रूप से आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें अ ज/ अ ज जा कर्मचारी भी सम्मिलित है।

प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को नियमों के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। 31.03.2025 तक प्रशिक्षुओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

प्रशिक्षुओं की कुल संख्या	सामान्य	अ पि व	अ जा	अ ज जा
111	24	71	14	02

वर्ष 2024-25 के दौरान 14 अ जा/ 2 अ ज जा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया।

4 अ जा / अ ज जा कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनाए गए कदम

कंपनी आरक्षित श्रेणियों की भर्ती और पदोन्नति में सरकार के निर्देशों का पालन करती है। चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को नामित किया जाता है और अन्य समितियों एवं मंचों में उनके प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा दिया जाता है। आवासीय क्वार्टरों के आवंटन और प्रशिक्षण हेतु नामांकन पर भी उचित ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाओं, आवास, सामाजिक सुरक्षा उपायों आदि के माध्यम से कल्याणकारी लाभ प्रदान किए जाते हैं। इन श्रेणियों के कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ भी कार्यरत हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान की भर्तियों में अ जा / अ ज जा का प्रतिनिधित्व नीचे दिए जाते हैं।

भर्ती 01.4.2024 - 31.3.2025	संख्या - भर्ती किया गया	अ जा	अ ज जा
प्रबंधकीय संवर्ग	31	03	01
अप्रबंधकीय संवर्ग	01	00	00
कुल योग	32	03	01

कुल योग दिनांक 31.03.2024 को आरक्षित श्रेणियों का रोजगार निम्न प्रकार है :

कर्मचारियों की सं.	कुल	अ जा	अ ज जा	अ पि व	पीडब्ल्यूबीडी
	1518	219	53	653	35
कर्मचारियों की %		14.43	3.49	43.02	2.31

अ जा/ अ ज जा शिकायत एकक

कंपनी में एक अ जा/ अ ज जा शिकायत समिति कार्यरत है जिसमेंअध्यक्ष (जो कंपनी में अ जा/ अ ज जा आरक्षण संबंधी सभी मामलों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी और अ जा/ अ ज जा के प्रतिनिधि सम्मिलित है। प्राप्त शिकायतों की परीक्षा समग्र रूप से एकक द्वारा की जाती है और जहाँ कहीं संभव हो उचित प्रतितोष किया जाता है।

आवासीय क्वर्टरों का आबंटन

वर्तमान में 25% क्वार्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवंटित क्वार्टरों का विवरण नीचे दिया गया है:

टाउनशिप में कर्मचारियों द्वारा आवासित क्वार्टरों की कुल संख्या	अ ज कर्मचारी	अ ज जा कर्मचारी
349	76	12

डीलरशिप का आरक्षण

एफ ए सी टी के पास उर्वरकों के वितरण के लिए 5794 डीलर है। भारत सरकार के उर्वरक विभाग की नीति के अनुसार एफ ए सी टी अ जा/अ ज जा श्रेणी के डीलरों को डीलरशिप के लिए आवेदन करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं।

दिनांक 31.03.2025 के अनुसार कुल डीलरों की संख्या और डीलरशिप में अ जा /अ ज जा प्रतिनिधित्व नीचे दिए जाते हैं।.

क्रम सं.	राज्य	कुल डीलर	अ ज	अ ज जा
1	केरल	1573	21	2
2	तमिल नाडु	1144	67	0
3	कर्नाटक	1741	43	36
4	तेलंगाना	549	3	6
5	आंध्र प्रदेश	676	4	0
6	महाराष्ट्रा	83	2	0
7	बिहार	28	0	0
	कुल	**5794**	**140**	**44**

कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक पीडा

2024-25 वर्ष के दौरान प्राप्त लैंगिक शिकायत	निपटाए गए मामले	(2024-25 की पीडा समाप्ति पर निलंबित
1	1	0

प्रमुख वित्तीय अनुपात

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे दिए जाते है-

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24	महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण (अर्थात् गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अथवा अधिक का परिवर्तन)
1	ऋणदाताओं का पण्यावर्त अनुपात	2.85	4.36	लागू नहीं
2	मालसूची पण्यावर्त अनुपात	3.87	4.76	लागू नहीं
3	ब्याज कवरेज अनुपात	1.22	1.17	लागू नहीं
4.	वर्तमान अनुपात	1.02	1.05	लागू नहीं
5.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल %	5.92	6.01	लागू नहीं
6.	प्रचालन लाभ मार्जिन %	7.29	10.68	पण्यावर्त और प्रचालन लाभ में कमी के कारण
7.	निवल लाभ मार्जिन %	1.02	2.54	पण्यावर्त और प्रचालन लाभ में कमी के कारण
8.	ऋण साम्या अनुपात	3.36	327	लागू नहीं

दि. 31.03.2024 का निवल मूल्य 1230.62.16 करोड रुपए था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने 41.23 करोड लाभ रुपए अर्जित किया।

31.03.2024 तक नेटवर्थ 1230.62 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने 41.23 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। लाभांश भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ योजना के पुनर्मूल्यांकन को समायोजित करने के बाद, 31.03.2025 तक नेटवर्थ 1215.77 करोड़ रुपए है।

सावधानीपूर्वक वक्तव्य

प्रबंधक मंडल परिचर्चा एवं विश्लेषण तथा निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और आकलनों का वर्णन करने वाले कथन, जिनमें 'इच्छा', 'लक्ष्य', 'विश्वास', 'उम्मीद', 'इरादा', 'अनुमान', 'योजना', 'उद्देश्य', 'चिंतन', 'परियोजना' और इसी तरह के भाव या उनके विभिन्न रूप शामिल हैं, लागू नियमों और विनियमों के अर्थ में 'भविष्यदर्शी' और प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम, आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर, इनसे जुड़े जोखिमों या अनिश्चितताओं के कारण, भविष्यदर्शी कथनों द्वारा व्यक्त या निहित परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को इन भविष्यदर्शी कथनों पर अत्यधिक भरोसा न करने की चेतावनी दी जाती है।

स्थानः मुंबई
दिनांकः 29.08.2025

(एस सी मुडगेरीकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन - 03498837

व्यापार दायित्व एवं अविरता रिपोर्ट

सेबी / एच ओ/ सी एफ डी/ सी एम डी-2/ पी सी आई आर/2021/562 दिनांक 10.05.2021

अनुभाग क: सामान्य प्रकटीकरण

1. सूचीबद्ध सत्ता के ब्यौरे

1	सूचीबद्ध सत्ता की निगम पहचान नं. (सी आई एन)	L24129KL1943GOI000371
2	सूचीबद्ध सत्ता का नाम	दि फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
3	निगमन का वर्ष	1943
4	पंजीकृत कार्यालय पता	एलूर, उद्योगमंडल, एरणाकुलम जिला, केरल - 683501
5	निगम पता	एलूर, उद्योगमंडल, एरणाकुलम जिला, केरल - 683501
6	ई-मेल आई डी	investors@factltd.com
7	टेलीफोन	0484-2567620
8	वेबसाइट	www.fact.co.in
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग किया जाता है	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहाँ शेयर सूचीबद्ध है	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	समादत्त पूँजी	₹ 647.07 करोड
12	व्यक्ति का नाम और संपर्क ब्यौरे (टेलीफोन, ई-मेल पता) बी आर एस आर रिपोर्ट पर किसी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	सूसन अब्रहाम कंपनी सचिव susan@factltd.com 0484-2567620
13	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरण स्टैंडेलोन आधार पर है (अर्थात् केवल सत्ता के लिए) अथवा समेकित आधार पर है (अर्थात् सत्ता और सभी सत्ताओं के लिए जो इस समेकित वित्तीय विवरणों को कुल मिलाकर लिया गया है।)	स्टैंडेलोन आधार
14	आश्वासन प्रदाता का नाम	टी यू वी एस यू डी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड
15	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	उचित आश्वासन

II. उत्पाद / सेवाएँ

16 व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कुल कारोबार का 90% भाग):

क्रम सं.	मुख्य कार्यकलाप का विवरण	कारोबार क्रियाकलाप का विवरण	पण्यावर्त % सत्ता के
1	विनिर्माण और विपणन	उर्वरक, रसायन और पेट्रोरसायन का विनिर्माण और विपणन	99%
2	वृत्तिपरक, वैज्ञानिक और तकनीकी	इंजीनियरंग परामर्श एवं डिज़ाइन और औद्योगिक उपस्करों का निर्माण एवं स्थापना।	1%

17. सत्ता द्वारा बिके उत्पाद/ सेवाएँ (सत्ता के पण्यावर्त के 90% तक के लिए उत्तरदायी है:

क्रम सं.	उत्पाद/सेवा	एन आई सी संकेत	कुल पण्यावर्त का %
1.	सम्मिश्र उर्वरक	31052000	72
2.	अमोनियम सल्फेट	31022100	14
3.	केप्रोलेक्टम	29337100	11

III. प्रचालन

18. अवस्थितियों की संख्या जहां सत्ता के संयंत्र/ अथवा प्रचालन/ कार्यालयों की अवस्थिति

अवस्थिति	संयंत्रों की स्ख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	2	16	18
अंतर्राष्ट्रीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

19 सत्ता द्वारा सेवारत बाज़ार

क) अवस्थितियों की संख्या

अवस्थितियाँ	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	7
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	0
ख) सत्ता का कुल पण्यावर्त के प्रतिशत के तौर पर निर्यात का योगदान क्या है?	कुछ नहीं।
ग) ग्राहकों के प्रकार का सारांश	कंपनी के उर्वरकों के लिए अंतिम ग्राहक किसान और खेतीहर है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री कंपनी के डिपो और डीलर नेटवर्क द्वारा की जाती है। पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए ग्राहक नायलोन उत्पादक है।

IV कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ब्यौरे।

क) कर्मचारी और कामगार (भिन्न प्रवीणतावाले सहित)

क्रम सं.	ब्यौरे	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या(ख)	%(ख/क)	संख्या(ग)	%(ग/क)
	कर्मचारी					
1.	स्थाई (घ)	642	562	87.54	80	12.46
2.	स्थाई से इतर (ड.)	25	21	84.00	4	16.00
3.	कुल कर्मचारी (घ + ड.)	667	583	87.41	84	12.59
	कामगार					
4.	स्थाई (च)	876	847	96.69	29	3.31
5.	स्थाई से इतर(छ)	649	527	81.20	122	18.80
6.	कुल कामगार (च + छ)	1525	1374	90.10	151	9.90

नोट: 1. बीओडी और सीवीओ (सीएमडी को छोड़कर - अतिरिक्त प्रभार) भी स्थायी कर्मचारियों की गणना में शामिल हैं।

2. अस्थायी और सीएलआर श्रेणी के कर्मचारियों/श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों/श्रमिकों के अलावा अन्य के अंतर्गत माना जाता है।

3. सब लेयर श्रेणी को भी स्थायी श्रमिकों की गणना में शामिल किया गया है।

ख) दिव्यांग कर्मचारी और कामगार

क्रम सं.	ब्यौरे	कुल (क)	कुल		पुरुष	
			संख्या(ख)	%(ख/क)	संख्या(ग)	%(ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थाई (घ)	16	14	87.50	2	12.50
2.	स्थाई से इतर (ड.)	0	0	0.	0	0
3.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ड.)**	16	14	87.50	2	12.50
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थाई (च)	19	19	100	0	0
5.	स्थाई से इतर(छ)	1	0	0	1	100
6.	**कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)**	20	20	95	1	5

21 **महिलाओं की भागीदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व**

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	संख्या (ख/क)
निदेशक मंडल	3	0	0
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	4	1	25%

22. स्थाई कर्मचारियों और कामगारों के लिए पण्यावर्त दर
(गत 3 वर्षों के लिए झुकाव प्रकट करें)

	वि व 2024-25 (चालू वि व में पण्यावर्त दर)			**वि व 2023- 24** (गत वि व में पण्यावर्त दर)			**वि व 2022 - 2023** (गत वर्ष के पूर्व के वि व में पण्यावर्त दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थाई कर्मचारी	3.91%	1.31%	3.60%	12.05%	14.29%	12.30%	9.27%	10.52%	9.42%
स्थाई कामगार	1.52%	0.00%	1.47%	13.51%	22.86%	13.87%	15.51%	11.90%	15.35%

V नियंत्री, समनुषंगी और सह कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम समेत)

23. क) नियंत्री / समनुषंगी / सह कंपनियाँ / संयुक्त उद्यम

क्रम सं	नियंत्री/समनुषंगी/सह कंपनियाँ/ संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	सूचित करें नियंत्री/ अनुषंगी/सह कंपनियां/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध सत्ता द्वारा शेयरों का %	क्या स्तंभ (क) में सूचित सत्ता व्यापार दायित्व में सूचीबद्ध सत्ता पहल शक्ति/भाग लेता है (जी हाँ / नहीं)
	फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50 %	कुछ नहीं

VI. सी एस आर ब्यौरे

24. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर लागू है ? जी हाँ।

(ii) पण्यावर्त (रुपए में) - 40509097896.33/-

(iii) निवल लाभ (रुपए में) - 12157740573.31/-

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालनः

25. उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय मार्गदर्शनों के अधीन किसी सिद्धांतों पर (सिद्धांत 1 से 9 तक) शिकायत।

हितधारक दल जिसस शिकायत प्राप्त है	उपलब्ध शिकायत प्रतितोष प्रणाली (हां/नहीं) (अगर है तो शिकायत प्रतितोष नीति का वेब लिंक दें	वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान फाइल की शिकायतों की संख्या	वर्षांत में संकल्प के लिए निलंबित शिकायतों की संख्या	कैफियत	वर्ष के दौरान फाइल की शिकायतों की संख्या	वर्षांत में संकल्प के लिए निलंबित शिकायतों की संख्या	कैफियत
हितधारकों की सूची							
समुदाय	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निवेशक (शेयरधारियों से अलग)	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
शेयरधारी	https://fact.co.in/home/ Dynamicpages?Menuld=2994	7	कुछ नहीं	लागू नहीं	8	कुछ नहीं	लागू नहीं
कर्मचारी और कामगार	हां https://fact.co.in/home Grievance-Management-System-60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	3	लागू नहीं
ग्राहक	हां (ग्राहक सेवा सं., ई-मेल आई डी और पता का विवरण बैग पर मुद्रित किया गया है।	1	कुछ नहीं	लागू नहीं	17	कुछ नहीं	लागू नहीं
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हां (ग्राहक सेवा सं., ई-मेल आई डी और पता का विवरण बैग पर मद्रित किया गया है।	15	कुछ नहीं	लागू नहीं	13	कुछ नहीं	लागू नहीं
अन्य कुल	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

26. सत्ता के तात्विक उत्तरदायी कारोबार व्यवहार समस्याओं की समीक्षा।

कृपया तात्विक उत्तरदायी कारोबार व्यवहार अविरता समस्याएँ सूचित करें जो पर्यावरणी और सामाजिक मामलों से संबंधित है और जोखिम खडा करता है अथवा आपके कारोबार में एक अवसर देता है, उसे पहचानने के लिए मूल कारण, जोखिम को अनुकूल बनाने अथवा लघु करने के लिए वित्तीय विवक्षा के साथ, निम्नलिखित प्रपत्र।

क्रम सं	पहचानी गई तात्विक समस्या	सूचित करें कि क्या (जोखिम है या अवसर (आर/ओ))	जोखिम/ अवसर की पहचान करने का ओचित्य	जोखिम के मामले में अनुकूल करने अथवा लघु करने का प्रयास	जोखिम अथवा अवसर की वित्तीय विवक्षा (सकारात्मक अथवानकारात्मक विवक्षा सूचित करें)
1	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष	जोखिम	स्वास्थ्य और सुरक्षा उद्योग केलिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जो सीधे संचालन को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं को नियमित रूप से आई एस ओ लेखा परीक्षा के अधीन किया जाता है।	सुरक्षा समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है। नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है।	नकारात्मक

क्रम सं	पहचानी गई तात्विक समस्या	सूचित करें कि क्या (जोखिम है या अवसर (आर/ओ))	जोखिम/ अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में अनुकूल करने अथवा लघु करने का प्रयास	जोखिम अथवा अवसर की वित्तीय विवक्षा (सकारात्मक अथवानकारात्मक विवक्षा सूचित करें)
2	प्रदूषण	जोखिम	कारोबार प्रचालनों पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।	ईंधन को आर एल एन जी में परिवर्तन किया, मापदंडों की निरंतर निगरानी के लिए ओनलाइन विश्लेषण स्थापित किए गए हैं।	नकारात्मक
3	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	जलवायु परिवर्तन से कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार मालों (उर्वरकों की मांग पर असर पडता है।	कच्चे माल की खरीद और उत्पादन की योजना तदनुसार बनाई जाता है। जलवायु परिवर्तन उर्वरकों के उपयोग को प्रभावित कर सकता है।	नकारात्मक
4	जल तटस्थता	अवसर	उत्पादन के लिए पानी आवश्यक है	जल के पुनर्चक्रण पर जोर	सकारात्मक
5	कर्मचारी विकास	अवसर	प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है और कौशल उन्नयन कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है।	प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुरस्कार और मान्यता योजना आयोजित की गई।	सकारात्मक
6	ऊर्जा प्रबंधन	अवसर	बडे स्तर पर उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।	नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी।	सकारात्मक
7	उत्पाद सुरक्षा एवं गुणवत्ता	जोखिम	उत्पाद की सुरक्षा एवं गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। उत्पाद को संभालने के लिए उचित सुरक्षा की जरूरत है	हमारे उत्पाद सभी सुरक्षा और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित, निर्मित किए गए हैं।	सकारात्मक

अनुभाग ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य कारोबार की सहायता करना, एन जी आर बी सी सिद्धांतों और अंतर्भाग घटकों को अपनाने के प्रति स्थापित बनावट का ढंग, नीति और प्रक्रियाओं के बारे में प्रतिपादित करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क) क्या आपकी सत्ता की नीति / नीतियाँ प्रत्येक सिद्धांतों प्रत्येक अंतर्भाग घटकों एन जी आर बी सी को अच्छादित करता है (जी हाँ / जी नहीं)	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
ख) क्या बोर्ड ने नीति का अनुमोदन किया है? (जी हाँ / जी नहीं)	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
ग) नीतियाँ का वेब लिंक, अगर उपलब्ध है	https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=2967								
2. क्या सत्ता ने नीति को कार्यविधि में अंतरित किया है (जी हाँ/ जी नहीं)	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
3. क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपके मूल्य श्रृंघला भागीदारों को विस्तारित है? (जी हाँ/ जी नहीं)	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकेत/ प्रमाणीकरण/ लेबल/मानक (उदाः फोरेस्ट स्टेवेर्डशिप कौणसिल, फेयरट्रेड, रेलफोरेस्ट अलयन्स, ट्रस्ट्या उदाः एस ए 8000, ओ एच एस ए एस, आइ एस ओ, बी आइ एस) प्रत्येक सिद्धांत के लिए आपकी सत्ता द्वारा स्वीकृत और मैप किया गया।	सभी उर्वरक संयंत्र आइ एस ओ 14001:2015 और आइ एस ओ 9001:2015 प्रमाणित है। कोचीन संभाग भी आइ एस ओ 45001:2018 के लिए प्रमाणित है। फेक्ट उद्योगमंडल संभाग भी आइ एस ओ 50001:2018 के लिए प्रमाणित है।								

5. सत्ता द्वारा विशिष्ट वचनबद्धताएँ, लक्ष्य और निशाना, निर्दिष्ट समय सीमा के साथ, अगर है	हमारी कंपनी कई महत्वपूर्ण पहलुओं के माध्यम से अविरता और परिचालन उत्कृष्टता को बढावा देने केलिए प्रतिवद्ध है। हम सभी कार्यो में सामग्री और ऊर्जा उपकरणों के कुशल और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम संसाधन उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम संसाधन उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को आगे बढाने के लिए, हमारी योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढाने की है, जिसका उद्देश्य हमारे कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करना है। विशेष रूप से, हम वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्ज को कम करने के लिए समर्पित है। इसके अतिरिक्त, हम ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को लागू करके अपनी समग्र ऊर्जा खपत को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढा रहे हैं। हम निकट भविष्य में हरित ईंधन की ओर सक्रिय रूप से खोज और योजना बना रहे हैं, जो हमारे पर्यावरणीय निष्पादन को और बढाएगा और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। एफ ए सी टी पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और इसके संपूर्ण उत्पाद जीवनचक्र पर इसके प्रभाव की पहचान करने, मूल्यांकन करने और प्रबंधन करने का प्रयास करता है। हम विविथतापूर्ण और समावेश कार्यबल को बढावा देने में विश्वास करते हैं, और लक्षित भर्ती और प्रतिधारण रणनीतियों के माध्यम से अपने कार्यबल की विविधता में सुधार करने की खोजना है। कंपनी का इरादा विशेष रूप से ई एस जी क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने का है, जो कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करता है और बिना किसी भेदभाव के दीर्घावधि में उनकी रोजगार क्षमता के स्तर को बढाएगा। सुरक्षित कार्यस्थल बनाए रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है, जिसका लक्ष्य हमारे सभी कार्यों में शुन्य हानि हासिल करना है। कंपनी उत्पाद सुरक्षा, जिम्मेदार उपभोग, उत्पादों और सामग्रियों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण पर मार्गदर्शन सहित उपभोक्ता जागरूकता बढाने में व्यस्त होने की योजना बना रही है। इसके अलावा, हम जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के महत्व को समझते हैं। इस प्रयोजन के लिए, हम भविष्य में अपने शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं का व्यापक मूल्यांकन करने की योजना बना रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थिरता और नैतिक प्रथाओं के लिए हमारे मानकों को पूरा करते हैं। इन प्रतिबद्धताओं के माध्यम से, हमारा लक्ष्य सतत विकास और नवाचार को आगे बढाते हुए पर्यावरण, अपने कर्मचारियों और जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं, उन पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।

6. विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्यों और निशानों के प्रति सत्ते का निष्पादन तथा उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएँ।	एफ ए सी टी अपने फॉस्फेट संयंत्रों के ड्रायर में प्रयुक्त ईंधन को फर्नेस तेल से बदलकर पुनर्गैसिफाइड़ द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आर एल एन जी) में परिवर्तित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आर एल एन जी में यह परिवर्तन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि ज्वलन दक्षता में भी सुधार करता है। सतत प्रचालन और ऊर्जा बचत सुनिश्चित करने के लिए, एफ ए सी टी ने कई पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) परियोजनाओंओं की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं में अमोनिया संयंत्र, फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र और सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की क्षमता का विस्तार अंतर्गत है। एफ ए सी टी इन परियोजनाओं को आंतरिक रूप से वित्त पोषित करने का इरादा रखता है, जो दीर्घकालीन विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। एफ ए सी टी का एक समृद्ध इतिहास है, जो उर्वरक उत्पादन और राष्ट्र की सेवा के 76 वर्षों का जश्न मना रहा है। अपना पूरे अस्तित्व के दौरान, एफ ए सी टी ने लगातार किसानों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा किया है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कंपनी अब उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उर्वरकों की स्थाई आपूर्ति सुनिश्चित करके, एफ ए सी टी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। एफ ए सी टी का वित्तीय वर्ष 24 ई एस जी निष्पादन निम्न प्रकार है - कार्यबल विविधता वित्तीय वर्ष 2025 में बढ़कर 11% हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2024 में 10% थी। - स्कोप 2 उत्सर्जन में वित्तीय वर्ष 2025 की तुलना में 28.69% की कमी आई है।
7. कारोबार दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक द्वारा रिपोर्ट, ई एस जी संबद्ध चुनौतियों, लक्ष्य और उपलब्धियों को विशेष रूप से बताएँ (सूचीबद्ध सत्ता को प्रकटीकरण का अवसर है)	एफ ए सी टी विभिन्न पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) के कार्यान्वयन के द्वारा सतत और लगातार विकास हासिल करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। कंपनी अपने कारोबार में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ई एस जी) सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी पूरे उत्पाद जीवनचक्र के दौरान जोखिमों को प्रतिबंधित करने और कम करने तथा अपने सभी हितधारकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने मूल्य प्रस्तावों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का उत्पाद दायित्व एवं अविरता पर एक नीति है। कंपनी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला-स्रोत, खरीद, विनिर्माण, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन और अंतिम उत्पाद उपयोग में जिम्मेदार एवं सतत कारोबार प्रथाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। कंपनी के पास एक व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास नीति है जिसमें बी आर एस आर सिद्धांतों के अंतर्गत आनेवाली सभी आवश्यक नीतियाँ सम्मिलित है। कंपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कदम उठा रही है। फीडस्टॉक और ईंधन को हरित ईंधन आर एल एन जी में बदल दिया गया है।

8. कारोबार उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी उच्चतम प्राधिकारी के ब्यौरे	डॉ जयचंद्रन के., निदेशक (तकनीकी)
9. क्या सत्ता को कोई विशिष्ट बोर्ड समिति/ निदेशक है जो अविरत संबंधी समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है? (जी हां/ जी नहीं) अगर जी हाँ है तो ब्यौरे दें।	जी हाँ, डॉ जयचंद्रन के., निदेशक (तकनीकी)

10. कंपनी द्वारा एन जी आर बी सी की समीक्षा के ब्यौरे:

समीक्षा का विषय	**सूचित करें कि समीक्षा निदेशक/बोर्ड की समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा किया गया है।**									**आवृत्ति (वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक/ तिमाही/ कोई अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें)**								
	पी1	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
उपर्युक्त नीतियों का निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधक नीतियों की समीक्षा करते हैं									अविरत आधार पर								
सिद्धांतों सुसंगत होने की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन और किसी शिकायत का सुधार	सभी विभागाध्यक्षों द्वारा लागू नियमों पर अनुपालन प्रमाण-पत्र दिया जाता है									अर्धवार्षिक रूप से								

	पी1	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
11. क्या सत्ता ने स्वतंत्र/ मूल्यांकन नीतियों के कार्यान्वयन पर किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया है? (जी हाँ / जी नहीं) अगर जी हाँ तो एजेंसी का नाम दें।	जी नहीं।								

12. अगर ऊपर प्रश्न (1) का उत्तर "जी नहीं" है अर्थात् एक नीति द्वारा सभी सिद्धांत अच्छादित नहीं तो उसके कारण बताएँ:

प्रश्न	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
क) सत्ता अपने कारोबार के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)	लागू नहीं।								
ख) सत्ता ऐसी स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की स्थिति में हो (हां/ नहीं)									
ग) सत्ता के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या / मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं है (हां/ नहीं)									
घ) इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां / नहीं)									
ड.) कोई अन्य कारण (कृपया बताएँ)									

सिद्धांत 1

कारोबार आयोजित कर अपने आप सत्यनिष्ठा के साथ शासन करें जो नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेही हो।

अनुभाग ग : सिद्धांत वार निष्पादन प्रकटीकरण

यह अनुभाग का लक्ष्य सहायक सत्ताओं द्वारा सिद्धांतों और अंतर्भाग घटकों को पूर्णता देने के उनके निष्पादन को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों में प्रदर्शित करने में है। माँगी गई सूचना को "अनिवार्य" और "मार्गदर्शन" में श्रेणीबद्ध है।

जबकि अनिवार्य सूचकों से प्रतीक्षा की जाती है कि इस रिपोर्ट को फाइल करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक सत्ता द्वारा प्रकटीकरण हो, मार्ग दर्शन सूचकों को स्वैच्छिक रूप से सत्ताओं द्वारा प्रकटीकरण हो जो उच्चतर स्तर पर प्रगति करने के लिए आशा रखते हैं और वे सामाजिक, पर्यावरणी और नैतिक रूप से परीक्षण करते रहते हैं

अनिवार्य संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सिद्धांतों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम द्वारा आच्छादन प्रतिशत

<table>
<tr><th>भाग</th><th>आयोजित प्रशिक्षण/ जागरूकता कार्यक्रम की कुल संख्या</th><th>प्रशिक्षण में शामिल विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव</th><th>जागरूकता कार्यक्रम द्वारा संबद्ध श्रेणी में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>निदेशक मंडल</td><td rowspan="3">34</td><td rowspan="3">1. 'नए खरीद दिशानिर्देश' पर एक प्रशिक्षण सत्र
2. सतर्कता पर एक चर्चा
3. सी डी ए नियमों पर प्रशिक्षण सत्र
4. पोश अधिनियम - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला
5. सूचना का अधिकार अधिनियम (आर टी आई), 2005 पर प्रशिक्षण सत्र
6. उद्यम जोखिम प्रबंधन के अवलोकन पर सत्र
7. 'अनुबंधों और सेवाओं को कवर करने वाली जेम खरीद' पर प्रशिक्षण
8. आर बी आई द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण' कार्यक्रम पर जागरूकता सत्र
9. इंडिया फॉरवर्ड टॉक सीरीज़
10. 'उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु नेतृत्व और टीम वर्क' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
11. पोश अधिनियम 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' पर कार्यशाला
12. 'ई एस जी: पर्यावरण, सामाजिक और शासन - सतत सफलता के लिए रणनीतियाँ' पर जागरूकता सत्र
13. 'सार्वजनिक खरीद' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
14. मनाली में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम एस ई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर विशेष ध्यान देने के साथ निविदा, सार्वजनिक खरीद और ठेका प्रक्रिया में अनुबंध प्रबंधन/सुरक्षा उपायों पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - ओ टी एन एस</td><td rowspan="3">14.49ऽ</td></tr>
<tr><td>मुख्य कार्मिक (प्रबंधकीय)</td></tr>
<tr><td>कर्मचारी</td></tr>
</table>

भाग	आयोजित प्रशिक्षण/ जागरूकता कार्यक्रम की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा संबद्ध श्रेणी में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत
		15. मॉडल सी डी ए नियमों पर प्रशिक्षण 16. 'कारखाना अधिनियम, 1948 और कारखानों पर लागू महत्वपूर्ण रोजगार कानून' पर व्यावहारिक कार्यशाला 17. कार्यात्मक निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम 18. 'आयात-निर्यात प्रक्रियाएँ और सीमा शुल्क निकासी' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 19. जी एस टी: मुद्दे-चुनौतियाँ-समाधान' और 'आयकर: हालिया संशोधन और न्यायिक निर्णय 20. 'एक लचीले कल के लिए संगठनात्मक परिवर्तन' पर संगोष्ठी 21. 'वित्त और लागत प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 22. पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों और नियमों पर कार्यशाला 23. 'मानव संसाधन प्रबंधन हेतु श्रम कानून जागरूकता' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम - केएसपीसी 24. 'आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली' पर आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 25. 'मूल्यों और विश्वास के माध्यम से निष्पादन में तेजी लाना' पर इंटरैक्टिव कार्यक्रम 26. पुरी, ओडिशा में एनपीसी द्वारा सार्वजनिक खरीद और संविदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम - ओटीएनएस	

2. जुर्माने/ शास्तियाँ/ दंड / पुरस्कार / मिश्रित जुर्माना / निपटान रकम जो कार्यवाही में चुकाता है (सत्ता द्वारा अथवा निदेशकों द्वारा / के एम पी द्वारा) व्यवस्थाओं द्वारा / नियम प्रवर्तन एजेंसी द्वारा / न्यायिक संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रपत्र में ब्यौरे दें। (टिप्पणी: सत्ता एस इ बी आई (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 में यथा विनिर्दिष्ट महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करें और जो सत्ता के वेब साइट में प्रकटीकृत है) - **कुछ नहीं**

मुद्रा संबंधी					
	एन जी आर बी सी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों न्यायिक संस्थाओं के नाम	रकम (भारती रू में)	विवरण	मुकदमे का संक्षिप्त क्या अपील प्रस्तुत करना है? (हाँ / नहीं)
शास्ति / जुर्माना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
निपटान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
कॉपाउंडिंग शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

न मुद्रा संबंधी				
	एन जी आर बी सी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाओं के नाम	मुकदमे का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील प्रस्तुत करना है? (हाँ / नहीं)
कारावास	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

3. ऊपर प्रश्न 2 में प्रकटीकृत घटनाओं के अपील/ परिशोधन प्रस्तुत करता है तो ब्यौरे दें जहाँ मुद्रा - संबंधी अथवा मुद्रेतर कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं	लागू नहीं

4. क्या सत्ता को एक भ्रष्टाचार-निरोध अथवा रिश्वत-निरोध की नीति है? अगर हाँ तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और उपलब्ध है तो नीति का एड्ड वेबलिंक प्रदान करें।

एफ ए सी टी एक समर्पित सतर्कता विभाग का संचालन करता है। यह विभाग भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण को बढावा देकर संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एफ ए सी टी के प्रत्येक व्यक्ति को कंपनी के उद्देश्य एवं लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाते हुए उच्च स्तर पर निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त एफ ए सी टी ने पारदर्शिता और जवाबदेही को और बढावा देने के लिए विसिल ब्लोवर नीति लागू की है। यह नीति कर्मचारियों को प्रतिशोध के भय के बिना किसी भी अनैतिक व्यवहार या गलत कार्य की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। कुल मिलाकर, सतर्कता विभाग और विसिल ब्लोअर नीति उत्कृष्टता और अखंडता के लिए एफ ए सी टी की प्रतिबद्धता में योगदान करती है। नीति मिलने के लिए वेब लिंक https://fact/co.in/https://fact.co.in/images/upload/vigil-Mechanism 46.pdf है।

5. निदेशकों / के एम पी / कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी नियम प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत/ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई ली गई है।

	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
निदेशक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
के एम पी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कर्मचारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कामगार	कुछ नहीं	कुछ नहीं

6. हितों के संघर्ष संबंधी शिकायतों के ब्यौरे

	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)		वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	कैफियत	संख्या	कैफियत
निदेशकों के हितों के संघर्ष की समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
के एम पी के हितों के संघर्ष की समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

7. भ्रष्टाचार/ हितों के संघर्ष के मुकदमों पर विनियामकों/ नियम प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थाओं द्वारा जुर्माना/ शास्ति/ संबंधी समस्याओं पर ली गई कार्रवाई पर क्या कोई संशोधक कार्रवाई ली गई अथवा प्रगति पर है तो उसके ब्यौरे प्रदान करें। कुछ नहीं।

8. देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365/ वस्तुओं /सेवाओं की लागत) निम्न लिखित प्रारूप में दें।

	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
देय खातों के दिनों की संख्या।	61.25	51.70

9. व्यापार का खुलापान

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेद्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें।

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
खरीदारी का संकेन्द्रण*	क. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक समय से खरीदी	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. व्यापारिक घरानों की संख्या जहाँ से खरीदारी की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी।	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री का संकेन्द्रण	क) डीलरों / वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में बिक्री	100%	100%
	ख) डीलरों / वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	4623	5802
	ग) डीलरों / वितरकों को कुल बिक्री के % के रुप में शीर्ष 10 डीलरों / वितरकों को बिक्री	10%	6.58%
आर पी टी के शेयर	क) खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/ कुल खरीद)	1,17,417.28	1,92,827,50
	ख) बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	16,395.80	4,355.68
	ग) ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	लागू नहीं	लागू नहीं
	घ) निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं

***एफ ए सी टी के पास व्यापारिक घरानों से कोई खरीद नहीं है।**

मार्गदर्शन संकेत

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सिद्धांतों पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के भीतर लिए गए सिद्धांत / विषय	जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित मूल्य श्रृंखला भागीदारों की प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य द्वारा)
1. लागू नहीं		
2. क्या सत्ता के पास संघर्ष से बचने/ प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएँ है? (हां / नहीं) अगर हाँ तो उसका विवरण है।	एफ ए सी टी के निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का संतुलित मिश्रण होता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा तीन कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, अंशकालिक आधिकारिक / निदेशक रसायन और उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर के पद पर है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि इन निदेशकों को एफ ए सी टी में कोई शेयर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य निदेशक पदों का विवरण नियुक्ति के समय और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में बौर्ड को सूचित किया जाता है।	

सिद्धांत 2
कारोबार में मालों और सेवाओं को उस प्रकार प्रदान करें कि वह अविरत और सुरक्षित हो।

अनिवार्य संकेतक

1. अ एवं वि और पूँजी व्यय (कैपेक्स) निवेश की प्रतिशतता विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों में पर्यावरणी और सामाजिक प्रभाव उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुधारने को कुल अ एवं वि और सत्ता द्वारा किया गया निवेश, क्रमशः

	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	पर्यावरणी और सामाजिक प्रभावों में सुधार के ब्यौरे
अ एवं वि	57.40 लाख रुपए	57.62 लाख रुपए	1. मैग्नीशियम से समृद्ध जल में घुलनशील कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक के उत्पादन की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन किया गया। मैग्नीशियम से समृद्ध कैल्शियम नाइट्रेट एक तरल उर्वरक है जिसे एफसीओ (तृतीय संशोधन आदेश 2021) में तरल उर्वरक अनुभाग (एफसीओ में शामिल एक नई श्रेणी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रयोगशाला परीक्षणों ने कैल्शियम नाइट्रेट के उत्पादन को बढ़ाने की व्यवहार्यता प्रदर्शित की है। 2. कीटनाशकों के रूप में कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और नीम के तेल के साथ फेक्ट ऑर्गेनिक प्लस का उपयोग करके तीन मिश्रणों के निर्माण में तेजी लाई गई। 1% कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिश्रण से युक्त फेक्ट ऑर्गेनिक प्लस, एफ सी ओ विनिर्देशों के अनुरूप है। 3. सामाजिक दायित्व के एक भाग के रूप में, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) बीएससी, बीटेक और एमएससी के छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। उर्वरक क्षेत्र में औद्योगिक अनुभव बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
कैपेक्स		लागू नहीं	

2.	क)	क्या सत्ता के पास अविरत स्रोत के स्थान पर कोई क्रियाविधि है?	जी नहीं
	ख)	अगर जी हाँ तो निवेशक कितना प्रतिशत अविरत रूप से स्रोत से था?	-

3. आपके उत्पादों के पुनःउपयोग, पुनरावृत्ति के लिए और उसके बाद निपटाने के लिए सुरक्षित दावे की कोई क्रियाविधि हे तै विवरण दें।

क)	प्लास्टिक (पैकेजिंग समेत)	सुरक्षित रूप से एम एस टी सी लिमिटेड (धातु स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन) द्वारा प्राधिकृत पुनः प्रक्रमकर्ताओं से निपटाया जाता है।
ख)	ई-कचरा	एम एस टी सी लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत पुनःप्रक्रमकर्ताओं से सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है।
ग)	परिसंकटमय कचरा	परिसंकटमय कचरों का निपटान सुरक्षित रूप से प्रधिकृत पुनर्प्रक्रमकर्ताओं के एस पी सी बी द्वारा अनुमोदित एम एम टी सी लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
घ)	अन्य कचरे	जैव-चिकित्सा के कचरों का निपटान सुरक्षित रूप से - आइ एम ए - इमेज सुविधा के जरिए किया जाता है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) सत्ता के क्रियाकलोपों पर लागू है? (जी हां / जी नहीं) अगर जी हाँ है तो क्या कचरा संग्रह योजना विस्तारित उत्पादक दायित्व (इ पी आर) योजना द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पेश किए प्रकार है? अगर नहीं तो उसे ठीक करने के लिए गए उपायों का विवरण दें - नहीं

मार्गदर्शन संकेतक

1. क्या सत्ता ने जीवन चक्र परिदृश्य/ मूल्यांकन (एल सी ए) अपने किसी उत्पाद (उत्पादन उद्योग के लिए) अथवा सेवाओं के लिए (उद्योग के लिए) आयोजित किया है? (अगर जी हाँ तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें।

एन आई सी कोड	उत्पाद/ सेवा का नाम	कुल कारोबार का प्रतिशत योगदान	वह सीमा जिसके लिए जीवनचक्र परिप्रेक्ष्य/ मूल्यांकन किया गया।	क्या स्वतंत्र बाह्य परिणाम एजेंसी द्वारा संप्रेषित (हां/नहीं)	संप्रेषित परिणाम	सार्वजनिक डोमैन में (हां/नहीं) अगर हो तो वेबलिंक प्रदान करें।
नहीं.						

2) जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एल सी ए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाने गए आपके उत्पादों / सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएँ और या जोखिम उत्पन्न होते हैं तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम / मामला का विवरण	कार्रवाई की गई
उपर्युक्त उत्तर 1 के अनुसार लागू नहीं।		

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएँ प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनः प्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

निवेश माल सूचित करें	पुनरावृत्ति के अथवा पुनः उपयोग किए माल का कुल माल	
	चालू वित्तीय वर्ष(2024-25)	गत वित्तीय वर्ष (2023-24)
अमोनियम सल्फेट	0.10%	0.06%
एन पी 20 : 20 : 0 : 13	0.01%	0.01%

4. उत्पादों और पैकेजिंग के, जीवनांत में पुनः दावा किए उत्पादों की मात्रा (मीट्रिक टनों में) जिसका पुनः उपयोग पुनरावृत्ति और निपटान किया गया, निम्न प्रपत्र के अनुसारः

	चालू वित्तीय वर्ष (2024-25)			गत वित्तीय वर्ष (2023-24)		
	पुनःउपयुक्त	पुनरावृत्ति	सुरक्षित निपटान	पुनःउपयुक्त	पुनरावृत्ति	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग समेत)	0	0	12.38 MT	0	0	65.71 MT
ई-कचरा	0	0	0.66 MT	0	0	0.2 MT
परिसंकटमय कचरा	0	0	0	0.24 MT	1.3 MT	297.855 MT
अन्य कचरे	0	0	0	0	0	0.005 MT
प्रयुक्त तेल	4.8472 MT	0	0	0	0	0
व्यय उत्प्रेरक	0	0	27.88 MT	0	0	0
सल्फर मक	0	0	112.04 MT	0	0	0

5. पुनः दावा किए उत्पाद और उसके पैकेजिंग माल (बिके गए माल के प्रतिशत में) प्रत्येक श्रेणी के उत्पाद के लिए

निवेश श्रेणी सूचित करें	पुनः दावा किए उत्पादों और उसके पैकेजिंग माल, प्रत्येक श्रेणी के बिके कुल उत्पादों के प्रतिशत के तौर पर
एन पी 20 : 20 : 0 : 13	0.261

सिद्धांत : 3

कारोबार को अपने मूल्य श्रृंघला समेत सभी कर्मचारियों का सम्मान और उन्हें उत्तेजित करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कुशल-क्षेम के लिए उपायों का विवरण

श्रेणी	के अधीन आनेवाले कर्मचारियों का प्रतिशत											
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसूती हितलाभ		साझेदारी हितलाभ		डेकेयर सुविधाएँ		
		संख्या(ख)	%(ख/क)	संख्या(ग)	%(ग/क)	संख्या(घ)	%(घ/क)	संख्या(ड.)	%(ड./क)	संख्या(च)	%(च/क)
स्थाई कर्मचारी											
पुरुष	562	562	100	562	100	लागू नहीं	0	कुछ नहीं	562	कुछ नहीं	0
महिला	80	80	100	80	100	80	100	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	0
कुल	642	642	100	642	100	80	12.46	562	87.54	कुछ नहीं	0
स्थाई - इतर कर्मचारी											
पुरुष	21	लागू नहीं	लागू नहीं	21	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
महिला	4	लागू नहीं	लागू नहीं	4	100	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
कुल	25	लागू नहीं	लागू नहीं	25	100	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0

ख. कामगारों के कुशल-क्षेम के लिए उपायों का विवरण

श्रेणी	के अधीन आनेवाले कर्मचारियों का प्रतिशत									डे-केयर	
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसूती हितलाभ		साझेदारी हितलाभ		सुविधाएँ	
		संख्या(ख)	%(ख/क)	संख्या(ग)	%(ग/क)	संख्या(घ)	%(घ/क)	संख्या(ड.)	%(ड./क)	संख्या(च)	%(च/क)
स्थाई कर्मचारी											
पुरुष	847	847	100	847	100	लागू नहीं	0	19	2.24	कुछ नहीं	0
महिला	29	29	100	29	100	2	6.90%	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	0
कुल	876	876	100	876	100	2	0.23%	19	2.17	कुछ नहीं	0
स्थाई - इतर कर्मचारी											
पुरुष	527	लागू नहीं	लागू नहीं	527	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	0
महिला	122	लागू नहीं	लागू नहीं	122	100	7	5.73	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	0
कुल	649	लागू नहीं	लागू नहीं	649	100	7	1.08	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	0

ग. कर्मचारियों और कामगारों (स्थाई और स्थाई-इतर समेत) की भलाई के लिए उपायों पर व्यय निम्न प्रपत्र परः

	चालू वित्तीय वर्ष (2024-25)	गत वित्तीय वर्ष (2023-24)
भलाई उपायों पर उपचित लागत कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत में	0.49%	0.42%

2. चालू वित्तीय वर्ष और गत वित्तीय वर्ष के लिए सेवा-निवृत्ति हितलाभ का विवरण।

हितलाभ	वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष		
	अच्छादित कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की % में	अच्छादित कामगारों की संख्या कुल कामगारों की % में	काट कर प्राधिकरण में जमा (वाइ/एन/एनए)	अच्छादित कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की % में	अच्छादित कामगारों की संख्या कुल कामगारों की % में	काट कर प्राधिकरण में जमा (वाइ/एन/एनए)
भविष्य निधि	100%	100%	जी हाँ	100%	100%	जी हाँ
उपदान	100%	100%	जी हाँ	100%	100%	जी हाँ
ई एस आइ *	0	0	जी हाँ	0	23.96%	जी हाँ
अन्य विनिर्दिष्ट करें-जी एम सी**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* इ एस आइ के अंतर्गत आनेवाले कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या मार्च महीने के आँकडों के अनुसार ली गई है।

** जी एम सी (समूह चिकित्सा निधि) - स्थाई कर्मचारियों और स्थाई कामगारों को सेवा-निवृत्ति के बाद लागू बीमा किशत के भुगतान करने पर जी एम सी लागू करने पर सी एम जी लागू कर सकता है।

3. कर्मचारियों को पहुँच

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें। जी हाँ। URL- https://fact.co.in//images/upload/Equal-Opportunity-policy-for-PWD---FACT-Ltd_325.pdf

5. काम पर वापसी और स्थाई कर्मचारियों का और कामगारों का प्रतिधारण दर अवधारण दर, जिन्होंने मातापिता संबंधी छुट्टी ली हैं।

	स्थाई कर्मचारी		स्थाई कामगार	
लिंग	काम को वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम को वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	100%	100%	100%	100%

6. निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगार के लिए शिकायतें प्राप्त कर प्रतितोष की कोई व्यवस्था उपलब्ध है? अगर हाँ तो उसका संक्षिप्त विवरण दे।

कर्मचारियों की श्रेणी	जी हाँ / जी नहीं (अगर जी हाँ तो संक्षेप में उपाय का विवरण दें।)
स्थाई कामगार	जी हाँ। कर्मचारियों की शिकायतों के प्रतितोष के लिए प्रतितोष व्यवस्था चालू है बृहत् कर्मचारी शिकायत प्रतितोष स्थापित है।
स्थाई कामगारों से इतर	जी हाँ। कर्मचारियों की शिकायतों के प्रतितोष के लिए प्रतितोष व्यवस्था चालू है बृहत् कर्मचारी शिकायत प्रतितोष स्थापित है।
स्थाई कर्मचारी	जी हाँ। कर्मचारियों की शिकायतों के प्रतितोष के लिए प्रतितोष व्यवस्था चालू है बृहत् कर्मचारी शिकायत प्रतितोष स्थापित है।
स्थाई कर्मचारियों से इतर	जी हाँ। कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है। शिकायत निवारण नीति के लिए वेब लिंक - http://192.168.20.129/HRM/Grievance-Management-System.pdf

7. सूचीबद्ध सत्ता द्वारा मान्यताप्राप्त संघों और सभाओं में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता।

श्रेणी	**वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष**			**वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष**		
	कुल कर्मचारी/ कामगार संबद्ध श्रेणी में (क)	**संबद्ध श्रेणी में कामगार जो संघ या सभा में भाग नहीं (ख)**	**%(ख/क)**	**कुल कर्मचारी/ कामगार संबद्ध श्रेणी में (ग)**	**संबद्ध श्रेणी में कामगार जो संघ या सभा में भाग नहीं (घ)**	**%(घ/ग)**
कुल स्थाई कर्मचारी	642	579	90.19%	635	576	90.71%
पुरुष	562	507	90.21%	563	512	90.94%
महिला	80	72	90.00%	72	64	88.89%
कुल स्थाई कामगार	876	876	100%	888	888	100%
पुरुष	847	847	100%	859	859	100%
महिला	29	29	100%	29	29	100%

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण

श्रेणी	**वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष**					**वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष**				
	कुल (क)	**स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय पर**		**प्रवीणता उन्नयन पर**		**कुल (घ)**	**स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय पर**		**प्रवीणता उन्नयन पर**	
		संख्या(ख)	**%(ख/क)**	**संख्या(ग)**	**%(ग/क)**		**संख्या(ड.)**	**%(ड./घ)**	**संख्या(च)**	**%(च/घ)**
कर्मचारी										
पुरुष	562	184	32.74%	322	57.30%	563	109	19.36%	306	54%
महिला	80	48	60.00%	70	87.50%	72	14	19.44%	58	81%
कुल	642	232	36.14%	392	61.06%	635	123	19.37%	364	57%
कामगार										
पुरुष	847	140	16.53%	158	18.65%	859	151	18%	186	22%
महिला	29	0	34.48%	19	65.52%	29	0	0%	24	83%
कुल	876	150	17.12%	177	20.21%	888	151	17%	210	24%

9. . कर्मचारियों और कामगारों का निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण

श्रेणी	**वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष**			**वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष**		
	कुल (क)	**संख्या(ख)**	**% (ख/क)**	**कुल (ग)**	**संख्या(घ)**	**% (घ/ग)**
कर्मचारी						
पुरुष	562	562	100%	563	563	100%
महिला	80	80	100%	72	72	100%
कुल	642	642	100%	635	635	100%
कामगार						
पुरुष	847	847	100%	859	859	100%
महिला	29	29	100%	29	29	100%
कुल	876	876	100%	888	888	100%

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

क) क्या सत्ता द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित है? (जी हाँ / जी नहीं) अग र जी हाँ तो उस प्रणाली के अंतर्गत आनेवालों के ब्यौरे दें।	जी हाँ। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत कई पहलुओं को ध्यान में रखा कर कार्यान्वित है। प्रक्रम संयंत्र और उपस्करों की सुरक्षाः इसमें प्रक्रम संयंत्रों और उपस्करों का रूपांकन, प्रचालन, अनुरक्षण में सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने का आश्वासन निहित है। कर्मचारियों और कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्यः यह प्रणाली संगठन के भीतर के सभी कार्मिकों की भलाई के संरक्षण के लिए एक स्वस्थ काम का वातावरण सुनिश्चित करने पर ध्यान देता है। परिसंकटमय रसायनों के सुरक्षित संग्रह और परिवहनः समुचित हैडलिंग परिवहन और संग्रह परिसंकटमय वस्तुओं के विषय में जरूरी है ताकि दुर्घटनाएँ रोक सके। जोखिम पहचान और निर्धारणः प्रणाली व्यवस्था के अनुसार जोखिमों को पहचानती है और जोखिमों का मूल्यांकन कर बडे खतरे को न्यून करने का प्रयास कर सके। सुरक्षा नीतियाँ एवं क्रियाविधियांः सुरक्षा मानकों के अनुरक्षण के लिए साफ मार्गदर्शन और नयाचार स्थापित है। सुरक्षा निष्पादन अनुश्रवण और अनुमानः नियमित अनुमान सुरक्षा निष्पादन और सुधार के लिए अपेक्षित क्षेत्रों को पहचानना कर्मचारी प्रशिक्षण और जागरणः प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा अभ्यासों से कर्मचारी सुपरिचित है। घटना रिपोर्टिंग और छानबीनः सामाजिक रिपोर्टिंग और संपूर्ण छानबीन दुर्घटनाओं के लगातार सुधार में योगदान करता है। आपात् तैयारी और प्रतिक्रियाः प्रणाली आपात् स्थितियों का अनुमान कर उसे रोकने के लिए प्रभावी प्रतिक्रियाविधियों की रूपरेखा बनाता है।
ख) काम संबंधी जोखिमों और जोखिम निर्धारण के लिए प्रयुक्त नियमित प्रक्रियाएँ क्या क्या हैं जिसका उपयोग सत्ता में नियमित और अनियमित आधार पर उपयोग में है?	सुव्यवस्थित काम अनुमति प्रणाली के सहारे काम-संबंधी जोखिमों को पहचान कर उचित व्यवस्था कायम है। ऊँचाई पर काम, विध्वंस और नाजुक निर्माण आदि उच्च जोखिम युक्त कामों पर काम सुरक्षा विश्लेषण (जे एस ए) तैयार किया जाता है। सभी विभागों पर जोखिम पहचान और जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों का सुझाव भी पेश है। नियमित सुरक्षा निरीक्षण प्रत्येक कार्यस्थल पर करके जोखिम पहचानता है। आंतरिक और बाहरी प्राधिकारी सालाना सुरक्षा परीक्षा लेते हैं ताकि किसी पहचानी सुरक्षा जोखिम का तुरंत परिशोधन कर सके।
ग) क्या आपके पास कामगारों को प्रक्रियाओं के बारे में काम संबंधी जोखिमों के बारे में रिपोर्ट करने और अपने आप ऐसे जोखिमों से हटने की कोई रीति है (हाँ / नहीं)	जी हाँ।
घ) क्या सत्ता में कर्मचारियों / कामगारों को व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य संरक्षण सेवा चालू है? (जी हाँ/ जी नहीं)	जी हाँ।

11. निम्नलिखित प्रपत्र में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना / संख्या	श्रेणी	वि व 2024-245 चालू वित्तीय वर्ष	वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष
नष्ट समय चोट (आवृत्ति दर) (एल टी आई एफ आर) (प्रति एक दशलक्ष व्यक्ति घंटे-काम किए)	कर्मचारी	4.45	0.535
	कामगार	28.25	0
कुल रिकार्ड किए जाने योग्य काम संबंधी चोट	कर्मचारी	2	14
	कामगार	46	11
मृत्यु का नंबर	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
काम-संबंधी उच्च परिणाम अथवा रोगावस्था (मृत्यु को छोडकर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0

12. सत्ता द्वारा एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्यस्थल का आश्वासन देने के लिए लिए गए कदमों का विवरण दें।

क) सुरक्षा निरीक्षक

संयंत्रों में दुर्घटनाएँ रोकने के लिए सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं, यह वर्ष की प्रत्येक तिमाही में आयोजित हैं। कामगारों की असुरक्षित कार्रवाई और संयंत्रों की असुरक्षित हालत के बारे में रिपोर्ट में मुख्य उल्लेख होते हैं। रिपोर्ट, किए जाने की कार्रवाई के साथ संबद्ध विभाग को संशोधक कार्रवाई के लिए भेजे जाते हैं।

ख) दुर्घटना रिपोर्टिंग और होने की निकटता

वर्ष 2019 में होने की निकटता और दुर्घटना रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली का शुभारंभ किया गया और कारखाने के प्रधान जगहों पर होने की निकटता की रिपोर्टिंग बोक्स स्थापित हैं जिसमें निकट होने की रिपोर्टिंग अंग्रेजी और मलयालम में मिलता है।

ग) सुरक्षा परिचय प्रशिक्षण

सभी नए भर्ती हुए कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, संविदा कामगारों और आगन्तुकों का सुरक्षा परिचय प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तेजक प्रशिक्षण और काम-निश्चित प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। सुरक्षा प्रशिक्षण कोई ट्राक-चालकों सहित सभी निविदा श्रमिकों को दिए जाते हैं। सुरक्षा निरीक्षकों द्वारा सूचित सुरक्षा उल्लंघन प्रशिक्षण कार्ड में दर्ज हैं।

घ) सुरक्षा साइन बोर्ड

संयंत्र परिसर, अन्य कम निश्चित सुरक्षा चेतावनी और सुरक्षा रीतियों का पालन करने के साथ सभी को अपेक्षित आज्ञापक पी पी ई धारण करने जैसी जरूरतों को बतानेवाले साइन बोर्ड प्रदर्शित है।

ड.) संयंत्रों को जोखिम निर्धारण अध्ययन:

परिसंकट पहचान जोखिम निर्धारण (एच आइ आर ए), सभी नियमित नाजुक और अनियमित कामों के बारे में जो गए हैं। एच आइ आर ए में पहचाने उच्च परिसंकटों को दूरीकृत करने के लिए काम के निष्पादन के तरीकों को परिवर्तित किए जाते हैं और विशिष्ट वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणों को प्रदान करते हैं। सभी संयंत्रों और विभागों के लिए एच आइ आर ए रजिस्टर तैयार किए गए हैं। संबद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा रजिस्टर का नियमित अद्यतन किया जाता है।

च) ट्रक सुरक्षा निरीक्षण

प्रवेश-पत्र जारी करने के पहले एसिड और अमोनिया ट्रकों की सुरक्षा परीक्षा की जाती है और चालकों को वार्षिक आधार पर सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान सभी दस्तावेजों, ट्रक की भौतिक स्थिति, सूचना पैनलों का प्रदर्शन, उचित पी पी ई की उपलब्धता और ड्राइवरों की क्षमता का आखलन लिया जाता है।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संस्था

	वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान फाइल किए	वर्षांत पर लंबित संकल्प	कैफियत	वर्ष के दौरान फाइल किए	वर्षांत पर लंबित संकल्प	कैफियत
कार्यस्थल की स्थिति	0	0	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	45	20	लागू नहीं	87	52	शिकायतों के लिए एफ एंड बी विभाग की सिफारिशों और निर्देशों पर विचार किया जाता है।

14. वर्ष के लिए अनुमान

	अनुमानित संयंत्रों और कार्यालयों का % (सत्ता द्वारा अथवा सांविधिक अधिकारी अथवा तीसरी दल)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	100%
कार्यस्थल की स्थिति	100 %

15. महत्वपूर्ण जोखिमों / समस्याओं पर (अगर है) किए गए सुधारात्मक कार्रवाई अथवा सुरक्षा संबंधी घटनाओं को रास्ता दिखाने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रयोगों के मूल्यांकन से होता है। उसका विवरण दें।

सभी कार्य एक विस्तृत वर्क परमिट प्रणाली के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं, जिसमें कार्यों से जुड़े खतरों की पहचान की जाती है और वर्क परमिट में ही सुधारात्मक कार्रवाई निर्दिष्ट की जाती है। उच्च जोखिम वाली गतिविधियों, जैसे कि नाज़ुक छतों पर ऊँचाई पर काम करना, ज्वलनशील उपकरणों के पास काम करना, या सीमित स्थानों में काम करना, के लिए व्यापक जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करने हेतु एक अलग कार्य सुरक्षा विश्लेषण (जे एस ए) तैयार किया जाता है।

मूल्यांकन के दौरान पहचानी गई या कर्मचारियों या श्रमिकों द्वारा रिपोर्ट की गई किसी भी असुरक्षित कार्रवाई या स्थिति की तुरंत जाँच की जाएगी। संबंधित संयंत्र प्रभारी द्वारा सुरक्षा अधिकारियों के समन्वय से सुधारात्मक कार्रवाई लागू की जाएगी। उच्च-संभावित घटनाओं या दुर्घटनाओं के मामले में, संभागीय प्रमुख घटनाओं की गहन जाँच करने और उचित सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक समर्पित समिति का गठन करेंगे।

मार्गदर्शन संकेतक

1.	क्या सत्ता (क) कर्मचारी(ख) कामगार की मृत्यु के अवसर पर कोई जीवन बीमा अथवा प्रतिपूर्ति पैकेज की व्यवस्था करता है (हां/ नहीं)	जी हाँ
2.	मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा कटौती किए और जमा किए सांविधिक बकाया का आश्वासन के लिए सत्ता द्वारा अपनाए उपायों का वर्णन करें।	मूल्य श्रृंखला भागीदारों से सांविधिक बकाया के भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण एकत्र करने के बाद उनको देय राशि निमीचित विमोचित की जाती है।

3.	उन कर्मचारियों / कामगारों के संख्या दे दें जिन्होंने उच्च परिणाम काम संबंधी चोट/ बीमारी/ मृत्यु के शिकार हो गए हैं, उनको पुनर्वास किया गया और उचित नौकरी में रखा गया अथवा जिसके परिवार के सदस्यों को समुचित नौकरी दी गई है। (जैसा कि ऊपर अनिवार्य संकेतकों की क्यू11 में बताया गया है।

	प्रभावित कर्मचारियों /कामगारों की कुल संख्या		**नौकरी में पुनर्वास कर रखे कर्मचारियों/कामगारों की संख्या अथवा जिनके सदस्यों को उचित नौकरी दी है।**	
	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
कर्मचारी	0	0	0	0
कामगार	0	2	0	0

4.	क्या सत्ता अवस्था-परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करते हैं कि उप जीविका जारी रख सके और काम की समाप्ति का प्रबंध सेवा निवृत्ति अथवा नौकरी की समाप्ति तक चला सके।	जी नहीं।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन के ब्यौरे -

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य द्वारा जिसे मूल्यांकित) %
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	कंपनी आगामी वित्तीय वर्षों में अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आकलन करने की योजना बना रही है।
नौकरी की प्रकृति	

6.	महत्वपूर्ण जोखिमों/ अद्विग्नता के बारे में, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास के मूल्यांकन द्वारा उठ खडे होते हैं, उनके बारे में और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की नौकरी की प्रकृति में कोई सुधारक कार्रवाई की गई है या प्रगति पर है तो उसका विवरण दें।	कार्यालय का वातावरण

सिद्धांत 4

कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करें और उनके प्रति उत्तरदायी हों।

अनिवार्य संकेतक

1. सत्ता के हितधारक समूह को पहचानने की मुख्य प्रक्रिया का विवरण दें :	एफ ए सी टी उन आंतरिक और बाहरी हितधारक समूहों को मान्यता देता है जिनका इसके संचालन और दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पहचाने गए प्रमुख हितधारक समूहों में शामिल हैं: 1. ट्रेड यूनियनें 2. कर्मचारी और श्रमिक 3. आपूर्तिकर्ता

2. आपकी सत्ता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति बताएं

हितधारक समूह	क्या यह पहचाना है कि आक्रमणीय अथवा पार्श्ववर्ती है (हाँ/ नहीं)	वार्तालाप के चैनल (ई-मेल, एस एम एस, अखबार, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना बोर्ड, वेबसाइट, अन्य बैठकें आदि)	आदान-प्रदान की आवृत्ति (वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही, अन्य)	आदान-प्रदान का प्रयोजन और लक्ष्य मुख्य विषय और आकांक्षा ऐसे अवसरों के दौरान उठाए जाते हैं
1. कर्मचारी/कामगार	जीहाँ	शिकायत तंत्र	अन्य	समस्याओं का पुनः समाधान
2. मजदूर संघ	जीहाँ	शिकायत तंत्र	अन्य	समस्याओं का पुनः समाधान
3. पूर्तिकार/ वेंडर/ डीलर/ शेयरधारी	जी नहीं	शिकायत तंत्र/	अन्य	समस्याओं का पुनः समाधान

मार्गदर्शन संकेतक

1.	हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्धिक, पर्यावरणी और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रिया प्रदान करें अगर परामर्श प्रतिनिधित्व पर है तो, बोर्ड को ऐसे परामर्शों के फीडबैक को कैसे दे सकेंगे।	* कंपनी का प्रबंधक मंडल बोर्ड के पर्यवेक्षण के अधीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंपा गया है। सभी हितधारक अ प्र नि से मिले कर परामर्श कर सकते हैं अथवा अपनि द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के साथ मिलकर परामर्श कर सकते हैं। ऐसे परामर्शों के आधार पर फीडबैक/ अपेक्षाएँ बोर्ड को रिपोर्ट की जाती है। कंपनी हमेशा मुख्य हितधारकों के साथ जिम्मा स्थाई और व्यावहारिक रखती है ताकि अपने निष्पाद और कौशल में बहत्तर आदान-प्रदान है। निरंतर जिम्मा प्रतीक्षाएँ खडा करने में सहायक है। तद्वारा कंपनी हितधारकों को खूब सेवा करने योग्य बन जाती है।

2.	क्या हितधारकों के परामर्श पहचान के समर्थन में इस्तेमाल किए जाते हैं और पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों के प्रबंधन में प्रयुक्त है (जी हाँ / जी नहीं) अगर है तो घटनाओं का विवरण दें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त परामर्श सत्ता की नीति और क्रियाकलापों में समाविष्ट हैं।	जी हां। कामगारों अथवा कर्मचारियों से प्राप्त परामर्श कंपनी की सुरक्षा नीति में समाविष्ट किया जाता है। पूर्तिकारों और विक्रेताओं के परामर्श सामग्रियों के स्रोत जानने के लिए सहायक है। डीलरों के फीडबैक पर विपणन नीति के गठन करते समय विचार किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशों का अनुपालन किया जाता है। कंपनी ई एस जी के विविध पहलुओं को फैलाने में लगी हूई है और इसलिए हितधारक प्रतिक्रियाएँ महत्वपूर्ण है। कंपनी की नियमित प्रवृत्ति हितधारकों को शामिल करके उनके फीडबैक को भी कंपनी के कौशल में समायोजित करना भी है।
3.	क्षतिदायक / सीमांत के हितधारकों के साथ जिम्मे के ऐसे अवसरों का विवरण दें और इन्हें हटाने के लिए की गई कार्रवाइयों का बखान करें।	कंपनी के सी एस आर कार्यकलाप समाज के असुविधावाले, क्षतिदायक और सीमांत खंडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यथा डी पी ई में विनिर्दिष्ट है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में सी एस आर कार्यकलापों का अलग से उल्लेख किया गया है।

सिद्धांत 5
कारोबार को मानवीय अधिकारों का सम्मान और उनकी अभिवृद्धि करना चाहिए।

अनिवार्य सूचकांक

1. निम्नलिखित प्रपत्र में सत्ता मानवीय अधिकारों की समस्याएं और नीति पर प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी और कामगार।

श्रेणी	वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	अछादित कर्मचारियों कामगारों की संख्या(ख)	%(ख/क)	कुल (ग)	अछादित कर्मचारी कामगारों की संख्या(घ)	%(ग/घ)
कर्मचारी						
स्थाई	642	197	30.69%	635	50	8%
अन्य स्थाई	25	2	8%	46	0	0%
कुल	667	199	29.84%	681	50	7%
कामगार						
स्थाई	876	109	12.44%	888	5	0.56%
अन्य स्थाई	649	12	1.85%	712	3	0.42%
कुल कामगार	1525	121	7.93%	1600	8	0.5%

2. निम्नलिखित प्रपत्र में कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी के ब्यौरे:

श्रेणी	वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष					वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	समतुल्य न्यूनतम मजदूरी		अधिक न्यूनतम मजदूरी		कुल (घ)	समतुल्य न्यूनतम मजदूरी		अधिक न्यूनतम मजदूरी	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ड.)	% (ड./घ)	संख्या (च)	% (च/क)
कर्मचारी										
स्थाई	642	0	0	642	100	635	0	0	635	100
पुरुष	562	0	0	562	100	563	0	0	563	100
महिला	80	0	0	80	100	72	0	0	72	100
अन्य स्थाई	25	0	0	25	100	46	0	0	46	100
पुरुष	21	0	0	21	100	39	0	0	39	100
महिला	4	0	0	4	100	7	0	0	7	100
कामगार										
स्थाई	876	0	0	876	100	888	0	0	888	100
पुरुष	847	0	0	847	100	859	0	0	859	100
महिला	29	0	0	29	100	29	0	0	29	100
अन्य स्थाई	649	0	0	649	100	712	0	0	712	100
पुरुष	527	0	0	527	100	592	0	0	592	100
महिला	122	0	0	122	100	120	0	0	120	100

3. निम्नलिखित प्रपत्र में पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी

ए. औसत पारिश्रमिक/वेतन

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबद्ध श्रेणी का औसत/ पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबद्ध श्रेणी का औसत/ पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बी ओ डी)	3	45,37,188.56*	0	-
मुख्य कार्मिक (प्रबंधकीय)	3	45,37,188.56*	1	28,35,646.93
कर्मचारी बी ओ डी के एम पी मुक्त का **	559	17,20,277.34	80	12,82,835.32
कामगार **	847	8,13,763.59	29	6,36,363.88

नोटः केवल स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों पर ही विचार किया जाता है।

* सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) को उनके मूल संगठन से वेतन मिलता है। इसलिए, न तो गणना के लिए और न ही माध्यिका गणना के लिए विचार किया जाता है।

वेतन के लिए केवल मार्च 2024 का मूल वेतन और महंगाई भत्ता ही विचारणीय है।

** इन कर्मचारियों का वर्ष 2023-24 का सकल वेतन माध्यिका गणना के लिए माना जाता है।

ख) सत्ता द्वारा महीलाओं को दी जानेवाली मज़दूरी , दी जानेवाली कुल मज़दूरी के % में, निम्नलिखित प्रपत्र पर।

	वि व 2024-25 चालू वर्ष	वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष
कुल मज़दूरी के प्रतिशत में	10.07%	10.75%

4. क्या आपके पास एक केंद्र स्थान है जो (व्यक्तिगत / समिति) जो कारोबार द्वारा सृजित अथवा घटित समस्याएँ और मानवीय अधिकार प्रभावों को दूर करने के लिए उत्तरदायी है? (जी हां / जी नहीं)	जी हाँ।
5. मानवीय अधिकार संबंधी समस्याओं से संबंधित शिकायतों के प्रतितोष के लिए आंतरिक व्यवस्था का विवरण दें।	एफ ए सी टी अपना व्यापार सर्वाधिक प्रवीणता सत्यनिष्ठा ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के साथ आयोजित करने में समर्पित है। कंपनी के पास एक बृहत् आचरण संहिता है, जो सभी कर्मचारियों पर लागू है। इसके अलावा, एफ ए सी टी अपने कार्मिकों को एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण का आश्वासन देता है। अगर कोई चिन्तनीय मामला पत्र अथवा ई-मेल द्वारा उठाया गया है तो कंपनी के भीतर का संगत विभाग तुरंत उन्हें निपटाता है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की गई शिकायतों की संख्या

	वि व (2024-25) चालू वित्तीय वर्ष			वि व (2023-24) गत वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान फाइल किया	वर्षांत में निलंबित संकल्प	कैफियत	वर्ष के दौरान फाइल किया	वर्षांत में निलंबित संकल्प	कैफियत
लैंगिक पीडा	1	0	-	1	0	-
कार्यस्थल पर विवेचना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-
बाल श्रम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-
जबरदस्ती श्रम/ अस्वैच्छिक श्रम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-
मजदूरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-
मानवीय अधिकारों से संबंधित अन्य समस्याएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-	3	3	-

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक पीडा (निवारण, संरक्षण और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंदर फाइल की शिकायतें निम्न प्रपत्र पर।

	वि व 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वि व 2023-24 गत वित्तीय वर्ष
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक पीडा (निवारण, संरक्षण और प्रतितोष, 2013 के अंदर रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें (पी ओ एस एच)	1	1
पी ओ एस एच पर शिकायतें महिला कर्मचारी / कामगारों के प्रतिशत में	0.92%	0.99%
पी ओ एस एच पर शिकायतें निलंबित है	0	1

8. विभेद और पीडा मामलों में शिकायत करनेवाले को प्रतिकूल परिणाम को रोकने का तंत्र	जी हाँ। शिकायत प्रतितोष समितियों में क्षतिदेय/ सीमांत दलों से काफी सदस्यों को शामिल कर गठित है।
9. क्या मानव अधिकार आपके व्यापार समझौता और निविदाओं के भाग रूप में अपेक्षित है (हाँ/ नहीं)	जी हाँ।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन सत्ता या सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा किया गया है
बाल श्रम	100 %
जबरदस्त/ अस्वैच्छिक श्रम	100 %
लैंगिक पीडा	100 %
कार्यस्थल पर विवेचना	100 %
मजदूरी	100 %
अन्य - स्पष्ट करें	-

11. ऊपर प्रश्न 9 के मूल्यांकन से उठनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिन्तनों के समाधान के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई और प्रगति पर के प्रयास का विवरण प्रस्तुत करें।	मूल्यांकनों के दौरान किसी महत्वपूर्ण उद्विग्नताओं को न पाया और न रिपोर्ट मिली है।

मार्गदर्शन संकेतक

1. मानवीय अधिकारों संबंधी शिकायतों के समाधान के परिणाम-स्वरूप संशोधित / प्रारंभ किए गए किसी व्यापार प्रक्रिया का विवरण	एफ ए सी टी ने हमेशा मानव अधिकारों को अपनी सभी नीतियों का सहज भाग मानता है। मानव अधिकार और शिकायत के मध्य में आने के लिए कंपनी को अपनी नीति/ प्रक्रम को बदलना नही पडा है। उचित प्रवीणता रुचि युक्त संस्था होने के नाते, कंपनी सभी कर्मचारियों को समान अवसर के सिद्धांत पर वचनबद्ध है और ऐसे एक वातावरण का सृजन करने का विश्वास रखती है, जो विभेदों से मुक्त है। कंपनी सभी प्रकार के विभेदों और पीडा को दूर करने में वचनबद्ध है जैसे जाति, रंग, धर्म या विश्वास, सामाजिक अथवा एतनिक मूल, लिंग, आयु, शारीरिक, मानसिक अथवा ऐंट्रिक विफलता, एच आइ वी स्थिति, लैंगिक अभिविन्यास लिंग पहचान और/ अथवा प्रकटन, वैवाहिक स्थिति, परिवार चिकित्सा इतिहास, अथवा उत्पत्ती संबंधी सूचना, परिवार अथवा माता-पिता अवस्था आदि। आचरण संहिता बताता है मार्गदर्शनजो कंपनी में उचित वातावरण की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी कर्मचारियों का पालन-पोषण, ठीक नीतिशास्त्र और आचरण संहिता के साथ करती है, जिसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का रूपांकन कर्मबल के विकास और वृद्धि के लिए आयोजित है।
2. किसी मानव अधिकार के आयोजित सही तत्परता का लक्ष्य और आच्छादन का विवरण	कंपनी अपने सभी कार्यकलापों पर मानव अधिकार सिद्धांतों को जगह देती है।
3. क्या सत्ता का परिसर / कार्यालय विभिन्न क्षमता युक्त आगंतुकों के प्रवेश के लिए विकलांगता अधिनियम 2016 के साथ व्यक्तियों के साथ अधिकारों की अपेक्षा के अनुसार है ?	जी हां।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन के ब्यौरे

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसी भागीदारों के साथ किए व्यापार के मूल्य पर) जो मूल्यांकित किया है
लैंगिक पीडा	कुछ नहीं
कार्यस्थल पर विवेचना	कुछ नहीं
बाल श्रम	कुछ नहीं
जबरदस्ती / अस्वैच्छिक श्रम	कुछ नहीं
मजदूरी	कुछ नहीं
अन्य - स्पष्ट करें	कुछ नहीं

5. ऊपर प्रश्न 4 में हुए मूल्यांकन से उठनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ उद्विग्नताओं के समाधान के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रगति पर का कोई काम:	लागू नहीं

सिद्धांत 6

कारोबार को पर्यावरण को सुरक्षित रखने और उसका प्रत्यावर्तन करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

अनिवार्य सूचकांक

1. निम्नलिखित प्रपत्र में कुल ऊर्जा उपभोग (जी जे) और ऊर्जा क्षमता का विवरण

पैरामीटर	**वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)**	**वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)**
पुनरुज्जीवित स्त्रोतों से		
कुल बिजली उपभोग (क)	34579.40	12568.30
कुल ईंधन उपभोग (ख)	-	-
अन्य स्त्रोतों द्वारा ऊर्जा उपभोग(ग)	-	-
अन्य स्त्रोतों द्वारा पुनरुज्जीवित स्त्रोतों से कुल ऊर्जा उपभोग(क + ख + ग)	34579.40	12568.30
न पुनरुज्जीवित स्त्रोतों से		
कुल बिजली उपभोग (घ)	550121.61	784506.60
कुल ईंधन उपभोग (ड.)	4178191.62	1714453.90
अन्य स्त्रोतों द्वारा ऊर्जा उपभोग(च)	-	-
न पुनरुज्जीवित स्त्रोतों से कुल ऊर्जा उपभोग(घ + ड. + च)	47283313.23	2498960.60
कुल ऊर्जा उपभोग (क + ख + ग + घ + ड. + च)	4762892.71	2511528.80
ऊर्जा क्षमता प्रति पण्यावर्त रुपया (करोड) (कुल ऊर्जा उपभोग/ प्रचालनों से राजस्व)	1175.70	496.80
ऊर्जा क्षमता प्रति पण्यावर्त रुपया पाअर पारिटी खरीदने (पी पी पी) के लिए समायोजित (कुल ऊर्जा उपभोग/ पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व)	-	-
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता। (कुल ऊर्जा खपत / पूर्णकालिक समतुल्य)	3123	1649
ऊर्जा क्षमता (वैकल्पिक) प्रति कर्मचारी	-	-

टिप्पणीः पूर्णकालिक समतुल्य = कामगार और कर्मचारी दोनों माने जाते हैं

टिप्पणीः क्या कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/ मूल्य निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी अभिकरण द्वारा हूआ है? (हां / नहीं)अगर है तो बाहरी एजेंसी का नाम।	जी हाँ । टी यू वी एस यू डी साउथ एशिया प्राइवट लिमिटेड

2.	क्या सत्ता को कोई स्थान / सुविधाएँ भारत सरकार के निष्पादन, उपलब्ध कर व्यापार (पी ए टी) योजना के अधीन पदनामित उपभोक्ता ((डी सी एस) के रूप में पहचाने गए हैं? (जी हाँ / जी नहीं) अगर जी हाँ तो कृपया प्रकट करें कि क्या पी ए टी योजना के अधीन लगाए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है? अगर लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं हुई तो उसके लिए किए गए निवारक उपाय, अगर है।	जी हाँ। अमोनिया कॉम्प्लेक्स एक पदनामित उपभोक्ता है (पंजीकरण नं. FTZ0029KL) । पी ए टी चक्र II लक्ष्य 0.959 दशलक्ष टन तेल समतुल्य (एम टी ओ ई)। निर्धारण वर्ष के दौरान (2018-19) संयंत्र प्रचालन में नहीं था और इसलिए कम क्षमता उपयोग के कारण विमुक्त किया गया। ऊर्जा क्षमता ब्यूरो द्वारा नए पी ए टी चक्र में एकक को शामिल नहीं किया गया है। दि. 7 सितंबर, 2022 को पेट्रोकेमिकल संयंत्र को पदनामित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया गया। बुनियादी स्तर के डेटा संग्रह बी ई ई द्वारा ऊर्जा न्यूनीकरण लक्ष्य के लिए करना है।

3. निम्नलिखित प्रपत्र में जल संबंधी निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण दें।

पैरामीटर	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (कि ली में)		
(I) भूतल जल	6437477.00	8369141.00
(ii) भूगर्भ जल	-	-
(iii) तीसरी पार्टि जल (टैंकर)	-	-
(iv) सागर पानी / अलवणीकृत पानी	-	-
(v) नगर पालिका से जल	-	752.00
(vi) जल बोतल अक्वागार्ड (ली x बोतलों की संख्या (के एल) अन्य वर्षा पानी संग्रह तालाब में, पेरियार वैली सिंचाई परियोजना (पी वी आई पी), जल उपचार संयंत्र, (*वित्तीय वर्ष 25 के लिए झील में वर्षा जल संचयन)	2007691.00*	2717169.20
जल निकासी की कुल मात्रा (किलो लीटर में) (i+ii+iii+iv+v+vi)	8445168.00	11087062.20
जल उपभोग की कुल मात्रा(किलोलीटर में)	8445168.00	11087062.20
जल तीव्रता प्रति पण्यावर्त रुपया (करोड) कुल जल उपभोग/ प्रचालनों से राजस्व	2084.70	2139.30
जल तीव्रता प्रति पण्यावर्त रुपया पाअर पैरिटी (पी पी पी) खरीद के लिए समायोजित (कुल जल उपभोग / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व	-	-
भौतिक निवेश के रूप में जल तीव्रता (कुल जल खपत / पूर्णकालिक समतुलय)	5563.30	7279.70
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रति कर्मचारी	-	-

नोटः कृपया सूचित करें कि किसी स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्य निर्धारण / अश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है? (हाँ / नहीं) अगर है तो बाहरी एजेंसी का नाम	हाँ। टी यू वी एस यू डी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड

4. विसर्जित जल संबंधी विवरण निम्न लिखित प्रपत्र पर दें।

पैरामीटर	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
गंतव्य स्थान और उपचार स्तर द्वारा		
i) सतह जल		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
ii) तल जल		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
iii) सागर जल		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
iv) तीसरे दल को प्रेषित		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
v) अन्य		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें (पश्च जल धारा और नदियां)	2176814	2731379
कुल विसर्जित जल (किलोलीटर में)*	2176814	2731379

* यूसी और कोचीन संयंत्रों के लिए, उपचारित जल को प्राधिकृत आउटलेट के माध्यम से छोड़ा जाता है। नोटः सूचित करें अगर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है? (हां / नहीं) अगर है तो बाहरी एजेंसी का नाम।	जी हाँ । टी यू वी एस यू डी साउथ एशिया प्राइवट लिमिटेड

5.	जीरो लिक्विड डिसचार्ज के लिए सत्ता ने किसी व्यवस्था को कार्यान्वित किया है? अगर है तो उसका आच्छादन और कार्यान्वयन का विवरण दें?	जी नहीं।

6. सत्ता द्वारा (जी एच जी निर्गमन के अलावा) वायु-निर्गमन का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में दें।

पैरामीटर	कृपया यूनिट स्पष्ट करें	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
एन ओ एक्स	मीट	5.79	0.00
पर्टिकुलेट मैटर (पी एम)	मीट	177.1	110.5
एस ओ एक्स	मीट	408.0	426.5
सुदृढ जैव प्रदूषक (पी ओ पी)	कुछ नहीं	0.00	0.00
बाष्पशील जैव सम्मिश्र (वी ओ सी)	कुछ नहीं	0.00	0.00
खतरनाक वायु प्रदूषक (एच ए पी)	कुछ नहीं	0.00	0.00
अन्य - विनिर्दिष्ट करें (अमोनिया, फ्लूराइड, एसिड मिस्ट और सी ओ)	मीट	135.1	206.1

नोटः सूचित करें अगर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है? (हां / नहीं) अगर है तो बाहरी एजेंसी का नाम।	हाँ। टी यू वी एस यू डी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड

7. निम्नलिखित प्रपत्र में ग्रीनहाउस गैस विसर्जन (व्याप्ति 1 और व्याप्ति 2) विसर्जन और उनकी सघनता का विवरण प्रस्तुत करें।

पैरामीटर	यूनिट	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 विमोचन (जी एच जी का विश्लेषण सीओ2, सीएच4, एन2ओ,एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6,एनएफ3, अगर उपलब्ध है)	मीट्रिक टन सीओ2 का समतुल्य	234928.79	99492.5
कुल स्कोप 2 विमोचन (जी एच जी का विश्लेषण सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3, अगर उपलब्ध है)	मीट्रिक टन सीओ2 का समतुल्य	111094.00	155811.7
कुल स्कोप1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति पण्यावर्त करोड रुपए (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जी एच जी उत्सर्जन / प्रचालनों से राजस्व		85.41	50.51
कुल स्कोप1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति पण्यावर्त समायोजित पाअर (पी पी पी) पैरिटी खरीद के लिए (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जी एच जी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व)		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता भौतिक निवेश के रूप में. **कुल स्कोप1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) प्रति कर्मचारी**		227.94	167.63

नोटः सूचित करें अगर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है? (हां / नहीं) अगर है तो बाहरी एजेंसी का नाम।	हाँ। टी यू वी एस यू डी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड

8.	क्या सत्ता के पास ग्रीनहाउस गैस विमोचन कम करने के लिए कोई परियोजना संबद्ध है? अगर हाँ तो विवरण दें।	कंपनी ने बॉयलरों और फर्नसों को परिस्थिति अनुकूल और ऊर्जा सक्षम ईंधन, विशेषकर आर एल एन जी का उपयोग करने के लिए परिवर्तित किया है। इस परीवर्तन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हुई। इसके अलावा, एकक के भीतर उत्पादन प्रक्रिया का रूपांकन उत्सर्जनों को और कम करने के लिए किया गया है। कंपनी भी पुनरुज्जीवित ऊर्जा का उपयोग अपने प्रचालनों के लिए करती है।

9. सत्ता द्वारा कचरा प्रबंधन संबंधी विवरण निम्नलिखित प्रपत्र पर है।

पैरामीटर	**वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)**	**वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)**
कुल अपशिष्ट चीज़ें उत्पादित (मी ट में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	18.82	-
ई-अपशिष्ट (ख)	0.246	0.46
जैव-चिकित्सा के अपशिष्ट (ग)	0.025	0.01
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)**	-	7200
बैटरी अपशिष्ट (ड.)	1.88	0.66
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट (छ) कचरा तेल गीली कचरा, डी जी फिल्टर. पेंट डिब्बे, रासायनिक डिब्बे, पेंट अवशोष,तेल गाढा कीचड, डी जी चिमनी कालिख, ठंडा तेल और फालतू तेल) अगर है उपयुक्त उत्प्रेरक, सलफर मक, फालतू तेल लेड स्क्रैप, ई टी पी तलछट, पुराने खराब और ग्राइन्डर एम एस/ एस एस मशीन/ काटे टुक्डे	276.16	869.84
अन्य न परिसंकटमय कचरा (ज) कृपया स्पष्ट करें, अगर है (निर्माण द्वारा विघटन) अर्थात् उस क्षेत्र को संगत सामग्री	-	-
कुल **(क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज)**	297.14	8070.90
कचरा तीव्रता प्रति पण्यावर्त रुपया (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व)	0.07	1.59
कचरा तीव्रता प्रति पण्यावर्त रुपया जो पअर पैरिटी खरीद (पी पी पी) के लिए समायोजित पैदा हुए कुल कचरा/ पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व।	-	-
कचरा तीव्रता भौतिक निवेश के रूप में (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पूर्णकालिक समतुल्य)	0.19	5.04
कचरा तीव्रता (वैकल्पिक) - सत्ता द्वारा संगत मेट्रिक का चयन करें		

उत्पादित प्रत्येक अपशिष्ट की श्रेणी के लिए, पुनःचक्रीकरण, पुनः उपयोग अथवा अन्य वसूली प्रचालन (मी ट में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	1.40	0.46
(ii) पुनः उपयुक्त	4.84 KL	-
(iii) अन्य वसूली प्रचालन		कुछ नहीं
कुल	**6.24**	**0.46**
उत्पादित प्रत्येक अपशिष्ट की श्रेणी के लिए, निपटान तरीके के प्रकार से निपटाए अपशिष्ट (मी ट में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) इनसिनरेशन	3.37	8070.51
(ii) भूमि भराई	–	-
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	-	कुछ नहीं
कुल	3.37	8070.51

***कंपनी कचरा पैदा होने के अनुश्रवण की प्रक्रिया में है (यथापि छोटी मात्रा में है और आगे एक सशक्त निपटान व्यवस्था होने के कारण कम करने के लिए भूमि भरने के लिए भेजा जाता है।**

**** संयंत्र के विध्वंस से निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट में वृद्धि हुई।**

नोटः सूचित करें अगर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है? (हां / नहीं) अगर है तो बाहरी एजेंसी का नाम।	हाँ। टी यू वी एस यू डी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड।

10.	आपकी स्थापनाओं में अपनाई अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं को संक्षेप में बताएँ। आपकी कंपनी द्वारा खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को उत्पादों में कम करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएँ और ऐसी अपशिष्ट प्रबंधन को कौन-सी प्रक्रिया अपनाई है।	एफ ए सी टी ने बृहत् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना का अनुवर्तन किया जाता है। परिसंकटमयेतर ठोस कचरों को उत्पादित केन्द्रों से एकत्र करके प्रत्येक स्थानों पर संग्रह करके रखा जाता है (सुविधानुसार) धातु स्क्रेप, ई-कचरा और प्लास्टिक कचरा का प्रबंधन मेटल स्केप ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम एस टी सी) द्वारा किया जाता है। जैव चिकित्सा के कचरों का सुरक्षित निपटान आइ एम ए -इमेज सुविधा द्वारा किया जाता है। उपयोगोपरांत के बैटरी और अन्य कचरों को निपटान फिर खरीद नीति द्वारा किया जाता है। परिसंकटमय कचरा श्रेणी में उपयुक्त उत्प्रेरक, सल्फर मक कचरा तेल, लेड स्क्रेप और ई टी पी स्लड्ज इन सब का निपटान प्राधिकृत प्रक्रमकर्ता द्वारा सुरक्षित रूप से किया जाता है। कचरा तेल को रीसाइकिल द्वारा कणवेयर रोलर और अन्य मशीनरी में स्निग्धीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

11. अगर सत्ता को प्रचालन / कार्यालय परिस्थिति-संवेदनशील क्षेत्रों में / के नजदीक है (जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फियर रिसर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, समुद्रतटीय व्यवस्थावाले क्षेत्र आदि) उसके पास है तो परिस्थिति अनुमोदन / निकासी अपेक्षित, निम्नलिखित प्रपत्र में विनिर्दिष्ट करें।

क्रम सं.	**प्रचालनों/कार्यालयों की अवस्थिति**	**प्रचालनों की प्रकृति**	**प्रचालनों की प्रकृतिक्या परिस्थिति अनुमोदन / निकासी का अनुमोलन किया जाता है? (हां/ नहीं) अगर नहीं तो उसके कारण और ली गई निवारक कार्रवाई, अगर है**
कुछ नहीं			

12. सत्ता द्वारा अपनाई परियोजनाओं का परिस्थिति प्रभाव का मूल्यांकन का विवरण, लागू नियमों के आधार पर, चालू वित्तीय वर्ष में।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ई आइ ए अधिसूचना सं.	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित है (हाँ/नहीं)	सार्वजनिक स्थल पर सूचित परिणाम(हाँ/नहीं)	संगत वेब लिंक
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

13. क्या सत्ता ने लागू पर्यावरणी नियम / विनियम / भारत में मार्गदर्शन जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अधीन गठित नियमों के प्रति शिकायत की है। (जी हाँ / नहीं) अगर नहीं तो ऐसे अननुपालन के ब्यौरे निम्नलिखित प्रपत्र पर दें।

क्रम सं.	अननुपालन का कानून विनियम/मार्गदर्शन विनिर्दिषट करें	अननुपालन का विवरण दें	क्या कोई शुल्क/ शास्ति/ कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसे विनियामक एजेंसियों द्वारा हुआ है	ली गई निवारक कार्रवाई अगर है
जी हाँ				

मार्गदर्शन संकेतक

1. जल निकासी, उपभोग और विसर्जन जल तनाव वाले क्षेत्रों में (किलोलीटर में) **लागू नहीं। कोई भी क्षेत्र जल-तनाव वाले प्रदेशों में नहीं है।**					
जल तनाव वाले क्षेत्रों में स्थित सुविधा / संयंत्र के लिए निम्न सूचना दें					
i) क्षेत्र का नाम					
ii) प्रचालनों की प्रकृति					
iii) जल निकासी, उपभोग और विसर्जन निम्नलिखित प्रपत्र में					

पैरामीटर	वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
i) सतह जल	-	-
ii) तल जल	-	-
iii) तीसरी पार्टी जल	-	-
iv) सागर जल/ नमक मुक्त जल	-	-
v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
जल तीव्रता प्रति पण्यावर्त रुपया (उपभोग का जल / पण्यावर्त)	-	-
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - सत्ता द्वारा संगत मेट्रिक का चयन करें।	-	-

जल विसर्जन गंतव्य स्थान और उपचार स्तर द्वारा (किलोलीटर में)		
i) सतही जल में		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
ii) तल जल में		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
iii) सागर जल में		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
iv) तीसरे दल को प्रेषित		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
v) अन्य		
उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ - उपचार का स्तर विनिर्दिष्ट करें	-	-
कुल विसर्जित जल (किलोलीटर में)*	-	-

नोटः सूचित करें अगर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है? (हां / नहीं) अगर है तो बाहरी एजेंसी का नाम।	कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/ मूल्य निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है।

2. कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र पर दें।

पैरामीटर	**यूनिट**	**वि व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)**	**वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)**
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जी एच जी का विश्लेषण सीओ2, सीएच4, एन2ओ,एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6,एनएफ3, अगर उपलब्ध है)	मीट्रिक टन सीओ2 का समतुल्य	आनेवाले वर्षों में कंपनी इन उत्सर्जनों की ट्रैकिंग प्रक्रिया में हैं।	
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति पण्यावर्त रुपया			
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है।			

नोटः सूचित करें अगर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है? (हां / नहीं) अगर है तो बाहरी एजेंसी का नाम।	कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/ मूल्य निर्धारण / आश्वासन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है।

3.	प्रश्न 10 में रिपोर्ट किए परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में उपर्युक्त अनिवार्य संकेतकों के संबंध में सत्ता के प्रत्यक्ष और परोक्ष महत्वपूर्ण प्रभाव ऐसे क्षेत्रों में जैववैविध्य को निवारक और उपचारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रस्तुत करें।	एफ ए सी टी पर लागू नहीं।

4. अगर सत्ता ने किसी विनिर्दिष्ट पहल शक्ति अतवा नवीकृत प्रौद्योगिकी का उपयोग अथवा स्रोत क्षमता बढाने को समाधान अपनाया है अथवा विसर्जनों के कारण प्रभाव को कम करने / बहिस्राव विसर्जन / उत्पन्न अपशिष्ट वस्तुओं के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाया है तो उसका विवरण ऐसी पहल शक्तियों के परिणाम सहित निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करें।

क्रम सं.	**की गई पहल शक्ति**	**पहल शक्ति का विवरण (सारांश के साथ वेब लिंक, अगर है तो बताएँ)**	**पहल शक्ति का परिणाम**
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-

5.	क्या सत्ता के पास एक व्यापार निरंतरता और जोखिम प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों / वेब लिंक में दें।	एफ ए सी टी के पास एक व्यापार निरंतरता और जोखिम प्रबंधन योजना है। जोखिम प्रबंधन योजना की तैयारी लक्ष्यों के अनुसार हुई हैं जैसे (i) जोखिमों और विपत्ति क्षमता-परिदृश्यों की पहचान। (ii) घटित होना की संभावनावाली दुर्घटनाओं के स्थानीयकरण और अगर संभल है तो घटनाओं के हानिकारक प्रभावों को न्यूनतम करना (iii) तकनीकी और संगठनात्मक क्रियाविधियों का पर्याप्त विवरण प्रदान करना, आपात् कालीन प्रतिक्रिया क्रियाविधियों का वर्णन, जीवन हानि को, संपत्ति को और पर्यावरण की क्षति को न्यूनतम करना (iv) निकासी के लिए विस्तृत क्रियाविधियाँ. रक्षा और मृतकों का उपचार (v) आपात्कालीन प्रतिक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों को उनकी भूमिका के बारे में साफ रूपरेखा देना (vi) आंतरिक रूप में आपात् काल का प्रबंध करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों और साधनों के स्रोतों का समुचित मूल्यांकन के साथ अतिरिक्त स्रोतों / कुशलताओं का पडोस के उद्योगों से आपसी सहायता आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना जो प्रतिष्ठापनों और अन्य बाहरी एजेंसियों से जुटाना (vii) यह आश्वासन देना कि जनशक्ति, उपकरण, सूचना संबंधी और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, आपात् कालीन योजना को घटनास्थल पर आयोजित करने के लिए जरूरी सामग्री और वित्तीय स्रोतों का प्रबंध करना जो दुर्घटना के अवसर पर तत्काल योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध कराना (viii) पीडितों को और सुरक्षित स्थानों को ले जाना और ऐसे व्यक्तियों को पूर्व स्थित पर पहुँचाना, आदि। एफ ए सी टी के पास एक सुसज्जित स्थान पर आपात् कालीन योजना (ओ एस ई पी) है जिसमें क्रियाविधि, प्रणाली और प्रत्येक प्रकार के आपात् काल की प्रतिक्रिया के लिए स्रोत उपलब्ध है। ओ एस ई पी में निम्नलिखित घटक सम्मिलित है: 1. जोखिम निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट, जिनमें जोखिम क्षमता और संगठन द्वारा और आसपास के समुदायों द्वारा सामना किए जानेवाले जोखिमों का पहचान प्राप्त है। 2. कर्मचारियों, हितधारकों और आम जनता के साथ संपर्क करने के लिए सूचना नयाचार। 3. कर्मचारियों और ग्राहकों को लिए सुरक्षित रूप से बाहर जाने का रास्ता और क्रियाविधियाँ। 4. एक संकट के साथ और बाद अनिवार्य प्रचालनों की अविरता। 5. कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ आपात् कालीन प्रतिक्रिया दल। 6. उपलब्ध आश्रय 7. नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल्स 8. समीक्षा और आधुनिकीकरण
6.	सत्ता के मूल्य श्रृंखला से उठनेवाले कोई पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव है तो प्रकट करें। इस संबंध में सत्ता द्वारा लिए गए न्यूनीकरण अथवा अनुकूल करने का उपाय क्या है?	कंपनी के मूल्य श्रृंखला से न कोई प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण को नहीं हुआ है क्योंकि प्रचालन संयंत्रों के प्रक्रम डिज़ाइन प्रक्रिया में पहले ही आवश्यक्‌ कार्रवाई की गई है।

7.	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का (ऐसे भागीदारों के साथ किए व्यापार के मूल्य द्वारा) प्रतिशत जिसका मूल्यांकन पर्यावरणी प्रभावों के लिए किया गया है।	कुछ नहीं।

सिद्धांत 7

कारोबार, जनता और नियमबद्ध नीति पर प्रेरणा देते समय, वह इस प्रकार करना है कि वह उत्तरदायी और पारदर्शक है।

अनिवार्य संकेतक

1. क) व्यापार और उद्योग चेंबर/ संघों के साथ सह बद्धता की संख्या : 5

   ख) प्रथम 10 व्यापार उद्योग चेंबर / संघों की सूची (जिनका निर्णय ऐसे निकायों के कुल सदस्यों के आधार पर होता है।) जिनका सत्ता एक सदस्य है / संबद्ध है।

क्रम सं.	व्यापार और उद्योग चेंबर / संघ का नाम	व्यापार और उद्योग चेंबर / संघ की पहुँच (राज्य / राष्ट्रीय)
1.	दि फर्टिलाइजर्स असोसियेशन ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
2.	स्टैंडिंग कोणफेरन्स ऑफ पब्लिक एटरप्राइजेस	राष्ट्रीय
3.	ऑल इंडिया मैनेजुमेंट असोसियेशन	राष्ट्रीय
4.	केरला स्टेट प्रोडक्टिविटी कौणसिल	राज्य
5.	नेशनल सेफ्टी कौणसिल - केरला चैप्टर	राष्ट्रीय

2. सत्ता द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा - विरुद्ध किसी समस्या संबंधी विषयों पर ली गई सुधारात्मक कार्रवाई विवरण दें, जो नियामक प्राधिकारियों के प्रतिकूल आदेश पर आधारित था।

प्राधिकारी का नाम	मुकदमों का सारांश	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं.

मार्गदर्शन संकेतक

1. सत्ता द्वारा समर्थित नीति की स्थिति बताएँ

क्रम सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाया तरीका	क्या सार्वजनिक सीमा में सूचना उपलब्ध है	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक, तिमाही अन्य विनिर्दिष्ट करें	वेब लिंक अगर उपलब्ध है
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

सिद्धांत 8

कारोबार को समावेशी वृद्धि और समतुल्य विकास का संवर्धन करना चाहिए

अनिवार्य संकेतक

1. लागू नियमों के आधार पर सत्ता द्वारा ली गई सामाजिक प्रभाव निर्धारण (एस आइ ए) परियोजनाओं का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में)

परियोजना का नाम और संक्षिप्त	एस आइ ए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित है (जी हाँ/नहीं)	सार्वजनिक सीमा में सूचित परिणाम (जी हाँ/ नहीं)	संगत वेब लिंक
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2. परियोजना जिसके लिए चालू पुनर्वास और पुनःस्थापन (आर एण्ड आर) सत्ता ने अपनाया है, उसकी सूचना निम्नलिखित प्रपत्र पर दें:

क्रम सं.	परियोजना का नाम, जिसके लिए आर एण्ड आर चालू है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (पी ए एफ)	आर एण्ड आर के अंदर आनेवाले पी ए एफ का %	वि व में पी ए एफ को दी गई रकम (आई एन आर में)
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करके प्रतितोष की व्यवस्था का विवरण दें ।

एफ ए सी टी नीतिपूर्ण व्यापार कार्यविधियों में वचनबद्ध और सामुदायिक अभिरुचियों को प्राथमिकता देता है। कंपनी ने ऐसी एक प्रणाली की स्थापना की है जिसे सामुदायिक शिकायतें प्राप्त कर उसका प्रतितोष करे। शिकायत के साथ कोई व्यक्ति सीधे एफ ए सी टी से संपर्क कर सकता है व्यक्तिगत, प्रतिवेदन, पत्राचार अथवा ई-मेल द्वारा। शिकायत प्राप्त होने पर कंपनी के भीतर का संगत विभाग तुरंत समस्या का समाधान करता है।

4. निवेश सामग्रियों (निवेशों का निवेश के कुल मूल्य द्वारा) पूर्तिकारों से प्राप्ति का प्रतिशतः

पैरामीटर	चालू वित्तीय वर्ष 2024-25	गत वित्तीय वर्ष 2023-24
एम एस एम ई/ छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	11.07%	15.60%
भारत के भीतर से सीधे प्राप्त	53.09%	34.64%

5.छोटे शहरों में नौकरी-सृजन-व्यक्तियों को दिए जानेवाले मज़दूरियाँ(कर्मचारी अथवा कामगार स्थाई तौर पर नियोजित / ठेका आधार पर) निम्न अवस्थिति पर, कुल मज़दूरी लागत के प्रतिशत के तौर पर।

अवस्थिति	चालू वित्तीय वर्ष 2024-25	गत वित्तीय वर्ष 2023-24
ग्रामीण	0%	0%
अर्ध-शहरी	0%	0%
शहरी	100%	100%
महानगर	0%	0%

मार्गदर्शन संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव निर्धारणों में (ऊपर संदर्भित प्रश्न सं.1 का अनिवार्य सूचक) पहचाने किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

पहचाने नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

2. सत्ता द्वारा अपनाई सी एस आर परियोजनाओं पर जिसे पदनामित आकंक्षित जिलों में सरकारी निकायों द्वारा यथा पहचानी है, निम्नलिखित विवरण दें।

क्रम सं.	राज्य	अभिलषणीय जिला	व्यय की रकम (आई एन आर में)
कुछ नहीं.			

3.	क) क्या आपको एक वृत्तिक खरीद नीति है जहाँ आप अधिमान खरीद के लिए पार्श्ववर्ती/ आलोच्य समूह सम्मिलित पूर्तिकारों से है (जी हां / नहीं):	जी हां।
	ख) किस पार्श्ववर्ती/ आलोच्य समूह से आप खरीदते हैं?	अ ज / अ ज जा और महिला संरभकों द्वारा स्वामित्व के लोगो समेत एम एस ई से
	ग) कुल खरीद का (मूल्य में) यह कितने प्रतिशत तक है?	10.89%

4. आपकी सत्ता द्वारा खरीदे / स्वामित्व वाले बौद्धिक विशिष्ट गुण से विभाजित और व्युत्पन्न हितलाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में) परंपरागत ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करें।

क्रम सं	परंपरागत ज्ञान आधारित बौद्धिक विशिष्ट ग्रूप	स्वामित्व के / अर्जित (जी हाँ/ नहीं)	विभाजित हितलाभ (जी हाँ/ नहीं)	हितलाभ शेयर का आकलन का आधार
1.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

5. बौद्धिक विशिष्ट गुण संबंधी विवाद, जिसमें परंपरागत ज्ञान निहित है जिसमें किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर ली गई सुधारात्मक कार्रवाई और प्रगति पर की कार्रवाई के विवरण दें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का सारांश	ली गई सुधारात्मक कार्रवाई
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

6. सी एस आर परियोजनाओं के लाभानुभागियों का विवरण

क्रम सं	सी एस आर परियोजना	सी एस आर परियोजनाओं से हतलाभ प्राप्त	आलोच्य और पार्श्ववर्ती समूहों से लाभानुभोगियों की %
1.	मंजुम्मेल में पानी की आपूर्ति के लिए के डब्ल्यू ए को जल शुल्क का भुगतान	10000	50%
2.	धारवाड़ में नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के लिए आर सी एफ को प्रतिपूर्ति किए गए व्यय का हिस्सा	300	100%
3.	सरकारी एच एस एस एलूर को वित्तीय सहायता	160	75%
4.	कर्नाटक के बीदर में सर्वोदय आई आर एस-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अग्रिम भुगतान	900	75%
5.	सौख्यम चैरिटेबल ट्रस्ट-आंगनवाड़ियों को भुगतान	300	75%
6.	कुसाट (अध्यक्ष प्रोफेसर) को अनुदान	100	50%
7.	पीएमकेएसके के लिए पुस्तकों की खरीद (सोलापुर राज्य कार्यालय में पुस्तकें प्राप्त)	70	75%

सिद्धांत 9

कारोबार को उपभोक्ता को नियुक्त कर उन्हें मूल्य उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से देना होगा।

अनिवार्य संकेतक

1.	उपभोक्ता शिकायतों को प्राप्त कर उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए और फीडबैक की व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करें।	फेक्ट डीलरों के नेटवर्क के द्वारा काम करता है, जो उनके उत्पाद बिकते हैं। एफ ए सी टी के बिक्री प्रतिनिधि नियमित रूप से डीलरों और ग्राहकों दोनों के साथ मिलते हैं। जब ग्राहक शिकायत उठाते हैं अथवा आलोचना उठाते हैं तो प्रक्रिया निम्न प्रकार है। महत्वपूर्ण समस्याओं को संगठन के उच्चतर प्राधिकारियों को भेजा जाता है। इसमें गंभीर उत्पाद कमियाँ, सेवा विफलता और अन्य नाजुक मामले आते है। इसका उद्देश्य प्रमुख शिकायतों का तत्काल समाधान है और प्रभावी ढंग से ग्राहक संतोष का अनुरक्षण और कंपनी की ख्याति को बढावा देना है। बिक्री अधिकारी गौण बातों को सीधे ठीक करते हैं। इनमें छोटे मामले, पूछताछ अथवा सामान्य फीडबैक ग्राहकों का आता है। गौण चिंतनों का तत्काल समाधान द्वारा एफ ए सी टी एक सकारात्मक ग्राहक अनुभव और उदारता को प्रोत्साहित करने का आश्वासन देता है।

2. उत्पादों और सेवाओं का पण्यावर्त, पण्यावर्त के % के रूप में सभी उत्पादों / सेवाओं से जिनके बारे में सूचना है।

	कुल पण्यावर्त के प्रतिशत में
पर्यावरणी और सामाजिक पैरामीटर उत्पाद से संगत	-
सुरक्षित और दायित्वपूर्ण उपयोग	-
पुनःचक्रीकरण और / अथवा सुरक्षित निपटान	-

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या

	व व 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)			**वि व 2023-24 (गत वित्तीय वर्ष)**		**कैफियत**
	वर्ष के दौरान प्राप्त	**वर्षांत में निलंबित संकल्प**	**कैफियत**	**वर्ष के दौरान प्राप्त**	**वर्षांत में निलंबित संकल्प**	
डेटा गुप्तता	लागू नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं
विज्ञापन	लागू नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं
सैबरसुरक्षा	लागू नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं
उत्पादों का वितरण	2	0	लागू नहीं	10	0	सब सुलझ गया
उत्पादों की गुणता	12	0	लागू नहीं	7	0	लागू नहीं
नियंत्रित व्यापार रीतियां	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनीतिपूर्ण व्यापार रीतियां	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य	2	0	कुछ नहीं	13	0	लागू नहीं

4 सुरक्षा समस्याओं के कारण उत्पाद प्रत्यादेशों की घटनाओं का विवरण

	संख्या	**प्रत्यादशों के लिए कारण**
स्वैच्छिक प्रत्यादेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जानबूझकर प्रत्यादेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं

5.	क्या सत्ता के पास सैबर सुरक्षा और डेटा वैयक्तीकरण संबंधी जोखिमों पर ढाँचा / नीति है ? (जी हाँ / जी नहीं) उपलब्ध है, तो नीति का वेब लिंक प्रदान करे।	जी हाँ। कंपनी की आइ टी नीति / सैबर सुरक्षा और डेटा वैयक्तिकता संबंधी जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए अभिन्यास है। इसमें वेब लिंक https://fact.co.in/home/Dynamicpages?MenuId=185 द्वारा प्रवेश कर सकता है।
6.	विज्ञापन और अवश्य सेवाओं का वितरण, सैबर सुरक्षा, ग्राहकों की डेटा वैयक्तिकता, उत्पाद प्रत्यादेशों की घटनाओं की पुनरावृत्ति, उत्पादों/ सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकारियों द्वारा ली गई कार्रवाई / शास्ति आदि समस्याओं पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रगति पर की कार्रवाई का विवरण दें।	किसानों की नियमित बैठकें (ग्राहकों) की भी आयोजित की जाती है और फसलों की खेती और उपयुक्त उत्पादों की गुणता पर अभ्यासों के पैकेजों पर जैसे विषयों पर चर्चा होती है।
7.	डेटा उल्लंघनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दें:	
	क) डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या	कुछ नहीं
	ख) डेटा उल्लंघनों की प्रतिशतता जिसमें ग्राहकों के ञ व्यक्तिगत पहचान सूचना निहित है।	कुछ नहीं
	ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, अगर है	कुछ नहीं

मार्गदर्शन संकेतक

1.	चैनलों / मंचों के बारे में, जहाँ सत्ता के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है - (अगर उपलब्ध है तो वेब लिंक बता दें)	कंपनी का वेबसाइट www.fact.co.in
2.	उत्पादों और / अथवा सेवाओं के सुरक्षित और दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देने और सुशिक्षित करने के लिए किए गए प्रयास।	निम्नलिखित किसान कार्यक्रम उनको उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करके विविध फसलों के लिए उर्वरकों की वैज्ञानिक सिफारिश का संदेश समझाने के लिए आयोजित है। 1) कृषि सेमिनार 2) स्क्वाड कार्यक्रम 3) मृदा नमूना संग्रह 4) कृषि प्रदर्शनी 5) खेत प्रदर्शन 6) डीलर मीट 7) किसान संगोष्ठी 8) किसान - पी एम के एस के बैठक
3.	अवश्य सेवाओं की समाप्ति / विच्छेद के किसी जोखिम को उपभोक्ताओं को सूचित करने की व्यवस्था।	सभी सूचनाएँ https://fact.co.in/home में अद्यतन की जाती है।
4.	क्या सत्ता उत्पाद सूचना उत्पाद पर प्रदर्शित करती है। इससे अधिक स्थानीय नियमों के अनुसार जो आदेशाधीन है। (जी हाँ / जी नहीं, लागू नहीं) जी हाँ। संक्षिप्त विवरण देता है। क्या आपकी सत्ता प्रमुख उत्पादों / सेवाओं से संबंधित उपभोक्त संतोष का सर्वेक्षण करती है प्रमुख स्थानों पर (प्रचालन के) अथवा सत्ता के बारे में समग्र रूप से सर्वेक्षण किया है ? (हां / नहीं)	स्क्वाड कार्यक्रम (गहन किसान संपर्क कार्यक्रम) के दौरान, बैठकों और सेमिनार में उत्पाद के उपयोग पर और दी जानेवाली सेवाओं के बारे में विपणन सर्वेक्षण किया जाता है। करीब केरल के 400 किसानों से फीडबैक एकत्र किया गया है। जागरूकता संप्रेषण संदेशों पर 10,000 किसानों ने वाट्सआप द्वारा संपर्क किया है।

स्थिरता संबंधी जानकारी के तृतीय-पक्ष सत्यापन पर आश्वासन कथन

सेवा में

निदेशक एवं प्रबंधन

दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

उद्योगमंडल, एर्नाकुलम, केरल।

विशिष्ट पहचान संख्या: 3153145281

टी यू वी एस यू डी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड (इसमें इसके बाद टी यू वी एस यू डी) को **दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, उद्योगमंडल, एर्नाकुलम, केरल** (इसमें इसके बाद 'कंपनी') द्वारा 01/04/2024 से 31/03/2025 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

सत्यापन नीचे वर्णित चरणों और विधियों के अनुसार किया गया था।

सत्यापन का दायरा

यह स्वतंत्र आश्वासन प्राप्त करने के लिए तृतीय-पक्ष सत्यापन किया गया था कि क्या स्थिरता संबंधी जानकारी बी आर एस आर मानक/रूपरेखा (इसमें इसके बाद 'रिपोर्टिंग मानदंड' के रूप में संदर्भित है) तैयार की गई है।

रिपोर्टिंग मानक/रूपरेखा

ये प्रकटन **दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड** द्वारा तैयार किए गए हैं। संदर्भ में:

बी आर एस आर कोर - सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 दिनांक 12 जुलाई, 2023 के अनुसार मूल्य श्रृंखला के लिए आश्वासन और ई एस जी प्रकटीकरण हेतु रूपरेखा।

वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आश्वासन अनुबंध के दायरे में निम्नलिखित स्थिरता संकेतकों की रिपोर्टिंग शामिल है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है।

'बीआरएसआर 9 कोर विशेषताओं' के आश्वासन का उचित स्तर पिछले अनुच्छेद में वर्णित के अलावा, जो हमारे अनुबंध के दायरे को निर्धारित करता है, हमने बीआरएसआर रिपोर्टिंग में शामिल शेष जानकारी पर आश्वासन प्रक्रियाएँ नहीं कीं, और तदनुसार, हम इस जानकारी पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

रिपोर्ट में उत्पाद- या सेवा-संबंधी जानकारी, बाहरी सूचना स्रोतों के संदर्भ, विशेषज्ञों की राय और भविष्य-संबंधी कथनों की समीक्षा करना हमारे अनुबंध का भाग नहीं था।

कंपनी की ज़िम्मेदारी

कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार बी आर एस आर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इस ज़िम्मेदारी में विशेष रूप से सूचना के मापन, गणना, संग्रहण और संकलन के लिए उपयुक्त विधियों का चयन और उपयोग, और उपयुक्त धारणाएँ बनाना या, जहाँ उपयुक्त हो, उचित अनुमान लगाना शामिल है। इसके अलावा, कानूनी प्रतिनिधि बी आर एस आर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों के लिए ज़िम्मेदार हैं जो जानबूझकर या अनजाने में दी गई किसी भी गलत जानकारी से मुक्त हो।

सत्यापन पद्धति और प्रक्रियाएँ

सत्यापन कार्य की योजना और क्रियान्वयन टी यू वी एस यू डी समूह द्वारा विकसित सत्यापन पद्धति के अनुसार किया गया है, जो आई एस ए ई 3000 आश्वासन कार्य मानक और आई एस ओ 17029 पर आधारित है।

आश्वासन का स्तर

बी आर एस आर की 9 मुख्य विशेषताओं के लिए आश्वासन का उचित स्तर (संदर्भः सेबी परिपत्र का अनुलग्नक I)

सत्यापन एक व्यवस्थित और साक्ष्य-आधारित आश्वासन प्रक्रिया पर आधारित था, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

आश्वासन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के स्वयं के निर्णय पर निर्भर है।

- रिपोर्टिंग सीमाओं को समझने के लिए हितधारक जुड़ाव और भौतिकता विश्लेषण के लिए ज़िम्मेदार कर्मियों से पूछताछ
- स्थायित्व संबंधी जानकारी के संकलन, विश्लेषण और एकत्रीकरण के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं के डिज़ाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन
- स्थायित्व संबंधी जानकारी एकत्र करने, तैयार करने और समेकित करने तथा आंतरिक नियंत्रण करने के लिए ज़िम्मेदार कंपनी के प्रतिनिधियों से पूछताछ
- सभी स्थानों द्वारा समूह स्तर पर रिपोर्ट की गई स्थिरता संबंधी जानकारी की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ और निरीक्षण
- नीचे उल्लिखित चयनित बहुविध स्थलों पर नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से स्थानीय डेटा संग्रह और प्रबंधन प्रक्रियाओं और नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकनः

क्रम सं.	कंपनी का नाम	साइट का पता
1.	दि फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	कॉर्पोरेट ऑफीस - एलूर उद्योगमंडल - 683 501, कोच्ची, केरल
2.		एफ ए सी टी, उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स, एलूर उद्योगमंडल, कोच्ची, केरल, पिन 683 501
3.		एफ ए सी टी, कोचीन संभाग, अंबलमेड कोच्ची, केरल, पिन 682 303.

निष्कर्ष

आश्वासन का उचित स्तर - बी आर एस आर 9 मुख्य विशेषताएँ

17/07/2025 से 26/07/2025 के दौरान किए गए मूल्यांकन प्रक्रियाओं और हमारे द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बी आर एस आर के 9 मुख्य विशेषताओं (इस विवरण के अनुलग्नक क्ष में सूचीबद्ध) के पहचाने गए स्थिरता संकेतक बी आर एस आर कोर में उल्लिखित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुसार सभी भौतिक दृष्टि से तैयार किए गए हैं।

सीमाएँ

आश्वासन प्रक्रिया निम्नलिखित सीमाओं के अधीन थीः

- इस अनुबंध में शामिल विषय-वस्तु की जानकारी 'अनुबंध के दायरे' में वर्णित है। बी आर एस आर रिपोर्टिंग में सम्मिलित अन्य जानकारी का आश्वासन नहीं दिया गया। तदनुसार, टी यू वी एस यू डी इस जानकारी पर कोई निष्कर्ष नहीं देते हैं।
- आश्वासन के दायरे में भविष्य-उन्मुख कथन, उत्पाद- या सेवा-संबंधी जानकारी, बाहरी सूचना स्रोत और विशेषज्ञ राय शामिल नहीं थीं।

इस वक्तव्य का उपयोग

कंपनी को टीयूवी एसयूडी वक्तव्य और आश्वासन रिपोर्ट जैसे संभावित अनुलग्नकों को पूर्ण रूप से और बिना किसी चूक, परिवर्तन या परिवर्धन के पुनः प्रस्तुत करना होगा।

यह वक्तव्य अनुबंध के दायरे में है और इसका उद्देश्य केवल कंपनी को अनिवार्य मूल्यांकन के परिणामों के बारे में सूचित करना है। टीयूवी एसयूडी ने चयनित स्थिरता जानकारी, इस आश्वासन रिपोर्ट या टीयूवी एस यू डी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में किसी अन्य पक्ष के हित पर विचार नहीं किया है। इसलिए, इस अनुबंध या इस वक्तव्य में किसी भी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार या दावा प्रदान नहीं किया गया है।

सत्यापनकर्ता की स्वतंत्रता और क्षमता

टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड एक स्वतंत्र प्रमाणन एवं परीक्षण संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय टीयूवी एसयूडी समूह का सदस्य है, जिसे सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में भी मान्यता प्राप्त है। आश्वासन टीम का गठन लेखा परीक्षकों के ज्ञान, अनुभव और योग्यता के आधार पर किया गया था। टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड एतद्द्वारा घोषणा करता है कि कंपनी के साथ कोई हितों का टकराव नहीं है।

मुंबई, 8 अगस्त 2025

प्रोसेनजीत मित्रा
महाप्रबंधक - सत्यापन, विधिमान्यकरण और लेखा परीक्षा
प्रबंधन प्रणाली आश्वासन

प्रभु गुरव
सत्यापन टीम लीडर,
प्रबंधन प्रणाली आश्वासन

अनुबंध I

क्रम सं.	**विशेषता**	**पैरामीटर**	**बीआरएसआर का क्रॉस संदर्भ (पी-सिद्धांत/ई-आवश्यक संकेतक)**
1.	ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉलः एक कॉर्पोरेट लेखा और रिपोर्टिंग मानक। के अनुसार मापा जा सकता है	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जी एच्च जी का सीओ2, सीएच4, एच एफ सी एस, पी एफ सी एस, एस एफ6, एन एफ3 में विभाजन) कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जी एच जी (सीओ2) का सी ओ2, सी एच4, एन2ओ, एच एफ सी एस, पी एफ सी एस, एस एफ6, एन एफ3 में विभाजन) जी एच जी उत्सर्जन तीव्रता (स्कोप 1+2)	पी6-इ7
2.	जल पदचिह्न	कुल जल खपत जल खपत तीव्रता गंतव्य और उपचार के स्तरों के अनुसार जल निर्वहन	पी6-इ3 पी6-इ4
3.	ऊर्जा पदचिह्न	नवीकरणीय ऊर्जा से खपत ऊर्जा का % कुल ऊर्जा खपत स्रोत	प6-इ1

क्रम सं.	विशेषता	पैरामीटर	बीआरएसआर का क्रॉस संदर्भ (पी-सिद्धांत/ई-आवश्यक संकेतक)
4.	चक्रीयता को अपनाना - संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण	ऊर्जा तीव्रता प्लास्टिक अपशिष्ट (ए) ई-अपशिष्ट (बी) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी) निर्माण एवं विध्वंस पशिष्ट (डी) बैटरी अपशिष्ट (ई) अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया बताएँ, यदि कोई हो। (जी) अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। कृपया बताएँ, यदि कोई हो। (संरचना के अनुसार विभाजन, अर्थात, क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार) उत्पन्न कुल अपशिष्ट (ए + बी + सी + डी + इ + एफ + जी + एच) अपशिष्ट तीव्रता उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार कुल अपशिष्ट	पी6-इ9
5.	कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा में वृद्धि	कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के उपायों पर व्यय - कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में वहन की गई लागत कर्मचारियों और श्रमिकों (कंपनी के निर्माण स्थलों पर अनुबंधित कार्यबल, जैसे श्रमिक) के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण।	पी3-इ1 पी3-इ11
6.	व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	महिलाओं को भुगतान की गई कुल मजदूरी का % भुगतान की गई मजदूरी पोश पर शिकायतें।	पी5-इ3 पी5-इ7
7.	समावेशी विकास को सक्षम बनाना	कुल खरीद के % के रूप में निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त इनपुट सामग्री - सीधे एम एस एम इ ʼ/छोटे उत्पादकों से और भारत के भीतर से प्राप्त छोटे शहरों में रोज़गार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/संविदा पर) को कुल वेतन लागत के % के रूप में भुगतान की गई मज़दूर	पी8-इ4 पी8-इ5
8.	ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क में निष्पक्षता	ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से जुड़े मामले कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में देय खातों के दिनों की संख्या	पी9-इ7 पी1-इ8
9	व्यापार का खुलापन	व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेंद्रण, संबंधित पक्षों के साथ ऋष्ा और अग्रिम और निवेश	पी1-इ9

रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसद की स्थायी समिति का दौरा

26.09.2024 को एफ ए सी टी कॉर्पोरेट कार्यालय के बोर्ड रूम में आयोजित
ओ एल आई सी की तिमाही बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. सी. मुडगेरिकर ने की।

विश्व पर्यावरण दिवस

एफ ए सी टी में समारोह।

श्री एम के के नायर की जयंती के अवसर पर
एफ ए सी टी के वरिष्ठ अधिकारीगण।

जी. वेणुगोपाल कामत & कं.
चार्टेड एकाउंटेंट्स
273, 3वीं मंजिल, डी डी वस्त्र महल, मार्केट रोड, पी बी नं.1110, कोच्ची 682011
फोन / फैक्स 0484-2355482, 2366483, 2370482, 4027381, ईमेल : gvkandco@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के सदस्यों को

लेखापरीक्षित स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

मत

हमने **दि फ़र्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड** (इसमें इसके बाद "दि कंपनी" के रूप में संदर्भित है) जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य बृहत् आय समेत), नकद प्रवाह का विवरण और उस समय समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तन का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाओं सहित (इसमें इसके बाद स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित है) के संलग्न स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में कंपनी के पांच राज्य कार्यालयों की वित्तीय अनुसूचियाँ सम्मिलित है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमे प्रदान की गई है और जहाँतक हमारा मत उपरोक्त राज्य कार्यालयों से संबंधित है, वह पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारीत है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हतापूर्ण राय के लिए आधा में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोडकर, उपर्युक्त स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 यथासंशोधित ("दि एक्ट') द्वारा यथापेक्षित प्रकार आवश्यक जानकारी प्रदान करता है और वह अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानकों को कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2013, यथासंशोधित ("इंड ए एस') और अन्य लेखाकरण सिद्धांतों को, जो भारत में प्रायः स्वीकृत है, कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति 31 मार्च, 2025 के अनुसार एक वास्तविक एवं स्वच्छ अभिप्राय प्रकट करता है जिसमें लाभ और बृहत् आय, नकदी प्रवाह और उसी तारीख को समाप्त वर्ष में साम्या में परिवर्तन दर्शाता है।

मत का आधार

हम ने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुसार (एस ए एस) स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारा दायित्व, लेखा परीक्षकों के दायित्व में आगे वर्णित हैं, जो हमारी रिपोर्ट के स्टैंडेलोन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षकों के दायित्व में मिलता है। हम कंपनी से इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आइ) द्वारा जारी सदाचार संहिता और सदाचार अपेक्षाओं के साथ जो अधिनियम और उसके अंतर्गत प्रावधानों के अधीन स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए इन अपेक्षाओं और आई सी ए आई के सदाचार संहिता के अनुसार हम स्वतंत्र है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए एक बुनियाद प्रदान है और वह पर्याप्त और समुचित है।

मामलों पर जोर

1. हम 2461.45 लाख रुपये के अतिरिक्त पुनर्गैसीकृत शुल्क की वापसी के संबंध में स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36 और 36.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

   इस विषय के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में चालू अवधि के स्टैंडेलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों को स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण को समग्र लेखा परीक्षा के सिलसिले में बताया है और हमारी राय के कारणों को भी दिया है और इन मामलों पर हम अलग से कोई मत नहीं दे रहे हैं। हमने नीचे वर्णित बातों के भी अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मद के रूप में सूचित करने का फैसला किया है :

क्रम सं.	मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	**डी बी टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार से सहायिकी आय का लेखाकरणः** भारत सरकार के सीधे हितलाभ अंतरण (डी बी टी) के अंतर्गत, कंपनी तभी सहायिकी प्राप्त करने के लिए हकदार होगी जब डीलर द्वारा उर्वरक की बिक्री अंततः हितैषी को बिक्री पोइंट (पी ओ एस) उपाय द्वारा होने पर ही है। तथापि, कंपनी पूर्ववर्ती योजना के ही अनुसार डीलरों को बिक्री के समय आय के रूप में सहायिकी का आकलन जारी रखती है, जो उस युक्तिसंगत आश्वासन पर विचार करते हुए कि बिक्री होगी और सहायिकी उद्योग की प्रक्रिया एवं पूर्व अनुभव के आधार पर प्राप्त होगी। स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 27 देखें।	हमारी प्रमुख लेखा परीक्षा क्रियाविधि में निम्नलिखित सम्मिलित हैः ● दिनांक 17 मार्च, 2017 की अधिसूचना एफ नं. डी(एफ ए)/2016/डी बी टी द्वारा डी ओ एफ द्वारा अधिसूचित गठित योजना का विश्लेषण किया। ● डीलरों के साथ समझौते की समीक्षा की। ● सहायिकी आय की गणना की समीक्षा की गई और प्राप्य सहायिकी की वसूली की तर्कसंगतता का आकलन किया गया। ● डीलरों के पास पडे स्टॉक की आयु को ध्यान में रखते हुए जिसकी बिक्री एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली मे रिपोर्ट नहीं की है और होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। ● सरकारी अनुदानों के लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण पर भारतीय लेखा मानक 20 के अनुपालन की पुष्टि की गई। ● सत्यापित किया गया कि कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धति सुसंगत है। (नोट 27.1 देखें)

क्रम सं.	मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
2	**संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर :** संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की उपयोगी जीवनावधि और अवशिष्ट मूल्य का प्राक्कलन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके लिए लेखाकरण नीतियों के प्राक्कलन और अनुप्रयोग में प्रबंधकमंडल के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव स्टैंडलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में मान्य रकमों पर पड़ता है।	● हमने परीक्षा की कि कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के मात्रागत ब्यौरो और अवस्थिति का संपूर्ण विवरण दिखाते हुए समुचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण किया है। ● परिसंपत्तियों के ह्रासन का अध्ययन करनेवाली समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की है। ● लेखा परीक्षा के दौरान किए गए पूंजीकरण की समीक्षा की है। ● बिक्री के लिए पुनःसमूहित परिसंपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की है। ● प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करों के प्रत्यक्ष सत्यापन पर की गई रिपोर्ट और डिपो/क्षेत्रीय कार्यालयों में किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के संबंध में शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की समीक्षा की गई। प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रिया में कमियों को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के खंड (i) (ख) में दर्शाया गया है। ● अनुमानित उपयोगी जीवन, परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की गई तथा मूल्यह्रास कार्यविधि का सत्यापन किया गया। ● दस्तावेजों के और लेखा बहियों के अनुसार भूमि के मेलमिलाप में कमियों और भूमि के सत्यापन की पूर्णता और शुद्धता का परिणामी प्रभाव इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए के खंड (i)(सी)(iv) में रिपोर्ट किया गया है।

स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापीक्षकों की रिपार्ट के अलावा सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित सूचनाएँ होती है, जिसमें निदेशकमंडल की रिपोर्ट, प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण,निगम अभिशासन पर रिपोर्ट, व्यापार दायित्व और अविरता रिपोर्ट सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें स्टैंडेलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचनाओं को नहीं लेते और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष प्रकट नहीं करते।

स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के सिलसिले में हमारा दायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है और ऐसा करते हुए ऐसी अन्य सूचनाएँ क्या महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तनशील है, स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त जानकारी अथवा अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन लगता है।

उक्त अन्य सूचना इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करना प्रतीक्षित है। जब हम अन्य सूचना पढते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण असह्य कथन है तो हमें प्रभारित अभिशासन और शेयरधारियों को उस मामले को बताने की आवश्यकता है।

स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधक मंडल का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशकमंडल का दायित्व है कि अधिनियम की धारा 134(5) में प्रस्तावित मामले सही हैं जो इन स्टैंडलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए दिए गए हैं, उसे वास्तविक और स्वच्छ वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय, नकद प्रवाह और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की साम्या में परिवर्तन आदि पर, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक (इंड ए एस) के साथ यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 पढने पर देना है। इस दायित्व में यह भी सम्मिलित है कि कंपनी की परिसंपत्तियों की अभिरक्षा के लिए अधिनियम के प्रानधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकोर्डों का अनुरक्षण करें, जिससे कपट और अन्य अनियमितताओं को रोक सकें, समुचित लेखाकरण नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, समुचित एवं प्रबुद्ध निर्णय और संगणना करना, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, जो प्रभावी रूप से प्रचालन में है, ताकि लेखाकरण रिकोर्डो की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सके जो स्टैंडलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है, ताकि कपट या भूल के कारण सामग्री के अशुद्ध कथन से मुक्त है और वास्तविक एवं स्वच्छ विवरण देता है।

स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन मंडल उत्तरदायी है कि चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता निर्धारित करना और जैसे लागू हो चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, और चालू समुत्थान आधार पर लेखाकरण का उपयोग करने, जब तक निदेशक मंडल या यह इरादा रखता है कि कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन बंद करना है या और कोई वास्तविक विकल्प नहीं, लेकिन ऐसा ही करना है।

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है।

स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा लक्ष्य है कि यदि स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण पूर्णतः सामग्री अशुद्ध कथन से मुक्त है कि नहीं यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है, क्या कपट या त्रुटि के कारण इसमें कुछ गलती है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन वह यह गैरंटी नहीं कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा अगर विद्यमान है तो सामग्री अशुद्ध कथन को हमेशा पहचानेगा। अशुद्ध कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकेगा और उसे तात्विक समझा जाएगा अगर, व्यक्तिगत रूप से या समेकित रूप से, इन स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपरोक्त करनेवालों द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय के रूप में युक्तिसंगत रूप से प्रतीक्षा की जाती है।

एस ए एस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग रूप में हमें पेशेवर अधिनिर्णय का प्रयोग करके लेखापरीक्षा की पूर्ण प्रक्रिया में पेशेवर अविश्वास का अनुरक्षण करते हैं। हमः

- स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के वास्तविक अशुद्ध कथन के जोखिम को पहचाने कर उसका मूल्य निर्धारण भी करते हैं चाहे यह कपट या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों का रूपांकन और निष्पादन और क्रियाविधि के लिए लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करता है। कपट से उत्पन्न एक वास्तविक अशुद्ध कथन को न पहचानना त्रुटि से उत्पन्न बात से उच्चतर है, क्योंकि कपट में अभिसंधि, कूटरचना, जानबूझकर चूक, दुर्व्यवदेशन या आंतरिक नियंत्रण में अभिभावी होना आदि शामिल होगा।
- लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा क्रियाविधि को रूपांकित करना हे जो इस परिस्थिति में समुचित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम भी अपनी राय प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या इस जगह पर की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसी प्रणालियों की प्रचालन-प्रभाविता उचित है कि नहीं।
- उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के विनियोजन करते हैं और लेखाकरण प्राक्कलनों की युक्तियुक्तता और प्रबंधकमंडल द्वारा तत्संबंधी प्रकटनों का अध्ययन करते हैं।

- चालू समुत्थान आधार पर प्रबंधक मंडल के उपयोग के विनियोजन पर निष्कर्ष और प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण के आधार पर क्या घटनाओं और अवस्थाओं से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करेगा तो हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमें इस ओर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा होती है कि स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाणों के आधार पर होगा। तथापि आगे की घटनाएँ या हालत कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने न देने की ओर ले जाएगा।
- हम स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण की समग्र पेशकश, संरचना और निहित विवरण प्रकटन समेत का मूल्यांकन करते हैं क्योंकि स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण निहित लेनदेन और घटनाओं को स्वच्छ पेशकश के रूप में प्रदर्शित करता है।

भौतिकता स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से अथवा संकलित गलत कथनों का परिमाण है जो उसे अधिसंभाव्य बनाता है कि स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के एक उचित ज्ञाता उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सके। मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक तत्व (i) हमारी लेखापरीक्षा काम के विषय क्षेत्र की योजना और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में और (ii) स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में पहचाने किन्हीं गलत कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन पर हम ध्यान देते हैं।

हम अन्य मामलों के बीच योजनाबद्ध परिधि और लेखा परीक्षा का और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिसमें हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारी ओर से पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियों समेत, हम अभिशासन से प्रभारित अधिकारियों को संसूचित करेंगे।

हम अभिशासन प्रभारित अधिकारियों को एक प्रस्ताव भी देंगे कि स्वतंत्रता संबंधी संगत अपेक्षाओं का पालन किया है और उनसे यह भी बताएगा कि सभी संबंध और अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता में युक्तिसंगत तौर पर निहित और जहाँ लागू हो उनसे संबंधित संरक्षण भी इसमें मिलेगा।

अभिशासन प्रभारित अधिकारियों को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों का निर्णय लेंगे जो स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की (चालू अवधि की) लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम इन बातों का हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लिखते हैं जब तक मामले के सार्वजनिक प्रकटन नियम या नियमित प्रवारण अनिवार्य है या जब अति अपूर्व परिस्थितियों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस विषय की संसूचना देती है क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणाम ऐसी संसूचना सार्वजनिक हित सुविधाओं के ऊपर जाने की प्रत्याशित है।

अन्य मामले

1. हमने पाँच राज्य कार्यालयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, इसे कंपनी के स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है जिनके वित्तीय अनुसूचियों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹2,17,626.12 लाख के है, इन्हें 31 मार्च 2025 को 200.66 लाख रुपए तक स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों एवं कुल परिसंपत्तियों में विचार किया गया है। कंपनी ने कुछ वित्तीय अनुसूचियाँ ही प्रस्तुत की है, जिसकी लेखा परीक्षा दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में इन राज्य कार्यालयों के संबंध में सम्मिलित रकमों और प्रकटन और हमारी रिपोर्ट में उक्त राज्य कार्यालयों के संबंध में राय सिर्फ अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
2. हमने स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में उपर्युक्त मदों के संबंध में कोई संशोधन नहीं किया है क्योंकि हम दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए काम और उनकी रिपोर्टों पर हम विश्वास रखते हैं और प्रबंधक मंडल द्वारा प्रमाणित वित्तीय अनुसूचियों को भी, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यक्ति परिसीमन को छोडकर कि उनके द्वारा लेखा-परीक्षित क्षेत्र के परीक्षण तुलन बाकी के प्रावधान के अभाव में और इस कारण वित्तीय अनुसूचियों की शुद्धता के आश्वासन देने की इनकी अशक्तता।
3. कंपनी को ग्राहकों और विक्रेताओं से संतुलन पुष्टि प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली है। हालांकि, केवल कुछ ग्राहकों और विक्रेताओं ने पुष्टि के साथ जवाब दिया है।

   इस विषय के संबध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदेश, 2020) द्वारा यथापेक्षित ("दि आर्डर"), जिसे भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, की धारा (143) की उपधारा (11) की शर्तों के अनुसार हम "**अनुबंध क**" में हम आदेश के पैरा 3 और 4 विनिर्दिष्ट मामलों पर प्रस्ताव करते हैं;
2. कंपनी की लेखा बहियों के सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम "**अनुबंध-ख**" में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के निबंधनों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर एक रिपोर्ट देते हैं।
3. कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है क्योंकि जून 2019 के आगे वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों की अवधि की समाप्ति के कारण उठनेवाली रिक्तियाँ है अतः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षा) के विनियम, 2015 के साथ संगत अपालित है। इस अननुपालन के लिए कंपनी पर शास्ति आरोपित हुए हैं।
4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमने अन्य मामलों के पैरा 3 में उल्लिखित बाकी रकम की पुष्टि और चौथी तिमाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के भाग को छोडकर, हमारी ओर से मांगी गई सभी जानकारी और स्पष्टीकरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्राप्त हुआ है जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।

बी. हमारी राय में, जहाँ तक उन लेखा बहियों और विवरणों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है, जो सामान्यतया हमारी लेखा परीक्षा के लिए इकाइयों / विपणन कार्यालयों से प्राप्त है, जिनकी लेखा परीक्षा हमने नहीं की है।

सी. अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित कंपनी के पाँच राज्य कार्यालयों की रिपोर्टें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा हमें दी गई है और इस रिपोर्ट की तैयारी में हमने उन्हें उचित ढंग से लिया है।

डी. तुलन पत्र, अन्य बृहत् आय समेत लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण साम्या में इस रिपोर्ट द्वारा वर्णित परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों और पाँच राज्य कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों से मेल खाता है, जिसकी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं हुई है।

इ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक नियमावली, 2015 को साथ पढने पर, उपर्युक्त पैरा 3 में विनिर्दिष्ट मामलों के अध्यधीन अनुपालन करता है।

एफ. दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना नं जी एस आर 463(ई) में दी गई छूट की दृष्टि से, जिसे दि. जून 13, 2017 को अधिसूचना नं. जी एस आर 582 (ई) के अनुसार यथा संशोधित कंपनी कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के संबंधित निदेशकों की अयोग्यताएँ, कंपनी पर लागू नहीं है।

जी. कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की पर्याप्तता के संबंध में स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन क्रियाशीलता पर "**अनुबंध-ग**" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

एच. एक सरकारी कंपनी होने के कारण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मामलों से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान के अंतर्गत लागू नहीं होते हैं। जी एस आर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी एस आर 582 (ई) दिनांक 13 जून 2017 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

आई. कंपनी की (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

I. कंपनी ने स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन किया है। (स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण के टिप्पणी सं. 50) देखें।

ii. कंपनी ने लागू विधि अथवा लेखाकरण मानकों में यथापेक्षित अदृष्ट सामग्री हानि के लिए, अगर है तो मार्च 31, 2025 को व्युत्पन्न संविदाओं समेत दीर्घकालीन संविदाओं के लिए प्रावधान किया है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई रकम अंतरित करने की अपेक्षा नहीं थी।

(iv) क) प्रबंधक मंडल ने अभ्यावेदन किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखाओं के नोट में यथा प्रकटित कोई निधि अग्रिम अथवा उधार अथाव कंपनी द्वारा निवेशित नहीं (उधार ली गई निधियों से अथवा शेयर प्रीमियम से अथवा किसी अन्य स्रोतों से अथवा निधियों से) किसी अन्य व्यकित / व्यक्तियों को अथवा सत्ता/सत्ताओं को विदेशी सत्ताओं समेत (मध्यवर्तियाँ), इस समझदारी को साथ, लिखित रूप से रिकार्ड करके अथवा अन्यथा, कि मध्यवर्ती प्रत्यक्ष

ख) प्रबंधक मंडल ने अभ्यावेदन किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा कुल महत्वपूर्ण है) कंपनी द्वारा प्राप्त हुई है, किसी व्यक्ति अथवा सत्ता से, विदेशी सत्ता समेत (निधियन पक्षकार) इस समझदारी के साथ लिखित रूप से अथवा अन्यथा रिकार्ड रकरके कि कंपनी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उधार में अथवा निवेश के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति से निधियन पक्षकार द्वारा अथवा उसकी ओर से (अंतिम हितकारियों) को कोई गैरेंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा अंतिम हितकारियों की ओर से,

ग) लेखापरीक्षा क्रियाविधियों के आधार पर, जिसे इस परिस्थितियों में उचित और समुचित माना गया है, कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है, जिसमें हमें यह विश्वास करना पडा कि नियम 11 (इ) के उपखंड (त) और (त्त) के अधीन और उपर्युक्त (क) और (ख) के अधीन यथा प्रस्तावित कोई महत्वपूर्ण गलत कथन नहीं हुआ है।

v जैसा कि स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण के नोट सं 16 में व्यक्त किया गया है:

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित वित्तीय लाभांश की घोषणा और भुगतान वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

ख) कंपनी के निदेशक मंडल वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जिसे आनेवाली वार्षिक आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की रकम अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच सम्मिलित थी, होल्डिंग कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता रहा है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेडछाड किए जाने का कोई मामला नहीं मिला और रिकार्ड प्रतिधारण के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते जी वेणुगोपाल कामत & कं.
चार्टेड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 004674S
ह/-
सी ए रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं. 226547
यू डी आई एन : 25226547BMGPHZ8149

स्थान : कोच्ची
दिनांक : 26, मई 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के समस्याओं को स्टैंडलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध क

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके रूप में स्टैंडलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर ("दि कंपनी") **दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड** के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक दिनांकित रिपोर्ट में अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के पैरा 1 में संदर्भित):

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और लेखा बहियों और रिकार्डों की लेखा परीक्षा की साधारण रीति पर की गई परीक्षाओं द्वारा, हम यह बताते हैं कि

I. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर एवं अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क) ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का संपूर्ण ब्यौरे दिखाते हुए उचित रिकार्डों का अनुरक्षण किया है जिसमें मात्रा गत ब्यौरे सम्मिलित है, अवस्थिति नहीं दी गई है और परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के संगत ब्यौरे नहीं है।

बी) दि कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों के पूर्ण ब्यौरे बताते हुए उचित रिकार्डों का अनुरक्षण किया है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधिकांश भाग का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष के दौरान प्रबंधक मंडल द्वारा हुआ हो और हमने पर्यवेक्षण नहीं किया है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है। जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, कोई सामग्री फरक ऐसे प्रत्यक्ष सत्यापन पर पाया नहीं।

ग) i] हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और परीक्षा किए गए रिकार्डों के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में सम्मिलित अचल संपत्तियों और परिवहन विलेख / पंजीकृत बिक्री विलेखों के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के स्वामित्व की 1499.73 एकड भूमि में से हमें सूचित किया है कि 768.34 एकड भूमि का मूल हक विलेख (अचल संपत्तियों के) एरणाकुलम के जिला न्यायालय में पेश किए गए हैं, जिसमें 80.50 एकड भूमि एक ठेकेदार के दावे के प्रति प्रतिभूति के रूप में रेहन रखे हैं (नोट नं. #2.2 और नोट नं. #50.1, स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण देखें)। 374.65 एकड भूमि के हक विलेख एक बैंक के पास पेश है, 36.08 एकड भूमि का रेहन मंजूर की उधार सुविधाओं के लिए प्रतिभूति के रूप में, जिसकी पुष्टि केवल 361.66 एकड के हक विलेख की अभिरक्षा के लिए बैंक से प्राप्त है। (स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों की नोट 2.7 देखें)। हमने फ्रीहोल्ड के मूल हक विलेखों का सत्यापन किया है जिनका कुल मापन 301.72 कंपनी के स्वामित्व में है।

ii] बाकी भूमि के संबंध में दस्तावेजों का हमने सत्यापन नहीं किया है क्योंकि हक विलेख हमारे सामने सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं है, पुष्टि प्राप्त नहीं है।

iii] आगे, हमें दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित पूर्णस्वामित्ववाला और पट्टाधृत अमूर्त संपत्तियों के संबंध में हक विलेख कंपनी के स्वामित्व या नाम पर नहीं है।

संपत्ति का मूल्यहास	सकल चल मूल्य	के नाम धारित	क्या समर्थक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि - श्रेणी सूचित करें जहाँ उचित है	भूमि का विस्तार (एकड में)	कंपनी के नाम पर न धारित होने के लिए कारण
पूर्णस्वामित्ववाला भूमि	उपलब्ध नहीं	अभिनिश्चित नहीं	जी नहीं	अभिनिश्चेय नहीं	*40.00	हक विलेख पंजीकृत/ प्राप्त करना है, प्रतिपूर्ति में बहस के कारण.
पट्टाधृत भूमि (परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार)	उपलब्ध नहीं	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	जी नहीं	2014 से	**15.02	पट्टा समझौता अब निष्पादित नहीं.

*प्रबंधक मंडल द्वारा यथा दी गई (स्टैंडेलोन वित्तीय विवरण के नोट नं. #2.3 देखें)

**कंपनी द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख समाप्त हो गया और आज तक कोई नया पट्टा विलेख निष्पादित नहीं है, लेकिन कंपनी इस भूमि पर दखल में है और पट्टा किराया चुकाती है। (स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों का नोट नं.#2.2 और #2 सी देखें)

iv] कंपनी ने वित्तीय विवरणों के अनुसार भूमि के मूल्य का हक विलेख के अनुसार भूमि के अर्जन की लागत और भूमि के अर्जन के लिए चुकाई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मिलाकर मेलमिलाप नहीं किया है, इसलिए हम इन हक विलेखों के संबंध में प्रकट की गई रकम की पूर्णता और शुद्धता का सत्यापन नहीं कर सके। तथापि, प्रबंधकमंडल पुष्टि करता है कि उक्त मेलमिलाप का अभाव दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

घ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का (परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन वर्ष के दौरान नहीं किया है।

ड.) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2025 के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी कार्यवाही का प्रारंभ नहीं किया है अथवा कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही निलंबित नहीं।

ii. ए] वर्ष के दौरान प्रबंधक मंडल द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की क्रियाविधि और समावेश उचित है। प्रत्येक श्रेणी की मालसूची के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गाई।

बी] कंपनी को 5 करोड रुपए से अधिक कार्यशील पूँजी सीमाएँ मंजूर हूई हैं, वर्ष के दौरान कुल मिलाकर बैंकों से बिल पर भुगतान करने की सुविधा के रूप में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर है। कंपनी ने पुष्टि की है कि उनको तिमाही विवरण / विवरणी इस सुविधाओं के संबंध में बैंक को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं। अतः हम कंपनी के बैंक के साथ लेखा बहियों के साथ समझौते पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा दी है और न ही कंपनीयों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एल एल पी) या किसी अन्य पक्ष को ऋण के रूप में कोई उधार या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान किया है।

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान को ई पूँजी निवेश, गैरंटी अथवा प्रतिभूति अथवा किसी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी ऋण के तौर पर, रक्षित / अरक्षित प्रकार का कंपनियों, फर्म, एल एल पी और किसी अन्य दलों को नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(iii)(ए)(ए) & (बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश, गैरंटी अथवा प्रतिभूति अथवा किसी ऋण और अग्रिम की मंजूरी ऋणों के रूप में रक्षित/ अरक्षित प्रकार से कंपनियों/ फर्मों एल एल पी को अथवा किसी अन्य दलों को मंजूर नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(iii)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

सी) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋणों के रूप में ऋण एवं अग्रिम नहीं दिया है और अतः आदेश के खंड 3(iii)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋणों के रूप में ऋण एवं अग्रिम नहीं दिए हैं और अतः आदेश के खंड 3(iii)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं।

इ) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋणों के रूप में ऋण एवं अग्रिम नहीं दिए हैं और अतः आदेश के खंड 3(iii)(इ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एफ)वर्ष के दौरान कंपनी ने उधार के रूप में कोई उधार और अग्रि नहीं किए हैं, अधिनियम की धारा 2 के खंड (76) में यथा परिभाषित आयोजकों, संबद्ध पक्षकारों को मंजूर उधार की रकम भी सम्मिलित है और अतः आदेश के खंड 3(iii)(एफ) के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. कंपनी ने वर्ष के दौरान, अधिनियम की धारा 185 & 186 के अंतर्गत आनेवाले पक्षकारों को उधार, निवेश और संरक्षा नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के अंतर्गत लागू नहीं है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान, अधिनियम की धारा 73 से 76 तक और उसके अंदर बनाए गए नियमों की अर्थ व्याप्ति के भीतर आनेवाले कोई भी निवेश अथवा रकम, जिसे जमा माना जा सकता है, स्वीकार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं। तथापि हम रिपोर्ट करते हैं कि ग्राहकों से अग्रिम की रकम 562.89 लाख रुपए से 365 से अधिक दिन तक तुलन पत्र की तिथि को बकाया है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन अग्रिमों के प्रति कोई सामान/ सेवा नहीं की है, आदेशों का न देना वाद-विवाद और अन्य कारणों से ऐसा हुआ है। साथ ही, कंपनी विधि बोर्ड अथवा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी अदालत ने अथवा किसी ट्रिब्यूनल ने उस पर उल्लंघन के लिए कोई आदेश पारित नहीं है।

vi. हमने अधिनियम की धारा 148 (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्डों की समीक्षा मोटे तौर पर की है और राय यह है कि प्रथम दृष्टियाँ निर्धारित लागत रिकार्ड कंपनी ने तैयार कर अनुरक्षित किया है। तथापि, हमने इन रिकार्डों की विस्तृत परीक्षा नहीं की है ताकि यह निश्चित कर सके कि वे ठीक एवं पूर्ण है।

vii. **सांविधिक देय रकम के संबंध में:**

(ए) हमारी राय में कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य तात्विक सांविधिक देय उस पर लागू निर्विवाद रकम वर्ष के दौरान समुचित प्राधिकारियों का सामान्यतया नियमित रूप से जमा करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सामने पेश किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य तात्विक सांविधिक देय राशि दिनांक मार्च 31, 2025 के अनुसार ये रकम देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई निर्विवाद रकम देय नहीं है:

क्रम सं	कानून का नाम	बकाया की प्रकृति	रकम (लाख रू में)*	जिस अवधि पर रकम संबद्ध है
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और उस पर देय सूद	152.33	1995-96 से 1998-99
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और उस पर देय सूद	13.26	1997-98
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और उस पर देय सूद	79.03	1995-96

*ये वे बकाया रकमें हैं जो बहियों के अनुसार, कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार है,

(ख)विवादों के कारण दिनांक मार्च 31, 2025 के अनुसार उपरोक्त खंड vii (ए) में उल्लिखित न चुकाए संवैधानिक बकाया राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

कानून का नाम	बकाया की प्रकृति	भुगतान का निवल-माँग (₹ लाखों में)	जिस अवधि के संबंध में विवाद है	फोरम जहाँ विवाद निलंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम 1962	सीमा शुल्क और उस पर देय सूद	36.77	1990-92	सीईएसटीएटी के समक्ष विभाग द्वारा दायर सुधार आवेदन
केरल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	केरल मुल्य वर्धित कर	98.34	2006-07	केरल राज्य के वाणिज्यक कर विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष छुट्टी आवेदन
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944	उत्पाद शुल्क, सूद और देय शुल्क के प्रति सेनवाट उधार के उपयोग के विरुद्ध शास्ति	4,691.28	2010-11 से 2013-14	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली अधिकरण, बैंगलूर
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944	उत्पाद शुल्क, सूद और बट्टे खाते डाले गए कच्चे मालों की कमी पर शास्ति.	112.74	2003-04	केरल का उच्च न्यायालय
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर और उस पर सूद, शेयरों पर अग्रिम प्रीमियम	362.27	2003-04	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली प्राधिकरण, बैंगलूर
वित्त अधिनियम, 1994	प्रशिक्षण शुल्क पर सेवा कर और उस पर सूद	15.92	2012-13	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली प्राधिकरण, बैंगलूर
वित्त अधिनियम 1994	थोक भंडारण टैंकों के विनिर्माण कार्य पर सेवा कर, ब्याज और जुर्माने की मांग।	14.46	2009-10 & 2010-11	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली प्राधिकरण, बैंगलूर
मध्य प्रदेश प्रवेश कर	प्रवेश कर	3.67	1980-84	राजस्व बोर्ड (वाणिज्यिक कर अधिकरण) ग्वालियर
बिक्री कर अधिनियम, पंजाब	बिक्री कर	94.90	1999 -00 & 2000-01	सीमा शुल्क और कराधान उपायुक्त (अपील) पटियाला
बिक्री कर अधिनियम, उडीसा	बिक्री कर	63.00	1985-1992	बिक्री कर अधिकरण उडीसा, कट्टाक
केरला मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	केरला मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 47(6) के अंतर्गत जुर्माना	7.68	2011-12	केरला मूल्य वर्धित कर अपीली प्राधिकरन, एरणाकुलम
आय कर अधिनियम, 1961	नामंजूरी के कारण माँगा गया कर	1.32	2005-06	आय कर आयुक्त (अपील), कोच्ची
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर पर सूद	2.94	2001-02	आय कर आयुक्त (अपील),कोच्ची
माल एवं सेवा कर अधिनियम,2017	जी एस टी अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रडिट	89.42	2017-18	अपीलीय संयुक्त आयुक्त (एसटी), सिकंदराबाद डिवीजन के समक्ष अपील दायर की गई।
माल एवं सेवा कर अधिनियम,2017	जी एस टी अंतर्गत संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट	130.96	2017-18	केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क आयुक्त (अपील), गुंटूर के समक्ष अपील दायर की गई।
माल एवं सेवा कर अधिनियम,2017	जी एस टी अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट	44.61	2019-20	मैसूर के अतिरिक्त केंद्रीय कर आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई।
माल एवं सेवा कर अधिनियम,2017	जी एस टी अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट	83.13	2019-20	संयुक्त आयुक्त (अपील) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्नाकुलम के समक्ष अपील दायर की गई

कानून का नाम	बकाया की प्रकृति	भुगतान का निवल-माँग (₹ लाखों में)	जिस अवधि के संबंध में विवाद है	फोरम जहाँ विवाद निलंबित है
माल एवं सेवा कर अधिनियम,2017	जी एस टी अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट	102.76	2020-21	संयुक्त आयुक्त (अपील) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्नाकुलम के समक्ष अपील दायर की गई
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948	नियोक्ता योगदान क रा बी	0.16	1993 से 2002	बीमा न्यायालय, आलप्पुषा
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948	नियोक्ता योगदान क रा बी	94	1984 से 1987	क रा बी बीमा न्यायालय
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधानों का अधिनियम 1952	नियोक्ता भविष्य निधि योगदान	2.10	-	सहायक पी एफ आयुक्त, कोच्चि

viii. पहले न रिकार्ड किए आय संबंधी कोई लेनदेन का प्रकटन अथवा अभ्यर्पण वर्ष के दौरान कर निर्धारण के लिए आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) नहीं हुआ है।

ix. ए) कंपनी ने भारत सरकार को ऋण अथवा उधार की अदायगी में चूक की है।

ऋण प्रतिभूतियों समेत उधार लेने का प्रकार	ऋणदाता का नाम	नियत तिथि पर भुगतान न की गई राशि (लाखों में)	मूलधन है या ब्याज	विलंब या न चुकाए दिनों की संख्या	कैफियत अगर है
ऋण	भारत सरकार	1,77,048.75*	मूलधन	1099	स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की नोट 21(1) देखें
ऋण	भारत सरकार	1,91,212.65	ब्याज	1099	

* कंपनी ने उर्वरक विभाग, भारत सरकार को 1,28,273 लाख रुपए के लिए वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मूलधन में ब्याज को उधार के रूप में परिवर्तित 48,775.75 लाख रुपऐ सम्मिलित है।

बी) कंपनी को जान बूझकर किया गया व्यतिक्रमी के रूप में किसी बैंक अथवा वित्तीय स्थिति अथवा सरकार अथवा सरकारी प्राधिकरण द्वारा घोषित नहीं है।

सी) कंपनी को वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण प्राप्त नहीं है। तथापि हमें सूचना मिली है कि दिनांक मार्च 29, 2016 को भारत सरकार से लिए गए सावधिक ऋण का उपयोग उसका प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए उसा वितरण हुआ है।

डी) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र परीक्षा करने पर, अल्पकालीन अवधि के आधार पर ली गई निधियाँ प्रथमदृष्ट्या वर्ष के दौरान दीर्घावधि प्रयोजना के लिए कंपनी द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है।

इ) कंपनी ने किसी भी सत्ता से अथवा व्यक्ति से उसकी सह कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों की बाध्यताएँ पूरा करने के लिए उस हिसाब से कोई निधि नहीं ली हैं।

एफ) वर्ष के दौरान कंपनी न अपने संयुक्त उद्यमों अथवा सह कंपनियों के कोई निधि का ग्रहण नहीं किया है।

x. ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण लिखतों सहित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगे सार्वजनिक प्रस्ताव के रूप में वर्ष के दौरान कोई धन, जिसमें ऋण लिखत भी सम्मिलित है, नहीं लिया है, और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं।

xi. ए) निष्पादित लेखा परीक्षा क्रियाविधि और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी पर कोई कपट रिपोर्ट नहीं की गई है।

बी) अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत वर्ष के दौरान और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक हमारी ओर से लेखा परीक्षकों के प्रपत्र ए डी टी-4 में कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है।

सी) कंपनी ने पुष्टि की है कि कोई अवैध गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xii)(ए),(बी),(सी) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं और अतः कोई टिप्पणी नहीं है।

xiii. हमारी राय में कंपनी तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन और संबद्ध पक्षकार लेनेदेनों का प्रकटन स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में किया है, जैसा लागू लेखाकरण मानकों में अपेक्षित है।

xiv. ए) हमारी राय में, कंपनी के पास अपना कारोबार और आकार के अनुसार एक आंतरिक लेख परीक्षा प्रणाली है।

बी) हम ने वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी द्वारा जारी लेखापरीक्षाधीन वर्ष के लिए आयोजित लेखापरीक्षा की प्रस्तुत आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर ध्यान दिया है, जिसके अनुसार हमारी लेखा परीक्षा क्रियाविधि की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित कर सके। चौथी तिमाही और तीसरी तिमाही की आंतरिक लेखा परीक्षा के कुछ भाग प्राप्त नहीं है और इसलिए उस पर विचार नहीं किया गया है।

xv. हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपना निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई धनेतर लेनदेन नहीं किया है और अतः कंपनी अधिन्यम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं।

xvi. ए) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आई ए के अंतर्गत पंजीकृत करने की अपेक्षा नहीं है।

बी) हमारी राय में, कंपनी ने बैंकिंग-इतर वित्तीय अथवा आवासन वित्त क्रियाकलाप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सी ओ आर) के बिना आयोजित नहीं किया है।

सी) हमारी राय में, कंपनी एक दल के भीतर मुख्य निवेश कंपनी नहीं है जैसा मुख्य निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 में परिभाषित है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(सी) के अनुसार रिपोर्टिंग लागू नहीं।

डी) हमारी राय में समूह के भीतर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है जैसा मुख्य निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश में पारिभाषित है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं।

xvii. कंपनी को हमारे लेखा परीक्षा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और पिछले वितीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है।

xix. वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की जीवनावधि और वसूली योग्य मूल्य की प्रतीक्षित तिथियाँ और वित्तीय देनदारियों की अदायगी, और निदेशक मंडल की हमारी जानकारी और प्रबंधक मंडल की योजनाएँ, साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर

धारणाओं का समर्थन, हमारे ध्यान में नहीं आयो है, जिसमें हमें यह विश्वास होता है कि आज की तारीख की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है कि तुलन पत्र की तिथि को कंपनी वर्तमान देनदारियों का चुकाने में समर्थ नहीं है, जब वे देय होती हैं तुलन पत्र तिथि से एक वर्ष के भीतर, लेकिन 31 मार्च, 2022 को देय भारत सरकार ऋण और उस पर प्रोद्भूत ब्याज की 3,68,261.40 लाख रुपए की रकम इसका अपवाद है जिसके लिए कंपनी ने एक पुनर्संरचना योजना पेश की है जो अनुमोदनाधीन है। तथापि हम बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम ऐसी गैरंटी या आश्वासन नहीं देते हैं कि तुलन पत्र तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान पडनेवाली सभी देनदारियाँ देय होने के अवसर पर कंपनी द्वारा चुकायी जाएगी।

xx. ए) कंपनी ने निगम सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए आवश्यक रकम पूरी तरह से खर्च कर दी है और वर्ष के लिए कोई भी सी एस आर रकम ऐसी नहीं है जिसे और कंपनी अधिनियम की अनुसूची (VII) में निर्दिष्ट निधि या उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।

बी) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार " चालू परियोजनाओं " के संबंध में ऐसी कोई भी रकम अव्ययित नहीं है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 (6) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

xxi. संयुक्त उद्यम फेक्ट - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के से संबंधित सी ए आर ओ रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक इसके लेखापरीक्षा द्वारा जारी नहीं की गई है। इसलिए, हम आदेश के खंड 3(xxi) पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

कृते जी वेणुगोपाल कामत & कं.
चार्टेड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 004674S
ह
सी ए रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं. 226547
यू डी आई एन : 25226547BMGPHZ8149

स्थान : कोच्ची
दिनांक : 26, मई 2025

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक दिनांकित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ख

(हमारी समसंख्यक तिथि की "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षा अनुभाग पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा 2 में संदर्भित)

क्रम सं.	सी एण्ड ए जी निदेश	टीका टिप्पणी/निष्कर्ष
1	क्या कंपनी के पास ऐसी कोई प्रणाली चालू है कि आई टी प्रणाली द्वारा सभी लेखाकरण लेनदेन की प्रक्रिया कर सके? अगर जी हाँ तो आई टी प्रणाली के बाहर की लेखाकरण लेनदेनों की प्रक्रिया की विपक्षाएँ लेखाओं की सत्यनिष्ठा वित्तीय विपक्षाओं के साथ बताएँ, अगर है तो,	कंपनी ने एस ए पी ई आर पी प्रणाली का कार्यान्वयन किया है ताकि सूचना प्रक्रिया पूर्णतया सत्यनिष्ठा और संकेन्द्रित कर सके इसके सहरे अधिकांश लेखाकरण लेनदेन का सत्यनिष्ठा प्रक्रिया हो सकती है। तथापि, सहायिकी आय, मालसूची का मूल्यांकन, परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और कतिपय वर्षांत प्रावधान वित्तीय मोड्युल में सीधे प्रक्रिया की जाती है ऐसे लेनदेन और बाकियों को पर्याप्त समर्थन एक्सेल काम पंजी में अनुरक्षित संगत अनुरक्षित दस्तावेजों/ हिसाबों द्वारा किया जाता है। लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर खूब ध्यान दिया जाता है और कोई वित्तीय विपक्षा परिकलित नहीं।
2	क्या उधार चुकाने में कंपनी अशक्तता के कारण वर्तमान उधार अथवा अधित्यजन / उधार/ ऋण / सूद आदि किसी ऋणदाता द्वारा पुनर्संरचना हुई है? अगर जी हाँ तो वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामले समुचित रूप से लेखाकृत है? (अगर ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है तो तब यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों पर भी लागू होता है।)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी के वर्तमान उधारों की पुनर्संरचना अथवा अधित्यजन/ बट्टे खाते में उधार/ ऋण/सूद आदि कोई ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाने की कंपनी की अशक्तता के कारण नहीं हुआ है। तथापि हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने भारत सरकार ऋण के संबंध में उर्वरक विभाग, भारत सरकार को एक वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव पेश किया है और तुलन पत्र की तिथि तक उस प्रस्ताव पर कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्रीय / राज्य सरकार अथवा उसके अभिकरणों से विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों (सहायिकी, अनुदान आदि) का समुचित लेखा जोखा किया जाता है। शर्त एवं निबंधनों के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है? विचलन के मामलों के सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केन्द्रीय/राज्य एर्जेसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त/प्राप्ति योग्य धनराशि, जिस सीमा तक वे हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों और अभिलेखों में दर्ज हैं, भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार उचित रूप से लेखांकित की गई थी और योजना के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उपयोग की गई थी।

कृते जी वेणुगोपाल कामत & कं.
चार्टेड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 004674S
ह

सी ए रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं. 226547
यू डी आई एन : 25226547BMGPHZ8149
स्थान : कोच्ची
दिनांक : 26, मई 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के समस्याओं को स्टैंडलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध ग

(हमारी समसंख्यक तिथि की अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षा अनुभाग पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 4(जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 के अनुसार **दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड** (दि कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधक मंडल का दायित्व

कंपनी का प्रबंधक मंडल कंपनी द्वारा संस्थाापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण भारत के सनदी लेखापालों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी सिद्धांतों की टिप्पणी में बताए आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए उनके आधार पर उत्तरदायी है। इन दायित्वों में अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, अपने कारोबारों के क्रमिक और सक्षम संचालन के आश्वासन के लिए प्रभावी रूप से संचालन में थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुवर्तन परिसंपत्तियों का संरक्षण और चोरी और चूकों की खोज, लेखाकरण रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता, विश्वसनीय वित्तीय सूचना की सामयिक तैयारी आदि समेत अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित सभी घटक हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय प्रकट करना है। हमने लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों और भारत के सनदी लेखापालों का संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार की है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू हद तक है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें और इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि हम विश्वसनीय आश्वासन वित्तीय रिपोर्टिंग, पर क्या पर्याप्त नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रियों के संबंध में प्रभावी ढंग से प्रचालन में थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने की निष्पादन कार्यविधि भी सम्मिलित है। नैतिक कमजोरी होने के जोखिम का मूल्यांकन मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण और मूल्यांकन की इसका अभिकल्प और प्रचालन प्रभाविता उचित है कि नहीं आदि सम्मिलित है।

इसमें चोरी अथवा चूक के कारण इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर होनेवाले नैतिक अननुकथन के जोखिम का भी मूल्यांकन किया जाता है। चुनी हुई कार्यविधि लेखापरीक्षा के फैसले पर निर्भर है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा प्रमाण हमें प्राप्त हो गए हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक नियंत्रण एकक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर विश्वसनीयता संबंधी आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है और यह सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भी उपयोगी है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियाँ और कार्यविधि सम्मिलित हैं किः

1. रिकार्डों के अनुरक्षण के संबंध में युक्तियुक्त विवरण सहित, शुद्धता और पूर्णता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के कारोबार और स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है;
2. पर्याप्त युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करना कि रिकार्ड किए गए लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए अनुमति आवश्यकता है और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के निदेशकों और प्रबंधकमंडल के प्राधिकार के अनुसार किए जाते हैं; और
3. पर्याप्त युक्तियुक्त आश्वासन कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा निपटान यथासमय खोज उपकर अथवा रोक के संबंध में, जिनका वित्तीय विवरणों पर नैतिक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सहज सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सहज सीमाओं के कारण जिसमें नियंत्रणों की अनुचित प्रबंधन अधिभावी अथवा दुरभिसंधि की संभावना, सामग्री अनुकथन गलती अथवा चोरी के कारण और न पकडने के कारण हो सकता है। साथ ही, आनेवाली अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के कोई मूल्यांकन का प्रेक्षण इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन की श्रेणी कमजोर हो सकता है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी तात्विक प्रकार से, उचित पर्याप्त मात्रा में वित्ती रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, जो इन स्टैंडेलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में दि. 31 मार्च 2025 के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालन में है, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदण्ड, आइ सी ए एल द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षा पर की मार्गदर्शी टिप्पणी में प्रस्तावित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण घटकों पर ध्यान में रखकर किया गया है।

कृते जी वेणुगोपाल कामत & कं.

चार्टेड एकाउंटेंट्स

एफ आर एन 004674S

ह

सी ए रविनाथ आर पाई

भागीदार

सदस्यता सं. 226547

यू डी आई एन : 25226547BMGPHZ8149

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 26, मई 2025

महा निदेशक लेखापरीक्षा

(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

आठवां एवं नव तल सी ए जी संकाय भवन, 10 बहादुर शाह जफर, मार्ग, नई दिल्ली - 100 002

गोपनीय

रिपोर्ट/2-245/डी जी ए/ए एफ & डब्ल्यू आर/AMG-I/A/cs/FACT/2025-26/2714

दिनांक 11.08.2025

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड,
एलूर, उद्योगमंडल, कोच्ची - 683 501 (केरल)

विषयः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (बी) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) (स्टैंडेलोन) के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी)(स्टैंडोलोन) के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणि भेजी जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
(ह)

संलग्न : यथोपरि

(तान्या सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

---

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की तैयारी करना कंपनी के प्रबंधक मंडल का दायित्व है। अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार उत्तरदायी है। दि. **26 मई 2025** की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया है कि ऐसा ही किया है।

मैं, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत **दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से किया गया है, जो सांविधिक लेखा परीक्षकों के कागज़ात की परीक्षा न करते हुए और सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों के साथ पूछताछ तक प्राथमिक सीमित है और कतिपय चुने हुए कुछ लेखाकरण रिकार्डों की ही परीक्षा की है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिससे अधिनियम 143 (6) (बी) के अंतर्गत मेरी ओर से सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूर्ति करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से उसी के लिए

(ह/-)
तान्या सिंह
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11.08.2025

दिनांक 31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	नोट नं.	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**परिसंपत्तियाँ**			
(1)	**गैर चालू परिसंपत्तियाँ**			
(ए)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2	91,988.35	79,424.61
(बी)	पूँजीगत निर्माण कार्य	2क	21,626.40	22,357.00
(सी)	निवेश संपत्ति	2ख	5.77	5.77
(डी)	उपयोग में आनेवाली परिसंपत्तियाँ	2ग	3,086.22	3,255.25
(इ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2घ	16.04	27.43
(एफ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(I) निवेश			
	- संयुक्त उद्यमों में निवेश	3क	-	-
	- अन्य निवेश	3ख	15,807.29	13,036.93
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4	1,650.97	1,187.05
(जी)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ(निवल)	5	7,391.55	8,642.41
(एच)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6	2,631.51	3,246.46
			1,44,204.10	1,31,182.91
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**			
(ए)	मालसूचियाँ	7	94,502.33	1,14,369.95
(बी)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(I) व्यापार प्राप्य	8	28,347.61	15,813.73
	(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	9	21,833.67	43,566.83
	(iii) अन्य बैंक शेष	10	2,55,902.95	2,24,365.46
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	25,254.28	24,287.85
(सी)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	12	128.68	160.54
(डी)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	23,900.29	21,924.48
			4,49,869.81	4,44,488.84
(3)	**निपटान के लिए धारण किए गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**	14	4,065.02	4,065.02
	कुल परिसंपत्तियाँ		**5,98,138.93**	**5,79,736.77**
II	**साम्या एवं देनदारियाँ**			
(क)	**साम्या**			
(ए)	साम्या शेयर पूँजी	15	64,707.20	64,707.20
(बी)	अन्य साम्या	16	72,362.48	71,077.30
			1,37,069.68	1,35,784.50

दिनांक 31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	नोट नं.	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(ख)	**देनदारियाँ**			
(1)	**गैर-चालू देनदारियाँ**			
(ए)	वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) पट्टे की देनदारियाँ	17	3,117.06	3,162.60
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	18	27.88	29.36
(iii)	प्रावधान	19	14,501.45	16,217.03
(iv)	अन्य गैर चालू देनदारियाँ	20	843.04	974.80
			18,489.43	20,383.79
(2)	**चालू देनदारियाँ**			
(ए)	वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) उधार	21	1,77,048.75	1,77,558.75
	(ii) पट्टे की देनदारियाँ	22	297.51	301.03
	(iii) व्यापार देय	23		
	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि		438.76	1,025.21
	- दूसरों की वजह से देय		46,268.03	47,359.79
	(iv) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	24	2,10,008.43	1,88,029.49
(बी)	अन्य चालू देनदारियाँ	25	6,065.13	6,840.59
(सी)	प्रावधान	26	2,453.21	2,453.62
			4,42,579.82	4,23,568.48
	कुल साम्या एवं देनदारियाँ		**5,98,138.93**	**5,79,736.77**
	उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का विवरण	1		
	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पणियों का रूपीकरण।	2-60		

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टेर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S
(ह)
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(ह)
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

(ह)
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

(ह)
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का वित्तीय विवरण

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	नोट नं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालनों से राजस्व	27	4,05,090.99	5,05,121.33
II	अन्य आय	28	21,644.62	20,311.62
III	**कुल आय (I+II)**		**4,26,735.61**	**5,25,432.95**
IV	**व्यय**			
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत	29	2,25,959.10	2,99,344.71
	व्यापार के स्टॉक की खरीद	30	47,752.78	36,389.76
	तैयार माल, व्यापार के स्टॉक एवं निर्माण कार्य की मालसूची में परिवर्तन	31	13,662.61	(5,120.22)
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	32	27,467.62	28,379.90
	वित्त लागत	33	24,554.32	24,692.77
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	34	3,661.81	2,657.29
	अन्य व्यय	35	80,764.76	1,10,344.77
	कुल व्यय (IV)		**4,23,823.00**	**4,96,688.98**
(V)	**असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ /(हानि) (III - IV)**		**2,912.61**	**28,743.97**
(VI)	असाधारण मदें (आय / (व्यय))	36	2,461.45	(24,558.89)
(VII)	**कर पूर्व लाभ / (हानि)** (V+VI)		**5,374.06**	**4,185.08**
(VIII)	कर व्यय			
	चालू कर			
	आस्थगित कर		-	-
(IX)	**वर्ष के लिए कर के बाद लाभ / (हानि) (VII-VIII)**	**5.3**	1,250.86	(8,642.41)
(X)	अन्य बृहत् आय		**4,123.20**	**12,827.49**
	(i) लाभ अथवा हानि में वर्गीकृत न करनेवाली मद			
	(क) अन्य बृहत आय द्वारा साम्या लिखत-अंकित मूल्य में निवल परिवर्तन		2,770.35	1,750.71
	ख) परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन	16	669.17	303.58
	वर्ष के लिए अन्य बृहत् आय (X)		**3,439.52**	**2,054.29**
(XI)	**वर्ष के लिए कुल बृहत् आय (IX+X)**		**7,562.72**	**14,881.78**
(XII)	**प्रत्येक साम्या शेयर अर्जन**			
	प्रत्येक शेयर - मूल / फीका पडा (₹)	37	0.64	1.98
	उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का विवरण	1		
	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पणियों का रूपीकरण।	2-60		

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टेर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(ह)
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

(ह)
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

(ह)
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

(ह)
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का वित्तीय विवरण

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ / (हानि)		5,374.06		4,185.08
	समायोजन के लिए:				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास / क्षति हानि	3,661.81		2,657.29	
	असाधारण मदें	(2,461.45)		24,558.89	
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(43.70)		(240.85)	
	ब्याज आय	(20,042.06)		(18,917.01)	
	लाभांश आय	(48.60)		(45.36)	
	ब्याज एवं वित्त प्रभार	24,554.32		24,692.77	
	निवेश संपत्ति से किराए की आय	(124.72)		(124.75)	
	संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	50.53		48.43	
	अशोध्य / संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	3.76		58.54	
	अप्रचलन के लिए प्रावधान	163.11		(739.86)	
	आस्थगित सरकारी अनुदानों का अमूर्तिकरण	(0.94)		(0.93)	
	प्रावधान में परिवर्तन	(1,046.82)		(3,446.99)	
	गैर नकदी मदों के लिए समायोजन	(1.48)	4,663.76	(20.11)	28,480.06
	निर्माण पूँजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ		**10,037.82**		**32,665.14**
	समायोजन के लिए :				
	मालसूचियाँ	19,704.51		(15,817.91)	
	व्यापार प्राप्तियाँ	(12,584.41)		13,773.61	
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(1,979.57)		3,434.76	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	747.53		(10,749.62)	
	व्यापार देय	783.24		10,582.63	
	अन्य देनदारियाँ	(2,743.49)	3,927.81	(5,911.64)	(4,688.17)
	प्रचालनों से उत्पन्न / (प्रयुक्त) नकदी		**13,965.63**		**27,976.97**
	प्रदत्त सीधे कर (प्राप्य धनवापसी)		31.86		22.31
	प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न / (प्रयुक्त)निवल नकद		**13,997.49**		**27,999.28**
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्करण/ सी डब्ल्यू आई पी/ अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण		(15,334.10)		(15,635.80)
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्करण की बिक्री से आय	63.28		256.53	
	निवेश संपत्ति किराए की आय	55.00		50.00	
	(निवेश में) / बैंक जमा की वापसी	(31,847.30)		21,328.15	
	प्राप्त ब्याज	18,173.99		16,950.36	
	प्राप्त लाभांश	48.60		45.36	
	पूँजी अग्रिम की वसूली / (भुगतान)	614.95	(28,225.58)	(1,728.37)	21,266.23
	निवेश क्रियाकलापों से उत्पन्न / (प्रयुक्त)निवल नकद		**(28,225.58)**		**21,266.23**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का वित्तीय विवरण

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
ग	**वित्तीय पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	निवल कार्यवाहियाँ/ कार्यशील पूँजी सुविधाओं और अल्पकालीन ऋणों की वापसी	(510.00)		(3,349.82)	
	प्रदत्त लाभांश (अदावाकृत निवल)	(6,267.80)		(6,460.71)	
	पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान	(316.96)		(313.06)	
	प्रदत्त ब्याज	(410.31)	(7,505.07)	(544.24)	(10,667.83)
	वित्तीय पोषण क्रियाकलापों से उत्पन्न (प्रयुक्त)निवल नकद		**(7,505.07)**		**(10,667.83)**
	नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क + ख + ग)		**(21,733.16)**		**38,597.68**
	1 अप्रैल को नकद एवं नकद समतुल्य (प्रारंभिक शेष)		**(43,566.83)**		**4,969.15**
	31 मार्च को नकद एवं नकद समतुल्य (अंत शेष)		**(21,833.67)**		**43,566.83**
	अंतिम नकदी एवं नकद समतुल्य				
	द्वारा प्रतिनिधित्व :				
	हस्तगत नकद		1.67		2.27
	बैंक शेष		1,507.17		2,305.85
	बैंकों के साथ जमा (3 महीने परिपक्वता से कम)		20,300.58		41,223.02
	उपरोक्त पर अर्जित ब्याज		24.25		35.69
	कुल		**21,833.67**		**43,566.83**

31 मार्च 2025 और 2024 को समाप्त वर्षों के दौरान सी एस आर गतिविधियों पर किए गए कर्च की राशि के लिए नोट नं. 35.5 देखें।

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(ह)
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

(ह)
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

(ह)
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

(ह)
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

साम्या में परिवर्तन का विवरण

क. साम्या शेयर पूँजी

(1) 2024-25

₹ लाखों में

विवरण	1 अप्रैल 2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2024 को पुनर्निर्धारित राशि	2024-25 के दौरान शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2025 शेष
प्रत्येक 10 रुपए के साम्या शेयर	64707.20	कुछ नहीं।	64707.20	कुछ नहीं।	64707.20

(2) 2023-24

विवरण	1 अप्रैल 2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2023 को पुनर्निर्धारित राशि	2023-24 के दौरान शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2024 शेष
प्रत्येक 10 रुपए के साम्या शेयर	64707.20	कुछ नहीं।	64707.20	कुछ नहीं।	64707.20

(ख) अन्य साम्या

(1) 2024-25

₹ लाखों में

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष				अन्य बृहत् आय द्वारा साम्या इंसट्रुमेंट	कुल
	पूँजी आरक्षण	अन्य आरक्षण **	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	प्रतिबंधित अर्जन		
1 अप्रैल 2024 को अतिशेष	2.64	49.85	(3,214.96)	61,569.39	12,670.38	**71,077.30**
लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन अथवा पहली की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
चालू रिपोर्टिंग अवधि के के प्रारंभ में पुनः प्रस्तावित बाकी	2.64	49.85	(3,214.96)	61,569.39	12,670.38	**71,077.30**
चालू वर्ष के लिए कुल बृहत् आय	-	(0.94)	669.17	4,123.20	2,770.35	**7,561.78**
लाभांश	-	-	-	(6,276.60)	-	**(6,276.60)**
प्रतिबंधित अर्जन को अंतरण	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को बाकी	**2.64**	**48.91**	**(2,545.79)**	**59,415.99**	**15,440.73**	**72,362.48**

**ई ई सी उर्वरक शिक्षा परियोजना के लिए प्राप्त निधि।

(2) 2023-24

₹ लाखों में

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष				अन्य बृहत् आय द्वारा साम्या इंसट्रुमेंट	कुल
	पूँजी आरक्षण	अन्य आरक्षण **	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	प्रतिबंधित अर्जन		
1 अप्रैल 2023 को अतिशेष	2.64	50.78	(3,518.54)	55,212.62	10,919.67	**62,667.17**
लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन अथवा पहली की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
चालू रिपोर्टिंग अवधि के के प्रारंभ में पुनः प्रस्तावित बाकी	2.64	50.78	(3,518.54)	55,212.62	10,919.67	**62,667.17**
चालू वर्ष के लिए कुल बृहत् आय	-	(0.93)	303.58	12,827.49	1,750.71	**14,880.85**
लाभांश	-	-	-	(6,407.72)	-	**(6,407.72)**
प्रतिबंधित अर्जन को अंतरण	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को बाकी	**2.64**	**49.85**	**(3,214.96)**	**61,569.39**	**12,670.38**	**71,077.30**

**ई ई सी उर्वरक शिक्षा परियोजना के लिए प्राप्त निधि।

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S
(ह)
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(ह)
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

(ह)
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

(ह)
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

टिप्पणी 1

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण के भाग के रूप में उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का विवरण

1.1 निगम सूचना

कंपनी भारत में अधिवसित एक सार्वजनिक सीमित कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एलूर, उद्योगमंडल, एरणाकुलम 683 501, केरला में स्थित है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध है।

कंपनी लगी हुई है,

(I) उर्वरकों और पेट्रोरसायनों का विनिर्माण एवं विपणन,

(ii) अभियांत्रिकी परामर्श कार्य एवं अभिकल्प और

(iii) औद्योगिक उपस्करों का विनिर्माण एवं परिनिर्माण

1.2. वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आधार

कंपनी के स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 (दि एक्ट) की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली (यथासंशोधित) और अन्य संगत अधिनियम के प्रावधनों के अनुसार तैयार किया गया है।

स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी ऐतिहासिक लागत और प्रोद्भवन आधार पर की गई है, निम्नलिखित नहीं लिए गए हैं: -

- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताएँ।
- बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके कुछ मान्य प्रावधान।
- बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकृत गैर चालू परिसंपत्तियाँ, जिनकी ले जाने वाली रकम कम करके मापी गई है और उचित मूल्य से कम लागत पर बिकने के लिए।
- परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ

स्टैंडेलोन वित्तीय विवरणों और संलग्न टिप्पणियों में सम्मिलित सभी राशियाँ भारतीय रुपयों में (₹) प्रस्तुत की जाती है और अन्यथा संकेत न दिया जाए, सभी मूल्यों को निकटतम ₹ लाख में पूर्णांकित किया जाता है।

1.2.1 अनुमान और निर्णय का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी इंड ए एस के अनुरूप करना प्रबंधक मंडल को प्राक्कलन, निर्णय और धारण के लिए अपेक्षित है। ये प्राक्कलन और निर्णय लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करते हैं और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई रकम आकस्मिक परिसंपत्तियों और आकस्मिक देनदारियों, वित्तीय विवरणों के दिनांक को और उस अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई रकम पर भी प्रभाव डालता है। लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग जिन्हें नाजुक लेखाकरण प्राक्कलन और निर्णय अंतर्ग्रस्त है नोट 1.3 में प्रकट किए गए हैं। लेखाकरण प्राक्कलन प्रत्येक अवधि पर परिवर्तित हो सकते हैं। इन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम में भी परिवर्तन आ सकता है। प्राक्कलन संबंधी परिस्थितियों में परिवर्तन के बारे में प्रबंधक मंडल विदित होने पर प्राक्कलन में समुचित परिवर्तन किया जाता है। प्राक्कलन में परिवर्तन उस अवधि में वित्तीय विवरणों में प्रतिफलित होता है जिस अवधि में परिवर्तन किया जाता है और अगर सारवान है तो उसका प्रभाव वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

1.2.2 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

किसी भी परिसंपत्ति अथवा देनदारी को चालू के रूप में वर्गीकृत है अगर वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है।:

I. परिसंपत्ति/ देनदारी कंपनी के मामूली प्रचालन चक्र में प्राप्त करने/निपटाने की प्रत्याशा की जाती है।;

ii. परिसंपत्ति / बिक्री अथवा उपभोग के लिए रखी गई है;

iii. परिसंपत्ति / देनदारी के प्रथमतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखे है;

iv. परिसंपत्ति/देनदारी को रिपोर्ट की अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्ति / निपटान प्रत्याशित है;

v. परिसंपत्ति नकद अथवा नकद समतुल्य है जब तक उसे विनिमय से रोका गया है अथवा रिपोर्ट की अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारी निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।;

vi. किसी देनदारी के मामले में, कंपनी को रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारी का निपटान आस्थगित करने का अशर्त अधिकार नहीं है।

सभी अन्य परिसंपत्तियों और देनदरियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने अपनी सामान्य प्रचालन चक्र को बारह महीनों के तौर पर अभिनिश्चित किया है। यह सेवा की प्रकृति और परिसंपत्तियों या मालसूची के ग्रहण और प्रक्रिया के लिए और उसकी नकद और नकद समतुल्य वसूली समय पर आधारित है।

1.3. उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

I) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

क) सभी संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों को अर्जन लागत से संचित मूल्यह्रास / क्रमिक अपाकरण और संचित ह्रासन कम करके प्रस्तावित है। पश्चात्वर्ती लागतों को परिसंपत्ति की अग्रेनित रकम में सम्मिलित किया जाता है या अलग परिसंपत्ति के रूप में मानी जाती है, जो समुचित है, उस समय जब यह संभव है कि मद से संबंधित भविष्य के आर्थिक हितलाभ कंपनी को आएगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अलग परिसंपत्ति के रूप में लेखाबद्ध किसी भी उपकरण की अग्रेनित रकम प्रतिस्थापित होने पर पुनः मान्य नहीं की जाती।

ख) इस अवधि के दौरान सभी मरम्मत और अनुरक्षण को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित है जिसमें उसे उपचित किया गया है। परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सेवा समापित अथवा निपटान से उठनेवाला लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में माना जाता है। .

ग) क्रय की गई / अर्जित और कंपनी के स्वामित्व के अधीन की भूमि को पूर्ण स्वामित्व की भूमि के रूप में माना जाता है।

घ) तकनीकी जानकारी / संयंत्रों से संबंधित लाइसेंस शुल्क / सुविधाओं को मूल परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता हैं।

ड.) मूल्यह्यास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपस्करण से संबंधित लेखांकन सरकारी अनुदान के लिए आय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मूल्यह्यास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपस्करण के अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है और इसे परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

च) अतिरिक्त पुर्जे, जिनकी लागत (एकक मूल्य ₹10 लाख रुपए और उससे ज़्यादा), और अन्य पुर्जे, जिन्हें प्रत्येक अंतराल में प्रतिस्थापित करना पडता है, मान्यता मापदंडों को पूरा करने के लिए इसे संयंत्र और उपस्कर के रूप में श्रेणीवार किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर उसकी विनिर्दिष्ट जीवनावधि के आधार पर अलग से मूल्यह्रास किया जाता है।

छ) उपयोग के बाद किसी परिसंपत्ति की डीकमीशनिंग के लिए प्रत्याशित लागत का वर्तमान मूल्य संबद्ध परिसंपत्ति की लागत में सम्मिलित है अगर मान्यता मापदंड प्रत्येक प्रावधान के लिए निवल है।

ज) परियोजनाओं के लिए माने गए मदों के अलावा निर्माण अवधि के दौरान उपचित व्यय को पूँजीकृत किया जाता है। तथापि, पूँजी सुविधाओं के संबंध में ऐसे व्यय को उत्पादन / प्रचालन के साथ साथ निष्पादित किया जाता है, राजस्व में प्रभारित है।

परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से उधार लिए गए और उपयोग किए गए ऋणों पर विनिर्माण अवधि के दौरान प्रोद्भूत वित्तीय लागत को पूँजीकरण की तिथि तक पूँजीकृत किया जाता है।

वित्तीय लागत, अगर है तो परियोजनाओं के लिए उपयुक्त खर्च किए अथवा सामान्य उधार को वचनबद्ध औसत लागत पर पूँजीकृत है। ऐसे उधारों के मूल्य, अगर है तो आंतरिक प्रोद्भवनों की रकम को चुकाने के बाद निर्णय लिया जाता है।

मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची क्ष्क्ष के अंतर्गत निर्धारित प्रकार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, जब तक कि तकनीकी समीक्षा के आधार पर अन्यथा निर्धारित न किया जाए। दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को अथवा उसके बाद कंपनी अर्जित सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास सीधा लाइन तरीके को अपनाया है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी, कंपनी ने अपनी वर्तमान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की उपयोगिता जीवनावधि को पुनः निर्धारित (जहाँ आावश्यक हो, घटक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए) किया है और बाकी उपयोगिता जीवनावधियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया है जो इसमें अवशिष्ट मूल्य को प्रतिधारित करने के बाद कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार होगा।

5% अवशिष्ट मूल्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के लिए रोक रखे गए हैं, जो अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है।

₹5,000/- से कम अर्जन मूल्यवाली परिसंपत्तियों पर @ 100% की दर पर मूल्यह्रास प्रभारित है, क्योंकि मूल्य नगण्य है जब उसकी तुलना कंपनी की प्रकृति, आकृति और कारोबार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए।

क्षति

एक परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाएगा जब परिसंपत्तियों की वहन रकम इसकी वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो। अपसामान्य के रूप में पहचान करने पर अपसामान्य क्षति को वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। जब पूर्व क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति की वसूली योग्य रकम अपनी वहन रकम से अधिक होता है तब पिछले वर्ष हुई क्षतिग्रस्त हानि को ह्रासित ऐतिहासिक लागत पर इसकी वसूली योग्य रकम या वहन रकम की लघुतम सीमा तक प्रतिप्रर्वतित करके परिसंपत्तियों का मूल्य पुनःस्थापित किया जाता है।

पूँजी भंडार

पूँजी भंडार का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। मूल्य में होनेवाली कमी के लिए जहाँ कहीं अपेक्षित है विशिष्ट प्रावधान बनाया जाता है।

इंड ए एस 101 के अंतर्गत ली गई छूट

इंड ए एस को संक्रमण पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 के अनुसार अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की ली जानेवाले मूल्य के साथ जारी रहने का चयन किया है। गत जी ए ए पी के अनुसार माप कर (भारतीय जी ए ए पी) और उस ली जानेवाले मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समझी गई लागत के रूप में इस्तेमाल किया।

ii) पूँजीगत निर्माण कार्य

परियोजनाएँ, जिसके अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर प्रत्याशित उपयोगी के लिए अब तैयार नहीं है, उन्हें लागत पर, सीधी लागत समेत संबद्ध आकस्मिक व्यय और आरोपित ब्याज इसमें लिया जाता है।

iii) निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जिन्हें किराया अर्जित करने के लिए और पूँजी अधिमूल्यन (संपत्ति समेत निर्माणाधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए) के लिए रखी गई हैं और कंपनी अपने उपयोग के लिए उसे लेती नहीं।

निवेश संपत्तियों का मापन प्रारंभ में लागत पर किया जाता है जिसमें लेनेदेन लागत और निवल वसूली योग्य कर सम्मिलित है। लागत में प्रतिस्थापन उपस्करों की लागत और उधार लागत सम्मिलित है, अगर मान्यता मापदंड निवल है। जब निवेश संपत्ति का प्रमुख भाग नियत अंतराल में प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा होती है तो कंपनी उन्हें अलग से मूल्यह्रास करती है, जिसका आधार उनकी निर्धारित उपयोगी जीवनावधि होती है। सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को लाभ और हानि में उपचित के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत पर संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रास हानि अगर है तो उसे काम करके प्रस्तावित है।

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास, जहाँ लागू हो, सरल रेखा आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ii में निर्धारित उपयोगी जीवनावधि के आधार पर दिया जाता है।

निवेश संपत्तियों के पुनःमान्यता दी जाती है अगर उन्हें निपटान जाता है अथवा जब कंपनी उस पर दखल करती है अपने उपयोग के लिए अथवा जब उसे स्थाई रूप से उपयोग से वापस लेता है और इस निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक हितलाभ प्रतीक्षित नहीं है निवल निपटान प्रक्रिया और परिसंपत्ति की वहनक्षम रकम के अंतर को पुनःमान्यता अवधि में लाभ अथवा हानि में रखा जाता है।

इंड ए एस 101 के अंतर्गत प्राप्त छूट :- इंड ए एस को संक्रमण पर कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को विद्यमान अपनी निवेश संपत्ति के लिए गए मूल्य पर जारी रहने का इरादा किया है, जिनका मापन गत जी ए ए पी (भारतीय जी ए ए पी) के अनुसार किया गया है और उनकी समझी गई लागत के रूप में ली गई रकम का इस्तेमाल किया है।

iv) अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्रचालन प्रक्रम और प्रक्रम अभिकल्प से संबंधित तकनीकी जानकारी / लाइसेंस शुल्क को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और 5 वर्ष से अधिक अथवा परत संयंत्र / सुविधा की आजीवन अवधि के लिए जो भी पहला हो सीधी लाइन प्रणाली पर साकार किया जाता है।

पूँजी लेखे के अलावा अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

अभिकलित्र सोफ्टवेयर खरीदारी पर हुई लागत / भविष्य में आर्थिक हितलाभों में विकसित परिणाम अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और 5 वर्षों की अवधि में या सुविधा का जीवनकाल, जो भी पहले हो साकार किया जाता है।

इंड ए एस 101 के अंतर्गत प्राप्त छूट

इंड ए एस 101 को संक्रमण के लिए कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2016 के अनुसार विद्यमान अपने सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के ले जानेवाले मूल्य के साथ जारी रहने का तरीका अपनाया है, जिन्हें गत जी ए ए पी (भारतीय जी ए ए पी) के अनुसार मापन कर संक्रमण तिथि के अनुसार समझी गई लागत पर मूल्य का उपयोग करेगा। अनंत उपयोगी खातों के साथ कंपनी के पास कोई अमूर्त परिसंपत्तियाँ नहीं है।

v) मालसूची का मूल्यांकन

कच्चे माल तथा भंडार और हिस्से पुर्जों को लागत पर अथवा कम लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। चल भारित औसत प्रणाली पर लागत अभिनिश्चित की जा रही है। आयातित एवं देशज कच्चे माल के मूल्य में अवनति होने पर और तैयार उत्पाद की प्राक्कलित लागत निवल वसूली योग्य मूल्य से अधिक होने के मामलों में, सामग्रियाँ को निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिख लिया जाता है।

प्रक्रियाधीन सामग्रियों का मूल्यांकन संगत रूप से नहीं किया जाता है।

तैयार / व्यापार उत्पादों को संचयी, उत्पादवार रूप में निम्न लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। मध्यवर्ती उत्पादों को निम्न लागत पर अथवा तैयार उत्पादों से प्राप्त निवल वसूली योग्य मूल्य पर और बिक्री योग्य उप-उत्पादों को वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। तैयार / अधबनी / मध्यवर्ती उत्पादों की लागत का निर्धारण ब्याज को छोडकर वार्षिक औसत लागत पर और मुख्यालय एवं प्रशासनिक लेखा शीर्षों के आधार पर किया जाता है। वेयरहाउस के तैयार माल की लागत में भाडा एवं हैंडलिंग खर्च शामिल है।

सामग्रियों का मार्गस्थ / निरीक्षण के अंतर्गत लागत का मूल्यांकन किया जाता है।

जिप्सम मूल्य निर्धारण

बिक्री योग्य जिप्सम की संपूर्ण मात्रा का मूल्य निर्धारण अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित दाम के निम्नतम स्तर पर प्रत्याशित लदान प्रभार और आर्द्रता बट्टा अथवा वर्ष के दौरान वसूल किए गए औसत वास्तविक दाम को कम करके किया जाता है, जो भी कम हो। यदि एकाधिक मूल्य स्लैब स्वीकृत हैं तो सबसे कम स्वीकृत मूल्य स्लैब पर विचार किया जाएगा। जिप्सम के इति स्टॉक के मूल्य निर्धारण के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में आयोजित प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर बिक्री योग्य मात्रा का निर्धारण किया गया।

vi) वचनबद्धता

पूँजी

प्रत्येक मामले में ₹5 लाख से अधिक पूँजी लेखों पर लागू किए जाने वाले शेष संविदाओं की प्राक्कलित रकम को प्रकटीकरण के लिए विचार किया जाता है।

अन्य वचनबद्धताएँ

प्रबंधक मंडल के व्यावसायिक निर्णय जो वास्तविक एवं संगत हैं, के आधार पर उन अनिरसन योग्य संविदागत वचनबद्धताओं (अर्थात् जिसका निरसन मौजूदे हितलाभों के अननुपातिक दंड में परिणत होता है) से संबंधित प्रकटन को माना जाता है।

vii) ऋणदान लागत

ऋणदान लागतें जो ऐसी संपत्ति के भाग के रूप में पूँजीकृत की जाती है, योग्य संपत्तियों के अर्जन अथवा निर्माण को विशेषतः पहचान लिया जाता है। योग्य संपत्ति जो है, भावी प्रयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्यतः पर्याप्त अवधि ली जाती है। अन्य सभी ऋणदान लागतें लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित की जाती है।

viii) निवेश

इंड-ए एस 109 की व्याप्ति में सभी साम्या निवेशों का उचित मूल्य पर मापा गया है। व्यापार के लिए रखे गए साम्या लिखतों को लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य एफ वी टी पी एल पर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी साम्या उपस्करों के इसी प्रकार अन्य बृहत् आय द्वारा उचित मूल्य एफ वी टी ओ सी आई पर के रूप में वर्गीकृत करने का कंपनी फैसला करें। कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर लिखत-बाइ-लिखत आधार पर ऐसा चयन कर सकती है और वह अप्रतिसंहरणीय है। कंपनी ने व्यापार के लिए कोई साम्या लिखत नहीं रखा है।

एफ वी टी ओ सी आई पर साम्या लिखतों के वर्गीकरण पर लाभांश को छोडकर लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन को ओ सी आइ में मान्यता दी गई है। ओ सी आइ से लाभ एवं हानि विवरण को रकमों को पुनः ले जाने की व्यवस्था नहीं है, निवेशों की बिक्री के अवसर पर भी। कंपनी साम्या के भीतर संचित लाभ अथवा हानि का अंतरण कर सकती है।

कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकक, अनकोटेड इक्विटी शेयरों में उसके निवेश के मूल्यांकन में शामिल होता है। वार्षिक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष को अंत में किया जाता है और यदि कोई प्रभाव पडता है तो उसे वार्षिक वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाता है।

ix) राजस्व मान्यता

जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है तो राजस्व को उस राशि के लिए पहचाना जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने राजस्व निर्धारण के लिए इंड ए एस 115 के अनुसार इनपुट प्रणाली अपनाया है।

डीलरों को उर्वरकों की बिक्री पर सहायिकी का मान्यता दी जाती है। संबंधित जिलों में उर्वरकों की प्राप्ति पर मालभाडा सहायिकी को मान्यता दी जाती है। की गई वसूली को लागू नीतियों के अनुसार अदायगी के आधार पर दावे से वापस ले लिया जाता है। सहायिकी की दर में परिवर्तन के किसी भी अंतर है तो सहायिकी को इसकी वसूली पर विचार करते हुए मान्यता दी जाएगी।

- अन्य आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

- जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

- जब ब्याज की प्राप्ति में कोई प्रमुख अनिश्चितता नहीं है तब उसे मान्यता दी जाती है।

- स्क्राप, साल्वेज्ड / रद्दी सामग्रियाँ और स्वीप्पिंग का लेखाकरण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

- हामीदारों, वाहकों और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, माल एवं सेवा कर विभागों के दावों की स्वीकृति होने पर हिसाब में लिया जाता है।

- बीमा एवं अन्य विविध दावों को दावे की प्राप्ति / स्वीकृति होने पर मान्यता दी जाती है। प्राप्ति आधार पर प्रोत्साहनों, हितलाभों आदि द्वारा संविदा पास की मान्यता दी जाती है।

x) पट्टे

कोई प्रबंध पट्टा है (अथवा निहित है) यह फैसला संविदा पट्टे के प्रारंभ में व्यवस्था के सार पर आधारित है। प्रबंध (अथवा निहित है) पट्टा है अगर प्रबंध की पूर्ति किसी विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति अथवा परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और प्रबंध किसी परिसंपत्ति अथवा परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार लेता है, ऐसे प्रबंध में यह स्पष्टतया विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारंभिक तिथि को, कंपनी लागत पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा दायित्व को मानती है जो प्रारंभिक तिथि को नहीं चुकाया जाता है। परिलक्षित परिसंपत्ति के उपयोग नियंत्रण पर अधिकार क्या एक करार द्वारा मूल्यांकित करने के लिए, कंपनी इन बातों का मूल्यांकन करती है कि (त) करार में परिलक्षित परिसंपत्ति के उपयोग सम्मिलित है (त्त) पट्टे की अवधि - भर परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक हितलाभ पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का कंपनी को प्राप्त है और (त्त्त) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग पर निदेश देने का अधिकार है।

उपयोग का अधिकार आरंभ में लागत पर नियत किए जाते हैं, जिसमें पट्टा दायित्व के प्रारंभिक रकम (वर्तमान मूल्य पर) समाविष्ट है। जिसे पट्टे की प्रारंभिक तिथि को अथवा उसके पूर्व किए गए किसी पट्टा - भुगतान और कोई प्रारंभिक सीधी लागत से पट्टा वित्तीय प्रोत्साहन (वर्तमान मूल्य पर) कम करके समायोजित किया जा सकता है, बारह महीने अथवा कम (अल्पकालीन पट्टे) और कम मूल्य के पट्टे इसके अपवाद है। इन अल्पकालीन और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी बट्टा भुगतान प्रचालन व्यय के रूप में मानती है। आई ची परिसंपत्तियों (टैबलेट्स, वैयक्तिक कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, पी ओ एस मशीनें आदि) कार्यालयीन फर्नीचर की छोटी मदें आदि पट्टे की मदों को कम मूल्य का माना जाता है।

पट्टा दायित्व को प्रारंभ में वर्तमान मूव्य पर भविष्य के पट्टे भुगतान की क्रमिक अपाकरण लागत पर मापा जाता है।

पट्टा भुगतानों को पट्टा शर्तों के आधार पर आवधिक रूप से कंपनी की वर्धित उधार दर का उपयोग करके पट्टा भुगतान का आकलन में छूट दिया जाता है। पट्टा दायित्व का पुनः मापन परिसंपत्ति के उपयोग - अधिकार के संबंध में अगर कंपनी अपना मूल्यांकन परिवर्तित करती है तो तत्समान समायोजन के साथ किया जाता है, अगर वह विस्तारण अथवा समाप्ति विकल्प अपनाता है।

परिसंपत्ति उपयोग का व्यवस्थित आधार पर पट्टा अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और पट्टा-दायित्व लाभ हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में प्रभारित है।

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

पट्टेदार जिनमें कंपनी सारतः परिसंपत्ति का स्वामित्व सभी जोखिम और पारिश्रमिक पर अंतरित नहीं करता तो उसे प्रचालनात्मक पट्टेदार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालनात्मक पट्टेदारों से किराए के तौर पर आय को निबंधनों के अनुसार राजस्व के रूप में माना जाता है चूँकि ऐसे किरायों को प्रत्याशित सामान्य मूल्यस्फीति के साथ बढना संरचित है। किसी प्रचालनात्मक पट्टे के बारे में बातचीत करके व्यवस्था करने के लिए उपचित प्रारंभिक सीधी लागत को पट्टा की गई परिसंपत्ति के हिसाब में ले जानेवाली रकम के तौर पर जोडा जाता है और किराए में प्राप्त आय के रूप में उसी आधार पर पट्टे की अवधि में मान्य होगा। समाश्रित किराए उसे प्राप्त करनेवाली अवधि में राजस्व के रूप में मान्य होगा।

पट्टेदारों को वित्त पट्टेदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब सारतः स्वामित्व के सभी जोखिम और पारिश्रमिक पर पट्टेदार को कंपनी से अंतरित करता है। वित्त पट्टेदारों से देय रकम को पट्टेदारों में कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्य रकम के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

वित्त पट्टेदार आय को लेखाकरण अवधि को आबंटित किया जाएगा ताकि पट्टेदार के संबंध में निवल निवेश बकाया पर विवरणी के स्थिर आवधिक दर पर प्रतिफलित होगा।

xi) विदेशी मुद्रा लेन-देनः

रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्राप्तियाँ एवं देय को अग्रिम विनिमय संविदाएँ सहित उसी तिथि पर प्रचलित दर पर पुनःनिश्चित की जाती है।

अग्रिम विनिमय संविदाओं के संबंध में प्रीमियम संविदाओं की समाप्ति तक मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढावों के कारण हुए अंतर को राजस्व (लाभ / हानि (-)) के रूप में दिया जाता है।

xii) कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की कटौती न की गई राशि को कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान विनिमय में देने की प्रतीक्षा किए जानेवाले व्यय के रूप में मानी जाती है।

कार्योत्तर रोज़गार हितलाभ

निश्चित अंशदान हितलाभ

अंशदाई अधिवर्षिता योजना को जो कंपनी द्वारा 100 रुपए के वार्षिक अंशदान के साथ कर्मचारियों को अधिवर्षिता हितलाभ प्रदान करने के लिए परिलक्षित है, निश्चित अंशदाई योजना के रूप में माना जाता है।

निश्चित हितलाभ योजनाएँ

योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के वेतन के नियत प्रतिशत के आधार पर भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान अदा किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वापसी की न्यूनतम दर के आधार पर निधि परिसंपत्तियों में अगर कोई कमी है तो कंपनी द्वारा उसे ठीक किया जाएगा और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाएगा। विवेक की बात के रूप में कंपनी लेखा परीक्षा शुल्क एवं खर्च, बैंक प्रभार आदि जैसी निधि के कुछ व्यय प्रदान करती है।

कंपनी में उपदान एवं छुट्टी के नकदीकरण के लिए निश्चित हितलाभ योजना जारी है। वर्षान्त में किए गए वास्तविक मूल्यांकन के प्रक्षिप्त इकाई जमा तरीके का प्रयोग करके इस प्रकार के निश्चित हितलाभों की लागत निर्धारित की जाती है और नियत कर्मचारियों के संबंध में उपदान निधि को बीमा कंपनी द्वारा अनुरक्षित एक निधि के जरिए संचालित की जाती है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि सम्मिलित है, परिसंपत्ति उच्चतम सीमा को परिवर्तन का प्रभाव (अगर लागू हो) और संयंत्र परिसंपत्तियों पर विवरणी (निवल ब्याज को छोडकर) तुलन पत्र में तत्काल प्रतिफलित है, जिस अवधि में वह घटित होता अन्य बृहत् आय में परिवर्तन अथवा उधार के रूप में वह मान्य होगा। अन्य बृहत् आय में मान्य पुनर्मापन प्रतिधारित आय में तत्काल प्रतिफलित होता है और लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होता। गत सेवा लागत किसी योजना संशोधन की अवधि में लाभ अथवा हानि में मान्य है। निवल ब्याज का आकलन अवधि के आरंभ में छूट दर लागू करके निवल पारिभाषित हितलाभ देखता और परिसंपत्ति पर किया जाता है।

विस्तृत हितलाभ लागतों के निम्न प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है:

i) सेवा लागत (जिसमें चालू सेवा लागत, गत सेवा लागत तथा कटौतियों और निपटान पर हानि और लाभ सम्मिलित है);

ii) निवल ब्याज व्यय अथवा आय और पुनर्मापन।

कंपनी पहले पारिभाषित हितलाभ के दो घटकों को लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के लाइन में पेश करती है।

xiii) अनुदान

प्रोत्साहकों के अंशदान स्वरूप सरकारी अनुदान पूँजी आरक्षण में जमा किए जाते हैं और शेयरधारियों के निधियों के भाग के रूप में माना जाता है।

अवक्षयी परिसंपत्तियों के मामले में परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य में दर्शायी जाती है और उस पर अनुदान को पूँजी अनुदान के रूप में माना जाता है जिसे अवधि की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में और मूल्यहास प्रभारित अनुपात में मान्यता दी जाती है

राजस्व व्यय से संबंधित राजस्व अनुदान की कटौती निजी खर्चों से की जाती है।

सरकार द्वारा विमोचित राजस्व अनुदानों से संबंधित लेखाओं में व्यवहारों को सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित योजनाओं के अनुसार मान लिया जाता है। राजस्व व्ययों से संबंधित अन्य राजस्व अनुदानों को आय के रूप में माना जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में जमा किया जाता है।

xiv) कर

चालू कर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

आस्थगित कर तुलनपत्र उपागम का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। आस्थगित आयकर परिसंत्तियाँ और देयताएँ वसूलीयोग्य और कराधेय अस्थाई अंतर जो परिसंपत्तियों और देयताओं के कराधार के बीच होता है और उनका वित्तीय विवरणों में ली गई रकम पर मान्य है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनुपयुक्त कर हानियों और अनुपयुक्त उधार के रूप में अग्रेनीत करने के लिए उस हद तक माना जाता है, यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ अनुपयुक्त कर हानियों और अनुपयुक्त कर का उपयोग उपलब्ध होगा, जो प्रबंधक मंडल के निर्णय के अध्यधीन होगा। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करती है।

xv) माल और सेवा कर

माल और सेवा कर जमा पात्रता प्राप्त सामग्रियों और सेवाओं पर अभिप्रेत अवस्थितियों पर ऐसे मदों की प्राप्ति पर मान्य होगा।

xvi) सेगमेंट रिपोर्टिंग

मुख्य प्रचालन निर्णायक (सी ओ डी एम) को प्रदान किए गए रिपोर्चाधीन प्रचालन खंड, आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप ही है। नोट नं. 47 देखें। सेगमेंट के प्रचालन क्रियाकलापों पर अपने संबंध के आधार पर सेगमेंटों में राजस्व एवं आय की पहचान की जाती है। राजस्व एवं व्यय जो पूर्णतः उद्यम से संबंधित है और समुचित आधार पर सेगमेंटों में आबंटनीय नहीं है, उसे अनाबंटनीय निगम व्यय के अधीन शामिल किया गया है।

निवेशों, निवेशों के प्रति अग्रिम एवं अन्य अग्रिम, जो सेगमेंटों में आबंटनीय नहीं है, उसे सेगमेंट नियोजित पूँजी से निकाल दिया जाता है।

xvii) संविदा प्रचालन

संविदा प्रचालनों में राजस्व की मान्यता समाप्ति की रीति की प्रतिशतता पर दी जाती है। संविदा समाप्ति की स्थिति की रिपोर्ट करनेवाली तारीख पर संबंधित संविदा गतिविधि के प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर निश्चित किया जाता है। संविदा गतिविधियों पर पूर्वानुमेय हानियों की मान्यता पूर्ण रूप से कार्य की प्रगति को ध्यान किए बिना दी जाती है। अनुमानित परिनिर्धारित हानियों का रकम राजस्व से कम किया जाता है।

दायित्वपूर्ण कार्य / जमा कार्य /लागत प्लस संविदा के मामले में संविदा राजस्व का आकलन कुल लागत और उस पर निश्चित प्रतिशत शुल्क अथवा ग्राहक के साथ सहमत है, दोनों को जोडकर किया जाता है।

xviii) पूर्वावधियों की भूल-चूक

पूर्वावधियों से संबंधित आय और व्यय के अलग-अलग मदों में 50 लाख रुपए से अधिक रकम की भूल-चूक को संबंधित अवधि में लेखाबद्ध किया गया है, अगर संभव है अथवा आनेवाले प्रतिधारित आय में समायोजित किया गया है।

xix) अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास व्ययों को (संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अतिरिक्त) उसे जिस वर्ष उपगत किया जाता है उस वर्ष लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

xx) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

गत घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता होती है तो प्रावधान को लेखाओं में मान्यता दी जाती है और यह संभव है कि बाध्यताओं को ठीक करने के लिए संसाधनों के बहिर्गम की आवश्यकता होगी और एक विश्वसनीय प्राक्कलन बनाया जा सकेगा। इन प्राक्कलनों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्तम प्राक्कलनों को प्रतिबिंबित करने का समायोजन किया जाता है।

सभी संसाधनों के निर्गम की संभावना सुदूर नहीं है तो आकस्मिक देनदारियों के प्रकट नहीं किया जाता। बाध्यता के रूप में विविध सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ सूचनाओं पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसी कारण बताओ सूचना के खिलाफ जब माँग सूचनाएँ उठाई जाती हैं और कंपनी द्वारा विवादास्पद है तो इन्हें विवादास्पद बाध्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रत्येक मामले में, विवादास्पद बाध्यताओं से संबंधित व्यवहार निम्न प्रकार है :

i) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जहाँ संसाधनों के निर्गम की संभावना है।

ii) अन्य सभी मामलों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है अन्यथा संसाधनों के निर्गम की संभावना सुदूर है।

समाश्रित परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है, तथापि रिपोर्ट की अवधि के अंत के अनुसार जब आर्थिक हितलाभ प्राप्त होने की संभावना है तो समाश्रित परिसंपत्तियों की प्रकृति का एक संक्षिप्त विवरण उनके प्राक्कलित वित्तीय प्रभाव के साथ वित्तीय विवरणों में संलग्न है।

xxi) **बिक्री के लिए रखी गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ, अथवा निपटान समूह जिसमें परिसंपत्तियाँ और देयताएँ सम्मिलित हैं, बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत हैं, अगर वे अत्यंत अधिसामान्य हैं कि लगातार उपयोग से न होकर प्रथमतः बिक्री द्वारा वसूली होगी। ऐसी परिसंपत्तियों, अथवा निपटान समूह को उनकी ले जानेवाली रकम से कम दर पर सामान्यतः मापा जाता है और उचित मूल्य लागत से कम पर बिक्री करें। किसी निपटान समूह पर परिणामी हानि को पहले सदिच्छा पर आबंटित किया जाता है, और उसके बाद बाकी परिसंपत्तियों और देयताओं को अनुपात आधार पर, मालसूचियों, वित्तीय परिसंपत्तियों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, कर्मचारी हितलाभ परिसंपत्तियों और जैव परिसंपत्तियों पर हानि आबंटित किए बिना, जिनका मापन समूह के साथ अन्य लेखाकरण नीतियों के अनुसार जारी रहेगा। आरंभिक श्रेणीकरण और अनुवर्ती लाभ और हानि पुनःमापन पर लाभ अथवा हानि में मान्य होगा। एक बार बिक्री के लिए रखा हुआ वर्गीकृत अमूर्त परिसंपत्तियाँ, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और निवेश संपत्तियों के आगे मूल्यहास अथवा क्रमिक अपाकरण नहीं होगा।

xxii) वित्तीय लिखतें

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(ए) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित मापन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है,

(i) वे जिन्हें उचित मूल्य पर बाद में मापन करना है (या तो अन्य बृहत् आय के माध्यम से अथवा लाभ और हानि द्वारा) और वे जिन्हें क्रमिक अपाकरण लागत पर मापन वाली।

वर्गीकरण अस्तित्व के कारोबार नमूने पर वित्तीय परिसंपत्तियों की व्यवस्था और नकदी प्रवाह के संविदात्मक निबंधनों पर निर्भर है।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के लिए, उचित मूल्यांकन से उठने वाला लाभ और हानि को या तो लाभ अथवा हानि में रिकार्ड किया जाएगा नहीं तो अन्य बृहत् आय में शामिल करेगा। ऋण लिखतों में निवेशों के लिए, यह कारोबार के नमूने पर निर्भर होगा, जिसमें निवेश किया गया है। साम्या लिखतों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर होगा कि यदि कंपनी ने प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अप्रतिसंहरणीय चुनाव की है कि साम्या निवेश उचित मूल्य पर अन्य बृहत् आय द्वारा लेखाबद्ध करें।

(बी) मापन

आरंभिक मान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मापन करती है, वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में उचित मूल्य पर न होकर लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर, जिसमें लेनदेन लागत, वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन को सीधे हुआ माना जा सकता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की अंतरण लागत जो उचित मूल्य पर किया जाता है, लाभ अथवा हानि में उन्हें लाभ और हानि मान्य किया जाएगा।

बाद के मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों के बाद के मापन कंपनी के कारोबार नमूने पर परिसंपत्ति की व्यवस्था के लिए और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह लक्षण पर निर्भर है। कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को मापन की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- **परिशोधन लागत**

  संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ, जहाँ नकदी प्रवाह मूल धन और ब्याज को मात्र प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ मापन क्रमिक अपाकरण की लागत पर की जाती है।

- **अन्य बृहत् आय द्वारा उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई)**

  संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए, जहाँ परिसंपत्तियों का नकदी प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है उन्हें अन्य बृहत् आय द्वारा उचित मूल्य पर (एफ वी टी ओ सी आई) मापा जाता है। ओ सी आइ द्वारा प्राप्त ली गई रकम का परिवहन, ह्रासन लाभ अथवा हानि की मान्य होने की बात को छोडकर, ब्याज राजस्व और विदेशी विनिमय लाभ और हानि, जिसे लाभ और हानि में मान्य माना जाएगा। जब वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करने पर, पहले संचित लाभ अथवा हानि में जो ओ सी आई में मान्य है उसे साम्या से लाभ अथवा हानि में पूनः वर्गीकृत करके अन्य आय में मान्य किया जाएगा।

- **लाभ और हानि द्वारा उचित मूल्य (एफ वी टी पी एल)**

  एफ वी टी ओ सी आई पर क्रमिक अपाकरण लागत के लिए मापदंड न रखने वाली परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि द्वारा मापा जाता है।

संयुक्त उद्यम में निवेश

संयुक्त उद्यम में निवेश को एफ वी टी ओ सी आई द्वारा उचित मूल्य पर माना जाता है।

(सी) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी अपनी परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध प्रत्याशित उधार हानियों को उन्नतिशील आधार पर मूल्यांकित करती है जिन्हें क्रमिक अपाकरण लागत और एफ वी टी ओ सी आई उधार लिखत पर ले जाता है। ह्रासन अनुक्रम उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि यदि है तो उस पर निर्भर होगा।

केवल प्राप्य व्यापार के लिए, कंपनी इंड ए एस 109 वित्तीय लिखत द्वारा अनुमत महत्वपूर्ण अभिगमन करती है, जिसके लिए प्राप्य रकम की आरंभिक मान्यता से प्रत्याशित जीवनावधि हानि की अपेक्षा होती है।

ख. वित्तीय देनदारियाँ

(ए) आरंभिक मान्यता एवं मापन

आरंभिक देयताओं को आरंभिक मान्यता पर उधार और ऋण के रूप में देय, व्युत्पन्न मान्यता जाता है और वित्तीय देयताएँ लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर। कंपनी की वित्तीय देयता में व्यापार और अन्य देय रकम, उधार और ऋण, बैंक ओवर ड्राफ्ट, वित्तीय गैरंटी संविदाएँ और व्युत्पन्न वित्तीय लिखत शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर माना जाता है और उधार, ऋण और देय रकम के मामले में सीधे माना जा सकनेवाली लागत का निवल, अगर है।

(बी) पश्चात्वर्ती का मापन

इंड ए एस के अनुसार कंपनी की वित्तीय देयताओं के पश्चात्वर्ती का मापन उनके वर्गीकरण के आधार पर आश्रित है:

(सी) मान्यता को वापस लिया जाना

किसी वित्तीय देनदारी की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब करार में विनिर्दिष्ट दायित्व उन्मोचित, रद्द अथवा समाप्त होता है।

ग. वित्तीय उपयोगों को समीकृत करना

अगर हाल में लागू होनेवाले वैध अधिकार मान्यताप्राप्त उन रकमों को समीकृत करना और निवल आधार पर निपटाना विचाराधीन है, परिसंपत्तियों को वसूल करके एकसाथ निपटान किया जाता है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को समीकृत करके तुलन-पत्र में निवल रकम रिपोर्ट की जाती है।

घ. बैंक ओवर ड्राफ्ट समेत उधार एवं ऋण

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ब्याज वाले उधार और ऋण को इ आई आर तरीके का उपयोग करके बाद में क्रमिक अपाकरण लागत के रूप में मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है जब देयताओं को ई आई आर क्रमिक अपाकरण प्रक्रिया द्वारा अमान्य किया जाता है।

क्रमिक अपाकरण लागत का आकलन अर्जन पर कोई छूट अथवा प्रीमियम को और ई आई आर के अभिन्न अंग के रूप में शुल्क अथवा लागत को हिसाब में लेकर किया जाता है। ई आइ आर क्रमिक अपाकरण लाभ अथवा हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में सम्मिलित है।

यह श्रेणी सामान्यतः ब्याजवाले उधार और ऋण पर लागू है।

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गैरंटी संविदाएँ वे संविदाएँ है जिनके लिए भुगतान करने की अपेक्षा होती कि ताकि धारक को गैरंटी की प्रतिपूर्ति कर अगर हानि है वह उपगत करता है क्योंकि विनिर्दिष्ट ऋणदाता जब ऋण लिखत के निबंधनों के अनुसार देय रकम के भुगतान में चूक करता है। वित्तीय गैरंटी संविदाओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर देयता के रूप में माना जाता है, जो गैरंटी जारी करने के लिए सीधे दिया हुआ माना जाता है और लेनदेन लागत में समायोजित है। बाद में इंड ए एस 109 की ह्रासन अपेक्षाओं के अनुसार निर्णय हानि भत्ता की रकम से उच्चतर स्तर पर देयता मापी जाती है और मान्य रकम को संचित क्रमिक अपाकरण से कम किया जाता है।

xxiii) इंड ए एस 101 के अंतर्गत प्राप्त छूट

कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के लिए ले जानेवाले मूल्य के साथ जारी रखने का चयन किया है जो संक्रमण की तिथि के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथामान्यता दी गई है और जी ए ए पी के अनुसार मापा गया है और उन्हें संक्रमण को मानी गई लागत पर उपयोग करें। यह निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्तियों पर भी लागू होगी।

कंपनी ने मानक के पैरा डी21 के अनुसार अपेक्षित आवश्यक समायोजनों की भी समीक्षा की है (अर्थात् डीकमीशनिंग अथवा वापस दी देयताओं के हिसाब में उठनेवाले समायोजन) और जहाँ लागू हो उनका प्रभाव तदनुसार ठीक किया गया।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 न निर्देशित साम्या लिखतों को ओ सी आइ द्वारा उचित मूल्य पर पूनः अभिहित किया है।

xxiv) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को परोक्ष तरीके का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती है जिसके द्वारा अवधि के लिए लाभ गैर-नकदी प्रकार की लेनदेन के प्रभावों पर समायोजित किया जाता है, गत और भविष्य के आस्थगित अथवा प्रोद्भवन के प्रचालन नकदी प्राप्तियाँ अथवा भुगतान, और आय के अथवा व्यय के मद जो निवेश या वित्तीयन नकदी प्रवाह से संबद्ध है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह होता है, जिसे समेकित किया जाता है।

xxv) आमदनी प्रति शेयर

बुनियादी आमदनी प्रति शेयर का परिकलन इस अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों के तैला औसत संख्या का मेहनती समतुल्य बकाया शेयरों का उपयोग करके किया जाता है। प्रति शेयर डाइल्यूट किए आय की गणित अवधि के दौरान बकाया साम्या और डायल्यूटित समकक्ष शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

xxvi) लाभांश

कंपनी शेयरधारियों को लाभांश देने के दायित्व को स्वीकार करती है जब वितरण प्राधिकृत है और यह कंपनी के स्वविवेक पर अब नहीं है। आखिर शेयरों पर लाभांशशेयरधारियों द्वारा अनुमोदन की तारीख को कंपनी की देयता के तौर पर रिकार्ड किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में रिकार्ड किया जाता है। एक समतुल्य रकम साम्या में सीधे स्वीकृत है।

xxvii) अपवादित मदें

सामान्य क्रियाकलापों से लाभ अथवा हानि के भीतर आय और व्यय की अपवादीय मदें ऐसे आकार, प्रकृति अथवा व्यापकता है तो उनका प्रकटन उस अवधि के उद्यम के निष्पादन को स्पष्ट करने के लिए संगत है, अपवादीय मदों के रूप में ऐसी मदों की प्रकृति और रकम अलग से प्रकट किए जाते हैं।

वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पणियों का रूपीकरण

नोट नं.2 - गैर चालू परिसंपत्तियाँ, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पी पी इ):

₹ लाखों में

विवरण	मानित लागत / लागत						मूल्यहास					अपसामान्य हानि			निवल ब्लॉक	
	01.04.2024 को	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	वर्ष के दौरान समायोजन	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन	31.03.2025 को	01.04.2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2025 तक	01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान (वापसी)/प्रावधान	31.03.2025 तक	31.03.2025 को	31.03.2024 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ																
भूमि	49,559.10	-	-	-	-	**49,559.10**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**49,559.10**	49,559.10
इमारतें	2,045.35	-	(1.20)	-	-	**2,044.15**	480.73	63.58	-	-	**544.31**	-	-	-	**1,499.84**	1,564.60
संयंत्र एवं उपस्कर	42,951.21	15,896.70	(16.18)	-	-	**58,831.73**	15,670.43	3,173.90	(1.07)	-	**18,843.26**	-	-	-	**39,988.47**	27,280.80
फर्नीचर एवं जुडनार	75.21	18.93	-	-	-	**94.14**	20.29	5.19	-	-	**25.48**	-	-	-	**68.66**	54.92
वाहन	364.16	41.25	(1.16)	-	-	**404.25**	157.42	40.19	-	-	**197.61**	-	-	-	**206.64**	206.74
कार्यालय उपस्कर	1,156.10	75.32	(1.20)	-	-	**1,230.22**	792.37	149.00	(0.71)	-	**940.66**	-	-	-	**289.56**	363.73
अन्यः-																
सडकें & पुलियाएँ	338.17	-	-	-	-	**338.17**	120.66	10.30	-	-	**130.96**	-	-	-	**207.21**	217.51
रेलवे साइडिंग्स	15.62	-	-	-	-	**15.62**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**15.62**	15.62
विविध परिसंपत्तियाँ	251.99	14.66	(1.64)	-	-	**265.01**	164.39	14.73	(1.08)	-	**178.04**	-	-	-	**86.97**	87.60
निवृत्त परिसंपत्तियाँ	506.63	-	(1.06)	-	-	**505.57**	432.64	6.65	-	-	**439.29**	-	-	-	**66.28**	73.99
लघु परिसंपत्तियाँ	46.94	17.84	-	-	-	**64.78**	46.93	17.85	-	-	**64.78**	-	-	-	**-**	-
कुल	**97,310.48**	**16,064.70**	**(22.44)**	**-**	**-**	**1,13,352.74**	**17,885.86**	**3,481.39**	**(2.86)**	**-**	**21,364.39**	**-**	**-**	**-**	**91,988.35**	**79,424.61**
पिछले वर्ष	93,626.07	3,724.33	(39.92)	-	-	**97,310.48**	15,459.12	2,450.98	(24.24)	-	17,885.86	-	-	-	79,424.61	78,166.94

2.1) कंपनी ने 2015-16 के दौरान भारत सरकार द्वारा मंजूर योजना उधार के प्रति केरल के एरणाकुलम जिले के पुत्तनक्रूज़ में सर्वेक्षण सं.205 में पट्टा सं.7030 के 408 एकड भूमि भारत सरकार को बंधक रखने की सहमति दी है।

2.2) कंपनी द्वारा धारित 1499.73 एकड (गत वर्ष 1498.97 एकड) भूमि में से 15.02 एकड (गत वर्ष 15.02 एकड) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टा अधिकार पर धारित है जिसके लिए पट्टा करार अंतिम रूप के अधीन है। 80.50 एकड भूमि को कंपनी और निजी कंपनी के विवाद में माध्यस्थम् पंचाट के प्रति प्रतिभूति के रूप में दिया गया है। (नोट 50.1 देखें)

2.3) 40 एकड भूमि के संबंध में हक विलेख अभी पंजीकृत करना / प्राप्त करना है। कुछ भूमि मालिकों ने अतिरिक्त प्रतिपूर्ति दावे का अपील किया है जो न्यायालयों में अनिर्णित है। इस हिसाब में देयता अभिनिश्चेय नहीं। भूमि अर्जन मामलों पर सूद और उपगत वैध व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में प्रभारित है।

2.4) रेलवे साइडिंग, मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (कोच्ची रिफाइनरी) के साथ संयुक्त रूप से धारित साइडिंग बट्टे खाते डाले गए ₹4.27 लाख (पिछले वर्ष ₹4.27 लाख) मूल्य सम्मिलित है।

2.5) कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को 31.07.2023 तक लीव और लाइसेंस आधार पर 2.50 हेक्टर से 4.1344 हेक्टर भूमि दी थी।

2.6) संयंत्र और उपस्कर में अमोनिया के परिवहन के लिए कंपनी द्वारा संविदाकार के बाजों पर लगाए 6 अमोनिया बुल्लेटों का मूल्य, ₹2.66 लाख के निवल अवलेखित मूल्य के साथ सम्मिलित है।

2.7) पहला प्रभार 36.08 एकड भूमि पर है (गत वर्ष 36.08 एकड भूमि) केरल राज्य में, प्रतिभूति के तौर पर निधि/ निधितर आधारित कार्यशील पूँजी प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक के साथ करने के लिए।

2.8) इसमें ई ई सी निधि से ₹53.03 लाख रुपए की रकम की परिसंपत्तियाँ सम्मिलित है (गत वर्ष ₹53.97 लाख)

2.9) संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यहास प्रभारित है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची क्ष्क्ष के अंतर्गत निर्धारित परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु के आधार पर है। यह निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर लागू नहीं। उनके लिए मूल्यहास कंपनी के संबंधित तकनीकी दल द्वारा मूल्यनिर्धारण में निर्धारित उपयोगी आयु के प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है।

I) उर्वरक संयंत्र के लिए डी सी एस	10 वर्ष
ii) विश्लेषक	5 वर्ष
iii) केप्रोलेक्टम संयंत्र का पुनरुज्जीवन	15 वर्ष

नाोट नं. 2 क. गैर चालू परिसंपत्तियाँ - पूँजीगत निर्माण कार्य

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पूँजीगत निर्माण कार्य (सी डब्लयू आई पी)*	21,565.18	22,035.02
मार्गस्थ माल/ निरीक्षण हेतु लंबित माल/ पूँजी भंडार	61.22	321.98
	21,626.40	**22,357.00**

*पूँजीगत निर्माण कार्य का संचलन

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अथ शेष	22,035.02	10,109.19
समायोजन (निवल)	16,771.92	15,014.81
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का स्थानांतरण	(17,241.76)	(3,088.98)
अंत शेष	**21,565.18**	**22,035.02**

(I) सी डब्ल्यू आई पी की आयु अनुसूची (संदर्भ नोट 49 (ii) (ए)

(ii) सी डब्ल्यू आई पी का विवरण जिनमें मूल योजना की तुलना में समय में विलंब हुआ है। संदर्भ नोट 49 (ii) (b)

नोट सं. 2ख. गैर चालू परिसंपत्तियाँ - निवेश संपत्ति

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
भूमि		
अथ शेष	5.77	5.77
योग/(घटती)	-	-
अंत शेष	**5.77**	**5.77**

2बी.1 2011-12 के दौरान, कंपनी ने लीव और लाइसेंस के रूप में मेसर्स गेइल (इंडिया) लिमिटेड को उद्योगमंडल /कोचीन संभाग स्थित 2.40 एकड भूमि उपलब्ध की थी और उन्हें 0.33 एकड पाइप लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए 35 वर्षों की अवधि के लिए ₹479 लाख के प्रीमियम और सालाना ₹200 के लाइसेंस शुल्क देना पडेगा।

2बी.2 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ) के साथ संयुक्त उद्यम करार के अनुसार कंपनी ने 2008-09 के दौरान कोचीन संभाग के 11 एकड भूमि पट्टा आधार पर मेसर्स एफ ए सी टी-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड को ₹1000 लाख के निश्चित प्रीमियम पर और सालाना ₹10 के किराए पर 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध किया था।

2बी.3 वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने 10.01.2022 से 15 वर्षों की अवधि के लिए उद्योगमंडल में के एस पी पी एल को 30 सेंट भूमि आवंटित करके कोच्ची सेलम पाइपलाइन प्राइवट लिमिटेड (के एस पी पी एल) के साथ लीव और लाइसेंस का समझौता किया है।

2बी.4. निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
निवेश संपत्ति से किराया आय	124.72	124.75
आय अर्जित करनेवाली संपत्ति को सीधे प्रचालन व्यय	-	-
घटाइए : व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-
मूल्यह्रास के पूर्व निवेश संपत्ति से अर्जित लाभ	124.72	124.75
मूल्यह्रास	-	-
निवेश संपत्ति से अर्जित लाभ	**124.72**	**124.75**

2 बी.5. उचित मूल्य का समाधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
निवेश संपत्ति से उचित मूल्य - पूर्ण स्वामित्व वाला भूमि		
अथ शेष	3,750.69	2,906.41
योग/(घटती)	-	844.28
अंत शेष	**3,750.69**	**3,750.69**

पूर्ण स्वामित्व वाला भूमि का उचित मूल्य केरल सरकार द्वारा उनके वेबसाइट में जारी अधिसूचना पर आधारित है।

2बी.6 पट्टा प्राप्तियों का परिपक्वता विश्लेषण नोट 40.ए (i) के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

नोट नं. 2ग : गैर चालू परिसंपत्तियाँ - उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

	सकल रखाव रकम					मूल्यह्रास				निवल रखाव रकम	
विवरण	01.04.2024 को	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	वर्ष के दौरान पट्टे का पुनर्मूल्यांकन	31.03.2025 को	01.04.2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	31.03.2025 तक	31.03.2025 को	31.03.2024 को
भूमि आरओ यू	3,842.92	-	-	-	**3,842.92**	594.26	162.44	-	756.70	3,086.22	3,248.66
इमारत आरओ यू	16.12	-	(16.12)	-	-	9.53	6.59	(16.12)	-	-	6.59
कुल	**3,859.04**	**-**	**(16.12)**	**-**	**3,842.92**	**603.79**	**169.03**	**(16.12)**	**756.70**	**3,086.22**	**3,255.25**
पिछले वर्ष	3,605.64	163.90	(16.17)	105.67	3,859.04	445.77	174.19	(16.17)	603.79	3,255.25	3,159.87

(i) उपर्युक्त में, कच्चे मालों के संग्रह और उठाने-चढने के और बार्ज प्रचालन के लिए समय सारणी स्थापित करने के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ली गई भूमि भी सम्मिलित है। पट्टा करार कार्यान्वयन के लिए निलंबित है। परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और पट्टा देयता को मान्यता दिनांक 14.11.2014 को जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मंजूरी के आधार पर स्वीकृत मसौदा करार के आचार पर की गई है।

(ii) इंड ए एस 116 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन - संदर्भ नोट 40बी देखें।

नोट नं. 2घ.गैर चालू परिसंपत्तियाँ-अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	मानित लागत						क्रमिक अपाकरण					अपसामान्य हानि			निवल ब्लॉक	
	1.04.2024 को	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	वर्ष के दौरान समायोजन	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन	31.03.2025 को	01.04.2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती पर	वर्ष के दौरान समायोजन पर	31.03.2025 तक	01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान (वापसी)/ प्रावधान	31.03.2025 तक	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क्दृध्रद्वद्याङ्घद्ध च्हृदयाध्कुद्धङ्घ	224.51	-	-	-	-	224.51	197.08	11.39	-	-	208.47	-	-	-	16.04	27.43
च्हृद्यङ्ग्	**224.51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**224.51**	**197.08**	**11.39**	**-**	**-**	**208.47**	**-**	**-**	**-**	**16.04**	**27.43**
घ्द्धङ्घ्त्दृद्व्म न्ङ्कद्ध	210.64	13.87	-	-	-	224.51	164.96	32.12	-	-	197.08	-	-	-	27.43	45.68

नोट नं. 3 ए गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ - संयुक्त उद्यम में निवेश

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
संयुक्त उद्यम में		
एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड		
प्रत्येक ₹10/- के 3,52,27,000 साम्या शेयर (पिछले वर्ष 3,52,27,000)	3,522.70	3,522.70
घटाइए : निवेश मूल्य में ह्रासन के लिए प्रावधान (नीचे टिप्पणी देखें)	(3,522.70)	(3,522.70)
	-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश	-	-

3ए.1. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायीकरण (एन सी एल टी), कोच्ची बेंच ने दिनांक 11.01.2024 और 28.01.2025 को अपने आदेश के माध्यम से, एफ आर बी एल के वित्तीय लेनदार द्वारा दायर याचिका के जवाब में, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के अनुसार फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आर पी) को नियुक्त किया है। तदनुसार एफ आर बी एल के निदेशक मंडल को प्रतिस्थापित किया गया था। समाधान पेशेवर ने कार्यवाही शुरू कर दी है और यह प्रगति पर है।

नोट नं. 3बी गैर चालू परिसंपत्तियाँ, वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य निवेश

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए. गैर-उद्धृत साम्या शेयरों में निवेश		
(I) इंडियन पोटैश लिमिटेड		
4,59,000 बोनस शेयरों सहित (पिछले वर्ष 4,59,000) पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹10/- के 6,48,000 (पिछले वर्ष 6,48,000) साम्या शेयर	14,402.84	12,271.69
(ii) केरला एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹10/- के 31,24,000 (पिछले वर्ष 31,24,000) साम्या शेयर(नीचे टिप्पणी 3क-2 देखें)	1,122.45	532.95
(iii) ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लिमिटेड.,		
3,40,910 बोनस शेयरों सहित प्रत्येक ₹10/- के 6,81,820 (पिछले वर्ष 6,81,820) साम्या शेयर	280.98	231.27
(iv) केपेक्सिल एजेंसीस लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹1000/- के 15 (पिछले वर्ष 15) साम्या शेयर	0.15	0.15
घटाइए : निवेश मूल्य में ह्रासन के लिए प्रावधान	(0.15)	(0.15)
	-	-
गैर-उद्धृत साम्या शेयरों में निवेश	**15,806.27**	**13,035.91**
बी. कॉ-ऑपरेटीव सोसाइटियों में शेयर :		
(i) फेक्ट कॉ-ऑपरेटीव सोसाइटी लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹10/- के 10,001 (पिछले वर्ष 10,001) शेयर	1.00	1.00
(ii) मेहराबाद कॉ-ऑपरेटीव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹100/- के 7 (पिछले वर्ष 7) शेयर	0.01	0.01
(iii) गुड एर्थ हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹500/- (पिछले वर्ष ₹500) सहित पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹50 के 10 (पिछले वर्ष 10) शेयर	0.01	0.01
कॉ-ऑपरेटीव सोसाइटियों में शेयर	**1.02**	**1.02**
अन्य निवेश (ए + बी)	**15,807.29**	**13,036.93**

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
न उद्धृत निवेशों का योग रकम	**15,807.29**	**13,036.93**
सी) न उद्धृत साम्या शेयरों के निवेशों के उचित मूल्य मापन का समाधान		
(i) **इंडियन पोटैश लिमिटेड**		
अथ शेष	12,271.69	10,576.59
कुल लाभ एवं हानि, जिसे ओ सी आइ में मान्यता प्राप्त है	2,131.15	1,695.10
अंत शेष	14,402.84	12,271.69
(ii) **केरला एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**		
अथ शेष	532.95	462.88
कुल लाभ एवं हानि, जिसे ओ सी आइ में मान्यता प्राप्त है	589.50	70.07
अंत शेष	1,122.45	532.95
(iii) **ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लिमिटेड**		
अथ शेष	231.27	245.74
कुल लाभ एवं हानि, जिसे ओ सी आइ में मान्यता प्राप्त है	49.71	(14.47)
अंत शेष	280.98	231.27
(iv) कैपेक्सिल एजेंसीस लिमिटेड में निवेश का मूल्य पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तथा पुस्तकों में इसका मूल्यांकन शून्य है।		
(v) को-ऑपरेटीव सोसाइटियों के शेयर अंकित मूल्य में प्रतिधारित किया है।		

नोट नं. 4. गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सुरक्षा जमा - असंदिग्ध माने गए माल	1,329.17	1,175.06
पूँजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए रखी गई आवधिक जमा*(i)	299.00	-
उपरोक्त (i) पर अर्जित ब्याज	10.77	-
अन्य जमा	12.03	11.99
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम		
संदिग्ध माने गए,	3,619.02	3,618.56
घटाइए : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(3,619.02)	(3,618.56)
	-	-
अन्यों को अग्रिम		
अरक्षित संदिग्ध माने गए	25,815.98	25,813.77
घटाइए : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(25,815.98)	(25,813.77)
	-	-
	1,650.97	**1,187.05**
* रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ		

प्रावधानों में संचलन

दोषपूर्ण और संदिग्ध उधार एवं पेशगियों के लिए प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्ष के प्रारंभ में प्रावधान	29,432.33	29,373.79
वर्ष के दौरान विमोचित	(1.09)	-
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	3.76	58.54
वर्ष के अंत में प्रावधान	**29,435.00**	**29,432.33**

4.1. संदिग्ध उधार एवं अग्रिम के लिए प्रावधान में ₹25,450.98 लाख (पिछले वर्ष ₹25,450.98 लाख) सम्मिलित है, जो किसी वैयक्तिक कंपनी को दिए गए संसज्जन अग्रिम पर दिनांक 31.03.2022 को प्रोद्भूत ब्याज के प्रति है। मुकदमा निलंबित है। समतुल्य राशि का प्रावधान किया गया है जो वसूलीयोग्य मानी गई रकम से अधिक ब्याज के प्रति अलग रखा है। (टिप्पणी 13.2, 50.1 और 51 देखें)

नोट नं. 5 गैर चालू परिसंपत्तियाँ - आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ(निवल)

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए. के संबंध में आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(4,913.60)	(4,559.10)
कुल	**(4,913.60)**	**(4,559.10)**
बी. के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
अग्रेषित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास	12,305.15	13,201.51
कुल	**12,305.15**	**13,201.51**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**7,391.55**	**8,642.41**

5.1 कंपनी के पास अनवशोषित मूल्यह्रास और अग्रेषित व्यापार हानि के कारण ₹12,305.15 लाख (गत वर्ष ₹13,201.51 लाख)की आस्थगित कर परिसंपत्ति है। 31.3.2025 तक संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों के कार आस्थगित कर देनदारी ₹4913.60 लाख (गत वर्ष ₹4,559.10 लाख) है। निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति को 31.3.2025 तक मान्यता दी गई है।

5.2 आस्थगित कर केलिए कर आधार

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए. के संबंध में आस्थगित कर देयता के लिए कर आधार		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(19,521.66)	(18,113.22)
कुल	**(19,521.66)**	**(18,113.22)**
बी. के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ के लिए कर आधार		
अग्रेषित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास	48,888.18	52,449.40
कुल	**48,888.18**	**52,449.40**

5.3 आस्थगित कर घटकों का संचलन

₹ लाखों में

31 मार्च 2025 को समाप्त	अथ शेष	लाभ या हानि की मान्यता में	अंत शेष
के संबंध में आस्थगित कर देयता / परिसंपत्तियाँ के लिए कर आधार			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(4,559.10)	(354.50)	(4,913.60)
अग्रेषित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास	13,201.51	(896.36)	12,305.15
कुल	**8,642.41**	**(1,250.86)**	**7,391.55**

₹ लाखों में

31 मार्च 2024 को समाप्त	अथ शेष	लाभ या हानि की मान्यता में	अंत शेष
के संबंध में आस्थगित कर देयता / परिसंपत्तियाँ के लिए कर आधार			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	(4,559.10)	(4,559.10)
अग्रेषित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास	-	13,201.51	13,201.51
कुल	**-**	**8,642.41**	**8,642.41**

कंपनी ने सावधानी से 31.03.2023 तक निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ देयता को मान्यता नहीं दी थी।

5.4 वर्ष के लिए कर व्यय/ (आय) को लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है:

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त	31 मार्च 2024 को समाप्त।
ए. कर पूर्व लाभ (हानि)	**5,374.06**	**4,185.08**
बी. 25.17% की लागू कर दर के अनुसार आयकर (पिछले वर्ष - 25.17%)	**1,352.65**	**1,053.39**
सी. कर प्रभाव:		
हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्ति की अमान्यता / (मान्यता)	1,085.62	(15,001.60)
अस्वीकृति / स्वीकृति भत्तों पर निवल आयकर प्रभाव	(1,583.45)	746.70
मूल्यह्रास की समय-संबंधी अंतर के करण आस्थगित कर	343.18	4,559.10
स्थायी अंतरों पर आस्थगित कर	52.86	-
कुल	**(101.79)**	**(9,695.80)**
डी. लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया व्यय / (आय)	**1,250.86**	**(8,642.41)**

*कंपनी ने सावधानी से 31.03.2023 तक निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ देयता को मान्यता नहीं दी थी।

नोट नं.6 गैर-चालू परिसंपत्तियाँ - अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पूँजीगत अग्रिम (रक्षित असंदिग्ध माल)	2,631.51	3,246.46
	2,631.51	**3,246.46**

नोट नं. 7. चालू परिसंपत्तियाँ - मालसूचियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कच्चे माल	16,011.41	15,822.86
मार्गस्थ कच्चे माल	7,347.25	14,552.96
	23,358.66	30,375.82
चालू निर्माण कार्य	14,717.51	6,570.64
तैयार माल	36,617.64	65,866.68
व्यापार में स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित मालों के संबंध में)	10,056.67	2,617.11
भंडार एवं पुर्जे		
मशीनरी पुर्जे	11,608.33	10,798.41
सामान्य भंडार	2,834.28	2,661.82
मार्गस्थ भंडार एवं पुर्जे	274.81	281.93
	14,717.42	13,742.16
निवृत्त पुर्जे	453.50	453.50
कुल मालसूचियाँ	**99,921.40**	**1,19,625.91**
घटाइए: अप्रचलन एवं भंडारण हानियों के लिए प्रावधान	(5,419.07)	(5,255.96)
	94,502.33	**1,14,369.95**

टिप्पणियाँ

7.1. चालू परिसंपत्तियों में मालसूची और व्यापार प्राप्य रकम जिसे बैंकों के साथ कार्यशीप पूँजी व्यवस्था (निधि/निधितर आधारित) के लिए प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ₹90.000.00 लाख के लिए गिरवी रखे हैं। इस व्यवस्था की उपयोगिता रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ₹16,955.38 लाख (पिछले वर्ष ₹7834.86 लाख) है।

7.2. तैयार मालों की मालसूची, कच्चे माल, भंडार एवं पुर्जों, प्रगतिशील काम आदि कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।(कृपया नोट 1.3 **(v)** देखें)।

7.3. तैयार मालों में 21.01लाख मी ट बिक्री-योग्य जिप्सम(थोक) (गत वर्ष 21.09 लाख मी ट) जिसका मूल्य ₹13,157.84 लाख (गत वर्ष ₹12,389.90 लाख) है। दिनांक 31.03.2025 के अनुसार, जिप्सम के बंद स्टॉक के निर्धारण के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में आयोजित प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर बिक्री योग्य जिप्सम का निर्धारण किया है।

7.4. मार्गस्थ भंडार और उपस्कर में निरीक्षण के लिए लंबित स्थानीय भंडार और उपस्कर सम्मिलित है जो 235.33 लाख रुपए के हैं (गत वर्ष 281.93 लाख रुपए)।

7.5. वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने चिकमंगलूर डिपो में प्रत्यक्ष स्टाक में 543.60 मी ट फेक्टमफोस और 60.50 मी ट अमोनियम सल्फेट की मात्रागत अनियमितताओं का पता लगाया था, जिनका मूल्य 218.50 लाख रुपए (6.88 लाख रुपए जी एस टी समेत) है। कंपनी ने बिक्री मूल्य (जी एस टि घटाकर) और सहायिकी के रूप में 211.62 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया था. कुछ डीलरों ने उन्हें आपूर्ति किए जाने तक 23.50 मी ट उर्वरक मूल्य का दावा करते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।। उपर्युक्त के सिलसिले में, कंपनी ने बाद में वर्ष के दौरान 63.85 लाख रुपए की संकलित रकम विविध डीलरों से 256.95 मी ट फेक्टमफोस के विक्रय मूल्य के तौर पर वसूल की है। तथापि, कंपनी ने अन्वेषण समाप्ति तक 211.62 लाख रुपए का अनुरक्षण किया है। कंपनी ने परिवाहकों, डीलरों और गोदामों से वसूली के लिए कदम उठाए हैं। (कृपया नोट 13.3, 23.1, 24.2, 26.1देखें)।

7.6. 31.3.2025 को पाँच वर्ष या उससे अधिक पुराने भंडार एवं कलपुर्जों के गैर-चल स्टॉक के लिए 90 प्रतिशत प्रावधान किया गया है।

7.7 लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त चालू निर्माण कार्य का लेखा-जोखा (लागत और एन आर वी के बीच अंतर) 352.66 लाख रूपए है (पिछले वर्ष 136.08 लाख)

7.8 प्रावधानों में संचलन

अप्रचलन एवं भंडारण हानियों के लिए प्रावधान (निवृत्त पुर्जे के लिए प्रावधान सहित) ₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्ष के प्रारंभ में प्रावधान	5,255.96	5,995.83
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	163.11	-
वर्ष के दौरान विमोचित	-	(739.86)
वर्ष के अंत में प्रावधान	**5,419.07**	**5,255.96**

नोट नं. 8. चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्य

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
संबंधित पार्टी से		
अरक्षित		
क्षतिग्रस्त ऋण	297.72	297.72
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(297.72)	(297.72)
	-	-
अन्य		
अरक्षित		
क्षतिग्रस्त ऋण	1,669.98	1,647.71
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(1,669.98)	(1,647.71)
	-	-
विविध ऋण		
रक्षित, माने गए माल	1,543.95	7,063.09
अरक्षित, माने गए माल	974.24	2,000.60
	2,518.19	9,063.69
सहायिकी प्राप्ति		
अरक्षित		
संदिग्ध माने गए	411,33	18,663.04
अरक्षित, माने गए माल	25,829.42	6,750.04
घटाइए: संदिग्ध सहायिकी का प्रावधान	(411.33)	(18,663.04)
	25,829.42	6,750.04
	28,347.61	**15,813.73**

प्रावधानों में संचलन

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्ष के प्रारंभ में प्रावधान	20,608.47	2,381.23
वर्ष के दौरान विमोचित	(18,260.31)	(84.44)
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	30.87	18,311.68
वर्ष के अंत में प्रावधान	**2,379.03**	**20,608.47**

31 मार्च 2025 को व्यापार प्राप्य राशि की कालिक अनुसूची

₹ लाखों में

विवरण	देय नहीं	भुगतान की तारीख से अवधियों को बकाया रकम					कुल
		6 महीनों से कम	6 महीनों से एक वर्ष तक	1-2 वर्ष तक	2-3 वर्ष तक	3 वर्षों से अधिक	
(I) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - असंदिग्ध माने गए	-	19,701.56	5,763.87	2,780.03	74.33	26.80	**28,346.59**
(ii) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - जिनमें उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - उधार ह्रासित	-	-	1.62	11.95	4.86	1,732.38	**1,750.81**
(iv) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम - जो असंदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	1.02	**1.02**
(v) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम - जिसमें उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम उधार ह्रासित	-	-	-	-	-	628.22	**628.22**
कुल	**-**	**19,701.56**	**5,765.49**	**2,791.98**	**79.19**	**2,388.42**	**30,726.64**
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान							(2,379.03)
कुल (प्रावधान का निवल)	**-**	**19,701.56**	**5,765.49**	**2,791.98**	**79.19**	**2,388.42**	**28,347.61**

31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्य राशि की कालिक अनुसूची

₹ लाखों में

विवरण	देय नहीं	भुगतान की तारीख से अवधियों को बकाया रकम					कुल
		6 महीनों से कम	6 महीनों से एक वर्ष तक	1-2 वर्ष तक	2-3 वर्ष तक	3 वर्षों से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - असंदिग्ध माने गए	6,016.08	2,587.65	3,239.36	3,918.62	49.50	1.45	**15,812.66**
(ii) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - जिनमें उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - उधार ह्रासित	-	16,721.67	1,533.85	5.90	0.00	1,710.50	**19,971.92**
(iv) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम - जो असंदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	1.07	**1.07**
(v) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम - जिसमें उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम उधार ह्रासित	-	-	-	-	-	636.55	**636.55**
कुल	**6,016.08**	**19,309.32**	**4,773.21**	**3,924.52**	**49.50**	**2,349.57**	**36,422.20**
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान							(20,608.47)
कुल (प्रावधान का निवल)	**6,016.08**	**19,309.32**	**4,773.21**	**3,924.52**	**49.50**	**2,349.57**	**15,813.73**

नोट नं. 9. चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ-नकद एवं नकद समतुल्य

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
बैंक शेष	2,305.85	2,305.85
हस्तगत नकद	2.27	2.27
बैंकों के पास अल्पावधि जमा * (i)	41,223.02	41,223.02
उपरोक्त (i) पर अर्जित ब्याज	35.69	35.69
	43,566.83	**43,566.83**

* तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता

9.1 नकद एवं नकद समतुल्यों में सम्मिलितः

(ए) ₹814.90 लाख (पिछले वर्ष ₹1070.79 लाख) जो जमा आधार पर काम के प्रति प्राप्त है, जो विशिष्ट लेखे में संबधित देयताएँ निभाने के लिए रखा गया है।

(बी) 31.03.2025 तक सी एस आर गतिविधियों के लिए शेष ₹232.21 लाख (पिछले वर्ष ₹300.61 लाख) की अव्ययित रकम को निर्धारित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है जो अलग बैंक खाते में रखा गया है।

नोट नं. 10. चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य बैंक शेष

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अप्रदत्त लाभांश खाते की शेष राशि	10.01	10.01
साख पत्र, बैंक गारंटी और निधि आधारित व्यवस्था के लिए गिरवी रखी गई राशि * (i)	67,456.66	67,456.66
कैपेक्स परियोजनाओं के लिए निर्धारित जमा * (ii)	147,989.41	147,989.41
उपरोक्त (i) एवं (ii) पर अर्जित ब्याज	8,909.38	8,909.38
	2,24,365.46	**2,24,365.46**

* रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाला

10.1. कैपेक्स परियोजनाओं को निर्धारित निवेश पर निधि आधारित और गेर-निधि आधारित सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए सीमांत रकम ₹1,624.84 (पिछले वर्ष ₹36055.21) लाख की जमा राशि पर ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है।

नोट नं. 11. चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सुरक्षा जमाः		
अरक्षित, माने गए माल	8.48	4.80
सेवा आदेशों के बदले प्राप्य रकम	368.64	407.50
अन्य प्रोद्भूत आय	24,727.78	23,510.40
ग्रूप उपदान योजना के अंतर्गत एल आई सी से प्राप्य रकम	16.95	90.38
टाउनशिप देय राशि(संदिग्ध देय राशि के लिए निवल प्रावधान)	97.91	147.85
विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (निवल)	-	102.41
अन्य	34.52	24.51
	25,254.28	**24,287.85**

11.1 अन्य प्रोद्भूत आय में ₹24,589.67 लाख(पिछले वर्ष ₹21,820.08 लाख सम्मिलित है जो डीलरों के पास पी एण्ड के उर्वरक स्टॉक के न दावा की गई डी बी टी सहायिकी (वसूली आधारित हिसाब, जिसका पावती में पर्याप्त सुधार को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गये है) हिस्से का 95% (पिछले वर्ष 90%) है। (नोट 27.1 & 53) देखें

नोट नं. 12. चालू परिसंपत्तियाँ - चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
आय कर (निवल प्रावधान)	128.68	160.54
	128.68	**160.54**

नोट न. 13. चालू परिसंपत्तियाँ - अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
से ऋणः		
सांविधिक प्राधिकारों	59,200.36	50,428.43
घटाइएः संदिग्ध प्राप्य रकम के लिए प्रावधान	(39,072.99)	(34,358.16)
	20,127.37	16,070.27
संविदाकार	2,263.60	4,121.23
कर्मचारी	466.66	239.00
पूर्वप्रदत्त व्यय	763.12	672.08
अन्य	279.54	821.90
	23,900.29	**21,924.48**

13.1 सांविधिक प्राधिकारियों से देय रकम में

(I) पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस(आर एल एन जी) पर चुकाए मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति में केरल सरकार द्वारा अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 31.3.2025 को आर एल एन जी पर प्राप्य वैट के लिए 39,017.84 लाख (पिछले वर्ष ₹34,303.01 लाख) का प्रावधान किया है जो संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान के अंतर्गत था। (कृपया नोट नं.29.2 देखें)

(ii) 64.83 लाख रुपए (पिछले वर्ष 64.83 लाख रुपए) (निवल प्रावधान) की केवाट वापसी की प्राप्ति और

(iii) अपीलाधीन विवादपूर्ण मांगों के विरुद्ध दी गई रकम ₹72.97 लाख (पिछले वर्ष ₹72.97 लाख) सम्मिलित है।

13.2. संविदाकारों से बकाया राशियों में पूर्ति की गई सामग्रियों के लिए दी गई रकम सम्मिलित है लेकिन जिन्हें कंपनी ने इनकार किया था और निपटान निर्णयाधीन है, जो ₹0.56 लाख (गत वर्ष ₹15.21 लाख) और बकाया राशि में ₹1353.19 लाख (गत वर्ष ₹1353.19 लाख) सम्मिलित है और इसमें कंपनी द्वारा अवलंब ली बैंक गैरंटी के आधार पर वसूली योग्य माना गया ब्याज सम्मिलित है। वर्ष 2013-14 के दौरान माध्यस्थम पंचाड पारित किया गया, जिसके अनुसार कंपनी इस अग्रिम और सूद के प्रति ₹2798.29 लाख का समायोजन करने के लिए हकदार है जो संविदाकार से बकाया रकम के रूप में दावा की गई है। कंपनी ने इस पंचाड के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय में अपील की है, जिससे पंचाड रोका गया है। मामला को वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। तदनुसार कंपनी ने बैंक से माँग की है कि ब्याज सहित बैंक गैरंटी का नकदीकरण प्रक्रिया भेज दें। बैंक ने दावा स्वीकार नहीं किया और परिणामस्वरूप कंपनी ने बैंक के विरुद्ध मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है ताकि रकम वसूल कर सके, यह निर्णयाधीन है। तथापि, ₹1353.19 लाख के रकम को मुकदमों के निपटान के अधीन प्रतिधारित रखा गया है।

13.3. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ, ठेकेदारों से देय रकम में ठेके की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार परिवहन ठेकेदार को प्रभारित ₹ 476.89 लाख (नियत स्थानों पर डीलरों को मालों के सुपुर्दगी न करने के लिए) शामिल है। (कृपया नोट नं.7.5, 23.1 & 24.2 देखें)

13.4 अन्य चालू परिसंपत्तियों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग के बाद ₹250.37 लाख (पिछले वर्ष ₹792.77 लाख) का सी एस आर व्यय सम्मिलित है जो कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक है। (नोट 35.5 देखें)

नोट नं.14 निपटान के लिए रखी गैर चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
निपटान के लिए रखे सेवारहित परिसंपत्तियाँ	4,065.02	4,065.02
	4,065.02	**4,065.02**

निपटान के लिए रखी सेवारहित परिसंपत्तियों में कोचीन संभाग के अमोनिया और यूरिया संयंत्र सम्मिलित है जिन्हें कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान स्क्रैप करने का निर्णय लिया था। इन अलग रखी गई परिसंपत्तियों को बहियों में 4065.02 लाख रुपए के ह्रासित मूल्य पर (गत वर्ष 4065.02 लाख रुपए) प्रतिधारित हैं। यह रकम प्राक्कलित निवल वसूली योग्य से कम है। मुकदमा न्यायालय के अधीन विचाराधीन होने के कारण कंपनी निपटान प्रक्रिया को समाप्त न कर सकी।

नोट नं. 15. साम्या- साम्या शेयर पूँजी

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
प्राधिकृत: प्रत्येक ₹10/- के 100,00,00,000 (पिछले वर्ष 100,00,00,000) साम्या शेयर	100,000.00	100,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप में प्रदत्त: प्रत्येक ₹10/- के 64,70,71,974 (पिछले वर्ष 64,70,71,974) पूर्ण प्रदत्त साम्या शेयर	**64,707.20**	**64,707.20**

15.1 वित्तीय वर्ष के आरंभ एवं अंत में बकाया शेयरों का समाधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	64,70,71,974	64,70,71,974
वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	64,70,71,974	64,70,71,974

15.2 शेयरों के संबद्ध अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी के पास 10 रुपए प्रति शेयर के मूल्य का साम्या शेयर एक श्रेणी में है। प्रत्येक शेयरधारी प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का हकदार है। कंपनी लाभांश की घोषणा करती है और भारतीय रुपए में लाभांश चुकाती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी आम बैठक में शेयरधारियों के अनुमोदन के अध्यधीन है, अंतरिम लाभांश के मामले में यह लागू नहीं है।

समापन के अवसर पर, साम्या शेयरधारी कंपनी का बाकी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र है जो सभी अधिमानी रकमों के वितरण के बाद उनके धारित शेयरों को अनुपात में होगा।

15.3 5% से ज्यादा शेयरों के रखनेवाले शेयरधारियों द्वारा रखे गए शेयर :

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(ए) भारत सरकार		
शेयरों की संख्या	58,23,64,776	58,23,64,776
कुल शेयरों का प्रतिशत	90.00%	90.00%
(बी) भारत सरकार द्वारा गठित विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि *		
शेयरों की संख्या	5,54,00,424	5,54,00,424
कुल शेयरों का प्रतिशत	8.56%	8.56%

* भारत सरकार ने ₹10 के 55400424 साम्या शेयरों को दिनांक 6 अगस्त 2013 को विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरित किया था।

15.4. शेयरों / विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्पों एवं संविदाओं / प्रतिबद्धताओं के अधीन जारी करने के लिए आरक्षित शेयर। कुछ नहीं।

15.5 नकद, बोनस शेयर और वापस खरीदे गए शेयरों के अलावा प्रतिफल के लिए आवंटित शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी - तुलन-पत्र की तारीख से तुरंत पहले पांच वर्षों की अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

15.6 परिवर्तन की यथा तारीख के साथ जारी किए गए साम्या /अधिमानीय शेयरों में परिवर्तनीय कोई अन्य प्रतिभूति की शर्त- **कुछ नहीं**

15.7. वर्षांत संवर्धकों के पास धारित शेयर

संवर्धक का नाम	शेयरों की संख्या(साम्या शेयर)	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान % का परिवर्तन
भारत सरकार	582364776	90.00%	कुछ नहीं
कुल	**582364776**	**90.00%**	**कुछ नहीं**

नोट नं. 16. साम्या - अन्य साम्या

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
आरक्षित पूँजी :		
औद्योगिक भवन योजना के अंतर्गत केरल राज्य सरकार से सहायिकी	2.64	2.64
	2.64	**2.64**
अन्य आरक्षित :		
आस्थगित सरकारी अनुदान :		
इंडो इ इ सी उर्वरक शिक्षा परियोजना		
अथ शेष	49.85	50.78
घटाइए: लाभ एवं हानि विवरण को अंतरित रकम	(0.94)	(0.93)
अंत शेष	**48.91**	**49.85**
अन्य बृहत् आय द्वारा साम्या लिखत		
अथ शेष	12,670.38	10,919.67
वर्ष के दौरान (घटती/बढती)	2,770.35	1,750.71
अंत शेष	**15,440.73**	**12,670.38**
प्रतिधारित किए अर्जन :		
अथ शेष	58,354.43	51,694.08
जोडिए : वर्ष के दौरान लाभ / (हानि)	4,123.20	12,827.49
जोडिए : निश्चित किए हितलाभ योजना की पुनर्मापन	669.17	303.58
घटाइए : लाभांश	(6,276.60)	(6,470.72)
अंत शेष	**56,870.20**	**58,354.43**
अन्य साम्या	**72,362.48**	**71,077.30**

16.1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, निदेशक मंडल ने 0.20 रुपए प्रति साम्या शेयर (गत वर्ष 0.97 रुपए प्रति साम्या शेयर) का अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो कंपनी के शेयरधारियों द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन है।

नोट नं. 17. गैर चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - पट्टा देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पट्टा देनदारियाँ (नोट 40 बी देखें)	3,117.06	3,162.60
	3,117.06	**3,162.60**

नोट नं. 18. गैर चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - अन्य वित्तीय देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
किराए के प्रति सुरक्षा जमा	27.88	29.36
	27.88	**29.36**

नोट नं 19 गैर चालू देनदारियाँ - प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
(I) उपदान के लिए प्रावधान	5,959.05	8,174.09
(ii) छुट्टी भुगतान के लिए प्रावधान	8,207.81	7,733.18
पट्टे की संपत्तियों में परिसंपत्तियों का डीकमीशनिंग	334.59	309.76
	14,501.45	**16,217.03**

नोट नं. 20. गैर चालू देनदारियाँ - अन्य गैर चालू देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
प्राप्त अग्रिम किराया	843.04	974.80
	843.04	**974.80**
20.1 - संचलन		
वर्षारंभ में	1,156.56	1,311.04
प्राप्त पेशगियाँ	42.79	38.80
लाभ और हानि विवरण में विमोचित	(170.55)	(193.28)
वर्षांत के अनुसार	1,028.80	**1,156.56**
20.2 - चालू / गैर-चालू विभाजन		
चालू (नोट 25 देखें)	185.76	181.76
गैर चालू	843.04	974.80
	1,028.80	**1,156.56**

नोट नं. 21. गैर चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - उधार

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
रक्षित :		
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता :		
भारत सरकार से आवधिक ऋण, (नीचे नोट 21.1 देखें)	128,273.00	128,273.00
उपरोक्त पर ब्याज को ऋण में परिवर्तित	48,775.75	48,775.75
	177,048.75	**177,048.75**
अरक्षित:		
मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड से अंतर्निगमित ऋण	-	510.00
	177,048.75	**177,558.75**

21.1. प्रतिवर्ष 13.50% के सूद पर 100000.00 लाख रुपए का एक योजना उधार भारत सरकार द्वारा (जी ओ आई) 29 मार्च 2016 को कंपनी के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए विमोचित किया गया था। भारत सरकार के आदेशानुसार 100000.00 लाख के साथ 28,273 लाख के पूर्ववर्ती उधार और बकाया देय ब्याज को एकक उधार के रूप में परिवर्तित करके प्रतिवर्ष 13.50% सूद और एक वर्ष के अधिस्थगन दिया गया। दिनांक 12.01.2016 के वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार के पत्र के अनुसार उधार की स्वीकृति देते हुए कंपनी का कुल बकाया देनदारी 183672.00 लाख रुपए बताया गया। कंपनी ने भारत सरकार के उर्वरक विभाग के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है, कि कंपनी की 408 एकड भूमि 13.50% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित दिनांक 31.03.2017 को संपूर्ण उधार की बकाया रकम की वापसी के लिए गिरवी रखेगी। उधार की रकम समायोजित की गई और दिनांक 31.03.2017 तक संचित बकाया उधार ब्याज सहित दिनांक 31.03.2017 के अनुसार 177048.75 लाख रुपए है।ब्याज सहित ऋ्रण का भुगतान 2022 तक समाप्त होने वाली 5 वर्षों की अवधि के भीतर तीन या अधिक समान किस्तों में किया जा सकेगा। तदनुसार, संपूर्ण रकम 177048.75 लाख रुपए होने के कारण (गत वर्ष 177048.75 लाख रुपए) दीर्घवधि उधार की चालू देनदारियाँ- चालू परिपक्वताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31.03.2025 के अनुसार बकाया मूलधन और ब्याज सहित रकम भारत सरकार की बाकी रकम के साथ पुष्टि की गई है।

कंपनी ने उर्वरक विभाग (डी ओ एफ), भारत सरकार (जी ओ आई) को एक वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें भारत सरकार के उधार पर ब्याज के अधित्यजन का अनुमोदन माँगा गया है, ₹28,273.00 लाख के उधार की रकम को साम्य में बदलने और ₹1,00,000.00 लाख के उधार को ब्याज-मुक्त उधार में बदलने और वार्षिक किस्तों में वापस करने का निवेदन किया गया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्संरचना प्रस्ताव उर्वरक विभाग, भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार के अनुमोदन निलंबित होने के कारण, सरकार से लिया गया उधार और उस पर के ब्याज का आकलन किया गया है और दिनांक मार्च 3, 2016 के उधार करार के अनुसार प्रकट किया गया है।

21.2 कंपनी और मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (आर सी एफ) ने मेसर्स एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड, 50:50 संयुक्त उद्यम (कंपनी और आर सी एफ के बीच का) निविदाकारों को निगमित गैरंटी प्रदान की थी। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकरों को आर सी एफ ने संपूर्ण देयता का निपटान किया है 50% कंपनी के शेयर समेत ₹5100 लाख की हद तक ₹2550 लाख इस शर्त पर कि कंपनी आर सी एफ द्वारा चुकाई रकम को कंपनी की ओर से निगमित उधार के रूप में 5 वर्ष की अवधि में अदायगी के साथ माना जाएगा जो वर्ष 2020-21 से आरंभ हो रहा है। कंपनी ने वर्ष के दौरान समझौते के अनुसार 510 लाख रुपए की अंतिम किश्तों का भुगतान किया है। वर्ष 2024-25 के लिए ऋ्रण पर लागू ब्याज दर 7.73% प्रति वर्ष है(पिछले वर्ष 7.82%)। है।

नोट नं. 22. चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - पटटा देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पट्टा देनदारियाँ (नोट 40बी देखें)	297.51	301.03
	297.51	**301.03**

नोट नं. 23. चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - व्यापार देयताएँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
व्यापार देयदाएँ		
(I) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कारण(नोट 38 देखें)	438.76	1025.21
(ii) अन्य	46,268.03	47,359.79
	46,706.79	**48,385.00**

(व्यापार देयताओं की आयु अनुसूची के लिए नोट 39 देखें)

23.1. व्यापार देय रकम, अन्य में ठेके की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार नियत स्थान पर डीलरों को मालों की सुपुर्दगी न करने कि लिए परिवहन ठेकेदार से रोक रखे ₹ 290.02 लाख और गोदाम से रोक रखे ₹ 146 लाख (गत वर्ष ₹ 146 लाख) सम्मिलित है। (नोट नं. 7.5, 13.3, 24.2 भी देखें)

नोट नं. 24. चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - अन्य वित्तीय देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
उधार पर उपचित ब्याज (नोट 21.1 & 21.2 देखें)		
भारत सरकार से आवधिक ऋण	1,91,212.65	167,311.07
अंतर्निगमित ऋण	-	25.47
कर्मचारियों को देय	871.53	1,196.66
ग्राहकों से व्यापार जमा	5,561.89	5,276.91
विदेशी मुद्रा देयता	47.19	-
अन्य देनदारियाँ	12,315.17	14,219.38
	2,10,008.43	**188,029.49**

24.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने 01.01.1997 से 30.06.2001 तक की अवधि से संबंधित मज़दूरी संशोधन के संवितरण के लिए एक योजना तैयार की है, चरण आधार पर जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आधार पर है। कर्मचारियों को देय राशि में ₹ 728.29 लाख (गत वर्ष ₹1030.96) 1997 देय राशि, एक वर्ष की है।

24.2 अन्य देनदारियों में ठेके की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार परिवहन ठेकेदारों से प्रभारित रकम शामिल है, जो नियत स्थान पर डीलरों को मालों की सुपुर्दगी न करने के लिए और गोदाम से रोक रखा राशि शामिल है। (देखें 7.5, 13.3 & 23.1 भी)

नोट नं. 25. चालू देनदारियाँ - अन्य चालू देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सांविधिक देय	1,170.23	938.17
ग्राहकों से अग्रिम	4,709.14	5,720.66
प्राप्त किराया राशि (नोट 20.2 देखें)	185.76	181.76
	6,065.13	**6,840.59**

नोट नं. 26. चालू देनदारियाँ - प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
(i) उपदान के लिए प्रावधान	887.71	1,113.98
(ii) छुट्टी भुनाने के लिए प्रावधान	1,114.28	888.42
अन्य संविदात्मक दायित्वों के प्रति प्रावधान	239.60	239.60
अन्य प्रावधान	211.62	211.62
	2,453.21	**2,453.62**

26.1. अन्य प्रावधानों में ₹211.62 लाख (पिछले वर्ष ₹211.62 लाख) (संकलित प्रावधान ₹218.50 लाख जी एस टी का निवल ₹6.88 लाख सम्मिलित है) जो कर्नाटक राज्य के कुछ गोदामों में पाए गए तैयार मालों की कमी के प्रति किए गए प्रावधान है। (कृपया नोट 7.5 देखें)

₹ लाखों में

नोट नं. 27. प्रचालनों से राजस्व

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
उत्पादों की बिक्री		
निजी उत्पाद	2,04,162.51	2,68,412.03
व्यापारित उत्पाद	38,437.10	24,869.54
	2,42,599.61	2,93,281.57
भारत सरकार से उर्वरकों पर सहायिकी / रियायत	1,61,128.91	2,11,221.46
	1,61,128.91	2,11,221.46
सेवाओं की बिक्री		
संविदाओं एवं अन्य सेवाओं से कुल आय	1,362.47	618.30
प्रचालनों से कुल राजस्व	**4,05,090.99**	**5,05,121.33**
निजी उत्पादों की बिक्री समाविष्टः		
फेक्टमफोस 20-20-0-13	1,54,548.68	1,73,043.13
अमोनियम सल्फेट	42,032.89	37,859.34
केप्रोलेक्टम	1,616.50	50,746.82
जिप्सम	2,713.18	2,791.79
अन्य	3,251.26	3,970.95
कुल	**2,04,162.51**	**2,68,412.03**
व्यापारित उत्पादों की बिक्रीः		
म्यूरिएट ऑफ पोटैश	22,951.77	7,169.49
एन पी के 15ः15ः15	14,227.85	17,020.37
ऑर्गानिक मैनुअर्स	822.15	631.61
पी डी एम	311.78	7.20
पी आर ओ एम	68.24	2.98
एफ ओ एम	38.57	
नानो यूरिया एवं डी ए पी	16.74	37.89
कुल	**38,437.10**	**24,869.54**
उर्वरकों पर सहायिकी / रियायत		
फेक्टमफोस 20-20-0-13	1,21,205.23	1,65,493.94
अमोनियम सल्फेट	29,522.90	30,989.74
आयातित मिश्रित खादें	8,208.76	14,028.07
म्यूरिएट ऑफ पोटैश	2,181.31	709.71
एफ ओ एम : पी आर ओ एम	10.71	-
कुल	**1,61,128.91**	**2,11,221.46**

27.1 सीधे हितलाभ अंतरण (डी बी टी) सहायिकी योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, उर्वरकों पर सहायिकी आय बिक्री के समय डीलरों को प्रदान किया जाता है। तथापि पावती के आधार पर, सहायिकी दावा अंतिम हिताधिकारी को उर्वरक की बिक्री की तारीख को लागू दर पर तैयार किया जाता है। इस अवधि में पावती में पर्याप्त सुधार को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने वसूली के आधार का पुनःमूल्यांकन किया है और तदनुसार, 31.03.2025 को अंतिम लाभार्थी को बिक्री के लिए डीलरों के पास लंबित पी एण्ड के उर्व़रक स्टॉक का 95% (पिछले वर्ष 90%) सहायिकी भाग ₹24,589.67 लाख (पिछले वर्ष ₹21,820.08 लाख) प्रचालन से राजस्व लाभ माना जाता है।(नोट 11.1 & 53 देखें)

₹ लाखों में

नोट नं. 28. अन्य आय

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय:		
बैंकों के साथ जमा पर	19,928.82	18,803.72
ऋणों, अग्रिमों, दावों, अतिदेय आदि पर	113.24	113.29
साम्या निवेश से लाभांश आय जो ओ सी आई द्वारा उचित मूल्य पर मापी जाती है।		
संयुक्त उद्यम के अलावा	48.60	45.36
अन्य अप्रचलन आय		
उपयोग के अधिकार के लिए किराया और मुआवजा	366.36	424.72
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ	44.24	242.81
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान	5.09	84.44
आस्थगित सरकारी अनुदानों से अंतरण: ई ई सी परियोजना पर	0.94	0.94
विविध आय	1,137.33	596.34
	21,644.62	**20,311.62**

नोट नं. 29.उपभुक्त सामग्रियों की लागत

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल	56	2,22,424.86	2,94,842.36
पैकिंग सामग्री		3,534.24	4,502.35
		2,25,959.10	**2,99,344.71**

29.1 लगभग 31 मार्च 2025 को कच्चे मालों का भौतिक सत्यापन किया गया है। 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कच्चे मालों के मामले में बुक आँकडे के परे अंतर को उपभोग (अत्यधिक (-) / कमी) में समायोजित किया गया है। चालू वर्ष ₹ (-)1,651.66 लाख (पिछले वर्ष ₹ (-) 760.62 लाख)।

29.2 वर्ष 2024-25 के दौरान आर एल एन जी खरीद पर ₹4714.83 लाख (पिछले वर्ष ₹6,884,46 लाख) का वैट लगाया गया है, जिसे कच्चे माल / ईंधन की खपत के रूप में दर्ज किया गया है।(नोट 13.1(i) देखें)

₹ लाखों में

नोट नं. 30. व्यापार स्टॉक के क्रय

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
मिश्रित खादें / ऑर्गैनिक मानुअर /म्यूरिएट ऑफ पोटैश	47,752.78	36,389.76
	47,752.78	**36,389.76**

नोट नं. 31. तैयार मालों, व्यापारित उत्पाद एवं चालू निर्माण कार्यों की मालसूचियों में परिवर्तन

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष		
तैयार माल	65,866.68	64,527.36
व्यापारित उत्पाद	2,617.11	-
चालू निर्माण कार्य	6,570.64	5,406.85
	75,054.43	69,934.21
इति शेष		
तैयार माल	36,617.64	65,866.68
व्यापारित उत्पाद	10,056.67	2,617.11
चालू निर्माण कार्य	14,717.51	6,570.64
	61,391.82	75,054.43
माल सूचियों में परिवर्तन : (वृद्धि)/ घटती	**13,662.61**	**(5,120.22)**

नोट नं. 32 कर्मचारी हितलाभ व्यय

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	20,222.55	21,122.23
भविष्य निधि के लिए अंशदान	1,937.55	1,888.86
छुट्टी नकदीकरण (निवल प्रावधान)	2,208.02	2,103.67
उपदान	1,074.66	1,151.99
स्टाफ कल्याण खर्च	2,024.84	2,113.15
	27,467.62	**28,379.90**

32.1 वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरक विभाग, भारत सरकार ने बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढाकर 60 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

32.2. वर्ष के दौरान प्रदत्त सेवानिवृत्त हितलाभों समेत निदेशकों का पारिश्रमिक - नोट 45सी (ii) देखें।

32.3 भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय प्रकटीकरण के लिए नोट 48 देखें।

नोट नं. 33 वित्त लागत

₹ लाखों में

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत के वित्तीय देनदारियों पर ब्याज			
भारत सरकार से लिए ऋणों पर ब्याज	21.1.	23,901.58	23,901.58
ब्याज-अन्य		358.53	503.93
पट्टा देनदारियों पर वित्त लागत		267.90	263.34
जमा पर छूट की समाप्ति		1.48	1.38
अन्य वित्त लागत		24.83	22.54
		24,554.32	**24,692.77**

नोट नं. 34 मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

₹ लाखों में

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर मूल्यह्रास	2	3,481.39	2,450.98
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	2सी	169.03	174.19
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	2डी	11.39	32.12
		3,661.81	**2,657.29**

नोट नं. 35 अन्य व्यय

₹ लाखों में

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
भंडार एवं कलपुर्जों का उपभोग		3,731.17	5,172.83
बिजली एवं ईंधन	29.2	35,855.94	60,549.24
किराया		1,165.67	937.89
इमारतों की मरम्मत और अनुरक्षण		385.10	478.52
मशीनरियों की मरम्मत और अनुरक्षण		4,191.11	5,310.35
बीमा		392.19	350.27
दरें एवं कर		125.57	144.50
मुद्रा दर परिवर्तन पर (लाभ)/हानि (निवल)		480.80	(629.93)
संविदाओं पर सामग्री एवं अन्य सीधे प्रभार		886.14	691.18
लेखापरीक्षकों की शुल्क एवं व्यय	35.1	25.61	18.71
माल भाडा, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभार		25,444.39	28,430.34
संदिग्ध प्राप्य एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		54.29	106.97
भंडार, पुर्जों & उत्पादों (निवल) की क्षतियाँ /कमियाँ	35.2	1.07	8.04
भंडारों के अप्रचलन के लिए प्रावधान (निवल)		163.11	(739.86)
अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यय	35.3	57.41	57.63
के औ सु ब व्यय (वेतन सहित)		3,111.04	3,403.75
निदेशकों की उपस्थिति शुल्क		6.00	6.00
अचल परिसंपत्तियों पर हानि विक्रय किए / बट्टे खाते डाले गए		0.54	1.96
निगम सामाजिक दायित्व के प्रति व्यय	35.5	668.47	873.22
विविध व्यय	35.4	5,057.22	6,428.91
		81,802.84	1,11,600.52
घटाइएः आबंटित व्यय अंतर संभागीय कार्यों से 1,299.32 लाख रुपए की आय का निवल (पिछले वर्ष 1,862.30 लाख रुपए)		(1,038.08)	(1,255.75)
		80,764.76	**1,10,344.77**

नोट :

35.1. लेखा परीक्षकों को भुगतान के रूप में

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क) लेखा परीक्षक	13.40	10.60
ख) अन्य सेवाओं के लिए	8.64	6.85
ग) खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	3.12	1.24
कुल	**25.16**	**18.69**

35.2. पायी गई भिन्नता को (अधिक अथवा कम) भंडारों के और उपस्क रों के स्थाई सत्यापन बहियों के रिकार्डों की तुलना करने पर लेखा बहियों में समायोजित किया गया है, जो चालू वर्ष के लिए ₹(-)2.06 लाख है। (गत वर्ष ₹(-)8.04 लाख)

35.3. अनुसंधान एवं विकास व्यय में वेतन पर व्यय ₹54.50 लाख (पिछले वर्ष ₹49.38 लाख), रसायन एवं भंडार के लिए ₹2.18 लाख (पिछले वर्ष ₹3.43) और मूल्यह्रास ₹0.73 लाख (पिछले वर्ष ₹0.09 लाख) सम्मिलित है।

35.4. निदेशकों की यात्रा के लिए ₹11.81 लाख (पिछले वर्ष ₹20.70 लाख) विविध व्यय में सम्मिलित है।

35.5. निगम सामाजिक दायित्व के प्रति व्यय

कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निगम सामाजिक दायित्व पर ₹668.47 लाख(पिछले वर्ष ₹873.22 लाख) खर्च करने के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत है। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित निगम सामाजिक दायित्व परियोजनाओं पर ₹125.12 लाख (पिछले वर्ष ₹1662.46 लाख) की रकम खर्च की है (पीछले वर्षों की चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि को छोडकर)।पिछले अग्रानीत ₹792.77 लाख की अतिरिक्त सी एस आर व्यय राशि में से ₹543.35 लाख (पिछले वर्ष - शून्य) की राशि का उपयोग किया गया है। अतिरिक्त रकम को वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है।(नोट 13.4 देखें)

ए. वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है

₹ लाखों में

	विवरण	**31.03.2025 को समाप्त**	**31.03.2024 को समाप्त**
(i)	**वर्ष की शुरूआत तक**		
	(ए) गत वर्ष के अग्रेनीत व्यय कमी / (अधिक)	(792.77)	0.00
	(बी) चालू परियोजनाओं के प्रावधान	300.61	385.87
(ii)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च करने केलिए अपेक्षित रकम	668.47	873.22
(iii)	(iii) वर्ष की अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय की गई सी एस आर व्यय का रकम (किसी परिसंपत्ति के निर्माण/ अधिग्रहण के अलावा अन्य उद्देश्यों पर)	125.12	1,662.46
(iv)	(iv) पिछले वर्ष से आगे लाए गए अतिरिक्त सी एस आर व्यय से उपयोग की गई राशि।	543.35	-
(v)	पिछले वर्षों की चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई रकम	69.35	88.78
(vi)	**वर्ष के अंत में**		
	(ए) निश्चित परियोजनाओं के लिए समाधान प्रावधान	232.21	300.61
	(बी) कमी / (अधिक) वर्षांत में *	(250.37)	(792.77)
(vii)	संबंधित पक्ष संव्यवहार का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

दि. 31.3.2025 को निश्चित की गई परियोजनाओं के लिए निर्धारित ₹232.21 लाख (पिछले वर्ष ₹300.61 लाख) बाकी रकम को एक अलग बैंक खाते में रखा गया है।

*इसमें वर्ष 2022-23 की कुछ चालू परियोजनाओं पर आबंटित धनराशि के मुकाबले ₹0.95 लाख (पिछले वर्ष ₹3.52 लाख) का निवल अतिरिक्त व्यय सम्मिलित है।

बी. वर्ष के लिए सी एस आर गतिविधियों की प्रकृति

विवरण	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
शिक्षा को बढावा देना	74.41	25.79
स्वास्थ्य सेवा को बढावा देना	35.68	216.79
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	7.82	1412.77
सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	7.21	6.77
अन्य सी एस आर गतिविधियाँ	-	0.34
कुल	**125.12**	**1662.46**

नोट नं. 36. असाधारण मदें

₹ लाखों में

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अतिरिक्त प्राप्य पुनर्गैसिफिकेशन शुल्क	36.1	2,461.45	-
अंतर सहायिकी के प्रति वसूली	36.2	-	(6,307.78)
एम आर पी तर्कसंगतता दिशा-निर्देशों के अनुसार वसूली का प्रावधान	36.3	-	(8,835.78)
नेफ्ता उपयोग के लिए अतिरिक्त मुआवजे के कारण वसूली का प्रावधान	36.4	-	(9,415.93
		2,461.45	**(24,558.89)**

36.1 मई 2019 से मई 2020 की अवधि के लिए पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आर एल एन जी) की खरीद के संबंध में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त पुनर्गैसीकरण शुल्क के लिए प्राप्त होनेवाली वापसी को पिछले वर्ष की आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है (नोट 51 देखें)। आर एल एन जी (पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) के आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर ₹2,461.45 लाख के अतिरिक्त पुनर्गैसीकरण शुल्क की वापसी लगभग निश्चित हो गई है। तदनुसार इसे भारतीय लेखाकरण मानक 10 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लाभ-हानि विवरण (पिछले वर्ष - शून्य) में असाधारण मद के रूप में दर्ज किया गया है।

36.2 भारत सरकार ने 18 मई, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं.23011/1/2023-पी एण्ड के के माध्यम से 1.1.2023 से 31.3.2023 की अवधि के लिए लागू पी एण्ड के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सहायिकी को संशोधित किया है। उर्वरक विभाग ने 2023-24 के दौराना 31.3.2023 को समाप्त तिमाही के लिए सहायिकी के निचले संशोधन के अंतर्गत ₹6307.18 लाख की वसूली की है।

36.3 उर्वरक विभग द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं.23011/8/2018 - एम पी आर दिनांक 15 नवंबर 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, जो उर्वरक कंपनियों के लाभ मार्जिन को बिक्री लागत के 12 प्रतिशत तक सीमित करता हे, कंपनी ने पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में 8,835.78 लाख रुपये का प्रावधान किया है और वर्ष 2024-25 के दौरान राशि वसूल की गई है।

36.4 उर्वरक विभाग ने दिनांक 26 अप्रैल 2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 23011/8/2010 - एम पी आर के माध्यम से 1.4.2010 से 4.10.2013 की अवधि के लिए नेफ्था मुआवजे के लिए टैरिफ आयोग द्वारा अनुशंसित अंतिम दरों के आधार पर ₹300.61 लाख की वसूली का निर्देश दिया है। वर्ष 2023-24 के दौरान इसके लिए प्रावधान किया है और वर्ष 2024-25 के दौरान राशि वसूल कर ली गई है।

नोट नं. 37. प्रति शेयर कमाई

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कर के बाद लाभ / (हानि)	4,123.20	12,827.49
साम्या शेयरों की संख्या	647071974	647071974
प्रति शेयर का उचित मूल्य (₹)	10.00	10.00
मूल / फीका प्रति शेयर कमाई (₹)	**0.64**	**1.98**

38. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों केलिए अपेक्षित प्रकटन

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	न चुकाया बकाया मूलधन **	-	-
2	उस पर देय ब्याज	-	-
3	वर्ष के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के निबंधनों के अनुसार कंपनी द्वारा चुकाया गया ब्याज नियत दिवस के बाद पूर्तिकार को दी गई भुगतान की रकम सहित।	-	-
4	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोडे बिना (वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद चुकाया गया) विलंबित अवधि के लिए देय और बकाया ब्याज।	-	-
5	प्रोद्भूत ब्याज और चुकाने के लिए बकाया	-	-
6	आगे देने के लिए बकाया रकम जो बाद के वर्षों में भी देय है, उस तिथि तक जब उपर्युक्त प्रकार को बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को नामंजूरी के प्रयोजन के लिए वसूलीयोग्य व्यय के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत माना जाता है।	-	-

**** वर्ष के अंत में देय और अवैतनिक राशि**

39. व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को					
	को देय नहीं है	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एम एस एम ई	437.04	-	-	-	-	**437.04**
(ii) अन्य	45,906.75	-	-	-	-	**45,906.75**
(iii) विवादित बकाया - एम एस एम ई	-	1.72	-	-	-	**1.72**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	3.07	59.13	3.48	295.60	**361.28**
कुल	**46,343.79**	**4.79**	**59.13**	**3.48**	**295.60**	**46,706.79**

विवरण	31.03.2024 को					
	को देय नहीं है	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(I) एम एस एम ई	1,025.21	-	-	-	-	**1,025.21**
(ii) अन्य	46,030.58	-	-	-	-	**46,030.58**
(iii) विवादित बकाया - एम एस एम ई	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	18.38	3.48	470.63	836.72	**1,329.21**
कुल	**47,055.79**	**18.38**	**3.48**	**470.63**	**836.72**	**48,385.00**

40. प्रचालनाधीन पट्टे (इंड ए एस 116 के अनुसार प्रकटीकरण)

ए. पट्टादाता के रूप में पट्टे

कंपनी अपनी निवेश संपत्ति (नोट नं. 2 बी में प्रकटित) को प्रचालन आधार पर पट्टे पर देती है।

(i) **पट्टे देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण**

31 मार्च को न रद्द करनेवाले पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भविष्य के न्यूनतम पट्टा प्राप्य निम्नप्रकार है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
एक वर्ष के भीतर	124.69	124.69
दो और पाँच वर्षों के बीच	398.93	448.93
पाँच वर्षों से अधिक	632.84	707.50
	1,15646	**1,281.12**

ii) लाभ और हानि में मान्यता दी गई रकम

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पट्टा किराया आय	124.72	124.75
	124.72	**124.75**

(बी) पट्टेदार के रूप में पट्टे

पट्टा दायित्व का मूल्यांकन वर्तमान मूल्य पर बाकी पट्टा भुगतान किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार किसी पहले चुकाए व्यय की रकम द्वारा पट्टा देयता के समतुल्य रकम पर मान्य है। इंड ए एस 116 "पट्टे" के अधीन, पट्टे की प्रारंभिक तिथि को, कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के 1 वर्ष के एम सी एल आर के परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को मान्यता देती है और तत्समान पट्टा दायित्व भी। पट्टा अवधि-भर परिसंपत्ति उपयोग का मूल्यह्रास क्रमिक आधार पर किया जाता है और पट्टा देयता पर ब्याज को लाभ और हानि विवरणों में वित्त लागत के रूप में प्रभारित है।

इंड ए एस 116 के अनुसार परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार और तत्समान पट्टा देयता पट्टे पर (प्रचालन पट्टा) ली गई संपत्ति के संबंध में किया जाता है और यह विल्लिंगडन द्वीप पर कच्चे मालों के संग्रह और परिवहन और नई दिल्ली में अतिथि गृह सुविधा के प्रयोजन के लिए है।

(i) विस्तृत सारणी में नोट नं 2सी में प्रकट किए परिसंपत्ति - उपयोग का अधिकार (आधारभूत परिसंपत्तियों की श्रेणी द्वारा)

(ii) पट्टों से संबंधित अन्य विवरण इस प्रकार है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई रकम :		
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	169.03	174.19
अल्पावधिक पट्टों से संबंधित व्यय	267.90	263.34
कम मूल्य की वस्तुओं के पट्टे से संबंधित व्यय	168.23	29.78
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय	74.55	30.30
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय (पट्टा देनदारियों के मापन में सम्मिलित नहीं)	922.89	877.82
पट्टे देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण		
एक वर्ष तक	313.56	316.96
1-3 वर्ष	640.94	631.49
3-5 वर्ष	657.97	649.36
पाँच वर्षों से अधिक	5,187.03	5,518.64
कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह	**6,799.50**	**7,116.45**
अन्य सूचनाः		
पट्टों के लिए कुल नकदी प्रवाह	316.96	313.06
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप-पट्टे से आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं

41. उचित मूल्य पदानुक्रम

प्रबंधक मंडल ने यह निर्धारित किया है कि नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्य व्यापार, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू देयताओं का अनुमानतः ले जानेवाली रकम अधिकतर इन उपकरणों की अल्प-कालीन परिपक्वताओं के कारण कितनी है। उचित मूल्य का प्राक्कलन करने के लिए निम्नलिखित तरीकों और पूर्वकल्पनाओं का उपयोग किया है जो निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू है।

ए) गैर उद्धृत किए साम्या शेयरों का निवेश

गैर उद्धृत साम्या शेयरों के उचित मूल्यों का प्राक्कलन रियायती नकदी प्रवाह (डी सी एफ) नमूनों का उपयोग करके किया गया है। कंपनी इसके मूल्यांकन के लिए एक बाहरी पेशेवर मूल्यांकन कर्ता की सेवाएँ लेती है और इस प्रकार रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य निवेश मूल्यांकन विशेषज्ञ से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित होते हैं।

बी) बाडे के रूप न अभिहित व्युत्पन्न

विदेशी मुद्रा आगामी संविदाओं का मूल्यांकन, मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें बाजार प्रेक्षणीय निवेश का प्रयोग करता है। (अर्थात् बैंकों से प्राप्त निवेश/ विवरणों की स्थिति के आधार पर)

सी) निवेश संपत्तियाँ

निवेश संपत्तियों का मूल्य केरल सरकार उचित मूल्य अधिसूचना, विपणन की स्थिति आदि पर आधारित है।

उचित मूल्य पदानुक्रम का विवरण निम्नप्रकार हैः-

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर निविष्टियाँ		महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर निविष्टियाँ	
	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
न उद्धृत साम्या शेयरों में निवेशः				
इंडियन पोटैश लिमिटेड		14,402.84		12,271.69
ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लि.		280.98		231.27
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड		1,122.45		532.95
अग्रगामी विनिमय संविदाओं के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परीसंपत्ति (निवल)	-		102. 41	
वित्तीय देनदारियाँ				
अग्रगामी विनिमय संविदाओं के अंतर्गत विदेशी मुद्रा देयताएँ (निवल)	47.19		-	
परिसंपत्तियाँ जिनके लिए उचित मूल्य प्रकटित है				
निवेश संपत्ति	3,750.69		3,750.69	

स्तर 1: पदानुक्रम उद्धृत किए वित्तीय उपकरणों के लिए है। इसमें सूचीबद्ध साम्या उपकरण, व्यापार किए गए बंधपत्र और उद्धृत किए दाम की पारस्परिक निधि सम्मिलित है। सभी साम्या उपकरणों का उचित मूल्य (बंध पत्र समेत), जिन्हें स्टाक एक्सचेंज में व्यापार किया गया है, निर्धारित करना है, जैसा रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में किया जाता है उसी प्रकार अंतिम मूल्य पर भी किया जाना है। पारस्परिक निधि का मूल्यांकन अंतिम एन ए वी का उपयोग करके किया जाता है। कंपनी को चालू वर्ष की रिपोर्टिंग तिथि और गत वर्ष के अनुसार ऐसा कोई निवेश नहीं है।

स्तर 2: सक्रिय बाज़ार में न लेनदेन करनेवाले वित्तीय लिखतों का मूल्य (उदाहरण के लिए लेनदेन बंधपत्र, काउंटर के ऊपर व्युत्पन्न मदें) मूल्यांकन सद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जो दर्शनीय विपणन आंकडों को अधिकतम करता है और अस्तित्व - विशिष्ट प्राक्कलनों पर जितना कम हो सके उतना ही निर्भर है। अगर किसी लिखत के लिए उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण निवेश देखने योग्य है, ऐसे लिखतों को **स्तर 2** में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: अगर एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण निवेश देखे जानेवाले बाजार आँकडों पर आधारित नहीं है तो ऐसे लिखतों को **स्तर 3** में शामिल किया जाता है। न सूचीबद्ध साम्या प्रतिभूतियों समाश्रित प्रतिफल, और क्षतिपूर्ति परिसंपत्तियों के मामले में उन्हें **स्तर 3** में शामिल किया जाता है।

42. वित्तीय लिखत वर्गीकरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए. वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(i) परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
व्यापार प्राप्य	28,347.61	15,813.73
नकद एवं नकद समतुल्य	21,833.67	43,566.83
अन्य बैंक शेष	2,55,902.95	2,24,365.46
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	26,905.25	25,372.49
	3,32,989.48	**3,09,118.51**
(ii) अन्य बृहत् आय द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:		
साम्या निवेश	**15,807.29**	**13,036.93**
(iii) द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:		
अग्रगामी विनिमय संविदा (निवल) पर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति	-	**102.41**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ (I) + (ii) + (iii)	**3,48,796.77**	**3,22,257.85**
बी, वित्तीय देनदारियाँ		
(i) परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियाँ		
उधार	1,77,048.75	1,77,558.75
पट्टा देनदारियाँ	3,414.57	3,463.63
व्यापार देय	46,706.79	48,385.00
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	2,09,989.12	1,88,058.85
	4,37,159.23	**4,17,466.23**
(ii) लाभ एवं हानि विवरण द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ :		
अग्रगामी विनिमय संविदा (निवल) पर विदेशी मुद्रा देयता	**47.19**	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ (i) + (ii)	**4,37,206.42**	**4,17,466.23**

43. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रियाकलापों से विपणन जोखिम, देयता जोखिम और जमा जोखिम प्रकट है।

यह नोट कंपनी द्वारा आशंका के जोखिम-स्रोतों और वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा इस जोखिम को कैसे निपटाया जाता है - इस विषय पर प्रकाश डालता है।

जोखिम	से उत्पन्न पहलू	मापन	प्रबंध
जमा जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, प्राप्य व्यापार, कर्ज कम करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	पुरानेपन विश्लेषण, जमा विश्लेषण, आनेवाले दिनांक के चैक और सुरक्षा जमा	बैंक जमा, जमा सीमा और बैंक गैरंटियों का विविधीकरण। आनेवाले दिनांक के चैक और सुरक्षा जमा
देयता जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएँ	परिक्रामी नकदी प्रवाह पूर्व सूचना	जमा लाइनों और उधार सुविधाओं उपलब्धता
विपणन जोखिम विदेशी विनिमय	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिन्हें भारतीय रुपए (आई एन आर) में न अंकित	विदेशी मुद्रा दर की निगरानी	बाज़ार झुकाव के आधार पर अग्रगामी विदेशी विनिमय संविदाएँ

(ए) उधार जोखिम

उधार जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि देनेवाला जाखिम है। अगर कोई ग्राहक अथवा वित्तीय उपकरण का प्रतिभागी दल प्रतिस्थानी अपना संविदाजन्य दायित्वों को निभाने में चूकता है और कंपनी से व्यापार और अन्य प्राप्य नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक बाकियों से मुख्यतया उठ जाता है। उधार जोखिम का अधिकतम प्रकटन सभी वित्तीय उपकरणों को नीचे बताए अनुसार उनके संबद्ध अग्रेनीत रकम तक प्रतिबंधित है।

(i) व्यापार और अन्य प्राप्य राशि

व्यापार और अन्य प्राप्य राशि के संबंध में उधार जोखिम उधार अनुमोदनों द्वारा उधार सीमाएँ स्थापित करके व्यवस्थित किया जाता है; साथ ही उपभोक्ताओं की उधार-सार्थकता का अनुश्रवण करके व्यापार के साधारण क्रम में उधार शर्तें मंजूर की जाती है। रिपोर्टिंग उधार जोखिम का अधिकतम प्रकाशन मुख्यतया व्यापार से प्राप्य रकम से है, जो ₹28,347.61 लाख की है (गत वर्ष ₹15813.73 लाख) जिसमें से ₹25,829.42 लाख (गत वर्ष ₹6750.04 लाख) भारत सरकार से देय है, जो प्राप्य सहायिकी से संबंधित है। व्यापार से प्राप्य राशि भारत सरकार से और की गई सेवाओं से मुख्यतः होती है।

व्यापार और अन्य प्राप्त राशि के लिए प्रत्याशित उधार हानी निर्धारणः

कंपनी लगातार व्यापार से प्राप्य राशि के न सुरक्षित भाग के लिए 100% प्रावधान का सृजन करने की नीति का अनुसरण कर रही है जो तीन वर्षों से अधिक पुराना है; भारत सरकार से प्राप्त सहायिकी इसका अपवाद है, जिसमें प्राप्ति की संभावना के विश्लेषण के बाद हानि का छूट किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी उधार जोखिम और किए गए प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	
	कुल प्राप्य राशि	**संदिग्ध प्राप्य राशि**
व्यापार से प्राप्य राशि	4,485.89	(1,967.70)
प्राप्य सहायिकी	26,240.75	(411.33)
कुल	**30,726.64**	**(2,379.03)**

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2024 को	
	कुल प्राप्य राशि	**संदिग्ध प्राप्य राशि**
व्यापार से प्राप्य राशि	11,009.12	(1,945.43)
प्राप्य सहायिकी	25,413.08	(18,663.04)
कुल	**36,422.20**	**(20,608.47)**

व्यापार और अन्य प्राप्य राशि के संबंध में वर्ष के दौरान हानि भत्ते का संचलन निम्न लिखित है :-

₹ लाखों में

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
वर्षारंभ में प्रावधान	2,381.23	2,381.23
वर्ष के दौरान विमोचित	(84.44)	(84.44)
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	18,311.68	18,311.68
वर्षांत में प्रावधान	**20,608.47**	**20,608.47**

(ii) **नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक बाकी**

कंपनी ने नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक बाकी के रूप में ₹2,77,736.62 लाख धारित किया (पिछले वर्ष ₹267932.29 लाख)। नकद समतुल्य बैंकों में अच्छी उधार दर और वित्तीय स्थिति के साथ धारित है। साथ ही, कंपनी अपना अल्पकालीन अधिशेष बैंक में स्थाई जमा के रूप में निवेश करती है, जिसके लिए कोई / कम बाज़ार जोखिम अल्पावधि के लिए नहीं और इसलिए कंपनी को उधार जोखिम के लिए खुला नहीं छोडता।

(ख) देयता जोखिम

परिसमापन जोखिम वह जोखिम है जिसका सामना करने में सहबद्ध वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकद अथवा अन्य वित्तीय संपत्तियों का वितरण द्वारा निपटाना पडेगा।

कंपनी द्वारा परिसमापन जोखिम को प्रभावी निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंध किया जाता है। ईमानदारी के परिसमापन जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त मात्रा में नकद और उधार सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा द्वारा निधियन की उपलब्धता निहित है ताकि बाकी देयता को मिटा सके। आधारभूत व्यापार की गतिशील प्रकृति के कारण, निधियन में खजाना लचीलापन का अनुरक्षण करता है और वचनबद्ध उधार शर्तों पर नकद उपलब्ध करता है। प्रबंधक मंडल कंपनी के परिसमापन स्थिति की आनेवाली भविष्यवाणी का अनुश्रवण करना है और नकद और नकद समतुल्य प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर करता है।

निम्नलिखित, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की बकाया ठेकाजन्य परिपक्वताएँ हैं:.

(i) महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को		
	संविदाओं से नकद प्रवाह		
	एक वर्ष तक	1-5 वर्ष	कुल
भारत सरकार उधार *	3,92,162.98	-	3,92,162.98
कुल	**3,92,162.98**	-	**3,92,162.98**

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2024 को		
	संविदाओं से नकद प्रवाह		
	एक वर्ष तक	1-5 वर्ष	कुल
भारत सरकार उधार *	3,68,261.40	-	3,68,261.40
अंतर निगम उधार	565.38	-	565.38
कुल	**3,68,826.78**	-	**3,68,826.78**

* भारत सरकार से प्राप्त उधार ब्याज सहित 5 वर्षों की अवधि के भीतर जो 2022 तक समाप्त होगा, तीन अथवा उससे अधिक समान किस्तों में वापस करना है। कंपनी ने उर्वरक विभाग (डी ओ एफ), भारत सरकार को एक वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव पेश किया है जिसमें भारत सरकार उधार के ब्याज के अधित्यजन, ₹28,273.00 लाख के उधार को साम्या में परिवर्तन और ₹1,00,000.00 लाख की रकम को ब्याज मुक्त उधार में परिवर्तन वार्षिक किस्तों में वापस करने का अनुरोध शामिल है। कंपनी द्वारा पेश पुनर्संरचना प्रस्ताव उर्वरक विभाग, भारत सरकार के विचाराधीन है; भारत सरकार से लिए उधार उस पर देय बाकी ब्याज का आकलन करके 3 मार्च, 2016 के उधार समझौते के अनुसार प्रकट किया गया है। प्रबंधक मंडल उधार पुनर्सरचना की प्रतीक्षा करता है, जिसके कारण देय ब्याज सहित उधार की वापसी के लिए सरकार काफी समय देगी। तदनुसार, कंपनी तत्काल परिसमापन अपेक्षा का प्रबंध कर सकेगी।

(ii) वित्तपोषण प्रबंधन

कंपनी के पास अपने व्यापार/ प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए पर्याप्त निधि है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उधार सुविधा आधारित न ली निधि निम्न प्रकार है::

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
एक वर्ष के भीतर समाप्त होनेवाला (बैंक ओवरड्राफ्ट / सी सी सीमा)	33,900.00	29,800.00
एल सी बिल छूट सीमा	15,000.00	15,000.00

बैंकों की उधार सुविधाएँ मंजूर शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन के अध्यधीन है। निधि आधारित इन उधार सुविधाओं की औसत परिपक्वता एक वर्ष है। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी को विभिन्न बैंकों के साथ गैर-निधि आधारित कार्यशील पूँजी प्रबंधन है, जिसे कंपनी के सावधि जमा पर धारणाधिकार है। .

(सी) **बाजार जोखिम**

विपणन जोखिम वह जोखिम है कि एक वित्तिय उपकरण के भविष्य के नकद प्रवाह का स्वच्छ मूल्य में घट-बढ होगा क्योंकि बाजार दामों में परिवर्तन होता है। बाजार जोखिम में निम्न लिखित जोखिम सम्मिलित है, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, माल दर जोखिम और अन्य दाम जोखिम, जैसे साम्या दाम जोखिम।

(i) **मुद्रा जोखिम**

कंपनी विदेशी मुद्रा दरों में लेनदेन करती है और परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढाव के वित्तीय जोखिम उत्पन्न होता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए मानदंड सम्मिलित है। कंपनी अपना विनिमय दर जोखिमों का प्रबंधन हेजिंग नीति के अनुमोदित मानदंडों के अंतर्गत वायदा अनुबंधों के माध्यम से करती है।

कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि तक 34,832.42 लाख रुपए का बकाया अग्रिम संविदा है (पिछले वर्ष 21,815.94 लाख) जो व्यापार देयताओं के प्रति जोखिम को कम करने के लिए किया गया है।

(ए) मुद्रा दर की आशंका

तुलन पत्र तारीख को, जो बचाव नहीं है, विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्न प्रकार हैः -

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
व्यापार देय	-	-	यू एस डी 150.60	12,649.00

(बी) संवेदना विश्लेषण

दिनांक 31 मार्च 2025 को यू एस डी, जे पी वाई या ई यू आर का आई एन आर के प्रति संभाव्य शाक्तीकरण (शक्तिहीनता) के कारण विदेशी मुद्राओं में नामित वित्तीय उपकरणों को प्रभावित किया होगा और नीचे बताई रकम तक हानि अथवा लाभ प्रभावित है। विश्लेषण यह सही मान लेता है कि भी अन्य परिवर्तनशील मुद्दे खासकर ब्याज दरें, स्थाई रहती हैं और आगे की बिक्री और खरीद पर प्रभाव की उपेक्षा करता है।

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	% बढती / घटती	लाभ में प्रभाव (कर पूर्व)	ऽबढती / घटती	लाभ में प्रभाव (कर पूर्व)
		(₹ लाखों में)		(₹ लाखों में)
यू एस डी	+3%	-	+3%	(379.47)
यू एस डी	-3%	-	-3%	379.47

(ii) **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम स्वच्छ मूल्य ब्याज दर जोखिम अथवा नकद प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम स्थिर ब्याज वाले निवेशों के उचित मूल्यों में परिवर्तन का जोखिम है जो ब्याज दरों में घट-बढ के कारण होता है, ऐसे मामलों में उधार को उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि में मापा जाता है। नकद प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसे प्लवमान ब्याजवाले निवेशों के भविष्य के नकद प्रवाह में ब्याज दरों में घट-बढ के कारण घटाने बढाने की संभावना है।

ब्याज दर जोखिम की आशंका :

रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी के निवेश बैंक में स्थाई जमा के रूप है जिनमें ब्याज दर स्थिर है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, कंपनी को बैंकों के साथ कोई निधि आधारित उधार नहीं है। भारत सरकार से कंपनी के उधार पर ब्याज दर परिवर्तनशील नहीं।

(iii) वस्तु दर जोखिम

कंपनी की लाभप्रदत्ता उत्पादों के दाम (उत्पादन) और उत्पादन में उपयोग किए गए कच्चे मालों के दामों के बीच का दाम अंतर (मार्जिन के रूप में कहा जाता है) द्वारा प्रभावित होता है। (उत्पादक सामग्री)

कंपनी ने प्रमुख कच्चे माल पूर्तिकार पुनर्गैसिफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट एवं सल्फर के साथ एक समझौता किया है ताकि बाज़ार दाम घट-बढ न्यून कर सके।

(iv) दाम जोखिम

कंपनी द्वारा धारित निवेशों से उठनेवाला साम्या निवेश दाम जोखिम पर कंपनी की आशंका वित्तीय विवरणों में श्रेणीवद्ध है सी सी आई द्वारा स्वच्छ मूल्य पर। कंपनी इन निवेशों को अधिक वापसी धन के लिए दीर्घावधि के लिए धारित करने की इरादा रखती है और दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य से दाम जोखिम उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा।

दाम जोखिम पर आशंका

₹ लाखों में

विवरण	अन्य व्यापक आय पर प्रभाव			
	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	शाक्तीकरण	शक्तिहीनता	शाक्तीकरण	शक्तिहीनता
1% संचलन				
केरला एनविरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश	11.22	(11.22)	5.33	(5.33)
ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लिमिटेड में निवेश	2.81	(2.81)	2.31	(2.31)
इंडियन पोटैश लिमिटेडे में निवेश	144.03	(144.03)	122.72	(122.72)

44 पूँजी प्रबंधन

कंपनी का मुख्य लक्ष्य शेयरधारी मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी अपनी पूँजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थिति में परिवर्तनों के अनुसार समायोजन करती है जो वित्तीय प्रसंविदाओं की अपेक्षाओं के अनुसार है। संप्रति, अपनी कैपेक्स अपेक्षाओं की 100 प्रतिशत आंतरिक प्रोद्भवनों से लेती है। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा प्रशासित है (डी आइ पी ए एम), जो निम्नतम प्रतिशत लाभांश घोषित करने को विनिर्दिष्ट करता है। भविष्य की कैपेक्स अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी समुचित दरों पर लाभांश देने का विचार करती है।

45. संबद्ध पक्षकार की लेनदेन (इंड ए एस 24 के अंतर्गत प्रकटन)

ए. एक ही सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के साथ लेन-देन

चूँकि भारत सरकार कंपनी की साम्या शेयर पूँजी के 90% का स्वामी है (रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन), इसलिए सरकार और अन्य सरकार नियंत्रित सत्ताओं के साथ लेनदेन संबंधी प्रकटन इंड ए एस 24 के पैरा 26 के अनुसार रिपोर्ट की गई हैं।

गैसों की खरीद के लिए सरकार संबद्ध अन्य सत्ताओं के साथ कुछ लेनदेन किए गए हैं, कच्चे मालों की खरीद / तैयार माल, परिसंपत्तियाँ / कलपुर्जे (मूल उपस्कर निर्माताओं से) की खरीद के लिए किए गए लेनदेन मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण है, जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार है।

₹ लाखों में

	सत्ता का नाम	लेनदेन का प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त	31 मार्च 2024 को समाप्त
1.	गेल इंडिया लिमिटेड	गैस परेषण प्रभार / पुनर्गैसिफिकेशन प्रभार	3,298.41	5,921.73
2.	भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद / पुनर्गैसिफिकेशन प्रभार	11,488.18	22,440.12
3.	इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड	गैस / पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद	98,514.47	1,44,937.44
4.	मैंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पाद /सल्फर / बेंन्जीन की खरीद	3,554.87	18,890.90
5.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद	170.76	173.95
6.	स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	स्टील स्ट्रक्चरलों की खरीद	-	109.16
7.	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	उपभोग्य सामग्रियों/ कल पुर्जों की खरीद	114.13	28.53
8.	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	उर्वरकों की बिक्री	-	1,184.74
9.	ब्रह्मपुत्रावाली फर्टिलाइज़र्स कोर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	उर्वरकों की बिक्री	4,949.71	1,413.83
10.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	उर्वरकों की बिक्री	11,076.74	1,472.18
11.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अंतरनिगमीय ऋण का मूलधन का पुनर्भुगतान	510.00	510.00
12.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अंतरनिगमीय ऋण पर ब्याज	26.29	67.17
13.	भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	271.65	157.62
14.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	-	1.06
15.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	49.53	-
16.	इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	22.98	126.26
17.	हिंदुस्तान ऑर्गैनिक केमिकल्स लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	25.19	-
18.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	परिसंपत्तियाँ / कलपुर्जे का प्रापण	256.06	307.20
19.	भारत एर्थ मूवर्स लिमिटेड	परिसंपत्तियाँ / कलपुर्जे का प्रापण	20.40	18.47
20.	कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड	संपत्ति का पट्टा	-	166.95
21.	इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड	किराया	17.07	16.99
22.	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	किराया	1.50	3.60
23.	कोच्ची सेलम पाइपलाइन प्राइवट लि.	संपत्ति का पट्टा	64.90	59.00
24.	गेल इंडिया लिमिटेड	संपत्ति का पट्टा	13.69	13.69

उपर्युक्त संदर्भित लेनदेन उक्त सत्ताओं के साथ साधारण तौर पर किए गए हैं।

बी) सह एवं संयुक्त उद्यम

(I) **संबद्ध**

सत्ता का नाम	शेयरों की संख्या	इसके निगमन का देश	स्वामित्व हित का प्रतिशत	
			31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल)	3,52,27,000 (पिछले वर्ष 3,52,27,000) ₹10/-रुपए प्रति	भारत	50.00	50.00

(ii) ऊपर संदर्भित संबद्ध दलों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन :

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
शेयर आवेदन राशि के बदले प्राप्त शेयर आबंटन	-	-
प्राप्य लाभांश	-	-
उत्पादों की बिक्री	-	-
अन्य	0.46	0.56

सामग्री, सेवा और अग्रिम के रूप में पूर्ववर्त वित्तीय वर्षों में दी गई रकम का प्रावधान जारी रहता है। उसी प्रकार का प्रावधान, जो ₹0.46 लाख (गत वर्ष ₹0.56 लाख) चालू वर्ष भी किया गया है।

(iii) बाकी बकाया :

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड से प्राप्य :		
जिप्सम की बिक्री एवं सेवा के प्रति	297.72	297.72
प्रतिनियुक्ति का वेतन और अन्य खर्च	828.96	827.40
निगम गैरंटी और संविदाजन्य दायित्व के अधीन	2,789.60	2,789.60
साम्या के प्रति अग्रिम जो आबंटन के अधीन है	0.00	0.00
न्यूनीकृत एवं संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	3,916.28	3,915.72
अन्य संविदाजन्य दायित्वों के प्रति प्रावधान	239.60	239.60
निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	3,522.70	3,522.70

(iv) कंपनी और मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड(आर सी एफ) ने मेसर्स एफ ए सी टी-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के निविदाकारों को निगमित गैरंटी प्रदान की थी (50:50 संयुक्त उद्यम, कंपनी और आर सी एफ के बीच)। 2018-19 वर्ष के दौरान, आर सी एफ ने बैंकरों को पूरी देयता का ₹5100 लाख के हद तक निपटान किया है, उसमें कंपनी का 50% शेयर सम्मिलित है जो ₹2550 लाख हैं, इस शर्त पर कि आर सी एफ द्वारा दी गई रकम को कंपनी की ओर से अंतरनिगमीय उधार के रूप में वर्ष के दौरान माना जाएगा। तदनुसार ₹2550 रुपए की रकम को अंतरनिगमीय उधार के रूप में वर्ष के दौरान माना जाएगा। कंपनी ने वर्ष के दौरान समझौते के अनुसार 510 लाख रुपए की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया है। उधार पर लागू ब्याज की दर 2024-25 के लिए 7.73% प्रति वर्ष (पिछले वर्ष 7.82% प्रति वर्ष) होगी।

(v) उर्वरक विभाग, भारत सरकार ने अनुमोदन मंजूर किया था (16 नवंबर 2018) दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) को 2925 लाख का अतिरिक्त निवेश फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) में करें। एफ आर बी एल फेक्ट और राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईज़र्स लिमिटेड (आर सी एफ) के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। एफ ए सी टी ने अपनी 75 वीं वार्षिक आम बैठक में एफ आर बी एल में अतिरिक्त निवेश करने का अनुमोदन किया था। 2925 लाख रुपए के लिए प्राप्त अनुमोदन के स्थान पर एफ आर बी एल ने 1518 लाख रुपए की रकम का साम्या शेयर जारी किया था जो पूर्ति किए गए जिप्सम के लिए तथा 2010-2013 की अवधि के दौरान एफ ए सी टी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए था। आगे, एफ आर बी एल ने वर्ष 2022-23 के दौरान 235.70 लाख रुपए की रकम के लिए शेयरों का आबंटन किया था। जिप्सम तथा 2014-2017 के दौरान एफ ए सी टी द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए एफ आर बी एल द्वारा आबंटन निलंबित है। संबद्ध दलों के अग्रिम के अंतर्गत इसका प्रकटन हुआ है। आगे, दि. 31 मार्च, 2025 के अनुसार 239.60 लाख रुपए की रकम एफए सी टी से जिप्सम की पूर्ति के लिए बाकी है ताकि उपर्युक्त अतिरिक्त निवेश पूरा कर सके।

(vi) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन सी एल टी), कोच्ची शाखा ने अपने दिनांक 11.01.2024 & 28.01.2025 के आदेश के माध्यम से, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 के अनुसार, एफ आर बी एल के एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर याचिका के प्रत्युत्तर में, फेक्ट आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) के प्रति कोर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए समाधान पेशेवर (आर पी) की नियुक्ति की है। तदनुसार, एफ आर बी एल के निदेशक मंडल का अधिकार समाप्त किया। समाधानकर्ता ने कार्यवाही शुरू कर दी है और यह प्रगति पर है।

सी) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का नाम

1 श्री एस सी मुडगेरीकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (विपणन) (23.02.2024 से)

2 श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (विपणन) (14.07.2020 से)

3 श्री एस शक्तिमणि, निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी (08.03.2021 से)

4 डॉ जयचन्द्रन के, निदेशक (तकनीकी) (31.03.2023 से)

5 श्रीमती सूसन अब्रहाम, कंपनी सचिव (15.07.2022 से)

(ii) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक : ₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभ		सेवा-समाप्ति हितलाभ**		अन्य दीर्घावधि हितलाभ / शेयर आधारित भुगतान/ सेवावधि बाद कर्मचारी हितलाभ	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1	श्री किशोर रुंग्टा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.02.2019 से 01.02.2024)	0.00	53.80	34.60	0.00	0.00	0.00
2	श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (विपणन) (14.07.2020 से)	47.90	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3	श्री एस शक्तिमणि, निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी (08.03.2021से)	52.63	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4	डॉ जयचन्द्रन के, निदेशक (तकनीकी) (03.03.2023 से)	49.50	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
5	श्रीमती सूसन अब्रहाम, कंपनी(सचिव) 15.07.2022 से	30.25	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.28	**227.64**	**34.60**	**00.00**	**0.00**	**0.00**

** भुगतान के आधार पर

सभी पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी कार का उपयोग करने और सरकार द्वारा यथानिर्धारित भुगतान पर प्रति वर्ष 9000 कि. मी. की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

निदेशकों को देय उपदान को लेखे में दिए गए अंशदान के रूप में प्रकट नहीं किया गया है और अलग आंकडे निश्चय नहीं है।

डी) अन्य संबद्ध पक्षकार - जहाँ निदेशक रुचि रखते हैं।

(i) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स (आर सी एफ) - आर सी एफ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस सी मुडगेरीकर, 23 फरवरी 2024 से उर्वरक विभाग के निदेशानुसार कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रुप में अतिरिक्त प्रभार संभाल कर रहे हैं।

(ii) मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एम एफ एल) - डॉ जयचंद्रन के, निदेशक (तकनीकी), 1 मई, 2023 से उर्वरक विभाग के निदेशानुसार एम एफ एल के निदेशक (तकनीकी) के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान लेन-देन - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

ई) अन्य संबद्ध पक्षकार

(i) संबद्ध

पक्षकार	संबंध का प्रकार
i. फेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योगदान का प्रबंधन करना
ii. फेक्ट कोचीन संभाग कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योगदान का प्रबंधन करना
iii. फेक्ट कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	फेक्ट कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास समूह उपदान संचयन योजना के अधीन उपदान के लिए निर्धारित निधि का प्रबंधन करना और भविष्य में सेवा उपदान लाभ के लिए बीमा सहित उपदान लाभ प्रदान करना।
iv. फेक्ट कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ निधि न्यास	न्यास के सदस्यों को सेवानिवृत्ति हितलाभ प्रदान करना।

(ii) वर्ष के दौरान उपरोक्त संदर्भित संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन:

₹ लाखों में

पक्षकार	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया योगदान	
	31.03.2025 को	**31.03.2024 को**
i. फेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	1869.31	1,818.20
ii. फेक्ट कोचीन संभाग कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	68.24	70.66
iii. फेक्ट कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	3,500.00	4,200.00

उपर्युक्त संबद्ध पक्षकारों के संबंध में बकाया देय रकम :

₹ लाखों में

पक्षकार	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
i. फेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को देय रकम	377.28	356.01
ii. फेक्ट कोचीन संभाग कर्मचारी भविष्य निधि को देय रकम	23.52	25.20
iii. फेक्ट कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास से प्राप्त रकम	16.95	90.38

(iv) ट्रावनकोर लिटररी साइंटिफिक एण्ड चारिटबिल सोसाइटीस एक्ट 1955 के अंतर्गत 2009-10 वर्ष के दौरान, केरल सरकार के कारखाना और बॉयलर विभाग के सहयोग के साथ कंपनी ने एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य वेल्डिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों का आयोजन करना था। इसके लिए केरल सरकार से केरल इंस्टिट्यूट ऑफ वेल्डिंग एण्ड रिसर्च के अंतर्गत ₹100 लाख का अनुदान प्राप्त था। एफ ए सी टी का योगदान केवल प्रशिक्षण स्कूल में वर्तमान सुविधाएँ प्रदान करना है। समिति के लेखे समेकित नहीं है क्योंकि समिति का गठन इस लक्ष्य से किया गया है कि इससे कोई आर्थिक लाभ की प्राप्ति उसके क्रियाकलापों से अभिप्रेत नहीं है। अतः कंपनी के क्रियाकलाप को तत्वहीन माना गया।

46. संयुक्त उद्यम में सूद का वित्तीय रिपोर्टिंग

सत्ते का नाम	समाविष्टि **का देश**	**स्वामित्व हित का प्रतिशत**	
		31.03.2025	**31.03.2024**
एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	भारत	**50.00%**	50.00%

1. एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड:- मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड(आर सी एफ) के साथ एक संयुक्त उद्यम कोच्ची में जिप्सम से रैपिड बिल्डिंग सामग्री के उत्पादन के लिए।

एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) में कंपनी के निवेश की संक्षिप्त वित्तीय सूचना।

₹ लाखों में

विवरण	**31.03.2025** को **(लेखापरीक्षित)**	**31.03.2024** को **(लेखापरीक्षित)**
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	184.20	234.20
नकद एवं नकद समतुल्य	26.98	15.95
नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा चालू परिसंपत्तियाँ	561.38	751.59
गैर-चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	6,602.23	6,465.48
चालू देनदारियाँ	9,241.31	9,180.22
साम्या	(15,070.98)	(14,643.96)
कंपनी के स्वामित्व का अनुपात	50.00%	50.00%
निवेश के ले जाने वाली रकम*	-	-

(₹ लाखों में)

विवरण	**2024-25** (लेखापरीक्षित)	**2023-24** (लेखापरीक्षित)
आय	18.44	29.67
उपयुक्त सामग्रियों की लागत	-	-
मालसूची में परिवर्तन	-	-
मूल्यह्रास और क्रमिक अपाकरण व्यय	-	-
वित्त लागतें	37.50	171.56
कर्मचारी हितलाभ व्यय	38.87	39.72
अन्य व्यय	105.83	81.63
असाधारण मदें	-	-
वर्ष की हानि	(163.76)	(263.24)
वर्ष के लिए कुल बृहत् आय	(163.76)	(263.24)
वर्ष के लिए लाभ / हानि का कंपनी का शेयर	(81.88)	(131.62)

* वर्ष 2024-25 के लिए एफ आर बी एल के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है क्योंकि वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों को अभी तक इसकी ए जी एम में नहीं अपनाया गया है और वर्ष 2024-25 के लिए संवैधानिक लेखा परीक्षा पूरी नहीं हुई है।

** संयुक्त उद्यम में कंपनी के शेयरों की हानियाँ ब्याज से अधिक हानि के कारण, हानि के शेयर बंद किया गया। तदनुसार कंपनी ने समाप्त वर्ष के लिए हानि के शेयर की संचित रकम ₹81.88 लाख (गत वर्ष ₹131.62 लाख) और ₹11,058.19 लाख और संचित 31.03.2025 तक समाप्त वर्ष के लिए (₹10,976.31 लाख संचित 31.03.2024 तक समाप्त वर्ष के लिए)।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन सी एल टी), कोच्ची शाखा ने अपने दिनांक 11.01.2024 & 28.01.2025 के आदेश के माध्यम से, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 के अनुसार, एफ आर बी एल के एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर याचिका के प्रत्युत्तर में, फेक्ट आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) के प्रति कोर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए समाधान पेशेवर (आर पी) की नियुक्ति की है। तदनुसार, एफ आर बी एल के निदेशक मंडल का अधिकार समाप्त किया। समाधानकर्ता ने कार्यवाही शुरू कर दी है और यह प्रगति पर है।

47. खंडीय प्रस्तुतीकरण (प्राथमिक व्यापार खंड)

क 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की खंड सूचना

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	उर्वरक	पेट्रोकेमिकल	अन्य (अनाबंटित)	कुल
(I)	**राजस्व**				
(ii)	**बाहरी राजस्व**	4,03,579.83	1,680.77	1,384.35	4,06,644.95
		4,52,602.98	53,210.17	657.43	5,06,470.58
(iii)	**कुल राजस्व**	**4,03,579.83**	**1,680.77**	**1,384.35**	**4,06,644.95**
		4,52,602.98	53,210.17	657.43	5,06,470.58
(iv)	**खंड परिणाम**				
(v)	**ब्याज एवं कराधान के पूर्व लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(28,033.61)**	**6,338.20**
		76,961.12	(16,959.43)	(26,783.07)	33,218.62
(vi)	**अनाबंटित निगम व्यय**	-	-	(1,038.07)	(1,038.07)
		-	-	(1,255.75)	(1,255.75)
(vii)	**प्रचालन लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(26,995.54)**	**7,376.27**
		76,961.12	(16,959.43)	(25,527.32)	34,474.37
(viii)	ब्याज व्यय	-	-	24,554.32	24,554.32
		-	-	24,692.77	24,692.77
(ix)	ब्याज एवं लाभांश आय	-	-	20,090.66	20,090.66
		-	-	18,962.37	18,962.37
(x)	**असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(31,459.20)**	**2,912.61**
		76,961.12	(16,959.43)	(31,257.72)	28,743.97
(xi)	असाधारण मदों के बाद कर पूर्व लाभ	-	-	(2,461.45)	(2,461.45)
		24,558.89	-	-	24,558.89
(xii)	**असाधारण मदों के बाद कर पूर्व लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(28,997.75)**	**5,374.06**
		52,402.23	(16,959.43)	(31,257.72)	4,185.08
(xiii)	आय कर/ आस्थगित कर	-	-	1,250.86	1,250.86
		-	-	(8,642.41)	(8,642.41)
(xiv)	**ब्याज एवं कराधान के बाद लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(30,248.61)**	**4,123.20**
		52,402.23	(16,959.43)	(22,615.31)	12,827.49
(xv)	**अन्य सूचना**				
	(ए) खंड परिसंपत्तियाँ	**4,81,833.13**	**19,535.47**	**96,770.33**	**5,98,138.93**
		4,32,622.46	52,042.21	95,072.10	5,79,736.77
	(बी) खंड देनदारियाँ	**83,020.48**	**1,817.19**	**5,13,301.26**	**5,98,138.93**
		81,442.58	7,319.60	4,90,974.59	5,79,736.77
	(सी) मूल्यह्रास	**2,843.87**	**666.20**	**151.74**	**3,661.81**
		1,908.86	552.74	195.69	2,657.29
	(डी) पूँजी व्यय	**15,101.41**	**124.04**	**108.65**	**15,334.10**
		15,300.54	253.84	81.42	15,635.80

*नीचे पंक्ति में दिए गए आँकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

1. कारोबार के खंड है :-

खंड	उत्पाद
उर्वरक	अमोनियम फोस्फेट (फेक्टमफोस), ज़िंकेटड फेक्टमफोस, अमोनियम सल्फेट, एम ओ पी, एन पी के 15:15:15, जैव उर्वरक
पेट्रोकेमिकल	केप्रोलेक्टम

2. संगठनात्मक संगठनों को विचार करके खंडों की पहचान की गई है।

3. खंड परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ प्रत्येक खंडों की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। शेयर पूँजी, रक्षित एवं अरक्षित ऋण, निवेश एवं संचित हानि को अनाबंटित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4. कंपनी द्वारा अपनाई जानेवाली पद्धति के आधार पर खंड रिपोर्टिंग तैयार की जाती है।

बी. राजस्व का समाधान ₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
उपर्युक्त के अनुसार खंड राजस्व	4,06,644.95	5,06,470.58
जोडिए ब्याज आय	20,090.66	18,962.37
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार राजस्व	**4,26,735.61**	**5,25,432.95**

48. कर्मचारी हितलाभ

I. निर्धारित अंशदान योजना

क. निर्धारित अंशदान योजना अपेक्षित सामान्य प्रकटीकरण

अंशदायी अधिवर्षिता योजना-यह योजना कर्मचारियों को अधिवर्षिता हितलाभ देने का लक्ष्य किया जाता है। हर वर्ष कंपनी निधि के लिए ₹100 अंशदान देती है।

II. निर्धारित हितलाभ योजना

ए. निर्धारित हितलाभ योजना का सामान्य विवरण

(I) छुट्टी भुनाना एवं उपदान

कंपनी में उपदान योजना चालू होती है जिसमें सेवा पूरा किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए निकाले गए पन्द्रह दिनों के अंतिम वेतन के समतुल्य हितलाभ के लिए प्रत्येक कर्मचारी हकदार हो जाता है। वह मृत्यु, सेवा से अलग हो या सेवानिवृत्त होने जो भी पहले देय होता है। लगातार सेवाओं के पांच वर्ष बाद हितलाभ निहित होता है। कंपनी तुलन पत्र की तारीख के अनुसार किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने के प्रावधान के लिए लेखाकरण की जा रही है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने बोर्ड स्तर से नीचे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को छुट्टी नियमें में संशोधन किया (29 मई 2023) और 300 दिनों से अधिक के विशेषाधिकार छुट्टी का स्वतः नकदीकरण बंद कर दिया। इसी प्रकार, कंपनी ने सेवानिवृत्ति के दौरान अर्ध-वेतन छुट्टी / अर्ध-वेतन छुट्टी के नकदीकरण की अवधि के दौरान पूर्ण महंगाई भत्ता देना बंद कर दिया।

(ii) भविष्य निधि

न्यास को दिए जा रहे भविष्य निधि अंशदान का संचालन कंपनी द्वारा किया जाता है। न्यास के सदस्यों को देय ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध व्यय प्रावधान अधिनियम 1952 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सांविधिक ब्याज दर से कम नहीं होगा।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अंशदान के रूप में लाभ-हानि विवरण में 1,937.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,888.86 लाख रुपये) की राशि प्रभारित की गई है। भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार, कंपनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को परिभाषित लाभ योजना माना जाता है क्योंकि कंपनी को निधि परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करना होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, दि. 11.10.2023 के जी ओ (आर एल) नं.85/2023/एल वी आर के अनुसार, केरल सरकार (भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1952 के पैरा 27ए के अनुसार समुचित प्राधिकारी) ने कंपनी को दिए गए छूट को वापस लिया, यह फेक्ट कोचीन संभाग कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में था। इसका कारण था कि तीन वर्षों में कंपनी द्वारा हानि अर्जित होना था। कंपनी ने इसकी चुनौती की है और केरल के उच्च न्यायालय में एक मुकदमा फाइल किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को रोक रखा है। मामला अब भी लंबित है।

2022-23 वर्ष के दौरान, दि. 23.3.2023 का जी ओ (आर एल) नं.354/2023/एल बी आर के अनुसार केरल सरकार (भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1952 के पैरा 27ए के अनुसार समुचित प्राधिकारी) ने कंपनी को दिए गए छूट को वापस लिया, यह फेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि, उद्योगमंडल संभाग के संबंध में इसका कारण था कि तीन वर्षों में कंपनी अर्जित होना था। कंपनी ने इसकी चुनौती की है और केरल के उच्च न्यायालय में एक मुकदमा फाइल किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अधिसूचना रोक रखा है। मामला अब भी लंबित है।

बी. छुट्टी नकदीकरण और उपदान के संबंध में निवल निश्चित लाभ (परिसंपत्ति)/ देनदारी का संचलन।

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	छुट्टी नकदीकरण (अनिधिबद्ध)		उपदान (निधिबद्ध)		सी एल आर उपदान (अनिधिबद्ध)	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
ए.	**दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**						
	वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों के वर्तमान मूल्य	8,621.61	9,571.95	10,733.89	12,506.55	995.52	990.81
	ब्याज लागत	589.88	607.48	774.05	795.43	72.01	68.62
	भूतपूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	चालू सेवा लागत	1,618.14	1,493.21	600.33	494.51	48.88	47.09
	प्रदत्त हितलाभ	(970.55)	(2,523.54)	(114.75)	(3,250.25)	(4.66)	(88.65)
	दायित्व पर वास्तविक हानि/(लाभ)	(536.99)	(527.49)	(180.50)	187.65	15.84	(22.35)
	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**9,322.09**	**8,621.61**	**11,813.02**	**10,733.89**	**1,127.59**	**995.52**
बी.	**योजना परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन**						
	वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य	-	-	2,441.36	1,412.27	-	-
	निवेश पर प्रतीक्षित वापसी	-	-	299.71	137.95	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	-	-	3,500.00	4,200.00	-	-
	प्रदत्त हितलाभ	-	-	(114.75)	(3,250.25)	-	-
	प्रत्याशित ब्याज के ऊपर योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक विवरणी	-	-	(32.48)	(58.61)	-	-
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य	**-**	**-**	**6,093.84**	**2,441.36**	**-**	**-**
	निवेश पर वास्तविक वापसी	-	-	267.23	79.34	-	-
सी.	**तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त रकम**						
	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9,322.09	8,621.61	11,813.02	10,733.89	1,127.59	995.52
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य	-	-	6,093.84	2,441.36	-	-
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अनिधिबद्ध निवल देनदारी	**9,322.09**	**8,621.61**	**5,719.18**	**8,292.53**	**1,127.59**	**995.52**
डी.	**वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त खर्च**						
	चालू सेवा लागत	1,618.14	1,493.21	600.33	494.51	48.88	47.09
	भूतपूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	बाध्यता / परिसंपत्ति पर निवल ब्याज	589.88	607.48	474.34	657.48	72.01	68.62
	वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्य कुल व्यय	**2,208.02**	**2,100.69**	**1,074.67**	**1,151.99**	**120.89**	**115.71**
ई.	**अन्य बृहत् आय के अंतर्गत प्रकटित रकमः**						
	प्रारंभिक शेष	(2,433.38)	(1,905.89)	5,054.09	4,807.83	594.25	616.60
	वर्ष के दौरान बाध्यता पक्ष पर बीमांकिक लाभ अथवा हानि	(536.99)	(527.49)	(148.02)	246.26	15.84	(22.35)
	ओ सी आइ के अंतर्गत प्रकटित अंत रकम	**(2,970.37)**	**(2,433.38)**	**4,906.07**	**5,054.09**	**610.09**	**594.25**

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	छुट्टी नकदीकरण (अनिधिबद्ध)		उपदान (निधिबद्ध)		सी एल आर उपदान (अनिधिबद्ध)	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
एफ.	निवेश विवरण	31 मार्च को निवेश किया गया %		31 मार्च को निवेश किया गया %		31 मार्च को निवेश किया गया %	
	एल आई सी ग्रूप उपदान (नकद संचयन) नीति	-	-	51.59	22.74	-	-

ग. छुट्टी नकदीकरण और उपदान के संबंध में बीमांकिक धारणाएँ

क्रम सं	विवरण	छुट्टी नकदीकरण (अनिधिबद्ध)		उपदान (निधिबद्ध)		सी एल आर उपदान (अनिधिबद्ध)	
ए.	नैतिकता दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2012-14) अल्टीमेट					
बी.	कटौती दर	6.83%	7.25%	6.83%	7.25%	6.83%	7.25%
सी.	वेतनवृद्धि दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
डी.	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रतीक्षित दर	लागू नहीं	लागू नहीं	6.83%	7.25%	लागू नहीं	लागू नहीं

डी. उपदान-अन्य अपेक्षित प्रकटन

(I) योजना लक्षण और तत्संबंधी जोखिम का विवरण :

उपदान योजना एक अंतिम वेतन परिभाषित हितलाभ योजना है जो अलग होते समय एक एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है, योजना नियमावली के आधार पर आखिरी बार प्राप्त वेतन के आधार पर और अलग होते समय सेवा के अवधि के आधार पर हितलाभों की संगणना की जाती है और एकमुश्त भुगतान किया जाता है। 5 वर्षों की निहित सेवा भी है। संकल्पना में निम्नलिखित जोखिम है जो देनदारी और नकद प्रवाह को प्रभावित करता है।

(ए) ब्याज दर जोखिमः

संगणित परिभाषित हितलाभ देनदारी सरकारी बंधपत्रों पर आधारित एक छूट दर का इस्तेमाल करती है। अगर बंधपत्र से आय गिरता है तो परिभाषित हितलाभ देनदारी बढने की संभावना है। यों योजना कंपनी को ब्याज दरों में कीम जोखिम के गिर जाने की आशंका है कभी कभी यह कमी स्थिर हो सकती है, जो ब्याज दर रूपरेखा में आदर्शपूर्ण अंतरण के कारण आर्थिक और राजवित्तीय कारणों से संभव है। ब्याज दर में कमी उपर्युक्त हितलाभ प्रदान करने की आखिरी लागत की वृद्धि में परिणत होगा और यों देनदारी के मूल्य में वृद्धि होगी (जैसा वित्तीय विवरणों में बताया गया है)। निधिबद्ध योजनाओं के लिए भी आदर्शपूर्ण नीचे को अंतरण से बंधपत्र के आय में कमी निवेश आय को प्रभावित करेगा और आखिरी लागत को बढाएगा।

(बी) वेतन वर्धन जोखिमः

परिभाषित हितलाभ योजना का वर्तमान मूल्य वेतन घट-बढ दर की (एस ई आर) परिकल्पना पर संगणित किया जाता है जिसे अलग होते समय भविष्य में योजना के भागीदारों के वेतन का निष्कर्ष करने में लागू किया जाता है। वेतन में प्रत्याशित वृद्धि से उच्चतर है तो परिभाषित हितलाभ देनदारी भी बढ जाएगी और प्रभाव तेजी से होगा।

(सी) सेवा-निवृत्ति आयुः

यह नोट किया जाना है कि सेवा-निवृत्ति आयु से ऊपर के कर्मचारियों के मामले में संगणना के प्रयोजन के लिए यह परिकल्पना की जाती है कि वे तत्काल सेवा-निवृत्त होंगे और हितलाभ वास्तविक सेवानिवृत्ति आयु तक माना जाएगा।

(डी) जनसंख्या का जोखिमः

भुगतान के घटित होने के समय और संभावना का मूल्यांकन करने के लिए जनसंख्या संबंधी परिकल्पनाएँ अपेक्षित हैं। यह परिणामों की

बाष्पशीलता का जोखिम है जो अप्रत्याशित प्रकृति की कमियों के कारण होता है जिसमें नैतिकता संघर्षण असमर्थता और सोवा-निवृत्ति सम्मिलित है। डी वी ओ पर इस कमी का प्रभाव संयोग वेतन वृद्धि छूट और निहित मापदंड पर निर्भर है और इसलिए बहुत सीधा सादा है। यह महत्वपूर्ण है कि धन-वापसी का अधिकथन न हो क्योंकि कम सेवावाले कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के हितलाभ की लागत अधिक सेवायुक्त कर्मचारी की तुलना में कम होगा।

(इ) परिसंपत्ति देनदारी - बेमेल:

यह तब आएगा जब निधि परिसंपत्ति की अवधि के साथ निवेशित हो और देनदारी की शर्तों की प्रतिलिपि होती है।

(एफ) वास्तविक जोखिम:

यह वह जोखिम है जब हितलाभ की लागत प्रत्याशित से अधिक है। यह निम्नलिखित किसी एक कारण से हो सकता है:

प्रतिकूल वेतन वर्धन अनुभव:

परिकल्पित वेतन से उच्चतर वेतन वर्धन के कारण प्रत्याशित से उच्चतर दर पर देनदारी बढ सकती है।

मृत्यु दर में भिन्नता:

जब वास्तविक मृत्यु दर परिकल्पित मृत्यु में उच्चतर है तो प्रत्याशित समय से पहले उपदान हितलाभ देना पडेगा। चूँकि मृत्यु हितलाभ पर कोई शर्त निहित नहीं इसलिए नकद प्रवाह की तीव्र गति एक वास्तविक अथवा लाभ की ओर ले जाएगा जो परिकल्पित वेतन वर्धन और छूट दर संबंधी मूल्यों पर निर्भर होगा।

वापसी दर में भिन्नता:

अगर वास्तविक दर परिकल्पित वापसी दर से उच्चतर है तब उपदान हितलाभ प्रत्याशित समय से पहले प्रदान किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर होगा कि क्या हितलाभ पदत्याग तिथि के अनुसार निहित है।

(जी) निवेश जोखिम

परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं आश्रित निधिक योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य उपकरणों के उचित मूल्य नहीं होगा जिससे देनदारी पिछड जाएगी। ऐसे मामलों में परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दरों से स्वतंत्र है। इसे परिणामस्वरूप निधिजन्य स्थिति अथवा निवल देनदारी में बहुत घट-बढ हो सकता है अगर अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तब।

(एच) परिसमापन जोखिम

यह वह जोखिम है कि कंपनी अल्पकालीन उपदान भुगतान को चुकाने में असमर्थ है। यह काफी नकद/नकद समतुल्य की उपलब्धता की कमी का कारण हो सकती है कि देनदारियों को न दे सके और धारित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री समय पर न हो सके।

उच्च वेतन और दीर्घकालीन सेवा युक्त कर्मचारी अथवा जो पदानुक्रम में उच्चतर पद पर के अधिकारियों को हितलाभ का महत्वपूर्ण स्तर संचित करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारी त्यागपत्र देते हैं। कंपनी से सेवा-निवृत्त होते हैं तब नकद प्रवाह में अवरोध हो सकता है।

(आई) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, जोखिमों एक ऐसा पदबंध है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तन और घट-बढ से संबंधित है। एक वास्तविक परिकल्पना जिसका तात्विक प्रभाव छूट दर है। छूट दर धन के सामयिक मूल्य पर प्रतिफलित होती है। छूट दर में वृद्धि योजना हितलाभों की परिभाषित हितलाभ देनदारी में कमी लाती है और उसका विपर्ययन भी होता है। यह परिकल्पना निगम/ सरकारी बंधपत्रों से प्राप्त प्रतिफल पर निर्भर है और देयता का मूल्यांकन इस प्रतिफलों के घट-बढ पर आशंका करती है, खासकर मूल्यांकन तिथि को।.

(जे) विधायी जोखिम/ विनियामक जोखिम

विधायी जोखिम योजना देनदारियों में वृद्धि का जोखिम अथवा योजना परिसंपत्तियों में विधान / विनियामक में परिवर्तन के कारण कमी के कारण है। सरकार उपदान अदायगी अधिनियम का संशोधन कर सकती है, यों कंपनियों को उच्चतर हितलाभ कर्मचारियों को प्रदान करने की अपेक्षा होगी। यह सीधे परिभाषित हितलाभ देनदारी के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा। नया मजदूर संकेत एक प्वाइंट में मामला है। और उसे तत्काल इस वर्ष मान्यता देना होगा जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी हो।

(ii) संवेदना विश्लेषण

कैसे डी बी ओ पर 100 बुनियादी मुद्दों में परिवर्तन द्वारा वास्तविक पूर्वकल्पनाओं अर्थात् छूट दर वेतन वर्धन संख्या और मृत्यु का प्रभाव नीचे दिया जाता है।

(ए). उपदान-कर्मचारी :

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-4.18%	11,319.31	(493.72)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	4.71%	12,369.97	556.95
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	1.78%	12,023.52	210.50
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-1.83%	11,596.71	(216.31)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	0.12%	11,827.06	14.04
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	-0.14%	11,797.05	(15.97)
7	मृत्यु दर 10% अधिक	0.01%	11,814.15	1.12
8	कोई सीमा नहीं का प्रभाव	46.64%	16,447.91	5,509.34

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-4.39%	10,263.21	(470.69)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	4.86%	11,255.46	521.57
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	1.63%	10,908.47	174.58
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-1.70%	10,551.90	(181.99)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	0.24%	10,759.99	26.10
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	-0.28%	10,704.25	(29.64)
7	मृत्यु दर 10% अधिक	0.02%	10,735.51	1.61
8	कोई सीमा नहीं का प्रभाव	44.35%	14,260.44	4,760.02

(बी) उपदान - नैमित्तिक मज़दूर(सी एल आर)

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-5.50%	1,065.56	(62.03)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	6.16%	1,197.09	69.50
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	4.93%	1,183.13	55.55
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-5.14%	1,069.65	(57.94)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	-0.59%	1,120.94	(6.65)
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.03%	1,127.20	(0.38)
8	कोई सीमा नहीं का प्रभाव	0.37%	1,131.80	4.21

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-6.03%	935.47	(60.05)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	6.76%	1,062.82	67.30
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	5.68%	1,052.11	56.58
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-5.77%	938.06	(57.46)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	-0.54%	990.13	(5.39)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.60%	1,001.46	5.93
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.03%	995.18	(0.34)
8	कोई सीमा नहीं का प्रभाव	0.51%	1,008.37	5.05

पी यू सी तरीके का उपयोग किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा बाद के वर्षों में तात्विक रूप से उच्चतर स्तर के हितलाभ पहले वर्षों से अधिक है तो इन हितलाभों को सीधी लकीर आधार पर माना जा सकता है। परिसीमन ये हैं कि परिवर्तन का मूल्यांकन पर अन्य पैरामीटरों को स्थिर रखा जाता है। चूँकि कुछ पूर्वकल्पनाएँ आपस में संबद्ध है यह असंभाव्य है कि पूर्वकल्पनाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अकेलापन में घटित होगा। उपर्युक्त विश्लेषण की तैयारी में तरीकों और पूर्वकल्पनाओं में गत अवधि से कोई परिवर्तन नहीं है, सिवाय इसके आधार दरें बदल गई है।

(iii) परिसंपत्ति देनदारी मेल योजनाएँ

(ए) उपदान-कर्मचारी : बीमाकर्ता प्रशासित निधि

कंपनी देयता बीमा कंपनी को निधि देकर किया है। संपूर्ण निवेशयोग्य का प्रबंधन बीमा कंपनी के निधि प्रबंधकों द्वारा व्यवस्थित है और परिसंपत्ति मूल्य यथा बीमा कंपनी द्वारा सूचित है, मूल्यांकन प्रयोजन के लिए लिया गया है। नीति यों परिसमापन जोखिम की कमी देखती है। तथापि, नकद संचयन योजना होने के कारण परिसंपत्तियों की अवधि लघुतर है जब उसकी तुलना देनदारियों से की जाती है।

यों कंपनी ब्याज दर में संचलन की आशंका रखती है। (खासकर ब्याज दरों की महत्वपूर्ण कमी, जिसके फलस्वरूप परिसंपत्ति में उस प्रकार की वृद्धि के बिना देनदारी में परिणत रूप से वृद्धि आएगी।)

(बी) उपदान - नैमित्तिक मज़दूर (सी एल आर): जैसे आप चाहते हैं तरीके से भुगतान

कंपनी मूल्यांकन पर संपूर्ण उपदान देयता के लिए केवल बहियों में प्रावधान बनाती है और जैसे आप चाहते हैं प्रणाली से वे देय होने पर देनदारियों को निभाती है। इसलिए योजना पूर्णतया निधि रहित है और कंपनी द्वारा कोई संपत्ति नहीं रखी गई है। परिसंपत्तियों का मूल्य शून्य माना गया है, उसमें परिसमापन का जोखिम है क्योंकि वे नकद रहित हो जाएँगे।

(iv) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

कर्मचारियों के लिए उपदान (सी एल आर के अलावा) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) की एक योजना के अंतर्गत आती है, जो मूलतः एक वार्षिक नकद संचय योजना है। इस योजना के अंतर्गत, ब्याज दर वार्षिक आधार पर घोषित की जाती है। पॉलिसी नियमों के अनुसार, बीमा कंपनी, पॉलिसी के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर, वर्ष के दौरान सभी उपदान अदायगी का भुगतान करती है।

(v) अन्य प्रकटन

(ए) उपदान - कर्मचारी :

कंपनी एक बीमा कंपनी के माध्यम द्वारा देयता की निधि जुटाना शुरू किया है और कंपनी द्वारा नियमित मूल्य-निर्धारण देयता में वृद्धि पर किया जाता है और निधि के अनुरक्षण के लिए योगदान भी किया जाता है और यह बीमा कंपनी के उधार जोखिम के अध्यधीन है परिसंपत्ति देयता निवेशों के जोखिम से बेमेल है। बीमा कंपनी के उधार जोखिम और निवेशों की परिसंपत्ति देयता बेमेल जोखिम के अधीन, कंपनी अगले 3 वर्षों के दौरान देय मूल्यांकन तिथि पर पिछली सेवे देयता को पूरा करने में सक्षम होगी।

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए योजना को प्रत्याशित योगदान ₹813.46 लाख (पिछले वर्ष ₹1,070.38 लाख)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**11.08**	11.62

₹ लाखों में

देनदारियों की परिपक्वता रूपरेखा की सूचना	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुमानित हितलाभ दायित्व	11,813.02	10,733.89
संचित हितलाभ दायित्व	9,601.38	8,450.38

₹ लाखों में

	पाँच वर्ष के भुगतान	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य	छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य
1	वर्ष (i)	1,031.31	1,083.70	650.79	685.87
2	वर्ष (ii)	2,805.80	3,026.94	897.21	1,013.75
3	वर्ष (iii)	2,262.08	2,602.12	2,534.43	2,942.44
4	वर्ष (iv)	1,499.60	1,838.34	2,000.64	2,488.25
5	वर्ष (v)	895.81	1,169.78	1,311.51	1,743.53
6	आगे 5 वर्ष के भुगतान (6-10 वर्ष)	1,827.13	2,818.04	2,162.23	3,404.96
7	दस वर्षों से ऊपर का भुगतान	1,491.29	5,408.40	1,177.09	4,367.92
8	पैरा 137 (बी) के अनुसार निहित हितलाभ देयता		**11,564.53**		**10,363.74**

(बी) उपदान - नैमित्तिक मज़दूर (सी एल आर) :

कंपनी ने उपदान देयता का निधियन प्रारंभ नहीं किया है और देयता के निपटारा के लिए जैसे आप जाता है तरीके का अनुसरण कर रही है।

अगली वार्षिक रिपोर्ट अवधि के लिए योजना को प्रत्याशित योगदान। लागू नहीं।

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**8.08**	8.85

₹ लाखों में

देनदारियों की परिपक्वता रूपरेखा की सूचना	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुमानित हितलाभ दायित्व	1,127.59	995.52
संचित हितलाभ दायित्व	759.03	642.46

₹ लाखों में

	पाँच वर्ष के भुगतान	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य	छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य
1	वर्ष (i)	74.25	78.02	43.26	45.59
2	वर्ष (ii)	159.16	173.01	63.10	71.32
3	वर्ष (iii)	126.85	148.76	132.26	154.63
4	वर्ष (iv)	139.81	173.01	105.07	133.17
5	वर्ष (v)	104.13	139.80	122.81	164.87
6	आगे 5 वर्ष के भुगतान (6-10 वर्ष)	311.36	498.03	310.76	509.01
7	दस वर्षों से ऊपर का भुगतान	212.03	633.26	218.26	679.65
8	पैरा 137 (बी) के अनुसार निहित हितलाभ देयता		**1,127.59**		**994.66**

(इ) छुट्टी नकदीकरण - अपेक्षित अन्य प्रकटन

(i) **योजना लक्षणों और सहयुक्त जोखिमों का विवरण:**

छुट्टी योजना अंतिम वेतन परिभाषित हितलाभ योजना है, जो बिदाई के समय पर एक एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है; योजना नियमावली के आधार पर प्राप्त आखिरी वेतन और विदाई के समय की छुट्टी गिनती के आधार पर आकलन किया जाता है और एकमुश्त भुगतान किया जाता है। इस परिकल्पना में निम्नलिखित जोखिम निहित है जो देनदारी और नकद प्रवाह को प्रभावित करते हैं।

(ए) ब्याज दर जोखिम

परिकलित परिभाषित दायित्व सरकारी बंधपत्र पर आधारित एक सीधी छूट दर का इस्तेमाल करता है। अगर बंधपत्र कम पडता है तो परिभाषित हितलाभ देयता बढने की संभावना है।

(बी) वेतन वृद्धि जोखिम:

वेतन में प्रत्याशित वृद्धि से अधिक वृद्धि होने पर परिभाषित हितलाभ देयता बढ जाएगी।

(सी) जनसांख्यकी जोखिम:

यह मृत्यु संख्या अनुशय, अशक्तता और सेवा निवृत्ति समेत अप्रत्याशिता प्रकृति की कमियों के कारण परिणामों की बाष्पशीलता का जोखिम है। डी बी ओ पर इसका असर वेतन वृद्धि संयोजन, छूट दर और निहित मापदंड पर निर्भर है और इसलिए उतना ईमानदार नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि वापसी दर का ज्यादा बताएँ क्योंकि एक अल्पकालीन कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के हितलाभ की लागत दीर्घकालीन कर्मचारी की तुलना में कम होगी।

(ii) **संवेदन - विश्लेषण**

कैसे डी बी ओ पर वास्तविक धारणाओं में अर्थात् छूट दर, वेतन, वृद्धि, अनुशय और मृत्यु संख्या आदि के 100 आधारित परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होगा जो निम्न प्रकार दिया जाता है।

(ए). विशेषाधिकार छुट्टी

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025 को		
		डी बी ओ में वृद्धि	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-6.50%	7,694.66	(534.83)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	7.51%	8,847.76	618.27
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	6.98%	8,804.15	574.66
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-6.16%	7,722.25	(507.23)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	-0.78%	8,165.24	(64.25)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.90%	8,303.38	73.89
7	मृत्यु दर 10% अधिक	0.02%	8,227.57	(1.92)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024 को		
		डी बी ओ में वृद्धि	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-6.59%	7,123.11	(502.36)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	7.56%	8,201.77	576.30
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	7.04%	8,162.57	537.10
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-6.26%	7,148.04	(477.43)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	-0.61%	7,578.71	(46.76)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.70%	7,678.88	53.41
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.02%	7,624.14	(1.34)

(बी) चिकित्सा छुट्टी

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025 को		
		डी बी ओ में वृद्धि	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	- 5.79%	1,029.38	(63.22)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	6.57%	1,164.35	71.75
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	6.10%	1,159.23	66.63
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	- 5.48%	1,032.71	(59.89)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	- 0.65%	1,085.50	(7.10)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.74%	1,100.64	8.04
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.02%	1,092.37	(0.24)

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024 को		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-6.13%	935.11	(61.02)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	6.92%	1,065.03	68.90
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	6.44%	1,060.30	64.17
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-5.82%	938.19	(57.94)
5	अनुशय दर+100 बुनियादी मुद्दे	-0.55%	990.66	(5.47)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.62%	1,002.28	6.15
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.02%	995.96	(0.17)

संवेदन - विश्लेषण के लिए पी यू सी तरीका अपनाया जाता है। किसी कर्मचारी की सेवा बाद के वर्षों में पहले वर्षों से ज्यादा उच्चतर स्तर के हितलाभ तक आ जाएगा। परिसीमाएँ ये हैं कि परिवर्तन का मूल्य - निर्धारण करने के लिए अन्य पैरामीटरों को स्थिर माना जाता है। कुछ पूर्वकल्पनाएँ आपस में संबंधित होने का कारण, यह संभव नहीं कि पूर्वकल्पनाओं में परिवर्तन एक दूसरे के एकाकीपन में होगा। उपर्युक्त विश्लेषण की तैयारी में उपयोग किए गए तरीकों और पूर्वकल्पनाओं में गत अवधि से कोई परिवर्तन नहीं है, केवल बनुयादी दरों में परिवर्तन हुआ है।

(iii) **अन्य प्रकटन**

कंपनी ने छुट्टी देयता का वित्तपोषण शुरू नहीं किया है तथा देयता के निपटान के लिए आपकी इच्छानुसार तरीके से भुगतान पद्धति का पालन कर रही है।

(ए) विशेषाधिकार छुट्टी

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**11.08**	11.62

₹ लाखों में

देनदारियों की परिपक्वता रूपरेखा की सूचना	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुमानित हितलाभ दायित्व	8,229.49	7,625.47

₹ लाखों में

	पाँच वर्ष के भुगतान	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य	छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य
1	वर्ष (i)	565.24	628.84	387.27	418.78
2	वर्ष (ii)	1,403.87	1,712.27	489.24	586.88
3	वर्ष (iii)	1,261.93	1,645.11	1,315.58	1,742.17
4	वर्ष (iv)	906.18	1,256.55	1,155.95	1,644.10
5	वर्ष (v)	556.67	828.24	825.46	1,253.21
6	आगे 5 वर्ष के भुगतान (6-10 वर्ष)	1,346.07	2,323.21	1,545.96	2,786.30
7	दस वर्षों से ऊपर का भुगतान	2,189.53	7,573.24	1,906.02	6,968.58

(बी) चिकित्सा छुट्टी

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**11.08**	11.62

₹ लाखों में

देनदारियों की परिपक्वता रूपरेखा की सूचना	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुमानित हितलाभ दायित्व	1,092.60	996.13

₹ लाखों में

	पाँच वर्ष के भुगतान	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य	छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य
1	वर्ष (i)	77.67	86.48	51.83	56.09
2	वर्ष (ii)	212.12	259.80	66.44	79.85
3	वर्ष (iii)	179.44	234.59	192.65	256.26
4	वर्ष (iv)	130.46	180.97	160.63	228.90
5	वर्ष (v)	92.92	139.32	113.73	172.65
6	आगे 5 वर्ष के भुगतान (6-10 वर्ष)	175.40	302.49	214.73	385.61
7	दस वर्षों से ऊपर का भुगतान	224.59	738.55	196.12	684.24

च. भविष्य निधि के संबंध में निवल निश्चित हितलाभ (परिसंपत्ति)/ देनदारी का संचलन।

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	न्यास संचालित भविष्य निधि - उद्योगमंडल		न्यास संचालित भविष्य निधि - कोचीन संभाग	
क.	**दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**	**31-03-2025**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2024**
	वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों के वर्तमान मूल्य	24,146.83	24,872.63	1,783.56	1,912.75
	ब्याज लागत	1,561.09	1,554.05	113.70	117.91
	भूतपूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
	चालू सेवा लागत	1,171.30	1,109.18	68.24	70.66
	योजना हिस्सेदारियों का अंशदान	2,851.22	2,849.41	144.27	231.76
	प्रदत्त हितलाभ	(2,039.18)	(6,874.94)	(198.42)	(572.90)
	दायित्व पर वास्तविक हानि/(लाभ)	1,718.83	636.51	9.56	23.39
	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**29,410.09**	**24,146.83**	**1,920.91**	**1,783.56**
ख.	**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	24,179.66	24,822.87	1,772.61	1,909.21
	निवेश पर प्रतीक्षित वापसी	1,602.84	1,590.65	115.26	120.21
	कर्मचारियों एवं योजना हिस्सेदारियों का अंशदान	4,022.52	3,958.59	212.52	302.42
	प्रदत्त हितलाभ	(2,039.18)	(6,874.94)	(198.42)	(572.90)
	योजना परिसंपत्तियों पर उचित हानि/(लाभ)	2,266.58	682.50	180.01	13.67
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**30,032.42**	**24,179.66**	**2,081.98**	**1,772.61**
	निवेश पर वास्तविक वापसी	3,869.42	2,273.15	295.27	133.88
ग.	**निधि की तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त रकम**				
	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	29,410.09	24,146.83	1,920.91	1,783.56
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30,032.42	24,179.66	2,081.98	1,772.61
	अनिधिबद्ध निवल देनदारी	**(622.33)**	**(32.83)**	**(161.07)**	**10.95**
घ.	**वर्ष के दौरान निधि के लाभ एवं हानि**				
	लेखे में मान्यता प्राप्त खर्च				
	चालू सेवा लागत	1,171.30	1,109.18	68.24	70.66
	भूतपूर्व सेवा लागत				
	ब्याज लागत	1,561.09	1,554.05	113.70	117.91
	निवेश पर प्रतीक्षित वापसी	(1,602.84)	(1,590.65)	(115.26)	(120.21)
	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त निवल उचित(लाभ)/हानि	(547.75)	(45.99)	(170.45)	9.72
	कुल व्यय	**581.80**	**1,026.59**	**(103.77)**	**78.07**

छ. भविष्य निधि के संबंध में निवल निश्चित हितलाभ (परिसंपत्ति)/ देनदारी का संचलन।

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	न्यास संचालित भविष्य निधि - उद्योगमंडल		न्यास संचालित भविष्य निधि - कोचीन संभाग	
		31-03-2025	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2024**
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय एवं राज्य)	48.88%	66.65%	48.91%	57.26%
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड	36.35%	24.94%	36.79%	36.22%
3.	साम्या	14.77%	8.41%	13.94%	6.08%
4.	अन्य	0.00%	0.00%	0.36%	0.44%
5.	**कुल**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

49. अतिरिक्त विनियामक सूचना

(i) **निवेश संपत्ति का उचित मूल्य**

पूर्ण स्वामित्व वाला भूमि का उचित मूल्य भारत सरकार द्वारा वेब साइट में जारी अधिसूचना के आधार पर है।

(ii) **प्रगति पर के पूँजीगत निर्माण कार्य (सी डब्ल्यू आइ पी)**

(ए) सी डब्ल्यू आइ पी की जीवन काल अनुसूची

₹ लाखों में

सी डब्ल्यू आई पी	31 मार्च 2025 को				
	सी डब्ल्यू आइ पी में रकम .... अवधि के लिए				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति पर की परियोजनाएँ	9,355.71	6,400.25	4,476.55	1,393.89	**21,626.40**
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएँ	-	-	-	-	**-**
कुल	**9,355.71**	**6,400.25**	**4,476.55**	**1,393.89**	**21,626.40**

₹ लाखों में

सी डब्ल्यू आई पी	31 मार्च 2024 को				
	सी डब्ल्यू आइ पी में रकम .... अवधि के लिए				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति पर की परियोजनाएँ	12,210.12	7,654.93	1,997.23	494.72	**22,357.00**
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएँ	-	-	-	-	**-**
कुल	**12,210.12**	**7,654.93**	**1,997.23**	**494.72**	**22,357.00**

बी) मूल योजना की तुलना में सी डब्ल्यू आई पी का विवरण

₹ लाखों में

सी डब्ल्यू आई पी	31 मार्च 2025 को				
	में पूरा करना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
दो फोस्फोरिक एसिड भंडारण टंकियाँ वि द्वी - 8220 मी ट*2	-	-	2,040.25	-	**2,040.25**
सल्फ्यूरिक एसिड भंडारण टंकियाँ वि द्वी - 8220 मी ट	-	88.46	-	-	**88.46**
संविदा कर्मचारी उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली	-	-	-	7.58	**7.58**
भूमि बिक्री के लिए सी डी टाउनशिप में विद्युत कार्य	-	-	-	118.30	**118.30**
एन पी के संयंत्र सी डी - 1650 टी पी डी	18,234.24	-	-	-	**18,234.24**
नए आई ए टी विनिर्माण, स्थापना एवं कमीशन	415.20	-	-	-	**415.20**
नई डब्ल्यू2 इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर सी डी	151.95	-	-	-	**151.95**
कुल	**18,801.39**	**88.46**	**2,040.25**	**125.88**	**21,055.98**

₹ लाखों में

सी डब्ल्यू आई पी	31 मार्च 2024 को में पूरा करना है				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
अमोनिया भंडारण टंकियाँ सी डी - 10000 मी ट	9,776.63	-	-	-	**9,776.63**
दो फोस्फोरिक एसिड भंडारण टंकियाँ वि द्वी - 8220 मी ट*2	-	1,760.90	-	-	**1,760.90**
सल्फ्यूरिक एसिड भंडारण टंकियाँ वि द्वी - 8220 मी ट	311.29	-	-	-	**311.29**
सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र के लिए डीजल जनरेटर सेट	-	23.11	-	-	**23.11**
संविदा कर्मचारी उपस्थिति प्रबंधन प्रणार्ली	-	-	7.58	-	**7.58**
भूमि बिक्री के लिए सी डी टाउनशिप में विद्युत कार्य	-	-	-	79.34	**79.34**
सिविल फाउण्डेशन कार्य आई ए टी	43.67	-	-	-	**43.67**
कुल	**10,131. 59**	**1,784.01**	**7.58**	**79.34**	**12,002.52**

(iii) अनुपात

क्रम सं	अनुपात	अंश	हर	अनुपात 2024-25	अनुपात 2023-24	% अंतर	25% से अधिक अंतर के कारण
(ए)	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देनदारियाँ	**1.02**	1.05	(3.00)	लागू नहीं
(बी)	ऋण-साम्या अनुपात	कुल देनदारियाँ/ऋण	शेयरधारियों का साम्या	**3.36**	3.27	3.00	लागू नहीं
(सी)	ऋण-सेवा परिव्यास अनुपात,	कर के बाद निवल लाभ प्लस वित्त लागत और नकदेतर प्रचालन व्यय	वित्त लागत, ऋण एवं प्रोद्भूत सूद की चालू परिपक्वता	**0.08**	0.11	(24.27)	लागू नहीं
(डी)	साम्या अनुपात पर वापसी %	कर के बाद लाभ	शेयरधारियों की साम्या	**3.01%**	9.45%	(68.16)	कर के बाद निवल लाभ में वृद्धि के कारण
(इ)	मालसूची पण्यावर्त अनुपात	पण्यावर्त	औसत मालसूची	**3.87**	4.76	(18.71)	लागू नहीं
(एफ)	व्यापार प्राप्य पण्यावर्त अनुपात	निवल उधार बिक्री	औसत लेखा जो प्राप्य है	**2.85**	4.36	(34.67)	कैप्रोलेक्टम की सहायिकी एवं बिक्री में कमी के कारण
(जी)	व्यापार देय राशि पण्यावर्त अनुपात	निवल उधार क्रय	औसत लेखा जो देय है	**6.24**	8.59	(27.40)	केप्रोलेक्टम का प्रचालन बंद होने के कारण
(एच)	निवल पूँजी पण्यावर्त अनुपात	निवल बिक्री	कार्यशील पूँजी	**55.57**	24.14	130.14	कार्यशील पूँजी में कमी के कारण
(आई)	निवल लाभ अनुपात %	कर के बाद लाभ	पण्यावर्त	**1.02%**	2.54%	(59.92)	पण्यावर्त और निवल लाभ में कमी के कारण
(जे)	नियोजित पूँजी पर विवरण %	सूद और करों के पूर्व अर्जित रकम	नियोजित पूँजी (निवल मूल्य प्लस कुल ऋण)	**5.92%**	6.01%	(1.42)	लागू नहीं
(के)	निवेश पर विवरण %	शेयरों में निवल परिवेश का निवल परिसंपत्ति मूल्य प्लस लाभांश	निवेश का मूल मूल्य	**72.48%**	46.18%	56.95	निवेश के मूल्य में वृद्धि के कारण

iv) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार आवश्यक अन्य अतिरिक्त प्रकटीकरण।

क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बंद की गई कंपनी से संबंध	बकाया राशि (₹ लाखों में) *	
			31 मार्च 2025 को	**31 मार्च 2024 को**
कैपेक्सिल एजेंसीस लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	लागू नहीं	0.15	0.15

*निवेश पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और पुस्तकों में इसका मूल्य शून्य है।

बी) संवैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि शुल्क लंबित नहीं है।

सी) कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 230 से 237 के संदर्भ में कोई भी व्यवस्था योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

डी) आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर के आकलन के लिए वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या खुलासा करने के लिए खाते की किताबों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।

इ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

एफ) कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) भी सम्मिलित है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो)अग्रिम, ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से)नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो गया अन्यथा, मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी)को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चिज़ प्रदान करेगा।

जी) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधि देनेवाले पक्ष") सम्मिलित है, से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रुप से महत्वपूर्ण हो) इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि देने वाला पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।

एच्च) कंपनी को किसी भी वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

50. आकस्मिक देनदारियां एवं वचनबद्धताएं (जिनके लिए प्रावधान न किए गए):

(i) आकस्मिक देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को** ₹ लाखों में
कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण नहीं माने गए हैं:		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944	5,039.94	11,612.91
सेवा कर (वित्त अधिनियम,1994)	402.64	388.75
बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर/प्रवेश कर	292.50	287.69
माल एवं सेवा कर	450.88	215.10
आय कर अधिनियम,1961	4.26	4.26
क रा बी अधिनियम	127.83	127.83
पूर्तिकार एवं संविदाकार	29,655.09	28,024.64
बोनस अधिनियम का भुगतान, 1965	33.59	33.59
अन्य	16,024.85	11,043.07

50.1. एक निजी कंपनी के सौंपे गए अमोनिया के बार्ज परिवहन का ठेका कंपनी द्वारा 2004-05 के दौरान प्रारंभ में शुन्य रद्द किया गया है ठेकेदार ने मध्यस्थ के सामने 31.03.2013 तक के ब्याज समेत ₹1,78,489.75 लाख का दावा किया। मध्यस्थ ने वर्ष 2013-14 के दौरान ठेकेदार के पक्ष में एक अधिनिर्णय पास किया है (₹17,308.04 लाख के लिए 31.12.2013 तक के ब्याज समेत)। अधिनिर्णय के अनुसार कंपनी द्वारा ठेकेदार को चुकाए ₹2,798.29 लाख ब्याज समेत जुटाना अग्रिम को एक अधिनिर्णय में समायोजित किया जाना है। कंपनी ने अधिनिर्णय को विधिक और वास्तविक आधार पर स्वीकार नहीं किया है और माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के सामने अधिनिर्णय का आक्षेप किया है जिस कारण अधिनिर्णय फिर से रोका गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के निदेशानुसार कंपनी ने अधिनिर्णय के लिए 80.50 एकड भूमि प्रतिभूति के रूप में प्रदान किया है। तदनुसार, 31.03.2025 तक के ब्याज सहित अधिनिर्णय रकम ₹28,751.98 लाख (पिछले वर्ष ₹27,734.43) अग्रिम और माध्यस्थम् अधिनिर्णय के अधीन मंजूर ब्याज की परवाह किए बिना देनदारी मानी गई और आकस्मिक देनदारी के अधीन सम्मिलित किया गया।

50.2 प्रतिवर्ष 13.50 प्रतिशत ब्याज दर सहित 100000.00 लाख रुपए का एक योजना उधार दिनांक 29 मार्च 2016 को भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा कंपनी के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए विमोचन किया गया था। भारत सरकार के आदेशानुसार, 100000.00 लाख रुपए पूर्ववर्ती उधारों सहित और बकाया ब्याज को मिलाकर उसे 13.50 प्रतिशत दर प्रति वर्ष के ब्याज सहित एकल उधार में एकवर्ष के अधिस्थगन के साथ परिवर्तित किया गया था। मंजूरी की शर्तों के अनुसार सरकार ब्याज दर को वर्धित कर 16.25 प्रतिशत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, अगर वापस चुकाने में चूक करने पर। चूँकि आज तक सरकार से इस संबंध में कोई सूचना न मिलने के कारण 14,646.54 लाख रुपए (गत वर्ष - 9777.70 लाख रुपए) वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त ब्याज को आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। (नोट 21.1 देखें)

50.3 392.82 लाख रुपए का दावा एक परिवहन निविदाकार द्वारा दावा किया गया है जो उसके द्वारा फाइल किए एक माध्यस्थम मुकदमे में निविदाकार के बिलों से रोक रखे जाने और 143.22 लाख की बैंक गैरंटी को पहल लेने की प्रतिक्रिया में मालों की सुपुर्दगी न करने की प्रतिपूर्ति में था। कंपनी ने उसके बदले 224.03 लाख (ब्याज समेत) का एक प्रति दावा फाइल किया। दावे के प्रति 94.80 लाख रुपए (पिछले वर्ष 94.80 लाख रुपए) रकम आकस्मिक देनदारी में सम्मिलित है।

50.4 दिनांक 31.03.2025 तक की आकस्मिक देनदारी में 116.94 लाख रुपए (पिछले वर्ष 104.27 लाख रुपए) शामिल हैं, जो एक ग्राहक को भुगतान की जाने वाली राशि है, जिसके थोक जिप्सम की बिक्री हेतु किए गए संविदा को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान समाप्त कर दिया गया था। इस संबंध में मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुए कंपनी ने नॉर्थ परवूर की वाणिज्यिक न्यायालय में एक याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने निर्णय की प्रक्रिया पर स्थगन किया है, बशर्ते कि पारित राशि का 50% जमा किया जाए या पूरी पारित राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, हमने 175.22 लाख रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है, जो 2.3.2025 तक मान्य थी।

50.5 राष्ट्रपतीय निदेश और कंपनी और मज़दूर संघों के बीच 2017 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के समझौते के अनुसार, कंपनी को वेतन और मजदूरी का प्राप्य बकाया देने का (01.01.2017 से 31.03.2022 तक की अवधि का) दायित्व नहीं, यह प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में है। कंपनी के कुछ सेवा-निवृत्त कर्मचारियों ने केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष एक समादेश याचिका फाइल की है कि वेतन संशोधन और अन्य परिणामी हितलाभों का 01.01.2017 से प्रभावी अवधि का बकाया धन वितरित करने का निदेश कंपनी को दे दें, जो हर अर्जिकारों की सेवा-निवृत्ति तिथि तक लागू है। चूँकि बकाया चुकाने के संबंध में कोई निर्णय, अधि निर्णय नहीं लिया गया है, देनदारी की रकम इस चरण पर सुनिश्चित नहीं कर सकेगी।

(ii) अन्य प्रतिवद्धताएँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पूँजीगत लेखों पर कार्यान्वयन के लिए बाकी पडे ठेकों की प्राक्कलित राशि	23,714.94	36,622.31

51. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
के संबंध में प्राप्य प्राक्कलित रकमः		
पूर्तिकार और ठेकेदार	19,681.33	14,449.87
डीलर और ग्राहक	73.77	73.77
अन्य	184.12	184.12
	19,939.22	**14,707.76**

“पूर्तिकारों और निविदाकारों” की आकस्मिक परिसंपत्तियों में एक निविदाकार से प्राप्य ₹19,623.74 लाख रुपए सम्मिलित है। (गत वर्ष - 11,854.25 लाख रुपए) यह दल द्वारा अब तक प्रतिधारित जुटाव अग्रिम पर का ब्याजन है। (नोट नं. 4.1, 13.2 देखें) इसमें पुनःगैसीकरण प्रभार शून्य (गत वर्ष 2,461.45 लाख रुपए) भी सम्मिलित है, जो तेल कंपनियों के संबंध में पुनः गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस से है। वर्ष 2019-20 के दौरान का है। यह विवादग्रस्त मामला अब सी पी एस ई के विवादों पर संकल्प का प्रशासनिक तंत्र (ए एम आर सी डी) के समक्ष निलंबित है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अतिरिक्त पुनर्गैसीकरण शुल्क की वापसी के लिए प्राप्त राशि को असाधारण आय माना है तथा ए एम आर सी डी को संदर्भित विवाद को वापस लेने के लिए कदम उठाए हैं। (नोट 36.1 देखें)

52. निर्माण ठेके

इंजीनियरिंग संरचना संभाग (फेडो) और विरचना संभाग (फिऊ) द्वारा अपने निजी एककों के लिए की गई सेवाओं के अधीन आपको उसी एककों द्वारा राजस्व व्यय में लेखाबद्ध है, इस वर्ष यह ₹708.14 लाख (गत वर्ष ₹1012.21 लाख) है और पूँजीगत व्यय ₹591.18 लाख (गत वर्ष ₹850.09 लाख) है। फेक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ऑर्गनाइज़ेशन (फेडो) द्वारा एक कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर किए गए काम के मामले में लागत प्लस आधार पर, जमा काम के रूप में फेडो को कुल परियोजना लागत का कुछ प्रतिशत शुल्क प्राप्त होने की अर्हता है।

(i) **नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेकनॉलजी (एन आई टी), नागालैंड -** तकनीक मूल्य-निर्धारण के आधार पर 95% (गत वर्ष 70.70%) काम फेडो द्वारा एन आई टी को परामर्शी सेवा से संबंधित है। दिनांक 31.3.2025 के अनुसार पूरा हो गया है और ₹603.42 लाख (गत वर्ष ₹600.53 लाख)आनुपातिक जमा के रूप में किया है, जो अप्राप्त आय को 8.41 लाख रुपए (पिछले वर्ष 11.30 लाख रुपए) मानने के बाद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिल किए गए और प्रमाणित किए गए निर्माण कार्य का मूल्य 459.02 लाख (पिछले वर्ष 541.40) माना गया है और ठेके पर प्रत्यक्ष शुल्क के लिए समतुल्य राशि पर विचार किया गया है।

(ii) **केंद्रीय विद्यालय हार्दा (के वी)** - तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार, (फेडो)द्वारा केवी को परामर्श सेवाओं से संबंधित 15% (पिछले वर्ष 2%) कार्य 31.3.2025 तक पूरा हो चुका है और प्रगति पर कार्य को शून्य (पिछले वर्ष शून्य) मानते हुए, 48.66 लाख रुपये (पिछले वर्ष 40.06 लाख) का आनुपातिक जमा के रूप में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिल किए गए और प्रमाणित किए गए निर्माण कार्य का मूल्य 283.08 लाख (पिछले वर्ष शून्य) माना गया है और ठेके पर प्रत्यक्ष शुल्क के लिए समतुल्य राशि पर विचार किया गया है।

₹ लाखों में

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए)	अवधि में मानी गई ठेका राजस्व	1,362.47	618.30
बी)	प्रगति पर के ठेके के प्रति प्राप्त अग्रिम	519.16	1,024.34
सी)	प्रगति पर के काम के लिए ग्राहकों द्वारा प्रतिधारण	62.00	34.42
डी)	उपचित लागत की कुल रकम और माना गया लाभ (मानी गई हानि) ठेकों पर प्रगति में रिपोर्टिंग तारीख तक	2,568.10	2,740.56
इ)	परिसंपत्ति के तौर पर ठेका काम के लिए ग्राहक द्वारा देय कुल रकम	210.71	220.31
एफ)	देयता के तौर पर ठेका काम के लिए देय कुल रकम	15.95	211.04

53. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन, लेखाकरण प्राक्कलनों और भूलों में परिवर्तन के संबंध में प्रकटन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अंतिम लाभार्थी को बिक्री के लिए लंबित डीलरों के पास मौजूद पी एंड के उर्वरक स्टॉक के सहायिकी वाले हिस्से की वसूली के आधार का पुनर्मूल्यांकन किया है, जो इस अवधि में डी बी टी पावती में उल्लेखनीय सुधार को ध्यान में रखते हुए 90% से 95% हो गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में परिचालन से राजस्व और अन्य उपार्जित आय में 1294.00 लाख रुपए की वृद्धि हुई।(नोट 11.1 एवं 27.1 देखें)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्व अवधियों से संबंधित आय और व्यय की अलग-अलग मदों में त्रुटियों और चूकों के लेखांकन हेतु प्रारंभिक सीमा की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन किया है, जिसे 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्कथित कर-पूर्व लाभ में वृद्धि हुई और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ में 26.15 लाख रुपए की कमी आई।

वर्ष के दौरान कुछ त्रुटियों या चूक की पहचान की गई। तदनुसार गत वर्ष के इंड ए एस 8 के अनुसार गत वर्ष वित्तीय विवरण का पुनर्कथन किया गया और सबसे पहले की अवधि के विवरणों में प्रभाव नीचे दिए जाते हैं। पुनर्विवरण की प्रकृति और गत वित्तीय विवरणों पर उसका प्रभाव निम्न प्रकार हैं।

(i) **पिछले वर्ष को आंकडों का पुनर्विवरण**

(क) मरम्मत और अनुरक्षण के अंतर्गत दर्ज 151.95 लाख रुपये की राशि को पूंजीगत निर्माण कार्य में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) 31.3.2024 तक 54.28 लाख रुपये के जिप्सम स्टॉक के कम मूल्यांकन को ठीक कर दिया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान फेडो द्वारा निकाले गए एन आई टी के जमा कार्य हटाना, जिसका वास्तविक प्रभाव 371.27 लाख रुपये है।

(घ) पुनर्कथन और कर आधार की समीक्षा के कारण आस्थगित कर में परिवर्तन।

तुलन - पत्र और लाभ एव हानि विवरण की पुन:विवरण मदो का मिलान

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	नोट नं.	वर्ष 2023-24 के आँकडों का पुनर्विवरण		
			गत वर्ष के दौरान यथा रिपोर्ट किया गया	समायोजन	यथा पुनः विवरण
1	पूंजीगत निर्माण कार्य	2ए	22,205.05	151.95	22,357.00
2	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	5	10,266.78	(1,624.37)	8,642.41
3	मालसूचियाँ	7	1,14,315.67	54.28	1,14,369.95
4	चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	24,647.83	(359.98)	24,287.85
5	अन्य साम्या	16	72,866.72	(1,789.42)	71,077.30
6	चालू देनदारियाँ - अन्य वित्तीय देनदारियाँ	24	1,88,018.19	11.30	1,88,029.49
7	प्रचालन से राजस्व	27	5,05,492.61	(371.28)	5,05,121.33
8	तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और प्रगति पर कार्य की साम्या में परिवर्तन	31	(5,065.94)	(54.28)	(5,120.22)
9	कर्मचारी लाभ व्यय।	32	28,393.99	(14.09)	28,379.90
10	अन्य व्यय	35	1,10,482.63	(137.86)	1,10,344.77
11	आस्थगित कर	5.3	(10,266.78)	1,624.37	(8,642.41)
12	प्रति साम्या शेयर पर अर्जन	37	2.26	(0.28)	1.98

* पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

54 विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

1) आयातित और स्वदेशी कल पुर्जो की खपत का मूल्य और कुल खपत में उसका प्रतिशत

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त		31 मार्च 2024 को समाप्त	
	रकम (रू लाखों में)	प्रतिशतता	रकम (रू लाखों में)	प्रतिशतता
कल पुर्जे, हिस्से & रसायन				
आयातित	107.26	2.87%	298.46	5.77%
देशज	3,623.91	97.13%	4,874.37	94.23%
	3,731.17		**5,172.83**	

2. आयातित सामान की लागत बीमा भाडा मूल्य

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त	31 मार्च 2024 को समाप्त
कच्चे माल	84,566.29	1,38,264.48
व्यापार उत्पादन	43,842.41	33,899.33
कल पुर्जे एवं अन्य सामग्रियाँ	416.33	245.72
पूँजीगत माल	-	22.89
	1,28,825.03	1,72,432.42

3. विदेशी मुद्रा में व्यय

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त	31 मार्च 2024 को समाप्त
परामर्शी सेवा	5.43	85.08
अन्य	43.83	41.40
	49.26	**126.48**

55. पोषक तत्व आधारित सहायिकी नीति के अंतर्गत पी के उर्वरकों के एम आर पी & तर्कसंगतता के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों पर उर्वरक विभाग द्वारा जारी ओ एम एफ सं. 23011/9/2023-पी & के दिनांक 18.1.2024 के अनुसरण में सूचना।

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त			
		एकीकृत	आयातित	अन्य	कुल
(i)	प्रचालन से राजस्व	3,47,309.70	47,569.69	10,211.60	**4,05,090.99**
(ii)	असाधारण मदें एवं कर पूर्व निवल लाभ/ (हानि)	21,811.64	3,515.09	(22,414.12)	**2,912.61**
(iii)	असाधारण मदें				**2,461.45**
(iv)	कर पूर्व असाधारण मदों के बाद निवल लाभ/(हानि)				**5,374.06**
(v)	आस्थगित कर				**1,250.86**
(vi)	**कर के बाद निवल लाभ / (हानि) (iv)-(v)**				**4,123.20**

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त			
		एकीकृत	आयातित	अन्य	कुल
(I)	प्रचालन से राजस्व	4,07,386.15	38,927.64	58,807.54	**5,05,121.33**
(ii)	असाधारण मदें एवं कर पूर्व निवल लाभ/ (हानि)	43,007.35	2,754.68	(17,018.06)	**28,743.97**
(iii)	असाधारण मदें				**(24,558.89)**
(iv)	कर पूर्व असाधारण मदों के बाद निवल लाभ/(हानि)				**4,185.08**
(v)	आस्थगित कर				**(8,642.41)**
(vi)	**कर के बाद निवल लाभ / (हानि) (iv)-(v)**				**12,827.49**

शामिल किए गए उत्पाद :

एकीकृतः फैक्टमफोस, अमोनियम सल्फेट और जिंकेटेड फैक्टमफोस

आयातितः कंपनी द्वारा व्यापार के उद्देश्य से खरीदे गए सभी आयातित उर्वरक।

अन्यः कैप्रोलैक्टम, फेडो, फिऊ और अन्य घरेलू व्यापारिक उत्पाद।

56. उपभुक्त सामग्रियों की लागत (मदवार ब्यौरा)

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025 को				31 मार्च 2024 को			
		प्रारंभिक स्टॉक	क्रय	इति स्टॉक	खपत	प्रारंभिक स्टॉक	क्रय	इति स्टॉक	खपत
1	पुनः गैसीकृत द्रव प्राकृतिक गैस	0.41	76,185.51	3.83	76,182.08	4.44	1,04,723.48	0.41	1,04,727.52
2	सल्फर - आयातित	35.52	7,725.13	3,642.19	4,118.46	168.48	-	35.52	132.96
3	सल्फर - देशज	1,347.30	15,464.20	2,073.22	14,738.28	2,868.39	13,951.22	1,347.30	15,472.31
4	रॉक फोस्फेट -आयातित	1,591.14	27,912.68	6,064.40	23,439.42	2,974.27	33,679.72	1,591.14	35,062.85
5	रॉक फॉस्फेट	-	1,761.71	651.03	1,110.68	-	-	-	-
6	फोस्पोरिक एसिड - आयातित	6,468.74	47,656.51	1,364.46	52,760.79	5,449.68	95,187.90	6,468.74	94,168.84
7	फोस्फोरिक एसिड - देशज	16.72	31,170.84	1,106.74	30,080.82	16.72	-	16.72	-
8	अमोनिया - आयातित	5,642.72	7,992.69	157.49	13,477.92	187.03	11,111.25	5,642.72	5,655.56
9	बेनज़ीन -आयातित	0.09	-	0.09	-	0.09	-	0.09	-
10	बेनज़ीन - देशज	47.10	1.40	47.10	1.40	1,753.06	24,970.26	47.10	26,676.22
11	कॉस्टिक सोडा	6.33	11.54	6.70	11.17	47.17	1,409.75	6.33	1,450.61
12	रॉक फोस्फेट - मिश्रण के लिए 18%*	6.86	-	6.86	-	13.28	-	6.86	-
13	सल्फ्यूरिक एसिड - देशज	656.49	6,684.37	858.77	6,482.09	53.47	10,200.61	656.49	9,597.59
14	सल्फ्यूरिक एसिड - आयातित	3.45	-	3.45	-	679.52	1,221.83	3.45	1,897.90
15	ज़िंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट	-	46.83	25.08	21.75	-	-	-	-
	कुल	**15,822.86**	**2,22,613.41**	**16,011.41**	**2,22,424.86**	**14,215.60**	**2,96,456.02**	**15,822.86**	**2,94,842.36**
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत				**2,22,424.86**				**2,94,842.36**

* बिक्री के लिए समायोजन के बाद अंतिम स्टॉक शून्य (पिछले वर्ष 6.42 लाख रुपए) है।

57. दिनांक 26.05.2025 को निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुसार स्टैंडेलोन वित्तीय विवरण जारी करने को प्राधिकृत किया गया।

58. निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन और शेयरधारियों द्वारा उसके अंतिम अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

59. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

60. **तुलन-पत्र तिथि के बाद घटित होनेवाली घटनाएँ**

(i) निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के समादत्त साम्या शेयर पूंजी पर 2.00% (पिछले वर्ष 9.70% समादत्त साम्या शेयर पूंजी पर) यानी 10/- प्रत्येक साम्या शेयर पर 0.20 का अंतिम लाभांश (पिछले वर्ष 0.97 प्रति साम्या शेयर) की सिफारिश की है, जो कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

(ii) कंपनी को रीगैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) के आपूर्तिकर्ताओं से मई 2019 - मई 2020 की अवधि के लिए आरएलएनजी खरीद के संबंध में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए 2,461.45 लाख के अतिरिक्त रीगैसिफिकेशन शुल्क की वापसी के संबंध में सूचना प्राप्त हुआ है। तदनुसार, प्राप्य राशि को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान असाधारण मद के रूप में हिसाब में लिया गया है।(नोट 36.1 देखें)

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.

चार्टेर्ड एकाउटेंट्स

फर्म पंजीकरण नं.004674S

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

ह
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.226547

ह
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

ह
एस सी मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

ह
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

एफ ए सी टी को कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से सबसे बड़े मल्टी कमोडिटी बल्क यूजर 2023-24 के लिए विशेष व्यावसायिक पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (विपणन) ने मध्य प्रदेश के लिए उर्वरकों की पहली रेक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री एस शक्तिमणि, निदेशक (वित्त), डॉ. जयचंद्रन के. निदेशक (तकनीकी) और श्री मणिकुट्टन आर, कार्यपालक निदेशक (पी सी) भी उपस्थित थे।

एफ ए सी टी - उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स टीम को पी एम आई-इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग परियोजना के अंतर्गत आंतरिक पुनर्रचना के माध्यम से अमोनियम सल्फेट उत्पादन के सुधार के लिए प्रतिष्ठित **प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवार्ड 2024** प्राप्त हुआ।

एफ ए सी टी उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स को केरल राज्य उद्योग सचिव, श्रीमती वासुकी, आई ए एस से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा समिति पुरस्कार 2024 के लिए फ़ैक्टरी और बॉयलर पुरस्कार प्राप्त हुआ।

10 वर्षों के वित्तीय परिणाम

		2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
		कंपनी अधिनियम 2013 के इंड ए एस अनुसूची III के अनुसार									कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची III के अनुसार
1	बिक्री	2,42,600	2,93,282	3,15,006	2,71,197	2,23,709	1,88,538	1,34,762	1,33,946	1,27,146	1,15,010
2	सहायिकी	1,61,129	2,11,221	3,04,261	1,70,579	1,01,648	86,485	58,649	57,655	57,270	52,997
3	संविदाओं और सेवाओं से आय	1,362	618	547	705	526	1,969	2,048	1,266	3,912	5,592
4	**प्रचालनों से राजस्व (1+2+3)**	**4,05,091**	**5,05,121**	**6,19,814**	**4,42,481**	**3,25,883**	**2,76,992**	**1,95,459**	**1,92,867**	**1,88,328**	**1,73,599**
5	अन्य आय	21,645	20,312	13,558	11,123	6,759	3,163	2,270	4,162	1,804	2,898
6	**कुल आय**	**4,26,736**	**5,25,433**	**6,33,372**	**4,53,604**	**3,32,642**	**2,80,155**	**1,97,729**	**1,97,030**	**1,90,132**	**1,76,497**
7	उपभुक्त सामग्री	2,25,959	2,99,345	4,17,898	2,77,086	1,39,048	1,52,367	1,36,903	1,08,024	1,08,741	1,07,980
8	व्यापारित उत्पाद के क्रय	47,753	36,390	504	298	34,091	7,214	240	169	9,868	272
9	स्टॉकः वृद्धि (-)/घटती	13,663	(5,120)	-44,895	656	9,672	860	-7,698	-3,053	-8,120	17,904
10	कर्मचारी हितलाभ खर्च	27,468	28,380	28,819	23,176	22,922	23,302	22,981	24,942	24,397	24,965
11	मरम्मत एवं अनुरक्षण	4,576	5,789	4,397	4,781	3,997	3,443	3,363	3,443	3,494	4,069
12	बिजली एवं ईंधन	35,856	60,549	75,153	42,788	21,315	25,478	11,789	16,459	16,681	11,998
13	अन्य विनिर्माण खर्च	40,332	44,006	62,448	34,117	39,755	36,421	26,917	26,095	28,743	28,737
14	**कुल व्यय**	**3,95,607**	**4,69,339**	**5,44,324**	**3,82,902**	**2,70,800**	**2,49,085**	**1,94,495**	**1,76,079**	**1,83,804**	**1,95,925**
15	**कुल मार्जिन (6-14)**	**31,129**	**56,094**	**89,048**	**70,702**	**61,842**	**31,070**	**3,234**	**20,950**	**6,328**	**-19,428**
16	वित्त लागत	24,554	24,693	24,754	24,441	24,526	28,934	28,053	32,142	30,466	25,214
17	मूल्यह्रास/अपसामान्य हानि	3,662	2,657	3,011	2,719	2,269	1,802	2,302	1,715	2,130	1,812
18	घअसाधारण मदें एवं कर के पूर्व लाभ/हानि	**2,913**	**28,744**	**61,283**	**43,543**	**35,047**	**334**	**-27,121**	**-12,906**	**-26,268**	**-46,454**
19	असाधारण मदें - आय (+)/ व्यय (-)	2,461	(24,559)	-	-8,906	-	97,217	43,390	-	-	1,235
20	**कर के पूर्व लाभ/हानि**	**5,374**	**4,185**	**61,283**	**34,637**	**35,047**	**97,550**	**16,269**	**-12,906**	**-26,268**	**-45,219**
21	कराधान के लिए प्रावधान	1,251	(8,642)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	**निवल लाभ/(हानि)**	**4,123**	**12,828**	**61,283**	**34,637**	**35,047**	**97,550**	**16,269**	**-12,906**	**-26,268**	**-45,219**
23	**आय (+)/व्यय (-) को इंड ए एस 8 के अनुरूप लेखाबद्ध प्रारंभिक शेष का पुनर्विवरण**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47,956**	**-**	**-**	**-**	**-**
24	**पुनर्विवरण के बाद निवल लाभ/हानि**	**4,123**	**12,828**	**61,283**	**34,637**	**35,047**	**1,45,506**	**16,269**	**-12,906**	**-26,268**	**-45,219**
25	अन्य बृहत् आय	3,440	2,054	-111	1,609	-3,503	533	1,800	268	2,794	ञ्ह्
26	प्रस्तावित लाभांश	1,294	6,277	6471	-	-	-	-	-	-	-
	परिसंपत्तियां										
27	निवल ब्लॉक	92,010	79,458	78,218	78,309	73,236	73,710	25,394	29,472	29,681	26,973
28	पूंजीगत चालू निर्माण-कार्य	21,626	22,357	10,459	4,251	5,498	3,896	1,792	1,850	2,435	2,186
29	गैर चालू परिसंपतियां, ऋण एवं अग्रिम	7,369	7,689	17,475	4,189	6,583	4,145	1,175	1,011	808	846
30	आस्थगित कर परिसंपत्ति	7,392	8,642	-	-	-	-	-	-	-	-
31	निवेश	15,807	13,037	11,286	9,788	8,627	7,812	6,906	5,927	4,572	367
32	तैयार माल	46,674	68,484	64,527	20,846	22,346	32,460	34,726	27,002	23,661	14,815
33	चालू निर्माण कार्य	14,718	6,571	5,407	4,193	3,349	2,908	1,502	1,527	1,815	2,542
34	कच्चे माल	23,359	30,376	20,133	30,725	15,897	11,490	19,439	10,474	7,881	10,269
35	भंडार पुर्जे एवं अलग उपस्कर	9,476	8,657	7,512	10,248	9,445	9,055	9,192	8,604	9,322	10,885
36	मार्गस्थ सामग्री	275	282	233	167	526	414	342	268	231	352

10 वर्षों के वित्तीय परिणाम

		2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
		कंपनी अधिनियम 2013 के इंड ए एस अनुसूची III के अनुसार									कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची III के अनुसार
37	फुटकर देनदारियाँ	28,348	15,814	47,888	17,523	10,438	39,016	40,531	36,108	50,607	710
38	नकद एवं बैंक शेष	2,77,737	2,67,932	2,38,784	1,87,646	1,66,687	68,472	7,467	6,365	5,218	5,757
39	ऋण एवं अग्रिम	-	-	-	-	-	-	52	54	3	16,122
40	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	53,348	50,438	41,506	1,06,041	61,767	55,554	82,922	51,661	20,495	71,327
41	**कुल परिसंपत्तियाँ**	**5,98,139**	**5,79,737**	**5,43,428**	**4,73,926**	**3,84,399**	**3,08,932**	**2,31,440**	**1,80,322**	**1,56,729**	**1,63,151**
	देनदारियाँ										
42	शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	64,707	64,707	64,707	64,707	64,707	64,707	64,707	64,707	64,707	64,707
43	प्रतिधारित आय	56,870	58,355	51,694	-7,981	-43,066	-73,796	-2,18,579	-2,35,622	-2,20,218	-1,95,660
44	आरक्षित पूंजी	52	52	53	54	55	57	59	61	63	65
45	ओ सी आइ द्वारा साम्या लिखत	15,441	12,670	10,920	9,422	8,261	7,446	6,540	5,561	4,205	
46	गेर-चालू देनदारियाँ										
47	दीर्घकालीन उधार राशियां	-	-	510	1,020	1,530	90,564	1,79,599	1,77,049	1,77,049	1,62,713
48	अन्य गैर चालू देनदारियां & दीर्घकालीन प्रावधान	18,489	20,384	23,149	24,773	22,495	19,962	18,082	17,066	12,802	13,155
49	अल्पकालीन उधार राशियां	1,77,049	1,77,559	1,80,399	1,79,502	1,77,559	91,504	47,793	50,737	63,182	18,345
50	उधार पर अर्जित ब्याज	1,91,213	1,67,311	1,43,409	1,19,508	95,606	71,704	47,803	23,902	-	111
51	अन्य चालू देनदारियाँ	71,866	76,245	65,169	77,972	51,584	34,614	83,656	75,047	53,446	95,661
52	प्रावधान	2,453	2,454	3,418	4,949	5,668	2,170	1,780	1,815	1,493	4,054
53	**कुल देनदारियाँ**	**5,98,139**	**5,79,737**	**5,43,428**	**4,73,926**	**3,84,399**	**3,08,932**	**2,31,440**	**1,80,322**	**1,56,729**	**1,63,151**
54	**निवल मूल्य (42+43)**	**1,21,577**	**1,23,062**	**1,16,401**	**56,726**	**21,641**	**-9,089**	**-1,53,872**	**-1,70,915**	**-1,55,511**	**-1,30,953**
55	**नियोजित पूँजी (42+43+44+45+47+49+50)**	**5,05,331**	**4,80,654**	**4,51,692**	**3,66,232**	**3,04,652**	**2,52,186**	**1,27,922**	**86,394**	**88,988**	**50,281**
56	**कुल चालू परिसंपत्तियाँ**	**4,53,935**	**4,48,554**	**4,25,990**	**3,77,389**	**2,90,455**	**2,19,369**	**1,96,173**	**1,42,062**	**1,19,233**	**1,32,779**
57	**कुल चालू देनदारियाँ & प्रावधान**	**4,42,580**	**4,23,569**	**3,92,395**	**3,81,931**	**3,30,417**	**1,99,992**	**1,81,032**	**1,51,502**	**1,18,121**	**1,18,171**
58	**निवल कार्यशील पूंजी (56-57)**	**11,355**	**24,985**	**33,595**	**-4,542**	**-39,962**	**19,377**	**15,141**	**-9,440**	**1,112**	**14,608**
	संस्थापित क्षमता (मी ट)										
	अमोनियम सल्फेट	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000
	फेक्टमफोस 20:20	6,33,500	6,33,500	6,33,500	6,33,500	6,33,500	6,33,500	6,33,500	6,33,500	6,33,500	6,33,500
	केप्रोलेक्टम	**50,000**	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	एन सामग्री	**1,73,050**	1,73,050	1,73,050	1,73,050	1,73,050	1,73,050	1,73,050	1,73,050	1,73,050	1,73,050
	पी2ओ5 सामग्री	**1,31,900**	1,31,900	1,31,900	1,31,900	1,31,900	1,31,900	1,31,900	1,31,900	1,31,900	1,31,900
	उत्पादन (मी ट)										
	अमोनियम सल्फेट	2,50,578	2,42,577	2,44,732	1,36,665	2,45,676	2,20,951	1,41,754	1,80,178	1,52,953	79,567
	फेक्टमफोस 20:20	6,44,768	8,27,717	8,28,195	8,26,552	8,61,455	8,44,738	6,34,362	6,61,973	6,54,361	5,15,435
	केप्रोलेक्टम	0	34,662	44,754	20,835	-	-	-	-	770	-
	एन सामग्री	**1,80,573**	2,15,514	2,16,054	1,93,463	2,22,900	2,14,464	1,56,074	1,69,511	1,62,381	1,19,478
	पी2ओ5 सामग्री	**1,28,954**	1,65,543	1,65,639	1,65,310	1,72,291	1,68,948	1,26,872	1,32,395	1,30,872	1,03,087
	क्षमता उपयोग (%)										
	एन सामग्री	**104.35**	124.54	124.85	111.80	128.81	123.93	90.19	97.95	93.83	69.04
	पी2ओ5 सामग्री	**97.77**	125.51	125.58	125.33	130.62	128.09	96.19	100.38	99.22	78.16

जी. वेणुगोपाल कामत & कं.
चार्टेड एकाउंटेंट्स

273, 3वीं मंजिल, डी डी वस्त्र महल, मार्केट रोड, पी बी नं.1110, कोच्ची 682011
फोन / फैक्स 0484-2355482, 2366483, 2370482, 4027381, ईमेल : gvkandco@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के सदस्यों को

लेखापरीक्षित समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने दिनांक 31 मार्च, 2025 के अनुसार दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् दि कंपनी के रूप में संदर्भित) और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता (दि कंपनी और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता "दि ग्रूप" के रूप में संदर्भित)जिसका समेकित तुलन-पत्र समाविष्ट है, समेकित लाभ और हानि लेखा (अन्य बृहत् आय समेत), नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और उस समय समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ (इसमें इसके पश्चात् समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) आदि संलग्न समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") द्वारा यथापेक्षित प्रकार आवश्यक जानकारी प्रदान करता है और वह अधिनियम की धारा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानकों को कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2013, यथासंशोधित (''इंड ए एस'') और अन्य लेखाकरण सिद्धांतों को, जो भारत में प्रायः स्वीकृत है, कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति 31 मार्च, 2025 के अनुसार एक वास्तविक एवं स्वच्छ अभिप्राय प्रकट करता है जिसमें समूह के समेकित कार्यों की समेकित लाभ, समेकित कुल बृहत् आय, समेकित नकदी प्रवाह और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए साम्या में समेकित परिवर्तन की जानकारी दर्शाता है।

राय के लिए आधार

हम ने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुसार (एस ए एस) समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारा दायित्व, लेखा परीक्षकों के दायित्व में आगे वर्णित हैं, जो हमारी रिपोर्ट के समेकित इंड ए एल वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षकों के दायित्व में मिलता है। हम समूह से इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आई सी ए आइ") द्वारा जारी सदाचार संहिता और सदाचार अपेक्षाओं के साथ जो अधिनियम और उसके अंतर्गत प्रावधानों के अधीन समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए इन अपेक्षाओं और आई सी ए आई के सदाचार संहिता के अनुसार हम स्वतंत्र है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक बुनियाद प्रदान है और वह पर्याप्त और समुचित है।

<u>मामलों पर जोर</u>

1. हम आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा 2,461.45 लाख रुपए की सहायिकी/ अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की वसूली के संबंध में समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों के नोट सं.36 और 36.1 की ओर आकर्षित करते हैं।

2. हम फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति और इसके निदेशक मंडल अधिक्रमण के संबंध में समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण के नोट 3ए.1 की ओर ध्यान आर्कषित करते हैं।

इस विषय के संबध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों को समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण को समग्र लेखा परीक्षा के सिलसिले में बताया है और हमारी राय के कारणों को भी दिया है और इन मामलों पर हम अलग से कोई मत नहीं दे रहे हैं। हमने नीचे वर्णित बातों को भी अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मद के रूप में सूचित करने का फैसला किया है:

क्रम सं.	मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	**डी बी टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार से सहायिकी आय का लेखाकरण :** भारत सरकार के सीधे हितलाभ अंतरण (डी बी टी) के अंतर्गत, कंपनी तभी सहायिकी प्राप्त करने के लिए हकदार होगी जब डीलर द्वारा उर्वरक की बिक्री अंततः हितैषी को बिक्री पोइंट (पी ओ एस) उपाय द्वारा होने पर ही है। तथापि, कंपनी पूर्ववर्ती योजना के ही अनुसार डीलरों को बिक्री के समय आय के रूप में सहायिकी का आकलन जारी रखती है, जो उस युक्तिसंगत आश्वासन पर विचार करते हुए कि बिक्री होगी और सहायिकी उद्योग की प्रक्रिया एवं पूर्व अनुभव के आधार पर प्राप्त होगी। समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 27 देखें।	हमारी प्रमुख लेखा परीक्षा क्रियाविधि में निम्नलिखित सम्मिलित है: ● दिनांक 17 मार्च, 2017 की अधिसूचना एफ नं. डी(एफ ए)/2016/डी बी टी द्वारा डी ओ एफ द्वारा अधिसूचित गठित योजना का विश्लेषण किया। ● डीलरों के साथ समझौते की समीक्षा की। ● सहायिकी आय की गणना की समीक्षा की गई और प्राप्य सहायिकी की वसूली की तर्कसंगतता का आकलन किया गया। ● डीलरों के पास पडे स्टॉक की आयु को ध्यान में रखते हुए जिसकी बिक्री एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली मे रिपोर्ट नहीं की है और होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। ● सरकारी अनुदानों के लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण पर भारतीय लेखा मानक 20 के अनुपालन की पुष्टि की गई। ● सत्यापित किया गया कि होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धति उपयुक्त है।(नोट 27.1 देखें)

क्रम सं.	मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
2	**संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर:** संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की उपयोगी जीवनावधि और अवशिष्ट मूल्य का प्राक्कलन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके लिए लेखाकरण नीतियों के प्राक्कलन और अनुप्रयोग में प्रबंधकमंडल के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों में मान्य रकमों पर पङता है।	● हमने परीक्षा की कि कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के मात्रागत ब्यौरों और अवस्थिति का संपूर्ण विवरण दिखाते हुए समुचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण किया है। ● परिसंपत्तियों के ह्रास का अध्ययन करनेवाली समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की है। ● प्रतिवेदनकाल के दौरान किए गए पूंजीकरण की समीक्षा की है। ● बिक्री के लिए पुनःसमूहित परिसंपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की है। ● प्रबंधकमंडल द्वारा किए गए संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्ट और होल्डिंग कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा डिपो/आंचलिक कार्यालयों में आयोजित प्रत्यक्ष सत्यापन संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। ● अनुमानित उपयोगी जीवन, परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की गई तथा मूल्यह्रास कार्यविधि का सत्यापन किया गया। ● दस्तावेजों के और लेखा बहियों के अनुसार भूमि के मेलमिलाप में कमियों और भूमि के सत्यापन की पूर्णता और शुद्धता का परिणामी प्रभाव इस रिपोर्ट के अन्य विवरणों के पैरा 3 में दिया है।

समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापीक्षकों की रिपार्ट के अलावा सूचना

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में होल्डिंग कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित सूचनाएँ होती है, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, व्यवसाय जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों और हमारी उस पर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट उसमें सम्मिलित नहीं है।

समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचनाओं को नहीं लेते और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष प्रकट नहीं करते।

समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के सिलसिले में हमारा दायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है और ऐसा करते हुए ऐसी अन्य सूचनाएँ क्या महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तनशील है, समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त जानकारी अथवा अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन लगता है।

उक्त अन्य सूचना इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करना प्रतीक्षित है। जब हम अन्य सूचना पढते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण असह्य कथन है तो हमें प्रभारित अभिशासन और शेयरधारियों को उस मामले को बताने की आवश्यकता है।

समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधक मंडल का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी के निदेशकमंडल का दायित्व है कि अधिनियम की धारा 134(5) में प्रस्तावित मामले सही हैं जो इन समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए दिए गए हैं, उसे वास्तविक और स्वच्छ वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय, नकद प्रवाह और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की साम्या में परिवर्तन आदि पर, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक (इंड ए एस) के साथ यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 पढने पर देना है। इस दायित्व में यह भी सम्मिलित है कि कंपनी की परिसंपत्तियों की अभिरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकोर्डों का अनुरक्षण करें, जिससे कपट और अन्य अनियमितताओं को रोक सकें, समुचित लेखाकरण नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, समुचित एवं प्रबुद्ध निर्णय और संगणना करना, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, जो प्रभावी रूप से प्रचालन में है, ताकि लेखाकरण रिकोर्डो की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सके जो समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है, ताकि कपट या भूल के कारण सामग्री के अशुद्ध कथन से मुक्त है और वास्तविक एवं स्वच्छ विवरण देता है।

समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन एवं संबंधित निदेशक मंडल उत्तरदायी है कि चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता निर्धारित करना और जैसे लागू हो चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, और चालू समुत्थान आधार पर लेखाकरण का उपयोग करने, जब तक समूह में सम्मिलित प्रबंधन यां संबंधित निदेशक मंडल यह इरादा रखता है कि कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन बंद करना है या और कोई वास्तविक विकल्प नहीं, लेकिन ऐसा ही करना है।

कंपनी के समूह वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना कंपनी के प्रबंधन और संबंधित निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है।

समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा लक्ष्य है कि यदि समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण पूर्णतः सामग्री अशुद्ध कथन से मुक्त है कि नहीं यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है, क्या कपट या त्रुटि के कारण इसमें कुछ गलती है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन वह यह गैरेंटी नहीं कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा अगर विद्यमान है तो सामग्री अशुद्ध कथन को हमेशा पहचानेगा। अशुद्ध कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकेगा और उसे तात्विक समझा जाएगा अगर, व्यक्तिगत रूप से या समेकित रूप से, इन समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपरोक्त करनेवालों द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय के रूप में युक्तिसंगत रूप से प्रतीक्षा की जाती है।

एस ए एस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग रूप में हमें पेशेवर अधिनिर्णय का प्रयोग करके लेखापरीक्षा की पूर्ण प्रक्रिया में पेशेवर अविश्वास का अनुरक्षण करते हैं। हम भीः

- समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों के वास्तविक अशुद्ध कथन के जोखिम को पहचाने कर उसका मूल्य निर्धारण भी करते हैं चाहे यह कपट या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों का रूपांकन और निष्पादन और क्रियाविधि के लिए लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करता है। कपट से उत्पन्न एक वास्तविक अशुद्ध कथन को न पहचानना त्रुटि से उत्पन्न बात से उच्चतर है, क्योंकि कपट में अभिसंधि, कूटरचना, जानबूझकर चूक, दुर्व्यवदेशन या आंतरिक नियंत्रण में अभिभावी होना आदि शामिल होगा।

- लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा क्रियाविधि को रूपांकित करना हे जो इस परिस्थिति में समुचित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(त) के अंतर्गत, हम भी अपनी राय प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या इस जगह पर की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसी प्रणालियों की प्रचालन-प्रभाविता उचित है कि नहीं।
- उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के विनियोजन करते हैं और लेखाकरण प्राक्कलनों की युक्तियुक्तता और प्रबंधकमंडल द्वारा तत्संबंधी प्रकटनों का अध्ययन करते हैं।
- चालू समुत्थान आधार पर प्रबंधक मंडल के उपयोग के विनियोजन पर निष्कर्ष और प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण के आधार पर क्या घटनाओं और अवस्थाओं से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करेगा तो हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमें इस ओर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा होती है कि समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाणों के आधार पर होगा। तथापि आगे की घटनाएँ या हालत कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने न देने की ओर ले जाएगा।
- हम समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण की समग्र पेशकश, संरचना और निहित विवरण प्रकटन समेत का मूल्यांकन करते हैं क्योंकि समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण निहित लेनदेन और घटनाओं को स्वच्छ पेशकश के रूप में प्रदर्शित करता है।
- समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी है, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य संस्थाओं के लिए जीनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है।

भौतिकता समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से अथवा संकलित गलत कथनों का परिमाण है जो उसे अधिसंभाव्य बनाता है कि समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों के एक उचित ज्ञाता उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सके। मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक तत्व (i) हमारी लेखापरीक्षा काम के विषय क्षेत्र की योजना और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में और (ii) समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों में पहचाने किन्हीं गलत कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन पर हम ध्यान देते हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के बीच लेखापरीक्षा के नियोजित परिधि और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारी ओर से पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियों समेत, हम अभिशासन से प्रभारित अधिकारियों को संसूचित करेंगे।

हम अभिशासन प्रभारित अधिकारियों को एक प्रस्ताव भी देंगे कि स्वतंत्रता संबंधी संगत अपेक्षाओं का पालन किया है और उनसे यह भी बताएगा कि सभी संबंध और अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता में युक्तिसंगत तौर पर निहित और जहाँ लागू हो उनसे संबंधित संरक्षण भी इसमें मिलेगा।

अभिशासन प्रभारित अधिकारियों को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों का निर्णय लेंगे जो समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की (चालू अवधि की) लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम इन बातों का हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लिखते हैं जब तक मामले के सार्वजनिक प्रकटन नियम या नियमित प्रवारण अनिवार्य है या जब अति अपूर्व परिस्थितियों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस विषय की संसूचना देती है क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणाम ऐसी संसूचना सार्वजनिक हित सुविधाओं के ऊपर जाने की प्रत्याशित है।

अन्य मामले

1. समेकित वित्तीय विवरणों में होल्डिंग कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सम्मिलित है। समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इकाई के संबंध में सम्मिलित राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) का अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह पूर्वोक्त सत्ता से संबंधित है, पूरी तरह से अलेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
2. होल्डिंग कंपनी के पास ग्राहकों और विक्रेताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। हालांकि, केवल कुछ ग्राहकों और विक्रेताओं ने ही पुष्टि के साथ जवाब दिया है।
3. होल्डिंग कंपनी ने समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों के अनुसार भूमि को मूल्य का हक विलेख के अनुसार भूमि के अर्जन की लागत और भूमि के अर्जन के लिए चुकाए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मिलाकर मेलमिलाप नहीं किया है, इसलिए हम इन हक विलेखों के संबंध में प्रकट की गई रकम की पूर्णता और शुद्धता का सत्यापन नहीं कर सके। तथापि, होल्डिंग कंपनी के प्रबंधक मंडल पुष्ट करता है कि उक्त मेलमिलाप का अभाव दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

इस विषय के संबध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के संबंधित सी ए आर ओ रिपोर्ट हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक इसके लेखा परीक्षक द्वारा जारी नहीं की गई है। इसलिए हम आदेश के खंड 3(xxi) पर टिप्पणी करने की स्थित में नहीं है।
2. होल्डिंग कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है क्योंकि जून 2019 के आगे वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों की अवधि की समाप्ति के कारण उठनेवाली रिक्तियाँ है अतः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटन अपेक्षा) के विनियम, 2015 के साथ संगत अपालित है। इस अननुपालन के लिए कंपनी पर शास्ति आरोपित हुए हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा हम लागू हद तक रिपोर्ट करते हैं कि

    ए) हमने अन्य मामलों के पैरा 2 में उल्लिखित बाकी रकम की पुष्टि और चौथी तिमाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के भाग को छोडकर, हमारी ओर से मांगी गई सभी जानकारी और स्पष्टीकरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्राप्त हुआ है जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।

    बी) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियाँ, जो समेकित इंड ए एसवित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में, रखी थीं और इन बहियों के विवरणियों और लोखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी परीक्षा के अनुसार हमें ऐसा लगता है।

    सी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण जिसमें अन्य बृहत् आय सम्मिलित है, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट में बताया साम्या में परिवर्तन का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन के लिए अनुरक्षित लेखा बहियों और हमारी ओर से न लेखापरीक्षित होल्डिंग कंपनी के पाँच क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों से अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा व्याप्त परिसीमन के अध्यधीन के साथ है।

    डी) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक नियमावली, 2015 को साथ पढने पर, अनुपालन करता है।

ई) दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना नं जी एस आर 463(ई) में दी गई छूट की दृष्टि से, जिसे दि. जून 13, 2017 को अधिसूचना नं. जी एस आर 582 (ई) के अनुसार यथा संशोधित कंपनी कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के संबंधित निदेशकों की अयोग्यताएँ, कंपनी पर लागू नहीं है।

एफ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर होल्डिंग कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविता के संदर्भ में **"अनुबंध क"** में हमारी रिपोर्ट देखें।

जी) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए मामलों के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान. दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. 463 (इ) के अनुसार लागू नहीं होंगे, जिसे सरकारी कंपनी होने के कारण होल्डिंग कंपनी को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जून 2017 को जारी अधिसूचना सं.582 (इ) के अनुसार यथासंशोधित किया गया था।

एच) कंपनी की (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण समूह के वित्तीय स्थिति पर निलंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट करता है। (समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण के नोट नं. 50 देखें)

(ii) समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण में लागू विधि अथवा लेखाकरण मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान सामग्री न निरीक्षित हानि के लिए किया गया है, अगर है तो, 31 मार्च 2025 को व्युत्पन्न निविदाओं समेत दीर्घावधि निविदाओं यह प्रावधान है।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई रकम अंतरित करने की अपेक्षा नहीं थी।

(iv) क) होल्डिंग कंपनी के प्रबंधक मंडल ने अभ्यावेदन किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखाओं के समेकित नोट में यथा प्रकटित कोई निधि अग्रिम अथवा उधार अथवा ग्रूप द्वारा निवेशित नहीं (उधार ली गई निधियों से अथवा शेयर प्रीमियम से अथवा किसी अन्य स्रोतों से अथवा निधियों से) किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों को अथवा सत्ता/सत्ताओं को विदेशी सत्ताओं समेत ("मध्यवर्तियाँ"), इस समझदारी को साथ, लिखित रूप से रिकार्ड करके अथवा अन्यथा, कि मध्यवर्ती प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उधार अथवा निवेश किन्हीं अन्य व्यक्तियों अथवा किसी भी अन्य प्रकार से कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से ("अंतिम हितकारी") अथवा कोई गैरंटी, संरक्षा प्रदान करके अथवा अंतिम हितकारियों की ओर से ऐसा;

होल्डिंग कंपनी के प्रबंधक मंडल ने अभ्यावेदन किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा कुल महत्वपूर्ण है) ग्रूप द्वारा प्राप्त हुई है, किसी व्यक्ति अथवा सत्ता से, विदेशी सत्ता समेत ("निधियन पक्षकार") इस समझदारी के साथ लिखित रूप से अथवा अन्यथा रिकार्ड करके कि ग्रूप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उधार में अथवा निवेश के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति से निधियन पक्षकार द्वारा अथवा उसकी ओर से ("अंतिम हितकारियों") को कोई गैरंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा अंतिम हितकारियों की ओर से।

ग) लेखापरीक्षा क्रियाविधियों के आधार पर, जिसे इस परिस्थितियों में उचित और समुचित माना गया है, कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है, जिसमें हमें यह विश्वास करना पडा कि नियम 11(ड.) के उपखंड (i) और (ii) के अधीन और उपर्युक्त (क) और (ख) के अधीन यथा प्रस्तावित कोई महत्वपूर्ण गलत कथन नहीं हुआ है।

(v) जैसा कि समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण के नोट सं 16 में व्यक्त किया गया है:

क)पिछले वर्ष में प्रस्तावित वित्तीय लाभांश की घोषणा और भुगतान वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

ख) होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जिसे आनेवाली वार्षिक आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की रकम अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

(vi) हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच सम्मिलित थी, होल्डिंग कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता रहा है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेडछाड किए जाने का कोई मामला नहीं मिला और लेखापरीक्षा ट्रेल को रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा संरक्षित किया गया है।। संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता के मामले में, हम ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें)सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा के बारे में रिपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि समेकन अलेखापरीक्षित वित्तीय पर आधारित है।

कृते जी वेणुगोपाल कामत & कं.

चार्टेड एकाउंटेंट्स

एफ आर एन 004674S

ह/-

सी ए रविनाथ आर पाई

भागीदार

सदस्यता सं. 226547

यू डी आई एन : 25226547BMGPIA5740

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 26, मई 2025

दिनांक मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के सदस्यों के समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध क

(हमारी समसंख्यक तिथि की अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षा अनुभाग पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 3 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् "दि होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित है) के समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ-साथ, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और वर्ष के अनुसार हमने होल्डिंग कंपनी के और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों की उनकी संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता और एक सह कंपनी (इसमें इसके पश्चात्   दि ग्रूप   के रूप में संदर्भित है) जो उसी तारीख को भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधक मंडल का दायित्व

समूह में सम्मिलित कंपनियों के संबद्ध, वे कंपनियाँ जो भारत में निगमित हैं, निदेशक मंडल का दायित्व है कि संबद्ध कंपनियों द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है, जो भारतीय चार्टेर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा ("आई सी ए आई") जारी आंतरिक ("मार्गदर्शी नोट") में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर ध्यान देते हुए गठित है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी के कारोबार को सुव्यवस्थित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अभिकलिप, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण नियंत्रण प्रभावी रूप से चालू करने से लेकर कंपनी की संबद्ध नीतियों का अनुपालन, परिसंपत्तियों की अभिरक्षा, कपट और गलतियों को रोकना/ पहचानना, लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की सामयिक तैयारी आदि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथापेक्षित घटक ("दि एक्ट") सम्मिलित है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय प्रकट करना है। हमने आई सी ए आई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी और लेखा परीक्षा के मापदंड के अनुसार लेखापरीक्षा की, जो अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माना गया है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू हद तक है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और आई सी ए आई द्वारा जारी भी है। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह अपक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए योजना करके लेखा परीक्षा करते हैं ताकि युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है, स्थापित एवं अनुसूचित है और अगर ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक पहलुओं में प्रभावी रूप से प्रचालन में है।

इस लेखापरीक्षा में वित्तिय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करना और उनका प्रचालन प्रभावित जानने की क्रियाविधि प्रक्रम शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी अगर तात्विक कमज़ोरी मौजूद है तो जोखिम का मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर परीक्षण, रूपांकन का मूल्यांकन और आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन-प्रभाविता सम्मिलित है।

इसमें चोरी अथवा चूक के कारण समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर होनेवाले नैतिक अननुकथन के जोखिम का भी मूल्यांकन किया जाता है। चुनी हुई कार्यविधि लेखापरीक्षा के फैसले पर निर्भर है। हमारा   विश्वास है कि समूह के वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा प्रमाण हमें प्राप्त हो गए हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर विश्वास्यता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने और बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए रूपांकित

हैं। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियाँ और कार्यविधि सम्मिलित हैं कि:

1. जो रिकार्डों के अनुरक्षण के संबंध में उचित विवरण में ठीक और शुद्ध रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों की लेन-देन स्वभाव व्यक्त करता है;
2. सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देनेवाले यथावश्यक लेन-देन रिकार्ड करके उचित आश्वासन प्रदान करने और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के निदेशकों और प्रबंधक मंडल के प्राधिकार के अनुसार अंकित किया जाता है; और
3. समेकित इंड ए ए स वित्तीय विवरणों पर प्रभाव डाल सकनेवाले कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा निपटान का रोकथाम अथवा सामयिक पहचान संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करना आदि सम्मिलित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारणों में नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधकीय अधिभाविता अथवा दुरभिसंधि की संभावना, सामग्री अननुकथन जो कपट अथवा गलती के कारण होता है और नहीं पहचाना जाता है। साथ ही, भविष्य की अवधि को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जाए क्योंकि शर्तों में परिवर्तन आ जाए अथवा नीतियों और कार्यविधियों के अनुपालन की मात्रा घट जाए।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, दि ग्रूप जिसमें भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, उन्हें सभी तात्विक प्रकार से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों में यथा संदर्भित है और ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग पर दि. 31 मार्च, 2025 के अनुसार प्रभावी ढंग से प्रचालन में था ऐसा इन समेकित इंड ए एस वित्तीय विवरणों में संदर्भित है, जो दि ग्रूप द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर था जिसे आई सी ए आई द्वारा जारीवित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर "मार्गदर्शी टिप्पणी" में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण पर अनिवार्य घटकों का ध्यान में रखकर किया था।

संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता और कंपनी की एक सह कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा की गई हैं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता पर हमारी रिपोर्ट जहाँ तक इन सत्ताओं से संबंधित है, केवल दूसरे लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जहाँ तक यह एक संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता से संबंधित है जो भारत के निगमित एक कंपनी है और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित है, इस रिपोर्ट की तिथि तक लेखापरीक्षित नहीं किया गया है।

कृते जी वेणुगोपाल कामत & कं.
चार्टेड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 004674S
ह
सी ए रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं. 226547
यू डी आई एन : 25226547BMGPIA5740

स्थान : कोच्ची
दिनांक : 26, मई 2025

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन),
आठवां एवं नवों तल, सी ए जी संकाय भवन, 10 बहादुर शाह जफर, मार्ग, नई दिल्ली -110 002
गोपनीय

दिनांक 09.09.2025

सं/1300-पी.डी.ए.सी ई/(एएफःडब्ल्यू.आर/AMG-I/A/cs/FACT Cons./2025-26/3264

ोवा में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड,
एलूर, उद्योगमंडल, कोच्ची - 683 501, केरला

विषयः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (बी) के अंतर्गत दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी), उद्योगमंडल के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (समेकित) के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणी भेजी जा रही है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
(ह/-)
(कविता प्रसाद)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

संलग्नः यथोपरी

---

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) को धारा 129(4) के पढने पर उसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की तैयारी करना कंपनी के प्रबंधक मंडल का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) और 129(4) को साथ पढकर उसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक धारा 143 और धारा 129(4) को साथ पढकर उसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर करेगा। दिनांक 26 मई 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया है कि ऐसा ही किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखा-परीक्षा किया है। हमने दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखा-परीक्षा किया, लेकिन उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षा नहीं किया। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा संवैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से संवैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिससे अधिनियम 143(6) (बी) के अंतर्गत मेरी ओर से सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूर्ती करें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से उसी के लिए
(ह/-)
(कविता प्रसाद)
महानिदेशक लेखापरीक्षा केंद्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09.09. 2025

1. एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कोच्चि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुसार एन सी एल टी द्वारा दिनांक 11.01.2024 के आदेश के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही की प्रक्रिया में है और निदेशक मंडल को हटा दिया गया है।

31 मार्च 2025 को समेकित तुलन-पत्र

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	नोट नं.	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**परिसंपत्तियाँ**			
(1)	**गैर चालू परिसंपत्तियाँ**			
(ए)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2	91,988.35	79,424.61
(बी)	पूँजीगत निर्माण कार्य	2क	21,626.40	22,357.00
(सी)	निवेश संपत्ति	2ख	5.77	5.77
(डी)	उपयोग में आनेवाली परिसंपत्तियाँ	2ग	3,086.22	3,255.25
(इ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2घ	16.04	27.43
(एफ)	संयुक्त उद्यमों में निवेश	3क		
(जी)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(I) निवेश			
	- अन्य निवेश	3ख	15,807.29	13,036.93
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4	1,650.97	1,187.05
(एच)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ(निवल)	5	7,391.55	8,642.41
(आई)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6	2,631.51	3,246.46
			1,44,204.10	1,31,182.91
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**			
(ए)	मालसूचियाँ	7	94,502.33	1,14,369.95
(बी)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(I) व्यापार प्राप्य	8	28,347.61	15,813.73
	(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	9	21,833.67	43,566.83
	(iii) अन्य बैंक शेष	10	2,55,902.95	2,24,365.46
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	25,254.28	24,287.85
(सी)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	12	128.68	160.54
(डी)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	23,900.29	21,924.48
			4,49,869.81	4,44,488.84
(3)	**निपटान के लिए धारण किए गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**	14	4,065.02	4,065.02
	कुल परिसंपत्तियाँ		**5,98,138.93**	**5,79,736.77**
II	**साम्या एवं देनदारियाँ**			
(क)	**साम्या**			
(ए)	साम्या शेयर पूँजी	15	64,707.20	64,707.20
(बी)	अन्य साम्या	16	72,362.48	71,077.30
			1,37,069.68	1,35,784.50

31 मार्च 2025 को समेकित तुलन-पत्र

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	नोट नं.	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(ख)	**देनदारियाँ**			
(1)	**गैर-चालू देनदारियाँ**			
(ए)	वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) पट्टे की देनदारियाँ	17	3,117.06	3,162.60
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	18	27.88	29.36
(iii)	प्रावधान	19	14,501.45	16,217.03
(iv)	अन्य गैर चालू देनदारियाँ	20	843.04	974.80
			18,489.43	20,383.79
(2)	**चालू देनदारियाँ**			
(ए)	वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) उधार	21	1,77,048.75	1,77,558.75
	(ii) पट्टे की देनदारियाँ	22	297.51	301.03
	(iii) व्यापार देय	23		
	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि		438.76	1,025.21
	- दूसरों की वजह से देय		46,268.03	47,359.79
	(iv) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	24	2,10,008.43	1,88,029.49
(बी)	अन्य चालू देनदारियाँ	25	6,065.13	6,840.59
(सी)	प्रावधान	26	2,453.21	2,453.62
			4,42,579.82	4,23,568.48
	कुल साम्या एवं देनदारियाँ		**5,98,138.93**	**5,79,736.77**
	उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का विवरण	1		
	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पणियों का रूपीकरण।	2-60		

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टेर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S
(ह)
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(ह)
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

(ह)
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

(ह)
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित वित्तीय विवरण

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	नोट नं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालनों से राजस्व	27	4,05,090.99	5,05,121.33
II	अन्य आय	28	21,644.62	20,311.62
III	**कुल आय (I+II)**		**4,26,735.61**	**5,25,432.95**
IV	**व्यय**			
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत	29	2,25,959.10	2,99,344.71
	व्यापार के स्टॉक की खरीद	30	47,752.78	36,389.76
	तैयार माल, व्यापार के स्टॉक एवं निर्माण कार्य की मालसूची में परिवर्तन	31	13,662.61	(5,120.22)
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	32	27,467.62	28,379.90
	वित्त लागत	33	24,554.32	24,692.77
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	34	3,661.81	2,657.29
	अन्य व्यय	35	80,764.76	1,10,344.77
	कुल व्यय (IV)		**4,23,823.00**	**4,96,688.98**
(V)	**असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ /(हानि) (III - IV)**		**2,912.61**	**28,743.97**
(VI)	असाधारण मदें (आय / (व्यय))	36	2,461.45	(24,558.89)
(VII)	**कर पूर्व लाभ / (हानि)** (V+VI)		**5,374.06**	**4,185.08**
(VIII)	कर व्यय			
	चालू कर			
	आस्थगित कर		-	-
(IX)	**वर्ष के लिए कर के बाद लाभ / (हानि) (VII-VIII)**	**5.3**	1,250.86	(8,642.41)
(X)	अन्य बृहत् आय		**4,123.20**	**12,827.49**
	(i) लाभ अथवा हानि में वर्गीकृत न करनेवाली मद			
	(क) अन्य बृहत आय द्वारा साम्या लिखत-अंकित मूल्य में निवल परिवर्तन		2,770.35	1,750.71
	ख) परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन	16	669.17	303.58
	वर्ष के लिए अन्य बृहत् आय (X)		**3,439.52**	**2,054.29**
(XI)	**वर्ष के लिए कुल बृहत् आय (IX+X)**		**7,562.72**	**14,881.78**
(XII)	**प्रत्येक साम्या शेयर अर्जन**			
	प्रत्येक शेयर - मूल / फीका पडा (₹)	37	0.64	1.98
	उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का विवरण	1		
	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पणियों का रूपीकरण।	2-60		

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टेर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S
(ह)
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(ह)
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

(ह)
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

(ह)
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का समेकित वित्तीय विवरण

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ / (हानि)		5,374.06		4,185.08
	समायोजन के लिए:				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास / क्षति हानि	3,661.81		2,657.29	
	असाधारण मदें	(2,461.45)		24,558.89	
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(43.70)		(240.85)	
	ब्याज आय	(20,042.06)		(18,917.01)	
	लाभांश आय	(48.60)		(45.36)	
	ब्याज एवं वित्त प्रभार	24,554.32		24,692.77	
	निवेश संपत्ति से किराए की आय	(124.72)		(124.75)	
	संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	50.53		48.43	
	अशोध्य / संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	3.76		58.54	
	अप्रचलन के लिए प्रावधान	163.11		(739.86)	
	आस्थगित सरकारी अनुदानों का अमूर्तिकरण	(0.94)		(0.93)	
	प्रावधान में परिवर्तन	(1,046.82)		(3,446.99)	
	गैर नकदी मदों के लिए समायोजन	(1.48)	4,663.76	(20.11)	28,480.06
	निर्माण पूँजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ		**10,037.82**		**32,665.14**
	समायोजन के लिए :				
	मालसूचियाँ	19,704.51		(15,817.91)	
	व्यापार प्राप्तियाँ	(12,584.41)		13,773.61	
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(1,979.57)		3,434.76	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	747.53		(10,749.62)	
	व्यापार देय	783.24		10,582.63	
	अन्य देनदारियाँ	(2,743.49)	3,927.81	(5,911.64)	(4,688.17)
	प्रचालनों से उत्पन्न / (प्रयुक्त) नकदी		**13,965.63**		**27,976.97**
	प्रदत्त सीधे कर (प्राप्य धनवापसी)		31.86		22.31
	प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न / (प्रयुक्त)निवल नकद		**13,997.49**		**27,999.28**
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्करण/ सी डब्ल्यू आई पी/ अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण		(15,334.10)		(15,635.80)
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्करण की बिक्री से आय	63.28		256.53	
	निवेश संपत्ति किराए की आय	55.00		50.00	
	(निवेश में) / बैंक जमा की वापसी	(31,847.30)		21,328.15	
	प्राप्त ब्याज	18,173.99		16,950.36	
	प्राप्त लाभांश	48.60		45.36	
	पूँजी अग्रिम की वसूली / (भुगतान)	614.95	(28,225.58)	(1,728.37)	21,266.23
	निवेश क्रियाकलापों से उत्पन्न / (प्रयुक्त)निवल नकद		**(28,225.58)**		**21,266.23**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का समेकित वित्तीय विवरण

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
ग	**वित्तीय पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	निवल कार्यवाहियाँ/ कार्यशील पूँजी सुविधाओं और अल्पकालीन ऋणों की वापसी	(510.00)		(3,349.82)	
	प्रदत्त लाभांश (अदावाकृत निवल)	(6,267.80)		(6,460.71)	
	पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान	(316.96)		(313.06)	
	प्रदत्त ब्याज	(410.31)	(7,505.07)	(544.24)	(10,667.83)
	वित्तीय पोषण क्रियाकलापों से उत्पन्न (प्रयुक्त)निवल नकद		**(7,505.07)**		**(10,667.83)**
	नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क + ख + ग)		**(21,733.16)**		**38,597.68**
	1 अप्रैल को नकद एवं नकद समतुल्य (प्रारंभिक शेष)		**(43,566.83)**		**4,969.15**
	31 मार्च को नकद एवं नकद समतुल्य (अंत शेष)		**(21,833.67)**		**43,566.83**
	अंतिम नकदी एवं नकद समतुल्य				
	द्वारा प्रतिनिधित्व :				
	हस्तगत नकद		1.67		2.27
	बैंक शेष		1,507.17		2,305.85
	बैंकों के साथ जमा (3 महीने परिपक्वता से कम)		20,300.58		41,223.02
	उपरोक्त पर अर्जित ब्याज		24.25		35.69
	कुल		**21,833.67**		**43,566.83**

31 मार्च 2025 और 2024 को समाप्त वर्षों के दौरान सी एस आर गतिविधियों पर किए गए कर्च की राशि के लिए नोट नं. 35.5 देखें।

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टेर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(ह)
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

(ह)
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

(ह)
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

(ह)
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

साम्या में परिवर्तन का समेकित वित्तीय विवरण

क. साम्या शेयर पूँजी

(1) 2024-25

₹ लाखों में

विवरण	1 अप्रैल 2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2024 को पुनर्निर्धारित राशि	2024-25 के दौरान शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2025 शेष
प्रत्येक 10 रुपए के साम्या शेयर	64707.20	कुछ नहीं।	64707.20	कुछ नहीं।	64707.20

(2) 2023-24

विवरण	1 अप्रैल 2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2023 को पुनर्निर्धारित राशि	2023-24 के दौरान शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2024 शेष
प्रत्येक 10 रुपए के साम्या शेयर	64707.20	कुछ नहीं।	64707.20	कुछ नहीं।	64707.20

(ख) अन्य साम्या

(1) 2024-25

₹ लाखों में

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष				अन्य बृहत् आय द्वारा साम्या इंसट्रूमेंट	कुल
	पूँजी आरक्षण	अन्य आरक्षण **	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	प्रतिबंधित अर्जन		
1 अप्रैल 2024 को अतिशेष	2.64	49.85	(3,214.96)	61,569.39	12,670.38	**71,077.30**
लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन अथवा पहली की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
चालू रिपोर्टिंग अवधि के के प्रारंभ में पुनः प्रस्तावित बाकी	2.64	49.85	(3,214.96)	61,569.39	12,670.38	**71,077.30**
चालू वर्ष के लिए कुल बृहत् आय	-	(0.94)	669.17	4,123.20	2,770.35	**7,561.78**
लाभांश	-	-	-	(6,276.60)	-	**(6,276.60)**
प्रतिबंधित अर्जन को अंतरण	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को बाकी	**2.64**	**48.91**	**(2,545.79)**	**59,415.99**	**15,440.73**	**72,362.48**

**ई ई सी उर्वरक शिक्षा परियोजना के लिए प्राप्त निधि।

(2) 2023-24

₹ लाखों में

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष				अन्य बृहत् आय द्वारा साम्या इंसट्रुमेंट	कुल
	पूँजी आरक्षण	अन्य आरक्षण **	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	प्रतिबंधित अर्जन		
1 अप्रैल 2023 को अतिशेष	2.64	50.78	(3,518.54)	55,212.62	10,919.67	**62,667.17**
लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन अथवा पहली की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
चालू रिपोर्टिंग अवधि के के प्रारंभ में पुनः प्रस्तावित बाकी	2.64	50.78	(3,518.54)	55,212.62	10,919.67	**62,667.17**
चालू वर्ष के लिए कुल बृहत् आय	-	(0.93)	303.58	12,827.49	1,750.71	**14,880.85**
लाभांश	-	-	-	(6,407.72)	-	**(6,407.72)**
प्रतिबंधित अर्जन को अंतरण	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को बाकी	**2.64**	**49.85**	**(3,214.96)**	**61,569.39**	**12,670.38**	**71,077.30**

**ई ई सी उर्वरक शिक्षा परियोजना के लिए प्राप्त निधि।

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S
(ह)
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(ह)
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

(ह)
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

(ह)
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

टिप्पणी 1

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण के भाग के रूप में उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का विवरण

1.1 निगम सूचना

कंपनी भारत में अधिवसित एक सार्वजनिक सीमित कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एलूर, उद्योगमंडल, एरणाकुलम 683 501, केरला में स्थित है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध है।

कंपनी लगी हुई है,

(I) उर्वरकों और पेट्रोरसायनों का विनिर्माण एवं विपणन,

(ii) अभियांत्रिकी परामर्श कार्य एवं अभिकल्प और

(iii) औद्योगिक उपस्करों का विनिर्माण एवं परिनिर्माण

1.2. वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आधार

कंपनी और उसकी संयुक्त नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 (दि एक्ट) की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली (यथासंशोधित) और अन्य संगत अधिनियम के प्रावधनों के अनुसार तैयार किया गया है जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2016 और अधिनियम के संशोधित और अन्य प्रासंगिक प्रावधान द्वारा संशोधित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी ऐतिहासिक लागत और प्रोद्‌भवन आधार पर की गई है, निम्नलिखित नहीं लिए गए है: -

- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताएँ।
- बीमांकित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके कुछ मान्य प्रावधान।
- बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियाँ, जिनकी ले जाने वाली रकम कम करके मापी गई है और उचित मूल्य से कम लागत पर बिकने के लिए।
- परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ

समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित समस्त राशि, जिसमें संलग्न नोट भी शामिल हैं, भारतीय रुपए में (₹) प्रस्तुत की गई है तथा सभी मूल्यों को निकटतम ₹ लाख रुपए तक पूर्णांकित किया गया है, नहीं है तो वहाँ सूचित है।

समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड) और संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता एफ ए सी टी-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड(एफ़ आर बी एल) से संबंधित है।

लेखाकरण नीतियाँ कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं द्वारा लगातार अनुप्रयुक्त किया गया है और संक्रमण तिथि के अनुसार प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियों के अनुरूप है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन में प्रयुक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं के वित्तीय विवरण कंपनी की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं।

1.2.1 अनुमान और निर्णय का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी इंड ए एस के अनुरूप करना प्रबंधक मंडल को प्राक्कलन, निर्णय और धारण के लिए अपेक्षित है। ये प्राक्कलन और निर्णय लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करते हैं और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई रकम आकस्मिक परिसंपत्तियों और आकस्मिक देनदारियों, वित्तीय विवरणों के दिनांक को और उस अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई रकम पर भी प्रभाव डालता है। लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग जिन्हें नाजुक लेखाकरण प्राक्कलन और निर्णय अंतर्ग्रस्त है नोट 1.3 में प्रकट किए गए हैं। लेखाकरण प्राक्कलन प्रत्येक अवधि पर परिवर्तित हो सकते हैं। इन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम में भी परिवर्तन आ सकता है। प्राक्कलन संबंधी परिस्थितियों में परिवर्तन के बारे में प्रबंधक मंडल विदित होने पर प्राक्कलन में समुचित परिवर्तन किया जाता है। प्राक्कलन

में परिवर्तन उस अवधि में वित्तीय विवरणों में प्रतिफलित होता है जिस अवधि में परिवर्तन किया जाता है और अगर सारवान है तो उसका प्रभाव वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

1.2.2 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

किसी भी परिसंपत्ति अथवा देनदारी को चालू के रूप में वर्गीकृत है अगर वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है।:

I. परिसंपत्ति/ देनदारी कंपनी के मामूली प्रचालन चक्र में प्राप्त करने/निपटाने की प्रत्याशा की जाती है,

ii. परिसंपत्ति बिक्री अथवा उपभोग के लिए रखी गई है;

iii. परिसंपत्ति / देनदारी के प्रथमतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखे है;

iv. परिसंपत्ति/देनदारी को रिपोर्ट की अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्ति / निपटान प्रत्याशित है;

v. परिसंपत्ति नकद अथवा नकद समतुल्य है जब तक उसे विनिमय से रोका गया है अथवा रिपोर्ट की अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारी निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।;

vi. किसी देनदारी के मामले में, कंपनी को रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारी का निपटान आस्थगित करने का अशर्त अधिकार नहीं है।

सभी अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने अपनी सामान्य प्रचालन चक्र को बारह महीनों के तौर पर अभिनिश्चित किया है। यह सेवा की प्रकृति और परिसंपत्तियों या मालसूची के ग्रहण और प्रक्रिया के लिए और उसकी नकद और नकद समतुल्य वसूली समय पर आधारित है।

1.2.3 समेकन के सिद्धांतः

संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं के वित्तीय विवरणों को साम्या पद्धति के अनुसार मिलाकर इंड ए एस 28 के अनुसार सह कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश में पेश है।

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी समान लेखाकरण नीतियों जैसे लेन-देन और अन्य घटनाओं को मिलती-जुलती परिस्थितियों में, जहाँ तक संभव हो, कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों के ही प्रकार करके प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त उद्यम एवं सह सत्ताओं की समेकित लेखांकन नीतियों में अंतर की समीक्षा की गई है और कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि इन मतभेदों का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित सत्ताओं पर विचार किया जाता है :

कंपनी का नाम	समाविष्टि का देश	31.03.2025 के अनुसार स्वामित्व का अनुपात	एन्टिटी का संयुक्त उद्यम बनने की तिथि
फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड.	भारत	50.00%	02 मई 2008

1.3. उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

I) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

ए) सभी संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों को अर्जन लागत से संचित मूल्यह्रास / क्रमिक अपाकरण और संचित ह्रासन कम करके प्रस्तावित है। पश्चात्वर्ती लागतों को परिसंपत्ति की अग्रेनित रकम में सम्मिलित किया जाता है या अलग परिसंपत्ति के रूप में मानी जाती है, जो समुचित है, उस समय जब यह संभव है कि मद से संबंधित भविष्य के आर्थिक हितलाभ कंपनी को आएगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अलग परिसंपत्ति के रूप में लेखाबद्ध किसी भी उपकरण की अग्रेनित रकम प्रतिस्थापित होने पर पुनः मान्य नहीं की जाती।

बी) इस अवधि के दौरान सभी मरम्मत और अनुरक्षण को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित है जिसमें उसे उपचित किया गया है। परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सेवा समापित अथवा निपटान से उठनेवाला लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में माना जाता है।

सी) क्रय की गई / अर्जित और कंपनी के स्वामित्व के अधीन की भूमि को पूर्ण स्वामित्व की भूमि के रूप में माना जाता है।

डी) तकनीकी जानकारी / संयंत्रों से संबंधित लाइसेंस शुल्क / सुविधाओं को मूल परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता हैं।

इ) मूल्यह्रासित अचल परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों के लेखाकरण के लिए आय अभिगम को स्वीकार किया जाता है। मूल्यह्रासित अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है और जिसे परिसंपत्तियों के पूर्ण उपयोग के लिए सुव्यवस्थित एवं परिमेय आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

एफ) अतिरिक्त पुर्जे, जिनकी लागत (एकक मूल्य ₹10 लाख रुपए और उससे ज़्यादा), और अन्य पुर्जे, जिन्हें प्रत्येक अंतराल में प्रतिस्थापित करना पडता है, मान्यता मापदंडों को पूरा करने के लिए इसे संयंत्र और उपस्कर के रूप में श्रेणीवार किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर उसकी विनिर्दिष्ट जीवनावधि के आधार पर अलग से मूल्यह्रास किया जाता है।

जी) उपयोग के बाद किसी परिसंपत्ति की डीकमीशनिंग के लिए प्रत्याशित लागत का वर्तमान मूल्य संबद्ध परिसंपत्ति की लागत में सम्मिलित है अगर मान्यता मापदंड प्रत्येक प्रावधान के लिए मिला है।

एच) परियोजनाओं के लिए माने गए मदों के अलावा निर्माण अवधि के दौरान उपचित व्यय को पूँजीकृत किया जाता है। तथापि, पूँजी सुविधाओं के संबंध में ऐसे व्यय को उत्पादन / प्रचालन के साथ साथ निष्पादित किया जाता है, राजस्व में प्रभारित है।

परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से उधार लिए गए और उपयोग किए गए ऋणों पर विनिर्माण अवधि के दौरान प्रोद्भूत वित्तीय लागत को पूँजीकरण की तिथि तक पूँजीकृत किया जाता है।

वित्तीय लागत, अगर है तो परियोजनाओं के लिए उपयुक्त खर्च किए अथवा सामान्य उधार को वचनबद्ध औसत लागत पर पूँजीकृत है। ऐसे उधारों के मूल्य, अगर है तो आंतरिक प्रोद्भवनों की रकम को चुकाने के बाद निर्णय लिया जाता है।

मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची क्ष्क्ष के अंतर्गत निर्धारित प्रकार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, जब तक कि तकनीकी समीक्षा के आधार पर अन्यथा निर्धारित न किया जाए। दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को अथवा उसके बाद कंपनी अर्जित सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास सीधा लाइन तरीके को अपनाया है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी, कंपनी ने अपनी वर्तमान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की उपयोगिता जीवनावधि को पूनः निर्धारित (जहाँ आावश्यक हो, घटक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए) किया है और बाकी उपयोगिता जीवनावधियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया है जो इसमें अवशिष्ट मूल्य को प्रतिधारित करने के बाद कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार होगा।

5% अवशिष्ट मूल्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करोंके लिए रोक रखे गए हैं, जो अनुसूची क्ष्क्ष के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है।

₹5,000/- से कम अर्जन मूल्यवाली परिसंपत्तियों पर ऋ100% की दर पर मूल्यह्रास प्रभारित है, क्योंकि मूल्य नगण्य है जब उसकी तुलना कंपनी की प्रकृति, आकृति और कारोबार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए।

क्षति

एङ्क परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाएगा जब परिसंपत्तियों की वहन रकम इसकी वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो। अपसामान्य के रूप में पहचान करने पर अपसामान्य क्षति को वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। जब पूर्व क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति की वसूली योग्य रकम अपनी वहन रकम से अधिक होता है तब पिछले वर्ष हुई क्षतिग्रस्त हानि को ह्रासित ऐतिहासिक लागत पर इसकी वसूली योग्य रकम या वहन रकम की लघुतम सीमा तक प्रतिप्रवर्तित करके परिसंपत्तियों का मूल्य पुनः स्थापित किया जाता है।

पूँजी भंडार

पूँजी भंडार का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। मूल्य में होनेवाली कमी के लिए जहाँ कहीं अपेक्षित है विशिष्ट प्रावधान बनाया जाता है।

इंड ए एस 101 के अंतर्गत ली गई छूट

इंड ए एस को संक्रमण पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 के अनुसार अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की ली जानेवाले मूल्य के साथ जारी रहने का चयन किया है। गत जी ए ए पी के अनुसार माप कर (भारतीय जी ए ए पी) और उस ली जानेवाले मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समझी गई लागत के रूप में इस्तेमाल किया।

ii) पूँजीगत निर्माण कार्य

परियोजनाएँ, जिसके अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर प्रत्याशित उपयोगी के लिए अब तैयार नहीं है, उन्हें लागत पर, सीधी लागत समेत संबद्ध आकस्मिक व्यय और आरोपित ब्याज इसमें लिया जाता है।

iii) निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जिन्हें किराया अर्जित करने के लिए और पूँजी अधिमूल्यन (संपत्ति समेत निर्माणाधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए) के लिए रखी गई हैं और कंपनी अपने उपयोग के लिए उसे लेती नहीं।

निवेश संपत्तियों का मापन प्रारंभ में लागत पर किया जाता है जिसमें लेनेदेन लागत और निवल वसूली योग्य कर सम्मिलित है। लागत में प्रतिस्थापन उपस्करों की लागत और उधार लागत सम्मिलित है, अगर मान्यता मापदंड निवल है। जब निवेश संपत्ति का प्रमुख भाग नियत अंतराल में प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा होती है तो कंपनी उन्हें अलग से मूल्यह्रास करती है, जिसका आधार उनकी निर्धारित उपयोगी जीवनावधि होती है। सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को लाभ और हानि में उपचित के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत पर संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रास हानि अगर है तो उसे काम करके प्रस्तावित है।

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास, जहाँ लागू हो, सरल रेखा आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची क्ष्क्ष में निर्धारित उपयोगी जीवनावधि के आधार पर दिया जाता है।

निवेश संपत्तियों के पुनःमान्यता दी जाती है अगर उन्हें निपटान जाता है अथवा जब कंपनी उस पर दखल करती है अपने उपयोग के लिए अथवा जब उसे स्थाई रूप से उपयोग से वापस लेता है और इस निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक हितलाभ प्रतीक्षित नहीं है निवल निपटान प्रक्रिया और परिंपत्ति की वहनक्षम रकम के अंतर को पुनःमान्यता अवधि में लाभ अथवा हानि में रखा जाता है।

इंड ए एस 101 के अंतर्गत प्राप्त छूट :-

इंड ए एस को संक्रमण पर कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को विद्यमान अपनी निवेश संपत्ति के लिए गए मूल्य पर जारी रहने का इरादा किया है, जिनका मापन गत जी ए ए पी (भारतीय जी ए ए पी) के अनुसार किया गया है और उनकी समझी गई लागत के रूप में ली गई रकम का इस्तेमाल किया है।

iv) अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्रचालन प्रक्रम और प्रक्रम अभिकल्प से संबंधित तकनीकी जानकारी / लाइसेंस शुल्क को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और 5 वर्ष से अधिक अथवा परत संयंत्र / सुविधा की आजीवन अवधि के लिए जो भी पहला हो सीधी लाइन प्रणाली पर साकार किया जाता है।

पूँजी लेखे के अलावा अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

अभिकलित्र सोफ्टवेयर खरीदारी पर हुई लागत / भविष्य में आर्थिक हितलाभों में विकसित परिणाम अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और 5 वर्षों की अवधि में या सुविधा का जीवनकाल, जो भी पहले हो साकार किया जाता है।

इंड ए एस 101 के अंतर्गत प्राप्त छूट

इंड ए एस 101 को संक्रमण के लिए कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2016 के अनुसार विद्यमान अपने सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के ले जानेवाले मूल्य के साथ जारी रहने का तरीका अपनाया है, जिन्हें गत जी ए ए पी (भारतीय जी ए ए पी) के अनुसार मापन कर संक्रमण तिथि के अनुसार समझी गई लागत पर मूल्य का उपयोग करेगा।

अनंत उपयोगी खातों के साथ कंपनी के पास कोई अमूर्त परिसंपत्तियाँ नहीं है।

v) मालसूची का मूल्यांकन

कच्चे माल तथा भंडार और हिस्से पुर्जों को लागत पर अथवा कम लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। चल भारित औसत प्रणाली पर लागत अभिनिश्चित की जा रही है। आयातित एवं देशज कच्चे माल के मूल्य में अवनति होने पर और तैयार उत्पाद की प्राक्कलित लागत निवल वसूली योग्य मूल्य से अधिक होने के मामलों में, सामग्रियाँ को निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिख लिया जाता है।

प्रक्रियाधीन सामग्रियों का मूल्यांकन संगत रूप से नहीं किया जाता है।

तैयार / व्यापार उत्पादों को संचयी, उत्पादवार रूप में निम्न लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

मध्यवर्ती उत्पादों को निम्न लागत पर अथवा तैयार उत्पादों से प्राप्त निवल वसूली योग्य मूल्य पर और बिक्री योग्य उप-उत्पादों को वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। तैयार / अधबनी / मध्यवर्ती उत्पादों की लागत का निर्धारण ब्याज को छोडकर वार्षिक औसत लागत पर और मुख्यालय एवं प्रशासनिक लेखा शीर्षों के आधार पर किया जाता है। वेयरहाउस के तैयार माल की लागत में भाडा एवं हैंडलिंग खर्च शामिल है।

सामग्रियों का मार्गस्थ / निरीक्षण के अंतर्गत लागत का मूल्यांकन किया जाता है।

जिप्सम मूल्य निर्धारण

बिक्री योग्य जिप्सम की संपूर्ण मात्रा का मूल्य निर्धारण अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित दाम के निम्नतम स्तर पर प्रत्याशित लदान प्रभार और आर्द्रता बट्टा अथवा वर्ष के दौरान वसूल किए गए औसत वास्तविक दाम को कम करके किया जाता है, जो भी कम हो। ऐसे मामले में जहां एक से अधिक मूल्य स्लैब स्वीकृत हों, स्वीकृत मूल्य के सबसे कम स्लैब पर विचार किया जाता है। जिप्सम के इति स्टॉक के मूल्य निर्धारण के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में आयोजित प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर बिक्री योग्य मात्रा का निर्धारण किया गया।

vi) वचनबद्धता

पूँजी

प्रत्येक मामले में ₹5 लाख से अधिक पूँजी लेखों पर लागू किए जाने वाले शेष संविदाओं की प्राक्कलित रकम को प्रकटीकरण के लिए विचार किया जाता है।

अन्य वचनबद्धताएँ

प्रबंधक मंडल के व्यावसायिक निर्णय जो वास्तविक एवं संगत हैं, के आधार पर उन अनिरसन योग्य संविदागत वचनबद्धताओं (अर्थात् जिसका निरसन मौजूदे हितलाभों के अननुपातिक दंड में परिणत होता है) से संबंधित प्रकटन को माना जाता है।

vii) ऋणदान लागत

ऋणदान लागतें जो ऐसी संपत्ति के भाग के रूप में पूँजीकृत की जाती है, योग्य संपत्तियों के अर्जन अथवा निर्माण को विशेषतः पहचान लिया जाता है। योग्य संपत्ति जो है, भावी प्रयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्यतः पर्याप्त अवधि ली जाती है। अन्य सभी ऋणदान लागतें लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित की जाती है।

viii) निवेश

इंड-ए एस 109 की व्याप्ति में सभी साम्या निवेशों का उचित मूल्य पर मापा गया है। व्यापार के लिए रखे गए साम्या लिखतों को लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य एफ वी टी पी एल पर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी साम्या उपस्करों के इसी प्रकार अन्य बृहत् आय द्वारा उचित मूल्य एफ वी टी ओ सी आई पर के रूप में वर्गीकृत करने का कंपनी फैसला करें। कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर लिखत-बाइ-लिखत आधार पर ऐसा चयन कर सकती है और वह अप्रतिसंहरणीय है। कंपनी ने व्यापार के लिए कोई साम्या लिखत नहीं रखा है।

एफ वी टी ओ सी आई पर साम्या लिखतों के वर्गीकरण पर लाभांश को छोडकर लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन को ओ सी आइ में मान्यता दी गई है। ओ सी आइ से लाभ एवं हानि विवरण को रकमों को पुनः ले जाने की व्यवस्था नहीं है, निवेशों की बिक्री के अवसर पर भी। कंपनी साम्या के भीतर संचित लाभ अथवा हानि का अंतरण कर सकती है।

कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकनकर्ता, साम्या शेयरों में निवेश के मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। यह मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से किया जाता है और यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे वार्षिक वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाता है।

ix) राजस्व मान्यता

जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है तो राजस्व को उस राशि के लिए पहचाना जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने राजस्व निर्धारण के लिए इंड ए एस 115 के अनुसार इनपुट प्रणाली अपनाया है।

मूल्य सहायिकी डीलरों को उर्वरकों को बिक्री पर दी जाती है। भाडा सहायिकी अपने-अपने जिलों में उर्वरकों की प्राप्ति पर दी जाती है। लागू नीतियों के अनुसार निपटान के आधार पर दावों से वसूली वापस ली जाती है। सहायिकी की दर में परिवर्तन के कारण सहायिकी में वृद्धि-घटती उसकी वसूली पर विचार करके की जाती है।

- अन्य आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।
- जब ब्याज की प्राप्ति में कोई प्रमुख अनिश्चितता नहीं है तब उसे मान्यता दी जाती है।
- स्क्राप, साल्वेज्ड / रद्दी सामग्रियाँ और स्वीप्पिंग का लेखाकरण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- हामीदारों, वाहकों और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, माल एवं सेवा कर विभागों के दावों की स्वीकृति होने पर हिसाब में लिया जाता है।
- बीमा एवं अन्य विविध दावों को दावे की प्राप्ति / स्वीकृति होने पर मान्यता दी जाती है। प्राप्ति आधार पर प्रोत्साहनों, हितलाभों आदि द्वारा संविदा पास की मान्यता दी जाती है।

x) पट्टे

कोई प्रबंध पट्टा है (अथवा निहित है) यह फैसला संविदा पट्टे के प्रारंभ में व्यवस्था के सार पर आधारित है। प्रबंध (अथवा निहित है) पट्टा है अगर प्रबंध की पूर्ति किसी विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति अथवा परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और प्रबंध किसी परिसंपत्ति अथवा परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार लेता है, ऐसे प्रबंध में यह स्पष्टतया विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारंभिक तिथि को, कंपनी लागत पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा दायित्व को मानती है जो प्रारंभिक तिथि को नहीं चुकाया जाता है। परिलक्षित परिसंपत्ति के उपयोग नियंत्रण पर अधिकार क्या एक करार द्वारा मूल्यांकित करने के लिए, कंपनी इन बातों का मूल्यांकन करती है कि (त) करार में परिलक्षित परिसंपत्ति के उपयोग सम्मिलित है (त्त) पट्टे की अवधि - भर परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक हितलाभ पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का कंपनी को प्राप्त है और (त्त्त) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग पर निदेश देने का अधिकार है।

उपयोग का अधिकार आरंभ में लागत पर नियत किए जाते हैं, जिसमें पट्टा दायित्व के प्रारंभिक रकम (वर्तमान मूल्य पर) समाविष्ट है। जिसे पट्टे की प्रारंभिक तिथि को अथवा उसके पूर्व किए गए किसी पट्टा - भुगतान और कोई प्रारंभिक सीधी लागत से पट्टा वित्तीय प्रोत्साहन (वर्तमान मूल्य पर) कम करके समायोजित किया जा सकता है, बारह महीने अथवा कम (अल्पकालीन पट्टे) और कम मूल्य के पट्टे इसके अपवाद है। इन अल्पकालीन और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी बट्टा भुगतान प्रचालन व्यय के रूप में मानती है। आई ची परिसंपत्तियों (टैबलेट्स, वैयक्तिक कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, पी ओ एस मशीनें आदि) कार्यालयीन फर्नीचर की छोटी मदें आदि पट्टे की मदों को कम मूल्य का माना जाता है।

पट्टा दायित्व को प्रारंभ में वर्तमान मूल्य पर भविष्य के पट्टे भुगतान की क्रमिक अपाकरण लागत पर मापा जाता है।

पट्टा भुगतानों को पट्टा शर्तों के आधार पर आवधिक रूप से कंपनी की वर्धित उधार दर का उपयोग करके पट्टा भुगतान का आकलन में छूट दिया जाता है। पट्टा दायित्व का पुनः मापन परिसंपत्ति के उपयोग - अधिकार के संबंध में अगर कंपनी अपना मूल्यांकन परिवर्तित करती है तो तत्समान समायोजन के साथ किया जाता है, अगर वह विस्तारण अथवा समाप्ति विकल्प अपनाता है।

परिसंपत्ति उपयोग का व्यवस्थित आधार पर पट्टा अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और पट्टा-दायित्व लाभ हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में प्रभारित है।

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

पट्टेदार जिनमें कंपनी सारतः परिसंपत्ति का स्वामित्व सभी जोखिम और पारिश्रमिक पर अंतरित नहीं करता तो उसे प्रचालनात्मक पट्टेदार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालनात्मक पट्टेदारों से किराए के तौर पर आय को निबंधनों के अनुसार राजस्व के रूप में माना जाता है चूँकि ऐसे किरायों को प्रत्याशित सामान्य मूल्यस्फीति के साथ बढना संरचित है। किसी प्रचालनात्मक पट्टे के बारे में बातचीत करके व्यवस्था करने के लिए उपचित प्रारंभिक सीधी लागत को पट्टा की गई परिसंपत्ति के हिसाब में ले जानेवाली रकम के तौर पर जोडा जाता है और किराए में प्राप्त आय के रूप में उसी आधार पर पट्टे की अवधि में मान्य होगा। समाश्रित किराए उसे प्राप्त करनेवाली अवधि में राजस्व के रूप में मान्य होगा।

पट्टेदारों को वित्त पट्टेदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब सारतः स्वामित्व के सभी जोखिम और पारिश्रमिक पर पट्टेदार को कंपनी से अंतरित करता है। वित्त पट्टेदारों से देय रकम को पट्टेदारों में कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्य रकम के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

वित्त पट्‌टेदार आय को लेखाकरण अवधि को आबंटित किया जाएगा ताकि पट्‌टेदार के संबंध में निवल निवेश बकाया पर विवरणी के स्थिर आवधिक दर पर प्रतिफलित होगा।

xi) विदेशी मुद्रा लेन-देन :

रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्राप्तियाँ एवं देय को अग्रिम विनिमय संविदाएँ सहित उसी तिथि पर प्रचलित दर पर पुनःनिश्चित की जाती है।

अग्रिम विनिमय संविदाओं के संबंध में प्रीमियम संविदाओं की समाप्ति तक मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढावों के कारण हुए अंतर को राजस्व (लाभ / हानि (-)) के रूप में दिया जाता है।

xii)कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की कटौती न की गई राशि को कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान विनिमय में देने की प्रतीक्षा किए जानेवाले व्यय के रूप में मानी जाती है।

कार्योत्तर रोज़गार हितलाभ

निश्चित अंशदान हितलाभ

अंशदाई अधिवर्षिता योजना को जो कंपनी द्वारा 100 रुपए के वार्षिक अंशदान के साथ कर्मचारियों को अधिवर्षिता हितलाभ प्रदान करने के लिए परिलक्षित है, निश्चित अंशदाई योजना के रूप में माना जाता है।

निश्चित हितलाभ योजनाएँ

योग्यताप्राप्त कर्मचारियों के वेतन के नियत प्रतिशत के आधार पर भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान अदा किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वापसी की न्यूनतम दर के आधार पर निधि परिसंपत्तियों में अगर कोई कमी है तो कंपनी द्वारा उसे ठीक किया जाएगा और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाएगा। विवेक की बात के रूप में कंपनी लेखा परीक्षा शुल्क एवं खर्च, बैंक प्रभार आदि जैसी निधि के कुछ व्यय प्रदान करती है।

कंपनी में उपदान एवं छुट्‌टी के नकदीकरण के लिए निश्चित हितलाभ योजना जारी है। वर्षान्त में किए गए वास्तविक मूल्यांकन के प्रक्षिप्त इकाई जमा तरीके का प्रयोग करके इस प्रकार के निश्चित हितलाभों की लागत निर्धारित की जाती है और नियत कर्मचारियों के संबंध में उपदान निधि को बीमा कंपनी द्वारा अनुरक्षित एक निधि के जरिए संचालित की जाती है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि सम्मिलित है, परिसंपत्ति उच्चतम सीमा को परिवर्तन का प्रभाव (अगर लागू हो) और संयंत्र परिसंपत्तियों पर विवरणी (निवल ब्याज को छोडकर) तुलन पत्र में तत्काल प्रतिफलित है, जिस अवधि में वह घटित होता अन्य बृहत् आय में परिवर्तन अथवा उधार के रूप में वह मान्य होगा। अन्य बृहत् आय में मान्य पुनर्मापन प्रतिधारित आय में तत्काल प्रतिफलित होता है और लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होता। गत सेवा लागत किसी योजना संशोधन की अवधि में लाभ अथवा हानि में मान्य है। निवल ब्याज का आकलन अवधि के आरंभ में छूट दर लागू करके निवल पारिभाषित हितलाभ देखता और परिसंपत्ति पर किया जाता है।

विस्तृत हितलाभ लागतों के निम्न प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है:

i) सेवा लागत (जिसमें चालू सेवा लागत, गत सेवा लागत तथा कटौतियों और निपटान पर हानि और लाभ सम्मिलित है);

ii) निवल ब्याज व्यय अथवा आय और पुनर्मापन।

कंपनी पहले पारिभाषित हितलाभ के दो घटकों को लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के लाइन में पेश करती है।

xiii) अनुदान

प्रोत्साहकों के अंशदान स्वरूप सरकारी अनुदान पूँजी आरक्षण में जमा किए जाते हैं और शेयरधारियों के निधियों के भाग के रूप में माना जाता है।

अवक्षयी परिसंपत्तियों के मामले में परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य में दर्शायी जाती है और उस पर अनुदान को पूँजी अनुदान के रूप में माना जाता है जिसे अवधि की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में और मूल्यहास प्रभारित अनुपात में मान्यता दी जाती है।

राजस्व व्यय से संबंधित राजस्व अनुदान की कटौती निजी खर्चों से की जाती है।

सरकार द्वारा विमोचित राजस्व अनुदानों से संबंधित लेखाओं में व्यवहारों को सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित योजनाओं के अनुसार मान

लिया जाता है। राजस्व व्ययों से संबंधित अन्य राजस्व अनुदानों को आय के रूप में माना जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में जमा किया जाता है।

xiv) कर

चालू कर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

आस्थगित कर तुलनपत्र उपागम का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देयताएँ वसूलीयोग्य और कराधेय अस्थाई अंतर जो परिसंपत्तियों और देयताओं के कराधार के बीच होता है और उनका वित्तीय विवरणों में ली गई रकम पर मान्य है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनुपयुक्त कर हानियों और अनुपयुक्त उधार के रूप में अग्रेनीत करने के लिए उस हद तक माना जाता है, यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ अनुपयुक्त कर हानियों और अनुपयुक्त कर का उपयोग उपलब्ध होगा, जो प्रबंधक मंडल के निर्णय के अध्यधीन होगा। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करती है।

xv) माल और सेवा कर

माल और सेवा कर जमा पात्रता प्राप्त सामग्रियों और सेवाओं पर अभिप्रेत अवस्थितियों पर ऐसे मदों की प्राप्ति पर मान्य होगा।

xvi) सेगमेंट रिपोर्टिंग

मुख्य प्रचालन निर्णायक (सी ओ डी एम) को प्रदान किए गए रिपोर्टाधीन प्रचालन खंड, आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप ही है। नोट नं. 47 देखें।

सेगमेंट के प्रचालन क्रियाकलापों पर अपने संबंध के आधार पर सेगमेंटों में राजस्व एवं आय की पहचान की जाती है। राजस्व एवं व्यय जो पूर्णतः उद्यम से संबंधित है और समुचित आधार पर सेगमेंटों में आबंटनीय नहीं है, उसे अनाबंटनीय निगम व्यय के अधीन शामिल किया गया है।

निवेशों, निवेशों के प्रति अग्रिम एवं अन्य अग्रिम, जो सेगमेंटों में आबंटनीय नहीं है, उसे सेगमेंट नियोजित पूँजी से निकाल दिया जाता है।

xvii) संविदा प्रचालन

संविदा प्रचालनों में राजस्व की मान्यता समाप्ति की रीति की प्रतिशतता पर दी जाती है। संविदा समाप्ति की स्थिति की रिपोर्ट करनेवाली तारीख पर संबंधित संविदा गतिविधि के प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर निश्चित किया जाता है। संविदा गतिविधियों पर पूर्वानुमेय हानियों की मान्यता पूर्ण रूप से कार्य की प्रगति को ध्यान किए बिना दी जाती है। अनुमानित परिनिर्धारित हानियों का रकम राजस्व से कम किया जाता है।

दायित्वपूर्ण कार्य / जमा कार्य /लागत प्लस संविदा के मामले में संविदा राजस्व का आकलन कुल लागत और उस पर निश्चित प्रतिशत शुल्क अथवा ग्राहक के साथ सहमत है, दोनों को जोडकर किया जाता है।

xviii) पूर्वावधियों की भूल-चूक

पूर्वावधियों से संबंधित आय और व्यय के अलग-अलग मदों में 50 लाख रुपए से अधिक रकम की भूल-चूक को संबंधित अवधि में लेखाबद्ध किया गया है, अगर संभव है अथवा आनेवाले प्रतिधारित आय में समायोजित किया गया है।

xix) अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास व्ययों को (संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अतिरिक्त) उसे जिस वर्ष उपगत किया जाता है उस वर्ष लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

xx) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

गत घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता होती है तो प्रावधान को लेखाओं में मान्यता दी जाती है और यह संभव है कि बाध्यताओं को ठीक करने के लिए संसाधनों के बहिर्गम की आवश्यकता होगी और एक विश्वसनीय प्राक्कलन बनाया जा सकेगा। इन प्राक्कलनों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्तम प्राक्कलनों को प्रतिबिंबित करने का समायोजन किया जाता है।

सभी संसाधनों के निर्गम की संभावना सुदूर नहीं है तो आकस्मिक देनदारियों के प्रकट नहीं किया जाता। बाध्यता के रूप में विविध सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ सूचनाओं पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसी कारण बताओ सूचना के खिलाफ जब माँग सूचनाएँ उठाई जाती हैं और कंपनी द्वारा विवादास्पद है तो इन्हें विवादास्पद बाध्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रत्येक मामले में, विवादास्पद बाध्यताओं से संबंधित व्यवहार निम्न प्रकार है:

i) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जहाँ संसाधनों के निर्गम की संभावना है।

ii) अन्य सभी मामलों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है अन्यथा संसाधनों के निर्गम की संभावना सुदूर है।

समाश्रित परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है, तथापि रिपोर्ट की अवधि के अंत के अनुसार जब आर्थिक हितलाभ प्राप्त होने की संभावना है तो समाश्रित परिसंपत्तियों की प्रकृति का एक संक्षिप्त विवरण उनके प्राक्कलित वित्तीय प्रभाव के साथ वित्तीय विवरणों में संलग्न है।

xxi) **बिक्री के लिए रखी गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ, अथवा निपटान समूह जिसमें परिसंपत्तियाँ और देयताएँ सम्मिलित हैं, बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत हैं, अगर वे अत्यंत अधिसामान्य हैं कि लगातार उपयोग से न होकर प्रथमतः बिक्री द्वारा वसूली होगी। ऐसी परिसंपत्तियों, अथवा निपटान समूह को उनकी ले जानेवाली रकम से कम दर पर सामान्यतः मापा जाता है और उचित मूल्य लागत से कम पर बिक्री करें। किसी निपटान समूह पर परिणामी हानि को पहले सदिच्छा पर आबंटित किया जाता है, और उसके बाद बाकी परिसंपत्तियों और देयताओं को अनुपात आधार पर, मालसूचियों, वित्तीय परिसंपत्तियों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, कर्मचारी हितलाभ परिसंपत्तियों और जैव परिसंपत्तियों पर हानि आबंटित किए बिना, जिनका मापन समूह के साथ अन्य लेखाकरण नीतियों के अनुसार जारी रहेगा। आरंभिक श्रेणीकरण और अनुवर्ती लाभ और हानि पुनःमापन पर लाभ अथवा हानि में मान्य होगा। एक बार बिक्री के लिए रखा हुआ वर्गीकृत अमूर्त परिसंपत्तियाँ, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और निवेश संपत्तियों के आगे मूल्यह्रास अथवा क्रमिक अपाकरण नहीं होगा।

xxii) वित्तीय लिखतें

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(ए) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित मापन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

(i) वे जिन्हें उचित मूल्य पर बाद में मापन करना है (या तो अन्य बृहत् आय के माध्यम से अथवा लाभ और हानि द्वारा) और
(ii) वे जिन्हें क्रमिक अपाकरण लागत पर मापन वाली।

वर्गीकरण अस्तित्व के कारोबार नमूने पर वित्तीय परिसंपत्तियों की व्यवस्था और नकदी प्रवाह के संविदात्मक निबंधनों पर निर्भर है।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के लिए, उचित मूल्यांकन से उठने वाला लाभ और हानि को या तो लाभ अथवा हानि में रिकार्ड किया जाएगा नहीं तो अन्य बृहत् आय में शामिल करेगा। ऋण लिखतों में निवेशों के लिए, यह कारोबार के नमूने पर निर्भर होगा, जिसमें निवेश किया गया है। साम्या लिखतों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर होगा कि यदि कंपनी ने प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अप्रतिसंहरणीय चुनाव की है कि साम्या निवेश उचित मूल्य पर अन्य बृहत् आय द्वारा लेखाबद्ध करें।

(बी) मापन

आरंभिक मान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मापन करती है, वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में उचित मूल्य पर न होकर लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर, जिसमें लेनदेन लागत, वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन को सीधे हुआ माना जा सकता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की अंतरण लागत जो उचित मूल्य पर किया जाता है, लाभ अथवा हानि में उन्हें लाभ और हानि मान्य किया जाएगा।

बाद के मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों के बाद के मापन कंपनी के कारोबार नमूने पर परिसंपत्ति की व्यवस्था के लिए और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह लक्षण पर निर्भर है। कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को मापन की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- **परिशोधन लागत**

  संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ, जहाँ नकदी प्रवाह मूल धन और ब्याज को मात्र प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ मापन क्रमिक अपाकरण की लागत पर की जाती है।

- **अन्य बृहत् आय द्वारा उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई)**

  संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए, जहाँ परिसंपत्तियों का नकदी प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है उन्हें अन्य बृहत् आय द्वारा उचित मूल्य पर (एफ वी ओ सी आई) मापा जाता है। ओ सी आइ द्वारा प्राप्त ली गई रकम का परिवहन, ह्रासन लाभ अथवा हानि की मान्य होने की बात को छोडकर, ब्याज राजस्व और विदेशी विनिमय लाभ और हानि, जिसे लाभ और हानि में मान्य माना जाएगा। जब वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करने पर, पहले संचित लाभ अथवा हानि में जो ओ सी आई में मान्य है उसे साम्या से लाभ अथवा हानि में पूनः वर्गीकृत करके अन्य आय में मान्य किया जाएगा।

- **लाभ और हानि द्वारा उचित मूल्य (एफ वी टी पी एल)**

  एफ वी टी ओ सी आई पर क्रमिक अपाकरण लागत के लिए मापदंड न रखने वाली परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि द्वारा मापा जाता है।

संयुक्त उद्यम में निवेश

सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के परिणाम और परिसंपत्तियों और देयताओं को समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए लेखाकरण की साम्या पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, उन निवेशों को छोडकर जब निवेश अथवा उसके किसी भाग को बिक्री के लिए रखे गए तौर पर वर्गीकृत किया गया है, ऐसे मामलों में उन्हें इंड ए एस 105 के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

एक सह कंपनी एक ऐसी सत्ता है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण असर है। महत्वपूर्ण असर वह अधिकार है कि निवेश प्राप्तकर्ता के वित्तीय और प्रचालन नीति निर्णयों में भाग लेने का, लेकिन इन नीतियों पर कोई नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण विद्यमान है।

एक संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है जिससे व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षकारों को संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार प्राप्त है। संयुक्त उद्यम किसी व्यवस्था की संविदात्मक सहमति द्वारा नियंत्रण की भागीदारी है, जो तभी विद्यमान है जब नियंत्रण के भागीदार पक्षकारों की एकमत सहमति संबद्ध क्रियाकलापों के संबंधित निर्णयों पर अपेक्षित है।

महत्वपूर्ण असर है अथवा संयुक्त नियंत्रण - इसका निर्णय करने के लिए बातें समनुषंगी कंपनियों के ऊपर नियंत्रण के बारे में निर्णय लेने के लिए वैसी जरूरी बातें हैं।

सह एवं संयुक्त उद्यमों में कंपनी के निवेश को साम्या पद्धति का उपयोग करके लेखाबद्ध किया जाता है। साम्या पद्धति के अंतर्गत एक सह अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में लागत पर माना जाता है। निवेश की ली जानेवाली रकम को संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों के समूह के कंपनी शेयर में परिवर्तन को मानने के लिए समायोजित किया जाता है, अर्जन तिथि के पश्चात्। संयुक्त उद्यम से संबंधित सदिच्छा निवेश की ली जानेवाली रकम पर समाविष्ट है और पृथक् क्षति की परीक्षा नहीं की जाती।

लाभ और हानि विवरण संयुक्त उद्यमों के प्रचालन परिणामों के कंपनी के शेयर को प्रतिफलित करता है। उन निवेश प्राप्तकर्ता के ओ सी आइ में होने वाले किसी परिवर्तन को कंपनी के ओ सी आइ के रूप में पेश किया जाता है, इसके अतिरिक्त, जब अथवा संयुक्त उद्यम के साम्या में सीधे कोई परिवर्तन माना जाता है, जहाँ लागू हो कंपनी उस परिवर्तन के शेयर को मान्यता देती है, विवरण में साम्या में परिवर्तन करके। कंपनी और उसका संयुक्त उद्यम के बीच लेनदेन से होनेवाली हानि और लाभ जो न वसूल हो उन्हें संयुक्त उद्यम में ब्याज के हद तक हटाया जाता है।

अगर संयुक्त उद्यम की हानि का सत्ता का शेयर उसके संयुक्त उद्यम में ब्याज के समतुल्य अथवा उससे अधिक हो जाता है (जिसमें सह कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवल निवेश का भाग होता है, निष्कर्ष में कोई दीर्घकालीन ब्याज भी समाविष्ट है) तब सत्ता आगे हानि से बचने के लिए इससे विराम लेता है। अतिरिक्त हानियों को तभी मान लेता है जब कंपनी वैध अथवा रचनात्मक बाध्यताएँ लेती हैं अथवा संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान करती हैं। अगर संयुक्त उद्यम बाद में लाभ की रिपोर्ट देती है तो सत्ता फिर से इन लाभों में शेयर को पुनः मान्यता देती है वह भी तब से जब लाभ का शेयर अमान्य हानि के शेयर के समतुल्य हो जाता है।

किसी संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि में कंपनी का हिस्सा लाभ और हानि विवरण के मुखपृष्ठ पर दर्शाया जाता है।

संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के लिए ही तैयार किया जाता है। जहाँ आवश्यक हो, कंपनी की रीति के अनुसार लेखाकरण नीतियों में समायोजन किया जाता है।

साम्या पद्धति के अनुप्रयोग के बाद, कंपनी यह निर्णय लेती है कि अगर यह जरूरी है कि संयुक्त उद्यम में अपने निवेश पर ह्रासन हानि को मानना है कि नहीं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी यह निर्णय लेती है कि अगर कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है कि सह कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में

निवेश का ह्रासन हुआ है। अगर ऐसा कोई साक्ष्य है, कंपनी ह्रासन का आकलन करती है, जो संयुक्त उद्यम से वसूली करने की रकम और उसकी ली जानेवाली रकम का अंतर है और उस हानि को लाभ और हानि विवरण में संयुक्त उद्यम में लाभ का शेयर के रूप में दिया जाता है।

अगर संयुक्त उद्यम के ऊपर सह अथवा संयुक्त नियंत्रण के ऊपर महत्वपूर्ण असर की हानि पर, कंपनी प्रतिधारित निवेश पर उसके उचित मूल्य पर मापन करती है और मान्यता देती है। संयुक्त उद्यम की ली जानेवाली रकम और उस पर महत्वपूर्ण असर अथवा संयुक्त नियंत्रण पर अंतर और प्रतिधारित निवेश के उचित मूल्य और निपटान से प्रक्रिया को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

(सी) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी अपनी परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध प्रत्याशित उधार हानियों को उन्नतिशील आधार पर मूल्यांकित करती है जिन्हें क्रमिक अपाकरण लागत और एफ वी टी ओ सी आई उधार लिखत पर ले जाता है। ह्रासन अनुक्रम उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि यदि है तो उस पर निर्भर होगा।

केवल प्राप्य व्यापार के लिए, कंपनी इंड ए एस 109 वित्तीय लिखत द्वारा अनुमत महत्वपूर्ण अभिगमन करती है, जिसके लिए प्राप्य रकम की आरंभिक मान्यता से प्रत्याशित जीवनावधि हानि की अपेक्षा होती है।

ख. वित्तीय देनदारियाँ

(ए) आरंभिक मान्यता एवं मापन

आरंभिक देयताओं को आरंभिक मान्यता पर उधार और ऋण के रूप में देय, व्युत्पन्न मान्यता जाता है और वित्तीय देयताएँ लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर। कंपनी की वित्तीय देयता में व्यापार और अन्य देय रकम, उधार और ऋण, बैंक ओवर ड्राफ्ट, वित्तीय गैरंटी संविदाएँ और व्युत्पन्न वित्तीय लिखत शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर माना जाता है और उधार, ऋण और देय रकम के मामले में सीधे माना जा सकनेवाली लागत का निवल, अगर है।

(बी) पश्चात्वर्ती का मापन

कंपनी की वित्तीय देनदारियों के पश्चात्वर्ती का मापन भारतीय लेखा मानक के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

(ग) अप्रमाणित

जब संविदा में विहित बाध्यता को उनमोचित, रद्ध अथवा समाप्त होने पर एक वित्तीय देनदारी अप्रमाणित है।

सी. वित्तीय विपक्षाओं का मुजराई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मुजराई होने के बाद तुलन-पत्र में निवल रकम की रिपोर्ट दी है, अगर संप्रति प्रमाणित रकमों में कोई प्रवर्तनीय वैध अधिकार है तो ऐसा एक आशय है निवल आधार पर निपटाना है परिसंपत्तियों को प्रापत् करके और एक साथ देनदारियों का समझौता करना है।

डी. बैंक ओवरड्राफ्ट समेत ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ब्याजयुक्त ऋण और उधारों को बाद में ई आइ आर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर नापा जाता है लब्धियों और नुकसानों को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, जब देनदारियाँ अप्रमाणित तथा ई आइ आर परिशोधन प्रक्रिया के समान हैऊ

परिशोधित लागत का आकलन किसी बट्टा अथवा अर्जन पर प्रीमियम और शुल्क अथवा लागत जौ ई आइ आर परिशोधन प्रक्रिया के अनिवार्य भाग हैं। ई आइ आर परिशोधन लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

यह श्रेणी आम तौर पर ब्याजयुक्त ऋण और उधारों पर लागू है

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गैरंटी संविदाएँ वे संविदाएँ हैं जिनमें गैरंटी के धारक होने वाले किसी नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति में भुगतान की अपेक्षा होनी है क्योंकि विनिर्दिष्ट श्रेणी, ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने में विफल होता है। वित्तीय गैरंटी संविदाओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर देनदारी के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेनेदेन के लिए समायोजित है जो गैरंटी जारी करने में सीधे संबंध जोडता है। बाद में, देनदारी को इंड ए एस 109 के ह्रास अपेक्षाओं के अनुसार नियत हानि भत्ते की उच्चतर रकम पर मापा जाता है और मान्य रकम कम संचयी परिशोधन की है।

xxiii) इंड ए एस 101 के अंतर्गत प्राप्त छूट

कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के लिए ले जानेवाले मूल्य के साथ जारी रखने का चयन किया है जो संक्रमण की तिथि के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथामान्यता दी गई है और जी ए ए पी के अनुसार मापा गया है और उन्हें संक्रमण को मानी गई लागत पर उपयोग करें। यह निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्तियों पर भी लागू होगी।

कंपनी ने मानक के पैरा डी21 के अनुसार अपेक्षित आवश्यक समायोजनों की भी समीक्षा की है (अर्थात् डीकमीशनिंग अथवा वापस दी देयताओं के हिसाब में उठनेवाले समायोजन) और जहाँ लागू हो उनका प्रभाव तदनुसार ठीक किया गया।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 न निर्देशित साम्या लिखतों को ओ सी आइ द्वारा उचित मूल्य पर पूनः अभिहित किया है।

xxiv) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह को परोक्ष तरीके का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती है जिसके द्वारा अवधि के लिए लाभ गैर-नकदी प्रकार की लेनदेन के प्रभावों पर समायोजित किया जाता है, गत और भविष्य के आस्थगित अथवा प्रोद्भवन के प्रचालन नकदी प्राप्तियाँ अथवा भुगतान, और आय के अथवा व्यय के मद जो निवेश या वित्तीयन नकदी प्रवाह से संबद्ध है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह होता है, जिसे समेकित किया जाता है।

xxv) आमदनी प्रति शेयर

बुनियादी आमदनी प्रति शेयर का परिकलन इस अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों के तैला औसत संख्या का मेहनती समतुल्य बकाया शेयरों का उपयोग करके किया जाता है। प्रति शेयर डाइल्यूट किए आय की गणित अवधि के दौरान बकाया साम्या और डायल्यूटित समकक्ष शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

xxvi) लाभांश

कंपनी शेयरधारियों को लाभांश देने के दायित्व को स्वीकार करती है जब वितरण प्राधिकृत है और यह कंपनी के स्वविवेक पर अब नहीं है। आखिर शेयरों पर लाभांशशेयरधारियों द्वारा अनुमोदन की तारीख को कंपनी की देयता के तौर पर रिकार्ड किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में रिकार्ड किया जाता है। एक समतुल्य रकम साम्या में सीधे स्वीकृत है।

xxvii) अपवादित मदें

सामान्य क्रियाकलापों से लाभ अथवा हानि के भीतर आय और व्यय की अपवादीय मदें ऐसे आकार, प्रकृति अथवा व्यापकता है तो उनका प्रकटन उस अवधि के उद्यम के निष्पादन को स्पष्ट करने के लिए संगत है, अपवादीय मदों के रूप में ऐसी मदों की प्रकृति और रकम अलग से प्रकट किए जाते हैं।. अगर हाल में लागू होनेवाले वैध अधिकार मान्यताप्राप्त उन रकमों को समीकृत करना और निवल आधार पर निपटाना विचाराधीन है, परिसंपत्तियों को वसूल करके एकसाथ निपटान किया जाता है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को समीकृत करके तुलन-पत्र में निवल रकम रिपोर्ट की जाती है।

वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पणियों का रूपीकरण

नोट नं.2 - गैर चालू परिसंपत्तियाँ, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पी पी इ):

₹ लाखों में

विवरण	मानित लागत / लागत						मूल्यहास					अपसामान्य हानि			निवल ब्लॉक	
	01.04.2024 को	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	वर्ष के दौरान समायोजन	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन	31.03.2025 को	01.04.2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2025 तक	01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान (वापसी)/प्रावधान	31.03.2025 तक	31.03.2025 को	31.03.2024 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ																
भूमि	49,559.10	-	-	-	-	**49,559.10**	-	-	-	-	-	-	-	-	**49,559.10**	49,559.10
इमारतें	2,045.35	-	(1.20)	-	-	**2,044.15**	480.73	63.58	-	-	**544.31**	-	-	-	**1,499.84**	1,564.60
संयंत्र एवं उपस्कर	42,951.21	15,896.70	(16.18)	-	-	**58,831.73**	15,670.43	3,173.90	(1.07)	-	**18,843.26**	-	-	-	**39,988.47**	27,280.80
फर्नीचर एवं जुडनार	75.21	18.93	-	-	-	**94.14**	20.29	5.19	-	-	**25.48**	-	-	-	**68.66**	54.92
वाहन	364.16	41.25	(1.16)	-	-	**404.25**	157.42	40.19	-	-	**197.61**	-	-	-	**206.64**	206.74
कार्यालय उपस्कर	1,156.10	75.32	(1.20)	-	-	**1,230.22**	792.37	149.00	(0.71)	-	**940.66**	-	-	-	**289.56**	363.73
अन्य:-																
सडकें & पुलियाएँ	338.17	-	-	-	-	**338.17**	120.66	10.30	-	-	**130.96**	-	-	-	**207.21**	217.51
रेलवे साइडिंग्स	15.62	-	-	-	-	**15.62**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.62**	15.62
विविध परिसंपत्तियाँ	251.99	14.66	(1.64)	-	-	**265.01**	164.39	14.73	(1.08)	-	**178.04**	-	-	-	**86.97**	87.60
निवृत्त परिसंपत्तियाँ	506.63	-	(1.06)	-	-	**505.57**	432.64	6.65	-	-	**439.29**	-	-	-	**66.28**	73.99
लघु परिसंपत्तियाँ	46.94	17.84	-	-	-	**64.78**	46.93	17.85	-	-	**64.78**	-	-	-	-	-
कुल	**97,310.48**	**16,064.70**	**(22.44)**	**-**	**-**	**1,13,352.74**	**17,885.86**	**3,481.39**	**(2.86)**	**-**	**21,364.39**	**-**	**-**	**-**	**91,988.35**	**79,424.61**
पिछले वर्ष	93,626.07	3,724.33	(39.92)	-	-	**97,310.48**	15,459.12	2,450.98	(24.24)	-	17,885.86	-	-	-	79,424.61	78,166.94

2.1) कंपनी ने 2015-16 के दौरान भारत सरकार द्वारा मंजूर योजना उधार के प्रति केरल के एरणाकुलम जिले के पुत्तनक्रूज़ में सर्वेक्षण सं.205 में पट्टा सं.7030 के 408 एकड भूमि भारत सरकार को बंधक रखने की सहमति दी है।

2.2) कंपनी द्वारा धारित 1499.73 एकड (गत वर्ष 1498.97 एकड) भूमि में से 15.02 एकड (गत वर्ष 15.02 एकड) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टा अधिकार पर धारित है जिसके लिए पट्टा करार अंतिम रूप के अधीन है। 80.50 एकड भूमि को कंपनी और निजी कंपनी के विवाद में माध्यस्थम् पंचाट के प्रति प्रतिभूति के रूप में दिया गया है। (नोट 50.1 देखें)

2.3) 40 एकड भूमि के संबंध में हक विलेख अभी पंजीकृत करना / प्राप्त करना है। कुछ भूमि मालिकों ने अतिरिक्त प्रतिपूर्ति दावे का अपील किया है जो न्यायालयों में अनिर्णित है। इस हिसाब में देयता अभिनिश्चेय नहीं। भूमि अर्जन मामलों पर सूद और उपगत वैध व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में प्रभारित है।

2.4) रेलवे साइडिंग, मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (कोच्ची रिफाइनरी) के साथ संयुक्त रूप से धारित साइडिंग बट्टे खाते डाले गए ₹4.27 लाख (पिछले वर्ष ₹4.27 लाख) मूल्य सम्मिलित है।

2.5) कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को 31.07.2023 तक लीव और लाइसेंस आधार पर 2.50 हेक्टर से 4.1344 हेक्टर भूमि दी थी।

2.6) संयंत्र और उपस्कर में अमोनिया के परिवहन के लिए कंपनी द्वारा संविदाकार के बार्जों पर लगाए 6 अमोनिया बुल्लेटों का मूल्य, ₹2.66 लाख के निवल अवलेखित मूल्य के साथ सम्मिलित है।

2.7) पहला प्रभार 36.08 एकड भूमि पर है (गत वर्ष 36.08 एकड भूमि) केरल राज्य में, प्रतिभूति के तौर पर निधि/ निधितर आधारित कार्यशील पूंजी प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक के साथ करने के लिए।

2.8) इसमें ई ई सी निधि से ₹53.03 लाख रुपए की रकम की परिसंपत्तियाँ सम्मिलित है (गत वर्ष ₹53.97 लाख)

2.9) संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यहास प्रभारित है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ॥ के अंतर्गत निर्धारित परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु के आधार पर है। यह निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर लागू नहीं। उनके लिए मूल्यहास कंपनी के संबंधित तकनीकी दल द्वारा मूल्यनिर्धारण में निर्धारित उपयोगी आयु के प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है।

I) उर्वरक संयंत्र के लिए डी सी एस	10 वर्ष
ii) विश्लेषक	5 वर्ष
iii) केप्रोलेक्टम संयंत्र का पुनरुज्जीवन	15 वर्ष

नाोट नं. 2 क. गैर चालू परिसंपत्तियाँ - पूँजीगत निर्माण कार्य

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पूँजीगत निर्माण कार्य (सी डब्लयू आई पी)*	21,565.18	22,035.02
मार्गस्थ माल/ निरीक्षण हेतु लंबित माल/ पूँजी भंडार	61.22	321.98
	21,626.40	**22,357.00**

*पूँजीगत निर्माण कार्य का संचलन

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अथ शेष	22,035.02	10,109.19
समायोजन (निवल)	16,771.92	15,014.81
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का स्थानांतरण	(17,241.76)	(3,088.98)
अंत शेष	**21,565.18**	**22,035.02**

(I) सी डब्ल्यू आई पी की आयु अनुसूची (संदर्भ नोट 49 (ii) (ए)
(ii) सी डब्ल्यू आई पी का विवरण जिनमें मूल योजना की तुलना में समय में विलंब हुआ है। संदर्भ नोट 49 (ii) (b)

नोट सं. 2ख. गैर चालू परिसंपत्तियाँ - निवेश संपत्ति

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
भूमि		
अथ शेष	5.77	5.77
योग/(घटती)	-	-
अंत शेष	**5.77**	**5.77**

2बी.1 2011-12 के दौरान, कंपनी ने लीव और लाइसेंस के रूप में मेसर्स गेइल (इंडिया) लिमिटेड को उद्योगमंडल /कोचीन संभाग स्थित 2.40 एकड भूमि उपलब्ध की थी और उन्हें 0.33 एकड पाइप लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए 35 वर्षों की अवधि के लिए ₹479 लाख के प्रीमियम और सालाना ₹200 के लाइसेंस शुल्क देना पडेगा।

2बी.2 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ) के साथ संयुक्त उद्यम करार के अनुसार कंपनी ने 2008-09 के दौरान कोचीन संभाग के 11 एकड भूमि पट्टा आधार पर मेसर्स एफ ए सी टी-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड को ₹1000 लाख के निश्चित प्रीमियम पर और सालाना ₹10 के किराए पर 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध किया था।

2बी.3 वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने 10.01.2022 से 15 वर्षों की अवधि के लिए उद्योगमंडल में के एस पी पी एल को 30 सेंट भूमि आवंटित करके कोच्ची सेलम पाइपलाइन प्राइवट लिमिटेड (के एस पी पी एल) के साथ लीव और लाइसेंस का समझौता किया है।

2बी.4. निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
निवेश संपत्ति से किराया आय	124.72	124.75
आय अर्जित करनेवाली संपत्ति को सीधे प्रचालन व्यय	-	-
घटाइए : व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-
मूल्यह्रास के पूर्व निवेश संपत्ति से अर्जित लाभ	124.72	124.75
मूल्यह्रास	-	-
निवेश संपत्ति से अर्जित लाभ	**124.72**	**124.75**

2 बी.5. उचित मूल्य का समाधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
निवेश संपत्ति से उचित मूल्य - पूर्ण स्वामित्व वाला भूमि		
अथ शेष	3,750.69	2,906.41
योग/(घटती)	-	844.28
अंत शेष	**3,750.69**	**3,750.69**

पूर्ण स्वामित्व वाला भूमि का उचित मूल्य केरल सरकार द्वारा उनके वेबसाइट में जारी अधिसूचना पर आधारित है।

2बी.6 पट्टा प्राप्तियों का परिपक्वता विश्लेषण नोट 40.ए (i) के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

नोट नं. 2ग : गैर चालू परिसंपत्तियाँ - उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

	सकल रखाव रकम					मूल्यह्रास				निवल रखाव रकम	
विवरण	01.04.2024 को	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	वर्ष के दौरान पट्टे का पुनर्मूल्यांकन	31.03.2025 को	01.04.2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	31.03.2025 तक	31.03.2025 को	31.03.2024 को
भूमि आरओ यू	3,842.92	-	-	-	**3,842.92**	594.26	162.44	-	756.70	3,086.22	3,248.66
इमारत आरओ यू	16.12	-	(16.12)	-	-	9.53	6.59	(16.12)	-	-	6.59
कुल	**3,859.04**	**-**	**(16.12)**	**-**	**3,842.92**	**603.79**	**169.03**	**(16.12)**	**756.70**	**3,086.22**	**3,255.25**
पिछले वर्ष	3,605.64	163.90	(16.17)	105.67	3,859.04	445.77	174.19	(16.17)	603.79	3,255.25	3,159.87

(i) उपर्युक्त में, कच्चे मालों के संग्रह और उठाने-चढने के और बार्ज प्रचालन के लिए समय सारणी स्थापित करने के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ली गई भूमि भी सम्मिलित है। पट्टा करार कार्यान्वयन के लिए निलंबित है। परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और पट्टा देयता को मान्यता दिनांक 14.11.2014 को जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मंजूरी के आधार पर स्वीकृत मसौदा करार के आचार पर की गई है।

(ii) इंड ए एस 116 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन - संदर्भ नोट 40बी देखें।

नोट नं. 2घ.गैर चालू परिसंपत्तियाँ-अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

	मानित लागत						क्रमिक अपाकरण					अपसामान्य हानि			निवल ब्लॉक	
विवरण	1.04.2024 को	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती	वर्ष के दौरान समायोजन	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन	31.03.2025 को	01.04.2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान/ कटौती पर	वर्ष के दौरान समायोजन पर	31.03.2025 तक	01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान (वापसी)/ प्रावधान	31.03.2025 तक	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क्दृश्च्रद्वद्यड्ढ्ढ च्द्ृढद्यध्ठ्ढद्धड्ड	224.51	-	-	-	-	**224.51**	197.08	11.39	-	-	**208.47**	-	-	-	**16.04**	27.43
च्र्दृद्यठ्ठ	**224.51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**224.51**	**197.08**	**11.39**	**-**	**-**	**208.47**	**-**	**-**	**-**	**16.04**	**27.43**
घ्द्रड्डध्त्दृद्वद्म न्ड्ठद्ध	210.64	13.87	-	-	-	224.51	164.96	32.12	-	-	197.08	-	-	-	27.43	45.68

नोट नं. 3 ए गैर चालू परिसंपत्तियाँ - संयुक्त उद्यम में निवेश

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
संयुक्त उद्यम में		
एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड		
प्रत्येक ₹10/- के 3,52,27,000 साम्या शेयर (पिछले वर्ष 3,52,27,000)	3,522.70	3,522.70
घटाइए : निवेश मूल्य में ह्रासन के लिए प्रावधान	(3,522.70)	(3,522.70)
(नीचे टिप्पणी देखें)	-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश	-	-

3ए.1. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायीकरण (एन सी एल टी), कोच्ची बेंच ने दिनांक 11.01.2024 और 28.01.2025 को अपने आदेश के माध्यम से, एफ आर बी एल के वित्तीय लेनदार द्वारा दायर याचिका के जवाब में, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के अनुसार फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आर पी) को नियुक्त किया है। तदनुसार एफ आर बी एल के निदेशक मंडल को प्रतिस्थापित किया गया था। समाधान पेशेवर ने कार्यवाही शुरू कर दी है और यह प्रगति पर है।

नोट नं. 3बी गैर चालू परिसंपत्तियाँ, वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य निवेश

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए. गैर-उद्धृत साम्या शेयरों में निवेश		
(I) इंडियन पोटैश लिमिटेड		
4,59,000 बोनस शेयरों सहित (पिछले वर्ष 4,59,000) पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹10/- के 6,48,000 (पिछले वर्ष 6,48,000) साम्या शेयर	14,402.84	12,271.69
(ii) केरला एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹10/- के 31,24,000 (पिछले वर्ष 31,24,000) साम्या शेयर(नीचे टिप्पणी 3क-2 देखें)	1,122.45	532.95
(iii) ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लिमिटेड.,		
3,40,910 बोनस शेयरों सहित प्रत्येक ₹10/- के 6,81,820 (पिछले वर्ष 6,81,820) साम्या शेयर	280.98	231.27
(iv) केपेक्सिल एजेंसीस लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹1000/- के 15 (पिछले वर्ष 15) साम्या शेयर	0.15	0.15
घटाइए : निवेश मूल्य में ह्रासन के लिए प्रावधान	(0.15)	(0.15)
	-	-
गैर-उद्धृत साम्या शेयरों में निवेश	**15,806.27**	**13,035.91**
बी. कॉ-ऑपरेटीव सोसाइटियों में शेयर :		
(i) फेक्ट कॉ-ऑपरेटीव सोसाइटी लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹10/- के 10,001 (पिछले वर्ष 10,001) शेयर	1.00	1.00
(ii) मेहराबाद कॉ-ऑपरेटीव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹100/- के 7 (पिछले वर्ष 7) शेयर	0.01	0.01
(iii) गुड एर्थ हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड		
पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹500/- (पिछले वर्ष ₹500) सहित पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹50 के 10 (पिछले वर्ष 10) शेयर	0.01	0.01
कॉ-ऑपरेटीव सोसाइटियों में शेयर	**1.02**	**1.02**
अन्य निवेश (ए + बी)	**15,807.29**	**13,036.93**

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
न उद्धृत निवेशों का योग रकम	**15,807.29**	**13,036.93**
सी) न उद्धृत साम्या शेयरों के निवेशों के उचित मूल्य मापन का समाधान		
(i) **इंडियन पोटैश लिमिटेड**		
अथ शेष	12,271.69	10,576.59
कुल लाभ एवं हानि, जिसे ओ सी आइ में मान्यता प्राप्त है	2,131.15	1,695.10
अंत शेष	14,402.84	12,271.69
(ii) **केरला एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**		
अथ शेष	532.95	462.88
कुल लाभ एवं हानि, जिसे ओ सी आइ में मान्यता प्राप्त है	589.50	70.07
अंत शेष	1,122.45	532.95
(iii) **ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लिमिटेड**		
अथ शेष	231.27	245.74
कुल लाभ एवं हानि, जिसे ओ सी आइ में मान्यता प्राप्त है	49.71	(14.47)
अंत शेष	280.98	231.27
(iv) कैपेक्सिल एजेंसीस लिमिटेड में निवेश का मूल्य पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तथा पुस्तकों में इसका मूल्यांकन शून्य है।		
(v) को-ऑपरेटीव सोसाइटियों के शेयर अंकित मूल्य में प्रतिधारित किया है।		

नोट नं. 4. गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सुरक्षा जमा - असंदिग्ध माने गए माल	1,329.17	1,175.06
पूँजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए रखी गई आवधिक जमा*(i)	299.00	-
उपरोक्त (i) पर अर्जित ब्याज	10.77	-
अन्य जमा	12.03	11.99
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम		
संदिग्ध माने गए,	3,619.02	3,618.56
घटाइए : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(3,619.02)	(3,618.56)
	-	-
अन्यों को अग्रिम		
अरक्षित संदिग्ध माने गए	25,815.98	25,813.77
घटाइए : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(25,815.98)	(25,813.77)
	-	-
	1,650.97	**1,187.05**
* रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ		

प्रावधानों में संचलन

दोषपूर्ण और संदिग्ध उधार एवं पेशगियों के लिए प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्ष के प्रारंभ में प्रावधान	29,432.33	29,373.79
वर्ष के दौरान विमोचित	(1.09)	-
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	3.76	58.54
वर्ष के अंत में प्रावधान	**29,435.00**	**29,432.33**

4.1. संदिग्ध उधार एवं अग्रिम के लिए प्रावधान में ₹25,450.98 लाख (पिछले वर्ष ₹25,450.98 लाख) सम्मिलित है, जो किसी वैयक्तिक कंपनी को दिए गए संसज्जन अग्रिम पर दिनांक 31.03.2022 को प्रोद्भूत ब्याज के प्रति है। मुकदमा निलंबित है। समतुल्य राशि का प्रावधान किया गया है जो वसूलीयोग्य मानी गई रकम से अधिक ब्याज के प्रति अलग रखा है। (टिप्पणी 13.2, 50.1 और 51 देखें)

नोट नं. 5 गैर चालू परिसंपत्तियाँ - आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ(निवल)

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए. के संबंध में आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(4,913.60)	(4,559.10)
कुल	**(4,913.60)**	**(4,559.10)**
बी. के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
अग्रेषित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास	12,305.15	13,201.51
कुल	**12,305.15**	**13,201.51**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**7,391.55**	**8,642.41**

5.1 कंपनी के पास अनवशोषित मूल्यह्रास और अग्रेषित व्यापार हानि के कारण ₹12,305.15 लाख (गत वर्ष ₹13,201.51 लाख)की आस्थगित कर परिसंपत्ति है। 31.3.2025 तक संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों के कार आस्थगित कर देनदारी ₹4913.60 लाख (गत वर्ष ₹4,559.10 लाख) है। निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति को 31.3.2025 तक मान्यता दी गई है।

5.2 आस्थगित कर केलिए कर आधार

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए. के संबंध में आस्थगित कर देयता के लिए कर आधार		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(19,521.66)	(18,113.22)
कुल	**(19,521.66)**	**(18,113.22)**
बी. के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ के लिए कर आधार		
अग्रेषित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास	48,888.18	52,449.40
कुल	**48,888.18**	**52,449.40**

5.3 आस्थगित कर घटकों का संचलन

₹ लाखों में

31 मार्च 2025 को समाप्त	अथ शेष	लाभ या हानि की मान्यता में	अंत शेष
के संबंध में आस्थगित कर देयता / परिसंपत्तियाँ के लिए कर आधार			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(4,559.10)	(354.50)	(4,913.60)
अग्रेषित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास	13,201.51	(896.36)	12,305.15
कुल	**8,642.41**	**(1,250.86)**	**7,391.55**

₹ लाखों में

31 मार्च 2024 को समाप्त	अथ शेष	लाभ या हानि की मान्यता में	अंत शेष
के संबंध में आस्थगित कर देयता / परिसंपत्तियाँ के लिए कर आधार			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	(4,559.10)	(4,559.10)
अग्रेषित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास	-	13,201.51	13,201.51
कुल	**-**	**8,642.41**	**8,642.41**

कंपनी ने सावधानी से 31.03.2023 तक निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ देयता को मान्यता नहीं दी थी।

5.4 वर्ष के लिए कर व्यय/ (आय) को लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है: ₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त	31 मार्च 2024 को समाप्त।
ए. कर पूर्व लाभ (हानि)	**5,374.06**	**4,185.08**
बी. 25.17% की लागू कर दर के अनुसार आयकर (पिछले वर्ष - 25.17%)	**1,352.65**	**1,053.39**
सी. कर प्रभावः		
हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्ति की अमान्यता / (मान्यता)	1,085.62	(15,001.60)
अस्वीकृति / स्वीकृति भत्तों पर निवल आयकर प्रभाव	(1,583.45)	746.70
मूल्यह्रास की समय-संबंधी अंतर के करण आस्थगित कर	343.18	4,559.10
स्थायी अंतरों पर आस्थगित कर	52.86	-
कुल	**(101.79)**	**(9,695.80)**
डी. लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया व्यय / (आय)	**1,250.86**	**(8,642.41)**

*कंपनी ने सावधानी से 31.03.2023 तक निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ देयता को मान्यता नहीं दी थी।

नोट नं.6 गैर-चालू परिसंपत्तियाँ - अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ ₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पूँजीगत अग्रिम (रक्षित असंदिग्ध माल)	2,631.51	3,246.46
	2,631.51	**3,246.46**

नोट नं. 7. चालू परिसंपत्तियाँ - मालसूचियाँ ₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कच्चे माल	16,011.41	15,822.86
मार्गस्थ कच्चे माल	7,347.25	14,552.96
	23,358.66	30,375.82
चालू निर्माण कार्य	14,717.51	6,570.64
तैयार माल	36,617.64	65,866.68
व्यापार में स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित मालों के संबंध में)	10,056.67	2,617.11
भंडार एवं पुर्जे		
मशीनरी पुर्जे	11,608.33	10,798.41
सामान्य भंडार	2,834.28	2,661.82
मार्गस्थ भंडार एवं पुर्जे	274.81	281.93
	14,717.42	13,742.16
निवृत्त पुर्जे	453.50	453.50
कुल मालसूचियाँ	**99,921.40**	**1,19,625.91**
घटाइए: अप्रचलन एवं भंडारण हानियों के लिए प्रावधान	(5,419.07)	(5,255.96)
	94,502.33	**1,14,369.95**

टिप्पणियाँ

7.1. चालू परिसंपत्तियों में मालसूची और व्यापार प्राप्य रकम जिसे बैंकों के साथ कार्यशील पूँजी व्यवस्था (निधि/निधितर आधारित) के लिए प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ₹90.000.00 लाख के लिए गिरवी रखे हैं। इस व्यवस्था की उपयोगिता रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ₹16,955.38 लाख (पिछले वर्ष ₹7834.86 लाख) है।

7.2. तैयार मालों की मालसूची, कच्चे माल, भंडार एवं पुर्जों, प्रगतिशील काम आदि कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।(कृपया नोट 1.3 **(v)** देखें)।

7.3. तैयार मालों में 21.01लाख मी ट बिक्री-योग्य जिप्सम(थोक) (गत वर्ष 21.09 लाख मी ट) जिसका मूल्य ₹13,157.84 लाख (गत वर्ष ₹12,389.90 लाख) है। दिनांक 31.03.2025 के अनुसार, जिप्सम के बंद स्टॉक के निर्धारण के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में आयोजित प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर बिक्री योग्य जिप्सम का निर्धारण किया है।

7.4. मार्गस्थ भंडार और उपस्कर में निरीक्षण के लिए लंबित स्थानीय भंडार और उपस्कर सम्मिलित है जो 235.33 लाख रुपए के हैं (गत वर्ष 281.93 लाख रुपए)।

7.5. वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने चिकमंगलूर डिपो में प्रत्यक्ष स्टाक में 543.60 मी ट फेक्टमफोस और 60.50 मी ट अमोनियम सल्फेट की मात्रागत अनियमितताओं का पता लगाया था, जिनका मूल्य 218.50 लाख रुपए (6.88 लाख रुपए जी एस टी समेत) है। कंपनी ने बिक्री मूल्य (जी एस टि घटाकर) और सहायिकी के रूप में 211.62 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया था. कुछ डीलरों ने उन्हें आपूर्ति किए जाने तक 23.50 मी ट उर्वरक मूल्य का दावा करते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।। उपर्युक्त के सिलसिले में, कंपनी ने बाद में वर्ष के दौरान 63.85 लाख रुपए की संकलित रकम विविध डीलरों से 256.95 मी ट फेक्टमफोस के विक्रय मूल्य के तौर पर वसूल की है। तथापि, कंपनी ने अन्वेषण समाप्ति तक 211.62 लाख रुपए का अनुरक्षण किया है। कंपनी ने परिवाहकों, डीलरों और गोदामों से वसूली के लिए कदम उठाए हैं। (कृपया नोट 13.3, 23.1, 24.2, 26.1देखें)।

7.6. 31.3.2025 को पाँच वर्ष या उससे अधिक पुराने भंडार एवं कलपुर्जों के गैर-चल स्टॉक के लिए 90 प्रतिशत प्रावधान किया गया है।

7.7 लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त चालू निर्माण कार्य का लेखा-जोखा (लागत और एन आर वी के बीच अंतर) 352.66 लाख रूपए है (पिछले वर्ष 136.08 लाख)

7.8 प्रावधानों में संचलन

अप्रचलन एवं भंडारण हानियों के लिए प्रावधान (निवृत्त पुर्जे के लिए प्रावधान सहित) ₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्ष के प्रारंभ में प्रावधान	5,255.96	5,995.83
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	163.11	-
वर्ष के दौरान विमोचित	-	(739.86)
वर्ष के अंत में प्रावधान	**5,419.07**	**5,255.96**

नोट नं. 8. चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्य

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
संबंधित पार्टी से		
अरक्षित		
क्षतिग्रस्त ऋण	297.72	297.72
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(297.72)	(297.72)
	-	-
अन्य		
अरक्षित		
क्षतिग्रस्त ऋण	1,669.98	1,647.71
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(1,669.98)	(1,647.71)
	-	-
विविध ऋण		
रक्षित, माने गए माल	1,543.95	7,063.09
अरक्षित, माने गए माल	974.24	2,000.60
	2,518.19	9,063.69
सहायिकी प्राप्ति		
अरक्षित		
संदिग्ध माने गए	411,33	18,663.04
अरक्षित, माने गए माल	25,829.42	6,750.04
घटाइए: संदिग्ध सहायिकी का प्रावधान	(411.33)	(18,663.04)
	25,829.42	6,750.04
	28,347.61	**15,813.73**

प्रावधानों में संचलन

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्ष के प्रारंभ में प्रावधान	20,608.47	2,381.23
वर्ष के दौरान विमोचित	(18,260.31)	(84.44)
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	30.87	18,311.68
वर्ष के अंत में प्रावधान	**2,379.03**	**20,608.47**

31 मार्च 2025 को व्यापार प्राप्य राशि की कालिक अनुसूची

₹ लाखों में

विवरण	देय नहीं	भुगतान की तारीख से अवधियों को बकाया रकम					कुल
		6 महीनों से कम	6 महीनों से एक वर्ष तक	1-2 वर्ष तक	2-3 वर्ष तक	3 वर्षों से अधिक	
(I) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - असंदिग्ध माने गए	-	19,701.56	5,763.87	2,780.03	74.33	26.80	**28,346.59**
(ii) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - जिनमें उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - उधार ह्रासित	-	-	1.62	11.95	4.86	1,732.38	**1,750.81**
(iv) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम - जो असंदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	1.02	**1.02**
(v) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम - जिसमें उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम उधार ह्रासित	-	-	-	-	-	628.22	**628.22**
कुल	**-**	**19,701.56**	**5,765.49**	**2,791.98**	**79.19**	**2,388.42**	**30,726.64**
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान							(2,379.03)
कुल (प्रावधान का निवल)	**-**	**19,701.56**	**5,765.49**	**2,791.98**	**79.19**	**2,388.42**	**28,347.61**

31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्य राशि की कालिक अनुसूची

₹ लाखों में

विवरण	देय नहीं	भुगतान की तारीख से अवधियों को बकाया रकम					कुल
		6 महीनों से कम	6 महीनों से एक वर्ष तक	1-2 वर्ष तक	2-3 वर्ष तक	3 वर्षों से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - असंदिग्ध माने गए	6,016.08	2,587.65	3,239.36	3,918.62	49.50	1.45	**15,812.66**
(ii) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - जिनमें उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार से प्राप्य रकम - उधार ह्रासित	-	16,721.67	1,533.85	5.90	0.00	1,710.50	**19,971.92**
(iv) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम - जो असंदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	1.07	**1.07**
(v) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम - जिसमें उधार जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादाधीन व्यापार से प्राप्य रकम उधार ह्रासित	-	-	-	-	-	636.55	**636.55**
कुल	**6,016.08**	**19,309.32**	**4,773.21**	**3,924.52**	**49.50**	**2,349.57**	**36,422.20**
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान							(20,608.47)
कुल (प्रावधान का निवल)	**6,016.08**	**19,309.32**	**4,773.21**	**3,924.52**	**49.50**	**2,349.57**	**15,813.73**

नोट नं. 9. चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ-नकद एवं नकद समतुल्य

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
बैंक शेष	2,305.85	2,305.85
हस्तगत नकद	2.27	2.27
बैंकों के पास अल्पावधि जमा * (i)	41,223.02	41,223.02
उपरोक्त (i) पर अर्जित ब्याज	35.69	35.69
	43,566.83	**43,566.83**

* तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता

9.1 नकद एवं नकद समतुल्यों में सम्मिलितः

(ए) ₹814.90 लाख (पिछले वर्ष ₹1070.79 लाख) जो जमा आधार पर काम के प्रति प्राप्त है, जो विशिष्ट लेखे में संबधित देयताएँ निभाने के लिए रखा गया है।

(बी) 31.03.2025 तक सी एस आर गतिविधियों के लिए शेष ₹232.21 लाख (पिछले वर्ष ₹300.61 लाख) की अव्ययित रकम को निर्धारित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है जो अलग बैंक खाते में रखा गया है।

नोट नं. 10. चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य बैंक शेष

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अप्रदत्त लाभांश खाते की शेष राशि	10.01	10.01
साख पत्र, बैंक गारंटी और निधि आधारित व्यवस्था के लिए गिरवी रखी गई राशि * (i)	67,456.66	67,456.66
कैपेक्स परियोजनाओं के लिए निर्धारित जमा * (ii)	147,989.41	147,989.41
उपरोक्त (i) एवं (ii) पर अर्जित ब्याज	8,909.38	8,909.38
	2,24,365.46	**2,24,365.46**

* रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाला

10.1. कैपेक्स परियोजनाओं को निर्धारित निवेश पर निधि आधारित और गेर-निधि आधारित सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए सीमांत रकम ₹1,624.84 (पिछले वर्ष ₹36055.21) लाख की जमा राशि पर ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है।

नोट नं. 11. चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सुरक्षा जमा:		
अरक्षित, माने गए माल	8.48	4.80
सेवा आदेशों के बदले प्राप्य रकम	368.64	407.50
अन्य प्रोद्भूत आय	24,727.78	23,510.40
ग्रूप उपदान योजना के अंतर्गत एल आई सी से प्राप्य रकम	16.95	90.38
टाउनशिप देय राशि(संदिग्ध देय राशि के लिए निवल प्रावधान)	97.91	147.85
विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (निवल)	-	102.41
अन्य	34.52	24.51
	25,254.28	**24,287.85**

11.1 अन्य प्रोद्भूत आय में ₹24,589.67 लाख(पिछले वर्ष ₹21,820.08 लाख सम्मिलित है जो डीलरों के पास पी एण्ड के उर्वरक स्टॉक के न दावा की गई डी बी टी सहायिकी (वसूली आधारित हिसाब, जिसका पावती में पर्याप्त सुधार को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गयै है) हिस्से का 95% (पिछले वर्ष 90%) है। (नोट 27.1 & 53) देखें

नोट नं. 12. चालू परिसंपत्तियाँ - चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
आय कर (निवल प्रावधान)	128.68	160.54
	128.68	**160.54**

नोट न. 13. चालू परिसंपत्तियाँ - अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
से ऋणः		
सांविधिक प्राधिकारों	59,200.36	50,428.43
घटाइएः संदिग्ध प्राप्य रकम के लिए प्रावधान	(39,072.99)	(34,358.16)
	20,127.37	16,070.27
संविदाकार	2,263.60	4,121.23
कर्मचारी	466.66	239.00
पूर्वप्रदत्त व्यय	763.12	672.08
अन्य	279.54	821.90
	23,900.29	**21,924.48**

13.1 सांविधिक प्राधिकारियों से देय रकम में

(I) पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस(आर एल एन जी) पर चुकाए मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति में केरल सरकार द्वारा अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 31.3.2025 को आर एल एन जी पर प्राप्य वैट के लिए 39,017.84 लाख (पिछले वर्ष ₹34,303.01 लाख) का प्रावधान किया है जो संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान के अंतर्गत था। (कृपया नोट नं.29.2 देखें)

(ii) 64.83 लाख रुपए (पिछले वर्ष 64.83 लाख रुपए) (निवल प्रावधान) की केवाट वापसी की प्राप्ति और

(iii) अपीलाधीन विवादपूर्ण मांगों के विरुद्ध दी गई रकम ₹72.97 लाख (पिछले वर्ष ₹72.97 लाख) सम्मिलित है।

13.2. संविदाकारों से बकाया राशियों में पूर्ति की गई सामग्रियों के लिए दी गई रकम सम्मिलित है लेकिन जिन्हें कंपनी ने इनकार किया था और निपटान निर्णयाधीन है, जो ₹0.56 लाख (गत वर्ष ₹15.21 लाख) और बकाया राशि में ₹1353.19 लाख (गत वर्ष ₹1353.19 लाख) सम्मिलित है और इसमें कंपनी द्वारा अवलंब ली बैंक गैरंटी के आधार पर वसूली योग्य माना गया ब्याज सम्मिलित है। वर्ष 2013-14 के दौरान माध्यस्थम पंचाड पारित किया गया, जिसके अनुसार कंपनी इस अग्रिम और सूद के प्रति ₹2798.29 लाख का समायोजन करने के लिए हकदार है जो संविदाकार से बकाया रकम के रूप में दावा की गई है। कंपनी ने इस पंचाड के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय में अपील की है, जिससे पंचाड रोका गया है। मामला को वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। तदनुसार कंपनी ने बैंक से माँग की है कि ब्याज सहित बैंक गैरंटी का नकदीकरण प्रक्रिया भेज दें। बैंक ने दावा स्वीकार नहीं किया और परिणामस्वरूप कंपनी ने बैंक के विरुद्ध मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है ताकि रकम वसूल कर सके, यह निर्णयाधीन है। तथापि, ₹1353.19 लाख के रकम को मुकदमों के निपटान के अधीन प्रतिधारित रखा गया है।

13.3. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ, ठेकेदारों से देय रकम में ठेके की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार परिवहन ठेकेदार को प्रभारित ₹ 476.89 लाख (नियत स्थानों पर डीलरों को मालों के सुपुर्दगी न करने के लिए) शामिल है। (कृपया नोट नं.7.5, 23.1 & 24.2 देखें)

13.4 अन्य चालू परिसंपत्तियों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग के बाद ₹250.37 लाख (पिछले वर्ष ₹792.77 लाख) का सी एस आर व्यय सम्मिलित है जो कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक है। (नोट 35.5 देखें)

नोट नं.14 निपटान के लिए रखी गैर चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
निपटान के लिए रखे सेवारहित परिसंपत्तियाँ	4,065.02	4,065.02
	4,065.02	**4,065.02**

निपटान के लिए रखी सेवारहित परिसंपत्तियों में कोचीन संभाग के अमोनिया और यूरिया संयंत्र सम्मिलित है जिन्हें कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान स्क्रैप करने का निर्णय लिया था। इन अलग रखी गई परिसंपत्तियों को बहियों में 4065.02 लाख रुपए के ह्रासित मूल्य पर (गत वर्ष 4065.02 लाख रुपए) प्रतिधारित हैं। यह रकम प्राक्कलित निवल वसूली योग्य से कम है। मुकदमा न्यायालय के अधीन विचाराधीन होने के कारण कंपनी निपटान प्रक्रिया को समाप्त न कर सकी।

नोट नं. 15. साम्या- साम्या शेयर पूँजी

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
प्राधिकृतः		
प्रत्येक ₹10/- के 100,00,00,000 (पिछले वर्ष 100,00,00,000) साम्या शेयर	100,000.00	100,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप में प्रदत्तः		
प्रत्येक ₹10/- के 64,70,71,974 (पिछले वर्ष 64,70,71,974) पूर्ण प्रदत्त साम्या शेयर	**64,707.20**	**64,707.20**

15.1 वित्तीय वर्ष के आरंभ एवं अंत में बकाया शेयरों का समाधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	64,70,71,974	64,70,71,974
वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	64,70,71,974	64,70,71,974

15.2 शेयरों के संबद्ध अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी के पास 10 रुपए प्रति शेयर के मूल्य का साम्या शेयर एक श्रेणी में है। प्रत्येक शेयरधारी प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का हकदार है। कंपनी लाभांश की घोषणा करती है और भारतीय रुपए में लाभांश चुकाती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी आम बैठक में शेयरधारियों के अनुमोदन के अध्यधीन है, अंतरिम लाभांश के मामले में यह लागू नहीं है।

समापन के अवसर पर, साम्या शेयरधारी कंपनी का बाकी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र है जो सभी अधिमानी रकमों के वितरण के बाद उनके धारित शेयरों को अनुपात में होगा।

15.3 5% से ज्यादा शेयरों के रखनेवाले शेयरधारियों द्वारा रखे गए शेयर :

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(ए) भारत सरकार		
शेयरों की संख्या	58,23,64,776	58,23,64,776
कुल शेयरों का प्रतिशत	90.00%	90.00%
(बी) भारत सरकार द्वारा गठित विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि *		
शेयरों की संख्या	5,54,00,424	5,54,00,424
कुल शेयरों का प्रतिशत	8.56%	8.56%

* भारत सरकार ने ₹10 के 55400424 साम्या शेयरों को दिनांक 6 अगस्त 2013 को विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरित किया था।

15.4. शेयरों / विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्पों एवं संविदाओं / प्रतिबद्धताओं के अधीन जारी करने के लिए आरक्षित शेयर। कुछ नहीं।

15.5 नकद, बोनस शेयर और वापस खरीदे गए शेयरों के अलावा प्रतिफल के लिए आवंटित शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी - तुलन-पत्र की तारीख से तुरंत पहले पांच वर्षों की अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

15.6 परिवर्तन की यथा तारीख के साथ जारी किए गए साम्या /अधिमानीय शेयरों में परिवर्तनीय कोई अन्य प्रतिभूति की शर्त- **कुछ नहीं**

15.7. वर्षांत संवर्धकों के पास धारित शेयर

संवर्धक का नाम	शेयरों की संख्या(साम्या शेयर)	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान % का परिवर्तन
भारत सरकार	582364776	90.00%	कुछ नहीं
कुल	**582364776**	**90.00%**	**कुछ नहीं**

नोट नं. 16. साम्या - अन्य साम्या

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
आरक्षित पूँजी :		
औद्योगिक भवन योजना के अंतर्गत केरल राज्य सरकार से सहायिकी	2.64	2.64
	2.64	**2.64**
अन्य आरक्षित :		
आस्थगित सरकारी अनुदान :		
इंडो इ इ सी उर्वरक शिक्षा परियोजना		
अथ शेष	49.85	50.78
घटाइए: लाभ एवं हानि विवरण को अंतरित रकम	(0.94)	(0.93)
अंत शेष	**48.91**	**49.85**
अन्य बृहत् आय द्वारा साम्या लिखत		
अथ शेष	12,670.38	10,919.67
वर्ष के दौरान (घटती/बढती)	2,770.35	1,750.71
अंत शेष	**15,440.73**	**12,670.38**
प्रतिधारित किए अर्जन :		
अथ शेष	58,354.43	51,694.08
जोडिए : वर्ष के दौरान लाभ / (हानि)	4,123.20	12,827.49
जोडिए : निश्चित किए हितलाभ योजना की पुनर्मापन	669.17	303.58
घटाइए : लाभांश	(6,276.60)	(6,470.72)
अंत शेष	**56,870.20**	**58,354.43**
अन्य साम्या	**72,362.48**	**71,077.30**

16.1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, निदेशक मंडल ने 0.20 रुपए प्रति साम्या शेयर (गत वर्ष 0.97 रुपए प्रति साम्या शेयर) का अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो कंपनी के शेयरधारियों द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन है।

नोट नं. 17. गैर चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - पट्टा देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पट्टा देनदारियाँ (नोट 40 बी देखें)	3,117.06	3,162.60
	3,117.06	**3,162.60**

नोट नं. 18. गैर चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - अन्य वित्तीय देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
किराए के प्रति सुरक्षा जमा	27.88	29.36
	27.88	**29.36**

नोट नं 19 गैर चालू देनदारियाँ - प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
(I) उपदान के लिए प्रावधान	5,959.05	8,174.09
(ii) छुट्टी भुगतान के लिए प्रावधान	8,207.81	7,733.18
पट्टे की संपत्तियों में परिसंपत्तियों का डीकमीशनिंग	334.59	309.76
	14,501.45	**16,217.03**

नोट नं. 20. गैर चालू देनदारियाँ - अन्य गैर चालू देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
प्राप्त अग्रिम किराया	843.04	974.80
	843.04	**974.80**
20.1 - संचलन		
वर्षारंभ में	1,156.56	1,311.04
प्राप्त पेशगियाँ	42.79	38.80
लाभ और हानि विवरण में विमोचित	(170.55)	(193.28)
वर्षांत के अनुसार	1,028.80	**1,156.56**
20.2 - चालू / गैर-चालू विभाजन		
चालू (नोट 25 देखें)	185.76	181.76
गैर चालू	843.04	974.80
	1,028.80	**1,156.56**

नोट नं. 21. गैर चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - उधार

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
रक्षित :		
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता :		
भारत सरकार से आवधिक ऋण, (नीचे नोट 21.1 देखें)	128,273.00	128,273.00
उपरोक्त पर ब्याज को ऋण में परिवर्तित	48,775.75	48,775.75
	177,048.75	**177,048.75**
अरक्षित:		
मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड से अंतर्निगमित ऋण	-	510.00
	177,048.75	**177,558.75**

21.1. प्रतिवर्ष 13.50% के सूद पर 100000.00 लाख रुपए का एक योजना उधार भारत सरकार द्वारा (जी ओ आई) 29 मार्च 2016 को कंपनी के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए विमोचित किया गया था। भारत सरकार के आदेशानुसार 100000.00 लाख के साथ 28,273 लाख के पूर्ववर्ती उधार और बकाया देय ब्याज को एकक उधार के रूप में परिवर्तित करके प्रतिवर्ष 13.50% सूद और एक वर्ष के अधिस्थगन दिया गया। दिनांक 12.01.2016 के वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार के पत्र के अनुसार उधार की स्वीकृति देते हुए कंपनी का कुल बकाया देनदारी 183672.00 लाख रुपए बताया गया। कंपनी ने भारत सरकार के उर्वरक विभाग के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है, कि कंपनी की 408 एकड भूमि 13.50% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित दिनांक 31.03.2017 को संपूर्ण उधार की बकाया रकम की वापसी के लिए गिरवी रखेगी। उधार की रकम समायोजित की गई और दिनांक 31.03.2017 तक संचित बकाया उधार ब्याज सहित दिनांक 31.03.2017 के अनुसार 177048.75 लाख रुपए है।ब्याज सहित ऋ्रण का भुगतान 2022 तक समाप्त होने वाली 5 वर्षों की अवधि के भीतर तीन या अधिक समान किस्तों में किया जा सकेगा। तदनुसार, संपूर्ण रकम 177048.75 लाख रुपए होने के कारण (गत वर्ष 177048.75 लाख रुपए) दीर्घवधि उधार की चालू देनदारियाँ- चालू परिपक्वताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31.03.2025 के अनुसार बकाया मूलधन और ब्याज सहित रकम भारत सरकार की बाकी रकम के साथ पुष्टि की गई है।

कंपनी ने उर्वरक विभाग (डी ओ एफ), भारत सरकार (जी ओ आई) को एक वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें भारत सरकार के उधार पर ब्याज के अधित्यजन का अनुमोदन माँगा गया है, ₹28,273.00 लाख के उधार की रकम को साम्य में बदलने और ₹1,00,000.00 लाख के उधार को ब्याज-मुक्त उधार में बदलने और वार्षिक किस्तों में वापस करने का निवेदन किया गया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्संरचना प्रस्ताव उर्वरक विभाग, भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार के अनुमोदन निलंबित होने के कारण, सरकार से लिया गया उधार और उस पर के ब्याज का आकलन किया गया है और दिनांक मार्च 3, 2016 के उधार करार के अनुसार प्रकट किया गया है।

21.2 कंपनी और मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (आर सी एफ) ने मेसर्स एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड, 50:50 संयुक्त उद्यम (कंपनी और आर सी एफ के बीच का) निविदाकारों को निगमित गैरेंटी प्रदान की थी। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकरों को आर सी एफ ने संपूर्ण देयता का निपटान किया है 50% कंपनी के शेयर समेत ₹5100 लाख की हद तक ₹2550 लाख इस शर्त पर कि कंपनी आर सी एफ द्वारा चुकाई रकम को कंपनी की ओर से निगमित उधार के रूप में 5 वर्ष की अवधि में अदायगी के साथ माना जाएगा जो वर्ष 2020-21 से आरंभ हो रहा है। कंपनी ने वर्ष के दौरान समझौते के अनुसार 510 लाख रुपए की अंतिम किश्तों का भुगतान किया है। वर्ष 2024-25 के लिए ऋण पर लागू ब्याज दर 7.73% प्रति वर्ष है(पिछले वर्ष 7.82%)। है।

नोट नं. 22. चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - पटटा देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पट्टा देनदारियाँ (नोट 40बी देखें)	297.51	301.03
	297.51	**301.03**

नोट नं. 23. चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - व्यापार देयताएँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
व्यापार देयदाएँ		
(I) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कारण(नोट 38 देखें)	438.76	1025.21
(ii) अन्य	46,268.03	47,359.79
	46,706.79	**48,385.00**

(व्यापार देयताओं की आयु अनुसूची के लिए नोट 39 देखें)

23.1. व्यापार देय रकम, अन्य में ठेके की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार नियत स्थान पर डीलरों को मालों की सुपुर्दगी न करने कि लिए परिवहन ठेकेदार से रोक रखे ₹ 290.02 लाख और गोदाम से रोक रखे ₹ 146 लाख (गत वर्ष ₹ 146 लाख) सम्मिलित है। (नोट नं. 7.5, 13.3, 24.2 भी देखें)

नोट नं. 24. चालू देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ - अन्य वित्तीय देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
उधार पर उपचित ब्याज (नोट 21.1 & 21.2 देखें)		
भारत सरकार से आवधिक ऋण	1,91,212.65	167,311.07
अंतर्निगमित ऋण	-	25.47
कर्मचारियों को देय	871.53	1,196.66
ग्राहकों से व्यापार जमा	5,561.89	5,276.91
विदेशी मुद्रा देयता	47.19	-
अन्य देनदारियाँ	12,315.17	14,219.38
	2,10,008.43	**188,029.49**

24.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने 01.01.1997 से 30.06.2001 तक की अवधि से संबंधित मज़दूरी संशोधन के संवितरण के लिए एक योजना तैयार की है, चरण आधार पर जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आधार पर है। कर्मचारियों को देय राशि में ₹ 728.29 लाख (गत वर्ष ₹1030.96) 1997 देय राशि, एक वर्ष की है।

24.2 अन्य देनदारियों में ठेके की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार परिवहन ठेकेदारों से प्रभारित रकम शामिल है, जो नियत स्थान पर डीलरों को मालों की सुपुर्दगी न करने के लिए और गोदाम से रोक रखा राशि शामिल है। (देखें 7.5, 13.3 & 23.1 भी)

नोट नं. 25. चालू देनदारियाँ - अन्य चालू देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सांविधिक देय	1,170.23	938.17
ग्राहकों से अग्रिम	4,709.14	5,720.66
प्राप्त किराया राशि (नोट 20.2 देखें)	185.76	181.76
	6,065.13	**6,840.59**

नोट नं. 26. चालू देनदारियाँ - प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
(i) उपदान के लिए प्रावधान	887.71	1,113.98
(ii) छुट्टी भुनाने के लिए प्रावधान	1,114.28	888.42
अन्य संविदात्मक दायित्वों के प्रति प्रावधान	239.60	239.60
अन्य प्रावधान	211.62	211.62
	2,453.21	**2,453.62**

26.1. अन्य प्रावधानों में ₹211.62 लाख (पिछले वर्ष ₹211.62 लाख) (संकलित प्रावधान ₹218.50 लाख जी एस टी का निवल ₹6.88 लाख सम्मिलित है) जो कर्नाटक राज्य के कुछ गोदामों में पाए गए तैयार मालों की कमी के प्रति किए गए प्रावधान है। (कृपया नोट 7.5 देखें)

₹ लाखों में

नोट नं. 27. प्रचालनों से राजस्व

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
उत्पादों की बिक्री		
निजी उत्पाद	2,04,162.51	2,68,412.03
व्यापारित उत्पाद	38,437.10	24,869.54
	2,42,599.61	2,93,281.57
भारत सरकार से उर्वरकों पर सहायिकी / रियायत	1,61,128.91	2,11,221.46
	1,61,128.91	2,11,221.46
सेवाओं की बिक्री		
संविदाओं एवं अन्य सेवाओं से कुल आय	1,362.47	618.30
प्रचालनों से कुल राजस्व	**4,05,090.99**	**5,05,121.33**
निजी उत्पादों की बिक्री समाविष्टः		
फेक्टमफोस 20-20-0-13	1,54,548.68	1,73,043.13
अमोनियम सल्फेट	42,032.89	37,859.34
केप्रोलेक्टम	1,616.50	50,746.82
जिप्सम	2,713.18	2,791.79
अन्य	3,251.26	3,970.95
कुल	**2,04,162.51**	**2,68,412.03**
व्यापारित उत्पादों की बिक्री:		
म्यूरिएट ऑफ पोटैश	22,951.77	7,169.49
एन पी के 15:15:15	14,227.85	17,020.37
ऑर्गानिक मैनुअर्स	822.15	631.61
पी डी एम	311.78	7.20
पी आर ओ एम	68.24	2.98
एफ ओ एम	38.57	
नानो यूरिया एवं डी ए पी	16.74	37.89
कुल	**38,437.10**	**24,869.54**
उर्वरकों पर सहायिकी / रियायत		
फेक्टमफोस 20-20-0-13	1,21,205.23	1,65,493.94
अमोनियम सल्फेट	29,522.90	30,989.74
आयातित मिश्रित खादें	8,208.76	14,028.07
म्यूरिएट ऑफ पोटैश	2,181.31	709.71
एफ ओ एम : पी आर ओ एम	10.71	-
कुल	**1,61,128.91**	**2,11,221.46**

27.1 सीधे हितलाभ अंतरण (डी बी टी) सहायिकी योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, उर्वरकों पर सहायिकी आय बिक्री के समय डीलरों को प्रदान किया जाता है। तथापि पावती के आधार पर, सहायिकी दावा अंतिम हिताधिकारी को उर्वरक की बिक्री की तारीख को लागू दर पर तैयार किया जाता है। इस अवधि में पावती में पर्याप्त सुधार को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने वसूली के आधार का पुनःमूल्यांकन किया है और तदनुसार, 31.03.2025 को अंतिम लाभार्थी को बिक्री के लिए डीलरों के पास लंबित पी एण्ड के उर्वरक स्टॉक का 95% (पिछले वर्ष 90%) सहायिकी भाग ₹24,589.67 लाख (पिछले वर्ष ₹21,820.08 लाख) प्रचालन से राजस्व लाभ माना जाता है।(नोट 11.1 & 53 देखें)

₹ लाखों में

नोट नं. 28. अन्य आय

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय:		
बैंकों के साथ जमा पर	19,928.82	18,803.72
ऋणों, अग्रिमों, दावों, अतिदेय आदि पर	113.24	113.29
साम्या निवेश से लाभांश आय जो ओ सी आई द्वारा उचित मूल्य पर मापी जाती है।		
संयुक्त उद्यम के अलावा	48.60	45.36
अन्य अप्रचलन आय		
उपयोग के अधिकार के लिए किराया और मुआवजा	366.36	424.72
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ	44.24	242.81
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान	5.09	84.44
आस्थगित सरकारी अनुदानों से अंतरण: ई ई सी परियोजना पर	0.94	0.94
विविध आय	1,137.33	596.34
	21,644.62	**20,311.62**

नोट नं. 29.उपभुक्त सामग्रियों की लागत

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल	56	2,22,424.86	2,94,842.36
पैकिंग सामग्री		3,534.24	4,502.35
		2,25,959.10	**2,99,344.71**

29.1 लगभग 31 मार्च 2025 को कच्चे मालों का भौतिक सत्यापन किया गया है। 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कच्चे मालों के मामले में बुक आँकडे के परे अंतर को उपभोग (अत्यधिक (-) / कमी) में समायोजित किया गया है। चालू वर्ष ₹ (-)1,651.66 लाख (पिछले वर्ष ₹ (-) 760.62 लाख)।

29.2 वर्ष 2024-25 के दौरान आर एल एन जी खरीद पर ₹4714.83 लाख (पिछले वर्ष ₹6,884,46 लाख) का वैट लगाया गया है, जिसे कच्चे माल / ईंधन की खपत के रूप में दर्ज किया गया है।(नोट 13.1(i) देखें)

₹ लाखों में

नोट नं. 30. व्यापार स्टॉक के क्रय

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
मिश्रित खादें / ऑर्गैनिक मानुअर /म्यूरिएट ऑफ पोटैश	47,752.78	36,389.76
	47,752.78	**36,389.76**

नोट नं. 31. तैयार मालों, व्यापारित उत्पाद एवं चालू निर्माण कार्यों की मालसूचियों में परिवर्तन

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष		
तैयार माल	65,866.68	64,527.36
व्यापारित उत्पाद	2,617.11	-
चालू निर्माण कार्य	6,570.64	5,406.85
	75,054.43	69,934.21
इति शेष		
तैयार माल	36,617.64	65,866.68
व्यापारित उत्पाद	10,056.67	2,617.11
चालू निर्माण कार्य	14,717.51	6,570.64
	61,391.82	75,054.43
माल सूचियों में परिवर्तन : (वृद्धि)/ घटती	**13,662.61**	**(5,120.22)**

नोट नं. 32 कर्मचारी हितलाभ व्यय

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	20,222.55	21,122.23
भविष्य निधि के लिए अंशदान	1,937.55	1,888.86
छुट्टी नकदीकरण (निवल प्रावधान)	2,208.02	2,103.67
उपदान	1,074.66	1,151.99
स्टाफ कल्याण खर्च	2,024.84	2,113.15
	27,467.62	**28,379.90**

32.1 वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरक विभाग, भारत सरकार ने बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढाकर 60 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

32.2. वर्ष के दौरान प्रदत्त सेवानिवृत्त हितलाभों समेत निदेशकों का पारिश्रमिक - नोट 45सी (ii) देखें।

32.3 भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय प्रकटीकरण के लिए नोट 48 देखें।

नोट नं. 33 वित्त लागत

₹ लाखों में

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत के वित्तीय देनदारियों पर ब्याज			
भारत सरकार से लिए ऋणों पर ब्याज	21.1.	23,901.58	23,901.58
ब्याज-अन्य		358.53	503.93
पट्टा देनदारियों पर वित्त लागत		267.90	263.34
जमा पर छूट की समाप्ति		1.48	1.38
अन्य वित्त लागत		24.83	22.54
		24,554.32	**24,692.77**

नोट नं. 34 मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

₹ लाखों में

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर मूल्यह्रास	2	3,481.39	2,450.98
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	2सी	169.03	174.19
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	2डी	11.39	32.12
		3,661.81	**2,657.29**

नोट नं. 35 अन्य व्यय

₹ लाखों में

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
भंडार एवं कलपुर्जों का उपभोग		3,731.17	5,172.83
बिजली एवं ईंधन	29.2	35,855.94	60,549.24
किराया		1,165.67	937.89
इमारतों की मरम्मत और अनुरक्षण		385.10	478.52
मशीनरियों की मरम्मत और अनुरक्षण		4,191.11	5,310.35
बीमा		392.19	350.27
दरें एवं कर		125.57	144.50
मुद्रा दर परिवर्तन पर (लाभ)/हानि (निवल)		480.80	(629.93)
संविदाओं पर सामग्री एवं अन्य सीधे प्रभार		886.14	691.18
लेखापरीक्षकों की शुल्क एवं व्यय	35.1	25.61	18.71
माल भाडा, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभार		25,444.39	28,430.34
संदिग्ध प्राप्य एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		54.29	106.97
भंडार, पुर्जों & उत्पादों (निवल) की क्षतियाँ /कमियाँ	35.2	1.07	8.04
भंडारों के अप्रचलन के लिए प्रावधान (निवल)		163.11	(739.86)
अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यय	35.3	57.41	57.63
के औ सु ब व्यय (वेतन सहित)		3,111.04	3,403.75
निदेशकों की उपस्थिति शुल्क		6.00	6.00
अचल परिसंपत्तियों पर हानि विक्रय किए / बट्टे खाते डाले गए		0.54	1.96
निगम सामाजिक दायित्व के प्रति व्यय	35.5	668.47	873.22
विविध व्यय	35.4	5,057.22	6,428.91
		81,802.84	1,11,600.52
घटाइए: आबंटित व्यय अंतर संभागीय कार्यों से 1,299.32 लाख रुपए की आय का निवल (पिछले वर्ष 1,862.30 लाख रुपए)		(1,038.08)	(1,255.75)
		80,764.76	**1,10,344.77**

नोट :

35.1. लेखा परीक्षकों को भुगतान के रूप में

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क) लेखा परीक्षक	13.40	10.60
ख) अन्य सेवाओं के लिए	8.64	6.85
ग) खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	3.12	1.24
कुल	**25.16**	**18.69**

35.2. पायी गई भिन्नता को (अधिक अथवा कम) भंडारों के और उपस्क रों के स्थाई सत्यापन बहियों के रिकार्डों की तुलना करने पर लेखा बहियों में समायोजित किया गया है, जो चालू वर्ष के लिए ₹(-)2.06 लाख है। (गत वर्ष ₹(-)8.04 लाख)

35.3. अनुसंधान एवं विकास व्यय में वेतन पर व्यय ₹54.50 लाख (पिछले वर्ष ₹49.38 लाख), रसायन एवं भंडार के लिए ₹2.18 लाख (पिछले वर्ष ₹3.43) और मूल्यह्रास ₹0.73 लाख (पिछले वर्ष ₹0.09 लाख) सम्मिलित है।

35.4. निदेशकों की यात्रा के लिए ₹11.81 लाख (पिछले वर्ष ₹20.70 लाख) विविध व्यय में सम्मिलित है।

35.5. निगम सामाजिक दायित्व के प्रति व्यय

कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निगम सामाजिक दायित्व पर ₹668.47 लाख(पिछले वर्ष ₹873.22 लाख) खर्च करने के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत है। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित निगम सामाजिक दायित्व परियोजनाओं पर ₹125.12 लाख (पिछले वर्ष ₹1662.46 लाख) की रकम खर्च की है (पीछले वर्षों की चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि को छोडकर)।पिछले अग्रानीत ₹792.77 लाख की अतिरिक्त सी एस आर व्यय राशि में से ₹543.35 लाख (पिछले वर्ष - शून्य) की राशि का उपयोग किया गया है। अतिरिक्त रकम को वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है।(नोट 13.4 देखें)

ए. वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है

₹ लाखों में

	विवरण	31.03.2025 को समाप्त	31.03.2024 को समाप्त
(i)	**वर्ष की शुरूआत तक**		
	(ए) गत वर्ष के अग्रेनीत व्यय कमी / (अधिक)	(792.77)	0.00
	(बी) चालू परियोजनाओं के प्रावधान	300.61	385.87
(ii)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च करने केलिए अपेक्षित रकम	668.47	873.22
(iii)	(iii) वर्ष की अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय की गई सी एस आर व्यय का रकम (किसी परिसंपत्ति के निर्माण/ अधिग्रहण के अलावा अन्य उद्देश्यों पर)	125.12	1,662.46
(iv)	(iv) पिछले वर्ष से आगे लाए गए अतिरिक्त सी एस आर व्यय से उपयोग की गई राशि।	543.35	-
(v)	पिछले वर्षों की चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई रकम	69.35	88.78
(vi)	**वर्ष के अंत में**		
	(ए) निश्चित परियोजनाओं के लिए समाधान प्रावधान	232.21	300.61
	(बी) कमी / (अधिक) वर्षांत में *	(250.37)	(792.77)
(vii)	संबंधित पक्ष संव्यवहार का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

दि. 31.3.2025 को निश्चित की गई परियोजनाओं के लिए निर्धारित ₹232.21 लाख (पिछले वर्ष ₹300.61 लाख) बाकी रकम को एक अलग बैंक खाते में रखा गया है।

*इसमें वर्ष 2022-23 की कुछ चालू परियोजनाओं पर आबंटित धनराशि के मुकाबले ₹0.95 लाख (पिछले वर्ष ₹3.52 लाख) का निवल अतिरिक्त व्यय सम्मिलित है।

बी. वर्ष के लिए सी एस आर गतिविधियों की प्रकृति

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
शिक्षा को बढावा देना	74.41	25.79
स्वास्थ्य सेवा को बढावा देना	35.68	216.79
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	7.82	1412.77
सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	7.21	6.77
अन्य सी एस आर गतिविधियाँ	-	0.34
कुल	**125.12**	**1662.46**

नोट नं. 36. असाधारण मदें

₹ लाखों में

विवरण	नोट नं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अतिरिक्त प्राप्य पुनर्गैसिफिकेशन शुल्क	36.1	2,461.45	-
अंतर सहायिकी के प्रति वसूली	36.2	-	(6,307.78)
एम आर पी तर्कसंगतता दिशा-निर्देशों के अनुसार वसूली का प्रावधान	36.3	-	(8,835.78)
नेफ्ता उपयोग के लिए अतिरिक्त मुआवजे के कारण वसूली का प्रावधान	36.4	-	(9,415.93
		2,461.45	**(24,558.89)**

36.1 मई 2019 से मई 2020 की अवधि के लिए पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आर एल एन जी) की खरीद के संबंध में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त पुनर्गैसीकरण शुल्क के लिए प्राप्त होनेवाली वापसी को पिछले वर्ष की आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है (नोट 51 देखें)। आर एल एन जी (पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) के आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर ₹2,461.45 लाख के अतिरिक्त पुनर्गैसीकरण शुल्क की वापसी लगभग निश्चित हो गई है। तदनुसार इसे भारतीय लेखाकरण मानक 10 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लाभ-हानि विवरण (पिछले वर्ष - शून्य) में असाधारण मद के रूप में दर्ज किया गया है।

36.2 भारत सरकार ने 18 मई, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं.23011/1/2023-पी एण्ड के के माध्यम से 1.1.2023 से 31.3.2023 की अवधि के लिए लागू पी एण्ड के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सहायिकी को संशोधित किया है। उर्वरक विभाग ने 2023-24 के दौराना 31.3.2023 को समाप्त तिमाही के लिए सहायिकी के निचले संशोधन के अंतर्गत ₹6307.18 लाख की वसूली की है।

36.3 उर्वरक विभग द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं.23011/8/2018 - एम पी आर दिनांक 15 नवंबर 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, जो उर्वरक कंपनियों के लाभ मार्जिन को बिक्री लागत के 12 प्रतिशत तक सीमित करता हे, कंपनी ने पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में 8,835.78 लाख रुपये का प्रावधान किया है और वर्ष 2024-25 के दौरान राशि वसूल की गई है।

36.4 उर्वरक विभाग ने दिनांक 26 अप्रैल 2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 23011/8/2010 - एम पी आर के माध्यम से 1.4.2010 से 4.10.2013 की अवधि के लिए नेफ्था मुआवजे के लिए टैरिफ आयोग द्वारा अनुशंसित अंतिम दरों के आधार पर ₹300.61 लाख की वसूली का निर्देश दिया है। वर्ष 2023-24 के दौरान इसके लिए प्रावधान किया है और वर्ष 2024-25 के दौरान राशि वसूल कर ली गई है।

नोट नं. 37. प्रति शेयर कमाई

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कर के बाद लाभ / (हानि)	4,123.20	12,827.49
साम्या शेयरों की संख्या	647071974	647071974
प्रति शेयर का उचित मूल्य (₹)	10.00	10.00
मूल / फीका प्रति शेयर कमाई (₹)	**0.64**	**1.98**

38. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों केलिए अपेक्षित प्रकटन

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	न चुकाया बकाया मूलधन **	-	-
2	उस पर देय ब्याज	-	-
3	वर्ष के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के निबंधनों के अनुसार कंपनी द्वारा चुकाया गया ब्याज नियत दिवस के बाद पूर्तिकार को दी गई भुगतान की रकम सहित।	-	-
4	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोडे बिना (वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद चुकाया गया) विलंबित अवधि के लिए देय और बकाया ब्याज।	-	-
5	प्रोद्भूत ब्याज और चुकाने के लिए बकाया	-	-
6	आगे देने के लिए बकाया रकम जो बाद के वर्षों में भी देय है, उस तिथि तक जब उपर्युक्त प्रकार को बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को नामंजूरी के प्रयोजन के लिए वसूलीयोग्य व्यय के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत माना जाता है।	-	-

**** वर्ष के अंत में देय और अवैतनिक राशि**

39. व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को					कुल
	को देय नहीं है	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एम एस एम ई	437.04	-	-	-	-	**437.04**
(ii) अन्य	45,906.75	-	-	-	-	**45,906.75**
(iii) विवादित बकाया - एम एस एम ई	-	1.72	-	-	-	**1.72**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	3.07	59.13	3.48	295.60	**361.28**
कुल	**46,343.79**	**4.79**	**59.13**	**3.48**	**295.60**	**46,706.79**

विवरण	31.03.2024 को					कुल
	को देय नहीं है	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(I) एम एस एम ई	1,025.21	-	-	-	-	**1,025.21**
(ii) अन्य	46,030.58	-	-	-	-	**46,030.58**
(iii) विवादित बकाया - एम एस एम ई	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	18.38	3.48	470.63	836.72	**1,329.21**
कुल	**47,055.79**	**18.38**	**3.48**	**470.63**	**836.72**	**48,385.00**

40. प्रचालनाधीन पट्टे (इंड ए एस 116 के अनुसार प्रकटीकरण)

ए. पट्टादाता के रूप में पट्टे

कंपनी अपनी निवेश संपत्ति (नोट नं. 2 बी में प्रकटित) को प्रचालन आधार पर पट्टे पर देती है।

(i) **पट्टे देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण**

31 मार्च को न रद्द करनेवाले पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भविष्य के न्यूनतम पट्टा प्राप्य निम्नप्रकार है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
एक वर्ष के भीतर	124.69	124.69
दो और पाँच वर्षों के बीच	398.93	448.93
पाँच वर्षों से अधिक	632.84	707.50
	1,15646	**1,281.12**

ii) लाभ और हानि में मान्यता दी गई रकम

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पट्टा किराया आय	124.72	124.75
	124.72	**124.75**

(बी) पट्टेदार के रूप में पट्टे

पट्टा दायित्व का मूल्यांकन वर्तमान मूल्य पर बाकी पट्टा भुगतान किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार किसी पहले चुकाए व्यय की रकम द्वारा पट्टा देयता के समतुल्य रकम पर मान्य है। इंड ए एस 116 "पट्टे" के अधीन, पट्टे की प्रारंभिक तिथि को, कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के 1 वर्ष के एम सी एल आर के परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को मान्यता देती है और तत्समान पट्टा दायित्व भी। पट्टा अवधि-भर परिसंपत्ति उपयोग का मूल्यह्रास क्रमिक आधार पर किया जाता है और पट्टा देयता पर ब्याज को लाभ और हानि विवरणों में वित्त लागत के रूप में प्रभारित है।

इंड ए एस 116 के अनुसार परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार और तत्समान पट्टा देयता पट्टे पर (प्रचालन पट्टा) ली गई संपत्ति के संबंध में किया जाता है और यह विल्लिंगडन द्वीप पर कच्चे मालों के संग्रह और परिवहन और नई दिल्ली में अतिथि गृह सुविधा के प्रयोजन के लिए है।

(i) विस्तृत सारणी में नोट नं 2सी में प्रकट किए परिसंपत्ति - उपयोग का अधिकार (आधारभूत परिसंपत्तियों की श्रेणी द्वारा)

(ii) पट्टों से संबंधित अन्य विवरण इस प्रकार है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई रकम :		
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	169.03	174.19
अल्पावधिक पट्टों से संबंधित व्यय	267.90	263.34
कम मूल्य की वस्तुओं के पट्टे से संबंधित व्यय	168.23	29.78
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय	74.55	30.30
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय (पट्टा देनदारियों के मापन में सम्मिलित नहीं)	922.89	877.82
पट्टे देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण		
एक वर्ष तक	313.56	316.96
1-3 वर्ष	640.94	631.49
3-5 वर्ष	657.97	649.36
पाँच वर्षों से अधिक	5,187.03	5,518.64
कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह	**6,799.50**	**7,116.45**
अन्य सूचनाः		
पट्टों के लिए कुल नकदी प्रवाह	316.96	313.06
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप-पट्टे से आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं

41. उचित मूल्य पदानुक्रम

प्रबंधक मंडल ने यह निर्धारित किया है कि नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्य व्यापार, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू देयताओं का अनुमानतः ले जानेवाली रकम अधिकतर इन उपकरणों की अल्प-कालीन परिपक्वताओं के कारण कितनी है। उचित मूल्य का प्राक्कलन करने के लिए निम्नलिखित तरीकों और पूर्वकल्पनाओं का उपयोग किया है जो निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू है।

ए) गैर उद्धृत किए साम्या शेयरों का निवेश

गैर उद्धृत साम्या शेयरों के उचित मूल्यों का प्राक्कलन रियायती नकदी प्रवाह (डी सी एफ) नमूनों का उपयोग करके किया गया है। कंपनी इसके मूल्यांकन के लिए एक बाहरी पेशेवर मूल्यांकन कर्ता की सेवाएँ लेती है और इस प्रकार रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य निवेश मूल्यांकन विशेषज्ञ से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित होते हैं।

बी) बाडे के रूप न अभिहित व्युत्पन्न

विदेशी मुद्रा आगामी संविदाओं का मूल्यांकन, मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें बाजार प्रेक्षणीय निवेश का प्रयोग करता है। (अर्थात् बैंकों से प्राप्त निवेश/ विवरणों की स्थिति के आधार पर)

सी) निवेश संपत्तियाँ

निवेश संपत्तियों का मूल्य केरल सरकार उचित मूल्य अधिसूचना, विपणन की स्थिति आदि पर आधारित है।

उचित मूल्य पदानुक्रम का विवरण निम्नप्रकार हैः-

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर निविष्टियाँ		महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर निविष्टियाँ	
	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
न उद्धृत साम्या शेयरों में निवेशः				
इंडियन पोटैश लिमिटेड		14,402.84		12,271.69
ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लि.		280.98		231.27
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड		1,122.45		532.95
अग्रगामी विनिमय संविदाओं के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परीसंपत्ति (निवल)	-		102. 41	
वित्तीय देनदारियाँ				
अग्रगामी विनिमय संविदाओं के अंतर्गत विदेशी मुद्रा देयताएँ (निवल)	47.19		-	
परिसंपत्तियाँ जिनके लिए उचित मूल्य प्रकटित है				
निवेश संपत्ति	3,750.69		3,750.69	

स्तर 1: पदानुक्रम उद्धत किए वित्तीय उपकरणों के लिए है। इसमें सूचीबद्ध साम्या उपकरण, व्यापार किए गए बंधपत्र और उद्धत किए दाम की पारस्परिक निधि सम्मिलित है। सभी साम्या उपकरणों का उचित मूल्य (बंध पत्र समेत), जिन्हें स्टाक एक्सचेंज में व्यापार किया गया है, निर्धारित करना है, जैसा रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में किया जाता है उसी प्रकार अंतिम मूल्य पर भी किया जाना है। पारस्परिक निधि का मूल्यांकन अंतिम एन ए वी का उपयोग करके किया जाता है। कंपनी को चालू वर्ष की रिपोर्टिंग तिथि और गत वर्ष के अनुसार ऐसा कोई निवेश नहीं है।

स्तर 2: सक्रिय बाज़ार में न लेनदेन करनेवाले वित्तीय लिखतों का मूल्य (उदाहरण के लिए लेनदेन बंधपत्र, काउंटर के ऊपर व्युत्पन्न मदें) मूल्यांकन सद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जो दर्शनीय विपणन आंकडों को अधिकतम करता है और अस्तित्व - विशिष्ट प्राक्कलनों पर जितना कम हो सके उतना ही निर्भर है। अगर किसी लिखत के लिए उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण निवेश देखने योग्य है, ऐसे लिखतों को **स्तर 2** में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: अगर एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण निवेश देखे जानेवाले बाजार आँकडों पर आधारित नहीं है तो ऐसे लिखतों को **स्तर 3** में शामिल किया जाता है। न सूचीबद्ध साम्या प्रतिभूतियों समाश्रित प्रतिफल, और क्षतिपूर्ति परिसंपत्तियों के मामले में उन्हें **स्तर 3** में शामिल किया जाता है।

42. वित्तीय लिखत वर्गीकरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए. वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(i) परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
व्यापार प्राप्य	28,347.61	15,813.73
नकद एवं नकद समतुल्य	21,833.67	43,566.83
अन्य बैंक शेष	2,55,902.95	2,24,365.46
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	26,905.25	25,372.49
	3,32,989.48	**3,09,118.51**
(ii) अन्य बृहत् आय द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँः		
साम्या निवेश	**15,807.29**	**13,036.93**
(iii) द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँः		
अग्रगामी विनिमय संविदा (निवल) पर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति	-	**102.41**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ (I) + (ii) + (iii)	**3,48,796.77**	**3,22,257.85**
बी, वित्तीय देनदारियाँ		
(i) परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियाँ		
उधार	1,77,048.75	1,77,558.75
पट्टा देनदारियाँ	3,414.57	3,463.63
व्यापार देय	46,706.79	48,385.00
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	2,09,989.12	1,88,058.85
	4,37,159.23	**4,17,466.23**
(ii) लाभ एवं हानि विवरण द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ :		
अग्रगामी विनिमय संविदा (निवल) पर विदेशी मुद्रा देयता	**47.19**	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ (i) + (ii)	**4,37,206.42**	**4,17,466.23**

43. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रियाकलापों से विपणन जोखिम, देयता जोखिम और जमा जोखिम प्रकट है।

यह नोट कंपनी द्वारा आशंका के जोखिम-स्रोतों और वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा इस जोखिम को कैसे निपटाया जाता है - इस विषय पर प्रकाश डालता है।

जोखिम	से उत्पन्न पहलू	मापन	प्रबंध
जमा जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, प्राप्य व्यापार, कर्ज कम करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	पुरानेपन विश्लेषण, जमा विश्लेषण, आनेवाले दिनांक के चैक और सुरक्षा जमा	बैंक जमा, जमा सीमा और बैंक गैरंटियों का विविधीकरण। आनेवाले दिनांक के चैक और सुरक्षा जमा
देयता जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएँ	परिक्रामी नकदी प्रवाह पूर्व सूचना	जमा लाइनों और उधार सुविधाओं उपलब्धता
विपणन जोखिम विदेशी विनिमय	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिन्हें भारतीय रुपए (आई एन आर) में न अंकित	विदेशी मुद्रा दर की निगरानी	बाज़ार झुकाव के आधार पर अग्रगामी विदेशी विनिमय संविदाएँ

(ए) उधार जोखिम

उधार जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि देनेवाला जाखिम है। अगर कोई ग्राहक अथवा वित्तीय उपकरण का प्रतिभागी दल प्रतिस्थानी अपना संविदाजन्य दायित्वों को निभाने में चूकता है और कंपनी से व्यापार और अन्य प्राप्य नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक बाकियों से मुख्यतया उठ जाता है। उधार जोखिम का अधिकतम प्रकटन सभी वित्तीय उपकरणों को नीचे बताए अनुसार उनके संबद्ध अग्रेनीत रकम तक प्रतिबंधित है।

(i) व्यापार और अन्य प्राप्य राशि

व्यापार और अन्य प्राप्य राशि के संबंध में उधार जोखिम उधार अनुमोदनों द्वारा उधार सीमाएँ स्थापित करके व्यवस्थित किया जाता है; साथ ही उपभोक्ताओं की उधार-सार्थकता का अनुश्रवण करके व्यापार के साधारण क्रम में उधार शर्तें मंजूर की जाती है। रिपोर्टिंग उधार जोखिम का अधिकतम प्रकाशन मुख्यतया व्यापार से प्राप्य रकम से है, जो ₹28,347.61 लाख की है (गत वर्ष ₹15813.73 लाख) जिसमें से ₹25,829.42 लाख (गत वर्ष ₹6750.04 लाख) भारत सरकार से देय है, जो प्राप्य सहायिकी से संबंधित है। व्यापार से प्राप्य राशि भारत सरकार से और की गई सेवाओं से मुख्यतः होती है।

व्यापार और अन्य प्राप्त राशि के लिए प्रत्याशित उधार हानी निर्धारणः

कंपनी लगातार व्यापार से प्राप्य राशि के न सुरक्षित भाग के लिए 100% प्रावधान का सृजन करने की नीति का अनुसरण कर रही है जो तीन वर्षों से अधिक पुराना है; भारत सरकार से प्राप्त सहायिकी इसका अपवाद है, जिसमें प्राप्ति की संभावना के विश्लेषण के बाद हानि का छूट किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी उधार जोखिम और किए गए प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	
	कुल प्राप्य राशि	संदिग्ध प्राप्य राशि
व्यापार से प्राप्य राशि	4,485.89	(1,967.70)
प्राप्य सहायिकी	26,240.75	(411.33)
कुल	**30,726.64**	**(2,379.03)**

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2024 को	
	कुल प्राप्य राशि	संदिग्ध प्राप्य राशि
व्यापार से प्राप्य राशि	11,009.12	(1,945.43)
प्राप्य सहायिकी	25,413.08	(18,663.04)
कुल	**36,422.20**	**(20,608.47)**

व्यापार और अन्य प्राप्य राशि के संबंध में वर्ष के दौरान हानि भत्ते का संचलन निम्न लिखित है :-

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
वर्षारंभ में प्रावधान	2,381.23	2,381.23
वर्ष के दौरान विमोचित	(84.44)	(84.44)
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	18,311.68	18,311.68
वर्षांत में प्रावधान	**20,608.47**	**20,608.47**

(ii) **नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक बाकी**

कंपनी ने नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक बाकी के रूप में ₹2,77,736.62 लाख धारित किया (पिछले वर्ष ₹267932.29 लाख)। नकद समतुल्य बैंकों में अच्छी उधार दर और वित्तीय स्थिति के साथ धारित है। साथ ही, कंपनी अपना अल्पकालीन अधिशेष बैंक में स्थाई जमा के रूप में निवेश करती है, जिसके लिए कोई / कम बाज़ार जोखिम अल्पावधि के लिए नहीं और इसलिए कंपनी को उधार जोखिम के लिए खुला नहीं छोडता।

(ख) देयता जोखिम

परिसमापन जोखिम वह जोखिम है जिसका सामना करने में सहबद्ध वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकद अथवा अन्य वित्तीय संपत्तियों का वितरण द्वारा निपटाना पडेगा।

कंपनी द्वारा परिसमापन जोखिम को प्रभावी निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंध किया जाता है। ईमानदारी के परिसमापन जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त मात्रा में नकद और उधार सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा द्वारा निधियन की उपलब्धता निहित है ताकि बाकी देयता को मिटा सके। आधारभूत व्यापार की गतिशील प्रकृति के कारण, निधियन में खजाना लचीलापन का अनुरक्षण करता है और वचनबद्ध उधार शर्तों पर नकद उपलब्ध करता है। प्रबंधक मंडल कंपनी के परिसमापन स्थिति की आनेवाली भविष्यवाणी का अनुश्रवण करना है और नकद और नकद समतुल्य प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर करता है।

निम्नलिखित, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की बकाया ठेकाजन्य परिपक्वताएँ हैं:.

(i) महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को		
	संविदाओं से नकद प्रवाह		
	एक वर्ष तक	1-5 वर्ष	कुल
भारत सरकार उधार *	3,92,162.98	-	3,92,162.98
कुल	**3,92,162.98**	-	**3,92,162.98**

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2024 को		
	संविदाओं से नकद प्रवाह		
	एक वर्ष तक	1-5 वर्ष	कुल
भारत सरकार उधार *	3,68,261.40	-	3,68,261.40
अंतर निगम उधार	565.38	-	565.38
कुल	**3,68,826.78**	-	**3,68,826.78**

* भारत सरकार से प्राप्त उधार ब्याज सहित 5 वर्षों की अवधि के भीतर जो 2022 तक समाप्त होगा, तीन अथवा उससे अधिक समान किस्तों में वापस करना है। कंपनी ने उर्वरक विभाग (डी ओ एफ), भारत सरकार को एक वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव पेश किया है जिसमें भारत सरकार उधार के ब्याज के अधित्यजन, ₹28,273.00 लाख के उधार को साम्या में परिवर्तन और ₹1,00,000.00 लाख की रकम को ब्याज मुक्त उधार में परिवर्तन वार्षिक किस्तों में वापस करने का अनुरोध शामिल है। कंपनी द्वारा पेश पुनर्संरचना प्रस्ताव उर्वरक विभाग, भारत सरकार के विचाराधीन है; भारत सरकार से लिए उधार उस पर देय बाकी ब्याज का आकलन करके 3 मार्च, 2016 के उधार समझौते के अनुसार प्रकट किया गया है। प्रबंधक मंडल उधार पुनर्सरचना की प्रतीक्षा करता है, जिसके कारण देय ब्याज सहित उधार की वापसी के लिए सरकार काफी समय देगी। तदनुसार, कंपनी तत्काल परिसमापन अपेक्षा का प्रबंध कर सकेगी।

(ii) वित्तपोषण प्रबंधन

कंपनी के पास अपने व्यापार/ प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए पर्याप्त निधि है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उधार सुविधा आधारित न ली निधि निम्न प्रकार है::

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
एक वर्ष के भीतर समाप्त होनेवाला (बैंक ओवरड्राफ्ट / सी सी सीमा)	33,900.00	29,800.00
एल सी बिल छूट सीमा	15,000.00	15,000.00

बैंकों की उधार सुविधाएँ मंजूर शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन के अध्यधीन है। निधि आधारित इन उधार सुविधाओं की औसत परिपक्वता एक वर्ष है। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी को विभिन्न बैंकों के साथ गैर-निधि आधारित कार्यशील पूँजी प्रबंधन है, जिसे कंपनी के सावधि जमा पर धारणाधिकार है। .

(सी) बाजार जोखिम

विपणन जोखिम वह जोखिम है कि एक वित्तिय उपकरण के भविष्य के नकद प्रवाह का स्वच्छ मूल्य में घट-बढ होगा क्योंकि बाजार दामों में परिवर्तन होता है। बाजार जोखिम में निम्न लिखित जोखिम सम्मिलित है, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, माल दर जोखिम और अन्य दाम जोखिम, जैसे साम्या दाम जोखिम।

(i) मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा दरों में लेनदेन करती है और परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढाव के वित्तीय जोखिम उत्पन्न होता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए मानदंड सम्मिलित है। कंपनी अपना विनिमय दर जोखिमों का प्रबंधन हेजिंग नीति के अनुमोदित मानदंडों के अंतर्गत वायदा अनुबंधों के माध्यम से करती है।

कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि तक 34,832.42 लाख रुपए का बकाया अग्रिम संविदा है (पिछले वर्ष 21,815.94 लाख) जो व्यापार देयताओं के प्रति जोखिम को कम करने के लिए किया गया है।

(ए) मुद्रा दर की आशंका

तुलन पत्र तारीख को, जो बचाव नहीं है, विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्न प्रकार है: -

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
व्यापार देय	-	-	यू एस डी 150.60	12,649.00

(बी) संवेदना विश्लेषण

दिनांक 31 मार्च 2025 को यू एस डी, जे पी वाई या ई यू आर का आई एन आर के प्रति संभाव्य शाक्तीकरण (शक्तिहीनता) के कारण विदेशी मुद्राओं में नामित वित्तीय उपकरणों को प्रभावित किया होगा और नीचे बताई रकम तक हानि अथवा लाभ प्रभावित है। विश्लेषण यह सही मान लेता है कि भी अन्य परिवर्तनशील मुद्दे खासकर ब्याज दरें, स्थाई रहती हैं और आगे की बिक्री और खरीद पर प्रभाव की उपेक्षा करता है।

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	% बढती / घटती	लाभ में प्रभाव (कर पूर्व)	ऽबढती / घटती	लाभ में प्रभाव (कर पूर्व)
		(₹ लाखों में)		(₹ लाखों में)
यू एस डी	+3%	-	+3%	(379.47)
यू एस डी	-3%	-	-3%	379.47

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम स्वच्छ मूल्य ब्याज दर जोखिम अथवा नकद प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम स्थिर ब्याज वाले निवेशों के उचित मूल्यों में परिवर्तन का जोखिम है जो ब्याज दरों में घट-बढ के कारण होता है, ऐसे मामलों में उधार को उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि में मापा जाता है। नकद प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसे प्लवमान ब्याजवाले निवेशों के भविष्य के नकद प्रवाह में ब्याज दरों में घट-बढ के कारण घटाने बढाने की संभावना है।

ब्याज दर जोखिम की आशंका :

रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी के निवेश बैंक में स्थाई जमा के रूप है जिनमें ब्याज दर स्थिर है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, कंपनी को बैंकों के साथ कोई निधि आधारित उधार नहीं है। भारत सरकार से कंपनी के उधार पर ब्याज दर परिवर्तनशील नहीं।

(iii) वस्तु दर जोखिम

कंपनी की लाभप्रदत्ता उत्पादों के दाम (उत्पादन) और उत्पादन में उपयोग किए गए कच्चे मालों के दामों के बीच का दाम अंतर (मार्जिन के रूप में कहा जाता है) द्वारा प्रभावित होता है। (उत्पादक सामग्री)

कंपनी ने प्रमुख कच्चे माल पूर्तिकार पुनर्गैसिफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट एवं सल्फर के साथ एक समझौता किया है ताकि बाज़ार दाम घट-बढ न्यून कर सके।

(iv) दाम जोखिम

कंपनी द्वारा धारित निवेशों से उठनेवाला साम्या निवेश दाम जोखिम पर कंपनी की आशंका वित्तीय विवरणों में श्रेणीवद्ध है सी सी आई द्वारा स्वच्छ मूल्य पर। कंपनी इन निवेशों को अधिक वापसी धन के लिए दीर्घावधि के लिए धारित करने की इरादा रखती है और दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य से दाम जोखिम उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा।

दाम जोखिम पर आशंका

₹ लाखों में

विवरण	अन्य व्यापक आय पर प्रभाव			
	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	शाक्तीकरण	शक्तिहीनता	शाक्तीकरण	शक्तिहीनता
1% संचलन				
केरला एनविरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश	11.22	(11.22)	5.33	(5.33)
ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लिमिटेड में निवेश	2.81	(2.81)	2.31	(2.31)
इंडियन पोटैश लिमिटेडे में निवेश	144.03	(144.03)	122.72	(122.72)

44 पूँजी प्रबंधन

कंपनी का मुख्य लक्ष्य शेयरधारी मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी अपनी पूँजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थिति में परिवर्तनों के अनुसार समायोजन करती है जो वित्तीय प्रसंविदाओं की अपेक्षाओं के अनुसार है। संप्रति, अपनी कैपेक्स अपेक्षाओं की 100 प्रतिशत आंतरिक प्रोद्भवनों से लेती है। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा प्रशासित है (डी आइ पी ए एम), जो निम्नतम प्रतिशत लाभांश घोषित करने को विनिर्दिष्ट करता है। भविष्य की कैपेक्स अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी समुचित दरों पर लाभांश देने का विचार करती है।

45. संबद्ध पक्षकार की लेनदेन (इंड ए एस 24 के अंतर्गत प्रकटन)

ए. एक ही सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के साथ लेन-देन

चूँकि भारत सरकार कंपनी की साम्या शेयर पूँजी के 90% का स्वामी है (रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन), इसलिए सरकार और अन्य सरकार नियंत्रित सत्ताओं के साथ लेनदेन संबंधी प्रकटन इंड ए एस 24 के पैरा 26 के अनुसार रिपोर्ट की गई हैं।

गैसों की खरीद के लिए सरकार संबद्ध अन्य सत्ताओं के साथ कुछ लेनदेन किए गए हैं, कच्चे मालों की खरीद / तैयार माल, परिसंपत्तियाँ / कलपुर्जे (मूल उपस्कर निर्माताओं से) की खरीद के लिए किए गए लेनदेन मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण है, जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार है।

₹ लाखों में

	सत्ता का नाम	लेनदेन का प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त	31 मार्च 2024 को समाप्त
1.	गेल इंडिया लिमिटेड	गैस परेषण प्रभार / पुनर्गैसिफिकेशन प्रभार	3,298.41	5,921.73
2.	भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद / पुनर्गैसिफिकेशन प्रभार	11,488.18	22,440.12
3.	इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड	गैस / पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद	98,514.47	1,44,937.44
4.	मैंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पाद /सल्फर / बेंन्जीन की खरीद	3,554.87	18,890.90
5.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद	170.76	173.95
6.	स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	स्टील स्ट्रक्चरलों की खरीद	-	109.16
7.	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	उपभोग्य सामग्रियों/ कल पुर्जों की खरीद	114.13	28.53
8.	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	उर्वरकों की बिक्री	-	1,184.74
9.	ब्रह्मपुत्रावाली फर्टिलाइज़र्स कोर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	उर्वरकों की बिक्री	4,949.71	1,413.83
10.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	उर्वरकों की बिक्री	11,076.74	1,472.18
11.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अंतरनिगमीय ऋण का मूलधन का पुनर्भुगतान	510.00	510.00
12.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अंतरनिगमीय ऋण पर ब्याज	26.29	67.17
13.	भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	271.65	157.62
14.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	-	1.06
15.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	49.53	-
16.	इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	22.98	126.26
17.	हिंदुस्तान ऑर्गैनिक केमिकल्स लिमिटेड	प्रदान की गई सेवाएँ	25.19	-
18.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	परिसंपत्तियाँ / कलपुर्जे का प्रापण	256.06	307.20
19.	भारत एर्थ मूवर्स लिमिटेड	परिसंपत्तियाँ / कलपुर्जे का प्रापण	20.40	18.47
20.	कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड	संपत्ति का पट्टा	-	166.95
21.	इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड	किराया	17.07	16.99
22.	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	किराया	1.50	3.60
23.	कोच्ची सेलम पाइपलाइन प्राइवट लि.	संपत्ति का पट्टा	64.90	59.00
24.	गेल इंडिया लिमिटेड	संपत्ति का पट्टा	13.69	13.69

उपर्युक्त संदर्भित लेनदेन उक्त सत्ताओं के साथ साधारण तौर पर किए गए हैं।

बी) सह एवं संयुक्त उद्यम

(I) **संबद्ध**

सत्ता का नाम	शेयरों की संख्या	इसके निगमन का देश	स्वामित्व हित का प्रतिशत 31 मार्च 2025 को	स्वामित्व हित का प्रतिशत 31 मार्च 2024 को
फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल)	3,52,27,000 (पिछले वर्ष 3,52,27,000) ₹10/-रुपए प्रति	भारत	50.00	50.00

(ii) ऊपर संदर्भित संबद्ध दलों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन :

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
शेयर आवेदन राशि के बदले प्राप्त शेयर आबंटन	-	-
प्राप्य लाभांश	-	-
उत्पादों की बिक्री	-	-
अन्य	0.46	0.56

सामग्री, सेवा और अग्रिम के रूप में पूर्ववर्त वित्तीय वर्षों में दी गई रकम का प्रावधान जारी रहता है। उसी प्रकार का प्रावधान, जो ₹0.46 लाख (गत वर्ष ₹0.56 लाख) चालू वर्ष भी किया गया है।

(iii) बाकी बकाया :

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडेक्ट्स लिमिटेड से प्राप्य :		
जिप्सम की बिक्री एवं सेवा के प्रति	297.72	297.72
प्रतिनियुक्ति का वेतन और अन्य खर्च	828.96	827.40
निगम गैरंटी और संविदाजन्य दायित्व के अधीन	2,789.60	2,789.60
साम्या के प्रति अग्रिम जो आबंटन के अधीन है	0.00	0.00
न्यूनीकृत एवं संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	3,916.28	3,915.72
अन्य संविदाजन्य दायित्वों के प्रति प्रावधान	239.60	239.60
निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	3,522.70	3,522.70

(iv) कंपनी और मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड(आर सी एफ) ने मेसर्स एफ ए सी टी-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के निविदाकारों को निगमित गैरंटी प्रदान की थी (50:50 संयुक्त उद्यम, कंपनी और आर सी एफ के बीच)। 2018-19 वर्ष के दौरान, आर सी एफ ने बैंकरों को पूरी देयता का ₹5100 लाख के हद तक निपटान किया है, उसमें कंपनी का 50% शेयर सम्मिलित है जो ₹2550 लाख हैं, इस शर्त पर कि आर सी एफ द्वारा दी गई रकम को कंपनी की ओर से अंतरनिगमीय उधार के रूप में वर्ष के दौरान माना जाएगा। तदनुसार ₹2550 रुपए की रकम को अंतरनिगमीय उधार के रूप में वर्ष के दौरान माना जाएगा। कंपनी ने वर्ष के दौरान समझौते के अनुसार 510 लाख रुपए की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया है। उधार पर लागू ब्याज की दर 2024-25 के लिए 7.73% प्रति वर्ष (पिछले वर्ष 7.82% प्रति वर्ष) होगी।

(v) उर्वरक विभाग, भारत सरकार ने अनुमोदन मंजूर किया था (16 नवंबर 2018) दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) को 2925 लाख का अतिरिक्त निवेश फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) में करें। एफ आर बी एल फेक्ट और राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईज़र्स लिमिटेड (आर सी एफ) के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। एफ ए सी टी ने अपनी 75 वीं वार्षिक आम बैठक में एफ आर बी एल में अतिरिक्त निवेश करने का अनुमोदन किया था। 2925 लाख रुपए के लिए प्राप्त अनुमोदन के स्थान पर एफ आर बी एल ने 1518 लाख रुपए की रकम का साम्या शेयर जारी किया था जो पूर्ति किए गए जिप्सम के लिए तथा 2010-2013 की अवधि के दौरान एफ ए सी टी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए था। आगे, एफ आर बी एल ने वर्ष 2022-23 के दौरान 235.70 लाख रुपए की रकम के लिए शेयरों का आबंटन किया था। जिप्सम तथा 2014-2017 के दौरान एफ ए सी टी द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए एफ आर बी एल द्वारा आबंटन निलंबित है। संबद्ध दलों के अग्रिम के अंतर्गत इसका प्रकटन हुआ है। आगे, दि. 31 मार्च, 2025 के अनुसार 239.60 लाख रुपए की रकम एफए सी टी से जिप्सम की पूर्ति के लिए बाकी है ताकि उपर्युक्त अतिरिक्त निवेश पूरा कर सके।

(vi) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन सी एल टी), कोच्ची शाखा ने अपने दिनांक 11.01.2024 & 28.01.2025 के आदेश के माध्यम से, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 के अनुसार, एफ आर बी एल के एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर याचिका के प्रत्युत्तर में, फेक्ट आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) के प्रति कोर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए समाधान पेशेवर (आर पी) की नियुक्ति की है। तदनुसार, एफ आर बी एल के निदेशक मंडल का अधिकार समाप्त किया। समाधानकर्ता ने कार्यवाही शुरू कर दी है और यह प्रगति पर है।

सी) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का नाम

1 श्री एस सी मुडगेरीकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (विपणन) (23.02.2024 से)

2 श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (विपणन) (14.07.2020 से)

3 श्री एस शक्तिमणि, निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी (08.03.2021 से)

4 डॉ जयचन्द्रन के, निदेशक (तकनीकी) (31.03.2023 से)

5 श्रीमती सूसन अब्रहाम, कंपनी सचिव (15.07.2022 से)

(ii) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक :

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभ		सेवा-समाप्ति हितलाभ**		अन्य दीर्घावधि हितलाभ / शेयर आधारित भुगतान/ सेवावधि बाद कर्मचारी हितलाभ	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1	श्री किशोर रुंग्टा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.02.2019 से 01.02.2024)	0.00	53.80	34.60	0.00	0.00	0.00
2	श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (विपणन) (14.07.2020 से)	47.90	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3	श्री एस शक्तिमणि, निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी (08.03.2021से)	52.63	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4	डॉ जयचन्द्रन के, निदेशक (तकनीकी) (03.03.2023 से)	49.50	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
5	श्रीमती सूसन अब्रहाम, कंपनी(सचिव) 15.07.2022 से	30.25	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.28	**227.64**	**34.60**	**00.00**	**0.00**	**0.00**

** भुगतान के आधार पर

सभी पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी कार का उपयोग करने और सरकार द्वारा यथानिर्धारित भुगतान पर प्रति वर्ष 9000 कि. मी. की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

निदेशकों को देय उपदान को लेखे में दिए गए अंशदान के रूप में प्रकट नहीं किया गया है और अलग आंकडे निश्चय नहीं है।

डी) अन्य संबद्ध पक्षकार - जहाँ निदेशक रुचि रखते हैं।

(i) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स (आर सी एफ) - आर सी एफ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस सी मुडगेरीकर, 23 फरवरी 2024 से उर्वरक विभाग के निदेशानुसार कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रुप में अतिरिक्त प्रभार संभाल कर रहे हैं।

(ii) मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एम एफ एल) - डॉ जयचंद्रन के, निदेशक (तकनीकी), 1 मई, 2023 से उर्वरक विभाग के निदेशानुसार एम एफ एल के निदेशक (तकनीकी) के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान लेन-देन - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

ई) अन्य संबद्ध पक्षकार

(I) संबद्ध

पक्षकार	संबंध का प्रकार
i. फेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योगदान का प्रबंधन करना
ii. फेक्ट कोचीन संभाग कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योगदान का प्रबंधन करना
iii. फेक्ट कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	फेक्ट कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास समूह उपदान संचयन योजना के अधीन उपदान के लिए निर्धारित निधि का प्रबंधन करना और भविष्य में सेवा उपदान लाभ के लिए बीमा सहित उपदान लाभ प्रदान करना।
iv. फेक्ट कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ निधि न्यास	न्यास के सदस्यों को सेवानिवृत्ति हितलाभ प्रदान करना।

(ii) वर्ष के दौरान उपरोक्त संदर्भित संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेनः

₹ लाखों में

पक्षकार	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया योगदान	
	31.03.2025 को	**31.03.2024 को**
i. फेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	1869.31	1,818.20
ii. फेक्ट कोचीन संभाग कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	68.24	70.66
iii. फेक्ट कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास	3,500.00	4,200.00

उपर्युक्त संबद्ध पक्षकारों के संबंध में बकाया देय रकम :

₹ लाखों में

पक्षकार	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i. फेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को देय रकम	377.28	356.01
ii. फेक्ट कोचीन संभाग कर्मचारी भविष्य निधि को देय रकम	23.52	25.20
iii. फेक्ट कर्मचारी समूह उपदान निधि न्यास से प्राप्त रकम	16.95	90.38

(iv) ट्रावनकोर लिटररी साइंटिफिक एण्ड चारिटबिल सोसाइटीस एक्ट 1955 के अंतर्गत 2009-10 वर्ष के दौरान, केरल सरकार के कारखाना और बॉयलर विभाग के सहयोग के साथ कंपनी ने एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य वेल्डिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों का आयोजन करना था। इसके लिए केरल सरकार से केरल इंस्टिट्यूट ऑफ वेल्डिंग एण्ड रिसर्च के अंतर्गत ₹100 लाख का अनुदान प्राप्त था। एफ ए सी टी का योगदान केवल प्रशिक्षण स्कूल में वर्तमान सुविधाएँ प्रदान करना है। समिति के लेखे समेकित नहीं है क्योंकि समिति का गठन इस लक्ष्य से किया गया है कि इससे कोई आर्थिक लाभ की प्राप्ति उसके क्रियाकलापों से अभिप्रेत नहीं है। अतः कंपनी के क्रियाकलाप को तत्वहीन माना गया।

46. संयुक्त उद्यम में सूद का वित्तीय रिपोर्टिंग

सत्ते का नाम	समाविष्टि का देश	स्वामित्व हित का प्रतिशत	
		31.03.2025	**31.03.2024**
एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	भारत	**50.00%**	50.00%

1. एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेडः- मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड(आर सी एफ) के साथ एक संयुक्त उद्यम कोच्ची में जिप्सम से रैपिड बिल्डिंग सामग्री के उत्पादन के लिए।

एफ ए सी टी - आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) में कंपनी के निवेश की संक्षिप्त वित्तीय सूचना।

₹ लाखों में

विवरण	**31.03.2025** को (लेखापरीक्षित)	**31.03.2024** को (लेखापरीक्षित)
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	184.20	234.20
नकद एवं नकद समतुल्य	26.98	15.95
नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा चालू परिसंपत्तियाँ	561.38	751.59
गैर-चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	6,602.23	6,465.48
चालू देनदारियाँ	9,241.31	9,180.22
साम्या	(15,070.98)	(14,643.96)
कंपनी के स्वामित्व का अनुपात	50.00%	50.00%
निवेश के ले जाने वाली रकम*	-	-

(₹ लाखों में)

विवरण	**2024-25** (लेखापरीक्षित)	**2023-24** (लेखापरीक्षित)
आय	18.44	29.67
उपयुक्त सामग्रियों की लागत	-	-
मालसूची में परिवर्तन	-	-
मूल्यह्रास और क्रमिक अपाकरण व्यय	-	-
वित्त लागतें	37.50	171.56
कर्मचारी हितलाभ व्यय	38.87	39.72
अन्य व्यय	105.83	81.63
असाधारण मदें	-	-
वर्ष की हानि	(163.76)	(263.24)
वर्ष के लिए कुल बृहत् आय	(163.76)	(263.24)
वर्ष के लिए लाभ / हानि का कंपनी का शेयर	(81.88)	(131.62)

* वर्ष 2024-25 के लिए एफ आर बी एल के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है क्योंकि वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों को अभी तक इसकी ए जी एम में नहीं अपनाया गया है और वर्ष 2024-25 के लिए संवैधानिक लेखा परीक्षा पूरी नहीं हुई है।

** संयुक्त उद्यम में कंपनी के शेयरों की हानियाँ ब्याज से अधिक हानि के कारण, हानि के शेयर बंद किया गया। तदनुसार कंपनी ने समाप्त वर्ष के लिए हानि के शेयर की संचित रकम ₹81.88 लाख (गत वर्ष ₹131.62 लाख) और ₹11,058.19 लाख और संचित 31.03.2025 तक समाप्त वर्ष के लिए (₹10,976.31 लाख संचित 31.03.2024 तक समाप्त वर्ष के लिए)।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन सी एल टी), कोच्ची शाखा ने अपने दिनांक 11.01.2024 & 28.01.2025 के आदेश के माध्यम से, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 के अनुसार, एफ आर बी एल के एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर याचिका के प्रत्युत्तर में, फेक्ट आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) के प्रति कोर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए समाधान पेशेवर (आर पी) की नियुक्ति की है। तदनुसार, एफ आर बी एल के निदेशक मंडल का अधिकार समाप्त किया। समाधानकर्ता ने कार्यवाही शुरू कर दी है और यह प्रगति पर है।

नोटः 46 ए. समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित संस्थाओं पर अतिरिक्त जानकारी

संस्था का नाम	निवल संपत्ति यानी कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ या हानि में शेयर		अन्य बृहत् आय में शेयर		कुल बृहत् आय में शेयर	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	रकम (रु लाखों में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	रकम (रु लाखों में)	समेकित अन्य बृहत आय के % के रूप में	रकम (रु लाखों में)	समेकित बृहत आय के % के रूप में	रकम (रु लाखों में)
अभिभावकः दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	100.00%	**137,069.68**	100.00%	**4,163.20**	100.00%	**3,439.52**	100.00%	**7,562.72**
संयुक्त उद्यम (साम्या रीति के अनुसार निवेश) **इण्डियन** फेक्ट-आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	फेक्ट-आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी के लिए 100% प्रावधान किया गया।							

47. खंडीय प्रस्तुतीकरण (प्राथमिक व्यापार खंड)

क 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की खंड सूचना

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	उर्वरक	पेट्रोकेमिकल	अन्य (अनाबंटित)	कुल
(I)	**राजस्व**				
(ii)	**बाहरी राजस्व**	4,03,579.83	1,680.77	1,384.35	4,06,644.95
		4,52,602.98	53,210.17	657.43	5,06,470.58
(iii)	**कुल राजस्व**	**4,03,579.83**	**1,680.77**	**1,384.35**	**4,06,644.95**
		4,52,602.98	53,210.17	657.43	5,06,470.58
(iv)	**खंड परिणाम**				
(v)	**ब्याज एवं कराधान के पूर्व लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(28,033.61)**	**6,338.20**
		76,961.12	(16,959.43)	(26,783.07)	33,218.62
(vi)	**अनाबंटित निगम व्यय**	-	-	(1,038.07)	(1,038.07)
		-	-	(1,255.75)	(1,255.75)
(vii)	**प्रचालन लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(26,995.54)**	**7,376.27**
		76,961.12	(16,959.43)	(25,527.32)	34,474.37
(viii)	ब्याज व्यय	-	-	24,554.32	24,554.32
		-	-	24,692.77	24,692.77
(ix)	ब्याज एवं लाभांश आय	-	-	20,090.66	20,090.66
		-	-	18,962.37	18,962.37
(x)	**असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(31,459.20)**	**2,912.61**
		76,961.12	(16,959.43)	(31,257.72)	28,743.97
(xi)	असाधारण मदों के बाद कर पूर्व लाभ	-	-	(2,461.45)	(2,461.45)
		24,558.89	-	-	24,558.89
(xii)	**असाधारण मदों के बाद कर पूर्व लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(28,997.75)**	**5,374.06**
		52,402.23	(16,959.43)	(31,257.72)	4,185.08
(xiii)	आय कर/ आस्थगित कर	-	-	1,250.86	1,250.86
		-	-	(8,642.41)	(8,642.41)
(xiv)	**ब्याज एवं कराधान के बाद लाभ**	**39,112.93**	**(4,741.12)**	**(30,248.61)**	**4,123.20**
		52,402.23	(16,959.43)	(22,615.31)	12,827.49
(xv)	**अन्य सूचना**				
	(ए) खंड परिसंपत्तियाँ	**4,81,833.13**	**19,535.47**	**96,770.33**	**5,98,138.93**
		4,32,622.46	52,042.21	95,072.10	5,79,736.77
	(बी) खंड देनदारियाँ	**83,020.48**	**1,817.19**	**5,13,301.26**	**5,98,138.93**
		81,442.58	7,319.60	4,90,974.59	5,79,736.77
	(सी) मूल्यह्रास	**2,843.87**	**666.20**	**151.74**	**3,661.81**
		1,908.86	552.74	195.69	2,657.29
	(डी) पूँजी व्यय	**15,101.41**	**124.04**	**108.65**	**15,334.10**
		15,300.54	253.84	81.42	15,635.80

*नीचे पंक्ति में दिए गए आँकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

1. कारोबार के खंड है :-

खंड	उत्पाद
उर्वरक	अमोनियम फोस्फेट (फेक्टमफोस), ज़िंकेटड फेक्टमफोस, अमोनियम सल्फेट, एम ओ पी, एन पी के 15:15:15, जैव उर्वरक
पेट्रोकेमिकल	केप्रोलेक्टम

2. संगठनात्मक संगठनों को विचार करके खंडों की पहचान की गई है।

3. खंड परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ प्रत्येक खंडों की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। शेयर पूँजी, रक्षित एवं अरक्षित ऋण, निवेश एवं संचित हानि को अनाबंटित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4. कंपनी द्वारा अपनाई जानेवाली पद्धति के आधार पर खंड रिपोर्टिंग तैयार की जाती है।

बी. राजस्व का समाधान ₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
उपर्युक्त के अनुसार खंड राजस्व	4,06,644.95	5,06,470.58
जोडिए ब्याज आय	20,090.66	18,962.37
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार राजस्व	**4,26,735.61**	**5,25,432.95**

48. कर्मचारी हितलाभ

I. निर्धारित अंशदान योजना

क. निर्धारित अंशदान योजना अपेक्षित सामान्य प्रकटीकरण

अंशदायी अधिवर्षिता योजना-यह योजना कर्मचारियों को अधिवर्षिता हितलाभ देने का लक्ष्य किया जाता है। हर वर्ष कंपनी निधि के लिए ₹100 अंशदान देती है।

II. निर्धारित हितलाभ योजना

ए. निर्धारित हितलाभ योजना का सामान्य विवरण

(I) छुट्टी भुनाना एवं उपदान

कंपनी में उपदान योजना चालू होती है जिसमें सेवा पूरा किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए निकाले गए पन्द्रह दिनों के अंतिम वेतन के समतुल्य हितलाभ के लिए प्रत्येक कर्मचारी हकदार हो जाता है। वह मृत्यु, सेवा से अलग हो या सेवानिवृत्त होने जो भी पहले देय होता है। लगातार सेवाओं के पांच वर्ष बाद हितलाभ निहित होता है। कंपनी तुलन पत्र की तारीख के अनुसार किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने के प्रावधान के लिए लेखाकरण की जा रही है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने बोर्ड स्तर से नीचे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को छुट्टी नियमें में संशोधन किया (29 मई 2023) और 300 दिनों से अधिक के विशेषाधिकार छुट्टी का स्वतः नकदीकरण बंद कर दिया। इसी प्रकार, कंपनी ने सेवानिवृत्ति के दौरान अर्ध-वेतन छुट्टी / अर्ध-वेतन छुट्टी के नकदीकरण की अवधि के दौरान पूर्ण महंगाई भत्ता देना बंद कर दिया।

(ii) भविष्य निधि

न्यास को दिए जा रहे भविष्य निधि अंशदान का संचालन कंपनी द्वारा किया जाता है। न्यास के सदस्यों को देय ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध व्यय प्रावधान अधिनियम 1952 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सांविधिक ब्याज दर से कम नहीं होगा।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अंशदान के रूप में लाभ-हानि विवरण में 1,937.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,888.86 लाख रुपये) की राशि प्रभारित की गई है। भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार, कंपनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को परिभाषित लाभ योजना माना जाता है क्योंकि कंपनी को निधि परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करना होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, दि. 11.10.2023 के जी ओ (आर एल) नं.85/2023/एल वी आर के अनुसार, केरल सरकार (भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1952 के पैरा 27ए के अनुसार समुचित प्राधिकारी) ने कंपनी को दिए गए छूट को वापस लिया, यह फेक्ट कोचीन संभाग कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में था। इसका कारण था कि तीन वर्षों में कंपनी द्वारा हानि अर्जित होना था। कंपनी ने इसकी चुनौती की है और केरल के उच्च न्यायालय में एक मुकदमा फाइल किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को रोक रखा है। मामला अब भी लंबित है।

2022-23 वर्ष के दौरान, दि. 23.3.2023 का जी ओ (आर एल) नं.354/2023/एल बी आर के अनुसार केरल सरकार (भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1952 के पैरा 27ए के अनुसार समुचित प्राधिकारी) ने कंपनी को दिए गए छूट को वापस लिया, यह फेक्ट कर्मचारी भविष्य निधि, उद्योगमंडल संभाग के संबंध में इसका कारण था कि तीन वर्षों में कंपनी अर्जित होना था। कंपनी ने इसकी चुनौती की है और केरल के उच्च न्यायालय में एक मुकदमा फाइल किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अधिसूचना रोक रखा है। मामला अब भी लंबित है।

बी. छुट्टी नकदीकरण और उपदान के संबंध में निवल निश्चित लाभ (परिसंपत्ति)/ देनदारी का संचलन।

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	छुट्टी नकदीकरण (अनिधिबद्ध)		उपदान (निधिबद्ध)		सी एल आर उपदान (अनिधिबद्ध)	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
ए.	**दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**						
	वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों के वर्तमान मूल्य	8,621.61	9,571.95	10,733.89	12,506.55	995.52	990.81
	ब्याज लागत	589.88	607.48	774.05	795.43	72.01	68.62
	भूतपूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	चालू सेवा लागत	1,618.14	1,493.21	600.33	494.51	48.88	47.09
	प्रदत्त हितलाभ	(970.55)	(2,523.54)	(114.75)	(3,250.25)	(4.66)	(88.65)
	दायित्व पर वास्तविक हानि/(लाभ)	(536.99)	(527.49)	(180.50)	187.65	15.84	(22.35)
	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**9,322.09**	**8,621.61**	**11,813.02**	**10,733.89**	**1,127.59**	**995.52**
बी.	**योजना परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन**						
	वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य	-	-	2,441.36	1,412.27	-	-
	निवेश पर प्रतीक्षित वापसी	-	-	299.71	137.95	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	-	-	3,500.00	4,200.00	-	-
	प्रदत्त हितलाभ	-	-	(114.75)	(3,250.25)	-	-
	प्रत्याशित ब्याज के ऊपर योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक विवरणी	-	-	(32.48)	(58.61)	-	-
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य	**-**	**-**	**6,093.84**	**2,441.36**	**-**	**-**
	निवेश पर वास्तविक वापसी	-	-	267.23	79.34	-	-
सी.	**तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त रकम**						
	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9,322.09	8,621.61	11,813.02	10,733.89	1,127.59	995.52
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य	-	-	6,093.84	2,441.36	-	-
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अनिधिबद्ध निवल देनदारी	**9,322.09**	**8,621.61**	**5,719.18**	**8,292.53**	**1,127.59**	**995.52**
डी.	**वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त खर्च**						
	चालू सेवा लागत	1,618.14	1,493.21	600.33	494.51	48.88	47.09
	भूतपूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	बाध्यता / परिसंपत्ति पर निवल ब्याज	589.88	607.48	474.34	657.48	72.01	68.62
	वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्य कुल व्यय	**2,208.02**	**2,100.69**	**1,074.67**	**1,151.99**	**120.89**	**115.71**
ई.	**अन्य बृहत् आय के अंतर्गत प्रकटित रकम:**						
	प्रारंभिक शेष	(2,433.38)	(1,905.89)	5,054.09	4,807.83	594.25	616.60
	वर्ष के दौरान बाध्यता पक्ष पर बीमांकिक लाभ अथवा हानि	(536.99)	(527.49)	(148.02)	246.26	15.84	(22.35)
	ओ सी आइ के अंतर्गत प्रकटित अंत रकम	**(2,970.37)**	**(2,433.38)**	**4,906.07**	**5,054.09**	**610.09**	**594.25**

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	छुट्टी नकदीकरण (अनिधिबद्ध)		उपदान (निधिबद्ध)		सी एल आर उपदान (अनिधिबद्ध)	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
एफ.	निवेश विवरण	31 मार्च को निवेश किया गया %		31 मार्च को निवेश किया गया %		31 मार्च को निवेश किया गया %	
	एल आई सी ग्रूप उपदान (नकद संचयन) नीति	-	-	51.59	22.74	-	-

ग. छुट्टी नकदीकरण और उपदान के संबंध में बीमांकिक धारणाएँ

क्रम सं	विवरण	छुट्टी नकदीकरण (अनिधिबद्ध)		उपदान (निधिबद्ध)		सी एल आर उपदान (अनिधिबद्ध)	
ए.	नैतिकता दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2012-14) अल्टीमेट					
बी.	कटौती दर	6.83%	7.25%	6.83%	7.25%	6.83%	7.25%
सी.	वेतनवृद्धि दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
डी.	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रतीक्षित दर	लागू नहीं	लागू नहीं	6.83%	7.25%	लागू नहीं	लागू नहीं

डी. उपदान-अन्य अपेक्षित प्रकटन

(I) योजना लक्षण और तत्संबंधी जोखिम का विवरण :

उपदान योजना एक अंतिम वेतन परिभाषित हितलाभ योजना है जो अलग होते समय एक एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है, योजना नियमावली के आधार पर आखिरी बार प्राप्त वेतन के आधार पर और अलग होते समय सेवा के अवधि के आधार पर हितलाभों की संगणना की जाती है और एकमुश्त भुगतान किया जाता है। 5 वर्षों की निहित सेवा भी है। संकल्पना में निम्नलिखित जोखिम है जो देनदारी और नकद प्रवाह को प्रभावित करता है।

(ए) ब्याज दर जोखिम:

संगणित परिभाषित हितलाभ देनदारी सरकारी बंधपत्रों पर आधारित एक छूट दर का इस्तेमाल करती है। अगर बंधपत्र से आय गिरता है तो परिभाषित हितलाभ देनदारी बढने की संभावना है। यों योजना कंपनी को ब्याज दरों में कीम जोखिम के गिर जाने की आशंका है कभी कभी यह कमी स्थिर हो सकती है, जो ब्याज दर रूपरेखा में आदर्शपूर्ण अंतरण के कारण आर्थिक और राजवित्तीय कारणों से संभव है। ब्याज दर में कमी उपर्युक्त हितलाभ प्रदान करने की आखिरी लागत की वृद्धि में परिणत होगा और यों देनदारी के मूल्य में वृद्धि होगी (जैसा वित्तीय विवरणों में बताया गया है)। निधिबद्ध योजनाओं के लिए भी आदर्शपूर्ण नीचे को अंतरण से बंधपत्र के आय में कमी निवेश आय को प्रभावित करेगा और आखिरी लागत को बढाएगा।

(बी) वेतन वर्धन जोखिम:

परिभाषित हितलाभ योजना का वर्तमान मूल्य वेतन घट-बढ दर की (एस ई आर) परिकल्पना पर संगणित किया जाता है जिसे अलग होते समय भविष्य में योजना के भागीदारों के वेतन का निष्कर्ष करने में लागू किया जाता है। वेतन में प्रत्याशित वृद्धि से उच्चतर है तो परिभाषित हितलाभ देनदारी भी बढ जाएगी और प्रभाव तेजी से होगा।

(सी) सेवा-निवृत्ति आयु:

यह नोट किया जाना है कि सेवा-निवृत्ति आयु से ऊपर के कर्मचारियों के मामले में संगणना के प्रयोजन के लिए यह परिकल्पना की जाती है कि वे तत्काल सेवा-निवृत्त होंगे और हितलाभ वास्तविक सेवानिवृत्ति आयु तक माना जाएगा।

(डी) जनसंख्या का जोखिम:

भुगतान के घटित होने के समय और संभावना का मूल्यांकन करने के लिए जनसंख्या संबंधी परिकल्पनाएँ अपेक्षित हैं। यह परिणामों की

बाष्पशीलता का जोखिम है जो अप्रत्याशित प्रकृति की कमियों के कारण होता है जिसमें नैतिकता संघर्षण असमर्थता और सोवा-निवृत्ति सम्मिलित है। डी वी ओ पर इस कमी का प्रभाव संयोग वेतन वृद्धि छूट और निहित मापदंड पर निर्भर है और इसलिए बहुत सीधा सादा है। यह महत्वपूर्ण है कि धन-वापसी का अधिकथन न हो क्योंकि कम सेवावाले कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के हितलाभ की लागत अधिक सेवायुक्त कर्मचारी की तुलना में कम होगा।

(इ) परिसंपत्ति देनदारी - बेमेल:

यह तब आएगा जब निधि परिसंपत्ति की अवधि के साथ निवेशित हो और देनदारी की शर्तों की प्रतिलिपि होती है।

(एफ) वास्तविक जोखिम:

यह वह जोखिम है जब हितलाभ की लागत प्रत्याशित से अधिक है। यह निम्नलिखित किसी एक कारण से हो सकता है:

प्रतिकूल वेतन वर्धन अनुभव:

परिकल्पित वेतन से उच्चतर वेतन वर्धन के कारण प्रत्याशित से उच्चतर दर पर देनदारी बढ सकती है।

मृत्यु दर में भिन्नता:

जब वास्तविक मृत्यु दर परिकल्पित मृत्यु में उच्चतर है तो प्रत्याशित समय से पहले उपदान हितलाभ देना पडेगा। चूँकि मृत्यु हितलाभ पर कोई शर्त निहित नहीं इसलिए नकद प्रवाह की तीव्र गति एक वास्तविक अथवा लाभ की ओर ले जाएगा जो परिकल्पित वेतन वर्धन और छूट दर संबंधी मूल्यों पर निर्भर होगा।

वापसी दर में भिन्नता:

अगर वास्तविक दर परिकल्पित वापसी दर से उच्चतर है तब उपदान हितलाभ प्रत्याशित समय से पहले प्रदान किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर होगा कि क्या हितलाभ पदत्याग तिथि के अनुसार निहित है।

(जी) निवेश जोखिम

परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं आश्रित निधिक योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य उपकरणों के उचित मूल्य नहीं होगा जिससे देनदारी पिछड जाएगी। ऐसे मामलों में परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दरों से स्वतंत्र है। इसे परिणामस्वरूप निधिजन्य स्थिति अथवा निवल देनदारी में बहुत घट-बढ हो सकता है अगर अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तब।

(एच) परिसमापन जोखिम

यह वह जोखिम है कि कंपनी अल्पकालीन उपदान भुगतान को चुकाने में असमर्थ है। यह काफी नकद/नकद समतुल्य की उपलब्धता की कमी का कारण हो सकती है कि देनदारियों को न दे सके और धारित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री समय पर न हो सके।

उच्च वेतन और दीर्घकालीन सेवा युक्त कर्मचारी अथवा जो पदानुक्रम में उच्चतर पद पर के अधिकारियों को हितलाभ का महत्वपूर्ण स्तर संचित करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारी त्यागपत्र देते हैं। कंपनी से सेवा-निवृत्त होते हैं तब नकद प्रवाह में अवरोध हो सकता है।

(आई) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, जोखिमों एक ऐसा पदबंध है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तन और घट-बढ से संबंधित है। एक वास्तविक परिकल्पना जिसका तात्विक प्रभाव छूट दर है। छूट दर धन के सामयिक मूल्य पर प्रतिफलित होती है। छूट दर में वृद्धि योजना हितलाभों की परिभाषित हितलाभ देनदारी में कमी लाती है और उसका विपर्ययन भी होता है। यह परिकल्पना निगम/ सरकारी बंधपत्रों से प्राप्त प्रतिफल पर निर्भर है और देयता का मूल्यांकन इस प्रतिफलों के घट-बढ पर आशंका करती है, खासकर मूल्यांकन तिथि को।.

(जे) विधायी जोखिम/ विनियामक जोखिम

विधायी जोखिम योजना देनदारियों में वृद्धि का जोखिम अथवा योजना परिसंपत्तियों में विधान / विनियामक में परिवर्तन के कारण कमी के कारण है। सरकार उपदान अदायगी अधिनियम का संशोधन कर सकती है, यों कंपनियों को उच्चतर हितलाभ कर्मचारियों को प्रदान करने की अपेक्षा होगी। यह सीधे परिभाषित हितलाभ देनदारी के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा। नया मजदूर संकेत एक प्वाइंट में मामला है। और उसे तत्काल इस वर्ष मान्यता देना होगा जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी हो।

(ii) संवेदना विश्लेषण

कैसे डी बी ओ पर 100 बुनियादी मुद्दों में परिवर्तन द्वारा वास्तविक पूर्वकल्पनाओं अर्थात् छूट दर वेतन वर्धन संख्या और मृत्यु का प्रभाव नीचे दिया जाता है।

(ए). उपदान-कर्मचारी :

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-4.18%	11,319.31	(493.72)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	4.71%	12,369.97	556.95
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	1.78%	12,023.52	210.50
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-1.83%	11,596.71	(216.31)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	0.12%	11,827.06	14.04
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	-0.14%	11,797.05	(15.97)
7	मृत्यु दर 10% अधिक	0.01%	11,814.15	1.12
8	कोई सीमा नहीं का प्रभाव	46.64%	16,447.91	5,509.34

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-4.39%	10,263.21	(470.69)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	4.86%	11,255.46	521.57
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	1.63%	10,908.47	174.58
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-1.70%	10,551.90	(181.99)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	0.24%	10,759.99	26.10
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	-0.28%	10,704.25	(29.64)
7	मृत्यु दर 10% अधिक	0.02%	10,735.51	1.61
8	कोई सीमा नहीं का प्रभाव	44.35%	14,260.44	4,760.02

(बी) उपदान - नैमित्तिक मज़दूर(सी एल आर)

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-5.50%	1,065.56	(62.03)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	6.16%	1,197.09	69.50
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	4.93%	1,183.13	55.55
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-5.14%	1,069.65	(57.94)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	-0.59%	1,120.94	(6.65)
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.03%	1,127.20	(0.38)
8	कोई सीमा नहीं का प्रभाव	0.37%	1,131.80	4.21

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-6.03%	935.47	(60.05)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	6.76%	1,062.82	67.30
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	5.68%	1,052.11	56.58
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-5.77%	938.06	(57.46)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	-0.54%	990.13	(5.39)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.60%	1,001.46	5.93
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.03%	995.18	(0.34)
8	कोई सीमा नहीं का प्रभाव	0.51%	1,008.37	5.05

पी यू सी तरीके का उपयोग किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा बाद के वर्षों में तात्विक रूप से उच्चतर स्तर के हितलाभ पहले वर्षों से अधिक है तो इन हितलाभों को सीधी लकीर आधार पर माना जा सकता है। परिसीमन ये हैं कि परिवर्तन का मूल्यांकन पर अन्य पैरामीटरों को स्थिर रखा जाता है। चूँकि कुछ पूर्वकल्पनाएँ आपस में संबद्ध है यह असंभाव्य है कि पूर्वकल्पनाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अकेलापन में घटित होगा। उपर्युक्त विश्लेषण की तैयारी में तरीकों और पूर्वकल्पनाओं में गत अवधि से कोई परिवर्तन नहीं है, सिवाय इसके आधार दरें बदल गई है।

(iii) **परिसंपत्ति देनदारी मेल योजनाएँ**

(ए) उपदान-कर्मचारी : बीमाकर्ता प्रशासित निधि

कंपनी देयता बीमा कंपनी को निधि देकर किया है। संपूर्ण निवेशयोग्य का प्रबंधन बीमा कंपनी के निधि प्रबंधकों द्वारा व्यवस्थित है और परिसंपत्ति मूल्य यथा बीमा कंपनी द्वारा सूचित है, मूल्यांकन प्रयोजन के लिए लिया गया है। नीति यों परिसमापन जोखिम की कमी देखती है। तथापि, नकद संचयन योजना होने के कारण परिसंपत्तियों की अवधि लघुतर है जब उसकी तुलना देनदारियों से की जाती है।

यों कंपनी ब्याज दर में संचलन की आशंका रखती है। (खासकर ब्याज दरों की महत्वपूर्ण कमी, जिसके फलस्वरूप परिसंपत्ति में उस प्रकार की वृद्धि के बिना देनदारी में परिणत रूप से वृद्धि आएगी।)

(बी) उपदान - नैमित्तिक मज़दूर (सी एल आर): जैसे आप चाहते हैं तरीके से भुगतान

कंपनी मूल्यांकन पर संपूर्ण उपदान देयता के लिए केवल बहियों में प्रावधान बनाती है और जैसे आप चाहते हैं प्रणाली से वे देय होने पर देनदारियों को निभाती है। इसलिए योजना पूर्णतया निधि रहित है और कंपनी द्वारा कोई संपत्ति नहीं रखी गई है। परिसंपत्तियों का मूल्य शून्य माना गया है, उसमें परिसमापन का जोखिम है क्योंकि वे नकद रहित हो जाएँगे।

(iv) **योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ**

कर्मचारियों के लिए उपदान (सी एल आर के अलावा) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) की एक योजना के अंतर्गत आती है, जो मूलतः एक वार्षिक नकद संचय योजना है। इस योजना के अंतर्गत, ब्याज दर वार्षिक आधार पर घोषित की जाती है। पॉलिसी नियमों के अनुसार, बीमा कंपनी, पॉलिसी के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर, वर्ष के दौरान सभी उपदान अदायगी का भुगतान करती है।

(v) **अन्य प्रकटन**

(ए) उपदान - कर्मचारी :

कंपनी एक बीमा कंपनी के माध्यम द्वारा देयता की निधि जुटाना शुरू किया है और कंपनी द्वारा नियमित मूल्य-निर्धारण देयता में वृद्धि पर किया जाता है और निधि के अनुरक्षण के लिए योगदान भी किया जाता है और यह बीमा कंपनी के उधार जोखिम के अध्यधीन है परिसंपत्ति देयता निवेशों के जोखिम से बेमेल है। बीमा कंपनी के उधार जोखिम और निवेशों की परिसंपत्ति देयता बेमेल जोखिम के अधीन, कंपनी अगले 3 वर्षों के दौरान देय मूल्यांकन तिथि पर पिछली सेवे देयता को पूरा करने में सक्षम होगी।

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए योजना को प्रत्याशित योगदान ₹813.46 लाख (पिछले वर्ष ₹1,070.38 लाख)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**11.08**	11.62

₹ लाखों में

देनदारियों की परिपक्वता रूपरेखा की सूचना	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुमानित हितलाभ दायित्व	11,813.02	10,733.89
संचित हितलाभ दायित्व	9,601.38	8,450.38

₹ लाखों में

	पाँच वर्ष के भुगतान	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य	छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य
1	वर्ष (i)	1,031.31	1,083.70	650.79	685.87
2	वर्ष (ii)	2,805.80	3,026.94	897.21	1,013.75
3	वर्ष (iii)	2,262.08	2,602.12	2,534.43	2,942.44
4	वर्ष (iv)	1,499.60	1,838.34	2,000.64	2,488.25
5	वर्ष (v)	895.81	1,169.78	1,311.51	1,743.53
6	आगे 5 वर्ष के भुगतान (6-10 वर्ष)	1,827.13	2,818.04	2,162.23	3,404.96
7	दस वर्षों से ऊपर का भुगतान	1,491.29	5,408.40	1,177.09	4,367.92
8	पैरा 137 (बी) के अनुसार निहित हितलाभ देयता		**11,564.53**		**10,363.74**

(बी) उपदान - नैमित्तिक मज़दूर (सी एल आर) :

कंपनी ने उपदान देयता का निधियन प्रारंभ नहीं किया है और देयता के निपटारा के लिए जैसे आप जाता है तरीके का अनुसरण कर रही है।

अगली वार्षिक रिपोर्ट अवधि के लिए योजना को प्रत्याशित योगदान । लागू नहीं।

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**8.08**	8.85

₹ लाखों में

देनदारियों की परिपक्वता रूपरेखा की सूचना	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुमानित हितलाभ दायित्व	1,127.59	995.52
संचित हितलाभ दायित्व	759.03	642.46

₹ लाखों में

	पाँच वर्ष के भुगतान	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य	छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य
1	वर्ष (i)	74.25	78.02	43.26	45.59
2	वर्ष (ii)	159.16	173.01	63.10	71.32
3	वर्ष (iii)	126.85	148.76	132.26	154.63
4	वर्ष (iv)	139.81	173.01	105.07	133.17
5	वर्ष (v)	104.13	139.80	122.81	164.87
6	आगे 5 वर्ष के भुगतान (6-10 वर्ष)	311.36	498.03	310.76	509.01
7	दस वर्षों से ऊपर का भुगतान	212.03	633.26	218.26	679.65
8	पैरा 137 (बी) के अनुसार निहित हितलाभ देयता		**1,127.59**		**994.66**

(इ) छुट्टी नकदीकरण - अपेक्षित अन्य प्रकटन

(i) **योजना लक्षणों और सहयुक्त जोखिमों का विवरण:**

छुट्टी योजना अंतिम वेतन परिभाषित हितलाभ योजना है, जो बिदाई के समय पर एक एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है; योजना नियमावली के आधार पर प्राप्त आखिरी वेतन और विदाई के समय की छुट्टी गिनती के आधार पर आकलन किया जाता है और एकमुश्त भुगतान किया जाता है। इस परिकल्पना में निम्नलिखित जोखिम निहित है जो देनदारी और नकद प्रवाह को प्रभावित करते हैं।

(ए) ब्याज दर जोखिम

परिकलित परिभाषित दायित्व सरकारी बंधपत्र पर आधारित एक सीधी छूट दर का इस्तेमाल करता है। अगर बंधपत्र कम पडता है तो परिभाषित हितलाभ देयता बढने की संभावना है।

(बी) वेतन वृद्धि जोखिम:

वेतन में प्रत्याशित वृद्धि से अधिक वृद्धि होने पर परिभाषित हितलाभ देयता बढ जाएगी।

(सी) जनसांख्यकी जोखिम:

यह मृत्यु संख्या अनुशय, अशक्तता और सेवा निवृत्ति समेत अप्रत्याशिता प्रकृति की कमियों के कारण परिणामों की बाष्पशीलता का जोखिम है। डी बी ओ पर इसका असर वेतन वृद्धि संयोजन, छूट दर और निहित मापदंड पर निर्भर है और इसलिए उतना ईमानदार नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि वापसी दर का ज्यादा बताएँ क्योंकि एक अल्पकालीन कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के हितलाभ की लागत दीर्घकालीन कर्मचारी की तुलना में कम होगी।

(ii) **संवेदन - विश्लेषण**

कैसे डी बी ओ पर वास्तविक धारणाओं में अर्थात् छूट दर, वेतन, वृद्धि, अनुशय और मृत्यु संख्या आदि के 100 आधारित परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होगा जो निम्न प्रकार दिया जाता है।

(ए). विशेषाधिकार छुट्टी

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025 को		
		डी बी ओ में वृद्धि	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-6.50%	7,694.66	(534.83)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	7.51%	8,847.76	618.27
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	6.98%	8,804.15	574.66
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-6.16%	7,722.25	(507.23)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	-0.78%	8,165.24	(64.25)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.90%	8,303.38	73.89
7	मृत्यु दर 10% अधिक	0.02%	8,227.57	(1.92)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024 को		
		डी बी ओ में वृद्धि	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-6.59%	7,123.11	(502.36)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	7.56%	8,201.77	576.30
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	7.04%	8,162.57	537.10
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-6.26%	7,148.04	(477.43)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	-0.61%	7,578.71	(46.76)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.70%	7,678.88	53.41
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.02%	7,624.14	(1.34)

(बी) चिकित्सा छुट्टी

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2025 को		
		डी बी ओ में वृद्धि	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	- 5.79%	1,029.38	(63.22)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	6.57%	1,164.35	71.75
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	6.10%	1,159.23	66.63
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	- 5.48%	1,032.71	(59.89)
5	अनुशय दर +100 बुनियादी मुद्दे	- 0.65%	1,085.50	(7.10)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.74%	1,100.64	8.04
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.02%	1,092.37	(0.24)

₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024 को		
		डी बी ओ में वृद्धि %	देनदारी	डी बी ओ में घटती या वृद्धि
1	छूट दर +100 बुनियादी मुद्दे	-6.13%	935.11	(61.02)
2	छूट दर -100 बुनियादी मुद्दे	6.92%	1,065.03	68.90
3	वेतन वर्धन +100 बुनियादी मुद्दे	6.44%	1,060.30	64.17
4	वेतन वर्धन -100 बुनियादी मुद्दे	-5.82%	938.19	(57.94)
5	अनुशय दर+100 बुनियादी मुद्दे	-0.55%	990.66	(5.47)
6	अनुशय दर-100 बुनियादी मुद्दे	0.62%	1,002.28	6.15
7	मृत्यु दर 10% अधिक	-0.02%	995.96	(0.17)

संवेदन - विश्लेषण के लिए पी यू सी तरीका अपनाया जाता है। किसी कर्मचारी की सेवा बाद के वर्षों में पहले वर्षों से ज्यादा उच्चतर स्तर के हितलाभ तक आ जाएगा। परिसीमाएँ ये हैं कि परिवर्तन का मूल्य - निर्धारण करने के लिए अन्य पैरामीटरों को स्थिर माना जाता है। कुछ पूर्वकल्पनाएँ आपस में संबंधित होने का कारण, यह संभव नहीं कि पूर्वकल्पनाओं में परिवर्तन एक दूसरे के एकाकीपन में होगा। उपर्युक्त विश्लेषण की तैयारी में उपयोग किए गए तरीकों और पूर्वकल्पनाओं में गत अवधि से कोई परिवर्तन नहीं है, केवल बनुयादी दरों में परिवर्तन हुआ है।

(iii) **अन्य प्रकटन**

कंपनी ने छुट्टी देयता का वित्तपोषण शुरू नहीं किया है तथा देयता के निपटान के लिए आपकी इच्छानुसार तरीके से भुगतान पद्धति का पालन कर रही है।

(ए) विशेषाधिकार छुट्टी

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**11.08**	11.62

₹ लाखों में

देनदारियों की परिपक्वता रूपरेखा की सूचना	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुमानित हितलाभ दायित्व	8,229.49	7,625.47

₹ लाखों में

	पाँच वर्ष के भुगतान	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य	छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य
1	वर्ष (i)	565.24	628.84	387.27	418.78
2	वर्ष (ii)	1,403.87	1,712.27	489.24	586.88
3	वर्ष (iii)	1,261.93	1,645.11	1,315.58	1,742.17
4	वर्ष (iv)	906.18	1,256.55	1,155.95	1,644.10
5	वर्ष (v)	556.67	828.24	825.46	1,253.21
6	आगे 5 वर्ष के भुगतान (6-10 वर्ष)	1,346.07	2,323.21	1,545.96	2,786.30
7	दस वर्षों से ऊपर का भुगतान	2,189.53	7,573.24	1,906.02	6,968.58

(बी) चिकित्सा छुट्टी

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	11.08	11.62

₹ लाखों में

देनदारियों की परिपक्वता रूपरेखा की सूचना	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अनुमानित हितलाभ दायित्व	1,092.60	996.13

₹ लाखों में

	पाँच वर्ष के भुगतान	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य	छूट किया गया मूल्य / वर्तमान मूल्य	न छूट किया गया मूल्य / वास्तविक मूल्य
1	वर्ष (i)	77.67	86.48	51.83	56.09
2	वर्ष (ii)	212.12	259.80	66.44	79.85
3	वर्ष (iii)	179.44	234.59	192.65	256.26
4	वर्ष (iv)	130.46	180.97	160.63	228.90
5	वर्ष (v)	92.92	139.32	113.73	172.65
6	आगे 5 वर्ष के भुगतान (6-10 वर्ष)	175.40	302.49	214.73	385.61
7	दस वर्षों से ऊपर का भुगतान	224.59	738.55	196.12	684.24

च. भविष्य निधि के संबंध में निवल निश्चित हितलाभ (परिसंपत्ति)/ देनदारी का संचलन। ₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	न्यास संचालित भविष्य निधि - उद्योगमंडल		न्यास संचालित भविष्य निधि - कोचीन संभाग	
		31-03-2025	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2024
क.	**दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**				
	वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों के वर्तमान मूल्य	24,146.83	24,872.63	1,783.56	1,912.75
	ब्याज लागत	1,561.09	1,554.05	113.70	117.91
	भूतपूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
	चालू सेवा लागत	1,171.30	1,109.18	68.24	70.66
	योजना हिस्सेदारियों का अंशदान	2,851.22	2,849.41	144.27	231.76
	प्रदत्त हितलाभ	(2,039.18)	(6,874.94)	(198.42)	(572.90)
	दायित्व पर वास्तविक हानि/(लाभ)	1,718.83	636.51	9.56	23.39
	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**29,410.09**	**24,146.83**	**1,920.91**	**1,783.56**
ख.	**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	24,179.66	24,822.87	1,772.61	1,909.21
	निवेश पर प्रतीक्षित वापसी	1,602.84	1,590.65	115.26	120.21
	कर्मचारियों एवं योजना हिस्सेदारियों का अंशदान	4,022.52	3,958.59	212.52	302.42
	प्रदत्त हितलाभ	(2,039.18)	(6,874.94)	(198.42)	(572.90)
	योजना परिसंपत्तियों पर उचित हानि/(लाभ)	2,266.58	682.50	180.01	13.67
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**30,032.42**	**24,179.66**	**2,081.98**	**1,772.61**
	निवेश पर वास्तविक वापसी	3,869.42	2,273.15	295.27	133.88
ग.	**निधि की तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त रकम**				
	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	29,410.09	24,146.83	1,920.91	1,783.56
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30,032.42	24,179.66	2,081.98	1,772.61
	अनिधिबद्ध निवल देनदारी	**(622.33)**	**(32.83)**	**(161.07)**	**10.95**
घ.	**वर्ष के दौरान निधि के लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त खर्च**				
	चालू सेवा लागत	1,171.30	1,109.18	68.24	70.66
	भूतपूर्व सेवा लागत				
	ब्याज लागत	1,561.09	1,554.05	113.70	117.91
	निवेश पर प्रतीक्षित वापसी	(1,602.84)	(1,590.65)	(115.26)	(120.21)
	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त निवल उचित(लाभ)/हानि	(547.75)	(45.99)	(170.45)	9.72
	कुल व्यय	**581.80**	**1,026.59**	**(103.77)**	**78.07**

छ. भविष्य निधि के संबंध में निवल निश्चित हितलाभ (परिसंपत्ति)/ देनदारी का संचलन। ₹ लाखों में

क्रम सं	विवरण	न्यास संचालित भविष्य निधि - उद्योगमंडल		न्यास संचालित भविष्य निधि - कोचीन संभाग	
		31-03-2025	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2024
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय एवं राज्य)	48.88%	66.65%	48.91%	57.26%
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड	36.35%	24.94%	36.79%	36.22%
3.	साम्या	14.77%	8.41%	13.94%	6.08%
4.	अन्य	0.00%	0.00%	0.36%	0.44%
5.	**कुल**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

49. अतिरिक्त विनियामक सूचना

(i) **निवेश संपत्ति का उचित मूल्य**

पूर्ण स्वामित्व वाला भूमि का उचित मूल्य भारत सरकार द्वारा वेब साइट में जारी अधिसूचना के आधार पर है।

(ii) **प्रगति पर के पूँजीगत निर्माण कार्य (सी डब्ल्यू आइ पी)**

(ए) सी डब्ल्यू आइ पी की जीवन काल अनुसूची

₹ लाखों में

सी डब्ल्यू आई पी	31 मार्च 2025 को				
	सी डब्ल्यू आइ पी में रकम .... अवधि के लिए				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति पर की परियोजनाएँ	9,355.71	6,400.25	4,476.55	1,393.89	**21,626.40**
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएँ	-	-	-	-	**-**
कुल	**9,355.71**	**6,400.25**	**4,476.55**	**1,393.89**	**21,626.40**

₹ लाखों में

सी डब्ल्यू आई पी	31 मार्च 2024 को				
	सी डब्ल्यू आइ पी में रकम .... अवधि के लिए				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति पर की परियोजनाएँ	12,210.12	7,654.93	1,997.23	494.72	**22,357.00**
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएँ	-	-	-	-	**-**
कुल	**12,210.12**	**7,654.93**	**1,997.23**	**494.72**	**22,357.00**

बी) मूल योजना की तुलना में सी डब्ल्यू आई पी का विवरण

₹ लाखों में

सी डब्ल्यू आई पी	31 मार्च 2025 को				
	में पूरा करना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
दो फोस्फोरिक एसिड भंडारण टंकियाँ वि द्वी - 8220 मी ट*2	-	-	2,040.25	-	**2,040.25**
सल्फ्यूरिक एसिड भंडारण टंकियाँ वि द्वी - 8220 मी ट	-	88.46	-	-	**88.46**
संविदा कर्मचारी उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली	-	-	-	7.58	**7.58**
भूमि बिक्री के लिए सी डी टाउनशिप में विद्युत कार्य	-	-	-	118.30	**118.30**
एन पी के संयंत्र सी डी - 1650 टी पी डी	18,234.24	-	-	-	**18,234.24**
नए आई ए टी विनिर्माण, स्थापना एवं कमीशन	415.20	-	-	-	**415.20**
नई डब्ल्यू2 इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर सी डी	151.95	-	-	-	**151.95**
कुल	**18,801.39**	**88.46**	**2,040.25**	**125.88**	**21,055.98**

₹ लाखों में

सी डब्ल्यू आई पी	31 मार्च 2024 को				
	में पूरा करना है				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
अमोनिया भंडारण टंकियाँ सी डी - 10000 मी ट	9,776.63	-	-	-	**9,776.63**
दो फोस्फोरिक एसिड भंडारण टंकियाँ वि द्वी - 8220 मी ट*2	-	1,760.90	-	-	**1,760.90**
सल्फ्यूरिक एसिड भंडारण टंकियाँ वि द्वी - 8220 मी ट	311.29	-	-	-	**311.29**
सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र के लिए डीजल जनरेटर सेट	-	23.11	-	-	**23.11**
संविदा कर्मचारी उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली	-	-	7.58	-	**7.58**
भूमि बिक्री के लिए सी डी टाउनशिप में विद्युत कार्य	-	-	-	79.34	**79.34**
सिविल फाउण्डेशन कार्य आई ए टी	43.67	-	-	-	**43.67**
कुल	**10,131. 59**	**1,784.01**	**7.58**	**79.34**	**12,002.52**

(iii) अनुपात

क्रम सं	अनुपात	अंश	हर	अनुपात 2024-25	अनुपात 2023-24	% अंतर	25% से अधिक अंतर के कारण
(ए)	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देनदारियाँ	**1.02**	1.05	(3.00)	लागू नहीं
(बी)	ऋण-साम्या अनुपात	कुल देनदारियाँ/ऋण	शेयरधारियों का साम्या	**3.36**	3.27	3.00	लागू नहीं
(सी)	ऋण-सेवा परिव्यास अनुपात,	कर के बाद निवल लाभ प्लस वित्त लागत और नकदेतर प्रचालन व्यय	वित्त लागत, ऋण एवं प्रोद्भूत सूद की चालू परिपक्वता	**0.08**	0.11	(24.27)	लागू नहीं
(डी)	साम्या अनुपात पर वापसी %	कर के बाद लाभ	शेयरधारियों की साम्या	**3.01%**	9.45%	(68.16)	कर के बाद निवल लाभ में वृद्धि के कारण
(इ)	मालसूची पण्यावर्त अनुपात	पण्यावर्त	औसत मालसूची	**3.87**	4.76	(18.71)	लागू नहीं
(एफ)	व्यापार प्राप्य पण्यावर्त अनुपात	निवल उधार बिक्री	औसत लेखा जो प्राप्य है	**2.85**	4.36	(34.67)	कैप्रोलेक्टम की सहायिकी एवं बिक्री में कमी के कारण
(जी)	व्यापार देय राशि पण्यावर्त अनुपात	निवल उधार क्रय	औसत लेखा जो देय है	**6.24**	8.59	(27.40)	केप्रोलेक्टम का प्रचालन बंद होने के कारण
(एच)	निवल पूँजी पण्यावर्त अनुपात	निवल बिक्री	कार्यशील पूँजी	**55.57**	24.14	130.14	कार्यशील पूँजी में कमी के कारण
(आई)	निवल लाभ अनुपात %	कर के बाद लाभ	पण्यावर्त	**1.02%**	2.54%	(59.92)	पण्यावर्त और निवल लाभ में कमी के कारण
(जे)	नियोजित पूँजी पर विवरण %	सूद और करों के पूर्व अर्जित रकम	नियोजित पूँजी (निवल मूल्य प्लस कुल ऋण)	**5.92%**	6.01%	(1.42)	लागू नहीं
(के)	निवेश पर विवरण %	शेयरों में निवल परिवेश का निवल परिसंपत्ति मूल्य प्लस लाभांश	निवेश का मूल मूल्य	**72.48%**	46.18%	56.95	निवेश के मूल्य में वृद्धि के कारण

iv) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार आवश्यक अन्य अतिरिक्त प्रकटीकरण।

क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बंद की गई कंपनी से संबंध	बकाया राशि (₹ लाखों में) *	
			31 मार्च 2025 को	**31 मार्च 2024 को**
कैपेक्सिल एजेंसीस लिमिटेड	प्रतिभूतियों में निवेश	लागू नहीं	0.15	0.15

*निवेश पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और पुस्तकों में इसका मूल्य शून्य है।

बी) संवैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि शुल्क लंबित नहीं है।

सी) कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 230 से 237 के संदर्भ में कोई भी व्यवस्था योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

डी) आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर के आकलन के लिए वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या खुलासा करने के लिए खाते की किताबों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।

इ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

एफ) कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) भी सम्मिलित है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो)अग्रिम, ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से)नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो गया अन्यथा, मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी)को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चिज़ प्रदान करेगा।

जी) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधि देनेवाले पक्ष") सम्मिलित है, से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रुप से महत्वपूर्ण हो) इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि देने वाला पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।

एच्चा) कंपनी को किसी भी वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

50. आकस्मिक देनदारियां एवं वचनबद्धताएं (जिनके लिए प्रावधान न किए गए):

(i) आकस्मिक देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को** ₹ लाखों में
कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण नहीं माने गए हैं:		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944	5,039.94	11,612.91
सेवा कर (वित्त अधिनियम,1994)	402.64	388.75
बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर/प्रवेश कर	292.50	287.69
माल एवं सेवा कर	450.88	215.10
आय कर अधिनियम,1961	4.26	4.26
क रा बी अधिनियम	127.83	127.83
पूर्तिकार एवं संविदाकार	29,655.09	28,024.64
बोनस अधिनियम का भुगतान, 1965	33.59	33.59
अन्य	16,024.85	11,043.07

50.1. एक निजी कंपनी के सौंपे गए अमोनिया के बार्ज परिवहन का ठेका कंपनी द्वारा 2004-05 के दौरान प्रारंभ में शुन्य रद्द किया गया है ठेकेदार ने मध्यस्थ के सामने 31.03.2013 तक के ब्याज समेत ₹1,78,489.75 लाख का दावा किया। मध्यस्थ ने वर्ष 2013-14 के दौरान ठेकेदार के पक्ष में एक अधिनिर्णय पास किया है (₹17,308.04 लाख के लिए 31.12.2013 तक के ब्याज समेत)। अधिनिर्णय के अनुसार कंपनी द्वारा ठेकेदार को चुकाए ₹2,798.29 लाख ब्याज समेत जुटाना अग्रिम को एक अधिनिर्णय में समायोजित किया जाना है। कंपनी ने अधिनिर्णय को विधिक और वास्तविक आधार पर स्वीकार नहीं किया है और माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के सामने अधिनिर्णय का आक्षेप किया है जिस कारण अधिनिर्णय फिर से रोका गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के निदेशानुसार कंपनी ने अधिनिर्णय के लिए 80.50 एकड भूमि प्रतिभूति के रूप में प्रदान किया है। तदनुसार, 31.03.2025 तक के ब्याज सहित अधिनिर्णय रकम ₹28,751.98 लाख (पिछले वर्ष ₹27,734.43) अग्रिम और माध्यस्थम् अधिनिर्णय के अधीन मंजूर ब्याज की परवाह किए बिना देनदारी मानी गई और आकस्मिक देनदारी के अधीन सम्मिलित किया गया।

50.2 प्रतिवर्ष 13.50 प्रतिशत ब्याज दर सहित 100000.00 लाख रुपए का एक योजना उधार दिनांक 29 मार्च 2016 को भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा कंपनी के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए विमोचन किया गया था। भारत सरकार के आदेशानुसार, 100000.00 लाख रुपए पूर्ववर्ती उधारों सहित और बकाया ब्याज को मिलाकर उसे 13.50 प्रतिशत दर प्रति वर्ष के ब्याज सहित एकल उधार में एकवर्ष के अधिस्थगन के साथ परिवर्तित किया गया था। मंजूरी की शर्तों के अनुसार सरकार ब्याज दर को वर्धित कर 16.25 प्रतिशत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, अगर वापस चुकाने में चूक करने पर। चूँकि आज तक सरकार से इस संबंध में कोई सूचना न मिलने के कारण 14,646.54 लाख रुपए (गत वर्ष - 9777.70 लाख रुपए) वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त ब्याज को आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। (नोट 21.1 देखें)

50.3 392.82 लाख रुपए का दावा एक परिवहन निविदाकार द्वारा दावा किया गया है जो उसके द्वारा फाइल किए एक माध्यस्थम मुकदमे में निविदाकार के बिलों से रोक रखे जाने और 143.22 लाख की बैंक गैरेंटी को पहल लेने की प्रतिक्रिया में मालों की सुपुर्दगी न करने की प्रतिपूर्ति में था। कंपनी ने उसके बदले 224.03 लाख (ब्याज समेत) का एक प्रति दावा फाइल किया। दावे के प्रति 94.80 लाख रुपए (पिछले वर्ष 94.80 लाख रुपए) रकम आकस्मिक देनदारी में सम्मिलित है।

50.4 दिनांक 31.03.2025 तक की आकस्मिक देनदारी में 116.94 लाख रुपए (पिछले वर्ष 104.27 लाख रुपए) शामिल हैं, जो एक ग्राहक को भुगतान की जाने वाली राशि है, जिसके थोक जिप्सम की बिक्री हेतु किए गए संविदा को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान समाप्त कर दिया गया था। इस संबंध में मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुए कंपनी ने नॉर्थ परवूर की वाणिज्यिक न्यायालय में एक याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने निर्णय की प्रक्रिया पर स्थगन किया है, बशर्ते कि पारित राशि का 50ऽ जमा किया जाए या पूरी पारित राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, हमने 175.22 लाख रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है, जो 2.3.2025 तक मान्य थी।

50.5 राष्ट्रपतीय निदेश और कंपनी और मज़दूर संघों के बीच 2017 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के समझौते के अनुसार, कंपनी को वेतन और मजदूरी का प्राप्य बकाया देने का (01.01.2017 से 31.03.2022 तक की अवधि का) दायित्व नहीं, यह प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में है। कंपनी के कुछ सेवा-निवृत्त कर्मचारियों ने केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष एक समादेश याचिका फाइल की है कि वेतन संशोधन और अन्य परिणामी हितलाभों का 01.01.2017 से प्रभावी अवधि का बकाया धन वितरित करने का निदेश कंपनी को दे दें, जो हर अर्जिकारों की सेवा-निवृत्ति तिथि तक लागू है। चूँकि बकाया चुकाने के संबंध में कोई निर्णय, अधि निर्णय नहीं लिया गया है, देनदारी की रकम इस चरण पर सुनिश्चित नहीं कर सकेगी।

(ii) अन्य प्रतिवद्धताएँ

₹ लाखों में

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
पूँजीगत लेखों पर कार्यान्वयन के लिए बाकी पडे ठेकों की प्राक्कलित राशि	23,714.94	36,622.31

51. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
के संबंध में प्राप्य प्राक्कलित रकमः		
पूर्तिकार और ठेकेदार	19,681.33	14,449.87
डीलर और ग्राहक	73.77	73.77
अन्य	184.12	184.12
	19,939.22	**14,707.76**

"पूर्तिकारों और निविदाकारों" की आकस्मिक परिसंपत्तियों में एक निविदाकार से प्राप्य ₹19,623.74 लाख रुपए सम्मिलित है। (गत वर्ष - 11,854.25 लाख रुपए) यह दल द्वारा अब तक प्रतिधारित जुटाव अग्रिम पर का ब्याजन है। (नोट नं. 4.1, 13.2 देखें) इसमें पुनःगैसीकरण प्रभार शून्य (गत वर्ष 2,461.45 लाख रुपए) भी सम्मिलित है, जो तेल कंपनियों के संबंध में पुनः गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस से है। वर्ष 2019-20 के दौरान का है। यह वावादग्रस्त मामला अब सी पी एस ई के विवादों पर संकल्प का प्रशासनिक तंत्र (ए एम आर सी डी) के समक्ष निलंबित है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अतिरिक्त पुनर्गैसीकरण शुल्क की वापसी के लिए प्राप्त राशि को असाधारण आय माना है तथा ए एम आर सी डी को संदर्भित विवाद को वापस लेने के लिए कदम उठाए हैं। (नोट 36.1 देखें)

52. निर्माण ठेके

इंजीनियरिंग संरचना संभाग (फेडो) और विरचना संभाग (फिऊ) द्वारा अपने निजी एककों के लिए की गई सेवाओं के अधीन आपको उसी एककों द्वारा राजस्व व्यय में लेखाबद्ध है, इस वर्ष यह ₹708.14 लाख (गत वर्ष ₹1012.21 लाख) है और पूँजीगत व्यय ₹591.18 लाख (गत वर्ष ₹850.09 लाख) है। फेक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ऑर्गनाइज़ेशन (फेडो) द्वारा एक कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर किए गए काम के मामले में लागत प्लस आधार पर, जमा काम के रूप में फेडो को कुल परियोजना लागत का कुछ प्रतिशत शुल्क प्राप्त होने की अर्हता है।

(i) **नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेकनॉलजी (एन आई टी), नागालैंड -** तकनीक मूल्य-निर्धारण के आधार पर 95% (गत वर्ष 70.70%) काम फेडो द्वारा एन आई टी को परामर्शी सेवा से संबंधित है। दिनांक 31.3.2025 के अनुसार पूरा हो गया है और ₹603.42 लाख (गत वर्ष ₹600.53 लाख)आनुपातिक जमा के रूप में किया है, जो अप्राप्त आय को 8.41 लाख रुपए (पिछले वर्ष 11.30 लाख रुपए) मानने के बाद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिल किए गए और प्रमाणित किए गए निर्माण कार्य का मूल्य 459.02 लाख (पिछले वर्ष 541.40) माना गया है और ठेके पर प्रत्यक्ष शुल्क के लिए समतुल्य राशि पर विचार किया गया है।

(ii) **केंद्रीय विद्यालय हार्दा (के वी)** - तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार, (फेडो)द्वारा केवी को परामर्श सेवाओं से संबंधित 15% (पिछले वर्ष 2%) कार्य 31.3.2025 तक पूरा हो चुका है और प्रगति पर कार्य को शून्य (पिछले वर्ष शून्य) मानते हुए, 48.66 लाख रूपये (पिछले वर्ष 40.06 लाख) का आनुपातिक जमा के रूप में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिल किए गए और प्रमाणित किए गए निर्माण कार्य का मूल्य 283.08 लाख (पिछले वर्ष शून्य) माना गया है और ठेके पर प्रत्यक्ष शुल्क के लिए समतुल्य राशि पर विचार किया गया है।

₹ लाखों में

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
ए)	अवधि में मानी गई ठेका राजस्व	1,362.47	618.30
बी)	प्रगति पर के ठेके के प्रति प्राप्त अग्रिम	519.16	1,024.34
सी)	प्रगति पर के काम के लिए ग्राहकों द्वारा प्रतिधारण	62.00	34.42
डी)	उपचित लागत की कुल रकम और माना गया लाभ (मानी गई हानि) ठेकों पर प्रगति में रिपोर्टिंग तारीख तक	2,568.10	2,740.56
इ)	परिसंपत्ति के तौर पर ठेका काम के लिए ग्राहक द्वारा देय कुल रकम	210.71	220.31
एफ)	देयता के तौर पर ठेका काम के लिए देय कुल रकम	15.95	211.04

53. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन, लेखाकरण प्राक्कलनों और भूलों में परिवर्तन के संबंध में प्रकटन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अंतिम लाभार्थी को बिक्री के लिए लंबित डीलरों के पास मौजूद पी एंड के उर्वरक स्टॉक के सहायिकी वाले हिस्से की वसूली के आधार का पुनर्मूल्यांकन किया है, जो इस अवधि में डी बी टी पावती में उल्लेखनीय सुधार को ध्यान में रखते हुए 90% से 95% हो गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में परिचालन से राजस्व और अन्य उपार्जित आय में 1294.00 लाख रुपए की वृद्धि हुई।(नोट 11.1 एवं 27.1 देखें)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्व अवधियों से संबंधित आय और व्यय की अलग-अलग मदों में त्रुटियों और चूकों के लेखांकन हेतु प्रारंभिक सीमा की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन किया है, जिसे 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्कथित कर-पूर्व लाभ में वृद्धि हुई और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ में 26.15 लाख रुपए की कमी आई।

वर्ष के दौरान कुछ त्रुटियों या चूक की पहचान की गई। तदनुसार गत वर्ष के इंड ए एस 8 के अनुसार गत वर्ष वित्तीय विवरण का पुनर्कथन किया गया और सबसे पहले की अवधि के विवरणों में प्रभाव नीचे दिए जाते हैं। पुनर्विवरण की प्रकृति और गत वित्तीय विवरणों पर उसका प्रभाव निम्न प्रकार हैं।

(i) **पिछले वर्ष को आंकडों का पुनर्विवरण**

(क) मरम्मत और अनुरक्षण के अंतर्गत दर्ज 151.95 लाख रूपये की राशि को पूंजीगत निर्माण कार्य में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) 31.3.2024 तक 54.28 लाख रूपये के जिप्सम स्टॉक के कम मूल्यांकन को ठीक कर दिया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान फेडो द्वारा निकाले गए एन आई टी के जमा कार्य हटाना, जिसका वास्तविक प्रभाव 371.27 लाख रूपये है।

(घ) पुनर्कथन और कर आधार की समीक्षा के कारण आस्थगित कर में परिवर्तन।

तुलन - पत्र और लाभ एव हानि विवरण की पुन:विवरण मदो का मिलान

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	नोट नं.	वर्ष 2023-24 के आँकडों का पुनर्विवरण		
			गत वर्ष के दौरान यथा रिपोर्ट किया गया	समायोजन	यथा पुनः विवरण
1	पूंजीगत निर्माण कार्य	2ए	22,205.05	151.95	22,357.00
2	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	5	10,266.78	(1,624.37)	8,642.41
3	मालसूचियाँ	7	1,14,315.67	54.28	1,14,369.95
4	चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	24,647.83	(359.98)	24,287.85
5	अन्य साम्या	16	72,866.72	(1,789.42)	71,077.30
6	चालू देनदारियाँ - अन्य वित्तीय देनदारियाँ	24	1,88,018.19	11.30	1,88,029.49
7	प्रचालन से राजस्व	27	5,05,492.61	(371.28)	5,05,121.33
8	तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और प्रगति पर कार्य की साम्या में परिवर्तन	31	(5,065.94)	(54.28)	(5,120.22)
9	कर्मचारी लाभ व्यय।	32	28,393.99	(14.09)	28,379.90
10	अन्य व्यय	35	1,10,482.63	(137.86)	1,10,344.77
11	आस्थगित कर	5.3	(10,266.78)	1,624.37	(8,642.41)
12	प्रति साम्या शेयर पर अर्जन	37	2.26	(0.28)	1.98

* पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

54 विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

1) आयातित और स्वदेशी कल पुर्जो की खपत का मूल्य और कुल खपत में उसका प्रतिशत

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त		31 मार्च 2024 को समाप्त	
	रकम (रू लाखों में)	प्रतिशतता	रकम (रू लाखों में)	प्रतिशतता
कल पुर्जे, हिस्से & रसायन				
आयातित	107.26	2.87%	298.46	5.77%
देशज	3,623.91	97.13%	4,874.37	94.23%
	3,731.17		5,172.83	

2. आयातित सामान की लागत बीमा भाडा मूल्य

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त	31 मार्च 2024 को समाप्त
कच्चे माल	84,566.29	1,38,264.48
व्यापार उत्पादन	43,842.41	33,899.33
कल पुर्जे एवं अन्य सामग्रियाँ	416.33	245.72
पूँजीगत माल	-	22.89
	1,28,825.03	1,72,432.42

3. विदेशी मुद्रा में व्यय

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त	31 मार्च 2024 को समाप्त
परामर्शी सेवा	5.43	85.08
अन्य	43.83	41.40
	49.26	**126.48**

55. पोषक तत्व आधारित सहायिकी नीति के अंतर्गत पी के उर्वरकों के एम आर पी & तर्कसंगतता के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों पर उर्वरक विभाग द्वारा जारी ओ एम एफ सं. 23011/9/2023-पी & के दिनांक 18.1.2024 के अनुसरण में सूचना।

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त			
		एकीकृत	आयातित	अन्य	कुल
(i)	प्रचालन से राजस्व	3,47,309.70	47,569.69	10,211.60	**4,05,090.99**
(ii)	असाधारण मदें एवं कर पूर्व निवल लाभ/ (हानि)	21,811.64	3,515.09	(22,414.12)	**2,912.61**
(iii)	असाधारण मदें				**2,461.45**
(iv)	कर पूर्व असाधारण मदों के बाद निवल लाभ/(हानि)				**5,374.06**
(v)	आस्थगित कर				**1,250.86**
(vi)	**कर के बाद निवल लाभ / (हानि) (iv)-(v)**				**4,123.20**

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त			
		एकीकृत	आयातित	अन्य	कुल
(I)	प्रचालन से राजस्व	4,07,386.15	38,927.64	58,807.54	**5,05,121.33**
(ii)	असाधारण मदें एवं कर पूर्व निवल लाभ/ (हानि)	43,007.35	2,754.68	(17,018.06)	**28,743.97**
(iii)	असाधारण मदें				**(24,558.89)**
(iv)	कर पूर्व असाधारण मदों के बाद निवल लाभ/(हानि)				**4,185.08**
(v)	आस्थगित कर				**(8,642.41)**
(vi)	**कर के बाद निवल लाभ / (हानि) (iv)-(v)**				**12,827.49**

शामिल किए गए उत्पाद :

एकीकृतः फैक्टमफोस, अमोनियम सल्फेट और जिंकेटेड फैक्टमफोस

आयातितः कंपनी द्वारा व्यापार के उद्देश्य से खरीदे गए सभी आयातित उर्वरक।

अन्यः कैप्रोलैक्टम, फेडो, फिऊ और अन्य घरेलू व्यापारिक उत्पाद।

56. उपभुक्त सामग्रियों की लागत (मदवार ब्यौरा)

₹ लाखों में

		31 मार्च 2025 को				31 मार्च 2024 को			
क्रम सं	विवरण	प्रारंभिक स्टॉक	क्रय	इति स्टॉक	खपत	प्रारंभिक स्टॉक	क्रय	इति स्टॉक	खपत
1	पुनः गैसीकृत द्रव प्राकृतिक गैस	0.41	76,185.51	3.83	76,182.08	4.44	1,04,723.48	0.41	1,04,727.52
2	सल्फर - आयातित	35.52	7,725.13	3,642.19	4,118.46	168.48	-	35.52	132.96
3	सल्फर - देशज	1,347.30	15,464.20	2,073.22	14,738.28	2,868.39	13,951.22	1,347.30	15,472.31
4	रॉक फोस्फेट -आयातित	1,591.14	27,912.68	6,064.40	23,439.42	2,974.27	33,679.72	1,591.14	35,062.85
5	रॉक फॉस्फेट	-	1,761.71	651.03	1,110.68	-	-	-	-
6	फोस्पोरिक एसिड - आयातित	6,468.74	47,656.51	1,364.46	52,760.79	5,449.68	95,187.90	6,468.74	94,168.84
7	फोस्फोरिक एसिड - देशज	16.72	31,170.84	1,106.74	30,080.82	16.72	-	16.72	-
8	अमोनिया - आयातित	5,642.72	7,992.69	157.49	13,477.92	187.03	11,111.25	5,642.72	5,655.56
9	बेनज़ीन -आयातित	0.09	-	0.09	-	0.09	-	0.09	-
10	बेनज़ीन - देशज	47.10	1.40	47.10	1.40	1,753.06	24,970.26	47.10	26,676.22
11	कॉस्टिक सोडा	6.33	11.54	6.70	11.17	47.17	1,409.75	6.33	1,450.61
12	रॉक फोस्फेट - मिश्रण के लिए 18%*	6.86	-	6.86	-	13.28	-	6.86	-
13	सल्फ्यूरिक एसिड - देशज	656.49	6,684.37	858.77	6,482.09	53.47	10,200.61	656.49	9,597.59
14	सल्फ्यूरिक एसिड - आयातित	3.45	-	3.45	-	679.52	1,221.83	3.45	1,897.90
15	ज़िंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट	-	46.83	25.08	21.75	-	-	-	-
	कुल	**15,822.86**	**2,22,613.41**	**16,011.41**	**2,22,424.86**	**14,215.60**	**2,96,456.02**	**15,822.86**	**2,94,842.36**
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत				**2,22,424.86**				**2,94,842.36**

* बिक्री के लिए समायोजन के बाद अंतिम स्टॉक शून्य (पिछले वर्ष 6.42 लाख रुपए) है।

57. दिनांक 26.05.2025 को निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण जारी करने को प्राधिकृत किया गया।

58. निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन और शेयरधारियों द्वारा उसके अंतिम अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

59. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

60. **तुलन-पत्र तिथि के बाद घटित होनेवाली घटनाएँ**

(i) निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के समादत्त साम्या शेयर पूंजी पर 2.00% (पिछले वर्ष 9.70% समादत्त साम्या शेयर पूंजी पर) यानी 10/- प्रत्येक साम्या शेयर पर 0.20 का अंतिम लाभांश (पिछले वर्ष 0.97 प्रति साम्या शेयर) की सिफारिश की है, जो कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

(ii) कंपनी को रीगैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) के आपूर्तिकर्ताओं से मई 2019 - मई 2020 की अवधि के लिए आरएलएनजी खरीद के संबंध में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए 2,461.45 लाख के अतिरिक्त रीगैसिफिकेशन शुल्क की वापसी के संबंध में सूचना प्राप्त हुआ है। तदनुसार, प्राप्य राशि को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान असाधारण मद के रूप में हिसाब में लिया गया है।(नोट 36.1 देखें)

हमारी इस तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं.004674S

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

ह
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.226547

ह
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

ह
एस सी मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

ह
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

फार्म ए ओ सी -1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

समनुषंगी कंपनियों अथवा सह कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएँ समाविष्ट करते हुए विवरण

भाग-क समनुषंगी कंपनियाँ

कुछ नहीं

भाग-ख सह एवं संयुक्त उद्यम

सह कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण।

सह और संयुक्त उद्यमों के नाम	एफ ए सी टी-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लि.
अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.2024
संयुक्त उद्यम सहयोजित अथवा अर्जित करने की तारीख	2 मई 2008
वर्षांत में कंपनी द्वारा धारित सह अथवा संयुक्त उद्यमों के शेयर (संख्या)	3,52,27,000.00
सह अथवा संयुक्त उद्यमों में निवेशित रकम	3522.70
धारिता का विस्तार (प्रतिशतता में)	50%
महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	50:50 संयुक्त उद्यम, निदेशकों के आधे कंपनी द्वारा नामांकित किया जाता है।
कारण है कि सह कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं है	समेकित
अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य माना जा सकता है	0.00
2024-25 वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि(ठ लाख)	(163.76)
1. समेकन में विचार किया	लागू नहीं
2. समेकन में न विचार किया	(81.88)

* वर्ष 2024-25 के लिए एफ आर बी एल के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है क्योंकि वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों को अभी तक इसकी वार्षिक आम बैठक में नहीं अपनाया गया है और वर्ष 2024-25 के लिए संवैधानिक लेखापरीक्षा पूरी नहीं हुई है।

** संयुक्त उद्यम में कंपनी की हानि का हिस्सा उसके हित से अधिक होने के कारण, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 38 के अनुसार हानि के अपने हिस्से को मान्यता देना बंद कर दिया।

1. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन सी एल टी), कोच्चि पीठ ने अपने दिनांक 11.01.2024 और 28.01.2025 के आदेशों के माध्यम से फेक्ट-आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफ आर बी एल) के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति की है। यह कार्रवाई एफ आर बी एल के एक वित्तीय लेनदार द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर याचिका के जवाब में की गई है। तदनुसार, एफ आर बी एल के निदेशक मंडल के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। समाधान पेशेवर ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और यह प्रक्रिया प्रगति पर है।
2. उन सह कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका प्रचालन अभी शुरू होना है - कुछ नहीं।
3. उन सह कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन हो चुका है या जिन्हें बिक्री की गई है - कुछ नहीं

कृते जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कं.
चार्टेर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण नं. 004674S

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

ह
रविनाथ आर पाई
भागीदार
सदस्यता सं.0226547

ह
एस शक्तिमणि
निदेशक (वित्त) & मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी आई एन 07482308

ह
एस. सी. मुडगेरीकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन 03498837

ह
सूसन अब्रहाम
कंपनी सचिव

स्थानः कोच्ची
दिनांक: 26.05.2025

पेट्रो संयंत्रों में मॉक ड्रिल।

एफ ए सी टी में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन।

एलूर नगर पालिका को सुरक्षा जागरूकता कक्षा।

प्रगति के पथप्रदर्शक

PIONEERS IN PROGRESS

दि फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः एलूर, उद्योगमंडल - 683 501, कोच्ची, केरल, भारत, वेबसाइट : www.fact.co.in

सी आइ एन : : L24129KL1943GOI000371

THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Regd. Office : Eloor, Udyogamandal - 683 501, Kerala India

Website : www.fact.co.in, CIN : L24129KL1943GOI000371

Pioneer Offset | 8075913290